

राज्य वित्त वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन



भारतीय रिज़र्व बैंक
फरवरी 2010

- भारत में – 300 रुपए (सामान्य)
– 350 रुपए (डाक प्रभार सहित)
– 225 रुपए (काउंटर पर रियायती मूल्य)
275 रुपए (रियायती डाक प्रभार सहित)
- विदेश – 29 अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)
- टिप्पणी : यह प्रकाशन मेसर्स जैन बुक एजेन्सी, सी-9, कॅनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110 001 में फोन : 011 2341 6390 से 94 तक,
फैक्स : 011 4151 3850, वेबसाइट : www.jba.in, ई-मेल : sales@jba.in एवं उनके डीलर नेटवर्क पर भी उपलब्ध है।

© भारतीय रिजर्व बैंक 2010

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है बशर्ते कि स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए।

गुणजीत कौर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा अल्को कॉर्पोरेशन, ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में अभिकल्पित और मुद्रित।

प्रस्तावना

‘राज्य वित्त : बजटों का एक अध्ययन’ एक ऐसी अनूठी रिपोर्ट है जिसमें राज्य सरकार के वित्त की व्यापक तसवीर प्रस्तुत की जाती है। यह रिपोर्ट 1950-51 से प्रकाशित की जा रही है। 1998-99 तक यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के मासिक बुलेटिन के एक अंग के रूप में प्रकाशित किया जाता था। 1990-2000 से इसे एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन में न सिर्फ अलग-अलग राज्य के स्तर पर बजट संबंधी प्रमुख परिवर्तियों का विश्लेषण किया जाता है, अपितु समेकित स्तर पर एक समूची तसवीर भी प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट के विश्लेषण, अभिविन्यास, व्याप्ति और फार्मेट का समय-समय पर पुनर्विन्यास किया गया ताकि इसे अधिक सामयिक बनाया जा सके। इस संदर्भ में, राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेजों तथा छठे/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन संबंधी व्यय जैसे मानकों के संबंध में राज्य सरकारों से अतिरिक्त जानकारी/आंकड़े प्राप्त कर इस रिपोर्ट में बजट से अतिरिक्त सामग्री का समावेश किया गया है। अनुसंधानकर्ताओं को टाइम सिरीज आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2004 में ‘हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस’ नाम से एक प्रकाशन निकाला, जिसमें 1980-81 से प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार टाइम सिरीज आंकड़े तथा 1990-91 से राजस्व और पूंजी खाते के अंतर्गत विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं।

राज्य सरकारों के वित्त पर महत्वपूर्ण असर डालनेवाले विभिन्न मुद्दों को ब्यौरेवार तथा व्यापक रूप में शामिल करने के लिए तथा विश्लेषणात्मक विषय-वस्तु में वृद्धि करने के लिए, 2005-06 से एक विशेष थीम आधारित विश्लेषण प्रारंभ किया गया है। अब तक पिछले चार वर्षों के दौरान ‘राज्य सरकारों की बकाया देयताएं’, ‘सामाजिक क्षेत्र व्यय’, ‘राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण’ और ‘राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति और संरचना’ पर विशेष थीमों में प्रस्तुत की गयी हैं। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, इस वर्ष की रिपोर्ट ‘राज्य वित्त: 2009-10 के बजटों का एक अध्ययन’ की विशेष थीम ‘राज्य सरकारों का व्यय - प्रवृत्ति और संरचना’ में व्यय प्रबंधन पर फोकस किया गया है।

इस अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- राज्यों का समेकित राजस्व शेष, लगातार तीन वर्ष तक अधिशेष में रहने के बाद, 2009-10 (बअ) में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है।
- राज्य सरकारों के राजस्व खाते में गिरावट को दर्शाते हुए, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी 2008-09 (संअ) के 2.6 प्रतिशत तथा 2007-08 (लेखा) के 1.5 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 3.2 प्रतिशत पर उच्चतर रहने का बजट अनुमान है।
- राज्य सरकारों का ऋण-जीडीपी अनुपात मार्च 2004 के 32.8 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर से गिरकर 2008-09 (संअ) में 26.2 प्रतिशत रह गया।
- राज्यों ने छठे केंद्रीय / राज्यों के अपने वेतन आयोगों की सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। हालांकि 2008-09 (संअ) में राज्यों का समेकित राजस्व अधिशेष कम हो गया, व्यापक रूप से यह माना जाता है कि राज्य सरकारें वेतन आयोगों के अधिनिर्णयों को लागू करने के प्रभाव को अवशोषित करने की बेहतर स्थिति में हैं।

- मुख्य रूप से राजकोषीय जबाबदेही कानून (एफआरएल) अवधि के दौरान राजस्व व्यय में कुछ युक्तियुक्तकरण किए जाने के कारण 2005-10 अवधि के दौरान राज्य सरकारों के समेकित व्यय में कुछ संकुचन देखा जा सकता है। यह आरई-जीडीपी अनुपात 2000-05 के 13.3 प्रतिशत के औसत स्तर से गिरकर 2005-10 के दौरान 12.4 प्रतिशत रह जाने से स्पष्ट है।
- इस अध्ययन में राज्य सरकारों के वित्त संबंधी विभिन्न सामयिक मुद्दों अर्थात् राजस्व में वृद्धि, व्यय की गुणवत्ता, नियम आधारित ढांचे को सुदृढ़ बनाने, राजकोषीय पारदर्शिता, अधिशेष नकदी शेष, उत्प्रेरणा कार्यक्रम के प्रभाव तथा वेतन आयोगों के अधिनिर्णयों को कार्यान्वित करने के बारे में चर्चा की गई है।

यह अध्ययन श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक के समग्र निर्देशन के तहत तथा श्री बी.एम.मिश्रा, परामर्शदाता के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के तहत आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ) की एक टीम द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें श्रीमती आर. कौशल्या, निदेशक, श्री ए.करुणाकरन तथा श्री राजीव जैन, सहायक परामर्शदाता, श्री धीरेंद्र गजभिये तथा श्री दिर्गाऊ केशव राउत, अनुसंधान अधिकारी शामिल हैं। श्री ए. के. धरमपाल, श्री टी. आर. मुरलीधरन, श्री पी. पी. जोशी, श्री बी. ए. रणखांबे तथा श्रीमती ई. फर्नांडीज ने आंकड़ों के संकलन में सहायता प्रदान की।

डीएसएलएफ को आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय वित्त प्रभाग से भी सहायता मिली है। इस कार्य में भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) से भी सहयोग मिला। इस अध्ययन को राज्य सरकारों के वित्त विभागों से प्राप्त सहयोग और जानकारी तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त मूल्यवान तकनीकी जानकारी का भी लाभ मिला।

वर्ष 2001-02 से लेकर आगे का यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। इस अध्ययन के पिछले अंक (1950-51 से) मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस अध्ययन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से इस अध्ययन के संबंध में प्रतिसूचना/अभिमत आमंत्रित हैं। इसे निदेशक, राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 को अथवा ई-मेल के माध्यम से deapds1f@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है।

सूबीर गोकर्ण

उप गवर्नर

22 फरवरी 2010

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना

संक्षेपाक्षर

I : विहगावलोकन

1. परिचय	1
2. पूर्वदर्शन	2

II : नीतिगत पहलें

1. प्रस्तावना	4
2. राज्य सरकारें	4
3. भारत सरकार	9
4. भारतीय रिजर्व बैंक	11
5. निष्कर्ष	12

III: राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

1. परिचय	13
2. लेखा : 2007-08	14
3. संशोधित अनुमान : 2008-09	15
4. बजट अनुमान : 2009-10	17
5. मूल्यांकन	32
6. निष्कर्ष	38

IV: राजकोषीय नष्पादन का राज्यवार विश्लेषण

1. परिचय	39
2. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक	39
3. राज्य सरकारों का राजस्व लेखा	46
4. राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप	55
5. निष्कर्ष	58

V: राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधारियां तथा आकस्मिक देयताएं

1. भूमिका	59
2. बकाया देयताएं	60
3. राज्य-वार ऋण स्थिति	62

4. बाजार उधारियां	63
5. चलनिधि की स्थिति तथा नकदी प्रबंधन	65
6. आकस्मिक देयताएं	66
7. राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन	67
8. नकदी शेष का निवेश	69
9. ऋण समेकन तथा राहत	69
10. निष्कर्ष	70

VI: राज्य सरकारों के व्यय: रुझान और संरचना

1. परिचय	72
2. समग्र रुझान	73
3. राजस्व व्यय	74
4. पूंजीगत व्यय	78
5. व्यय का राज्य-वार विश्लेषण	82
6. निष्कर्ष	86

VII: मुद्दे और परिदृश्य

1. परिचय	87
2. राजस्व बढ़ाना	87
3. व्यय की गुणवत्ता	88
4. नियम आधारित ढांचे का सशक्तीकरण	88
5. राजकोषीय पारदर्शिता	89
6. अतिरिक्त नकदी शेष	89
7. राज्य वित्त पर मंदी का प्रभाव तथा राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम	89
8. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) / राज्यों के स्वयं के वेतन आयोगों (एसपीसी) का कार्यान्वयन	90

अनुबंध 1

1. 2009-10 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें	92
डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी	116

बॉक्स सूची

II.1 मौसम में बदलाव और राज्य स्तर पर की गयी पहलें	7
III.1 राज्य स्तर पर स्वचालित राजकोषीय स्थिरीकारियों की भूमिका	17
III.2 उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय : देशवार परिदृश्य	18
III.3 भारत में राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय	19
III.4 भारत में माल और सेवा कर - वर्तमान स्थिति	24

III.5 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)/राज्य वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों का कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के वित्त	33
IV.1 राज्य बजटों में राजकोषीय पारदर्शिता	42
V.1 राज्य सरकारों के नकदी शेष की अधिकता: मुद्दे तथा चुनौतियां	70
VI.1 राज्यों में व्यय की मुख्य श्रेणियों की संरचना में अभिसरण (कन्वर्जन्स)	85

सारणी सूची

II.1. राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार	8
III.1. राज्य सरकारों के मुख्य घाटा संकेतक	13
III.2 प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा)	14
III.3 प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ)	16
III.4 प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ)	21
III.5 राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां	22
III.6 चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली	25
III.7 राज्य सरकारों का व्यय पैटर्न	28
III.8 कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय	29
III.9 राज्य सरकारों के सकल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति	30
III.10 सामाजिक क्षेत्र व्यय की संरचना की प्रवृत्ति	30
III.11 सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व और पूंजी लेखा) - संरचना	31
III.12 राज्य सरकारों के प्रशासनिक व्यय - मजदूरी और वेतन तथा संचालन और रखरखाव	32
III.13 राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां	34
III.14 राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा में राज्यवार सुधार -2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ)	35
III.15 सकल राजकोषीय घाटा का विसंयोजन और वित्तपोषण पैटर्न -2007-08 (लेखा) से 2009-10 (बअ)	35
III.16 बजटीय डेटा घटबढ़ - राज्य बजट और केन्द्रीय बजट	36
III.17 सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) - 2009-10 (समायोजित)	37
IV.1 राज्य सरकारों के घाटा संकेतक	40
IV.2 राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां	47
IV.3 राज्य सरकारों का राजस्व व्यय	48
IV.4 राज्य सरकारों का व्यय पैटर्न	56
V.1 राज्य सरकार की बकाया देयताएं (मार्च के अंत में)	60
V.2 राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना (मार्च के अंत में)	61
V.3 राज्य सरकारों के ऋण संकेतक	62

V.4	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की ब्याज दर प्रोफाइल (मार्च के अंत में)	64
V.5	राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	64
V.6	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल	65
V.7	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा - 1996 से 2009	65
V.8	राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां	66
V.9	राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की औसत ब्याज दर	67
V.10	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च 2009 के अंत में)	68
V.11	बकाया ऋणों और राज्य विद्युत बांड की परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च 2009 के अंत में)	69
VI.1	राज्य सरकारों के व्यय का रुझान	73
VI.2	राज्य सरकारों के सकल व्यय की संरचना	74
VI.3	राजस्व व्यय की संरचना	76
VI.4	प्रतिबद्ध व्यय और उसकी संरचना	76
VI.5	राज्य सरकारों के ब्याज भुगतान की प्रवृत्ति	77
VI.6	विकास व्यय की संरचना	80

चार्ट सूची

III.1	प्रमुख घाटा संकेतक	20
III.2	बिक्री कर/ मूल्ययोजित कर की वसूलियों और सांकेतिक जीडीपी का चक्रीय रुख	23
III.3	चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली (योजनेतर राजस्व व्यय के प्रति करेतर राजस्व का अनुपात)	26
III.4	ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय	26
III.5	पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक	27
III.6	विकास और गैर विकास व्यय	28
III.7	सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति	29
III.8	प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्ति	34
IV.1	गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)	43
IV.2	गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा	44
IV.3	गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) द्वारा ब्याज भुगतान का वित्तपोषण	44
IV.4	विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)	45
IV.5	विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा	45
IV.6	विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) द्वारा ब्याज भुगतान का वित्तपोषण	46
IV.7	2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में स्व-राजस्व (ओआर) और केंद्रीय अंतरणों (सीटी) में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य	49

IV.8 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के स्व कर राजस्व	49
IV.9 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के स्व-करेतर राजस्व	49
IV.10 अवधि (2007-08 से 2009-10) के दौरान गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्ययोजित कर	50
IV.11 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में विकासात्मक और विकासेतर राजस्व व्यय में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य	50
IV.12 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का संयोजन - 2008-09 (संअ)	51
IV.13 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय	52
IV.14 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में स्व राजस्व (ओआर) और केंद्रीय अंतरण (सीटी) में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य	52
IV.15 विशेष श्रेणी के राज्यों का स्व कर राजस्व	53
IV.16 विशेष श्रेणी के राज्यों का स्व-करेतर राजस्व	53
IV.17 विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्ययोजित कर	53
IV.18 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य	54
IV.19 विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का संयोजन - 2008-09 (संअ)	54
IV.20 विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2008-09 (संअ)	55
IV.21 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के विकासात्मक व्यय	56
IV.22 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के सामाजिक क्षेत्र व्यय	56
IV.23 गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के पूंजीगत परिव्यय	57
IV.24 विशेष श्रेणी के राज्यों के विकासात्मक व्यय	57
IV.25 विशेष श्रेणी के राज्यों का सामाजिक क्षेत्र व्यय	57
IV.26 विशेष श्रेणी के राज्यों का पूंजीगत परिव्यय	58
V.1 घाटा, ऋण तथा ब्याज का बोझ	60
V.2 बकाया देयताओं की संरचना (मार्च के अंत में)	61
V.3 ऋण-जीएसडीपी - गैर विशेष श्रेणी के राज्य	63
V.4 ऋण-जीएसडीपी - विशेष श्रेणी के राज्य	63
V.5 राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग	65
V.6 राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती तथा नीलामी खजाना बिलों में निवेश (दैनिक बकायों का औसत)	69
VI.1 राज्य सरकारों के कुल व्यय का रुझान	73
VI.2 राज्य सरकारों के व्यय का संयोजन	74
VI.3 राजस्व व्यय का संयोजन: गैर-विकास की तुलना में विकास	75
VI.4 कुल विकास राजस्व व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा	75
VI.5 राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	77

VI.6	राज्य सरकारों के प्रतिबद्ध व्यय का रुझान और संरचना	77
VI.7	ब्याज भुगतान का रुझान	78
VI.8	ब्याज भुगतान की संरचना	78
VI.9	पूंजी परिव्यय का रुझान	79
VI.10	कुल व्यय और पूंजी व्यय में पूंजी परिव्यय का हिस्सा	79
VI.11	विकास और गैर-विकास व्यय का हिस्सा	80
VI.12	विकास और गैर-विकास व्यय (जीडीपी के % के रूप में)	81
VI.13	विकास व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा	81
VI.14	सामाजिक क्षेत्र के व्यय का रुझान	81
VI.15	राज्य सरकारी व्यय का आकार	82
VI.16 (क):	राज्यों में प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय के अंतर का भारांकित सहगुणक	86
VI.16 (ख):	राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय के अंतर का भारांकित सहगुणक	86
VI.16 (ग):	सामाजिक क्षेत्र का व्यय: राज्यों में अंतर का भारांकित सहगुणक	86
VI.16 (घ):	स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय के अंतर का भारांकित सहगुणक	86
VI.16 (ङ):	ग्रामीण विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय में अंतर का भारांकित सहगुणक	86
VI.16 (च):	शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय में अंतर का भारांकित सहगुणक	86

परिशिष्ट सारणी सूची

1	राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा सकेतक	121
2	समेकित बजटीय स्थिति एक नज़र में	122
3	राजस्व प्राप्तियां	123
4	राजस्व व्यय	124
5	पूंजीगत प्राप्तियां	125
6	पूंजी संवितरण	126
7	केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण	127
8	विकास और गैर विकास व्यय	128
9	विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष	129
10	गैर विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष	130
11	विकास और गैर विकास व्यय - योजना और योजनेतर घटक	131
12	विकास और गैर विकास व्यय - राजस्व और पूंजी घटक	132
13	योजना और योजनेतर व्यय - राजस्व और पूंजी घटक	133
14	राज्यों के योजनेतर गैर विकास व्यय	134
15	सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना	135
16	सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन	137

17	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	138
18	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत रूप में (मार्च के अंत की स्थिति)	139
19	राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना (मार्च के अंत की स्थिति)	140
20	राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना - कुल का अनुपात	141
21	राज्य सरकार के बाजार उधार	142
22	राज्य सरकारों के पूंजी व्यय की संरचना	143
23.	सामाजिक क्षेत्र व्यय के प्रमुख घटक	144

विवरण सूची

1.	प्रमुख राजकोषीय संकेतक	147
2.	राजस्व घाटा / अधिशेष	149
3.	पारंपरिक घाटा / अधिशेष	150
4.	सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष	151
5.	सकल राजकोषीय घाटे के अपघटन	152
6.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2007-08 (लेखा)	153
7.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2007-08 (लेखा)	154
8.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (संअ)	155
9.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2008-09 (संअ)	156
10.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2009-10 (बअ)	157
11.	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2009-10 (बअ)	158
12.	विकास व्यय	159
13.	गैर विकास व्यय	160
14.	योजना व्यय	161
15.	गैर योजना व्यय	162
16.	गैर योजना गैर विकास व्यय	163
17.	ब्याज भुगतान	164
18.	कर राजस्व	165
19.	खुद का कर राजस्व	166
20	गैर कर राजस्व	167
21.	खुद का गैर कर राजस्व	168
22.	केन्द्रीय करों में हिस्सा	169
23.	केंद्र सरकार से अनुदान	170
24.	केंद्र से ऋण	171

25.	केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण	172
26.	बकाया देयताओं की संरचना (मार्च 2004 के अंत में)	173
27.	राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं (मार्च के अंत की स्थिति)	180
28.	राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं - जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (मार्च के अंत की स्थिति)	181
29.	राज्य सरकारों के बाजार उधार	182
30.	राज्य सरकारों का योजना परिव्यय	183
31.	पूँजीगत प्राप्तियां और पूँजीगत व्यय	184
32.	राज्य सरकार बाजार ऋण	185
33.	राज्य सरकारों के बकाया बाजार ऋण (मार्च 2009 के अंत की स्थिति)	205
34.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2009 को बकाया)	206
35.	राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता प्रोफाइल - कुल के प्रतिशत के रूप में (31 मार्च 2009 को बकाया)	207
36.	राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राज्यों के खुद के राजस्व के अनुपात के रूप में	208
37.	राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में	209
38.	रिजर्व बैंक से सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट प्राप्त करना	210
39.	केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	211
40.	14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में बकाया निवेश (मार्च के अंत की स्थिति)	212
41.	शिक्षा पर व्यय सकल व्यय के अनुपात के रूप में	213
42.	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय - सकल व्यय के अनुपात के रूप में	214
43.	राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां (मार्च के अंत की स्थिति)	215
44.	वेतन और मजदूरी पर व्यय	216
45.	परिचालन और रखरखाव पर व्यय	217
46.	सामाजिक क्षेत्र व्यय	218
47.	कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय	219
48.	बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन और राहत सुविधा के तहत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत	220
49.	कुल व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	221
50.	राजस्व व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	222
51.	पूँजीगत परिव्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	223
52.	प्रति व्यक्ति पूँजीगत परिव्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	224
53.	विकास व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	225
54.	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	226
55.	प्रति व्यक्ति विकास व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	227

	पृष्ठ सं.
56. सामाजिक क्षेत्र व्यय की राज्यवार प्रवृत्ति	228
57. प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति	229
परिशिष्ट	
I. राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां	233
II. राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय	265
III. राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां	327
IV. राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों का पूंजीगत व्यय	343
परिशिष्टों की टिप्पणियां	436

संक्षेपाक्षर

एडी	- कुल संवितरण	सीपीसी	- केंद्रीय वेतन आयोग
एएफएस	- वार्षिक वित्तीय विवरण	सीपीएस	- केंद्रीय योजना स्कीम
एआइआइएमएस	- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	सीपीएसयू	- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एआर	- कुल प्राप्तियां	सीआर	- पूंजीगत प्राप्तियां
एटीबी	- नीलामी खजाना बिल	सीआरआर	- नकदी आरक्षित अनुपात
औ	- औसत	सीआरएफ	- आपदा राहत कोष
बअ	- बजट अनुमान	सीएसएफ	- समेकित ऋणशोधन निधि
बीआइएफआर	- औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो	सीएसओ	- केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
बीओटी	- बनाओ, चलाओ और अंतरित करो	सीपीसी	- केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र / केंद्रीय छठा वेतन आयोग
बीपीएल	- गरीबी की रेखा के नीचे	सीएसएस	- केंद्र प्रायोजित स्कीमें
ब्रिमस्टोवा	- बृहन्मुंबई बाढ़ जल निकासी परियोजना	सीएसटी	- केंद्रीय बिक्री कर
सीएजी	- भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक	सीटी	- चालू अंतरण
सीएआरजी	- वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर	डीए	- महंगाई भत्ता
सीसीआइएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	डीसीओ	- विकासात्मक पूंजीगत परिव्यय
सीई	- पूंजी व्यय	डीसीआरएफ	- ऋण समेकन और राहत सुविधा
सीजीए	- महा लेखानियंत्रक	आविनीवि	- आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
सीएचसी	- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग
सेनवैट	- केंद्रीय मूल्ययोजित कर	वि.व्य.	- विकासात्मक व्यय
सीएलयू	- भूमि उपयोग में बदलाव	डीओई	- अर्थशास्त्र विभाग
सीओ	- पूंजीगत परिव्यय	डीआरई	- विकास राजस्व व्यय
प्र.व्य.	- प्रतिबद्धता व्यय	डीएसएलएफ	- राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग
सीपीए	- केंद्रीय योजना सहायता	डीएसएस	- ऋण अदला-बदली योजना

डीटी	- प्रत्यक्ष कर	एचएसएन	- सुमेलित नामावली प्रणाली
ईएपी	- बाह्य समर्थित परियोजनाएं	आइएवाइ	- इंदिरा आवास योजना
ईडीसी	- बाह्य विकास प्रभार	आइसीडीएस	- समन्वित बाल विकास सेवाएं
ईईसी	- यूरोपीय आर्थिक समुदाय	आइसीयू	- सघन देखभाल इकाइयां
ईएफसी	- ग्यारहवां वित्त आयोग	आइडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग
ईएमई	- उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएं	आइडीटी	- अप्रत्यक्ष कर
ईएस	- आर्थिक सेवाएं	आइआईएफसीएल	- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
एफएण्डडब्ल्यूएल	- वानिकी और वन्य जीव	आइआइएम	- भारतीय प्रबंध संस्थान
एफआइ	- वित्तीय संस्थाएं	आइआईएसईआर	- भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
एफआरबीएम	- राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	आइआईटी	- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एफआरएल	- राजकोषीय जवाबदेही विधान	आइएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
जीडीपी	- सकल देशी उत्पाद	आइपी	- ब्याज भुगतान
जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा	आइआर	- ब्याज प्राप्ति
जीएफडी व्यय	- सकल राजकोषीय घाटा व्यय	आइटी	- सूचना प्रौद्योगिकी
जीएफएस	- सरकारी वित्त सांख्यिकी	आइटीबी	- मध्यवर्ती खजाना बिल
जीआइए	- सहायता अनुदान	जीबीआईसी	- जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन
जीआईसी	- भारतीय साधारण बीमा निगम	जेएनएनयूआरएम	- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
जीआईएस	- भौगोलिक सूचना प्रणाली	जेडब्ल्यूजी	- संयुक्त कार्यदल
जीओआइ	- भारत सरकार	एलएफसी	- केंद्र से ऋण
जीएलएफसी	- केंद्र से सकल ऋण	एलआईसी	- भारतीय जीवन बीमा निगम
जीआरएफ	- गारंटी प्रतिदान निधि	एलबी	- स्थानीय निकाय
जीएस	- सामान्य सेवाएं	एलआर	- भू-राजस्व
जीएसडीपी	- सकल राज्य देशी उत्पाद	एमएल	- बाजार ऋण
जीएसटी	- माल तथा सेवा कर		
एचई	- आवास व्यय		

एमओएफ	- वित्त मंत्रालय	पीसीसीओ	- प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय
एमओयू	- समझौता ज्ञापन	पीडी	- प्राथमिक घाटा
एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एमटीएफपी	- मध्यावधि राजकोषीय योजना	पीईआरसी	- सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	पीएफ	- भविष्य निधि
एनएआइएस	- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	पीएफएम	- लोक वित्त प्रबंधन
एनसीडीसी	- राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	पीएचसी	- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एनएपीसीसी	- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाई योजना	पीएमजीएसवाइ	- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
एनसीटी, दिल्ली	- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	पीएमएजीवाइ	- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
एनडीआरई	- गैर विकास राजस्व व्यय	पीएन	- पेंशन
एनडीएस-ओएम	- निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग खंड	पीपीपी	- सरकारी निजी भागीदारी
एनजीओ	- गैर सरकारी संगठन	पीआरबी	- प्राथमिक राजस्व शेष
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक	पीआरआइ	- पंचायती राज संस्थाएं
एनआइआरई	- ब्याजेतर राजस्व व्यय	पीआरएस	- प्राथमिक राजस्व अधिशेष
गै.वि.व्यय	- गैर विकास व्यय	पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एनपीएस	- नई पेंशन योजना	राजस्वान	- राजस्थान स्टेट-वाइड एरिया नेटवर्क
एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि	आरएवाइ	- राजीव आवास योजना
ओबीसी	- अन्य पिछड़े वर्ग	आरबीआइ	- भारतीय रिजर्व बैंक
ओडी	- ओवरड्राफ्ट	आरसीडीपी	- नदी मार्ग विकास परियोजना
ओईसीएफ	- विदेशी आर्थिक सहायता निधि	आरडी	- राजस्व घाटा/ग्रामीण विकास
ओएनटीआर	- निजी करेतर राजस्व	आरई	- संशोधित अनुमान
ओआर	- स्व राजस्व	आरईसी	- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
ओटीआर	- स्व कर राजस्व	रा.व्य.	- राजस्व व्यय
पीसी	- योजना आयोग	आरजीजीवीवाइ	- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
		आरआइडीएफ	- ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि

आरकेवीवाइ	- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	एसटी/अ.ज.जा.	- अनुसूचित जनजाति
आरएलए	- ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	सक्सेस	- स्कीम फॉर यूनिवर्सल ऐक्सेस एण्ड क्वालिटी ऐट सेकंडरी स्टेज
आरआर	- राजस्व प्राप्तियां	टीबी	- खजाना बिल
आरएसबीवाइ	- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	टीसीएस	- पण्य और सेवाओं पर कर
एसबीआइ	- भारतीय स्टेट बैंक	टीई	- कुल व्यय
अ.जा.	- अनुसूचित जाति	ते.वि.आयोग	- तेरहवां वित्त आयोग
एससीटी	- केंद्रीय करों में हिस्सा	बा.वि.आयोग	- बारहवां वित्त आयोग
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण	टीआइ	- आय पर कर
एसईबी	- राज्य बिजली बोर्ड	टीपी	- संपत्ति और पूंजी लेन-देनों पर कर
सेज	- विशेष आर्थिक क्षेत्र	टीपीटीएण्डई	- व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर
एसएफसी	- राज्य वित्त आयोग	टीआर	- कर राजस्व
एसजीई	- राज्य सरकार व्यय	टीवी	- वाहनों पर कर
एसजीएसवाइ	- स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	यूएनएफसीसीसी	- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह	यूपीएससी	- संघ लोक सेवा आयोग
सिडबी	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	यूएसए	- संयुक्त राज्य अमरीका
एसपीसी	- राज्यों के अपने वेतन आयोग	यूएसएआईडी	- अंतरराष्ट्रीय विकास हेतु संयुक्त राज्य एजेंसी
एसपीएफ	- राज्य भविष्य निधि	यूटी	- केंद्रशासित प्रदेश
एसपीवी	- विशेष प्रयोजन वाहन	वैट	- मूल्ययोजित कर
एसआरएफ	- स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	वीजीएफ	- अर्थक्षमता अंतराल निधीयन
एसएस	- सामाजिक सेवाएं	डब्ल्यूसीवी	- भारित घटबढ़ सहगुणांक
एसएसए	- सर्व शिक्षा अभियान	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
एसएसई	- सामाजिक क्षेत्र व्यय		
एसएसटी	- राज्य बिक्री कर		

राज्य सरकारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव की पृष्ठभूमि में 2009-10 के लिए अपने बजट तैयार किए। अनिश्चित वृद्धि की संभावनाओं का संज्ञान लेते हुए बहुत सी राज्य सरकारों ने वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेजों की घोषणाएं कीं। इस संदर्भ में, हाल ही में बीते समय में राज्य वित्त में राजकोषीय सुधार और समेकन दिखाई दिया, जिसमें उत्प्रेरणा के लिए राजकोषीय गुंजाइश थी। परिणामस्वरूप, समग्र सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) - सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) अनुपात के बारे में अनुमान है कि यह 2008-09 (संशोधित अनुमान) के 2.6 प्रतिशत और 2007-08 (लेखा) के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 (बजट अनुमान) में 3.2 प्रतिशत हो जाएगा। चूंकि सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः राज्यों को चाहिए कि वे राजकोषीय समेकन के पथ पर वापस लौट आएँ।

1. परिचय

1.1 2007-08 तक की अवधि में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में काफी सुधार देखा गया। राज्यों को सशर्त ऋण पुनर्रचना और ब्याज दर राहत के रूप में अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) को लागू करने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रोत्साहन दिए गए। हालांकि, वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव के बाद आर्थिक मंदी और राजस्व वृद्धि की गति में आयी नरमी ने 2008-09 में राज्यों के वित्त को बुरी तरह प्रभावित किया।

1.2 'राज्य वित्त: 2009-10 के बजटों का एक अध्ययन'¹ नामक यह अध्ययन 28 राज्यों की सरकारों के बजट दस्तावेजों और अन्य स्रोतों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य सरकारों ने 2009-10² के अपने बजट एक ऐसे माहौल में पेश किए जिसमें अनिश्चित विकास परिदृश्य परिलक्षित था। यह स्पष्ट है कि 2007-08 तक प्राप्त कर राजस्व उछाल 2008-09 (संशोधित अनुमान) के दौरान नहीं हासिल किया जा सका। अर्थव्यवस्था में

मांग को बढ़ावा देने के लिए राज्य भी अपने व्यय को बढ़ाने के दबाव में हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारों द्वारा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)/ राज्यों के अपने वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रभाव का निहितार्थ 2008-09 (संशोधित अनुमान) और 2009-10 (बजट अनुमान) के दौरान उनके राजस्व व्यय के लिए था। संक्षेप में, हाल के वर्षों के दौरान देखे गए राजकोषीय सुधार और समेकन की गति को झटका लगने की संभावना है।

1.3 ऐसा प्रतीत होता है कि 2009-10 के अपने बजट पेश करते समय राज्यों ने कर संग्रह में मंदी और केन्द्रीय अंतरणों के प्रभाव को ध्यान में रखा है। मंदी से निपटने के लिए, कुछ राज्य सरकारों ने मांग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेजों की घोषणा की, जबकि कई अन्य राज्यों ने क्षेत्र विशेष में कर कटौतियों की घोषणा की। तथापि, 2009-10 में अतिरिक्त व्यय में राजस्व व्यय के माध्यम से फोकस किया गया प्रतीत होता है जैसाकि पूंजीगत व्यय के बजाए कई राज्यों में सकल राज्य देशी उत्पाद

¹ केन्द्रीय वित्त प्रभाग और आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ) में तैयार किया गया। इसके लिए रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी) से भी समर्थन मिला। 28 राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की सरकारों के वित्त विभागों से प्राप्त तकनीकी समर्थन तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, योजना आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) से प्राप्त मूल्यवान जानकारी का भी लाभ मिला। इन सभी के प्रति हार्दिक आभार।

² वर्ष 2009-10 के लिए 27 राज्यों के राज्य बजटों (जिनमें से दो लेखानुदान थे) के आधार पर राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2008-09 में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 28 राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ राज्यवार विश्लेषण, जिसमें बजटीय आंकड़े शामिल किए गए हैं, संबंधी और ब्यौरे तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के संबंध में सूचना अतिरिक्त रूप से ज्ञापन मद के रूप में दी गयी है।

(जीएसडीपी) के अनुपात में उच्चतर राजस्व व्यय में दिखाई देता है। वस्तुतः, अधिकांश राज्य सरकारों ने 2009-10 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में न्यूनतर पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान लगाया है।

1.4 आर्थिक वृद्धि के पुनर्जीवन की जरूरत को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वे 2008-09 में एफआरबीएम के तहत राजकोषीय घाटा संबंधी लक्ष्य अपने जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत से शिथिल करते हुए उसे 3.5 प्रतिशत करके तथा 2009-10 में 4 प्रतिशत करके अपने जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार ले सकते हैं। केंद्रीय बजट 2009-10 में इस बात की घोषणा की गई थी कि सभी पणधारियों के साथ परामर्श करने के बाद 1 अप्रैल 2010 तक माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किया जाएगा। तथापि, जीएसटी के कार्यान्वयन को भविष्य के लिए स्थगित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को और अभिसरित कर उन्हें माध्य दर (वर्तमान में 8 प्रतिशत) तक लाने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, मदों की सूची की समीक्षा करके कर दर संबंधी विभिन्न नीतिगत उपाय प्रस्तावित किए गए। बैंकर, ऋण प्रबंधक तथा मौद्रिक प्राधिकरण की भूमिका के रूप में रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई पहलें भी कर रहा है। 25 अगस्त 2009 को हुई नीलामी से राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए बोली लगाने संबंधी एक गैर प्रतिस्पर्धी सुविधा शुरू की गई है।

2. पूर्वदर्शन

1.5 2007-08 के संशोधित अनुमानों को खातों में रूपांतरित करने पर राज्य सरकारों के वित्त में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया। यह राजस्व अधिशेष में वृद्धि, सकल राजकोषीय घाटे में कमी तथा प्राथमिक घाटे के अधिशेष में बदलने में परिलक्षित हुआ। तथापि, 2007-08 तक राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों में देखे गए उल्लेखनीय सुधारों में 2008-09 तथा 2009-10 में समग्र समष्टि आर्थिक मंदी के साथ गिरावट प्रतीत हुई।

1.6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समेकित राजस्व अधिशेष 2006-07 के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 0.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि राज्य सरकारें 2008-09 (संअ) में भी राजस्व अधिशेष प्राप्त करने में समर्थ हुईं, राजस्व अधिशेष-जीडीपी अनुपात में 0.7 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई [2007-08 के

0.9 प्रतिशत से 2008-09 (संअ) में 0.2 प्रतिशत]। तथापि, राज्यों का समेकित राजस्व शेष लगातार 3 वर्षों तक अधिशेष में रहने के बाद 2009-10 (बअ) में घाटे में चले जाने (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) का बजट अनुमान है। राज्य सरकारों के राजस्व खाते में आई गिरावट को दर्शाते हुए, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी 2008-09 (संअ) के 2.6 प्रतिशत तथा 2007-08 (लेखा) के 1.5 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 3.2 प्रतिशत पर उच्चतर रहने का अनुमान है। 2009-10 (बअ) में जीएफडी में हुई वृद्धि का मुख्य कारण निवल उधार में हुई वृद्धि के साथ राजस्व खाते में आई गिरावट है। तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समेकित पूंजीगत परिव्यय 2008-09 (संअ) की तुलना में 0.2 प्रतिशत अंक गिरकर 2009-10 में 2.6 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। 2007-08 में राज्य सरकारों द्वारा उत्पन्न प्राथमिक अधिशेष 2008-09 (संअ) में प्राथमिक घाटे (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) में बदल गया जो 2009-10 में और बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो जाएगा।

1.7 2009-10 के दौरान, अधिकांश राज्यों में समेकित राजकोषीय स्थिति में गिरावट देखी गयी। 28 राज्यों में से, 2008-09 (संअ) तथा 2007-08 (लेखा) दोनों के 4 राज्यों की तुलना में 14 राज्यों में 2009-10 में राजस्व घाटा होने का बजट अनुमान है। 10 राज्यों के राजस्व लेखा की स्थिति 2009-10 (बअ) में घाटे में बदल जाने का बजट अनुमान है जबकि 2008-09 (संअ) में यह अधिशेष की स्थिति में थी। साथ ही 9 और राज्यों ने 2008-09 (संअ) की तुलना में न्यूनतर राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान लगाया है। कुल मिलाकर, 2009-10 के दौरान 23 राज्यों के मामले में राजस्व खाते में प्रतिकूल असर होने की आशा है। इसी तरह, 3.0 प्रतिशत से कम जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात वाले राज्यों की संख्या 2007-08 (लेखा) के 18 से घटकर 2008-09 (संअ) में 9 तथा 2009-10 (बअ) में और घटकर 6 रह गयी। संक्षेप में 28 राज्यों में से 22 राज्य 2009-10 में 3 प्रतिशत का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जैसा कि उनके एफआरएल में दर्शाया गया है।

1.8 बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रमुख घाटा संकेतकों से संबंधित लक्ष्यों को देखते हुए, यह पाया गया है कि समेकित स्तर पर राज्य सरकारें अंतिम वर्ष अर्थात् 2009-10 के काफी पहले अधिकांश लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ रहीं। समेकित स्तर पर राज्य सरकारों ने 2006-07 में राजस्व घाटा समाप्त कर दिया तथा 2005-06 में वे जीएफडी-जीडीपी 3 प्रतिशत के नीचे रखने में समर्थ रहीं। तथापि, उस समय प्रगति रुक गई जब 2008-09 में

राज्य वित्त में समग्र समष्टि आर्थिक मंदी और छोटे सीपीसी/एसपीसी के कार्यान्वयन का असर दिखाई देने लगा। 2009-10 (बअ) में, समेकित राज्य वित्त में और गिरावट आने की संभावना है। राज्य बजटों के विश्लेषण से यह दिखाई पड़ता है कि 3 साल के बाद राजस्व घाटा पुनः वापस आने तथा जीएफडी बढ़कर जीडीपी के 3.0 प्रतिशत से अधिक होने के साथ, राज्य सरकारें 2009-10 के अंतिम वर्ष में 20वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में स्पष्ट रूप से समर्थ नहीं होंगी।

1.9 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं में लगातार गिरावट आई तथा वे 2003-04 में 32.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से गिरकर 2008-09 (संअ) में 26.2 प्रतिशत रह गईं। तथापि, बढ़ती हुई वित्तीय जरूरतों के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात 2009-10 में 26.5 प्रतिशत पर थोड़ा अधिक रहने का बजट अनुमान है। इसी तरह, राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज अदायगी का अनुपात, जो 2003-04 के 26.0 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2008-09 (संअ) में 14.4 प्रतिशत रह गया, 2009-10 (बअ) में थोड़ा बढ़कर 14.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.10 राज्य वित्त में हाल में आई बाधा को देखते हुए, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनकी ओर राज्य सरकारों को ध्यान देना है। उदाहरण के लिए, आने वाले वर्षों में राज्यों द्वारा राजकोषीय समेकन के प्रति सुधार प्रक्रिया शुरू किए जाने की जरूरत है। साथ ही राज्यों को वृद्धि में तेजी लाने वाला पर्याप्त व्यय सुनिश्चित करना है ताकि अर्थव्यवस्था में मंदी को रोका जा सके। राज्य सरकारों द्वारा छोटे सीपीसी / एसपीसी के कार्यान्वयन संबंधी संक्रमण का प्रबंधन

सफलतापूर्वक किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, कुछ ऐसे संरचनागत मुद्दे हैं जो राज्य वित्त के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं यथा व्यय की गुणवत्ता एवं राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेष। अपने एफआरएल के जरिए प्राप्त अनुभव के साथ, राज्यों द्वारा अगले दौर के सुधारों की योजना बनाए जाने तथा यथाशीघ्र राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जरूरत है।

1.11 अध्यायवार अध्ययन की योजना इस प्रकार है; अध्याय I में अध्ययन का विहगावलोकन किया गया है। अध्याय II में राज्य सरकारों, भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख नीतिगत पहलों पर बल दिया गया है। अध्याय III में राज्य सरकारों की समेकित बजट स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। अध्याय IV में राज्यों के राजकोषीय कार्यनिष्पादन का राज्यवार मूल्यांकन किया गया है। अध्याय V में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं, बाजार उधार तथा आकस्मिक देयताओं सहित, का विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया है। अध्याय VI में विशिष्ट विषय वस्तु अर्थात् 1980-81 से 2009-10 तक की अवधि में राज्यों के व्यय की प्रवृत्ति और स्वरूप का विशद विश्लेषण किया गया है। राज्य वित्त संबंधी प्रमुख उभरते मुद्दे अध्याय VII में दिए गए हैं। अनुबंध 1 में राज्य बजटों में घोषित राज्यवार प्रमुख नीतिगत पहलों का उल्लेख किया गया है। 28 राज्य सरकारों के विभिन्न राजकोषीय संकेतकों से संबंधित समेकित आंकड़े परिशिष्ट सारणी 1-23 में दिए गए हैं, जबकि राज्यवार आंकड़े विवरण 1-57 में दिए गए हैं। ब्यौरेवार राज्यवार बजट आंकड़े परिशिष्ट 1-IV (परिशिष्ट I - राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट II - राजस्व व्यय, परिशिष्ट III - पूंजीगत प्राप्तियां, परिशिष्ट IV - पूंजीगत व्यय) में दिए गए हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से आर्थिक गतिविधि में आई मंदी की पृष्ठभूमि में राज्य सरकारों ने 2009-10 के अपने बजटों में बहुत सी नीतिगत पहलों की घोषणा की है। औद्योगिक बुनियादी ढांचे में सुधार के अर्थ में उद्यमियों को और अधिक अवसर सृजित करने/सहायता देने को प्राथमिकता प्रदान करने के अलावा रोजगार सृजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पुनर्रचना और कर छूट/कटौती पर जोर दिया गया है। वर्तमान कठिन परिस्थितियों से पार पाने के लिए संघ सरकार द्वारा राज्यों को राजकोषीय घाटे की उच्चतम सीमा बढ़ाने की अनुमति दिए जाने के साथ ही राज्य विकास हेतु पूंजी निवेश करने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अनेक नीतिगत उपायों की घोषणा की है, जैसे कि सिंचाई, आवास और बुनियादी ढांचा जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए उच्चतर आबंटन, वेतन आयोग अवार्ड जारी करना, राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की शुरुआत और एसडीएल के निर्गम में निहित डेरिवेटिव विकल्प, जिनका राज्य वित्त पर असर पड़ेगा।

1. प्रस्तावना

2.1 आर्थिक बहाली पर फोकस के साथ 2009-10 के लिए राज्य बजटों ने अनेक नीतिगत पहलों की घोषणाएं की हैं, जिनका लक्ष्य व्यय को कल्याण एवं विकासात्मक गतिविधियों की दिशा में ले जाना है। कराधान के मोर्चे पर इन उपायों में कतिपय वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर (वैट) और उत्पाद शुल्कों में छूट/कटौती शामिल हैं, तथा व्यय पक्ष की ओर विभिन्न कल्याण योजनाओं/बुनियादी ढांचा हेतु अधिक आबंटन और वेतन आयोग के अवार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। बहुत से राज्यों ने घोषणा की है कि वे सिंचाई, आवास तथा बिजली पैदा करने, अच्छा सड़क नेटवर्क, हवाई अड्डा और औद्योगिक पार्क जैसे अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपने निवेश बढ़ाएंगे। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि औद्योगिक क्षेत्र को स्फूर्त और वृद्धिशील रहना चाहिए, राज्य भी सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से बुनियादी ढांचा के सृजन के लिए निजी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य-वार विस्तृत नीतिगत पहलें अनुबंध में दी गई हैं। इस अध्ययन में उन नीतिगत पहलों और योजनाओं पर संक्षिप्त चर्चा की गई है जो राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित की गई हैं।

2. राज्य सरकारें

2.2 2009-10 के लिए राज्य बजटों में घोषित प्रस्ताव / पहलों में राजस्व वृद्धि, व्यय उपाय, संस्थागत उपाय और अन्य प्रमुख नीतिगत पहलों जैसे क्षेत्र कवर किए गए हैं।

राजस्व उपाय

2.3 आर्थिक गतिविधि में समग्र मंदी का राज्यों की समग्र राजस्व वृद्धि पर उनके अपने कर राजस्वों तथा केंद्र से होनेवाले न्यागमन (डिवोल्यूशन) दोनों ही रूपों में विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए, अधिकांश राज्यों ने राज्य स्तर पर राजस्व सृजन को सुचारु बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं तथा सामान्य रूप से प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है। इन सरलीकृत प्रक्रियाओं में नियम, निरीक्षण, पंजीकरण तथा उद्योगों और कारोबारों के परिचालन के लिए एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली की शुरुआत (आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र) शामिल हैं। कराधान संबंधी राजकोषीय उत्प्रेरणापरक उपायों के एक अंग के रूप में, राज्यों ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क की दर कम कर दी है (हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल)। कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिकांश राज्य सरकारों ने बहुत सी मदों पर वैट घटा दिया है। कर अनुपालन बढ़ाने के अलावा किए गए अन्य उपायों में शीघ्र वैट वापसी, व्यवसाय कर की वसूली, वैट के अंतर्गत लगाए जानेवाले दंड में कमी, वैट के अंतर्गत होटल डीलरों को राहत, खाद्यान्नों पर छूट में विस्तार तथा गोवा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कर्नाटक में विलासिता कर में कमी / युक्तियुक्तकरण शामिल हैं। इसके अलावा सेवाओं की गुणवत्ता सुचारु एवं बेहतर बनाने के लिए, बिक्री कर विभागों की विवरणियों की पूर्ण ई-फाइलिंग / कंप्यूटरीकरण केरल और उत्तराखंड में

कार्यान्वित किया गया है। इन राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेजों के अंतर्गत कर में कटौती / छूट के माध्यम से होनेवाली राजस्व हानि को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं : (i) केरल में स्टांप ड्यूटी के संबंध में लंबित अवर-मूल्यांकन के लिए कर बकायों के 'एकबारगी निपटान' की एक नई योजना; (ii) केरल के छोटे व्यापारियों को शामिल करने के लिए कर के दायरे को बढ़ाना और (iii) नागालैंड में जल आपूर्ति मीटरों की संस्थापना। दबाए गए टर्नओवर को बताने और उस पर कर अदा करने के लिए, केरल में 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना' भी घोषित की गई है। पंजाब सरकार ने भी एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक शहरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने हेतु बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी), लाइसेंस/ अनुमति शुल्क निर्धारित किया गया है और भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रभार लगाए गए हैं। दिल्ली में, उत्पाद शुल्क ढांचे के सुधार हेतु एक प्रमुख पहल की गई थी। तदनुसार एक नया विधेयक लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सरलीकृत शुल्क ढांचा शामिल होगा।

व्यय उपाय

2.4 आर्थिक गतिविधियों में मंदी के परिप्रेक्ष्य में बहुत से राज्यों ने राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेज प्रारंभ किए हैं ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे और विकास एवं कल्याण कार्यक्रम जारी रहें। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने राज्यों को 2009-10 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक ले जाने की अनुमति दी है ताकि वृद्धि की प्रक्रिया को बहाल करने के लिए अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें।

2.5 कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है तथा इस क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहन, अवलेखन और रियायतें, आर्गनिक खेती के लिए समर्थन और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करायी गई है (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल)। पहलें सिंचाई परियोजनाओं, विशेष रूप से, लघु सिंचाई (मेघालय) तथा उर्वरक, बीज और कीटनाशक रियायती दरों पर देने (उड़ीसा) पर केंद्रित हैं। अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं - फसलों के लिए बीमा योजनाएं (हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु), तमिलनाडु में 'कृषि क्लिनिक' की स्थापना, 'आदर्श गांव' के रूप

में एक गांव को अपनाना, असम में सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्था के तहत कृषि-हब एवं कृषि प्रसंस्करण अंचल विकसित करना, पश्चिम बंगाल में 'बॉयो-गांव', मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष कंप्यूटर कनेक्टिविटी प्रदान करना तथा 'कृषि ज्ञान केंद्र' स्थापित करना, महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण राहत योजना तथा कुछ राज्यों में किसानों के लिए मुफ्त बिजली। कुछ अन्य उपायों में डेरी विकास तथा दुग्ध उत्पादन (त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी) तथा 'भूमि बैंक' की एक नई योजना, जिसमें बाजार मूल्य पर किसानों से खरीदी हुई जमीन पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उपयोग के लिए दुबारा बेची जाती है, शामिल हैं।

2.6 इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि औद्योगिक क्षेत्र को स्फूर्त एवं वृद्धिशील बने रहना है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुँच वाली भूमि के बड़े पूल की पहचान की जाए, विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) एवं औद्योगिक इस्टेट बनाए जाएं तथा इन्हें कई राज्यों में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से उद्योग के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाए। लगभग सभी राज्यों में अपने समग्र बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए नीतिगत उपायों की घोषणा की है तथा पश्चिम बंगाल एवं पंजाब ने लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान की है ताकि परंपरागत उद्योगों के साथ नई लघु उद्योग इकाइयां विकसित की जा सकें। कुछ राज्यों ने 'नई औद्योगिक नीति' का प्रस्ताव किया है (राजस्थान) जब कि अन्य राज्य (मेघालय) इस प्रक्रिया में हैं, चुनिंदा स्थानों पर औद्योगिक मॉडल शहर (हरियाणा) तथा 'औद्योगिक हब' बनाये जा रहे हैं। अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ राज्य अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मिजोरम बिजली उत्पादन पर (सार्वजनिक निजी साझेदारी के जरिए) ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

2.7 कई राज्यों ने शिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं शुरू की हैं। विभिन्न राज्यों ने शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए उपायों की घोषणा की है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं - मध्यान्तर भोजन कार्यक्रम तथा उसके साथ अतिरिक्त सुविधाएं यथा प्राथमिक शिक्षा स्तर के बाद भोजन प्रदान करना, अधिक पोषक खाद्य मदों सहित पुस्तकों का वितरण, बच्चों तथा माताओं के लिए पथ्य मुद्रा (पंजाब), सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यापक कंप्यूटर शिक्षा / ब्राड

बैंड कनेक्टिविटी और कंप्यूटर लैब (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यम से व्यावसायिक मेडिकल एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और नये महाविद्यालय स्थापित करना। सामाजिक बदलाव एवं सशक्तीकरण के लिए, शिक्षा के प्रति समतापूर्ण अभिगम सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित मातापिता के बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चला कर उन्हें मुफ्त शिक्षा एवं सहायक वस्तुएं और उनके मातापिता को वित्तीय मानदेय प्रदान किया जाता है (एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, पुदुचेरी और बिहार) तथा विद्यालयों से निकले बच्चों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, विभिन्न प्रस्तावों की घोषणा की गयी है, जिनमें शामिल हैं - विकासात्मक कार्यकलाप के लिए अनुसूचित जाति घटक योजना एवं जनजातीय उप-योजना के तहत बढ़ाई गयी निधियां (असम) तथा सभी पात्र अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग (ए श्रेणी) एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना नामक एक नई योजना के तहत निःशुल्क रियायती प्लॉट का आबंटन (हरियाणा)।

2.8 रियायती ब्याज दरों पर ऋण, आवास संबंधी प्लॉट, वित्तीय सहायता एवं भवन निर्माण सामग्री, पुराने मकानों की मरम्मत/पुनर्नवीकरण जैसी योजनाओं के साथ आवास को भी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है (पुदुचेरी, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा)। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु तथा कर्नाटक ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, चिकित्सा शिविरों और सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया है। शहरी जनता को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, कई राज्यों ने जल आपूर्ति, मल-निर्यास, परिवहन, समन्वित आवास एवं 'सॉलिड वेस्ट' प्रबंधन पर विशेष बल दिया है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए महत्व को स्वीकार करते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र में भी कई पहलें की हैं (बाक्स II.1)।

2.9 राज्यों द्वारा महिला सशक्तीकरण पर बल दिया जाना जारी है। महिला सशक्तीकरण संबंधी उपायों में केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, असम, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत कम ब्याज दरों पर महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष ऋण के साथ बच्चियों एवं महिलाओं पर केंद्रित कई अन्य नवोन्मेषी विकासात्मक एवं

कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। कई राज्य सरकारें स्वयं सहायता समूहों को 'सॉफ्ट' ऋण (त्रिपुरा) तथा महिलाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण संस्थानों (मेघालय) जैसी योजनाओं के साथ महिलाओं के तीव्रतर सशक्तीकरण के साधन के रूप में 'महिला स्वयं सहायता समूहों' को प्रोत्साहित करती हैं।

संस्थागत उपाय और अन्य प्रमुख नीतिगत पहल

2.10 राज्य सरकारों ने राजकोषीय अनुशासन के प्रति उन्मुख संस्थागत उपाय अपनाए हैं। इस प्रकार राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों, मूल्ययोजित कर (वैट), नई पेंशन योजनाओं, समेकित ऋणशोधन निधि तथा गारंटी मोचन निधि जैसे विभिन्न राजकोषीय मानकों के संबंध में क्रमिक रूप से कानून बनाये हैं। जहाँ तक वैट के कार्यान्वयन का संबंध है अब तक हुई प्रगति काफी उत्साहवर्धक है क्योंकि सभी राज्यों ने वैट लागू कर दिया है जब कि छब्बीस राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानून बनाये हैं। अन्य संकेतकों से संबंधित स्थिति सारणी II.1 में दी गई है।

2.11 कई राज्य सरकारों ने कार्यबल तथा समितियां / आयोग गठित करने के रूप में कई पहलें की हैं। असम ने बाढ़ रोकने तथा भूमि के क्षरण और भूमि के उद्धार के लिए सुझाव देने हेतु जल संसाधन प्रबंधन आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा दो विकास परिषद, महिला तथा युवा वर्ग के लिए एक-एक, गठित करने का प्रस्ताव है, एक महिला उद्यमी परिषद का भी गठन किया जा रहा है ताकि महिला उद्यमियों का संवर्धन किया जा सके। बच्चों के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, असम में विद्यालयीन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए रूपरेखा तैयार करने एवं नीतियों के संबंध में सुझाव देने हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया जा रहा है। समग्र शिक्षा नीति के बारे में असम सरकार को परामर्श देने के लिए ज्ञान आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। हरियाणा में अभिसरण के संवर्धन के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई समिति नामक एक सामान्य समिति गठित की गई है तथा यह भी प्रस्ताव है की राज्य में अनेक कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जम्मू तथा काश्मीर सरकार एक बहु कार्यदल गठित कर रही है, जिसमें शहतूत पालन, रेशम उत्पादन, बुनायी और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करने के लिए सभी सुसंगत

बॉक्स II.1: मौसम में बदलाव और राज्य स्तर पर की गयी पहलें

कुछ वर्षों से वैश्विक तापमान में वृद्धि चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। मौसम में बदलाव मूल रूप से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के संचय का परिणाम है। मौसम में बदलाव से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय पहलों की एक श्रृंखला रही है जिसमें यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी), 1992 और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शामिल किए गए उन 27 देशों में भारत भी शामिल है जो कि समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। तदनुसार, भारत ने कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं का एक विशद ढांचा बनाया है और वह एक ऐसी अग्रणी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किये हैं। प्रधान मंत्री ने 30 जून 2008 को मौसम में बदलाव संबंधी भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की थी। इसमें प्राथमिकतावाले 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनमें सौर ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, धारणीय निवास, जल संरक्षण, हिमालय क्षेत्र की इको-प्रणाली को बनाये रखना, एक 'हरित भारत', धारणीय कृषि और मौसम में बदलाव के लिए रणनीतिक जानकारी मंच शामिल हैं।

हाल के वर्षों में, संघ सरकार द्वारा की गयी पहलों के अलावा, राज्य सरकारों के बीच मौसम में बदलाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि और जंगलों की कटाई के दुष्प्रभावों के संबंध में सामान्यतः काफी जागरूकता है। तदनुसार, लगभग सभी राज्य सरकारों ने मौसम में बदलाव के दुष्प्रभावों को कम करने तथा और फिर से बनाने योग्य ऊर्जा तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की दिशा में कुछ उपाय किये हैं। वास्तव में, सामान्य संदर्भाधीन विषयों के अलावा, तेरहवां वित्त आयोग अन्य बातों के साथ-साथ धारणीय विकास के अनुरूप परिस्थितिकी, पर्यावरण और बदले हुए मौसम के प्रबंधन की आवश्यकता पर भी विचार करेगा।

बहुत-सी राज्य सरकारें सामान्यतः वायु और जलप्रदूषण, ठोस कचरा और मल-निःसारण प्रबंधन, सड़कों में मलबा निपटान और जल विद्युत निर्माण, अपशिष्ट कचरे को पुनः उपयोग में लाने और अस्पताल से निकलने वाले कचरे से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को दूर कर रही हैं। गुजरात पर्यावरण पर ध्यान देनेवाले अग्रणी राज्यों में से एक राज्य है। जब देश में मैंग्रोव के अंतर्गत आनेवाला क्षेत्र घटने लगा है तब गुजरात में पीपीपी पद्धति के माध्यम से 935 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव का वृक्षारोपण किया गया है जोकि देश में दूसरा सबसे बड़ा वृक्षारोपण है। गुजरात 2008-09 के दौरान कार्बन क्रेडिट पानेवाले अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बन गया है। पर्यावरण के रखरखाव में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधानवाले राज्यों में भी गुजरात अग्रणी राज्य है। इस राज्य ने अब तक लगभग 25 सामान्य औद्योगिक जल बहिर्वाह उपचार संयंत्र और लगभग 8 के आसपास 'तकनीकी रूप से सुरक्षित हेजार्ड डिस्पोजल साइटें' विकसित की हैं।

राजस्थान सरकार ने 2009-10 के अपने बजट में एक नई वन नीति, जल नीति और खनिज नीति घोषित की है। 2009-10 के पंजाब के बजट में वानिकी के लिए 55 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) समर्थित 262 करोड़ रुपए की वृक्षारोपण परियोजना चालू वर्ष में पूरी की जाएगी। तमिलनाडु में वन क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से जेबीआईसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से 567 करोड़ रुपए की लागत पर तमिलनाडु वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत, 63 करोड़ रुपए की लागत से वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें 450 रोकबांधों और 150 रिचार्ज तालाबों का निर्माण किया जाएगा। निजी भूमि पर पेड़ लगानेवाली योजना, जो तमिलनाडु सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई थी, को राज्य के किसानों से अच्छी अनुक्रिया मिली है। कर्नाटक के मामले में इस वर्ष करीब 80,000 हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। पश्चिमी घाट विकास कार्य दल द्वारा जैव-ईंधन कार्यक्रम के तत्वावधान में 'लक्ष वृक्ष आंदोलन' के लिए अपेक्षित संख्या में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक के बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष राज्य में चंदन की

खेती, समृद्ध हरित ग्रामों और औषधीय पौधों के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा। कर्नाटक हुबली और कालाघाटकी के बीच की लगभग 2,000 एकड़ वन भूमि में एक वन्य जीव अभयारण्य विकसित करने की योजना बना रहा है। एक जैव ईंधन कार्य दल पर्यावरण के अनुकूल जैव संसाधनों से बनाए गए ईंधन का उपयोग करने के तरीकों के सुझाव द्वारा ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के बारे में सलाह देगा। मिजोरम एक उपयुक्त तेल और प्राकृतिक गैस नीति बनाने के अलावा एक विस्तृत वन एवं मृदा-संरक्षण और प्रबंधन नीति तैयार करने की योजना बना रहा है, जबकि केरल ने मौजूदा वनों के चारों ओर एक हरा बफर जोन सृजित करने तथा मौजूदा वनों को सघन बनाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है।

हरियाणा में जंगलों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि भूमि पर कृषि वनों को बढ़ावा दिया है तथा सामुदायिक और कृषि भूमि पर वनरोपण क्षेत्रों का विकास किया है। एक प्रमुख अभिनव पहल में, राज्य में लकड़ी पर आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति में बढ़ोतरी करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में 'क्लोनल एग्रो फारेस्ट्री' शुरू की गयी है ताकि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिले। आम जनता की सक्रिय भागीदारी से हिमाचल प्रदेश का इरादा देश में पहला कार्बन तटस्थ राज्य बनना है जिसके लिए राज्य में 'पर्यावरण संरक्षण और कार्बन तटस्थता हेतु समुदाय प्रेरित पर्यावरण आकलन, जागरूकता, वकालत और कार्य योजना' शुरू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में वन विभाग द्वारा 21 कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) प्लान कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा विस्तृत पादरोपण और भूसंरक्षण गतिविधियों के लिए अगले वर्ष हेतु 200 करोड़ रुपए से अधिक का कुल बजट प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने साझेदार गैर सरकारी संगठनों और अन्य लाभ न कमानेवाले संगठनों को 6000 वर्ग किलोमीटर की वनभूमि, जिसमें पर्याप्त वन नहीं हैं, में सामुदायिक वनीकरण गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है। ऐसी भागीदारी वाली योजनाएं राज्यों को कार्बन क्रेडिट भी कमाकर दे सकती हैं। दिल्ली ने यमुना नदी से गाद निकालकर नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए उपाय शुरू किए हैं और 'राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण' गठित करने की भी योजना बनाई है ताकि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। राज्यों द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य उपायों में शामिल हैं : (i) महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरणों पर कर रियायत, (ii) महाराष्ट्र, मेघालय और नागालैंड में वनीकरण एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु निधियों में वृद्धि, (iii) गोवा में खदानों और उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का ढेर लगाने से रोकने के लिए भूमि पुनःपूर्ति और हरित पर्यावरण प्रभार लगाना।

राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए और सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी के संवर्धन के लिए सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन हेतु राज्यों को अनुदान दिए जा सकते हैं। इसके बदले में राज्य पारिस्थितिकी संसाधनों, वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण का उपयुक्त प्रबंधन करने के लिए स्थानीय समुदायों को अधिकार प्रदान कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कम कार्बन प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण को स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के बाद उन्हें विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वे राज्य जो विदेशी सहयोग या आंतरिक अनुसंधान और विकास के माध्यम से कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियां हासिल करते हैं और जहां ऐसी प्रौद्योगिकियों पर आधारित उद्योग हैं, वहां इन प्रयासों को जारी रखने और अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

संदर्भ :

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, 2009-10।
2. प्रसाद, एच.ए.सी. और जे.एस.कोचर (2009). 'जलवायु परिवर्तन और भारत - कुछ प्रमुख मुद्दे और नीतिगत निहितार्थ', वर्किंग पेपर संख्या 2/2009, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।

सारणी II.1 : राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार*

राज्य	मूल्य योजित कर (वैट) लागू	राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (एफआरएल) अधिनियमित	नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) शुरू की	गारंटी पर अधिकतम सीमा लगायी	समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितम्बर 2004	हां	हां	हां
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
3. असम	मई 2005	सितम्बर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितम्बर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितम्बर 2005	नवम्बर 2004	हां	हां	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11. झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितम्बर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवम्बर 2005	नहीं	हां	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
18. मिजोरम	अप्रैल 2005	अक्टूबर 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21. पंजाब	अप्रैल 2005	अक्टूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	नहीं
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24. तमिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	नहीं
25. त्रिपुरा	अक्टूबर 2005	जून 2005	नहीं	नहीं	हां	नहीं
26. उत्तराखंड	अक्टूबर 2005	अक्टूबर 2005	अक्टूबर 2005	नहीं	हां	हां
27. उत्तर प्रदेश	जनवरी 2008	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
जोड़	28	26	19	17	20	11

*: जनवरी 2010 के अंत की स्थिति।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह कार्यबल पर्यटन, बागबानी, पुष्प उत्पादन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य और रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की पहचान और उनका सृजन भी करेगा। केरल ने तन्नीरमुक्कम बांध बंद करने की जरूरत कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से एक कृषि कैलेंडर तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु इसकी साध्यता एक अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। केरल सरकार ने

राज्य सरकार के स्तर पर समग्र प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु एक 'प्रशासनिक सुधार निगरानी आयोग' गठित किया है। असम ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां निर्धारित करने तथा योजनाओं के समन्वय के लिए 'विकास परिषद' गठित करने का प्रस्ताव किया है। मेघालय ने राज्य में जन्म तथा मृत्यु के 100 प्रतिशत पंजीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रणाली तैयार करने का प्रस्ताव किया है। तमिलनाडु सरकार ने 'जराचिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र' गठित करने हेतु कदम उठाए हैं।

2.12 योजना स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में जनता की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, पश्चिम बंगाल द्वारा नगरपालिकाओं में 'वार्ड समितियां' गठित करने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन लोगों को, जो अपनी जमीन उद्योगों की स्थापना के कारण खो चुके हैं, कार्य-उन्मुख प्रशिक्षण देने तथा अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की 'विशेष सहायता निधि' के सृजन का प्रस्ताव भी किया है। विपत्तिग्रस्त कलाकारों के कल्याण के लिए 'विशेष निधि' तैयार की गई है तथा असम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में किए गए नवोन्मेषों को पुरस्कृत करने के लिए 'प्रोत्साहन निधि' भी शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं।

3. भारत सरकार

2.13 आर्थिक मंदी के प्रभाव से निपटने के लिए, राज्य सरकारों को 2009-10 के दौरान उनके जीएसडीपी के अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी गई है तथा इसके लिए एफआरएल के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को उनके जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से शिथिल करके 4.0 प्रतिशत किया गया है। इससे राज्य सरकारों को चालू वर्ष में लगभग 21,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खुले बाजार उधार के रूप में जुटाने में मदद मिलेगी।

2.14 यद्यपि पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर आइला चक्रवात द्वारा हुए विध्वंस के लिए आपदा राहत कोष (सीआरएफ) से तत्काल अंतरिम राहत प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार ने भी राज्य के क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव किया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी बुनियादी ढांचे के महत्व पर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। जेएनएनयूआरएम की भूमिका स्वीकार करते हुए इस योजना के तहत आबंटन को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, शहरी गरीबों को आवास तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर शहरी गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए राजीव आवास योजना (आरएवाइ) के तहत प्रावधानों में वृद्धि की गई है। महाराष्ट्र में, मुंबई में आनेवाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए 2007 में बृहन मुंबई तूफानी जल निकासी परियोजना (ब्रिमस्टोवा) शुरू की गई तथा परियोजना के

लिए 1200 करोड़ रुपए की संपूर्ण अनुमानित लागत केंद्रीय सहायता के जरिए पूरी की जाएगी। असम में, केंद्र सरकार द्वारा गैस क्रेकर परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जानी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ) के लिए आबंटन भी बढ़ाया जा रहा है। राज्यों में रोजगार-उन्मुख निर्यात क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार ने हथकरघा, हस्तशिल्प, दरी सहित वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु एवं मझौले निर्यातकों के 7 क्षेत्रों के लिए पोतलदान-पूर्व ऋण पर 2 प्रतिशत का ब्याज परिदान उपलब्ध कराया गया है। ब्याज परिदान 31 मार्च 2010 तक लागू रखने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

2.15 चूंकि निर्यातों में कमी तथा देशी मांग पर वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव से सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) काफी प्रभावित हुआ है, अतः यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) में से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक विशेष निधि उपलब्ध कराकर उचित दरों पर ऋण के प्रवाह को सुकर बनाया जाए। इससे राज्य सरकारों को मदद मिलेगी क्योंकि एमएसएमई के वृद्धिशील उधार के 50 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण करके इससे एमएसएमई को उधार देने के लिए बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सफल माना गया है। 2008-09 के दौरान, इससे 4.47 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस योजना को कृषि, वानिकी, जलसंसाधन, भू-संसाधन एवं ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य योजनाओं के साथ अभिसरित किया जाना है। पहले चरण में इस प्रकार के अभिसरण के लिए कुल 115 प्रायोगिक जिलों का चयन किया गया है।

2.16 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत निर्माण एक महत्वपूर्ण पहल है तथा इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाइ) तथा इंदिरा आवास योजना (आइएवाइ) सहित छः योजनाएं हैं। 2009-10 में भारत निर्माण योजना के लिए आबंटन में 45 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण आवास की गति बढ़ाने के लिए, वाणिज्य बैंकों के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार

में रह गयी कमी में से 2000 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में ग्रामीण आवास निधि के लिए करने का प्रस्ताव है।

2.17 राज्यों में उन 1000 गांवों के समन्वित विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) शुरू की जा रही है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रत्येक गांव को ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण योजनाओं के तहत आबंटित राशि के ऊपर 10 लाख रुपए का अंतराल निधीयन उपलब्ध होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की पुनर्रचना राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में की जा रही है ताकि इसे सर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सके, दृष्टिकोण पर फोकस किया जा सके तथा समयबद्ध रूप से 2014-15 तक गरीबी उन्मूलन किया जा सके। बढ़ी हुई दर पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने के अलावा, बैंकों से 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रूपांतरण ला रहा है। अगले 5 वर्षों में एसएचजी के सदस्यों के रूप में भारत में सभी ग्रामीण महिलाओं के कम से कम 50 प्रतिशत का नामांकन करने का लक्ष्य है तथा इन एसएचजी को बैंकों से सम्बद्ध किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को ऋण समर्थन अथवा सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहा है तथा उनके लाभ के लिए कई नवोन्मेष योजनाएं तैयार की गई हैं। सामाजिक आर्थिक बदलाव तथा विकास के साधन के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, अगले कुछ वर्षों में इस कोष की मूल राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। चूंकि महिला साक्षरता का निम्न स्तर चिंता का विषय है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि अगले 3 वर्षों में महिला असाक्षरता के वर्तमान स्तर को कम कर आधा करने के लिए एक राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सीमांत समूहों पर फोकस किया जाएगा। जहां तक बच्चों के विकास का संबंध है, सरकार समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के सार्वभौमिकरण के प्रति वचनबद्ध है तथा मार्च 2012 तक छः साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक आईसीडीएस के तहत आने वाली सभी सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

2.18 शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी देने के लिए एक योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें भारत की मान्यताप्राप्त संस्थाओं से तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अध्ययन के लिए किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम का अनुसरण करने हेतु अनुसूचित बैंकों से ऐसे छात्रों द्वारा लिए गए ऋण शामिल होंगे। अनुमान है कि 5 लाख से अधिक छात्र इसका लाभ उठाएंगे। चुनिंदा अल्पसंख्यक संकेंद्रण जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, मौलाना आझाद एज्यूकेशन फाउंडेशन को सहायता अनुदान दुगुना कर दिया गया है, तथा अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से छात्रों को राष्ट्रीय फेलोशिप तथा राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान की नई योजनाओं के लिए भी आबंटन किए गए हैं। गतिशील आर्थिक लाभ उठाने के लिए तथा सही शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए, 'आइसीटी के जरिए शिक्षा का मिशन' के तहत किए गए प्रावधान में काफी वृद्धि कर उसे 900 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसी तरह, कौशल विकास मिशन के तहत पॉलिटेक्निक्स की स्थापना और उनके उन्नयन के लिए किए गए प्रावधान को भी बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार की योजना है कि निधियां आबंटित कर प्रत्येक असमाविष्ट राज्य में एक केंद्रीय विश्व विद्यालय बनाया जाए। नए आइआईटी तथा एनआईआईटी के लिए 450 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआईटी) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी) के लिए 2,113 करोड़ रुपए का अलग आबंटन किया गया है। उच्चतर शिक्षा के लिए समग्र योजना बजट में अंतरिम बजट अनुमानों पर 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

2.19 स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एक आवश्यक साधन है। इस योजना के तहत आबंटन में अंतरिम बजट में किए गए 12,070 करोड़ रुपए के प्रावधान के ऊपर 2,057 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

2.20 असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रति, जो रोजगार का 92 प्रतिशत है तथा श्रमशक्ति में वार्षिक वृद्धि के

एक बड़े हिस्से को अवशोषित करता है, संसद के दोनों सदनों ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 पारित किया है। बुनकरों, मछुवारों एवं मछुवारियों, ताड़ी निकालने वालों, चमड़ा और हस्तशिल्प कारीगरों, प्लांटेशन श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, खान कामगारों, बीड़ी कामगारों तथा रिक्शाचालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

2.21 पिछले साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की गई और इसके प्रति आरंभिक अनुक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही और 18 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 46 लाख से अधिक परिवारों को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव है।

2.22 पिछले साल वाराणसी एवं शिवसागर में दो बड़े हथकरघा क्लस्टरों तथा ईरोड एवं भिवंडी में दो बड़े पावरलूम क्लस्टरों के सफल कार्यान्वयन के अनुरूप, यह प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में से प्रत्येक में एक हथकरघा का बड़ा क्लस्टर तथा राजस्थान में एक पावरलूम का बड़ा क्लस्टर लगाया जाए। इससे इन राज्यों में वस्त्र की परंपराओं को परिरक्षित रखने में मदद मिलेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह भी प्रस्ताव है कि श्रीनगर (जम्मू और काश्मीर) तथा मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में दरियों के लिए नये बड़े क्लस्टर स्थापित किए जाएं।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की प्रक्रिया

2.23 जैसा कि अक्टूबर 2008 की मध्यावधि समीक्षा में दर्शाया गया है, अंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: एच.आर. खान) द्वारा रिज़र्व बैंक को शामिल करते हुए की गई सिफारिशों, यथा बोली प्रस्तुत करने और नीलामी के परिणाम घोषित करने के बीच के समयांतराल को कम करने, का कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है। भौतिक रूप में बोली लगाने की सुविधा समाप्त करने तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां सिर्फ वार्तातय निपटान प्रणाली (एनडीएस) के माध्यम से प्रस्तुत करने संबंधी कार्यदल की अन्य सिफारिशों का कार्यान्वयन 25 अगस्त 2009 से किया गया है।

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोलियां

2.24 निवेशक आधार को व्यापक बनाने तथा राज्य विकास ऋणों की तरलता बढ़ाने के लिए, एसडीएल की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की एक योजना को सभी राज्य सरकारों ने 20 जुलाई 2007 को अधिसूचित किया। अक्टूबर 2008 की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के बाद, एसडीएल की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली के संचालन के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा विकसित एनडीएस नीलामी प्लेटफार्म में किए गए हैं। 25 अगस्त 2009 को हुई नीलामी से एसडीएल में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा प्रदान की गई है।

एसडीएल के निर्गम में सन्निहित डेरिवेटिव विकल्प

2.25 एसडीएल के निर्गम में सन्निहित डेरिवेटिव विकल्प लागू करना मूल्य संबंधी खोज तथा राज्यों की उधार लागत कम करने का एक अभिनव तरीका है। अतः 15 दिसंबर 2003 को राज्य सरकारों द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना में प्रावधान किए गए, जिससे उन्हें अधिसूचना के खंड 7 तथा 8.2 के अनुसार काल/पुट विकल्प के साथ एसडीएल जारी करने में मदद मिली। पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसी पहली राज्य सरकार थी जिसने पहली बार सितंबर/अक्टूबर 2009 के दौरान हुई नीलामियों की तीन शृंखलाओं में पुट विकल्प के साथ एसडीएल जारी करने के विकल्प का उपयोग किया। इस पुट विकल्प का उपयोग निवेशकर्ता पहली दो शृंखलाओं के लिए चार वर्ष तथा तीसरी शृंखला के लिए पांच वर्ष पूरे होने के बाद कर सकेंगे। पुट विकल्प के तहत, सरकारी स्टॉक रखने वालों के पास सरकारी स्टॉक के निर्गम की तारीख से विकल्प की अवधि पूरी होने के बाद उसके बाद भुगतानयोग्य किसी भी ब्याज भुगतान पर समय - पूर्व मोचन के लिए निर्धारित फॉर्मेट में दो महीने की सूचना देकर पुट विकल्प का प्रयोग करने का विवेकाधिकार होगा। उस स्थिति में, समय-पूर्व मोचन की ब्याज भुगतान तारीख से मोचित सरकारी स्टॉक पर ब्याज प्रोद्भूत होना बंद हो जाएगा। तथापि पुट विकल्प के साथ एसडीएल जारी करने से सरकारों को समय-पूर्व मोचन संबंधी जोखिम उठानी पड़ती है, जिससे रोल ओवर संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकती है।

5. निष्कर्ष

2.26 समष्टि आर्थिक गतिविधियों के चारों ओर मौजूद अनिश्चितता तथा इसके प्रभाव को न्यूनतम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, 2009-10 के राज्य बजटों में सार्वजनिक खर्च बढ़ाने पर फोकस किया गया है। विशेष रूप से राज्य वित्त के परिचालन में स्वचालित स्थिरकारी तत्वों के अपेक्षाकृत कमजोर होने के साथ, प्रभावित क्षेत्रों एवं समाज के वर्गों के समाधान के लिए और इस प्रकार के निवेश बढ़ाने के लिए, जिनसे न सिर्फ अल्पावधि में मांग

बढ़ेगी अपितु दीर्घावधि में वृद्धि में भी बढ़ोत्तरी होगी, एक अधिक चयनात्मक विवेकाधीन राजकोषीय नीति का उपयोग किया गया है। प्रस्तावित पहलों के भीतर, व्यय तथा कर कटौतियों का मिश्रण समग्र समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रस्तावों के अंतर्गत बुनियादी ढांचा, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। तथापि, विस्तारकारी नीतियों की त्वरित प्रतिवर्तिता के साथ यथाशीघ्र राजकोषीय सुधार के मार्ग की ओर वापस लौटने की वचनबद्धता महत्वपूर्ण है।

III

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

वैश्विक वित्तीय संकट शुरू होने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ने और छोटे केंद्रीय/राज्यों के अपने वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के साथ, 2008-09 (संअ) में राज्य सरकारों के वित्त में राजकोषीय तनाव के कुछ आरंभिक संकेत दिखने लगे। राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि राजस्व व्यय में हुई वृद्धि की तुलना में न्यूनतर थी जिससे समेकित स्तर पर राजस्व अधिशेष में गिरावट आई। फलस्वरूप, 2007-08 की तुलना में 2008-09 (संअ) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में 1.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। सकारात्मक पक्ष यह था कि पूंजीगत परिव्यय में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वृद्धि की गति को बनाए रखने में राज्यों की वचनबद्धता को दर्शाता है। राज्य बजटों के अनुसार, प्रमुख घाटा संकेतकों पर मंदी का प्रभाव 2009-10 (बअ) में अधिक मुखरित होने का अनुमान है। तीन साल के बाद राजस्व घाटा फिर से होना तथा 2009-10 में सकल राजकोषीय घाटे का व्यापक होना यह दर्शाता है कि राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस लौटना वांछनीय होगा।

1. परिचय

3.1 हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया जैसा कि प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात् जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) तथा प्राथमिक घाटा (पीडी) में परिलक्षित होता है। नियम-आधारित राजकोषीय ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय सुधार एवं सुदृढीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करके हाल के वर्षों में राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है। राजकोषीय असंतुलन कम करने प्रति राज्य सरकारों के प्रयासों को बारहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय साझा-योग्य करें (केंद्रीय करें में उच्चतर उछाल से उच्चतर न्यागमन में मदद मिली) तथा अनुदान के माध्यम से उच्चतर न्यागमन और अंतरण द्वारा मदद मिली। 2007-08 तक की अवधि में हुई उच्चतर

जीडीपी वृद्धि से अधिक राजस्व जुटाना संभव हुआ। इन गतिविधियों के फलस्वरूप, 2007-08 (लेखा) के दौरान दूसरे क्रमिक वर्ष में राज्य सरकारों को राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष 2006-07 के 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 0.9 प्रतिशत पर उच्चतर था। राजस्व खाते में सुधार को दर्शाते हुए, जीएफडी-जीडीपी अनुपात भी 2006-07 के 1.8 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 (लेखा) में 1.5 प्रतिशत रह गया। तथापि, 2008-09 में आर्थिक वृद्धि कम होने के कारण, राजस्व की उछाल को धक्का लगा तथा समस्त व्यय बढ़ गया। फलस्वरूप राजस्व अधिशेष के स्तर में गिरावट आई तथा जीएफडी-जीडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2009-10 में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में कमी आने का अनुमान है (सारणी III.1)। संक्षेप में, 2008-09 (संअ)

सारणी III.1: राज्य सरकारों के मुख्य घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रु. में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (बअ)	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
	औसत								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.0)	90,084 (2.4)	77,508 (1.8)	75,455 (1.5)	1,12,653 (2.0)	1,46,349 (2.6)	1,99,510 (3.2)
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.7)	(2.2)	7,013 (0.2)	-24,857 (-0.6)	-42,943 (-0.9)	-28,426 (-0.5)	-10,701 (-0.2)	32,295 (0.5)
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.3)	6,060 (0.2)	-15,672 (-0.4)	-24,376 (-0.5)	4,270 (0.1)	40,128 (0.7)	83,083 (1.3)

बअ: बजट अनुमान।

संअ: संशोधित अनुमान।

नोट: 1. ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष को दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

3. 2004-05 से वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रति अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय खाता 2004-05 की श्रृंखलाओं पर आधारित हैं। पिछले साल के लिए सकल देशी उत्पाद के आंकड़े 1999-2000 की श्रृंखलाओं से संबंधित हैं। वर्ष 2009-10 के लिए अनुपात 8 फरवरी 2010 को जारी सीएसओ के अग्रिम अनुमानों पर आधारित है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

तथा 2009-10 (बअ) में राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की गति में रूकावट आनी प्रतीत होती है। इस अध्याय में 2007-08 (लेखा), 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में राज्य वित्त की समेकित तस्वीर दी गई है।

2. लेखा : 2007-08

3.2 समेकित स्तर पर, 2007-08 के संशोधित अनुमानों के लेखों में रूपांतरित होने पर राज्यों के प्रमुख घाटा संकेतकों में

उल्लेखनीय सुधार हुआ। जहां राजस्व खाते में कुल मिलाकर अधिशेष लगभग दुगुना हो गया, वहीं जीएफडी में संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई। समेकित राजस्व अधिशेष 2007-08 (संअ) में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (लेखा) में जीडीपी का 0.9 प्रतिशत हो गया (सारणी III.2 और परिशिष्ट 1)। 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा) में सुधार आने का मुख्य कारण राजस्व व्यय में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की गिरावट आनी है। 2007-08 (संअ) की तुलना में

सारणी III.2 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2007-08 (संअ)	2007-08 (लेखा)	घटबढ़		अंशदान* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	6,28,742	6,23,748	-4,994	-0.8	100.0
(i) कर राजस्व (क + ख)	4,41,526	4,37,948	-3,578	-0.8	71.6
(क) अपना कर राजस्व	2,93,392	2,86,546	-6,846	-2.3	137.1
जिसमें से : बिक्री कर	1,78,198	1,73,422	-4,776	-2.7	95.6
(ख) केन्द्रीय करों में हिस्सा	1,48,134	1,51,402	3,268	2.2	-65.4
(ii) गैर कर राजस्व	1,87,216	1,85,799	-1,417	-0.8	28.4
(क) राज्यों का अपना गैर कर राजस्व	62,578	77,178	14,600	23.3	-292.3
(ख) केंद्र से अनुदान	1,24,638	1,08,622	-16,016	-12.9	320.7
II. राजस्व व्यय	6,06,216	5,80,805	-25,411	-4.2	100.0
जिसमें से:					
(i) विकास व्यय	3,55,099	337,337	-17,762	-5.0	69.9
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,06,474	100,775	-5,699	-5.4	22.4
ईंधन	28,599	30,729	2,130	7.4	-8.4
(ii) गैर विकास व्यय	2,34,386	2,27,235	-7,151	-3.1	28.1
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवा	47,694	44,866	-2,828	-5.9	11.1
पेंशन	56,002	56,098	96	0.2	-0.4
ब्याज भुगतान	1,02,878	99,831	-3,047	-3.0	12.0
III. पूंजीगत प्राप्तियां	1,34,635	1,41,987	7,352	5.5	100.0
जिनमें से:					
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	8,400	6,955	-1,445	-17.2	-19.7
IV. पूंजीगत व्यय	1,81,273	1,71,520	-9,753	-5.4	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,28,331	1,18,862	-9,469	-7.4	97.1
जिसमें से:					
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	39,128	37,005	-2,123	-5.4	21.8
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	25,275	23,767	-1,508	-6.0	15.5
जापन मदें:					
राजस्व घाटा	-22,526	-42,943	-20,417	90.6	
सकल राजकोषीय घाटा	107,958	75,455	-32,503	-30.1	
प्राथमिक घाटा	5,080	-24,376	-29,456	-579.8	

संअ: संशोधित अनुमान।

* : सुसंगत जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

नोट: 1. घाटा संकेतकों में ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष को दर्शाता है।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल है, जबकि पूंजीगत व्यय खाते में लोक लेखा शामिल नहीं है।

3. इसके अलावा परिशिष्ट पर टिप्पणियां देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2007-08 (लेखा) में विकासात्मक व्यय में 17,762 करोड़ रुपए की गिरावट आयी जो राजस्व व्यय में आई कुल गिरावट का लगभग 70 प्रतिशत था। शिक्षा, खेल तथा कला एवं संस्कृति पर व्यय में 5.4 प्रतिशत की कटौती का विकास व्यय में गिरावट में प्रमुख अंशदान किया। इसके अलावा, 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा) में राजस्व व्यय में आई गिरावट का लगभग 28 प्रतिशत गैर विकास व्यय में आई गिरावट का परिणाम था। गैर विकास व्यय के भीतर प्रशासनिक सेवा, पेंशन तथा ब्याज अदायगी जैसे वचनबद्ध व्यय में 2007-08 (संअ) की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसने राजस्व व्यय में आई कुल गिरावट में लगभग 22.7 प्रतिशत का अंशदान किया।

3.3 राजस्व प्राप्ति के पक्ष में, संशोधित अनुमानों की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका कारण अपने कर राजस्व में आई गिरावट तथा केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में आई गिरावट है। यद्यपि, अपना कर राजस्व (ओटीआर) संशोधित अनुमानों की तुलना में 2007-08 (लेखा) में 2.3 प्रतिशत कम हो गया, तथापि इसकी आंशिक क्षतिपूर्ति केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में हुई 2.2 प्रतिशत की वृद्धि से हो गयी। करेतर राजस्व के तहत, केंद्र से प्राप्त अनुदान संशोधित अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 12.9 प्रतिशत कम थे। तथापि, 2007-08 (लेखा) के अनुसार, अपने करेतर राजस्व (ओएनटीआर) के संग्रहण में राज्यों के कार्यनिष्पादन में संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.3 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार आया।

3.4 उक्त के अनुसार, न सिर्फ जीडीपी के प्रति प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष में वृद्धि के रूप में सुधार आया अपितु संशोधित अनुमानों की तुलना में 2007-08 (लेखा) के दौरान जीएफडी-जीडीपी अनुपात में भी सुधार आया, जिसका मुख्य कारण पूंजीगत परिव्यय में कमी के साथ राजस्व अधिशेष में सुधार था। 2007-08 (लेखा) में पूंजीगत परिव्यय संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.4 प्रतिशत तक कम था। राजस्व अधिशेष में वृद्धि तथा पूंजीगत परिव्यय में कमी के फलस्वरूप, राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (संअ) के 1,07,958 करोड़ रुपए से घटकर 2007-08 (लेखा) में 75,455 करोड़ रुपए रह गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) संशोधित अनुमानों में जीडीपी के 2.2 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 (लेखा) में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत रह गया। जीएफडी में आई उल्लेखनीय गिरावट के

फलस्वरूप, राज्य लगातार दूसरे वर्ष 2007-08 (लेखा) में 24,376 करोड़ रुपए का प्राथमिक अधिशेष उत्पन्न करने में समर्थ रहे।

3. संशोधित अनुमान: 2008-09

3.5 2008-09 (संअ) में राज्य वित्त पर समग्र समष्टि आर्थिक मंदी तथा कुछ राज्य सरकारों के लिए छोटे सीपीसी/एसपीसी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व व्यय संबंधी दायित्वों का असर पड़ा। फलस्वरूप, 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ) में राजस्व व्यय में हुई वृद्धि (5.2 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि (2.5 प्रतिशत) से अधिक थी, जिसके कारण बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में राजस्व अधिशेष में 62.4 प्रतिशत की गिरावट आई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष 2008-09 (बअ) के 0.5 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 (संअ) में 0.2 प्रतिशत रह गया।

3.6 राजस्व खाते पर, 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ) में राज्यों के अपने कर राजस्व (ओटीआर) में आई 1.9 प्रतिशत की गिरावट ने मुख्य रूप से राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों को प्रभावित किया। इस गिरावट का मुख्य कारण यह था कि राज्य सरकारें स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, बिक्री कर/वैट तथा वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा यात्रियों एवं माल पर कर के बारे में बजट में लगाए गए अनुमान को 2008-09 (संअ) में वसूल नहीं कर सकीं। इसके विपरीत, अपने करेतर राजस्व (ओएनटीआर) के तहत राज्यों की वसूली में 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ) में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2008-09 (बअ) की तुलना में राजस्व व्यय में 35,756 करोड़ रुपए की वृद्धि का समग्र कारण पावर; शिक्षा, खेल तथा कला एवं संस्कृति; प्राकृति आपदाओं के लिए राहत; तथा परिवहन और संचार संबंधी विकास व्यय में वृद्धि था। राज्य सरकारें बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में अपने गैर विकास व्यय, मुख्य रूप से वचनबद्ध व्यय, को 7,765 करोड़ रुपए तक सीमित रख सकीं। 2008-09 (संअ) के अनुसार, प्रशासनिक सेवाओं तथा ब्याज भुगतान की मात्रा उनके बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 5,761 करोड़ रुपए तथा 2,163 करोड़ रुपए तक कम थी। कई राज्यों ने 2008-09 का बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय छोटे सीपीसी/एसपीसी के कारण मजदूरी और वेतन में हुई तत्काल वृद्धि को

स्पष्ट रूप से हिसाब में ले लिया था। फलस्वरूप, 2008-09 (संअ) में प्रशासनिक सेवाओं पर हुए व्यय की वृद्धि 2008-09 (बअ) के बजाए 2007-08 (लेखा) की तुलना में अधिक मुखर प्रतीत होती है (सारणी III.3)।

3.7 पूंजीगत परिव्यय में 2008-09 के बजट अनुमानों की तुलना में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तदनुसार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय 2.6 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में 2008-09 (संअ) में 2.8 प्रतिशत था। पूंजीगत परिव्यय में हुई वृद्धि का मुख्य

कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और परिवहन क्षेत्र पर उच्चतर पूंजी खर्च था। राजस्व अधिशेष में कमी तथा पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के फलस्वरूप समेकित जीएफडी में बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में 29.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीडीपी के अनुपात के रूप में, जीएफडी बजट अनुमानों के 2.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 (संअ) में 2.6 प्रतिशत हो गया। पिछले दो वर्षों में अधिशेष में रहने के बाद प्राथमिक घाटा 0.1 प्रतिशत के बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 (संअ) में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत हो गया।

सारणी III.3 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (बअ) की तुलना में 2008-09 (संअ)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2008-09 (बअ)	2008-09 (संअ)	घटबढ़		अंशदान * (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i + ii)	7,19,835	7,37,865	18,030	2.5	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,09,957	5,03,878	-6,079	-1.2	-33.7
(क) अपना कर राजस्व	3,36,810	3,30,405	-6,405	-1.9	-35.5
जिसमें से: बिक्री कर	2,03,623	2,02,610	-1,013	-0.5	-5.6
(ख) केन्द्रीय करों में हिस्सा	1,73,147	1,73,473	326	0.2	1.8
(ii) गैर कर राजस्व	2,09,878	2,33,987	24,109	11.5	133.7
(क) राज्यों का अपना गैर कर राजस्व	66,848	79,614	12,765	19.1	70.8
(ख) केंद्र से अनुदान	1,43,030	1,54,373	11,343	7.9	62.9
II. राजस्व व्यय	6,91,409	7,27,165	35,756	5.2	100.0
जिसमें से:					
(i) विकास व्यय	4,02,810	4,45,889	43,080	10.7	120.5
जिसमें से:					
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,22,072	1,29,706	7,634	6.3	21.4
परिवहन एवं संचार	18,525	19,975	1,451	7.8	4.1
ईंधन	26,270	36,715	10,445	39.8	29.2
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	5,491	10,076	4,585	83.5	12.8
(ii) गैर विकास व्यय	2,68,665	2,60,899	-7,765	-2.9	-21.7
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवा	62,905	57,144	-5,761	-9.2	-16.1
पेशन	62,729	66,938	4,210	6.7	11.8
ब्याज भुगतान	1,08,383	1,06,220	-2,163	-2.0	-6.0
III. पूंजीगत प्राप्तियां	1,75,306	1,86,201	10,894	6.2	100.0
जिसमें से:					
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	15,000	5,314	-9,686	-64.6	-88.9
IV. पूंजीगत व्यय	2,01,374	2,13,259	11,885	5.9	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,45,159	1,57,254	12,095	8.3	101.8
जिसमें से:					
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	44,525	48,727	4,202	9.4	35.4
परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	27,618	29,614	1,996	7.2	16.8
जापन मदें:					
राजस्व घाटा	-28,426	-10,701	17,725	-62.4	
सकल राजकोषीय घाटा	1,12,653	1,46,349	33,695	29.9	
प्राथमिक घाटा	4,270	40,128	35,858	839.7	

बअ : बजट अनुमान।

संअ : संशोधित अनुमान।

* : सुसंगत जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

नोट: सारणी III.2 का नोट देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

3.8 जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है, राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण आई समग्र समष्टि आर्थिक मंदी की वजह से धक्का लगा। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया जिसका असर उनके राजस्व व्यय पर पड़ा। फलस्वरूप, प्रमुख घाटा संकेतक 2008-09 (बअ) तथा 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (संअ) में बिगड़ गए। समग्र समष्टि आर्थिक मंदी का समाधान करने के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वे 2008-09 के दौरान अपने राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर जीडीपी का 3.5 प्रतिशत कर सकते हैं (जैसा कि 2009-10 के अंतरिम केंद्रीय बजट में कहा गया था)। इस प्रकार, राज्य सरकारों को अतिरिक्त बाजार उधार बढ़ाकर जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक करने की अनुमति मिली। इस अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग पूंजीगत निवेश के लिए किया जाना था।

4. बजट अनुमान : 2009-10

3.9 2008-09 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति में देखी गयी गड़बड़ी 2009-10 में और बढ़ती होने का अनुमान है जैसा कि प्रमुख घाटा संकेतकों के बजट अनुमानों से स्पष्ट है। मंद वृद्धि की अवधि के दौरान, आम तौर पर यह माना जाता है कि सरकारें समस्त मांग पैदा करने के लिए सार्वजनिक निवेश जुटाने का प्रयास करती हैं। भारतीय संदर्भ में, जहां इस प्रकार के प्रयास केंद्र सरकार के स्तर पर दिखाई देते हैं, वहीं कुछ राज्य सरकारों को छोड़कर राज्य स्तर पर ऐसे उच्च सार्वजनिक व्यय के सुस्पष्ट संकेत दिखाई नहीं देते। वस्तुतः, भारत जैसे ऐसे देशों के लिए विवेकाधीन राजकोषीय नीति अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है, जहां स्वचालित स्थिरताकारकों का प्रभाव उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निम्नतर पाया जाता है (बॉक्स III.1)।

3.10 वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मंदी आने के साथ, कई उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने देशी मांग को बढ़ाने और आर्थिक

बॉक्स III.1 : राज्य स्तर पर स्वचालित राजकोषीय स्थिराकारियों की भूमिका

राजकोषीय नीतिगत साधनों में सरकारी खर्च और कराधान शामिल हैं। समय-समय पर, सरकारों को आर्थिक कार्यक्रमों को परिष्कृत करने के लिए कुछ सुस्पष्ट राजकोषीय उपाय करने पड़ते हैं, जिन्हें विवेकाधीन राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसके विपरीत, स्वचालित स्थिराकारियों से ऐसे कार्यक्रम अभिप्रेत हैं जो मंदी के दौरान राजकोषीय नीति का स्वतः विस्तार करते हैं तथा तेजी के दौरान उसमें संकुचन लाते हैं और स्वरूप में वे प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय नीति का एक प्ररूप हैं। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी बीमा अथवा लाभ जिन पर सरकारें, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, मंदी के दौरान, जब बेरोजगारी की दर अधिक होती है, अधिक खर्च करती हैं, स्वचालित स्थिराकारियों का एक प्रकार है। इस प्रकार के कर, अंतरण और सरकारी खरीद अर्थव्यवस्था के स्वचालित स्थिराकारि हैं। इसी तरह, प्रगामी करों में आय की तुलना में ज्यादा तेजी से गिरावट आती है तथा करों में इस कमी का बहुल प्रभाव पड़ता है, स्वचालित उपभोग में कमी को अंशतः प्रतितुलित करते हुए, जिससे साम्य आय में उतनी अधिक अथवा उतनी तेजी से गिरावट नहीं आती जितनी हो सकती है। जैसे-जैसे गरीबों को अंतरण और उनके लिए सेवाएं बढ़ती हैं, जिनका भी बहुल प्रभाव पड़ता है, उनमें स्वचालित उपभोग में आई गिरावट को प्रतितुलित करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार, स्वचालित स्थिराकारियों की मौजूदगी में, कुल मांग में सामान्यतः उससे कम गिरावट आती है जितनी गिरावट अकेले स्वचालित उपभोग में गिरावट के कारण हुई होती।

यदि स्वचालित स्थिराकारि अच्छी तरह कार्य करें, तो वे अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिर बनाते हैं। तथापि, स्वचालित स्थिराकारियों का प्रभाव सरकार के आकार और साथ ही चक्र्रीय परिवर्तनों के प्रति करों एवं व्ययों की अनुक्रियात्मकता पर निर्भर होता है। इसके अलावा, यह कराधान प्रणाली की प्रगामिता की मात्रा और इस बात पर निर्भर होती है कि सामाजिक लाभ एवं बेरोजगारी बीमा के रूप में व्यवस्थाएं किस मात्रा तक मौजूद हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम सरकार की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वे काफी कम व्यापक हैं तथा स्वचालित स्थिराकारियों के प्रभाव की भी यही स्थिति है। इसे देखते हुए, स्वचालित स्थिराकारियों में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत छोटा होने की प्रवृत्ति होती है (जो छोटे सार्वजनिक क्षेत्र तथा कम व्यापक सामाजिक अंतरणों और कम प्रगामी आय करों को दर्शाता है), ताकि जहां कहीं साध्य हो विवेकाधीन नीतिगत अनुक्रिया संभावित रूप से आवश्यक होगी (घोष और अन्य, 2009)।

उत्पादन अंतर बढ़ने पर स्वचालित स्थिराकारि बजट घाटा बढ़ा देते हैं तथा प्रतिकूल स्थिति में उलटा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, मांग आघातों द्वारा कारित उत्पादन अंतराल होने की स्थिति में स्वचालित स्थिराकारि उपयुक्त राजकोषीय अनुक्रिया प्रदान करते हैं।

भारतीय संदर्भ में, स्वचालित स्थिराकारियों का सहगुणांक केंद्रीय वित्त के आंकड़ों के आधार पर लगभग 0.5 प्रतिशत होना अनुमानित था (भारि.बैंक, 2009)। चूंकि भारत में कुल सरकारी व्यय (केंद्र और राज्य दोनों) का लगभग 60 प्रतिशत राज्यों से होता है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि राज्य वित्त के आंकड़ों का भी उपयोग करते हुए स्वचालित स्थिराकारियों के प्रभाव का अनुमान लगाया जाए। रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त पद्धति (2009) का अनुसरण करते हुए, स्वचालित स्थिराकारियों का वर्णन राज्यों के चक्र्रीय घाटे में बदलाव के रूप में इस प्रकार किया जा सकता है:

$$AS_t = \Delta COB_t = \Delta [(\beta_{nt} - \beta_{ot}) * \text{उत्पादन अंतराल}]$$

जहां $\beta_{nt} = (E_{nt} - 1) * (R/Y_t)$ तथा $\beta_{ot} = (E_{ot} - 1) * (G/Y_t)$, तथा E_{nt} एवं E_{ot} से गैर ब्याज राजस्व और उत्पादन अंतराल के संबंध में व्यय लोच अभिप्रेत है तथा इन्हें समय के भीतर स्थिर माना जाता है तथा R/Y_t और G/Y_t क्रमशः जीडीपी के प्रति प्राथमिक राजस्व और व्यय के अनुपात हैं। राज्य वित्त के संदर्भ में स्वचालित स्थिराकारियों की अधिक भूमिका प्रतीत नहीं होती क्योंकि 2008-09 और 2009-10 के लिए इनका अनुमान क्रमशः 0.07 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत लगाया गया है। बौशगार्ड तथा सिमांस्की (2009) ने यह तर्क दिया कि राजकोषीय संतुलन संबंधी सामान्य नियम स्थिराकारियों के विरुद्ध काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि चक्र्रीय राजकोषीय संतुलन बिगड़ जाए, तो विवेकाधीन सख्ती को प्रतितुलित करने के लिए एक राजकोषीय संतुलन संबंधी नियम अथवा कोई ऐसा नियम अपेक्षित होगा जिसमें सांकेतिक रूप में या जीडीपी के प्रतिशत में संतुलन की अधिकतम सीमा शामिल हो। उप-राष्ट्रिक स्तर पर लागू किए गए बजट नियमों के लिए यह लागू होता है। इससे निपटने के लिए, उनका सुझाव है कि वहां पर निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: (i) चक्र पर संतुलन नियम; तथा (ii) वास्तविक संतुलन के बजाए संरचनागत संतुलन संबंधी नियम। इस प्रकार की नियमों से यह सुनिश्चित होता है कि राजकोषीय नीति प्रतिचक्र्रीय है जिसमें स्वचालित स्थिराकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

संदर्भ :

1. घोष. अतीश आर., एम. चमोन, सी. क्रोवे, जे. आइ. किम तथा जे. डी. ओस्त्री (2009), 'कोपिंग विथ दि क्राइसिस : पॉलिसी ऑप्शन फॉर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज', *आईएमएफ स्टाफ पोजीशन नोट सं. एसपीएन/09/08*।
2. बौन्सगार्ड, थॉमस और स्टीवेन ए. स्यामंस्की (2009), 'ऑटोमैटिक स्टैबिलाइजर्स', *आईएमएफ स्टाफ नोट सं. एसपीएन/09/23, सितंबर*।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (2009), वार्षिक रिपोर्ट 2008-09।

कार्यकलापों को पुनर्जीवित करने के लिए राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों की घोषणा की। हालांकि राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय बड़े तौर पर राष्ट्रीय

सरकारों द्वारा किए गए हैं, कुछ देशों में उप-राष्ट्रीय/प्रांतीय स्तरों पर भी राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेज बनाए गए हैं (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2: उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय : देशवार परिदृश्य

वित्तीय और आर्थिक संकट के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में राजकोषीय नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान वित्तीय संकट की अनुक्रिया में अपनाए गए उपायों में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अंतर-बैंक उधार के लिए सरकारी गारंटी, वित्तीय संस्थाओं के पुनःपूंजीकरण, खुदरा जमा बीमा की व्याप्ति में वृद्धि, कर राहत, बड़े हुए सार्वजनिक व्यय तथा आस्ति राहत योजनाओं सहित, शामिल है। विवेकाधीन राजकोषीय उत्प्रेरणा वित्तीय संकट के आलोक में मांग बढ़ाने के प्रति एक नीतिगत अनुक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई देशों ने विवेकाधीन राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर कटौतियों एवं नए खर्चों का मिश्रण शामिल है, जिनमें से बाद वाला उपाय कुल का लगभग दो तिहाई है। संघीय स्तर पर उत्प्रेरक उपायों के अलावा, कुछ देशों ने राज्य और स्थानीय सरकारों में भी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए विवेकाधीन राजकोषीय नीतियों का अनुसरण किया है। जब खर्च के बड़े हिस्से के कारण उप-राष्ट्रिक सरकारों के पास कुंजी रहती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से स्थिरता लाने में कम समर्थ होती है। यदि राजकोषीय समायोजन जरूरी हो, तो ऐसा करने के लिए केंद्र के पास सिर्फ एक सीमित गुंजाइश रहती है क्योंकि यह खर्च के सिर्फ एक छोटे हिस्से का नियंत्रण करता है। कई देशों ने, उदाहरण के लिए लातीनी अमरीका ने, ऐसी कठिनाई महसूस की है। इसी तरह, जब राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रबंधन उप-राष्ट्रिक सरकारों करती हैं, उस समय केंद्र के पास स्थिरकरण और पुनर्वितरण के प्रयोजनों के लिए अथवा खर्च संबंधी अपने उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ औद्योगिक देशों में हो रहा है जो तेजी से बढ़ रही आयु संबंधी खर्च की जरूरतें महसूस कर रहे हैं, परंतु जिनमें राजस्व विभाजन के वर्तमान नियमों के अंतर्गत केंद्र एवं उप-राष्ट्रिक सरकारों के व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों में अंतरीय गतिशीलता को हिसाब में नहीं लिया जाता।

राज्य स्तर पर, राजकोषीय उत्प्रेरक प्रस्तावों के विभिन्न प्रारूप हैं। संयुक्त राज्य में, अमरीकी वसूली और पुनर्निवेश अधिनियम नौकरी पैदा करने तथा दीर्घकालिक वृद्धि संभाव्यता को सुदृढ़ करने के लिए निवेश और कर कटौतियों का एक सशक्त मिश्रण है। कर कटौतियों और अंतरणों के माध्यम से आर्थिक चरण द्वारा राज्य बजटों में स्थिरता लाने और आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करने में मदद करना अभिप्रेत है। अमरीका के कुछ राज्य यथा कनेक्टिकट, इलिनोइस और पेन्सिलवेनिया, जिन्होंने कर में छूट का प्रस्ताव किया है, संघीय उत्प्रेरक पैकेजों पर घनिष्ठ रूप से प्रतिरूपित है। अलबामा तथा अरिजोना जैसे अन्य राज्यों में कर कटौतियों को संघीय पैकेज के साथ संबद्ध किया गया है। उत्प्रेरक विधेयक में ऐसे कई विभिन्न कार्यक्रम भी शामिल हैं जो स्थानीय सरकार की पहलों के लिए निधीयन उपलब्ध कराते हैं। उत्प्रेरक पैकेज में राज्यों को संघीय सहायता निधि के रूप में 330 बिलियन अमरीकी डालर का प्रावधान है ताकि राज्य सरकारों के सामान्य निधिगत खर्च को प्रतिस्थापित अथवा प्रतिलुप्त किया जा सके, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर राज्यों के खर्च की अनुपूर्ति की जा सके या उसे बढ़ाया जा सके तथा राज्यों और अन्य संस्थाओं (यथा स्थानीय सरकारों) के लिए विवेकाधीन अनुदान दिया जा सके।

कनाडा की आर्थिक कार्य योजना का उद्देश्य स्थायी रूप से करों में कटौती करना, बेरोजगारी बीमा और प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाना, बेरोजगारी बीमा कार्य-साझेदारी संबंधी कार्यक्रम बढ़ाना तथा नौकरियों के लिए बुनियादी ढांचा संबंधी खर्च व्यापक रूप से बढ़ाना था। प्रांतों को संघीय अंतरण सर्वोच्च स्तर पर लाये गये तथा आर्थिक कार्य योजना द्वारा प्रांतों एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों को 2012 तक अपनी कंपनी कर दरें घटाकर 10 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अधिकांश प्रांत उस दिशा में अग्रसर हैं। अतः 2012-13 तक कनाडा में लगभग 25 प्रतिशत की संयुक्त संघीय-प्रांतीय-क्षेत्रीय कंपनी कर दर लागू होगी, जिसमें से 15 प्रतिशत संघ के लिए तथा 10 प्रतिशत प्रांतों के लिए होगा। कार्य योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रांतीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के भागीदारों के साथ सहयोग करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्प्रेरणा एक समयबद्ध रूप में प्रदान की जाए तथा उसे उसके लिए दिया जाए जहां उसकी सर्वाधिक जरूरत हो। एक अनुमान के अनुसार, प्रांतीय वचनबद्धताएं कनाडा की अर्थव्यवस्था में लगाये गये उत्प्रेरक डालर को बढ़ाकर 30 बिलियन डालर, अथवा वर्तमान राजकोषीय वर्ष में उसके जीडीपी के 2 प्रतिशत से अधिक कर देंगी।

चीन के 4 ट्रिलियन युआन (585 बिलियन अमरीकी डालर) के उत्प्रेरणा पैकेज में से लगभग 1.18 ट्रिलियन युआन (263 बिलियन अमरीकी डालर) सीधे केंद्र सरकार से प्राप्त होगा, जबकि शेष निधियां प्रांतीय और स्थानीय सरकारों, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा नीतिगत एवं वाणिज्य बैंक ऋणों द्वारा प्रदान की जाएंगी। लगभग 100 बिलियन युआन (14.6 बिलियन अमरीकी डालर) उत्प्रेरक निधियां कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सरकार की परियोजनाओं में लगायी जाएंगी। तथापि, परियोजना के कार्यान्वयन और निष्पादन में अंतिम निर्णय स्थानीय मंत्रालय एवं प्रांतीय अधिकारियों का होगा। प्रांतीय सरकारों ने अपने स्वयं के उत्प्रेरणा पैकेजों की घोषणा की है। मांग को बढ़ाने के लिए, देशव्यापी कार्यक्रम के लिए होम इलेक्ट्रॉनिक्स, जो होम अप्लाइन्स खरीदने वाले ग्रामीण निवासियों के लिए 13 प्रतिशत की नकद सब्सिडी प्रदान करता है, का विस्तार कर संपूर्ण देश को कवर कर लिया गया है। उत्पादों की जिस सूची पर प्रांतीय सरकारें सब्सिडी प्रदान करती हैं, उसका विस्तार करके उसमें मोटर साइकल, वॉटर हीटर, कंप्यूटर तथा एअरकंडिशनर शामिल किए गए हैं। उत्प्रेरणा पैकेजों के लिए संसाधन जुटाने में प्रांतीय सरकारों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2009 में 23 प्रांतों एवं स्वायत्त क्षेत्रों की ओर से 111.8 बिलियन युआन के बांडों की बिक्री की। इसके अलावा, स्थानीय सरकारों की राजकोषीय क्षमता बढ़ाने के लिए न्यूनतर पूंजीकृत पूंजी संबंधी अपेक्षा जैसे अनेक उपाय किए गए।

जर्मनी में, शिक्षा एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए 2009 तथा 2010 में 14 बिलियन यूरो के संघ सरकार के पैकेज में से, 10 बिलियन यूरो का उपयोग नगरपालिका संबंधी बुनियादी ढांचा, विशेष रूप से अस्पताल, शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा के आधुनिकीकरण तथा नगरपालिका की सड़कों के लिए ध्वनि उपशामक उपाय के लिए नगरपालिका संबंधी निवेश कार्यक्रमों पर किया जाएगा। संघ सरकार ने व्यय पर 20 प्रतिशत की कर कटौती का तथा स्वास्थ्य एवं दीर्घावधि देखरेख बीमा के लिए कर कटौतियों का भी प्रावधान किया है।

रूस में, तेल निर्यात शुल्क एवं संघीय कंपनी लाभ कर दर को 24 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने के साथ, प्रांतीय प्राधिकारियों को क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के अनुसार 5 से 15 प्रतिशत स्थानीय कर दर निर्धारित करने की अनुमति दी गयी। 1 जनवरी 2009 से, राज्य प्राधिकारियों द्वारा वसूल किए गये सभी उत्पाद कर क्षेत्रीय बजट में लगाए जाते हैं, जबकि पहले इसकी बजाए इस कर का सिर्फ दो तिहाई उक्त कार्य में लगाने की प्रथा थी।

ब्राजील ने उत्प्रेरणा के तहत बुनियादी ढांचा की उन परियोजनाओं में निवेश करने पर फोकस किया जिनमें संघ और नगरपालिका दोनों की सरकारों ने भाग लिया हो ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट से संघर्ष किया जा सके और वृद्धि त्वरण योजना के लिए उद्दिष्ट किसी खर्च में कोई कटौती न होने पाए। इसके अलावा, बेरोजगारी बीमा संबंधी अदायगी बढ़ाकर उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो पांच से सात महीनों के लाभ सहित बेरोजगारी के ऊंचे स्तरों को झेल रहे हैं।

आस्ट्रेलिया ने नौकरियों को समर्थन देने, विद्यालयों, आवास एवं सामुदायिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए 42 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर की उत्प्रेरणा योजना बनायी। इसमें से, 800 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का आबंटन क्षेत्रीय एवं स्थानीय सामुदायिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के लिए किया गया ताकि सामुदायिक केंद्रों, टाउन हॉल, पार्क और खेल के मैदान, पूल और खेल की सुविधाओं जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं नवीकरण के लिए स्थानीय सरकारों का निधीयन किया जा सके। स्थानीय समुदायों को इस प्रकार तेजी से निधियां प्रदान किए जाने से अल्पावधि से दीर्घावधि के भीतर विनिर्दिष्ट समुदायों के लिए स्थानीय नौकरियां मिलने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय एवं स्थानीय सामुदायिक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम का निधीयन स्थानीय सरकार के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सौंपा जा रहा है।

संदर्भ :

1. आइएमएफ (2009), सार्वजनिक वित्त की स्थिति: 2008 के संकट के बाद संभावना एवं मध्यावधि नीतियां।
2. विभिन्न सरकारों की वेबसाइटें।

3.11 भारत में भी कुछ राज्य सरकारों ने समस्त मांग बढ़ाने के लिए कतिपय क्षेत्रों के लिए न्यूनतर कर दरों और उच्चतर खर्च की

परिकल्पना करते हुए राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेज घोषित किए हैं (बॉक्स III.3)। 2009-10 के दौरान राज्य वित्त को प्रभावित करने, समस्त

बॉक्स III.3: भारत में राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय

हाल के वैश्विक वित्तीय संकट तथा फलस्वरूप उत्पन्न समष्टि आर्थिक वैश्विक मंदी के कारण उन्नत तथा उभरते दोनों बाजारों में कई देशों के लिए यह जरूरी होगा कि वे देशों अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय करें। कई देशों ने राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेज पहले ही लागू कर दिए हैं/उनकी घोषणा कर दी है। आम तौर पर यह माना जाता है कि उप-राष्ट्रिक स्तर पर सरकारों में संघीय सरकार को दिए गए घाटा संबंधी व्यय के लचीलेपन का अभाव होता है, अतः उनके पास व्यवसाय चक्र में आई मंदी से निपटने के लिए साधन और अधिक सीमित होते हैं। तथापि, जिन देशों में उप-राष्ट्रिक सरकारें कुल सरकारी खर्च (केंद्र और राज्य दोनों) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करती हैं, उनमें उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय नीति सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर कुल मांग में तेजी लाकर एक प्रतिक्रिया भूमिका निभा सकती है।

भारतीय संदर्भ में, राज्यों को सौंपे गए बड़े दायित्वों को देखते हुए, राज्य सरकार के समेकित व्यय सरकारी क्षेत्र के कुल व्यय (केंद्र और राज्य) का एक बड़ा भाग होते हैं, जो आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अर्जेंटीना, यूएसए तथा जर्मनी जैसे कई अन्य देशों में उच्चतर है (विश्व बैंक, 2005)। केंद्र एवं राज्य के समेकित व्यय का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों का होता है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। जहां राज्य सरकारें सरकारी क्षेत्र की कुल प्राप्तियों का लगभग एक तिहाई इकट्ठा करती हैं, वे सामाजिक सेवाओं पर होने वाले कुल व्यय के तीन चौथाई से अधिक का और आर्थिक सेवाओं पर होने वाले व्यय के आधे से अधिक का वहन करती हैं। इस प्रकार, आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने में राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सार्वजनिक वित्त में राज्य सरकारों के सापेक्ष महत्व को देखते हुए, राज्य सरकारों के राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय केंद्र के राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को सुकर बना सकते हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि राजकोषीय प्राधिकरण प्रतिक्रिया राजकोषीय नीति अपनाकर इस चुनौती को सर्वोत्तम रूप में पूरा कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय अंतरणों में उच्चतर हिस्से, राजस्व बढ़ाने के लिए राज्यों के अपने प्रयासों, राजस्व व्यय के युक्तियुक्तकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में चक्रिय उछाल जिसका राज्य वित्त पर उर्मिल प्रभाव पड़ा, को दर्शाता है (गोपीनाथ, 2009)। इस प्रकार, सरकारों के एफआरएल के अनुरूप राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया के प्रति वचनबद्धता के साथ अधिकांश सरकारें विगत कुछ वर्षों में अपनी समग्र राजकोषीय स्थिति में काफी सुधार लाने में समर्थ रहीं। फलस्वरूप, राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को समग्र समष्टि आर्थिक मंदी से बचाने के लिए प्रतिक्रिया राजकोषीय उपाय करने के लिए राज्यों के पास कुछ राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध थी।

अधिकांश प्रतिक्रिया उपायों का संबंध राज्य वित्त के व्यय पक्ष से है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति दी, इस प्रकार उसने जीएफडी की सीमा 2008-09 में जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2009-10 में जीएसडीपी का 4.0 प्रतिशत कर दी। राज्य सरकारों का समेकित व्यय 2007-08 (लेखा) के 14.8 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान बढ़कर 25.0 प्रतिशत हो गया। 2009-10 के लिए, राज्य सरकारों ने 2008-09 (संअ) की तुलना में अपने सकल व्यय में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान लगाया है। तथापि, राज्य सरकारों के सकल व्यय में हुई वृद्धि मोटे तौर पर 2008-09 (संअ) और 2009-10 (बअ) में राजस्व व्यय के कारण है।

2008-09 तथा 2009-10 में राजस्व व्यय में हुई वृद्धि का आंशिक कारण कई राज्य सरकारों द्वारा छोटे सीपीसी/एसपीसी का कार्यान्वयन है जो मांग को बढ़ाकर प्रतिक्रिया उपाय का भी कार्य करेगा। तथापि, 2009-10 के लिए उप-राष्ट्रिक स्तर पर स्पष्ट प्रतिक्रिया राजकोषीय उपाय के बहुत कम साक्ष्य हैं क्योंकि सिर्फ कुछ राज्य सरकारों ने समर्पित राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेजों की घोषणा की है। इन राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा शामिल हैं। केरल सरकार ने 10,000 करोड़ रु. के एक उत्प्रेरक पैकेज की घोषणा की जिसे सीधे सरकार और अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा ऋण अथवा अनुदान के जरिए बुनियादी ढांचा के विकास के लिए दो वर्षों में खर्च किया जाना है। 5,034 करोड़ रु. राशि के उत्प्रेरक पैकेज के तहत व्यय का एक बड़ा भाग 2009-10 के दौरान खर्च किए जाने की आशा है, जिसमें से लगभग 89 प्रतिशत के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में बजट प्रावधान किया गया है। 2009-10 के बजट की घोषणा करते हुए, हरियाणा सरकार ने एक समर्पित आर्थिक उत्प्रेरक पैकेज शुरू करने का प्रस्ताव किया जिसके तहत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विनिर्दिष्ट परियोजनाएं शुरू करके एक केंद्रित रूप में अगले दो सालों में लगभग 1,500 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 23 फरवरी 2009 को 5,106 करोड़ रु. के उत्प्रेरक पैकेज की घोषणा की जिसके तहत आवास, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति, हेल्थकेयर और शिक्षा पर खर्च करने पर फोकस किया जाएगा। तथापि, केरल और हरियाणा से भिन्न, पश्चिम बंगाल सरकार के उत्प्रेरक पैकेज में ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीगत व्यय की बजाए राजस्व व्यय की जरिए मांग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।

हालांकि राज्य स्तर पर किसी बड़े उत्प्रेरक-संबद्ध कर उपाय की घोषणा नहीं की गयी है, कुछ राज्यों ने कतिपय कर छूटों/कटौतियों की घोषणा की है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित उत्प्रेरक उपायों के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री तथा पैकेजिंग सामग्री जैसी निविष्टियों पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की है। अन्य प्रमुख राजकोषीय उपायों में (i) सीएसटी दर में कटौती; तथा (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क के 75 प्रतिशत से छूट शामिल है। अर्थव्यवस्था में आई मंदी को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य में वहनीय आवास तथा भू-संपदा क्षेत्र में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक पैकेज की घोषणा की। कर्नाटक में, धान, चावल, गेहूँ तथा दालों जैसे खाद्यान्नों पर उपलब्ध वैट संबंधी छूट को एक और वर्ष अर्थात् 2009-10 के लिए बढ़ा दिया गया है। इमली तथा शिक्काई, नारियल और सूखे नारियल के पावडर एवं सुपारी जैसे कृषि एवं वन उपज के संबंध में 4 प्रतिशत की वर्तमान दर को घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। कुछ अन्य मदों पर कर समाप्त कर दिया गया है। कर संबंधी अन्य उपाय इस प्रकार हैं - (i) मछुवारों द्वारा उनके नावों में उपयोग के लिए 75,000 किलो लीटर तक डीजल के लिए बिक्री कर से छूट; तथा (ii) कर्नाटक में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विलासिता कर में कुछ छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों के लिए हितकर कई उत्प्रेरक योजनाओं की घोषणा की है तथा व्यापार एवं उद्योग के लिए अनेक उपाय प्रस्तावित किए हैं। उदाहरण के लिए, 10 लाख रु. से कम वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को व्यवसाय कर से छूट दी गयी है, तथा अचल संपत्तियों के बिक्री विलेखों पर स्टांप शुल्क 7.0 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में, सरकार ने 10 लाख रु. से कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए व्यवसाय कर से छूट की घोषणा की है। इसके अलावा, बिक्री विलेखों पर स्टांप शुल्क में 0.5 प्रतिशत अंकों की कमी करने का प्रस्ताव है।

कुल मिलाकर, 2008-09 (संअ) के 32.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में राज्य सरकारों के सकल पूंजी परिव्यय में 1.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होने का बजट

जारी...

समाप्त

अनुमान है। यद्यपि, कुछ राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर ने प्रतिक्रियुपायों के रूप में समर्पित राजकोषीय उत्प्रेरक पैकेजों की घोषणा नहीं की है, तथापि उन्होंने 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 में काफी अधिक पूंजी परिव्यय का बजट प्रावधान किया है। इसके विपरीत कुछ राज्यों यथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम ने 2009-10 में अपने पूंजी परिव्यय में कमी करने का बजट प्रावधान किया है। हालांकि अतिरिक्त खर्च करने के लिए कुछ राज्यों के पास पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश है, उन्होंने 2009-10 के अपने बजट में अपने व्यय में सिर्फ थोड़ी वृद्धि दिखाकर चौकस रख अपनाया है। कर और करेतर राजस्व वसूलियों में प्रत्याशित मंदी तथा केंद्र से न्यूनतर न्यागमन को देखते हुए,

राज्यों ने स्पष्ट रूप से यह योजना बनायी है कि वे प्रतिक्रियुपायों के रूप में बड़े खर्च की योजनाओं का प्रस्ताव कर एफआरएल के तहत अपनी वचनबद्धता से न हटें।

संदर्भ:

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2. गोपीनाथ, श्यामला (2009), 'उप-राष्ट्रिक राजकोषीय सुधार और ऋण प्रबंधन - भारतीय अनुभव', रिजर्व बैंक मासिक बुलेटिन, अगस्त।
3. विश्व बैंक (2005), भारत में राज्य राजकोषीय सुधार, प्रगति और संभावनाएं, मैकमिलन इंडिया लि।

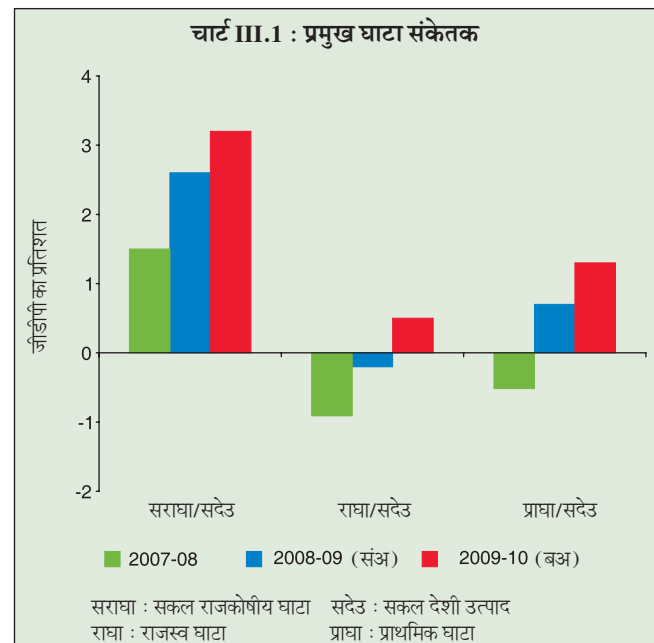
मांग के लिए सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना रखने वाला एक अतिरिक्त कारक छोटे सीपीसी/एसपीसी का कार्यान्वयन है।

बजट अनुमान 2009-10 - प्रमुख घाटा संकेतक

3.12 राज्य सरकारों का समेकित राजस्व खाता पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिशेष में बने रहने के बाद 2009-10 के लिए घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है, जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय में बजट में की गई उच्चतर वृद्धि है। 2008-09 (संअ) में 10,701 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष की तुलना में 2009-10 में समेकित राजस्व घाटा 32,295 करोड़ रुपए होने का बजट अनुमान है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, समेकित स्तर पर 2008-09 (संअ) में 0.2 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष 2009-10 में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है। 2009-10 (बअ) के दौरान राज्य सरकारों के राजस्व लेखे में आई गिरावट (i) प्रशासनिक सेवाओं, (ii) पेंशन, तथा (iii) ब्याज भुगतान पर किए गए उच्चतर व्यय के साथ कर राजस्व में आई मंदी के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। राजस्व खाता अधिशेष से घाटे में चले जाने तथा 2009-10 (बअ) में उच्चतर निवल उधार के फलस्वरूप, समेकित स्तर पर जीएफडी 2008-09 (संअ) में जीडीपी के 2.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जीडीपी का 3.2 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है। कुल रूप में, जीएफडी के आकार में 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ) में 36.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है। बढ़ते हुए जीएफडी के अनुरूप, प्राथमिक घाटा 2008-09 (संअ) के 40,128 करोड़ रुपए से दुगुना होकर 2009-10 (बअ) में 83,083 करोड़ रुपए हो जाने की भी संभावना है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, समेकित प्राथमिक घाटा 2008-09 (संअ) के 0.7 प्रतिशत की तुलना

में 2009-10 (बअ) में 1.3 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है (सारणी III.4 और चार्ट III.1)।

3.13 तीन साल के बाद राजस्व घाटा फिर से होना तथा सकल राजकोषीय घाटे की मात्रा में वृद्धि इस बात का संकेत देती है कि उधार लिए गए संसाधन 2009-10 के दौरान पूंजीगत निवेश की बजाए चालू व्यय के लिए उपयोगी होंगे। 2009-10 (बअ) में, सकल राजकोषीय घाटे के लगभग 16 प्रतिशत का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जाएगा। यह राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता का मुद्दा उभारता है तथा यह दर्शाता है कि सरकारी उधार के इस अनुपात से इतनी मात्रा में आस्तियों का सृजन नहीं होगा जिससे राज्यों के कर्ज को चुकाने के लिए भविष्य में प्रतिलाभ प्राप्त हो। तथापि, 16 प्रतिशत का राजस्व



सारणी III.4 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ)

(राशि करोड़ रु.में)

मद	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)	घटबढ़		अंशदान* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	7,37,865	8,04,943	67,078	9.1	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,03,878	5,52,243	48,365	9.6	72.1
(क) अपना कर राजस्व	3,30,405	3,66,523	36,118	10.9	53.8
जिसमें से: बिक्री कर	2,02,610	2,25,009	22,399	11.1	33.4
(ख) केन्द्रीय करों में हिस्सा	1,73,473	1,85,720	12,247	7.1	18.3
(ii) गैर कर राजस्व	2,33,987	2,52,701	18,713	8.0	27.9
(क) राज्यों का अपना गैर कर राजस्व	79,614	84,017	4,403	5.5	6.6
(ख) केंद्र से अनुदान	1,54,373	1,68,683	14,310	9.3	21.3
II. राजस्व व्यय	7,27,165	8,37,238	1,10,074	15.1	100.0
जिसमें से:					
(i) विकास व्यय	4,45,889	4,92,443	46,553	10.4	42.3
जिसमें से:					
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,29,706	1,54,781	25,075	19.3	22.8
ईंधन	36,715	32,020	-4,695	-12.8	-4.3
ग्रामीण विकास	30,040	43,147	13,107	43.6	11.9
(ii) गैर विकास व्यय	2,60,899	3,21,907	61,008	23.4	55.4
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवा	57,144	74,389	17,245	30.2	15.7
पेंशन	66,938	87,220	20,282	30.3	18.4
ब्याज भुगतान	1,06,220	1,16,427	10,207	9.6	9.3
III. पूंजीगत प्राप्तियां	1,86,201	2,25,114	38,914	20.9	100.0
जिसमें से:					
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	5,314	2,216	-3,098	-58.3	-8.0
IV. पूंजीगत व्यय	2,13,259	2,18,540	5,281	2.5	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,57,254	1,60,247	2,993	1.9	56.7
जिसमें से:					
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	48,727	45,905	-2,821	-5.8	-53.4
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	18,728	15,478	-3,251	-17.4	-61.6
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	29,614	28,859	-755	-2.5	-14.3
जापन मदें:					
राजस्व घाटा	-10,701	32,295	42,996	-401.8	
सकल राजकोषीय घाटा	1,46,349	1,99,510	53,161	36.3	
प्राथमिक घाटा	40,128	83,083	42,954	107.0	

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

* : सुसंगत जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

नोट: सारणी III.2 का नोट देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

घाटा-सराधा अनुपात 1998-99 से 2002-03 के लगभग 60 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। फिर भी यह उस कमजोरी को रेखांकित करता है जो 2009-10 के दौरान राज्य सरकार के वित्त की रूपरेखा में उभरी हालांकि इसका कारण मंद समष्टि आर्थिक स्थितियां तथा संशोधित रोजगार और वेतन का कार्यान्वयन है। तथापि, यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति तेज होने तथा राजस्व की उछाल में और सुधार आने तक के लिए एक अस्थायी विपथन है।

राजस्व प्राप्तियां

3.14 समष्टि आर्थिक मंदी का प्रभाव इस तथ्य से देखा जा सकता है कि राज्यों ने 2008-09 (संअ) में दर्ज की गई 18.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 (बअ) में राजस्व प्राप्तियों में 9.1 प्रतिशत की सिर्फ एक मंद वृद्धि का बजट प्रावधान किया है। राजस्व प्राप्तियों के सभी स्रोतों में वृद्धि (राज्यों के अपने करेतर राजस्व को छोड़कर) पिछले साल की तुलना में 2009-10 (बअ) में कम रहने का अनुमान

है। उदाहरण के लिए, राज्यों का अपना कर राजस्व 2008-09 (संअ) के 15.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 10.9 प्रतिशत बढ़ जाने का बजट अनुमान है, जबकि केंद्रीय करों के उनके हिस्से में पिछले वर्ष हुई 14.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 7.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में हुई मंद वृद्धि केंद्रीय स्तर पर बजट में अनुमानित सकल कर राजस्व में हुई न्यूनतर वृद्धि के अनुरूप है। मुख्य रूप से केंद्र के अनुदान के कारण 2009-10 के दौरान राज्यों के समेकित करेतर राजस्व में वृद्धि में कमी आने का बजट अनुमान है। केंद्र से राज्यों को अनुदान में 2008-09 (संअ) में हुई 42.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 9.3 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान है। तथापि, राज्यों के अपने करेतर राजस्व में 2008-09 (संअ) में हुई 3.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 5.5 प्रतिशत की थोड़ी उच्चतर वृद्धि का बजट अनुमान है (सारणी III.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)।

3.15 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां (आरआर-जीडीपी) 2008-09 (संअ) के 13.2 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2009-10 में 13.1 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। इस कमी ने केंद्र से राज्यों को कर राजस्व के सांविधिक अंतरण को प्रभावित किया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 3.1 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 3.0 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। तथापि, जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र से राज्यों को सहायता अनुदान - जो केंद्रीय अंतरणों का विवेकाधीन घटक है - 2008-09 (संअ) के 2.8 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 2.7 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। कुल मिलाकर, राज्यों को केंद्र से अंतरण 2008-09 (संअ) में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 5.7 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। राज्यों के अपने राजस्व वसूली पक्ष में, जीडीपी के प्रति उनके अपने कर राजस्व का अनुपात इसी अवधि के दौरान 5.9

सारणी III.5 : राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रु. में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	घटबढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)						(संअ)	(बअ)	स्तंभ 8/7	स्तंभ 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सकल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.0)	2,31,618 (14.8)	4,40,076 (17.1)	5,95,627 (16.1)	6,73,605 (15.7)	7,65,735 (15.5)	9,24,066 (16.6)	10,30,057 (16.7)	20.7	11.5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.0)	1,65,416 (10.7)	2,85,662 (11.1)	4,31,020 (11.6)	5,30,556 (12.4)	6,23,748 (12.6)	7,37,865 (13.2)	8,04,943 (13.1)	18.3	9.1
क. राज्यों का अपना राजस्व	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (6.9)	2,60,246 (7.0)	3,15,812 (7.4)	3,63,723 (7.4)	4,10,019 (7.4)	4,50,540 (7.3)	12.7	9.9
i. राज्यों का अपना कर	41,158 (5.3)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.5)	2,12,307 (5.7)	2,52,548 (5.9)	2,86,546 (5.8)	3,30,405 (5.9)	3,66,523 (5.9)	15.3	10.9
ii. राज्यों का अपना गैर कर	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	63,263 (1.5)	77,178 (1.6)	79,614 (1.4)	84,017 (1.4)	3.2	5.5
ख. केन्द्रीय अंतरण (i+ii)	37,133 (4.8)	61,874 (4.0)	1,07,491 (4.2)	1,70,774 (4.6)	2,14,744 (5.0)	2,60,024 (5.3)	3,27,846 (5.9)	3,54,403 (5.7)	26.1	8.1
i. साझायोग्य कर	19,790 (2.6)	37,607 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.5)	1,20,293 (2.8)	1,51,402 (3.1)	1,73,473 (3.1)	1,85,720 (3.0)	14.6	7.1
ii. सहायता अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.1)	94,451 (2.2)	1,08,622 (2.2)	1,54,373 (2.8)	1,68,683 (2.7)	42.1	9.3
2. पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (5.9)	1,64,607 (4.4)	1,43,049 (3.3)	1,41,987 (2.9)	1,86,201 (3.3)	2,25,114 (3.7)	31.1	20.9
क. केन्द्र से ऋण@	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	5,717 (0.1)	7,252 (0.1)	9,786 (0.2)	17,284 (0.3)	35.0	76.6
ख. अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (4.9)	1,56,510 (4.2)	1,37,331 (3.2)	1,34,736 (2.7)	1,76,414 (3.2)	2,07,830 (3.4)	30.9	17.8

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

@ 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतों के तहत राज्यों के हिस्से को, जिसे पहले केंद्र से ऋण के तहत शामिल किया गया था, आंतरिक कर्ज में शामिल किया जा रहा है और उसे केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि, इस सारणी में सूचित किए गए अनुसार, 1999-2000 से पहले के वर्षों के आंकड़ों में तुलनीयता के प्रयोजन के लिए अल्प बचतों के प्रति जारी ऋण शामिल नहीं हैं।

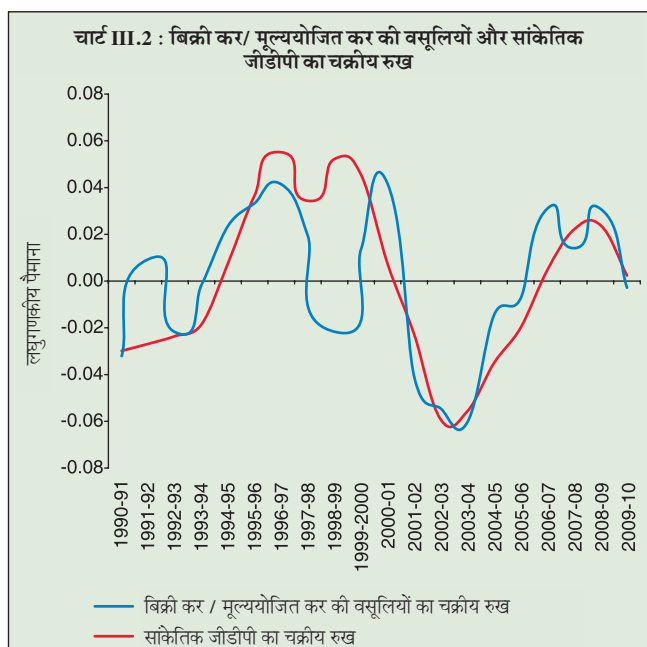
नोट:

1. विभिन्न अवधियों के बीच अधिक सार्थक तुलना के लिए 5 साल के औसत दिए गए हैं।
2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल हैं। परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत पर स्थिर रहने का बजट अनुमान है (सारणी III.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)। 2009-10 (बअ) में, बिक्री कर/वैट से राजस्व प्राप्तियां तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भू-राजस्व उसी स्तर पर रहने का बजट अनुमान है जबकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्टॉप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क और राज्य उत्पादन शुल्क से होने वाली राजस्व प्राप्तियां 2008-09 (संअ) की तुलना में न्यूनतर रहने का अनुमान है। साथ ही, अपना करेतर राजस्व-जीडीपी अनुपात इसी अवधि में 1.4 प्रतिशत पर स्थिर बने रहने का बजट अनुमान है।

3.16 अधिकांश राज्यों में वैट लागू करने से हाल के वर्षों में उनका बिक्री कर/वैट-जीडीपी अनुपात बढ़ाने में मदद मिली है। 2009-10 में, बिक्री कर/वैट से राज्यों के अपने कर राजस्व की कुल वसूली में लगभग 61 प्रतिशत अंशदान का बजट अनुमान है। हालांकि जीडीपी के अनुपात में बिक्री कर/वैट 2008-09 (संअ) के 3.6 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2009-10 (बअ) में 3.7 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है, बिक्री कर/वैट में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 16.8 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 11.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो अनुमानित मंद वृद्धि के संभावित प्रभाव को दर्शाता है। वस्तुतः बिक्री कर/वैट वसूली और सांकेतिक जीडीपी के चक्रीय रुख के बीच का सहसंबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है³ (चार्ट III.2)।



3.17 माल और सेवा कर (जीएसटी) 1 अप्रैल 2010 से लागू करने का प्रस्ताव है। तथापि, जीएसटी का कार्यान्वयन भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है। जीएसटी को लागू करना कर सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जीएसटी केंद्र में उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का और राज्य स्तर पर वैट का स्थान लेगा। राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति को भारत में जीएसटी के लिए मॉडल तैयार करने और रूपरेखा बनाने का कार्य सौंपा गया है। भलीभांति अभिकल्पित जीएसटी से विनिर्माण की लागत न्यूनतर होगी तथा कारोबार में अधिक दक्षता आएगी। यह भी आशा है कि जीएसटी लागू करने से कर आधार बढ़ाकर तथा अनुपालन की कम लागत तथा व्यापक आधार पर न्यूनतर प्रभावी कर दरों से आर्थिक वृद्धि को उत्प्रेरित कर दोनों तरीकों से राजस्व में उछाल आएगा (बॉक्स III.4)।

3.18 करेतर राजस्व के भीतर, राज्य सरकारों की ब्याज प्राप्तियों में 2008-09 (संअ) में हुई 31.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 21.5 प्रतिशत की गिरावट आने का बजट अनुमान है, जबकि आर्थिक सेवाओं के कारण करेतर राजस्व में 2008-09 (संअ) के 18.6 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 4.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 3)। वर्तमान में राज्यों के अपने करेतर राजस्व राज्य सरकारों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम प्रतीत होता है। राज्यों द्वारा उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभार लगाकर करेतर राजस्व पर उनकी निर्भरता बढ़ाए जाने की जरूरत है। दो कारणों से यह जरूरी है। पहला, राज्य सरकारें अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए मुख्य रूप से अपने कर राजस्व पर तथा केंद्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में केंद्रीय अंतरणों तथा अनुदानों पर निर्भर रहती हैं, जो आर्थिक वृद्धि में मंदी के प्रति संभाव्यतः असुरक्षित हैं। इसके अलावा, अपने संसाधन जुटाने की राज्यों की क्षमता भी उनकी योग्यता और कर जुटाने संबंधी अधिदेश के अधीन है। इस प्रकार राजस्व का अधिक टिकाऊ स्रोत पाने के लिए, राज्यों द्वारा उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभार लगाकर उनका करेतर राजस्व आधार बढ़ाए जाने की जरूरत है। दूसरे, उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभारों से सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद मिलती है। इस प्रकार लागत वसूली सिद्धान्त पर आधारित उपयोगकर्ता प्रभार से आर्थिक सेवाओं के अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग में मदद मिलेगी।

³ सांकेतिक जीडीपी तथा बिक्री कर/वैट वसूलियों के चक्रीय घटक की गणना के लिए, हॉड्रिक-प्रेसकाट फिल्टरिंग तकनीक का उपयोग किया गया है।

बॉक्स III.4 : भारत में माल और सेवा कर - वर्तमान स्थिति

पूरे विश्व में माल और सेवाओं पर एक ही दर पर कर लगाया जाता है तथा माल और सेवा कर (जीएसटी) की यही नींव है। जीएसटी मूल रूप से माल और सेवाओं पर लगाया जाने वाला व्यापक मूल्ययोजित कर (वैट) है, जिसे बिक्री और खरीद की प्रत्येक अवस्था में योजित मूल्य पर लगाया और वसूल किया जाता है, जिसके अंतर्गत विनिर्माता एवं डीलर 'निविष्टि कर' के लिए जमा का दावा करते हैं जबकि अंतिम उपभोगकर्ता पूरे कर का वहन करता है। बड़ी संख्या में उन्नत देशों में जीएसटी का उपयोग काफी सामान्य है। कई उत्पादों के उत्पादन एवं उनकी बिक्री में माल और सेवाएं दोनों की निविष्टियां अपेक्षित होती हैं जिन्हें अस्पष्ट रूप से पैकेज किया जा सकता है तथा माल और सेवाओं पर 'एकीकृत कर दर' लागू की जा सकती है। इस प्रकार जीएसटी कर प्रणाली की अक्षमताओं को दूर करता है तथा उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को दक्ष एवं कारगर तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है।

साहित्य से यह प्रकट होता है कि संघीय देशों के बीच, जीएसटी के तीन प्रकार के मॉडल हैं: अर्थात्, क) संघीय स्तर पर वसूली; ख) उप-राष्ट्रिक स्तर पर वसूली; तथा ग) द्वैध स्तर का जीएसटी। बदले में तीसरे मॉडल के तीन परिवर्ती हैं: 1) दोनों स्तर की सरकारों में निहित सांविधानिक प्राधिकार के माध्यम से संघ सरकार द्वारा वसूली; 2) दो स्तर की सरकारों द्वारा वसूल किया गया स्वतंत्र जीएसटी; और 3) राज्यों द्वारा प्रशासित सामान्य आधार पर एकल समन्वित दर। हालांकि परिभाषा के द्वारा, एक केंद्रीकृत जीएसटी में कर की दरों एवं छूटों में समन्वय का प्रावधान रहता है, तथापि समसामयिक साहित्य में राजकोषीय विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग राय प्रकट की गयी है। एक राय के अनुसार द्वैध वैट, जो कनाडा के क्यूबेक सर्विस टैक्स-जीएसटी मॉडल का एक परिवर्ती है, भारत में सर्वाधिक आशाजनक वैट प्रतीत होता है (पोदार, 2009)। ऐसी राय है कि बिक्री कराना केंद्रीकरण आवश्यक नहीं है, जैसाकि वैट के साथ कनाडा तथा आय कर के साथ यूएस के अनुभव से स्पष्ट है; केंद्रीय और राज्य करों का अस्तित्व साथ-साथ रह सकता है।

भारत में, 1990 के दशक के प्रारंभ से, अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यापक उपलब्धि हासिल हुई है। तथापि, जीएसटी का कार्यान्वयन एक 'लैंडमार्क' कर सुधार होगा। अप्रत्यक्ष कर सुधार का मूल उद्देश्य समंजित जीएसटी के रूप में व्यापक वैट रखना है। ऐसी आशा है कि जीएसटी से केंद्र और राज्य दोनों के स्तरों पर उपभोग कर ढांचा में बड़ा युक्तियुक्तकरण और सरलीकरण आएगा। ऐसा यकीन है कि विनिर्माण और सेवाओं के बीच कराना के भार को पुनर्वितरित करके जीएसटी युग से एक चरणबद्ध बदलाव आएगा (केलकर, 2009)।

केंद्रीय बजट 2007-08 में यह घोषणा की गई कि भारत को 1 अप्रैल 2010 तक राष्ट्रीय स्तर के जीएसटी की ओर अग्रसर होना चाहिए तथा केंद्र सरकार के साथ राज्य मंत्रियों की एक अधिकारप्राप्त समिति भारत में जीएसटी लागू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी। तदनुसार, भारत सरकार ने 10 नवम्बर 2009 को जीएसटी पर एक चर्चा पत्र जारी किया। भारत जैसी संघीय प्रणाली में, एक समंजित संरचना तैयार करते समय राज्यों की स्वायत्तता के समर्थन के लिए प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है। जीएसटी के प्रस्तावित मॉडल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- केंद्र और राज्यों के कार्यों एवं उत्तर दायित्वों को परिभाषित करते हुए एक द्वैध जीएसटी ढांचा (एक केंद्रीय जीएसटी के लिए तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य जीएसटी कानून), जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।
- सामूहिक रूप से सहमत सांविधिक संशोधन के लिए प्रावधान, यदि आवश्यक हो, पर भी कार्य किया जा रहा है।
- कानून की मूल विशेषताएं यथा प्रभाविता, करयोग्य घटना एवं करयोग्य व्यक्ति की परिभाषा, मूल्यन प्रावधानों सहित उगाही का उपाय तथा वर्गीकरण का आधार, जहां तक व्यवहार्य होगा, इन कानूनों में एक समान रखा जाएगा।
- माल और सेवाओं की सभी लेनदेनों पर, छूटप्राप्त को छोड़कर, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों लागू होंगे।
- माल और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले को छोड़कर केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के बीच निविष्टि कर जमा (आईटीसी) के प्रति-उपयोग

की अनुमति नहीं होगी। जहां तक साध्य होगा, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के लिए संबंधित विधानों में केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों की वसूली के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

- जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के लिए ऐसी विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय उगाहियों की पहचान की जानी है, जो अप्रत्यक्ष करों के स्वरूप की हैं। तथापि, ऐसे करों, उगाहियों एवं शुल्कों को जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, जो विशिष्ट रूप से माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के साथ संबद्ध हैं।
- निर्यातों पर शून्य रेटिंग का प्रस्ताव है, जबकि आयातों पर गंतव्य स्थान के सिद्धान्त के अनुसार केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी लागू होंगे तथा एक एसईजेड से देशी टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को हुई बिक्री के लिए किसी लाभ की अनुमति नहीं होगी।
- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ऐसी किसी हानि के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने संबंधी मुद्दे पर विचार किया जाएगा जो अगले पांच वर्षों में जीएसटी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान उभर सकते हैं।
- राज्यों (उत्तरपूर्वी क्षेत्र के राज्य तथा विशेष श्रेणी वाले राज्य) के लिए पर्याप्त मुआवजा के साथ सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माल और सेवाओं दोनों के लिए 10 लाख रु. के सकल वार्षिक टर्नओवर की आरंभिक सीमा अपनायी जा सकती है।
- माल और सेवाओं के अंतर-राज्य लेनदेनों के मामले में, कार्यकारी दल ने आइजीएसटी मॉडल अपनाने की संस्तुति की, जिसके तहत केंद्र सरकार करयोग्य माल और सेवाओं के सभी अंतर-राज्य लेनदेनों पर आइजीएसटी वसूलेंगी जो केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी का जोड़ होगा। अंतर-राज्य विक्रेता इन खरीदों पर आइजीएसटी, सीजीएसटी, और एसजीएसटी की उपलब्ध जमा राशि को समायोजित करने के बाद मूल्ययोजन पर आइजीएसटी अदा करेगा। निर्यातकर्ता राज्य सीजीएसटी की जमाराशि का अंतरण केंद्र को करेगा तथा आयातकर्ता डीलर आइजीएसटी की जमाराशि के लिए दावा करेगा।
- दो दरों वाली संरचना (सीजीएसटी तथा एसजीएसटी दोनों) को अपनाना, अर्थात् आवश्यक मर्दों और मौलिक महत्व की वस्तुओं के लिए न्यूनतर दर तथा सामान्य वस्तुओं के लिए एक मानक दर और बहुमूल्य धातुओं एवं सूचीबद्ध छूटप्राप्त मर्दों के लिए एक विशेष दर।
- तथापि, सेवाओं के कराना के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए एकल दर हो सकती है। सेवाओं की दर सहित एसजीएसटी तथा सीजीएसटी दरों के सटीक मूल्य का आकलन किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 25 प्रतिशत की सर्वोच्च जीएसटी दरें स्वीडन एवं डेनमार्क में हैं। उच्चतर कर दर वाले देशों में 24.5 प्रतिशत पर आइसलैंड तथा 22 प्रतिशत पर फिनलैंड शामिल हैं। न्यूनतर स्तर पर, स्विटजरलैंड, जापान, थाईलैंड और सिंगापुर में 5 प्रतिशत अथवा थोड़ी अधिक जीएसटी/वैट दरें लागू हैं। अधिकांश देशों में जीएसटी/वैट दरें 20 प्रतिशत से कम हैं। उदाहरण के लिए, यूके में वैट दर 17.5 प्रतिशत, स्पेन में 16 प्रतिशत, रूस में 18 प्रतिशत, फ्रान्स में 19.6 प्रतिशत तथा जर्मनी में 19 प्रतिशत है। कनाडा एक ऐसा संघीय देश है जहां संघीय एवं प्रांतीय दोनों जीएसटी दरें लागू हैं। संघीय एवं प्रांतीय दरों का संयुक्त भार 6 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है।

बाद में, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा गठित कार्य बल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह संस्तुति की कि राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति का रूपांतरण 'वित्त मंत्रियों की परिषद' नामक एक स्थायी सांविधानिक निकाय के रूप में कर दिया जाए, जिसमें केंद्रीय मंत्री तथा सभी राज्य वित्त मंत्री शामिल होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न तो केंद्र न ही राज्य जीएसटी की सहमत डिजाइन में अकेले कोई परिवर्तन कर सकेंगे।

जारी...

समाप्त

तथापि, किसी अनिवार्यता की स्थिति में, एक माह के भीतर परिषद द्वारा वास्तविक कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त पर सदस्य राज्य अथवा केंद्र तात्कालिक कदम उठा सकते हैं। साथ ही, चूंकि जीएसटी का प्राथमिक उद्देश्य भारत में उपभोग कर में सुधार लाना है तथा यह विवेकाधीन परिवर्तनों के जरिए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण का प्रयास नहीं है, अतः सीजीएसटी और एसजीएसटी की दरें 'राजस्व तटस्थ दर' (आरएनआर) होनी चाहिए, ताकि पहले प्राप्त किए जा रहे राजस्व जितनी राशि प्राप्त हो सके।

संदर्भ:

- बागची, अमरेश (2006), 'टुवर्ड्स जीएसटी: च्वाइसेज एण्ड ट्रेड-ऑफ्स' इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 8 अप्रैल।
- भारत सरकार (2007), 'वित्त मंत्रियों के बजट भाषण', 28 फरवरी।
- भारत सरकार (2009), 'भारत में माल और सेवा कर पर पहला चर्चा पत्र', राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति, नई दिल्ली, 10 नवंबर।
- केलकर, विजय (2009), 'त्वरित आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए जीएसटी', तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में विशेष संबोधन।
- पोदार, एस. तथा एहतिसाम अहमद (2009), 'भारत में जीएसटी सुधार और अंतर-सरकारी विचार', कार्य पत्र, डीओई, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, मार्च।
- श्रीवास्तव, डी.के. (2007), 'ए रोडमैप टु गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स', दि हिंदू बिजनेसलाइन, 13 अगस्त।

3.19 जहां तक राज्य स्तर पर लागत वसूली पहलू का संबंध है, ऐसा अनुमान है कि यह 2007-08 की तुलना में सामाजिक सेवाओं के मामले में 2009-10 में न्यूनतर होगा। आर्थिक सेवाओं में, हाल के वर्षों में ईंधन क्षेत्र में काफी सुधार आया है जो 2009-10 (बअ) में बना रह सकता है। इसी तरह, सड़क क्षेत्र में सुधार की दर में भी 2009-10 (बअ) में सुधार आने का अनुमान है। सिंचाई क्षेत्र में लागत वसूली में 2006-07 से 2008-09 (संअ) के दौरान स्थिर रूप से सुधार दर्ज किया गया, पर इसमें 2009-10 (बअ) में गिरावट आने की संभावना है (सारणी III.6 और चार्ट III.3)।

राजस्व व्यय

3.20 राज्य सरकारों के समेकित राजस्व व्यय में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 25.2 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 (बअ) में 15.1 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। तथापि, जीडीपी के अनुपात के रूप में, उसी अवधि में राजस्व व्यय 13.0 प्रतिशत से बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है। जहां 2009-10 (बअ) में विकास राजस्व व्यय में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है, वहीं गैर विकास राजस्व व्यय में 23.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2009-10 (बअ) में, मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं,

सारणी III.6: चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली

(गैर योजना राजस्व व्यय के प्रति करेतर राजस्व का अनुपात)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. सामाजिक सेवाएं जिसमें से:										
(क) शिक्षा \$	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	2.6	2.8	1.6	1.6
(ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	5.1	4.7	6.2	4.8
आ. आर्थिक सेवाएँ जिसमें से:										
(क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.5	15.8	15.2
(ख) ईंधन	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	16.7	16.5	17.8	21.8
(ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.6	6.5	5.9	6.9

संअ: संशोधित अनुमान।

बअ: बजट अनुमान।

\$: इसके अलावा खेल, कला और संस्कृति पर खर्च भी शामिल है।

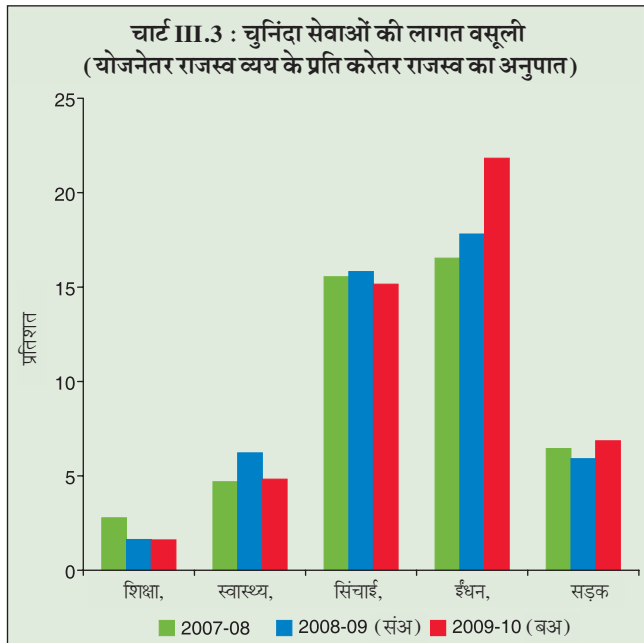
* : चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च शामिल है।

: योजनेतर राजस्व व्यय के लिए गैर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, जबकि करेतर राजस्व के लिए बड़ी, मशीली और लघु सिंचाई से संबंधित है।

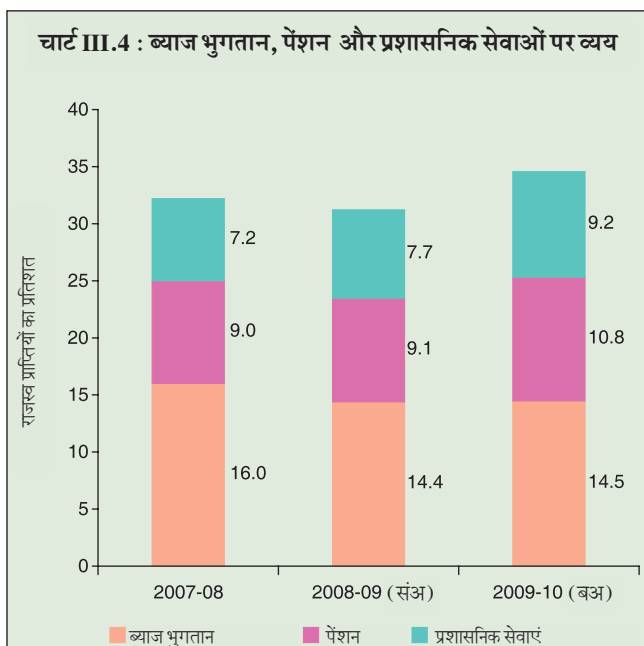
@ : योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़कों और पुलों से संबंधित है, जबकि करेतर राजस्व के लिए सड़क परिवहन से संबंधित है।

नोट: ईंधन क्षेत्र के लिए लेखांकन में राज्य भर में एकरूपता नहीं है, जिसके फलस्वरूप समय-समय पर वर्षों के बीच समायोजन किया गया है। अतः अनुपात उतार-चढ़ाव दिखा सकते हैं। इसके अलावा, ईंधन के तहत राज्यों को एक बार करेतर प्राप्ति हुई है, यथा 2003-04 के दौरान अहलूवाल्या समिति की सिफारिश के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को प्राप्त 2,749 करोड़ रुपए का अनुदान, जिसे 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दिया गया था, को बाहर रखा गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त राशियां जो करेतर स्वरूप की नहीं हैं, यथा उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 2004-05 में 240 करोड़ रु. और उत्तराखंड सरकार के लिए 2004-05 में 134 करोड़ रु. बाहर रखे गए हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित।



जिनमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति तथा चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शामिल हैं, में वृद्धि के कारण विकास राजस्व व्यय के बढ़ने का बजट अनुमान है। तथापि, आवास पर राजस्व व्यय में 2009-10 (बअ) में 30.8 प्रतिशत की गिरावट आने का बजट अनुमान है। आर्थिक सेवाओं में, राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर काफी उच्चतर व्यय करने का बजट अनुमान लगाया है। 2009-10 (बअ) में राजस्व व्यय में लगभग 55.4 प्रतिशत की वृद्धि गैर विकास व्यय में वृद्धि

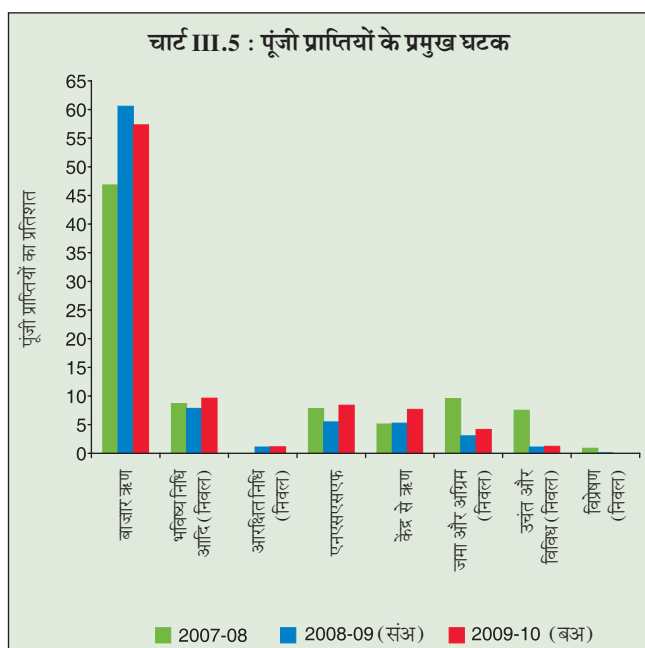


के कारण होगी। वचनबद्ध व्यय, जिनमें पेंशन, प्रशासनिक सेवाएं और ब्याज अदायगी शामिल है, पर होने वाले व्यय में बजट में अनुमानित वृद्धि का गैर विकास व्यय में होने वाली कुल वृद्धि में 78.2 प्रतिशत का अंशदान होगा। राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में वचनबद्धता व्यय 2008-09 (संअ) के 31.2 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 (बअ) में 34.5 प्रतिशत हो जाने का भी बजट अनुमान है (चार्ट III.4)।

पूंजीगत प्राप्तियां

3.21 समेकित स्तर पर, राज्यों ने 2008-09 (संअ) में हुई 31.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में पूंजीगत प्राप्तियों में 20.9 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान लगाया जिसका मुख्य कारण बाजार ऋण तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र से ऋण तथा अल्प बचत और भविष्य निधियां हैं। 2009-10 के दौरान, राज्य सरकारों ने केंद्र से प्राप्त ऋण के लिए पिछले साल के 9,786 करोड़ रुपए (35.0 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में 17,284 करोड़ रुपए का बजट अनुमान [2008-09 (संअ) की तुलना में 76.6 प्रतिशत की वृद्धि] लगाया है। इसी तरह, एनएसएसएफ संबंधी प्राप्तियां 2009-10 (बअ) में 85.0 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान है। अल्प बचत और भविष्य निधि में भी पिछले साल की तुलना में 2009-10 (बअ) में 48.0 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। तथापि, ऋण और अग्रिम की वसूली संबंधी पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले साल हुई 48.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 60.2 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आने का बजट अनुमान है (सारणी III.5 और परिशिष्ट सारणी 5)।

3.22 बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हाल के वर्षों में सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण के लिए बाजार उधार पर राज्य सरकारों की बढ़ती हुई निर्भरता के साथ, राज्यों की कुल पूंजीगत प्राप्तियों में एनएसएसएफ तथा केंद्र से ऋण का हिस्सा घटने के संकेत हैं। तथापि, 2009-10 में उनका हिस्सा उच्चतर, हालांकि थोड़ा, होने का अनुमान है (चार्ट III.5)। जमा और अग्रिम (निवल), जिनमें ब्याजवाही तथा गैर ब्याजवाही जमाराशियां शामिल हैं, में भी 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 में 65.1 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान है जिसका कुल पूंजीगत प्राप्तियों में अंशदान लगभग 10 प्रतिशत होगा। इसके अलावा, कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा के तीन राज्यों ने जमीन बेचकर (विनिवेश द्वारा) पूंजीगत प्राप्तियां जुटाने



का बजट अनुमान लगाया है। 2008-09 में दो राज्य, जिन्होंने विनिवेश (जमीन की बिक्री) के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया था, कुल बजटित राशि का सिर्फ एक तिहाई राशि जुटा सके। ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में 2008-09 (संअ) की तुलना में 58.3 प्रतिशत की कमी होने का बजट अनुमान है।

पूंजीगत व्यय

3.23 जैसा कि पहले की गई चर्चा में उल्लेख किया गया है, आर्थिक मंदी के चरण में प्रतिक्रिया राजकोषीय उपायों की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि सरकारें कर की दरों को कम करके तथा सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती हैं। वैश्विक मंदी के वर्तमान चरण में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमान के अनुसार अब तक घोषित राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों में एक तिहाई राजस्व संबंधी उपाय तथा दो तिहाई व्यय संबंधी उपाय हैं। भारतीय मामले में, वृद्धि की मंद संभावनाओं को देखते हुए, केंद्र ने 2008-09 में जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक तथा 2009-10 में और 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति राज्य सरकारों को प्रदान की। इसका उद्देश्य अतिरिक्त पूंजी निवेश करने तथा देशी सकल मांग बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना था। तथापि, पूंजीगत व्यय के लिए 2009-10 के बजट अनुमानों में ये गतिविधियां प्रदर्शित नहीं होतीं। 2009-10 (बअ) के दौरान, राज्यों के पूंजीगत व्यय में 2008-09

(संअ) में हुई 24.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में 2.5 प्रतिशत वृद्धि होने का बजट अनुमान है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 2008-09 (संअ) के 3.8 प्रतिशत से घटकर 2009-10 (बअ) में 3.5 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 32.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में घटकर 1.9 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजीगत परिव्यय 2008-09 (संअ) के 2.8 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 2.6 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। कुल राशि के रूप में, जहां आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय 2008-09 (संअ) में हुई 28.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2.2 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान है, वहीं सामाजिक सेवाओं पर इसके 2008-09 (संअ) में हुई 49.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 0.3 प्रतिशत कम हो जाने का बजट अनुमान है। इसी तरह, विकास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम में 2008-09 (संअ) में हुई 16.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 में 17.3 प्रतिशत की गिरावट आने का बजट अनुमान है। 2009-10 के दौरान आंतरिक ऋण की चुकौती के लिए राज्य सरकारों ने बजट में जिस राशि का प्रावधान किया है वह पिछले साल की तुलना में 16.0 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार, 2009-10 में राज्य सरकारों का प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय पैटर्न यह नहीं दर्शाता है कि राज्य सरकारों द्वारा मंदी की चिंताओं को कम करने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया प्रयास किया गया हो (सारणी III.7 तथा परिशिष्ट सारणी 6)। वस्तुतः 2009-10 में, कुल राशि के रूप में राज्य सरकारों का समेकित पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कम रहने का बजट अनुमान है। इस प्रकार, पिछले तीन सालों से भिन्न 2009-10 में राजस्व घाटा पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग करने का बजट प्रावधान किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि बजट अनुमानों में काफी संशोधन किए जाने हैं, संशोधित अनुमानों में उभरने वाली स्थिति अलग हो सकती है, बशर्ते अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आए तथा कर वसूलियां बढ़ें और राज्यों की राजस्व खाता स्थिति सुधरे।

केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

3.24 समग्र समष्टि आर्थिक मंदी का प्रभाव केंद्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण पर होगा। केंद्र से संसाधनों (अर्थात् साझायोग्य कर, अनुदान तथा ऋण और अग्रिम) के कुल न्यागमन और अंतरण से स्पष्ट है कि इनमें 2008-09 (संअ) के 26.3 प्रतिशत की तुलना

सारणी III.7: राज्य सरकारों का व्यय पैटर्न

(राशि करोड़ रु. में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	घटबढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)						(संअ)	(बअ)	स्तंभ 8/7	स्तंभ 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल व्यय (1+2 = 3+4+5)	1,22,270 (15.9)	2,33,441 (14.9)	4,37,299 (17.0)	5,61,682 (15.2)	6,57,280 (15.3)	7,52,324 (15.2)	9,40,423 (16.9)	10,55,778 (17.1)	25.0	12.3
1. राजस्व व्यय जिसमें से:	98,009 (12.7)	1,93,816 (12.4)	3,40,752 (13.3)	4,38,034 (11.8)	5,05,699 (11.8)	5,80,805 (11.7)	7,27,165 (13.0)	8,37,238 (13.6)	25.2	15.1
ब्याज भुगतान	13,605 (1.7)	31,421 (2.0)	69,685 (2.7)	84,024 (2.3)	93,180 (2.2)	99,831 (2.0)	1,06,220 (1.9)	1,16,427 (1.9)	6.4	9.6
2. पूंजीगत व्यय जिसमें से:	24,261 (3.2)	39,625 (2.5)	96,547 (3.6)	1,23,648 (3.3)	1,51,582 (3.5)	1,71,520 (3.5)	2,13,259 (3.8)	2,18,540 (3.5)	24.3	2.5
पूँजी परिव्यय	11,893 (1.5)	21,044 (1.4)	41,856 (1.6)	77,559 (2.1)	98,063 (2.3)	1,18,862 (2.4)	1,57,254 (2.8)	1,60,247 (2.6)	32.3	1.9
3. विकास व्यय	81,989 (10.7)	1,45,852 (9.4)	2,39,576 (9.4)	3,30,044 (8.9)	3,92,165 (9.2)	4,64,462 (9.4)	6,13,011 (11.0)	6,59,075 (10.7)	32.0	7.5
4. गैर विकास व्यय	33,734 (4.3)	76,035 (4.8)	1,50,715 (5.9)	1,90,021 (5.1)	2,11,872 (4.9)	2,33,233 (4.7)	2,67,709 (4.8)	3,29,315 (5.3)	14.8	23.0
5. अन्य*	6547 (0.9)	11,554 (0.7)	47,009 (1.7)	41,617 (1.1)	53,243 (1.2)	54,630 (1.1)	59,703 (1.1)	67,388 (1.1)	9.3	12.9

संअ : संशोधित अनुमान। बअ : बजट अनुमान।

*: इसमें केन्द्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण का मोचन, सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन) शामिल है।

नोट: 1. विभिन्न अवधियों के बीच अधिक सार्थक तुलना के लिए 5 साल के औसत दिए गए हैं।
2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
3. पूंजी व्यय में लोक लेखे शामिल नहीं हैं। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

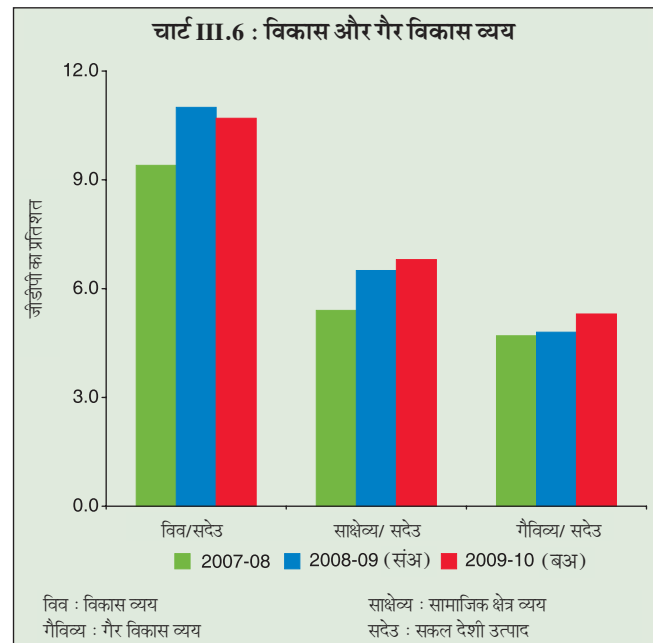
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

में 2009-10 में 10.1 प्रतिशत वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 7)। केंद्र से अनुदानों में होने वाली वृद्धि में मंदी केंद्रीय करों में हिस्से की तुलना में अधिक मुखरित होने का बजट अनुमान है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, केंद्र से सकल न्यागमन और अंतरण 2008-09 (संअ) के 6.1 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2009-10 (बअ) में 6.0 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। 2009-10 (बअ) में, केंद्र से सकल न्यागमन और अंतरण के जरिए 2008-09 (संअ) के 35.9 प्रतिशत की तुलना में राज्यों के कुल संवितरणों के 35.2 प्रतिशत का वित्तपोषण किया जाएगा।

विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय⁴

3.25 जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल विकास व्यय (राजस्व और पूंजीगत दोनों) 2008-09 (संअ) के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 10.7 प्रतिशत पर न्यूनतर रहने का बजट अनुमान है (चार्ट III.6)। कुल विकास व्यय में 2008-09 (संअ) के 32.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 8)। इसके अलावा, राज्यों के

कुल संवितरणों में विकास व्यय का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 65.2 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 62.4 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है (सारणी III.8)।



⁴ आंकड़ा स्रोतों और पद्धति के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें।

सारणी III.8: कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	विकास राजस्व व्यय	विकास पूंजीगत परिव्यय	विकास ऋण और अग्रिम	कुल विकास व्यय
1	2	3	4	5
2007-08	3,37,337 (44.8)	1,13,584 (15.1)	13,540 (1.8)	4,64,462 (61.7)
2008-09 (संअ)	4,45,889 (47.4)	1,51,074 (16.1)	16,048 (1.7)	6,13,011 (65.2)
2009-10 (बअ)	4,92,443 (46.6)	1,53,526 (14.5)	13,106 (1.2)	6,59,075 (62.4)

संअ: संशोधित अनुमान। बअ: बजट अनुमान।

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े कुल व्यय के प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

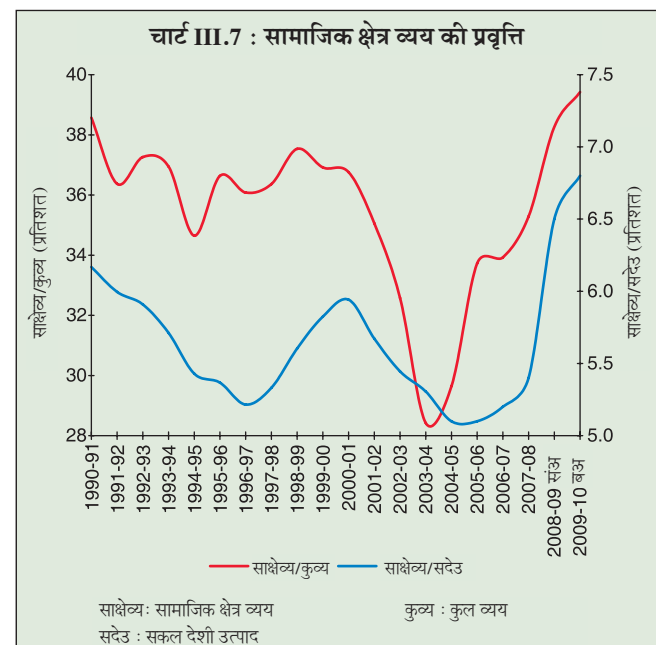
3.26 विकासात्मक व्यय के तहत सभी प्रमुख शीर्षों में, ग्रामीण विकास के अलावा, वृद्धि दर 2009-10 में कम होने का बजट अनुमान है। जबकि गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में 2008-09 (संअ) के 14.8 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 23.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि होने का बजट अनुमान है, वहीं पूंजीगत खाते में यह राशि 2008-09 (संअ) के 13.5 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 (बअ) में 8.8 प्रतिशत पर रखने का प्रस्ताव है। कुल राजस्व व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय भी 2008-09 (संअ) के 31.7 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 (बअ) में 33.2 प्रतिशत पर थोड़ा उच्चतर होने का अनुमान है। प्रतिबद्ध व्यय, जो कुल गैर योजना गैर विकास व्यय का लगभग 87.0 प्रतिशत है, में 2008-09 (संअ) के 14.7 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 9 से 14)।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय⁵

3.27 राज्य स्तर पर सामाजिक क्षेत्र (एसएसई) के व्यय में, विशेष रूप से 2003-04 से, निरंतर वृद्धि हुई है। हालांकि एसएसई में 2008-09 (संअ) के 35.6 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 15.7 प्रतिशत की मामूली दर पर वृद्धि होने का बजट अनुमान है, एसएसई-जीडीपी अनुपात इस अवधि के दौरान 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह, कुल व्यय में एसएसई का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 38.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10

में 39.4 प्रतिशत पर थोड़ा उच्चतर होने का बजट अनुमान है, जो 2000 के दशक की पहली छमाही के औसत की तुलना में काफी अधिक है (चार्ट III.7 और सारणी III.9)।

3.28 सारणी III.10 से यह देखा जा सकता है कि 2008-09 (संअ) के 86.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में कुल एसएसई का लगभग 85.6 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में खर्च होगा, जबकि इसी अवधि में कुल एसएसई में पूंजी परिव्यय की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक होगी। हालांकि, सामाजिक क्षेत्र के व्यय के लिए बजट में प्रावधान किए गए ऋण और अग्रिम का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 2.4 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 1.7 प्रतिशत रह जाएगा (सारणी III.10)। राजस्व और पूंजीगत खाता नामक एसएसई के दोनों घटकों में पिछले साल की तुलना में 2009-10 में धीमी दर से वृद्धि होने का बजट अनुमान है। एसएसई के तहत सामाजिक सेवाओं की सभी प्रमुख श्रेणियों में वृद्धि 2009-10 (बअ) में मंद अथवा कम होने का अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 15)। समस्त सामाजिक सेवाओं (राज्य सरकारों के राजस्व, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सहित) में 2008-09 (संअ) में हुई 36.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2009-10 (बअ) में 10.1 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है। इसके विपरीत, आर्थिक सेवाओं (राज्य



⁵ सामाजिक क्षेत्र व्यय में राजस्व व्यय के तहत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा खाद्य संग्रहण और भंडारण पर व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

सारणी III.9: राज्य सरकारों के सकल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	(औसत)						(संअ)	(बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल/सदेउ	15.9	14.9	17.0	15.2	15.3	15.2	16.9	17.1
साक्षेव्य/सदेउ	5.8	5.5	5.5	5.1	5.2	5.4	6.5	6.8
साक्षेव्य/कुल	36.8	36.7	32.5	33.7	33.9	35.3	38.3	39.4

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

सदेउ: सकल देशी उत्पाद.

कुल: कुल व्यय

साक्षेव्य: सामाजिक क्षेत्र के व्यय

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सरकारों के राजस्व, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सहित) में वृद्धि 2008-09 (संअ) के 29.5 प्रतिशत से दुगुनी होकर 2009-10 में 57.7 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है जिसका कारण ग्रामीण विकास के लिए बजटित खर्च में होनेवाली तीव्र वृद्धि है।

3.29 सामाजिक सेवाओं की संरचना यह दर्शाती है कि 45.5 प्रतिशत के साथ शिक्षा, खेल तथा कला एवं संस्कृति की प्रमुख भूमिका बनी रहेगी, जिसके बाद चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का स्थान है। सामाजिक सेवाओं की प्रमुख श्रेणियों के

सारणी III.10: सामाजिक क्षेत्र व्यय की संरचना की प्रवृत्ति

(सामाजिक क्षेत्र व्यय का प्रतिशत)

मद	राजस्व व्यय	पूँजी परिव्यय	ऋण और अग्रिम	कुल (2+3+4)	मद	राजस्व व्यय	पूँजी परिव्यय	ऋण और अग्रिम	कुल (2+3+4)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औसत)					2006-07				
सामाजिक सेवा	78.9	3.8	2.4	85.1	सामाजिक सेवा	78.3	7.8	1.6	87.7
ग्रामीण विकास	13.6	0.4	—	14.0	ग्रामीण विकास	8.7	2.4	—	11.1
खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.7	0.1	—	0.9	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	-0.1	0.5	1.2
कुल	93.3	4.3	2.4	100.0	कुल	87.7	10.1	2.1	100.0
1995-96 से 1999-00 (औसत)					2007-08				
सामाजिक सेवा	82.2	4.0	2.0	88.2	सामाजिक सेवा	76.8	8.7	2.3	87.7
ग्रामीण विकास	10.2	0.4	—	10.6	ग्रामीण विकास	8.4	2.2	—	10.5
खाद्य संग्रहण और भंडारण	1.1	0.1	0.1	1.2	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	0.4	0.5	1.7
कुल	93.4	4.5	2.1	100.0	कुल	85.9	11.2	2.8	100.0
2000-01 से 2004-05 (औसत)					2008-09 (संअ)				
सामाजिक सेवा	80.8	5.5	2.0	88.3	सामाजिक सेवा	76.7	9.5	2.1	88.3
ग्रामीण विकास	8.7	1.6	—	10.2	ग्रामीण विकास	8.3	1.8	—	10.2
खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	0.5	0.1	1.4	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.9	0.3	0.4	1.5
कुल	90.3	7.6	2.1	100.0	कुल	86.0	11.6	2.4	100.0
2005-06					2009-10 (बअ)				
सामाजिक सेवा	78.4	7.5	1.6	87.5	सामाजिक सेवा	74.4	8.2	1.4	84.0
ग्रामीण विकास	9.3	2.1	—	11.4	ग्रामीण विकास	10.4	4.4	—	14.8
खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.9	0.1	0.2	1.1	खाद्य संग्रहण और भंडारण	0.8	—	0.3	1.2
कुल	88.6	9.6	1.8	100.0	कुल	85.6	12.7	1.7	100.0

साक्षेव्य: सामाजिक क्षेत्र के व्यय.

‘—’: शून्य/नगण्य.

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

नोट: आंकड़ों के समेकन के कारण हो सकता है कि जोड़ मेल न खाए।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी III.11: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व और पूंजी लेखा) - संरचना

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
	मद							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (क से ठ तक)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	52.2	52.4	51.4	48.2	47.0	44.7	42.6	45.5
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.4	10.9	10.6	10.8
(ग) परिवार कल्याण	—	2.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	7.3	7.5	7.7	8.2	7.9	8.2	7.0	6.6
(ङ) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	2.7	3.8	4.2	2.4
(च) शहरी विकास	2.3	2.6	3.7	4.2	5.7	7.2	8.9	8.6
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	6.9	7.1	7.3	6.3
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.7	7.8	8.9	9.3
(ञ) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.9
(ट) प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	2.6	2.9	3.8	5.2	4.0	2.9	3.2	1.6
(ठ) अन्य	2.5	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.0	2.2

संअ : संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान

‘-’: उपलब्ध नहीं.

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बीच, कुल सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति; चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य; तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के संबंधित हिस्सों में 2009-10 के दौरान वृद्धि होने का बजट अनुमान है, जबकि शहरी विकास, जल आपूर्ति और सफाई; अजा, अजजा और ओबीसी के कल्याण; आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च में कमी दर्ज किए जाने का अनुमान है (सारणी III.11)।

परिचालन और रखरखाव तथा मजदूरी और वेतन पर व्यय

3.30 राज्य सरकारें आम तौर पर प्रशासन, पर्यवेक्षण, परिचालन, रखरखाव, परिरक्षण और भौतिक आस्तियों के संरक्षण पर खर्च करती हैं। हालांकि बारहवें वित्त आयोग ने आस्तियों के रखरखाव पर खर्च का स्तर बढ़ाने पर बल दिया तथा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुदान की भी सिफारिश की, तथापि कुल राजस्व व्यय में परिचालन एवं रखरखाव संबंधी खर्च का अनुपात 2007-08 (लेखा) तथा 2008-09 (संअ) में से प्रत्येक के 9.3 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 6.8 प्रतिशत रह जाएगा। तथापि, राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में मजदूरी एवं वेतन का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 29.3 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 32.6 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है (सारणी III.12)। 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मजदूरी और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका कारण अधिकांश बड़ी राज्य सरकारों द्वारा छोटे सीपीसी/एसपीसी का कार्यान्वयन है।

3.31 पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से राज्य स्तर पर जीडीपी का लगभग 1.2 प्रतिशत कुल अतिरिक्त व्यय अपेक्षित था। वर्तमान में, 2008-09 में कुछ राज्यों में छोटे सीपीसी/एसपीसी के पूर्ण/आंशिक कार्यान्वयन के बावजूद राज्य सरकारों ने उस वर्ष लगभग 0.2 प्रतिशत राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जो 1990 के दशक के उत्तरार्ध की उस स्थिति से भिन्न था, जब राज्यों के अपने राजस्व स्थिर बने हुए थे, केंद्रीय अंतरण की मात्रा कम हो रही थी तथा ब्याज भुगतान में स्थिरतापूर्वक वृद्धि हो रही थी। अतः प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (जुलाई 2008) के अनुसार, वेतन संशोधन के राजकोषीय प्रभाव को आत्मसात करने के लिए राज्य सरकारें अधिक बेहतर स्थिति में हैं। हाल के वर्षों में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार को स्वीकार करते हुए, छोटे सीपीसी/एसपीसी ने भी यह पाया कि अधिकांश राज्य सरकारें अतिरिक्त व्यय पूरा करने की स्थिति में होंगी (एसपीसी रिपोर्ट, मार्च 2008)। तथापि, 2009-10 में मंदी के कारण राज्य वित्त में प्रत्याशित गिरावट को देखते हुए, जो शायद अस्थायी थी, राज्यों को यथासंभव अनावश्यक राजस्व व्यय कम करके बेहतर व्यय प्रबंधन पर फोकस करना होगा तथा और अधिक राजस्व स्रोतों की तलाश करनी होगी। इसके अलावा, 2010-15 की अवधि के लिए बारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय का असर छोटे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों के कारण खर्च में होनेवाली वृद्धि को आत्मसात करने संबंधी राज्य सरकारों की क्षमता पर भी पड़ेगा।

**सारणी III.12: राज्य सरकारों के प्रशासनिक व्यय -
मजदूरी और वेतन तथा संचालन और रखरखाव**

वर्ष	मजदूरी और वेतन			संचालन और रखरखाव		
	राशि (करोड़ रु.)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सदेउ का प्रतिशत	राशि (करोड़ रु.)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सदेउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.0
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,673	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	58,282	34.4	3.8	14,872	9.5	1.0
1998-99	71,234	35.6	4.1	17,710	9.6	1.0
1999-00	86,285	36.4	4.4	17,522	8.2	0.9
2000-01	94,507	39.1	4.5	19,529	8.1	0.9
2001-02	93,009	36.3	4.1	19,591	7.6	0.9
2002-03	94,717	35.1	3.9	22,438	8.3	0.9
2003-04	98,741	32.0	3.6	25,464	8.3	0.9
2004-05	1,03,924	31.1	3.2	29,164	8.8	0.9
2005-06	1,04,158	29.1	2.8	33,976	9.5	0.9
2006-07	1,16,431	27.5	2.7	41,807	9.8	1.0
2007-08	1,16,983	28.4	2.4	38,439	9.3	0.8
2008-09 (संअ)	1,51,272	29.3	2.7	47,851	9.3	0.9
2009-10 (बअ)	1,92,568	32.6	3.1	40,132	6.8	0.7

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

नोट : 1. विवरण 44 और 45 राज्यवार ब्यौरे प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या अलग-अलग है।
2. राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आंकड़े (स्तंभ 3 और 6) उस वर्ष शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

3.32 राजकोषीय तनाव, जो पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद शिखर पर पहुंच गया था, बाद में मुख्य रूप से कर वसूली में सुधार तथा ब्याज दरों में नरमी के कारण कम हो गया। अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय बाधा दूर करने का प्रयास करते हुए, सरकार कर आधार बढ़ाने तथा कर एवं करेतर दरों में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। तथापि, छठे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों को लागू करने संबंधी कई राज्य सरकारों के निर्णय तथा बकाया राशियां अदा करने की सहमति के कारण, 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में राज्य वित्त की स्थिति में तनाव दिखने लगा है (बॉक्स III.5)।

राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

3.33 जहां तक 2009-10 के लिए राज्य सरकारों के अनुमोदित योजना परिव्यय का संबंध है, यह 2,53,615 करोड़ रुपए था जो 2008-09 के 5.0 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत है। गैर विशेष श्रेणियों पर परिव्यय कुल अनुमोदित पूंजीगत परिव्यय के लगभग 90 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों के बीच, उत्तर प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान का हिस्सा राज्य सरकारों के

कुल पूंजीगत परिव्यय का लगभग 50 प्रतिशत है। योजना परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे विवरण 30 में दिए गए हैं।

5. मूल्यांकन

समेकित स्थिति

3.34 राज्यों की समग्र वित्तीय स्थिति में 2007-08 (लेखा) तक अत्यधिक सुधार दिखाई दिया जैसा कि प्रमुख राजकोषीय संकेतकों से स्पष्ट है (सारणी III.13 तथा चार्ट III.8)। राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानून बनने से राज्य स्तर पर राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में मदद मिली। इसके अलावा, राज्य स्तर पर राजकोषीय समेकन निम्नलिखित के समर्थन से भी प्राप्त किया गया - अपने राजस्व में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था की समग्र सुदृढ़ वृद्धि के फलस्वरूप केंद्र सरकार से उच्चतर संसाधन अंतरण, ऋण स्वैप योजना के कारण राज्यों की ब्याज दर अदायगी में गिरावट तथा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ऋण समेकन और राहत सुविधा। तथापि, अर्थव्यवस्था की मंद आर्थिक स्थितियों के कारण 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया में अस्थायी विराम प्रतीत होता है।

बॉक्स III.5 : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) / राज्य वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों का कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के वित्त

केंद्र सरकार ने 2006 के मध्य में छठे वेतन आयोग का गठन किया और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार ने कर दिया है और 2008-09 में उसका अनुमानित प्रभाव 28,505 करोड़ रुपए (सकल देशी उत्पाद का 0.53 प्रतिशत) है। समेकित स्तर पर राज्य सरकारों के इसी तरह के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए भी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग/राज्य के अपने वेतन आयोग (एसपीसी) के कार्यान्वयन की घोषणा पहले ही कर दी है। राजस्थान छठे सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। अन्य राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने उनके अपने वेतन आयोगों का गठन किया है, पश्चिम बंगाल अपने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा, जबकि कर्नाटक और पंजाब अपने वेतन आयोग की सिफारिशें पहले से ही लागू कर चुके हैं।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)/राज्यों के अपने वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

छठे सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने वाले राज्य	राज्यों के अपने वेतन आयोग	टिप्पणियां
अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और केरल	आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक	तमिलनाडु ने छठे सीपीसी की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की, जबकि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण कार्यान्वयन के पहले एक अंतरिम राहत की पेशकश की।

छठे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों के अनुरूप वेतन संशोधन के प्रावधान ने राज्यों के लिए अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। समेकित स्तर पर कुल वेतन और पेंशन संबंधी प्रतिबद्धताओं का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। सीपीसी का पूर्ण

प्रभाव 2009-10 से शुरू होने वाले राज्य सरकारों के बजटों द्वारा महसूस किए जाने का अनुमान है। अतः अभी राज्यों के वित्त पर छठे सीपीसी/एसपीसी के अधिनिर्णय के सटीक प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि राज्यों के बीच इसके कार्यान्वयन में न तो एकरूपता है और न ही इसे पूरा किया गया है। हालांकि, राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का हिस्सा 2008-09 (संअ) के 29.3 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 32.6 प्रतिशत हो जाने का बजट अनुमान है। राज्य सरकार के स्तर पर छठे सीपीसी/एसपीसी के अधिनिर्णय को लागू करने के संबंध में कुछ राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वेतन और पेंशन, बकाया राशि और अंतरिम राहत में वृद्धि के कारण 2009-10 के लिए अनुमान उस वर्ष में सकल देशी उत्पाद के 0.85 प्रतिशत के आसपास है।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पांचवें सीपीसी की सिफारिशों के कारण राज्य के स्तर पर सकल देशी उत्पाद का लगभग 1.2 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च अपेक्षित हो गया। पांचवें सीपीसी के संदर्भ में विशेष रूप से राज्यों के लिए वेतन और पेंशन भुगतान के स्तर में पर्याप्त वृद्धि की वजह से बने हुए असंतुलन को ध्यान में रखते हुए, बारहवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि हर दस साल में वेतन आयोग के गठन की कोई जरूरत नहीं है तथा उसने व्याज भुगतान और पेंशन को घटाकर राजस्व व्यय के प्रति वेतन व्यय के अनुपात का लक्ष्य 35 प्रतिशत पर रखा जो 1996-97 के उसके औसत स्तर के अनुरूप है। वर्तमान में, यह माना जाता है कि पिछले तीन साल राजस्व अधिशेष होने के कारण वेतन संशोधन के राजकोषीय प्रभाव को अवशोषित करने के लिए राज्य बेहतर स्थिति में हैं। 2009-10 में राज्य वित्त में अनुमानित स्लिपिज को देखते हुए राज्यों को व्यर्थ व्यय को कम करने तथा राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

संदर्भ:

1. भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट।
2. संबंधित राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, 2009-10।

3.35 एक विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि 2007-08 (लेखा) तथा 2009-10 (बअ) के बीच राजस्व खाते में आयी गिरावट पूर्णतः राजस्व व्यय-जीडीपी अनुपात 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो जाने का परिणाम है। जहां तक 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 में राजस्व खाते में आयी गिरावट का संबंध है, ऐसा अनुमान है कि इस गिरावट का लगभग 75 प्रतिशत जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में हुई वृद्धि का परिणाम है जबकि राजस्व खाते में कुल गिरावट के 25 प्रतिशत के लिए केंद्रीय अंतरण में आई गिरावट (जीडीपी के रूप में) जिम्मेवार है। जैसा कि पूर्वोक्त चर्चा में उल्लेखित है, समेकित स्तर पर राज्य सरकारों ने 2008-09 (संअ) के 10,701 करोड़ रुपए के अधिशेष की तुलना में 2009-10 में 32,295 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का बजट अनुमान लगाया है। पूंजीगत परिव्यय में थोड़ी वृद्धि तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में आई उल्लेखनीय गिरावट के साथ राजस्व घाटा पुनः

होने से सकल राजकोषीय घाटा 2009-10 (बअ) में बढ़कर 1,99,510 करोड़ रुपए हो जाएगा जो जीडीपी का 3.2 प्रतिशत (2008-09 (संअ) में जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) है।

घाटों की राज्यवार स्थिति

3.36 राज्य वित्त पर समष्टि आर्थिक मंदी का असर सभी राज्यों में हुआ प्रतीत होता है। 28 राज्यों में से, जिन राज्यों ने 2009-10 में राजस्व घाटा होने का बजट अनुमान लगाया है उनकी संख्या बढ़कर 14 (2008-09 में 4 राज्य) हो गयी है तथा 10 और राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति से 2009-10 (बअ) में राजस्व घाटे की स्थिति में चले गए हैं। इसके अलावा, 9 और राज्यों ने 2008-09 (संअ) की तुलना में न्यूनतर राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान लगाया है। जहां तक सकल राजकोषीय घाटे का संबंध है, 18 राज्य 2007-08 में अपना जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत के नीचे रखने में समर्थ

सारणी III.13: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष		प्राथमिक घाटा	
1	2		3		4		5	
1999-00	54,549	(2.8)	90,099	(4.6)	9,907	(0.5)	45,458	(2.3)
2000-01	55,316	(2.6)	87,923	(4.2)	4,331	(0.2)	36,937	(1.8)
2001-02	60,398	(2.7)	94,260	(4.1)	-1,198	(-0.1)	32,665	(1.4)
2002-03	57,179	(2.3)	99,726	(4.1)	-11,848	(-0.5)	30,699	(1.3)
2003-04	63,407	(2.3)	120,631	(4.4)	-16,989	(-0.6)	40,235	(1.5)
(पावर बांडों को घटाकर)			94,086	(3.4)				
2004-05	39,158	(1.2)	1,07,774	(3.3)	-47,263	(-1.5)	21,353	(0.7)
2005-06	7,013	(0.2)	90,084	(2.4)	-77,011	(-2.1)	6,060	(0.2)
2006-07	-24,857	(-0.6)	77,508	(1.8)	-1,18,037	(-2.8)	-15,672	(-0.4)
2007-08	-42,943	(-0.9)	75,455	(1.5)	-1,42,773	(-2.9)	-24,376	(-0.5)
2008-09 (संअ)	-10,701	(-0.2)	1,46,349	(2.6)	-1,16,921	(-2.1)	40,128	(0.7)
2009-10 (बअ)	32,295	(0.5)	1,99,510	(3.2)	-84,132	(-1.4)	83,083	(1.3)

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

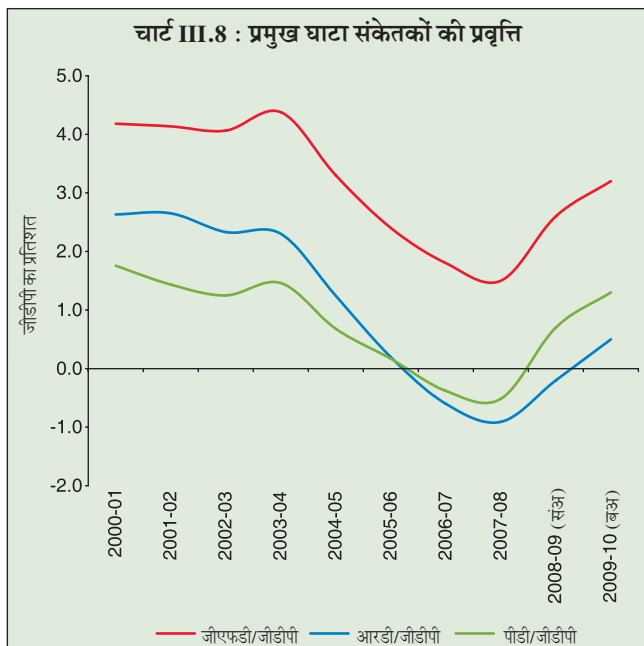
नोट : 1. ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष को दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

3. राज्य सरकारों ने राज्य बिजली बोर्डों की देय राशियों के लिए एक बार की निपटान योजना के तहत सीपीएसयू को 2003-04 के दौरान 28,984 करोड़ रु. की राशि के पावर बांड जारी किए थे।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

हुए। तथापि, जिन राज्यों का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत के नीचे है उनकी संख्या घटकर 2008-09 (संअ) में 9 तथा 2009-10 (बअ) में 6 रह गयी। संक्षेप में, 28 राज्यों में से 22 राज्यों ने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3 प्रतिशत के एफआरएल लक्ष्य के ऊपर होने का बजट अनुमान लगाया है।



3.37 गैर विशेष श्रेणी के राज्य 2009-10 (बअ) के दौरान घाटा संकेतकों में गिरावट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। राज्यों के राजस्व खाते में कुल गिरावट के 77.7 प्रतिशत के लिए तथा 2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ) में जीएफडी में वृद्धि के 81.8 प्रतिशत के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्य जिम्मेवार हैं। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राजस्व खाते में आई कुल गिरावट के 89.2 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार हैं। तथापि, सिर्फ दो राज्य अर्थात् असम और अरुणाचल प्रदेश ने विशेष श्रेणी के राज्यों के राजस्व घाटे में आई कुल गिरावट के 95 प्रतिशत के लिए बजट प्रावधान किया है। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच, जीएफडी में 2009-10 में हुई 43,481 करोड़ रुपए की तेज वृद्धि में महाराष्ट्र (10,342 करोड़ रु.), पश्चिम बंगाल (10,290 करोड़ रु.), आंध्र प्रदेश (5,724 करोड़ रु.) तथा हरियाणा (4,849 करोड़ रु.) के जीएफडी में हुई वृद्धि का अंशदान अनुमानित है। तथापि, विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में असम प्रमुख अंशदाता है जिसके जीएफडी में 8,687 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जो विशेष श्रेणी के राज्यों के जीएफडी में हुई कुल वृद्धि का 89.7 प्रतिशत है (सारणी III.14)।

सारणी III.14: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे में राज्यवार सुधार -2008-09 (संअ) की तुलना में 2009-10 (बअ)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2008-09 (संअ) की तुलना में सुधार (करोड़ रु.)	कुल के प्रति प्रतिशत	2008-09 (संअ) की तुलना में सुधार (करोड़ रु.)	कुल के प्रति प्रतिशत
1	2	3	4	5
अ. गैर विशेष श्रेण				
1. आंध्र प्रदेश	-340	-1.0	5,724	13.2
2. बिहार	-2,688	-8.0	-3,798	-8.7
3. छत्तीसगढ़	242	0.7	309	0.7
4. गोवा	431	1.3	493	1.1
5. गुजरात	4,182	12.5	1,788	4.1
6. हरियाणा	3,439	10.3	4,849	11.2
7. झारखंड	905	2.7	481	1.1
8. कर्नाटक	-384	-1.1	-863	-2.0
9. केरल	-721	-2.2	-634	-1.5
10. मध्य प्रदेश	1,471	4.4	1,065	2.4
11. महाराष्ट्र	11,386	34.1	10,342	23.8
12. उड़ीसा	3,129	9.4	3,443	7.9
13. पंजाब	2,422	7.2	2,804	6.4
14. राजस्थान	1,126	3.4	1,871	4.3
15. तमिलनाडु	1,032	3.1	2,575	5.9
16. उत्तर प्रदेश	2,532	7.6	2,742	6.3
17. पश्चिम बंगाल	5,262	15.7	10,290	23.7
कुल (अ)	33,429	100.0	43,481	100.0
आ. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	1,120	11.7	103	1.1
2. असम	8,092	84.6	8,687	89.7
3. हिमाचल प्रदेश	74	0.8	-272	-2.8
4. जम्मू और कश्मीर	-1,272	-13.3	-120	-1.2
5. मणिपुर	180	1.9	-66	-0.7
6. मेघालय	304	3.2	489	5.1
7. मिजोरम	61	0.6	-160	-1.7
8. नागालैंड	-372	-3.9	-130	-1.3
9. सिक्किम	170	1.8	112	1.2
10. त्रिपुरा	396	4.1	522	5.4
11. उत्तराखण्ड	813	8.5	514	5.3
कुल (आ)	9,567	100.0	9,680	100.0
महा योग (अ + आ)	42,996	100.0	53,161	100.0
ज्ञापन मर्दे:				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1,784	-	-1345	-
2. पुदुचेरी	-587	-	-213	-

संअ : संशोधित अनुमान. बअ : बजट. अनुमान.

‘-’ : लागू नहीं.

नोट: ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में सुधार दर्शाता है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सकल राजकोषीय घाटे का विसंयोजन और वित्तपोषण

3.38 राजस्व खाता अधिशेष की स्थिति से 2009-10 (बअ) में घाटे की स्थिति में आने के साथ, 2009-10 में जीएफडी में संरचनात्मक बदलाव आया। जहां 2008-09 (संअ) में राजस्व खाते में मौजूद अधिशेष के द्वारा 7.3 प्रतिशत तक जीएफडी का वित्तपोषण किया गया, ऐसी सुखद स्थिति 2009-10 में नहीं रहेगी। 2009-10 में राजस्व घाटा पुनः वापस आने का अंशदान जीएफडी में 16.2 प्रतिशत होगा। 2009-10 में, जहां पूंजीगत परिव्यय जीएफडी के प्रमुख घटक के रूप में बना रहेगा, वहीं जीएफडी में इसका हिस्सा कम होने का बजट अनुमान है। निवल उधार में वृद्धि तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में गिरावट भी 2009-10 (बअ) में जीएफडी की मात्रा को गंभीर बना देगी (सारणी III.15 तथा परिशिष्ट सारणी 16)।

3.39 हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के पैटर्न में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण

सारणी III.15: सकल राजकोषीय घाटे का विसंयोजन और वित्तपोषण पैटर्न -2007-08 (लेखा) से 2009-10 (बअ)

(सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत)

मद	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4
विसंयोजन (1 +2 +3-4)	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	-56.9	-7.3	16.2
2. पूंजीगत परिव्यय	157.5	107.5	80.3
3. निवल ऋण	8.6	3.5	4.6
4. ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	9.2	3.6	1.1
वित्तपोषण (1 से 11)	100.0	100.0	100.0
1. बाजार उधार	71.5	68.6	57.9
2. केंद्र से ऋण	-1.2	1.3	4.7
3. एनएसएसएफ / अल्प बचत को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7.8	2.1	4.5
4. एलआईसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	8.3	6.2	4.2
5. अल्प बचत, पी.एफ., आदि	16.4	10.0	10.8
6. आरक्षित निधि	-7.8	1.4	1.3
7. जमा और अग्रिम	18.0	3.9	4.7
8. उच्च और विविध	5.0	-2.2	0.2
9. विप्रेषण	1.7	0.1	-
10. अन्य	-1.7	-2.5	-1.2
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-17.8	11.2	12.9

बअ : बजट अनुमान. संअ : संशोधित अनुमान.

नोट: 1. परिशिष्ट सारणी 17 की टिप्पणियां देखें।

2. ‘अन्य’ में मुआवजा और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अन्तरराज्यीय निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

उल्लेखनीय बदलाव आया है: (i) केंद्र से राज्य सरकारों को दिए गए ऋण को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें; और (ii) एनएसएसएफ के तहत वसूलियों में गिरावट। फलस्वरूप, विगत वर्षों में एनएसएसएफ से लिए गए उधार और केंद्र से लिए गए ऋण की प्रमुखता की तुलना में 2007-08 से बाजार उधार जीएफडी की प्रमुख वित्तपोषक मदों के रूप में उभरे। बाजार उधार, जिनसे 2008-09 (संअ) में जीएफडी के दो तिहाई से अधिक का वित्तपोषण किया गया, से 2009-10 (बअ) में कुल जीएफडी के लगभग 57.9 प्रतिशत का वित्तपोषण होगा। राज्य सरकारों ने 2008-09 (संअ) के 1,00,452 करोड़ रुपये की तुलना में 2009-10 में 1,15,484 करोड़ रुपये के समेकित बाजार उधारों के लिए बजट प्रावधान किया है। इस तथ्य के बावजूद कि बारहवें वित्त आयोग ने केंद्र से ऋणों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर बल दिया है, इन ऋणों के 2008-09 (संअ) के 1,921 करोड़ रुपये की तुलना में 2009-10 में 9,291 करोड़ रुपये पर उच्चतर होने का बजट अनुमान है। केंद्र से ऋण 2008-09 (संअ) के 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में कुल जीएफडी के 4.7 प्रतिशत को कवर करेंगे। एनएसएसएफ को जारी अल्प बचतों, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों का हिस्सा भी 2009-10 में थोड़ा बढ़ने का बजट अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 17 और 18)।

बजट संबंधी आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट

3.40 केंद्रीय बजट तथा राज्य बजट द्वारा प्रदान किए गए बजट संबंधी आंकड़ों में व्यापक घटबढ़ बना हुआ है। आम तौर पर, राज्य सरकारें केंद्र से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान एवं ऋण तथा एनएसएसएफ के प्रवाहों के बारे में अति-अनुमान लगाती हैं, जबकि केंद्रीय करों में हिस्से के बारे में वे न्यून-अनुमान लगाती हैं। तथापि, 2009-10 (बअ) में, राज्य बजटों में एनएसएसएफ प्रवाहों के बारे में अति-अनुमान लगाया गया है। इसके विपरीत, राज्य सरकारें केंद्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में केंद्रीय बजट (2009-10) में प्रस्तावित राशि से अधिक राशि प्राप्त करने की आशा कर रही हैं (सारणी III.16)।

3.41 केंद्र से प्राप्त होने वाले कुल संसाधनों के अति-अनुमान की मात्रा पिछले सालों की तुलना में काफी उच्चतर प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए यदि केंद्रीय करों में हिस्सा तथा सहायता अनुदान के रूप में 50,194 करोड़ रुपये (जीडीपी के 0.8 प्रतिशत) की अति-अनुमानित राशि केंद्र से प्राप्त नहीं होती है, तो इससे अन्य स्थितियां सामान्य रहने पर 2009-10 के दौरान राज्यों का समेकित राजस्व घाटा उस सीमा तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार 2009-10 में समेकित राजस्व घाटा 82,489 करोड़ रुपये होगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बजट अनुमानों के बीच इस प्रकार के व्यापक घटबढ़ का असर राज्य वित्त पर पड़ेगा। तथापि, विगत दो वर्षों के अनुभव यह दर्शाते हैं कि राज्य बजट अनुमानों

सारणी III.16: बजटीय डेटा घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2007-08 (बअ)			2008-09 (बअ)			2009-10 (बअ)		
	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र से साझायोग्य कर	1,36,184	1,42,450	-6,267 (-4.4)	1,73,147	1,78,765	-5,618 (-3.1)	1,85,720	1,64,362	21,358 (13.0)
2. सहायता अनुदान	1,17,320	99,583	17,737 (17.8)	1,43,030	1,18,901	24,129 (20.3)	1,68,683	1,39,847	28,836 (20.6)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	6,485	2,984	3,501 (117.3)	6,942	1,479	5,463 (369.3)	9,291	3,093	6,199 (200.4)
4. एनएसएसएफ (निवल)	53,679	46,990	6,689 (14.2)	22,044	18,626	3,418 (18.4)	9,026	11,744	-2,718 (-23.1)

बअ : बजट अनुमान

*: ऋणात्मक (-)/धनात्मक (+) संकेत से केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य बजटों में न्यून-अनुमान/अति-अनुमान अभिप्रेत है।

नोट: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बजट दस्तावेज।

की तुलना में 2007-08 (लेखा) तथा 2008-09 (संअ) में केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त राशियां न्यून-अनुमानित साबित हुई, जबकि केंद्र से सहायता अनुदान संबंधी उक्त राशि अति-अनुमानित साबित हुई। इसे देखते हुए, केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में तथा सहायता अनुदान के रूप में केंद्र से प्राप्त कुल संसाधन 2007-08 (लेखा) तथा 2008-09 (संअ) में लगाए गए उनके बजट अनुमानों की तुलना में सिर्फ थोड़ा कम थे। यदि यही पैटर्न 2009-10 में जारी रहता है, तो राज्य सरकारों की समग्र राजस्व प्राप्तियों पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। तथापि, यह केंद्र से राजस्व वसूली तथा अर्थव्यवस्था की समग्र समष्टि आर्थिक स्थितियों पर निर्भर होगा।

3.42 केंद्रीय बजट 2009-10 के आंकड़ों को समयोजित करते हुए, 2009-10 में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2,49,704 करोड़ रुपए (जीडीपी के 4.1 प्रतिशत) पर उच्चतर होगा। 2009-10 (बअ) के दौरान जीएफडी के वित्तपोषण के संबंध में, केंद्र से ऋण तथा बाजार उधार के संबंध में क्रमशः 6,199 करोड़ रुपए (66.7 प्रतिशत) तथा 13,025 करोड़ रुपए (11.3 प्रतिशत) का अति-अनुमान लगाया गया है, जबकि विशेष प्रतिभूतियों के प्रति ऋण के बारे में 2,718 करोड़ रुपए (30.1 प्रतिशत) का न्यून-अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट के साथ राज्य बजटों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि समग्र घाटे का स्तर मुख्य रूप से राजस्व

सारणी III.17: सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) - 2009-10 (समायोजित)

(राशि करोड़ रु. में)

मद	2009-10 (बअ)		घटबढ़	
	राज्य बजट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय (जीएफडी)	1,99,510 (100.0)	2,49,704 (100.0)	50,194	25.2
1. बाजार उधार *	1,15,484 (57.9)	1,02,459 (41.0)	-13,025	-11.3
2. केंद्र से ऋण @	9,291 (4.7)	3,093 (1.2)	-6,199	-66.7
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	9,026 (4.5)	11,744 (4.7)	2,718	30.1
4. भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	8,462 (4.2)	8,462 (3.4)	—	—
5. अल्प बचत और भविष्य निधि, आदि	21,617 (10.8)	21,617 (8.7)	—	—
6. आरक्षित निधियां	2,554 (1.3)	2,554 (1.0)	—	—
7. जमा और अग्रिम	9,354 (4.7)	9,354 (3.7)	—	—
8. उचत और विविध	433 (0.2)	433 (0.2)	—	—
9. विप्रेषण	3 (0.0)	3 (0.0)	—	—
10. अन्य	-2,435 (-1.2)	-2,435 (-1.0)	—	—
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	25,721 (12.9)	75,915 (30.4)	50,194	195.2

*: आंकड़ों को 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम के तहत आबंटन के अनुसार समायोजित किया गया है।

बअ : बजट अनुमान. '—': शून्य

@: आंकड़ों को 2009-10 के केंद्रीय बजट के अनुसार समायोजित किया गया है।

नोट: 1. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत हैं।

2. 'अन्य' में मुआवजा और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अन्तरराज्यीय निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज और रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

घाटे में वृद्धि के कारण 75,915 करोड़ रुपए पर उच्चतर होगा (सारणी III.17)।

6. निष्कर्ष :

3.43 समेकित स्तर पर, राज्य सरकारों ने 2007-08 के संशोधित अनुमानों के लेखों में रूपांतरित होने पर प्रमुख घाटा संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा। जहां राजस्व खाते पर अधिशेष कुल राशि के रूप में लगभग दुगुना हो गया, वहीं जीएफडी में संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, आर्थिक मंदी और उसके साथ राजस्व वृद्धि की गति में आई कमी के कारण राज्य वित्त में देखे गए राजकोषीय सुधार और समेकन को 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 में झटका लगा। यह स्पष्ट है कि 2007-08 तक देखा गया कर राजस्व का उछाल 2008-09 (संअ) में प्राप्त नहीं हो सका। फलस्वरूप, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष 2007-08 (लेखा) के 0.9 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 (संअ) में 0.2 प्रतिशत रह गया तथा जीएफडी-जीडीपी अनुपात 1.5 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। 2008-09 (संअ) में राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में देखे गए गतिरोध की स्थिति के 2009-10 में और बिगड़ने का

अनुमान है जैसाकि बजट अनुमानों से स्पष्ट है। जहां राजस्व खाता घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है, वहीं जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.2 प्रतिशत होना अनुमानित है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां (आरआर-जीडीपी) 2008-09 (संअ) के 13.2 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 13.1 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान है। राज्यों की अपनी राजस्व वसूलियों में होनेवाली वृद्धि के 2009-10 में घट जाने का भी बजट अनुमान है। कुल मिलाकर, केंद्र से राज्यों को अंतरित राशि 2008-09 (संअ) में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 5.7 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान लगाया गया है। मांग को पुनर्जीवित करने के लिए, कुछ राज्य सरकारों ने निवेश करने के लिए समर्पित उत्प्रेरणा पैकेजों की घोषणा की है, परंतु 2009-10 (बअ) में राज्य सरकारों के समेकित पूंजी परिव्यय में वृद्धि का कोई संकेत नहीं है। कुल विकास व्यय-जीडीपी अनुपात 2008-09 (संअ) के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 10.7 प्रतिशत पर न्यूनतर रहने का बजट अनुमान है जहां तक जीएफडी के वित्तपोषण का संबंध है, जहां बाजार उधार राशियों से 2008-09 (संअ) में जीएफडी के दो-तिहाई से अधिक का वित्तपोषण किया गया था, वहीं 2009-10 (बअ) में इससे कुल जीएफडी के लगभग 57.9 प्रतिशत का वित्तपोषण किया जाएगा।

IV

राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार विश्लेषण

विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के राज्यवार विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि 2005-08 की आरंभिक अवधि की तुलना में 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में अधिकतर राज्य राजस्व शेष में क्षरण और सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के स्तर में वृद्धि से जूझ रहे थे। राज्य बजट दस्तावेज के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राजकोषीय पारदर्शिता की अपर्याप्तता सभी राज्यों में थी। राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे राजस्व में वृद्धि और व्ययों को सीमित करने के उपाय करके शीघ्र ही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

1. परिचय

4.1 इस अध्याय में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 के संशोधित अनुमानों पर मुख्य रूप से फोकस करते हुए राजकोषीय स्थिति का राज्यवार मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। 2009-10 के लिए बजट अनुमानों से उभरनेवाली तसवीर के संदर्भ में राज्यवार मूल्यांकन भी किया गया है। यह विश्लेषण 3 प्रमुख श्रेणियों पर केंद्रित है, जिन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) घाटे के संकेतक; (ii) राजस्व वृद्धि; और (iii) व्यय प्रबंधन। अधिकांश राजकोषीय संकेतकों को सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी)⁶ के रूप में वर्तमान मूल्यों पर व्यक्त किया गया है जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। 2007-08 के लिए 3 राज्यों, 2008-09 के लिए 8 राज्यों और 2009-10 के लिए 10 राज्यों से राज्यवार जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। इन राज्यों के लिए जीएसडीपी की गणना पिछले 3 वर्षों की संबंधित औसत जीएसडीपी वृद्धि दरों के आधार पर की गई है। राज्यों को गैर विशेष और विशेष श्रेणी में बांटा गया है। दो संघ राज्यों, जहां विधान सभाएं अवस्थित हैं, अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और पुदुचेरी को भी सारणियों में ज्ञापन मद के रूप में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के संबंध में विस्तृत राज्यवार आंकड़े विवरण 1 से 57 तक में दर्शाए गए हैं।

4.2 जहां तक राजकोषीय निष्पादन का संबंध है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने राजकोषीय और राजस्व घाटों को हाल के

वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से कम करने में सफल रही हैं। जहां तक राजकोषीय सुधार समेकन प्रक्रिया का संबंध है, राज्यों के वित्त में महत्वपूर्ण रूप से सुधार प्रदर्शित हुआ है और वे केंद्र सरकार से कहीं आगे हैं। तथापि राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को 2008-09 तथा 2009-10 में आई आर्थिक मंदी के कारण कुछ धक्का लगा। राज्य वित्त पर आर्थिक मंदी का प्रभाव सभी राज्यों में अलग-अलग था। 2009-10 के राज्यवार बजटों के विश्लेषण के अनुसार, कुछ राज्यों ने प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के अपने लक्ष्यों से आगे जाने का प्रस्ताव किया, जबकि अन्य राज्यों से उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) लक्ष्यों तक ही सीमित रहना प्रत्याशित है। इस पृष्ठभूमि में यह अध्याय राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर पड़े आर्थिक मंदी के प्रभाव का राज्यवार विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्याय बारहवें वित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के रूप में राज्यों की अंतर-कालिक तुलना करता है।

2. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

4.3 यह अध्याय 2005-08 (औसत) से 2008-09 (संअ) की अवधि के दौरान प्रमुख घाटा संकेतकों यथा, राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) के राज्यवार संचलन का विश्लेषण करता है। इस अवधि के दौरान राज्यवार प्रगति को सारणी IV.1 (विवरण 1 से 5 भी देखें) में प्रस्तुत किया गया है।

⁶ अध्ययन में प्रयोग किए गए वर्तमान मूल्यों पर आधारित सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) के आंकड़े मुख्यतया केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से प्राप्त किए गए हैं। जहां-कहीं सीएसओ के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहां संबंधित राज्य सरकारों के अनुमानों, जो उनके बजट दस्तावेज में मौजूद हैं तथा जिन्हें उनके द्वारा भा.रि.बैंक को अग्रेषित किया गया है, को उपयोग में लाया गया है। जहां-कहीं भी संबंधित राज्य सरकारों से आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए, वहां 3 वर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाया गया है।

सारणी IV.1 : राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औ)				2008-09 (संअ)			
	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	-0.4	2.8	0.1	-3.1	-0.6	2.8	0.6	-2.8
2. बिहार	-2.2	3.1	-0.7	-6.0	-3.0	6.5	3.2	-6.3
3. छत्तीसगढ़	-3.9	0.3	-1.5	-5.7	-1.3	2.8	1.4	-2.7
4. गोवा	-0.6	3.6	0.8	-3.4	-0.4	4.5	1.8	-3.2
5. गुजरात	-0.4	2.2	-0.4	-3.1	-0.1	2.9	0.7	-2.3
6. हरियाणा	-1.3	0.1	-1.7	-3.0	—	2.0	0.7	-1.3
7. झारखंड	2.2	8.8	7.0	0.4	-0.8	4.9	2.1	-3.6
8. कर्नाटक	-1.6	2.2	0.2	-3.7	-0.3	3.5	1.7	-2.1
9. केरल	2.2	3.3	0.4	-0.7	2.0	3.5	0.8	-0.6
10. मध्य प्रदेश	-2.1	2.7	-0.3	-5.0	-2.0	3.5	0.6	-4.9
11. महाराष्ट्र	-0.6	1.9	-0.2	-2.8	-0.6	2.3	0.6	-2.4
12. उड़ीसा	-2.3	-0.6	-4.3	-6.0	-0.6	2.1	-1.4	-4.2
13. पंजाब	1.8	3.1	-0.2	-1.6	2.5	4.5	1.3	-0.7
14. राजस्थान	-0.3	2.9	-0.9	-4.1	0.1	3.4	0.2	-3.1
15. तमिलनाडु	-1.1	1.2	-0.8	-3.1	—	2.7	0.9	-1.7
16. उत्तर प्रदेश	-0.7	3.6	0.3	-4.0	-1.1	5.3	2.4	-4.0
17. पश्चिम बंगाल	3.0	4.1	—	-1.0	3.7	3.7	0.1	0.1
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	-15.6	1.7	-3.3	-20.6	-18.6	24.5	19.0	-24.1
2. असम	-3.2	-1.0	-3.3	-5.6	-2.4	2.8	0.3	-4.9
3. हिमाचल प्रदेश	-1.2	2.6	-3.2	-7.0	-0.9	5.0	-0.1	-6.0
4. जम्मू और कश्मीर	-6.8	6.4	1.3	-11.9	-9.7	6.7	2.1	-14.3
5. मणिपुर	-12.6	4.2	-1.0	-17.7	-18.4	7.7	2.6	-23.5
6. मेघालय	-2.3	2.2	-0.6	-5.1	-6.2	1.5	-1.3	-9.0
7. मिजोरम	-4.9	10.9	4.0	-11.8	-6.5	10.1	3.9	-12.8
8. नगालैंड	-6.1	4.5	0.3	-10.3	-4.5	8.9	4.8	-8.6
9. सिक्किम	-12.2	5.2	-0.2	-17.6	-22.1	12.9	7.6	-27.4
10. त्रिपुरा	-7.7	—	-3.7	-11.4	-6.0	6.1	2.9	-9.2
11. उत्तराखंड	-1.5	5.0	1.9	-4.6	-1.5	3.9	0.7	-4.7
सभी राज्य#	-0.4	1.9	-0.2	-2.6	-0.2	2.6	0.7	-2.1
जापन मद:								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-3.7	0.5	-1.2	-5.4	-2.2	2.5	1.0	-3.7
2. पुदुचेरी	0.4	4.7	2.0	-2.3	7.6	11.8	9.0	4.8

औ: औसत। संअ: संशोधित अनुमान
 आरडी: राजस्व घाटा जीएफडी: सकल राजकोषीय घाटा।
 पीडी: प्राथमिक घाटा पीआरबी : प्राथमिक राजस्व शेष।
 जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद।
 # : सभी राज्यों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
 नोट: ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष को दर्शाता है।
 स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.4 नियम आधारित राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया अपनाए जाने से राजकोषीय धारणीयता प्राप्त करने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को गति प्राप्त हुई है। सभी राज्य सरकारों (सिक्किम

और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) द्वारा एफआरएल का अधिनियमन किए जाने से राज्यों में सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत संरचनाओं और मानव विकास में सुधार के लिए राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के मार्ग में आनेवाली बाधाएं हटाने तथा संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, राजकोषीय

स्थिरता, लोक वित्त के प्रबंधन में धारणीयता, कुशलता में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के एफआरएल के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि पूंजी व्यय के हिस्से को बढ़ाकर कुल व्यय की संरचना में बदलाव को प्रभावित किया जाए, जिससे उच्च वृद्धि पथ की प्राप्ति करना संभव हो सके। राजकोषीय समेकन और एफआरएल लक्ष्यों के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक पाई गई। विभिन्न राजकोषीय मानदंडों के लिए लक्ष्य विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, राज्यों के लिए मध्यावधि राजकोषीय योजनाएं देकर बजटीय परिचालनों में पारदर्शिता को बढ़ाना भी एफआरएल में परिकल्पित है। तथापि, राज्य स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में अभी भी कई मुद्दे हैं (बॉक्स IV.1)।

4.5 राज्य स्तर पर लोक वित्त का पुनर्गठन करने का सुझाव देते हुए बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों द्वारा 2008-09 तक राजस्व संतुलन की प्राप्ति की जाए तथा 2009-10 तक सकल राजकोषीय घाटा को घटाकर जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाया जाए। अधिकतर राज्य 2007-08 तक राजकोषीय सुधार के पथ पर अग्रसर थे। 2008-09 के दौरान, प्रमुख घाटा संकेतकों के संदर्भ में राज्यवार निष्पादन की स्थिति कुछ हद तक खराब हो गई थी क्योंकि हाल में बीती अवधि की तुलना में उनके राजस्व अधिशेष में कमी आई थी। तथापि, अधिकतर राज्यों में राजस्व घाटा (आरडी)-जीएसडीपी अनुपात शून्य राजस्व शेष के लक्ष्य के अंतर्गत ही रहा। गैर विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 13 राज्यों ने 2008-09 (संअ) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया, भले ही 2005-08 (औसत) की तुलना में उनका स्तर न्यूनतर था।

4.6 2008-09 (संअ) के दौरान चार राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और राजस्थान ने राजस्व घाटा दर्ज किया। 2008-09 के दौरान राजस्व घाटा वाले राज्यों में राजस्थान का प्रवेश नया था, जबकि झारखंड राजस्व घाटे से निकल कर राजस्व अधिशेष वाला राज्य बन गया। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब इस अवधि के दौरान राजस्व घाटे में ही रहे। तथापि, केरल और पंजाब भले ही घाटे में बने रहे लेकिन इसके बावजूद इनके राजस्व घाटे में कमी आई।

4.7 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी की तुलना में राजस्व अधिशेष के स्तर में छत्तीसगढ़ (2.6 प्रतिशत), उड़ीसा (1.7 प्रतिशत), कर्नाटक (1.4 प्रतिशत) और हरियाणा (1.2 प्रतिशत) के मामलों में तीव्र कमी आई। मंदी

रहने के बावजूद, 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में उनके आरडी-जीएसडीपी अनुपात में दर्शनीय सुधार प्रदर्शित हुआ (सारणी IV.1 और विवरण 2)।

4.8 2008-09 के दौरान, सर्वोच्च राजस्व अधिशेष बिहार का था जो जीएसडीपी का 3.0 प्रतिशत था तथा इसके बाद क्रमानुसार मध्य प्रदेश (जीएसडीपी का 2.0 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (जीएसडीपी का 1.3 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (जीएसडीपी का 1.1 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.1)। इन राज्यों में उच्चस्तरीय राजस्व अधिशेष उनकी बकाया देयताओं को बढ़ाए बगैर उनकी निवेश परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। दूसरी ओर, 2008-09 (संअ) के दौरान पश्चिम बंगाल ने सर्वोच्च राजस्व घाटा दर्ज किया जो जीएसडीपी का 3.7 प्रतिशत था, जिसके बाद पंजाब (जीएसडीपी का 2.5 प्रतिशत) और केरल (जीएसडीपी का 2.0 प्रतिशत) आते हैं। इन राज्यों में जीएसडीपी के सबसे बड़े हिस्से के रूप में आरडी है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में (99.9 प्रतिशत), जिसके बाद केरल (59.1 प्रतिशत) और पंजाब (55.6 प्रतिशत) आते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि उधार राशियों का उपयोग आस्ति पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकारों के लिए आय सुनिश्चित की जा सके। तथापि राजस्व लेखे में स्थायी घाटे के कारण इन राज्यों को पूंजी लेखे से निधियां निकालकर राजस्व घाटे को पूरा करने पर मजबूर होना पड़ा। तथापि हाल ही के वर्षों में राज्यों द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधार राशियों के स्तर में कमी किए जाने के कारण विकासात्मक कार्यों के लिए व्यय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्राप्त हुई है। तथापि, 2008-09 और 2009-10 के दौरान छठे केंद्रीय / राज्य वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण कुछ राज्य सरकारों पर दबाव पड़ेगे क्योंकि राजस्व घाटा राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों का पूर्वक्रय कर लेगा (सारणी IV.1 और विवरण 4 और 5)।

4.9 2009-10 के दौरान, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल संशोधित वेतन और पेंशन, सरकारी खर्चों के लिए बढ़ी मांग और राजस्व प्राप्तियों के प्रवाह में कमी, जो आर्थिक मंदी की वजह से है, के परिणामस्वरूप राजस्व शेष के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे।

बॉक्स IV.1: राज्य बजटों में राजकोषीय पारदर्शिता

बढ़ी हुई राजकोषीय पारदर्शिता ठोस आर्थिक प्रबंधन और प्रभावी नीति-निर्माण को जन्म देती है, बजटीय नीतियों की जवाबदेही में सुदृढ़ता लाती है तथा विश्वसनीयता में वृद्धि करती है। वित्तीय बाजारों में हाल में आए उथल-पुथल के कारण बढ़ी हुई पारदर्शिता और सूचना के प्रकटन का महत्व उभर कर सामने आया है। इस संबंध में राज्यों द्वारा अपने जीएफडी के वित्तीयन हेतु बाजार उधारियों पर उनकी बढ़ती हुई निर्भरता को देखते हुए राज्य सरकार स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को अपने निवेश संबंधी उचित निर्णय के लिए अधिक सूचना की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बढ़ी हुई पारदर्शिता और प्रकटन के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विश्वसनीय साख निर्धारण प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी। यद्यपि हाल के वर्षों में राज्य बजटों में राजकोषीय पारदर्शिता का स्तर, विशेष रूप से एफआरएल अवधि के पश्चात, बढ़ा है, तथापि पारदर्शिता मुद्दों में से कई मुद्दे अभी तक अनसुलझे हैं। राजकोषीय पारदर्शिता के मुद्दों को मोटे तौर पर तीन बड़े वर्गों में, अर्थात् सूचना उपलब्धता की कमी, उपलब्ध सूचना में असंगति तथा राज्यों में डेटा रिपोर्टिंग में एकरूपता की कमी के रूप में, वर्गीकृत किया जा सकता है। कई परिवर्तियों के संदर्भ में एक संगत मुद्दा यह भी है कि राज्य सरकारों, संघ सरकार, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा सामान्य राजकोषीय परिवर्तियों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के बीच कोई सामंजस्य नहीं दिखता।

राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में सूचना की कमी

राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज में जीएफडी वित्तीयन संबंधी सूचना के विस्तृत ब्योरे उपलब्ध नहीं होते। यह सूचना इसके लिए नितांत आवश्यक है कि कैसे राज्य सरकारें अपने संसाधन अंतरालों का वित्तपोषण करती हैं। कुछ राज्य सरकारें जैसे, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर अपने बजट में 'आंतरिक ऋण उन्मोचन' संबंधी सूचना ब्यौरेवार नहीं देती। इसके कारण राज्य सरकारों की मदवार विशुद्ध उधारियों संबंधी सूचना के समेकन और उन राज्यों की जीएफडी वित्तपोषण संबंधी प्रवृत्ति की सही तस्वीर प्रस्तुत करने में कठिनाई आती है। कई राज्य अपने बजट दस्तावेजों में बकाया देयताओं के संबंध में आंकड़े नहीं प्रकाशित करते। कुछ राज्य सरकारें अपने बजट दस्तावेज में इन आंकड़ों का प्रकाशन करती हैं परंतु उस ब्यौरेवार फॉर्मेट में नहीं करती जो 'राज्य सरकार की देयताओं के लिए कार्यविधि और समेकन' पर गठित कार्यकारी दल द्वारा निर्धारित किया गया है। अधिकतर राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज में निम्नांकित के संबंध में सूचना की कमी पाई गई है: (i) पारिश्रमिक और वेतन; (ii) परिचालन और अनुरक्षण; (iii) आर्थिक सहायता; और (iv) ब्याज दरें और बेचे गए ऋणों का परिपक्वता प्रोफाइल। विभिन्न राज्यों के बजट दस्तावेज में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों की प्रस्तुति में अत्यधिक अंतर पाया गया है। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, केरल, मणिपुर (लेखा वर्ष के लिए) और तमिलनाडु अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों (एएफएस) में समस्त अनुदान का कूटवार तथा योजना/गैर-योजनावार सारांश नहीं देते; जबकि आंध्र-प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य-प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के बजट दस्तावेजों में उक्त विवरण उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारें एकल बजट दस्तावेज में समस्त मांग और ब्याज भुगतानों (कूट 2049) में से आंतरिक ऋण (कूट 6003) का ब्यौरेवार कूटवार सारांश नहीं देती और अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रथा को अपना रही हैं। जहां अरुणाचल प्रदेश के बजट दस्तावेज में ब्याज भुगतानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश (लेखा वर्षों को छोड़कर) के मामलों में एनएसएसएफ पर ब्याज भुगतानों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बजटेतर उधारियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे बजट दस्तावेज में प्रकट नहीं किए जाते। राज्य सरकारों द्वारा सूचना के प्रकटन की वर्तमान स्थिति सारणी 1 में दी गई है।

वर्तमान स्थिति - राज्य सरकारों द्वारा सूचना का प्रकटन#

क्र.सं. राज्य	वेब पर उपलब्ध जानकारी	बजट एक नजर में	बकाया देयताएं	बकाया गारंटियां
गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	✓	✓	✓^	✓\$
2. बिहार	✓	✓	—	✓\$
3. छत्तीसगढ़	✓	✓	✓	✓
4. गोवा	✓	✓	✓^	—
5. गुजरात	✓	✓	—	—
6. हरियाणा	✓	✓	✓	✓
7. झारखंड	✓	X	—	—
8. कर्नाटक	✓	✓	✓^	✓\$
9. केरल	✓	✓	✓^	✓\$
10. मध्य प्रदेश	✓	✓	✓	✓
11. महाराष्ट्र	✓	✓	✓	✓
12. उड़ीसा	✓	✓	—	—
13. पंजाब	✓	✓	✓^	✓\$
14. राजस्थान	✓	✓	✓	✓
15. तमिलनाडु	✓	✓	✓	✓
16. उत्तर प्रदेश	✓	✓	✓^	✓\$
17. पश्चिम बंगाल	✓	✓	—	—
विशेष श्रेणी वाले राज्य				
1. अरुणाचल प्रदेश	X	✓	—	—
2. असम	X	✓	—	✓
3. हिमाचल प्रदेश	✓	X	✓^	✓\$
4. जम्मू और कश्मीर	✓	✓	—	—
5. मणिपुर	✓	✓	—	—
6. मेघालय	✓	✓	✓	—
7. मिजोरम	✓	✓	✓	✓
8. नागालैंड	✓	✓	✓	✓
9. सिक्किम	✓	✓	—	—
10. त्रिपुरा	✓	✓	✓	✓
11. उत्तराखंड	✓	✓	—	✓\$

: 11 फरवरी 2010 को '—': अनुपलब्ध

✓^: राज्य सरकार की देयताओं संबंधी कार्यकारी दल द्वारा सुझाए गए विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में नहीं है।

✓\$: राज्य सरकार की गारंटियों की राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए गठित कार्यकारी दल द्वारा सुझाए गए विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में नहीं है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

उपलब्ध सूचनाओं में असंगति

कई राज्यों के बजटों में नकदी शेष के परिवर्तन तीनों लेखों यथा समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर (समग्र अधिशेष/घाटा) से मेल नहीं खाता। वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस), 'बजट एक नजर में' और प्राप्तियों तथा व्यय दस्तावेज के ब्यौरे में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भारी विसंगतियां पाई गई हैं, जो आंकड़ों के समाधान और उनकी एकरूपता में रुकावट पैदा करती है।

डेटा रिपोर्टिंग में एकरूपता की कमी

केवल वार्षिक वित्तीय विवरण को छोड़कर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रकृति और विषयवस्तु में कोई एकरूपता दिखाई नहीं देती। विभिन्न राज्यों के बीच

जारी...

समाप्त

राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित 'बजट एक नजर में' के फार्मेट में एकरूपता नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर एक प्रमुख मुद्दा है लेखांकन प्रथाओं में एकरूपता का न होना। एक उदाहरण बजट में पावर बांडों के लेखांकन का दिया जा सकता है, जहां राज्यों द्वारा अलग-अलग प्रथाएं अपनायी गयी हैं। कुछ राज्य, जैसे - हिमाचल प्रदेश, पावर बांडों को अन्य संस्थाओं (कूट 6003(109)) से ऋण के अंतर्गत दर्शाते हैं जबकि उत्तराखंड जैसे राज्य पावर बांडों को बाजार ऋण (कूट 6003(101)) के अंतर्गत दर्शाते हैं और कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा पावर बांडों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड (कूट 6003(106)) के अंतर्गत दर्शाते हैं। दूसरा उदाहरण एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों के लेखांकन का है। 1999-2000 में लेखांकन प्रथा में परिवर्तन के बाद, एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों को आंतरिक ऋण के अंतर्गत दिखाया जाना था। परंतु असम, गोवा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल अभी भी अल्प बचत वसूलियों की चुकौती/भुगतान के एक हिस्से को केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम (कूट 6004-102) के अंतर्गत दर्शाते आ रहे हैं जबकि आंध्र प्रदेश एनएसएसएफ के संपूर्ण लेनदेनों को लोक लेखा (कूट 8007) के अंतर्गत दिखा रहा है। बजट में ऋण राहत का लेखांकन अस्पष्ट है। आंध्र प्रदेश में, ऋण राहत को विविध पूंजीगत प्राप्ति (कूट 4000-01-800-06) के अंतर्गत दिखाया जाता है। भूमि और संपत्ति की बिक्री संबंधी लेखांकन प्रक्रिया में भी एकरूपता नहीं है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश के बजट में भूमि और संपत्ति की बिक्री को विविध सामान्य सेवा (कूट-0075-105-01) में दर्शाया गया है, वहीं कर्नाटक राज्य में इसे विविध पूंजीगत प्राप्ति (4000-01-800-01) के अंतर्गत दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य वैट की वसूलियों से संबंधित आंकड़ों को दो भिन्न-भिन्न कूटों क्रमशः 0040-800 (अन्य प्राप्ति) और 0040-102 के अंतर्गत रिपोर्ट करते हैं, वहीं अन्य

राज्य इन आंकड़ों की रिपोर्टिंग कूट 0040-110 (व्यापार कर) के अंतर्गत करते हैं।

विभिन्न संगठनों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में भिन्नता

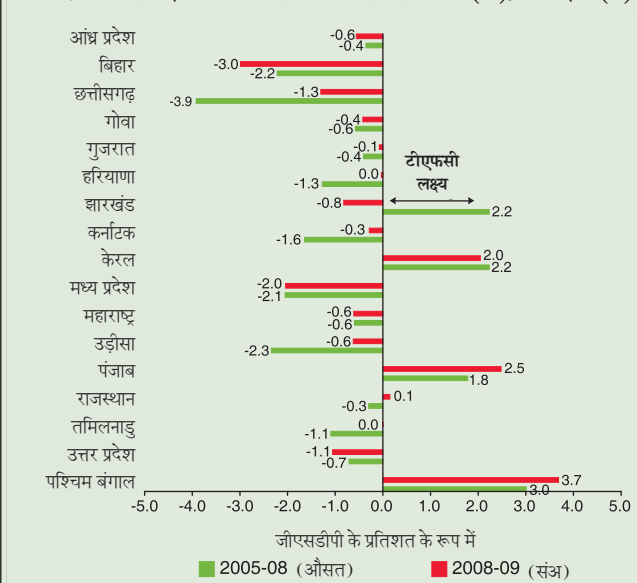
केंद्रीय कर और सहायता अनुदान में भागीदारी संबंधी आंकड़े राज्य बजटों और केंद्रीय बजट में भिन्न-भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों संबंधी आंकड़े, जिन्हें राज्य बजटों में दर्शाया गया है, केंद्रीय बजट में दर्शाए गए आंकड़ों और वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खाते। केंद्रीय वित्त लेखों, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों संबंधी आंकड़ों और केंद्रीय बजट में दिए गए इन्हीं आंकड़ों के बीच भिन्नता है। राज्य सरकारों की बाजार उधारियों का जहाँ तक संबंध है, राज्य के बजटों में दर्शाए गए आंकड़ों और भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों में कोई मेल नहीं है।

ये सभी मुद्दे राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति के समेकन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर पारदर्शिता संबंधी इन मुद्दों में से कुछ पर मार्च 2009 में जारी वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (अध्यक्ष: डॉ. राकेश मोहन) की रिपोर्ट में भी चर्चा की गई थी।

संदर्भ:

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (2009), 'वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट,' मार्च 2009।

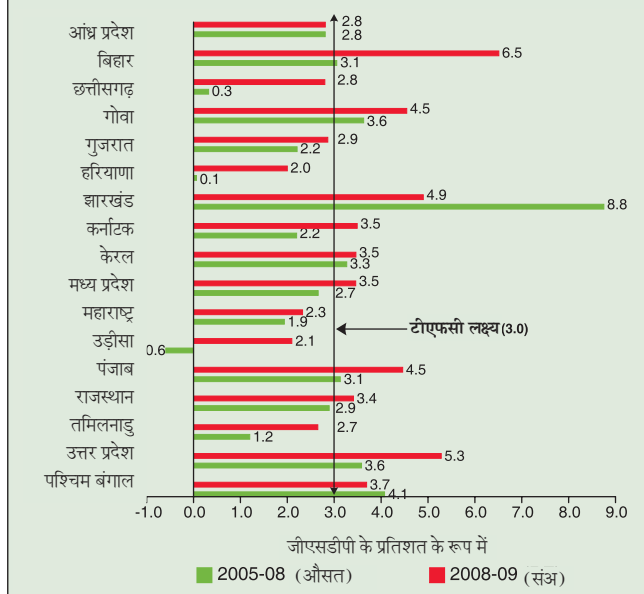
चार्ट IV.1: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)



4.10 केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश करने के लिए 2008-09 में राज्य सरकारों को उनके सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधारियों की अनुमति प्रदान की, जिसके कारण जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3.5 प्रतिशत के स्तर

तक ले जाने की अनुमति दी गई। 2005-08 (औसत) में दस राज्यों की तुलना में 2008-09 (संअ) में केवल सात राज्य अर्थात् हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात ही ऐसे थे जिन्होंने, जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को घटाकर 3.0 प्रतिशत करने संबंधी बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य को पूरा किया। 2008-09 (संअ) में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दस राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात बढ़कर 3.0 प्रतिशत से अधिक हो गया। झारखंड और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। तथापि इसी अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश की स्थिति जीएसडीपी के 2.8 प्रतिशत पर पूर्ववत रही। इसी अवधि के दौरान जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि प्रदर्शित करनेवाले राज्यों में से बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की। बिहार ने 2008-09 (संअ) के दौरान सर्वोच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त किया, जो जीएसडीपी का 6.5 प्रतिशत था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (जीएसडीपी का 5.3 प्रतिशत) और झारखंड (जीएसडीपी का 4.9 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.2) (सारणी IV.1)।

चार्ट IV.2: - गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



4.11 पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियों के कम होते जाने के साथ ही सरकारी निवेश और योजनागत व्यय, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय, को बढ़ावा देकर वृद्धि की गति को वापस पटरी पर लाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने 2009-10 में राज्यों को जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 4.0 प्रतिशत स्तर तक ले जाने की अनुमति दी है। 2009-10(बअ) के दौरान जीएफडी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गोवा, इन राज्यों में जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि आर्थिक मंदी के कारण राजस्व में कमी आने और व्ययों में वृद्धि करने की आवश्यकता के बावजूद केरल, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य 2009-10 के दौरान अपने राजकोषीय घाटे

को बारहवें वित्त आयोग के द्वारा विनिर्दिष्ट जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर रखने में सफल रहे।

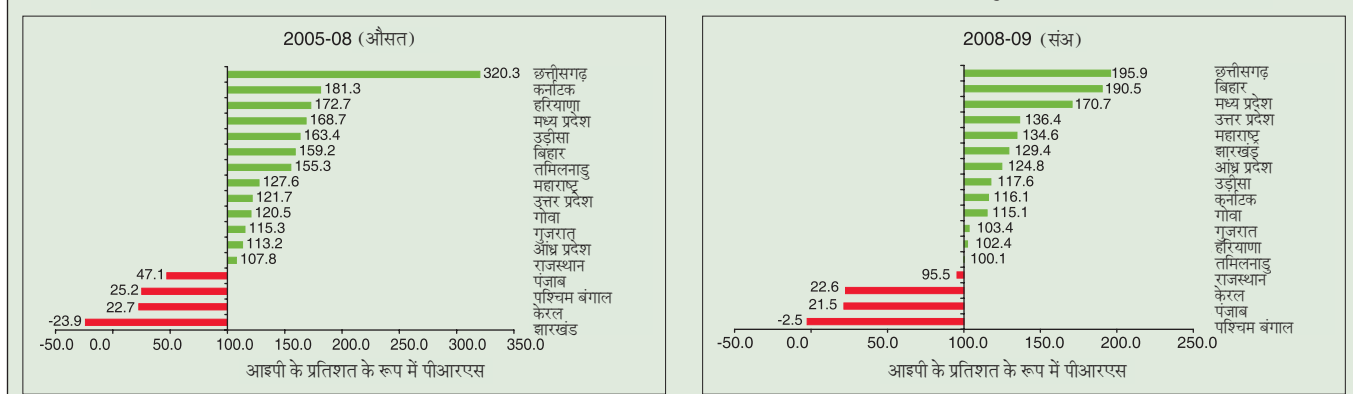
4.12 2008-09 (संअ) में, गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ने प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) दर्ज किया। तथापि, इन तीन राज्यों अर्थात केरल, पंजाब और राजस्थान में पीआरएस और आरडी का सह-अस्तित्व संकेत देता है कि 2008-09 (संअ) के दौरान इन राज्यों में ब्याज भुगतान दायित्वों के वित्तपोषण में पीआरएस पर्याप्त नहीं होगा। 2008-09 (संअ) में पंजाब, केरल और राजस्थान में क्रमशः 21.5 प्रतिशत, 22.6 प्रतिशत और 95.5 प्रतिशत ब्याज भुगतानों की वित्तपूर्ति पीआरएस से हुई (चार्ट IV.3)।

4.13 2005-08 (औसत) में 10 राज्यों की तुलना में 2008-09 (संअ) में 17 गैर विशेष श्रेणीवाले राज्यों में से, एकमात्र उड़ीसा ने प्राथमिक अधिशेष दर्ज किया। 2008-09 में बिहार ने सर्वोच्च प्राथमिक घाटा दर्ज किया, जो जीएसडीपी का 3.2 प्रतिशत था। इसके बाद उत्तर प्रदेश (2.4 प्रतिशत) और झारखंड (2.1 प्रतिशत) राज्य आते थे (सारणी IV.1)।

विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.14 विशेष श्रेणी वाले राज्यों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इन राज्यों में विकासात्मक प्रयास मुख्य रूप से केंद्र सरकार से प्राप्त अंतरणों पर निर्भर होते हैं। निजी निवेश की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के न्यून स्तर, मूलभूत संरचनाओं के मार्ग में रुकवटें आने और मूलभूत ढांचा के विकास कार्य के लिए पीपीपी की कमी के कारण राज्य सरकार को सरकारी निवेश बड़े पैमाने पर करना होता है। यह इस तथ्य से भी पता चलता है कि ये सभी राज्य राजस्व अधिशेष वाले राज्य हैं और गैर विशेष श्रेणी

चार्ट IV.3 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) द्वारा ब्याज भुगतान का वित्तपोषण



वाले राज्यों की तुलना में इनका जीएफडी अत्यधिक उच्च स्तर पर है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में जो राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वह केंद्र से न्यायमन एवं अंतरण में मिली उच्च राशियों और बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए प्रोत्साहन आधारित सुधार प्रक्रिया के कारण है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने राजकोषीय सुधार के मार्ग को संस्थागत बनाने में बहुत सारे उपाय किए हैं। कर संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाना, गारंटियों की सीमा निर्धारित करना, वेट लागू करना और नई पेंशन योजनाएं लाना जैसे उपायों के कारण बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्साहन मिला है।

4.15 विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अंतर्गत सभी 11 राज्यों ने 2008-09 (संअ) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। मंदी के बावजूद, 6 राज्यों अर्थात् सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम ने 2005-08 (औसत) की तुलना में राजस्व अधिशेष में वृद्धि दर्ज की है। सिक्किम ने 2008-09 (संअ) के दौरान सर्वोच्च राजस्व अधिशेष दर्ज किया है जो जीएसडीपी का 22.1 प्रतिशत है तथा इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (18.6 प्रतिशत), मणिपुर (18.4 प्रतिशत) और जम्मू और कश्मीर (9.7 प्रतिशत) आते हैं। अन्य विशेष श्रेणी वाले राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड, असम और हिमाचल प्रदेश हैं जो अभी भी राजस्व अधिशेष की स्थिति में हैं, भले ही 2005-08 (औसत) की तुलना में उनका स्तर न्यून है (सारणी IV.1 और चार्ट IV.4)।

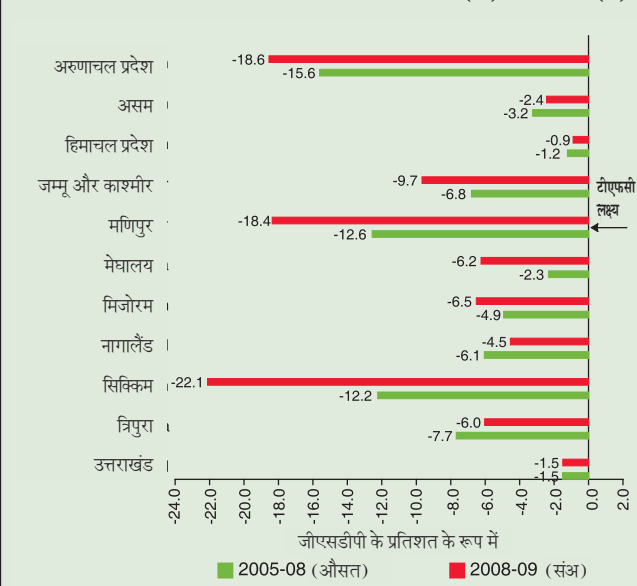
4.16 2009-10 के दौरान, 3 विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने बजट में राजस्व घाटे दर्शाए हैं। इन राज्यों में, जीएसडीपी के प्रतिशत के

रूप में राजस्व घाटे का बजट अरुणाचल प्रदेश में सर्वोच्च (7.6 प्रतिशत) था, जिसके बाद असम (7.3 प्रतिशत) और उत्तराखंड (0.5 प्रतिशत) आते थे।

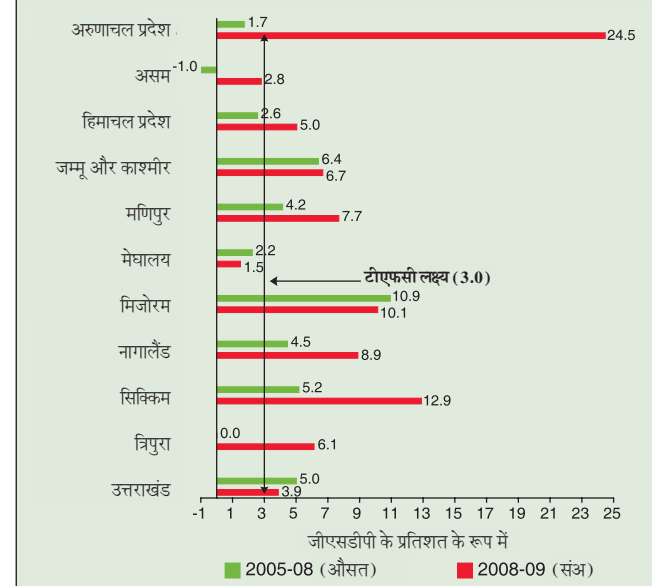
4.17 राजस्व लेखा सुधार के संदर्भ में पाए गए सुधारों के विपरीत जीएफडी में सुधार के मामले में विशेष श्रेणी वाले राज्य गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों से बहुत पीछे थे। 2008-09 (संअ) में केवल मेघालय और असम को छोड़कर शेष सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने 3 प्रतिशत से अधिक जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (चार्ट IV.5)। 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों के बीच, 8 राज्यों ने 2005-08 (औसत) में रही अपनी स्थिति की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान उच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। अरुणाचल प्रदेश ने 24.5 प्रतिशत का सर्वोच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद सिक्किम (12.9 प्रतिशत) और मिजोरम (10.1 प्रतिशत) का स्थान था। ये सभी राज्य, असम और मेघालय को छोड़कर, अभी भी बारहवें वित्त आयोग के 3 प्रतिशत जीएफडी-जीएसडीपी लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। तथापि, बड़े राजस्व अधिशेष और बड़े जीएफडी के सह-अस्तित्व से संकेत मिलता है कि उधारियों को पूंजीगत परिव्यय में लगा दिया जाता है (सारणी IV.1)। 2009-10 (बअ) के दौरान, सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों में घाटे के संकेतकों के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है।

4.18 2008-09 (संअ) में, सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों में, प्राथमिक राजस्व अधिशेष इतना पर्याप्त है कि वह ब्याज भुगतानों

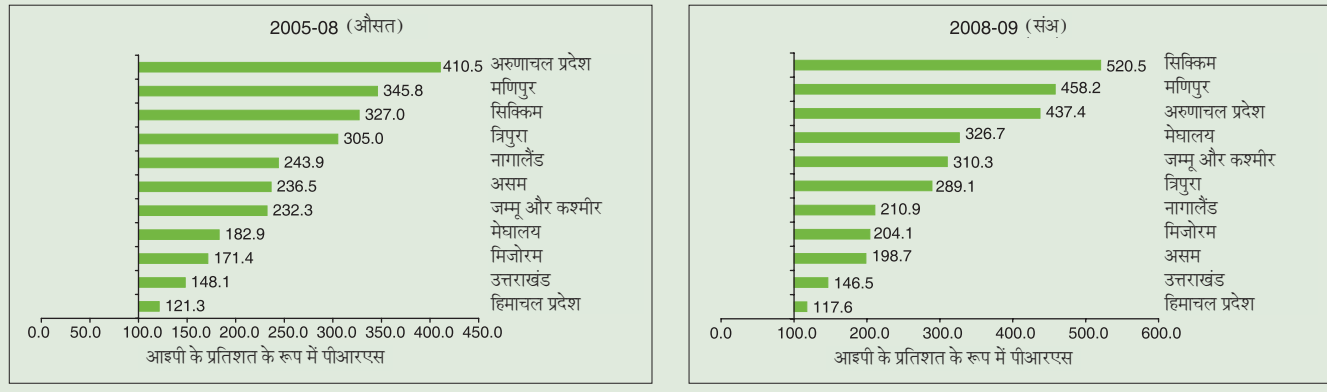
चार्ट IV.4 : विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)



चार्ट IV.5: विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



चार्ट IV.6: विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) द्वारा ब्याज भुगतान का वित्तपोषण



को पूरा कर सकता है (चार्ट IV.6)। तथापि, 2005-08 (औसत) में चार राज्यों की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान नौ राज्यों ने प्राथमिक घाटा दर्ज किया (सारणी IV.1)।

3. राज्य सरकारों का राजस्व लेखा

4.19 राज्य सरकारों की कराधान नीति के केंद्रबिंदु में बेहतर कर अनुपालन तथा उच्च पारदर्शिता के लिए कर संरचना को सुसंगत करना और बेहतर कर प्रशासन को रखा गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आइटी की सहायता से और प्रवर्तन उपायों को मजबूत बनाकर कर प्रशासन को सरल करने, युक्तिसंगत करने और उनके आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयास किए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा कतिपय कराधान शक्तियों का वित्तीय प्रत्यायोजन स्थानीय निकायों को किए जाने से संसाधन जुटाने में बेहतरी आई है। कई राज्यों ने वैट, उत्पाद और अन्य कर तथा करेतर स्रोतों से होने वाली वसूलियों में और वृद्धि करने के लिए करों को युक्तिसंगत करने, बेहतर कर अनुपालन करने तथा प्रवर्तन मशीनरी को सशक्त करना सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया है। इस अध्याय में राजस्व लेखा सुधार की प्रक्रिया को समझने के लिए प्राप्तियों में वृद्धि और व्यय प्रबंधन उपायों दोनों का मूल्यांकन करने पर फोकस किया गया है। राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित विभिन्न संकेतकों को सारणी IV.2 में प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि राज्य सरकारों के राजस्व व्यय से संबंधित संकेतकों को सारणी IV.3 में दर्शाया गया है।

गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.20 राज्य सरकारों की कराधान नीति में आम तौर पर उद्देश्य यह है कि कुशल और प्रभावी कर प्रशासन पर बल देते हुए कराधान

के औसत स्तरों को कम किया जाए। राजकोषीय सुधार के लिए वांछित मार्ग राजकोषीय सशक्तीकरण से होकर, अर्थात् बजट में राजस्व प्रवाहों के दायरे और आकार को विस्तृत करके, गुजरता है। आम तौर पर राजस्व में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों की नीति में कर प्रशासन में सुधार लाना, राजस्व में वृद्धि को सुकर बनाना, लेनदेन लागत को न्यूनतम करना और कर संरचना को युक्तिसंगत करना सम्मिलित है। इसके केंद्रबिंदु में विद्यमान करों तथा करेतर वसूली प्रक्रियाओं को कारगर और सशक्त करना तथा राजस्व स्राव को रोकना सम्मिलित है।

राजस्व प्राप्ति

4.21 सभी गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों की कुल राजस्व प्राप्ति, केवल कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर, जीएसडीपी के रूप में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में बढ़ गई। तथापि, अधिकांश राज्यों में यह वृद्धि उनके अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि केंद्र से प्राप्त अंतरणों के कारण थी। केवल पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा अपवाद है, जहां यह वृद्धि खुद राज्य के प्रयासों से अधिक हुई है तथा केंद्र से प्राप्त अंतरणों के कारण कम। हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में अपनी राजस्व वसूलियों (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में कमी आई है। झारखंड ने 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान अपने राजस्व प्रयासों में सर्वोच्च सुधार दर्ज किया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं (सारणी IV.2 और चार्ट IV.7)।

सारणी IV.2: राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औ)				2008-09 (संअ)			
	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	16.2	8.7	2.2	5.2	18.8	9.6	2.3	6.9
2. बिहार	23.4	4.3	0.5	18.5	31.6	5.5	0.4	25.7
3. छत्तीसगढ़	19.2	8.3	2.6	8.2	20.8	7.9	2.5	10.5
4. गोवा	16.9	8.2	5.9	2.7	19.3	8.8	6.4	4.1
5. गुजरात	11.7	7.2	1.7	2.9	11.0	6.7	1.2	3.1
6. हरियाणा	13.2	8.2	3.1	2.0	11.7	7.7	2.1	2.0
7. झारखंड	15.9	5.1	2.4	8.4	21.0	6.6	2.9	11.5
8. कर्नाटक	17.5	10.9	1.9	4.8	16.0	10.7	0.7	4.5
9. केरल	12.7	8.2	0.7	3.7	13.7	8.7	0.7	4.3
10. मध्य प्रदेश	19.6	8.1	1.9	9.6	22.5	9.0	2.0	11.5
11. महाराष्ट्र	12.2	7.9	1.9	2.5	11.9	7.2	1.5	3.2
12. उड़ीसा	19.3	6.4	2.4	10.4	21.9	6.3	2.1	13.5
13. पंजाब	14.5	7.6	3.7	3.1	14.9	7.5	4.4	3.0
14. राजस्थान	17.2	7.8	2.3	7.1	17.9	7.9	2.0	8.0
15. तमिलनाडु	14.9	9.9	1.1	3.9	15.9	9.9	1.6	4.4
16. उत्तर प्रदेश	18.6	7.2	1.6	9.8	21.9	7.5	2.1	12.2
17. पश्चिम बंगाल	10.0	4.4	0.5	5.1	11.9	4.7	1.6	5.6
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	73.7	2.4	11.2	60.2	88.8	2.4	7.3	79.1
2. असम	21.3	5.3	2.8	13.2	30.1	5.2	2.9	22.0
3. हिमाचल प्रदेश	27.1	5.9	4.3	16.9	27.2	6.2	3.9	17.1
4. जम्मू और कश्मीर	42.8	6.7	2.6	33.5	45.4	7.7	3.2	34.5
5. मणिपुर	54.2	2.2	2.6	49.4	64.3	2.6	3.2	58.5
6. मेघालय	30.2	4.2	2.5	23.5	44.2	4.6	2.4	37.2
7. मिजोरम	62.7	2.2	4.3	56.3	73.8	2.6	4.4	66.8
8. नागालैंड	41.7	1.9	1.6	38.2	42.5	1.8	2.0	38.6
9. सिक्किम	108.1	8.3	55.5	44.3	111.1	6.0	44.4	60.7
10. त्रिपुरा	32.5	3.3	0.9	28.4	34.1	3.7	1.1	29.3
11. उत्तराखंड	22.7	7.7	2.2	12.9	21.8	7.6	1.6	12.6
सभी राज्य#	12.2	5.8	1.4	5.0	13.2	5.9	1.4	5.9
ज्ञापन मद:								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.1	8.2	1.3	0.6	9.6	7.5	1.3	0.8
2. पुदुचेरी	27.2	7.9	7.9	11.4	25.8	7.7	6.2	11.9

औ: औसत।

संअ: संशोधित अनुमान।

आरआर: राजस्व प्राप्तियां

ओटीआर: स्वकर राजस्व।

ओएनटीआर : स्वकरेतर राजस्व

सीटी : चालू अंतरण।

जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद।

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज पर आधारित।

4.22 बिहार ने 2008-09 (संअ) के दौरान 31.6 प्रतिशत का सर्वोच्च राजस्व प्राप्ति (आरआर)-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त किया है जो मुख्यतया सर्वोच्च चालू अंतरणों (सीटी)-जीएसडीपी अनुपात द्वारा समर्थित था। बिहार के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश (22.5 प्रतिशत),

उड़ीसा (21.9 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (21.9 प्रतिशत), झारखंड (21.0 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (20.8 प्रतिशत) आते हैं। इन सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों में सुधार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंशदान केंद्रीय अंतरणों का था (सारणी IV.2 और विवरण 22,23 और 25)।

सारणी IV.3: राज्य सरकारों का राजस्व व्यय

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औ)					2008-09 (संअ)				
	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	15.8	10.0	5.7	2.7	1.5	18.2	12.9	5.2	2.2	1.5
2. बिहार	21.2	12.0	9.1	3.7	2.7	28.6	18.7	9.9	3.3	3.0
3. छत्तीसगढ़	15.3	10.1	4.4	1.8	1.0	19.5	14.0	4.9	1.4	1.1
4. गोवा	16.3	11.1	5.2	2.8	1.0	18.9	12.9	6.0	2.8	1.4
5. गुजरात	11.3	6.5	4.8	2.7	1.0	10.9	7.0	3.8	2.2	0.8
6. हरियाणा	12.0	7.9	3.8	1.7	0.9	11.7	8.3	3.3	1.3	0.9
7. झारखंड	18.2	11.9	6.2	1.8	1.2	20.2	12.9	7.2	2.8	1.5
8. कर्नाटक	15.9	10.1	5.1	2.0	1.3	15.7	9.6	5.2	1.8	1.6
9. केरल	14.9	6.9	7.1	2.9	2.5	15.8	7.5	7.1	2.6	2.6
10. मध्य प्रदेश	17.6	10.0	6.5	3.0	1.4	20.5	12.4	7.0	2.9	1.7
11. महाराष्ट्र	11.6	6.8	4.6	2.2	0.7	11.3	7.2	3.9	1.8	0.7
12. उड़ीसा	16.9	8.8	7.8	3.7	1.7	21.3	13.3	7.7	3.5	2.3
13. पंजाब	16.2	6.8	9.2	3.4	1.6	17.4	7.7	9.1	3.2	1.6
14. राजस्थान	16.9	10.1	6.7	3.8	1.4	18.1	11.0	7.0	3.3	2.0
15. तमिलनाडु	13.8	7.5	5.4	2.0	1.9	15.9	9.1	5.6	1.7	2.3
16. उत्तर प्रदेश	17.9	9.3	7.7	3.3	1.6	20.8	12.2	7.7	2.9	1.7
17. पश्चिम बंगाल	13.0	6.2	6.7	4.0	1.4	15.5	9.3	6.1	3.6	1.3
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	58.1	41.4	16.7	5.0	2.6	70.2	50.5	19.7	5.5	3.2
2. असम	18.1	11.1	7.0	2.4	1.8	27.6	16.1	9.2	2.5	2.0
3. हिमाचल प्रदेश	25.9	14.8	11.1	5.7	2.9	26.3	15.4	10.9	5.1	3.3
4. जम्मू और कश्मीर	36.0	21.0	15.0	5.1	3.2	35.8	20.4	15.4	4.6	3.3
5. मणिपुर	41.7	26.0	15.6	5.1	3.8	45.9	27.8	18.1	5.1	4.1
6. मेघालय	27.8	17.8	10.1	2.8	1.6	38.0	27.3	10.7	2.8	1.5
7. मिजोरम	57.8	37.8	20.0	6.9	2.9	67.2	45.3	21.9	6.3	2.9
8. नागालैंड	35.6	19.3	16.4	4.2	3.3	37.9	20.6	17.3	4.1	3.4
9. सिक्किम	95.9	32.1	63.8	5.4	2.3	89.0	37.9	51.1	5.3	2.2
10. त्रिपुरा	24.8	12.8	11.5	3.7	2.7	28.0	15.6	11.9	3.2	3.1
11. उत्तराखंड	21.2	12.7	7.7	3.1	1.8	20.3	11.3	8.3	3.2	2.1
सभी राज्य#	11.8	6.7	4.8	2.2	1.1	13.0	8.0	4.7	1.9	1.2
ज्ञापन मद:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.4	3.8	2.2	1.7	—	7.4	5.0	2.1	1.5	—
2. पुदुचेरी	27.6	21.1	6.4	2.7	1.4	33.4	26.1	7.2	2.8	1.8

औ: औसत।

आरई: राजस्व व्यय।

एनडीआरई: गैर विकास राजस्व व्यय।

पीएन: पेंशन

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

संअ: संशोधित अनुमान।

डीआरई: विकास राजस्व व्यय।

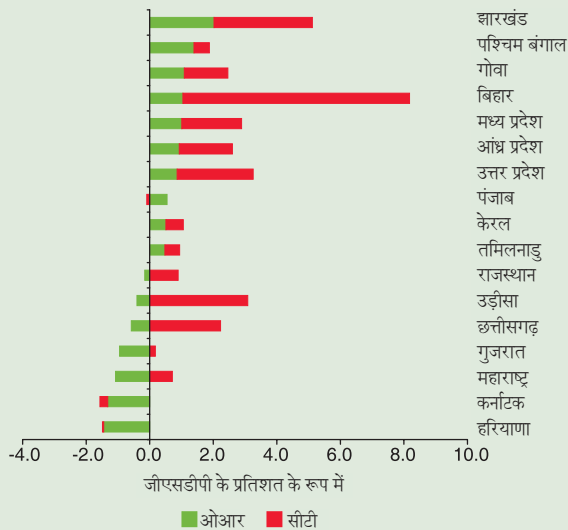
आइपी. ब्याज भुगतान।

जीएसडीपी: सकल राज्य देशी उत्पाद।

4.23 कर्नाटक ने 2008-09 (संअ) में 10.7 प्रतिशत का सर्वोच्च स्व-कर राजस्व (ओटीआर)-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त किया, जिसके बाद क्रमशः तमिलनाडु (9.9 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (9.6 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (9.0 प्रतिशत) आते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है

कि 2008-09 (संअ) में गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में पश्चिम बंगाल सबसे नीचे स्थित राज्यों में एक (4.7 प्रतिशत) रहा, जिसके बाद क्रमशः बिहार (5.5 प्रतिशत), उड़ीसा (6.3 प्रतिशत), झारखंड (6.6 प्रतिशत) और गुजरात (6.7

चार्ट IV.7: 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में स्व-राजस्व (ओआर) और केंद्रीय अंतरणों (सीटी) में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य



प्रतिशत) थे। ये पांचों राज्य अभी भी बारहवें वित्त आयोग के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात के 6.8 प्रतिशत के लक्ष्य से पीछे ही हैं (चार्ट IV.8, सारणी IV.2 और विवरण 18 और 19)। बिहार जैसे राज्य सरकारों को अपना ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे राज्यों का स्तर बारहवें वित्त आयोग के 6.8 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत पीछे है।

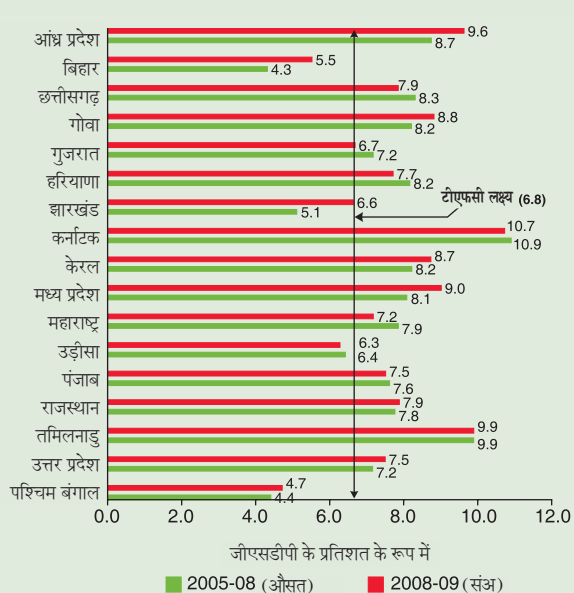
4.24 घाटे के संकेतकों को कम करने में गोवा (6.4 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी) और झारखंड (2.9 प्रतिशत ओएनटीआर-

जीएसडीपी) राज्यों में स्व-करेतर राजस्व की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कुछ राज्यों जैसे बिहार (0.4 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी), कर्नाटक (0.7 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी), केरल (0.7 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी) और गुजरात (1.2 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी) का स्व-करेतर राजस्व प्रयासों का कार्यनिष्पादन निराशाजनक रहा और ये चारों राज्य बारहवें वित्त आयोग के 1.4 प्रतिशत के स्व-करेतर राजस्व (ओएनटीआर)-जीएसडीपी अनुपात लक्ष्य से पीछे हैं (चार्ट IV.9, सारणी IV.2 और विवरण 20 और 21)। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय बहुत अधिक है परंतु इन सेवाओं से होनेवाली वसूली नगण्य है। यह मुख्यतया आम लोगों के लिए उपलब्ध करायी गयी आर्थिक और सामाजिक सेवाओं से कम लागत वसूली, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की कम लाभप्रदता, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्यो से कम ब्याज वसूली किए जाने के कारण है।

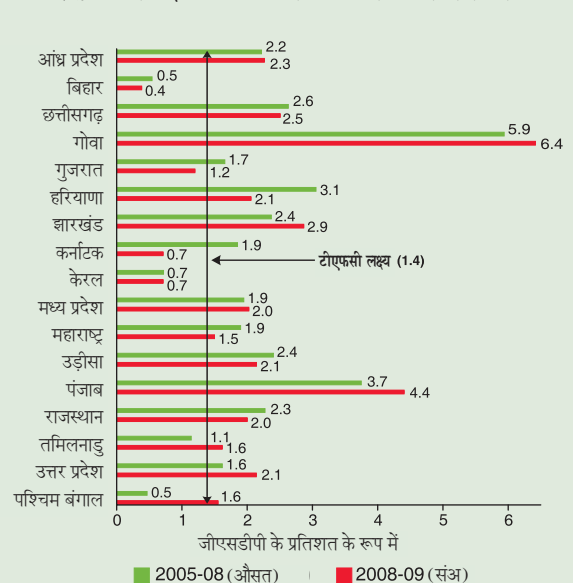
4.25 हाल के वर्षों में राज्यों की अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि और कर प्रशासन में सुधार के कारण कर वसूलियों में वृद्धि हुई है। तथापि, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के प्रभाव को देखते हुए पहले जैसी कर वसूलियां संभवतः 2009-10 के दौरान प्राप्त न की जा सकें।

4.26 राज्यस्तरीय वैट का अपनाया जाना राज्य सरकारों द्वारा किए गए अब तक के कर सुधारों में सबसे बड़ा सुधार है। सरकार की मंशा है कि वह न केवल नई सेवाओं को कर के दायरे में लाकर

चार्ट IV.8: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के स्व कर राजस्व



चार्ट IV.9: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के स्व-करेतर राजस्व

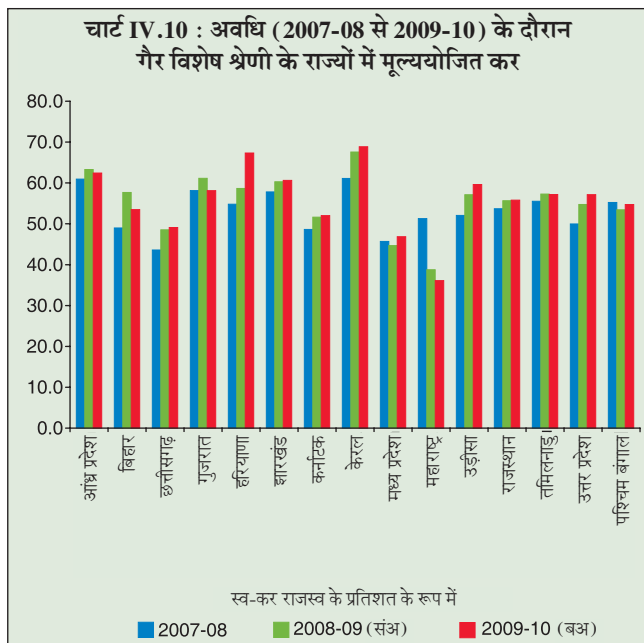


बल्कि कर और करेतर राजस्व की दरें बढ़ाकर कराधान के दायरे का विस्तार करे। दीर्घावधि में, इससे राज्य वित्त को आगे चलकर लाभ मिलेंगे। राज्यों के कर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैट है, जो उनके कुल स्व-कर प्राप्तियों में लगभग आधे का अंशदान करता है। 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, आर्थिक मंदी के होते हुए भी, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर, सभी गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने वैट वसूलियों में वृद्धि दर्ज की है (चार्ट IV.10)। 2008-09 (संअ) में आंध्र प्रदेश ने 6.1 प्रतिशत का सर्वोच्च वैट- जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद क्रमशः केरल (5.9 प्रतिशत), तमिलनाडु (5.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (5.5 प्रतिशत) का स्थान है। राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण कर राजस्व हैं - राज्य उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा मोटर वाहन कर (विवरण 49)।

4.27 वृद्धि पर आर्थिक मंदी का प्रभाव 2008-09 के उत्तरार्ध में ही पता चला और इसका संपूर्ण प्रभाव 2009-10 में परिलक्षित होगा। विशेष रूप से, वैट और स्टॉम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के तहत वसूलियों की गति हाल के वर्षों में हुई वसूलियों की तुलना में मंद रहने की संभावना है।

राजस्व व्यय

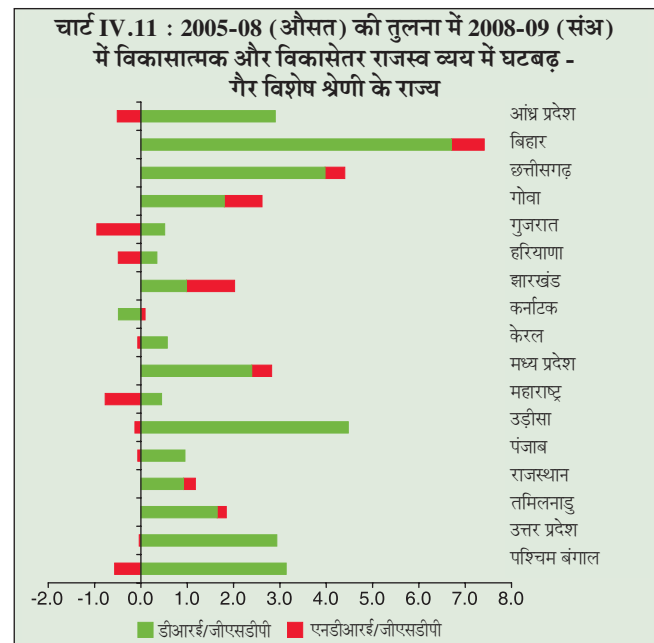
4.28 राजस्व व्यय के संबंध में राज्य सरकारों की नीति सामाजिक क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय बढ़ाने के लिए गैर विकासात्मक व्यय,



अधिकांशतः प्रशासनिक सेवाओं और ऋण सेवा संबंधी व्यय, को नियंत्रण में रखना है।

4.29 गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों में जीएसडीपी के रूप में उनके कुल राजस्व व्यय में वृद्धि दर्ज हुई है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में अधिकांश राज्यों में कुल राजस्व व्यय की वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से विकासात्मक राजस्व व्यय में हुई वृद्धि रही है। आठ राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, केरल और पंजाब में गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में इसी अवधि के दौरान कमी आई, बावजूद इसके कि छोटे वेतन आयोग/राज्यों के खुद के वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी से दबाव बढ़ते जा रहे थे (सारणी IV.3, चार्ट IV.11 और विवरण 12 और 13)।

4.30 2008-09 (संअ) में बिहार, जिसका 18.7 प्रतिशत का सर्वोच्च विकासात्मक राजस्व व्यय (डीआरई)-जीएसडीपी अनुपात और 9.9 प्रतिशत का सर्वोच्च गैर विकासात्मक राजस्व व्यय (एनडीआरई)-जीएसडीपी अनुपात था, ने 28.6 प्रतिशत का सर्वोच्च संशोधित अनुमान (संअ)-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। उड़ीसा ने 21.3 प्रतिशत का द्वितीय सर्वोच्च संअ-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (20.8 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (20.5 प्रतिशत) का स्थान था। डीआरई-जीएसडीपी अनुपात बिहार



(18.7 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (14.0 प्रतिशत), उड़ीसा (13.3 प्रतिशत) और झारखंड (12.9 प्रतिशत) में तुलनात्मक रूप से उच्च पाए गए। 2008-09 (संअ) में हरियाणा ने 3.3 प्रतिशत का न्यूनतम एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। गुजरात (3.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (3.9 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (4.9 प्रतिशत) ने भी 2008-09 (संअ) के दौरान तुलनात्मक रूप से न्यूनतर एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात दर्शाया। छोटे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्यों के खुद के वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सभी राज्यों ने, पश्चिम बंगाल और गुजरात को छोड़कर, 2008-09 के संशोधित अनुमानों में पेंशन राशियों में वृद्धि दर्ज की। बिहार ने जीएसडीपी की तुलना में पेंशन में सर्वोच्च वृद्धि (3.0 प्रतिशत) दर्ज की, जिसके बाद केरल (2.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (2.3 प्रतिशत) का स्थान था।

4.31 छोटे वेतन आयोग के अवार्ड के परिणामस्वरूप वेतन संशोधनों से राजस्व व्यय क्षेत्र में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन हुए। 2009-10 में राजस्व अधिशेष समाप्त हो चुका था और समेकित स्तर पर सभी राज्य जीडीपी के 0.5 प्रतिशत घाटे में होंगे। राज्य सरकारों के समक्ष तात्कालिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सतत विकास और पूंजीगत कार्य संसाधनों की कमी के कारण विलंबित न हो पाए। तात्कालिक भविष्य में इसके लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने और संभवतः उधारियों पर अधिक निर्भर होने की भी आवश्यकता हो सकती है।

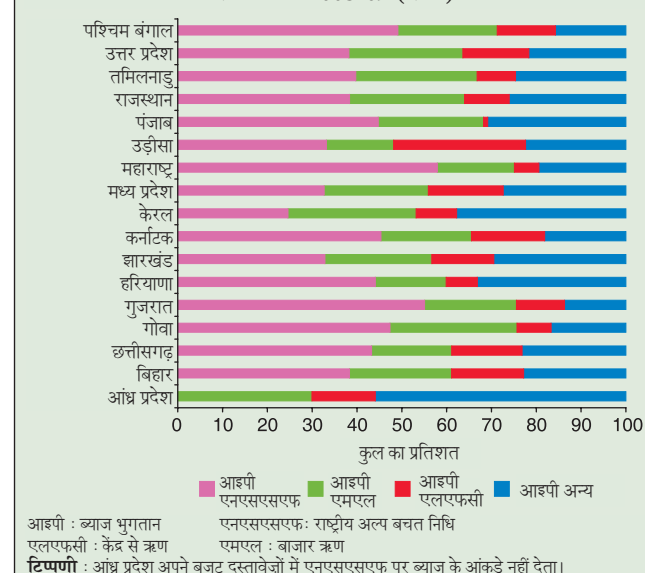
4.32 2008-09 (संअ) में न्यूनतम ब्याज भुगतान अनुपात (आईपी)-जीएसडीपी अनुपात हरियाणा ने (1.3 प्रतिशत) दर्ज किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (1.4 प्रतिशत), तमिलनाडु (1.7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (1.8 प्रतिशत) का स्थान है (सारणी IV.3)। आईपी-जीएसडीपी अनुपात में, झारखंड को छोड़कर, सभी राज्यों में कमी आई तथा गोवा में यह पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना रहा।

4.33 राज्यों के ब्याज भुगतानों में आई कमी क्रमशः ऋण अदला-बदली (स्वैप) योजना और ऋण समेकन तथा ऋण राहत सुविधा (डीसीआरएफ), जिसकी संस्तुति क्रमशः ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई है, के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि 2008-09 (संअ) में एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों, जो डीसीआरएफ के दायरे से बाहर रखी जाती हैं, पर ब्याज भुगतान का हिस्सा कई राज्यों के कुल ब्याज भुगतान दायित्वों के आधे से अधिक रहा है, यथा, महाराष्ट्र (57.9

प्रतिशत) और गुजरात (55.1 प्रतिशत), तथा अन्य राज्यों में यह हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक था, यथा, पश्चिम बंगाल (49.1 प्रतिशत), गोवा (47.4 प्रतिशत), कर्नाटक (45.4 प्रतिशत), पंजाब (44.7 प्रतिशत), हरियाणा (44.1 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (43.3 प्रतिशत)। इसके अलावा, 2008-09 (संअ) के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उनके कुल ब्याज भुगतान में बाजार ऋणों के लिए ब्याज भुगतान का हिस्सा एक-चौथाई से अधिक था। डीसीआरएफ प्रारंभ किए जाने के बावजूद, केंद्र से ऋण के कारण ब्याज भुगतान पंजाब (0.9 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5.5 प्रतिशत), हरियाणा (7.0 प्रतिशत), गोवा (7.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (8.6 प्रतिशत) जैसे राज्यों की तुलना में उड़ीसा (29.4 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (16.7 प्रतिशत), कर्नाटक (16.3 प्रतिशत), बिहार (16.1 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ में (15.7 प्रतिशत) जैसे राज्यों में काफी अधिक है (चार्ट IV.12 और विवरण 17)। बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्यों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है कि वे सामान्य केंद्रीय सहायता के ऋण भाग का उपयोग करें।

4.34 2008-09 (संअ) के दौरान पश्चिम बंगाल में ब्याज भुगतान ने राजस्व प्राप्ति के 30.3 प्रतिशत का पूर्वक्रय कर लिया, जिसके बाद पंजाब (21.2 प्रतिशत), गुजरात (19.9 प्रतिशत), केरल (19.2 प्रतिशत), राजस्थान (18.2 प्रतिशत), और उड़ीसा (16.1 प्रतिशत) आते थे। गैर विशेष श्रेणी में आनेवाले ये सभी

चार्ट IV.12 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का संयोजन - 2008-09 (संअ)



राज्य 2008-09 (संअ) के दौरान ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्तियों (आइपी-आरआर) के संबंध में बारहवें वित्त आयोग का लक्ष्य (15.0 प्रतिशत) प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उच्च आइपी-आरआर अनुपात राज्य सरकारों के व्यय प्रबंधन को कम लचीला बनाता है क्योंकि संसाधनों के एक बड़े भाग को प्राथमिकप्राप्त क्षेत्र यथा, सामाजिक क्षेत्र व्यय और विकास व्यय के वित्तीयन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता (चार्ट IV.13 और विवरण 36 और 37)।

विशेष श्रेणी वाले राज्य

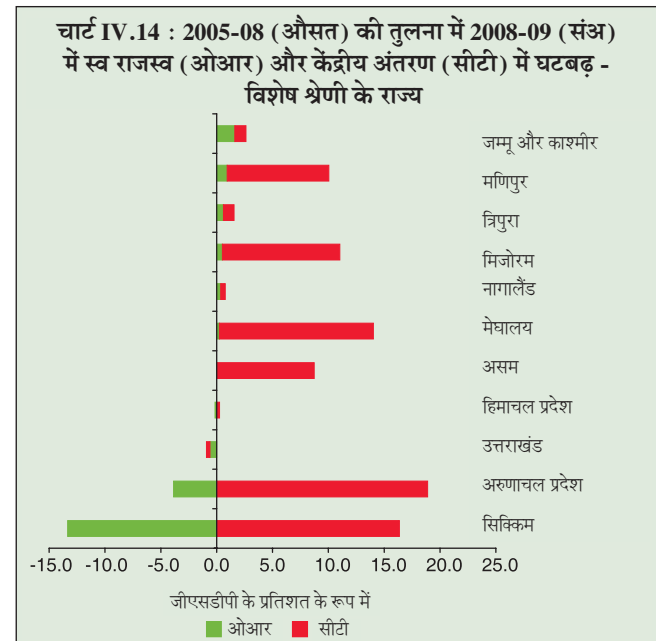
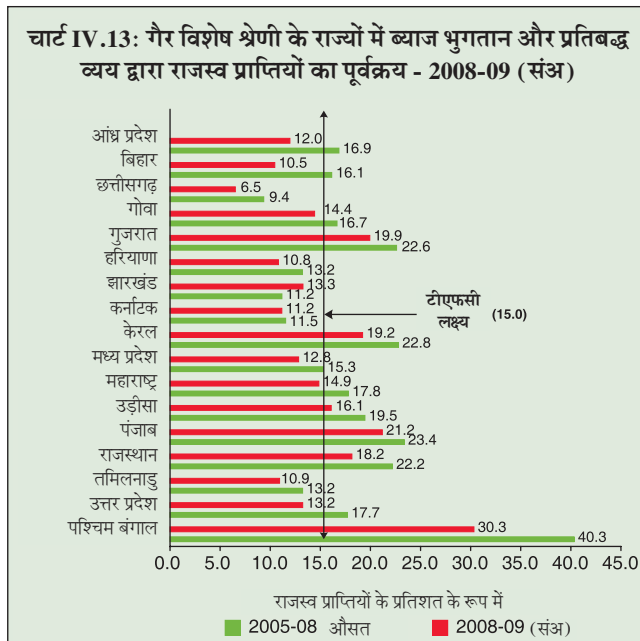
4.35 सामान्यतया विशेष श्रेणी वाले राज्यों में बीपीएल परिवारों की अधिकता के कारण करयोग्य संसाधन का आधार संकरा है। इसको ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों ने विद्यमान अधिनियमों और नियमावली के अंतर्गत करदाता आधार का विस्तार करते हुए, मूलभूत संरचनाओं को मजबूत बनाकर, बेहतर अनुपालन सुनिश्चित कर और कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाते हुए कर वसूलियों को बढ़ाने का निर्णय किया है।

राजस्व प्राप्तियां

4.36 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों जैसी प्रवृत्ति की तरह सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों, उत्तराखंड को छोड़कर, में जीएसडीपी के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर्ज हुई। 2008-09 (संअ) के दौरान

विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, में उनकी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जो मुख्यतया चालू अंतरण राशियों (सीटी) के कारण थी, न कि उनके अपने प्रयासों के कारण। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान सीटी की सर्वाधिक वृद्धि सिक्किम ने दर्ज की, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम और मणिपुर का स्थान था। 2008-09 (संअ) के दौरान, 2005-08 (औसत) की तुलना में केवल उत्तराखंड में चालू अंतरण (सीटी)-जीएसडीपी अनुपात में कमी आई। इसका निहितार्थ है कि 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान विशेष श्रेणी वाले राज्यों द्वारा उच्चतर राजस्व अधिशेष प्राप्त करने में सीटी की भूमिका प्रमुख रही है। अतः विशेष श्रेणी वाले राज्यों में राजकोषीय स्थिरता मुख्य रूप से केंद्रीय अंतरण राशियों पर निर्भर रही है (चार्ट IV.14 और विवरण 18-23)।

4.37 सिक्किम ने 2008-09 (संअ) में 111.1 प्रतिशत की सर्वोच्च राजस्व प्राप्ति (आरआर)-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (88.8 प्रतिशत), मिजोरम (73.8 प्रतिशत) और मणिपुर (64.3 प्रतिशत) का स्थान है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों में केंद्र से प्राप्त अंतरण और न्यागमन का प्रमुख हिस्सा था। अन्य विशेष श्रेणी वाले राज्यों में पायी गयी प्रवृत्ति के प्रतिकूल, सिक्किम में स्व-करेतर राजस्व, मुख्य रूप से राज्य की लॉटरियां, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा था। सिक्किम का स्व-

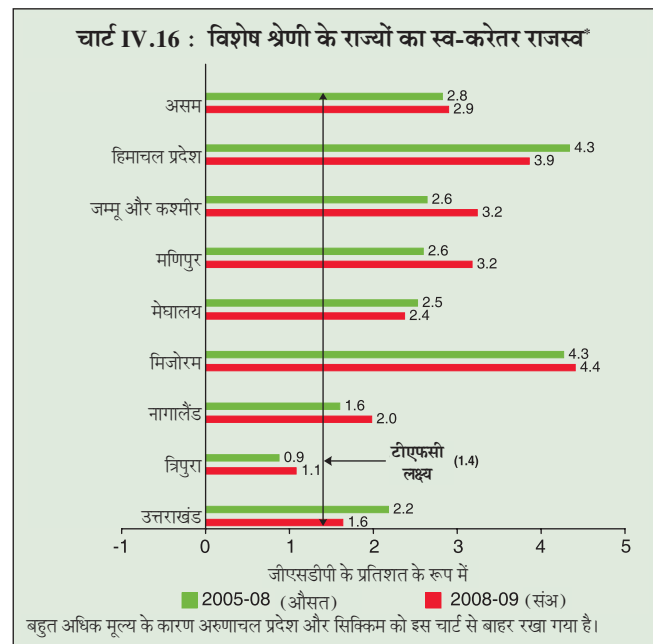
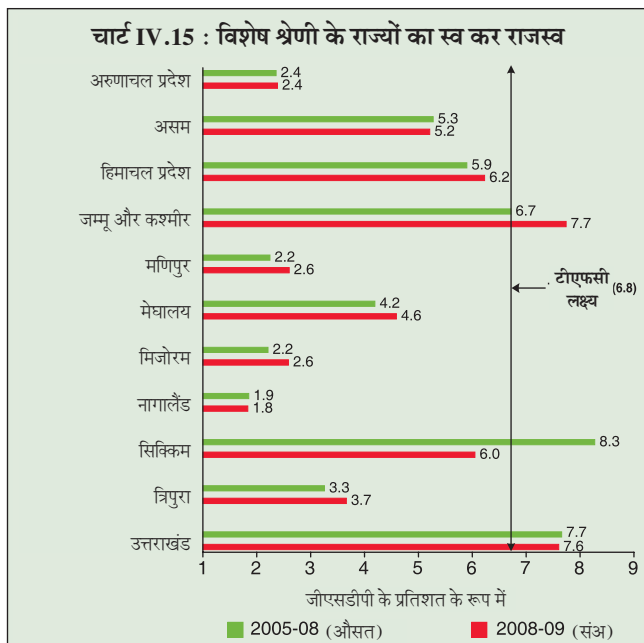


करेतर प्रयास (जीएसडीपी का 44.4 प्रतिशत) विशेष श्रेणी वाले राज्यों में सर्वाधिक था, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (7.3 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 (संअ) के दौरान जम्मू और कश्मीर का स्व-करेतर प्रयास सर्वाधिक (7.7 प्रतिशत) था, जिसके बाद उत्तराखंड (7.6 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (6.2 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.15, 16 और विवरण 19)।

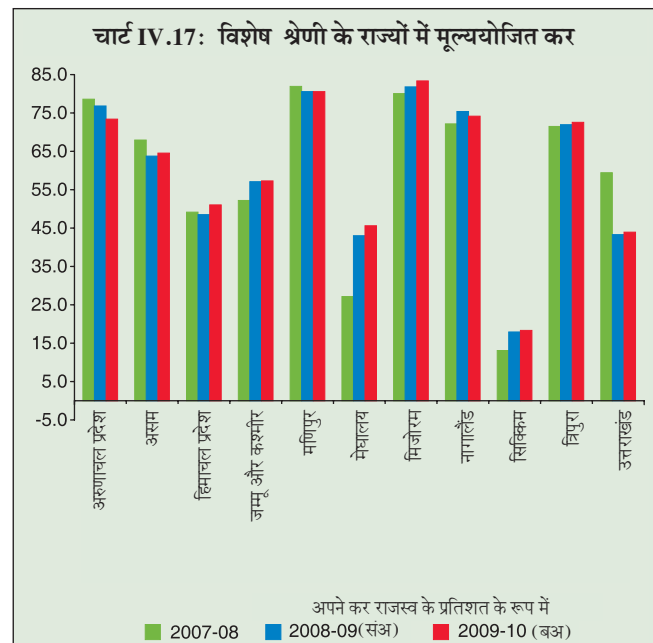
4.38 राज्य सरकारें वैट प्रणाली को ग्राहकों के अनुकूल बनाने की दिशा में उपाय कर रही हैं। साथ ही, कर वंचना को रोकने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए लेखा-परीक्षा और प्रवर्तन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का भी उनका प्रस्ताव है। आर्थिक मंदी के बावजूद, 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों में, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, वैट-जीएसडीपी अनुपात में सुधार हुआ है। 2008-09 (संअ) के दौरान, जम्मू और कश्मीर (4.4 प्रतिशत) का वैट-जीएसडीपी अनुपात सर्वोच्च था, जिसके बाद असम और उत्तराखंड (प्रत्येक 3.3 प्रतिशत) का स्थान था। कर राजस्व स्रोतों में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में वैट के बाद राज्य उत्पाद शुल्क का महत्वपूर्ण स्थान था (सारणी IV.2 और चार्ट IV.17)।

राजस्व व्यय

4.39 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान 9 विशेष श्रेणी वाले राज्यों अर्थात् मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,



हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में जीएसडीपी के रूप में राजस्व व्यय बढ़ा है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड इन दो राज्यों को छोड़कर, जीएसडीपी के रूप में राजस्व व्यय के विकास घटक में वृद्धि हुई है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी की तुलना में विकास राजस्व व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में दर्ज की गई है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम



का स्थान है। इसी अवधि के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय के गैर विकासात्मक घटक (एनडीआरई) में 12.7 प्रतिशत की सर्वाधिक कमी सिक्किम में हुई है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश (0.2 प्रतिशत की गिरावट) का स्थान है (चार्ट IV.18)। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज की है, जिसके बाद मणिपुर और असम का स्थान है।

4.40 विशेष श्रेणी वाले 7 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतानों में गिरावट दर्ज हुई है। तथापि, विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों, मेघालय और सिक्किम को छोड़कर, में इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशन में वृद्धि हुई है (सारणी IV.3 और विवरण 12 और 13)।

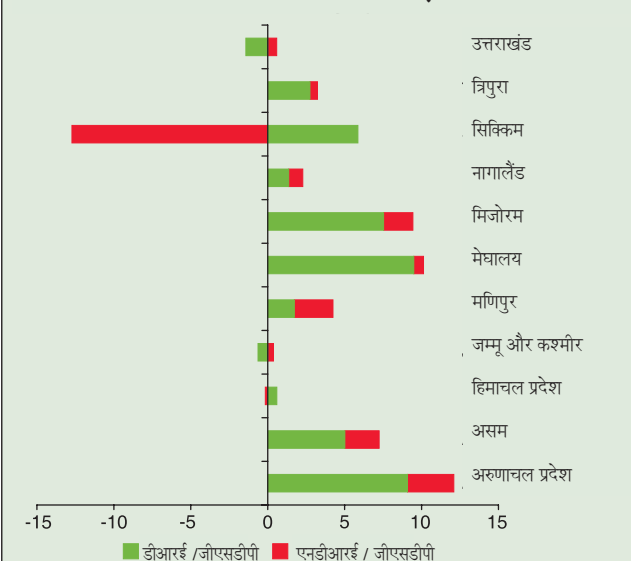
4.41 सिक्किम का संअ-जीएसडीपी अनुपात सर्वाधिक अर्थात् 89.0 प्रतिशत था, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (70.2 प्रतिशत) और मिजोरम (67.2 प्रतिशत) का स्थान था। विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों में उनके कुल राजस्व व्यय में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा विकास राजस्व व्यय का था। अरुणाचल प्रदेश के मामले में विकास राजस्व व्यय 50.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था, जिसके बाद मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम आते थे। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के रूप में 12.7 प्रतिशत

की महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद, 2008-09 (संअ) में 51.1 प्रतिशत के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के साथ सिक्किम आगे था, जिसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते थे।

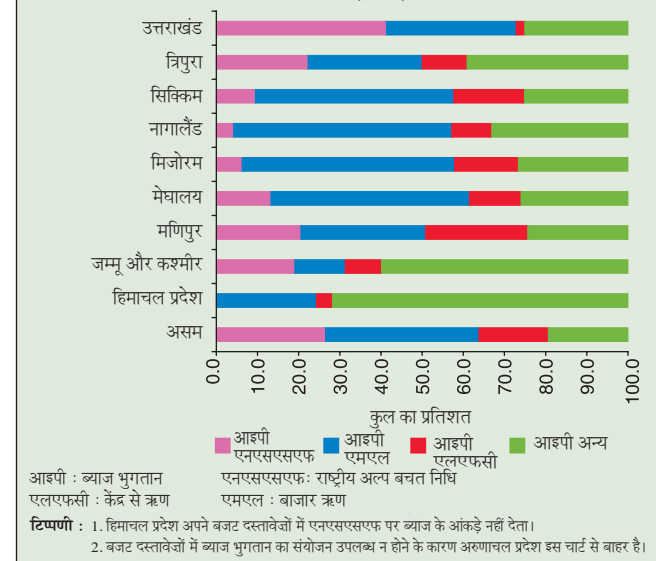
4.42 2008-09 (संअ) के दौरान विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों, मणिपुर को छोड़कर, में उनके कुल ब्याज भुगतानों में केंद्र से प्राप्त ऋणों पर ब्याज भुगतान का हिस्सा अल्प था। एनएसएसएफ पर ब्याज भुगतान उत्तराखंड के मामले में सर्वाधिक अर्थात् 41.1 प्रतिशत था जिसके बाद असम (26.3 प्रतिशत) और त्रिपुरा (22.0 प्रतिशत) का स्थान था। दूसरी ओर नागालैंड के मामले में यह सिर्फ 4.0 प्रतिशत था। नागालैंड का बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान सर्वाधिक अर्थात् 53.3 प्रतिशत था, जिसके बाद मिजोरम (51.9 प्रतिशत) और मेघालय (48.5 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.19)।

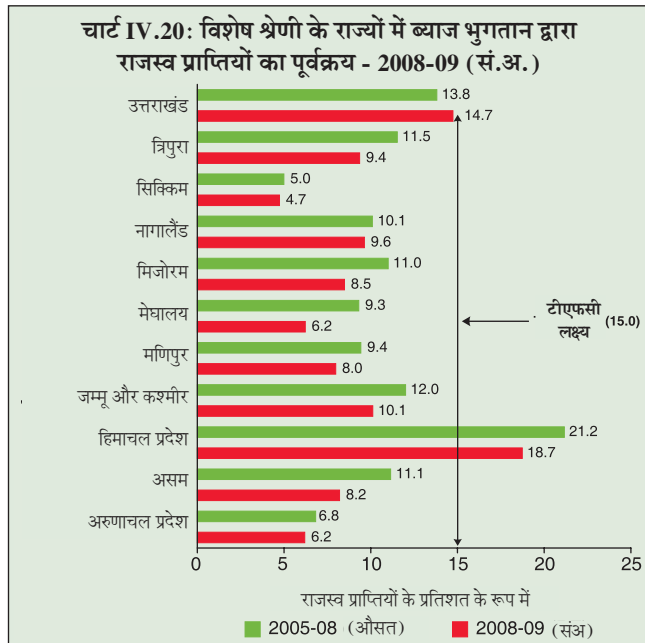
4.43 2008-09 (संअ) के दौरान 6.3 प्रतिशत का सर्वाधिक आइपी-जीएसडीपी अनुपात मिजोरम ने दर्ज किया, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (5.5 प्रतिशत) और सिक्किम (5.3 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 (संअ) में सर्वोच्च पेंशन-जीएसडीपी अनुपात मणिपुर, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर ने दर्ज किया, जो क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत था (सारणी IV.3)। बारहवें वित्त आयोग ने यह परिकल्पना की थी कि राज्यों के ब्याज भुगतान को कम करके राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत पर लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले शेष सभी राज्यों ने 2008-09 (संअ) में आइपी-आरआर के संदर्भ में बारहवें वित्त

चार्ट IV.18: 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य



चार्ट IV.19: विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का संयोजन - 2008-09 (संअ)





आयोग के लक्ष्य (15.0 प्रतिशत) को प्राप्त कर लिया है। सिक्किम के मामले में आइपी-आरआर अनुपात न्यूनतम (4.7 प्रतिशत) था, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय (प्रत्येक 6.2 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.20 और विवरण 17, 36 और 37)।

4. राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

4.44 सार्वजनिक व्यय राज्यों के विकास के लिए सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचना पर सरकार द्वारा किए गए व्यय की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को तीव्रतर करने में सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सार्वजनिक व्यय का आकार, उसकी संरचना और उसकी उत्पादकता महत्वपूर्ण मानक होते हैं। राज्य सरकारों की व्यय प्रबंधन नीतियां व्यय को निगरानीयोग्य, मात्रानिर्धारणीय भौतिक उत्पादनों और परिणामों से जोड़ती हैं, जिनमें पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। पर्याप्त निधीयन द्वारा अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने तथा कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों पर कड़ी निगरानी रखने को प्राथमिकता दी जाती है।

4.45 कुछ गुणात्मक व्ययों अर्थात् पूंजीगत परिव्यय⁷, विकास व्यय⁸ और सामाजिक व्यय⁹ के विश्लेषण का प्रयास यहां किया गया है। गैर विशेष और विशेष दोनों श्रेणी वाले राज्यों के लिए 2005-08 (औसत) और 2008-09 (सं.अ.) अवधि के लिए इन व्यय श्रेणियों संबंधी आंकड़े सारणी IV.4 में दिए गए हैं।

गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.46 सभी गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों, कर्नाटक को छोड़कर, में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) के दौरान जीएसडीपी के अनुपात के रूप में उनके विकास व्यय में वृद्धि हुई है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) के दौरान जीएसडीपी की तुलना में विकास व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि बिहार ने दर्ज की है, जिसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। 2008-09 (सं.अ.) में बिहार ने 27.9 प्रतिशत का जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय का सर्वोच्च अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (18.9 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (18.4 प्रतिशत) और झारखंड (18.3 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी IV.4, चार्ट IV.21 और विवरण 12)।

4.47 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) के दौरान गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने जीएसडीपी के प्रति सामाजिक क्षेत्र (एसएसई) व्यय के अनुपात में वृद्धि दर्ज की। बिहार ने जीएसडीपी के प्रति सामाजिक क्षेत्र व्यय के अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का स्थान था। बिहार ने 2008-09 (सं.अ.) में 17.8 प्रतिशत का सर्वोच्च एसएसई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (13.1), और झारखंड (12.9 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी IV.4 और चार्ट IV.22)(विवरण 41, 42, 46 और 47 भी देखें)।

4.48 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने पूंजीगत परिव्यय (सीओ)-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। बिहार ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि

⁷ पूंजीगत परिव्यय में राज्य सरकारों के विकास और गैर विकास पूंजीगत परिव्यय दोनों ही सम्मिलित हैं।

⁸ विकास व्यय में राजस्व व्यय के विकास घटक, पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

⁹ सामाजिक क्षेत्र व्यय में समाज सेवा पर व्यय, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य संग्रहण और भंडारण तथा ग्रामीण विकास पर व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

सारणी IV.4: राज्य सरकारों का व्यय पैटर्न

राज्य	(प्रतिशत)					
	2005-08 (औसत)			2008-09 (संअ)		
	डीईवी/जीएसडीपी	एसएसई/जीएसडीपी	सीओ/जीएसडीपी	डीईवी/जीएसडीपी	एसएसई/जीएसडीपी	सीओ/जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	14.1	7.0	3.7	17.6	9.9	3.7
2. बिहार	17.2	11.4	4.4	27.9	17.8	8.9
3. छत्तीसगढ़	14.6	9.5	3.8	18.9	13.1	4.3
4. गोवा	14.7	6.6	4.2	16.9	8.2	4.9
5. गुजरात	9.5	5.0	2.8	10.0	5.1	2.9
6. हरियाणा	9.8	4.5	1.9	10.3	5.3	2.0
7. झारखंड	18.3	11.5	4.6	18.3	12.9	5.1
8. कर्नाटक	13.8	7.0	3.7	13.3	7.7	3.5
9. केरल	7.9	5.5	0.7	8.9	6.2	0.9
10. मध्य प्रदेश	15.5	8.4	4.8	17.8	10.6	4.3
11. महाराष्ट्र	9.3	5.4	2.1	10.1	5.5	2.8
12. उड़ीसा	10.8	7.0	1.8	15.9	10.6	2.7
13. पंजाब	8.5	3.7	1.7	10.6	5.7	3.0
14. राजस्थान	13.6	8.5	3.5	14.4	10.1	3.1
15. तमिलनाडु	10.1	6.3	2.1	12.1	7.8	2.6
16. उत्तर प्रदेश	13.6	7.9	4.2	18.4	10.7	6.3
17. पश्चिम बंगाल	7.4	5.1	0.8	10.8	6.1	1.2
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	58.2	25.4	17.3	91.4	32.3	42.4
2. असम	13.4	8.2	2.2	21.3	12.8	5.1
3. हिमाचल प्रदेश	18.5	11.4	3.8	21.2	13.1	5.7
4. जम्मू और कश्मीर	32.5	15.4	13.1	34.3	16.1	16.3
5. मणिपुर	40.0	19.6	15.9	52.9	24.7	26.0
6. मेघालय	22.3	12.8	4.6	34.7	17.7	7.3
7. मिजोरम	53.9	27.2	16.2	62.0	36.9	17.0
8. नागालैंड	28.5	14.4	10.6	32.3	16.1	13.4
9. सिक्किम	48.3	27.3	17.4	69.6	35.1	34.9
10. त्रिपुरा	19.7	12.0	7.7	25.9	15.7	11.9
11. उत्तराखंड	18.8	10.7	6.2	16.6	9.2	5.6
सभी राज्य#	9.1	5.2	2.3	11.0	6.5	2.8
जापन मद:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.4	4.5	1.8	9.2	5.7	2.4
2. पुदुचेरी	25.1	11.9	4.3	30.0	14.4	4.3

संअ: संशोधित अनुमान.

डीईवी: विकास व्यय.

एसएसई: सामाजिक क्षेत्र के व्यय.

सीओ: पूंजीगत परिव्यय.

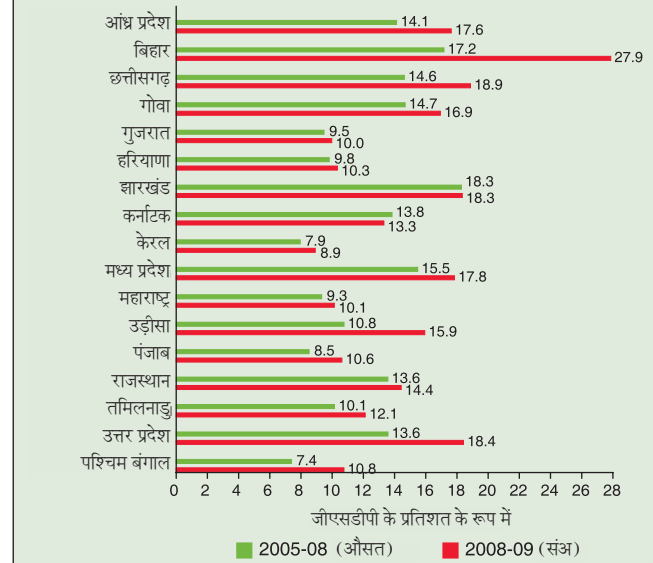
जीएसडीपी: सकल राज्य देशी उत्पाद.

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

दर्ज की, उसके बाद उसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा का स्थान था। बिहार ने 2008-09 (संअ) के दौरान 8.9 प्रतिशत का सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (6.3 प्रतिशत) और झारखंड (5.1 प्रतिशत) का स्थान था।

चार्ट IV.21: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के विकासात्मक व्यय

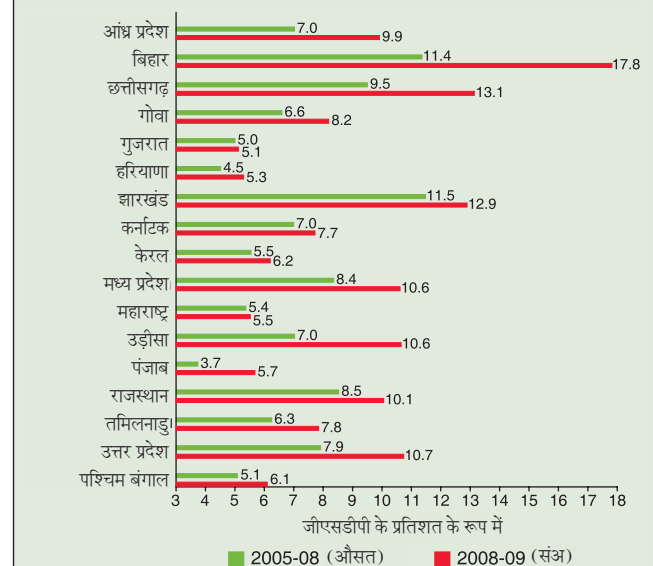


तथापि, 2008-09 (संअ) के दौरान सीओ-जीएसडीपी अनुपात का स्तर केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बहुत कम था (सारणी IV.4 और चार्ट IV.23)।

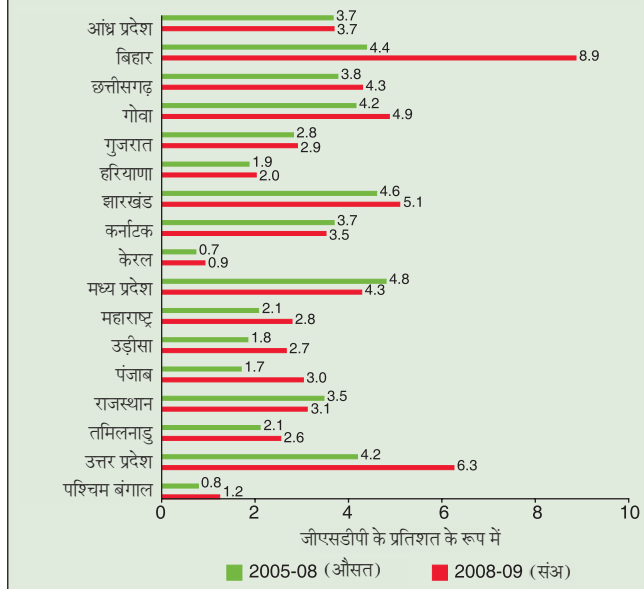
विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.49 विशेष श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले राज्यों ने पूंजीगत निवेशों में सर्वाधिक व्यय करके व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता

चार्ट IV. 22: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के सामाजिक क्षेत्र व्यय



चार्ट IV. 23: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के पूंजीगत परिव्यय

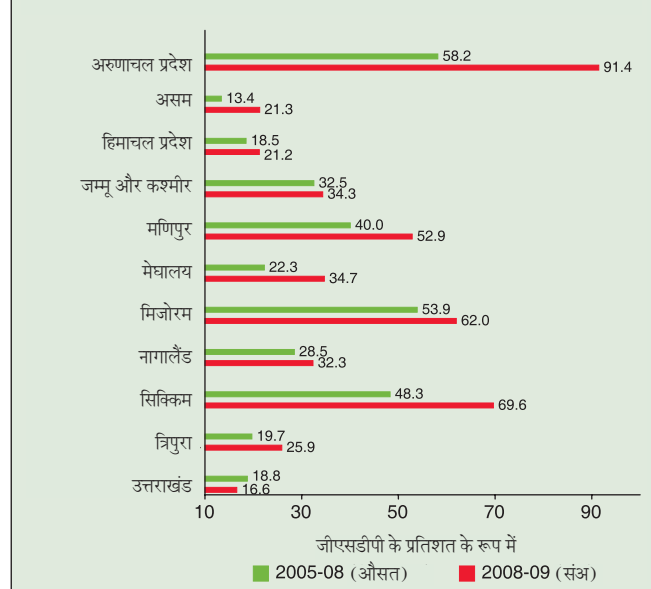


को अधिक महत्व दिया। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय के अनुपात में उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि में जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज की तथा उसके बाद सिक्किम और मणिपुर आते हैं। 2008-09 (संअ) में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश ने 91.4 प्रतिशत का जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय का सर्वोच्च अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद सिक्किम (69.6 प्रतिशत) और मिजोरम (62.0 प्रतिशत) का स्थान है (सारणी IV.4, चार्ट IV.24 और विवरण 12)।

4.50 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में से मिजोरम ने जीएसडीपी के प्रति सामाजिक क्षेत्र व्यय के अनुपात में 36.9 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद सिक्किम (35.1 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (32.3 प्रतिशत) का स्थान आता है (सारणी IV.4, चार्ट IV.25 और विवरण 41, 42, 46 और 47)।

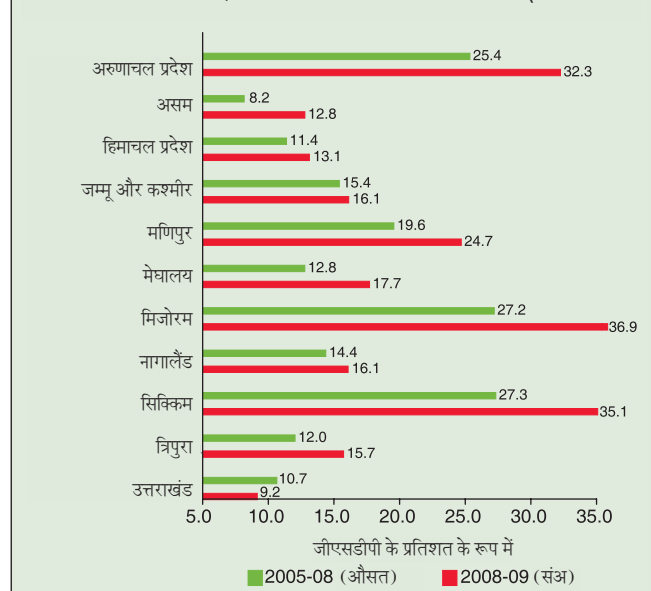
4.51 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने सीओ-

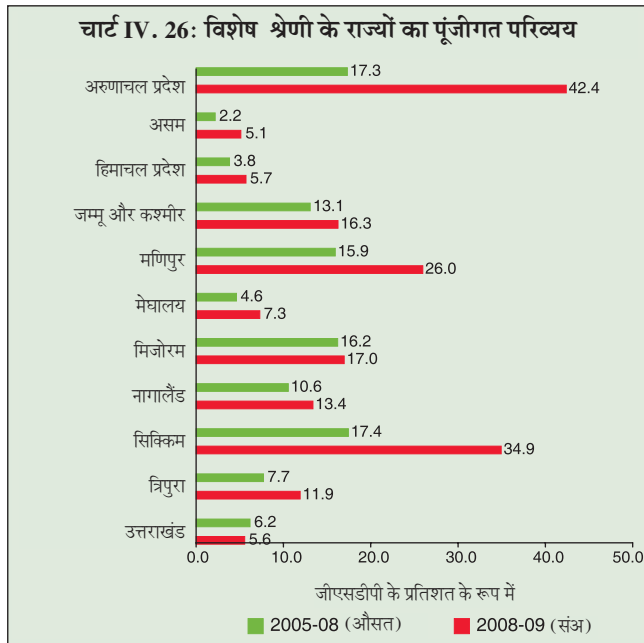
चार्ट IV. 24: विशेष श्रेणी के राज्यों के विकासात्मक व्यय



जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि में अरुणाचल प्रदेश ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद सिक्किम और मणिपुर आते हैं। 2008-09 (संअ) में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश ने 42.4 प्रतिशत का सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद सिक्किम (34.9 प्रतिशत) और मणिपुर (26.0 प्रतिशत) आते हैं (सारणी IV.4 और चार्ट IV.26)।

चार्ट IV. 25: विशेष श्रेणी के राज्यों का सामाजिक क्षेत्र व्यय





5. निष्कर्ष

4.52 हाल ही में राज्य वित्त में आए महत्वपूर्ण टर्नअराउंड, जैसा कि 2007-08 तक घाटा संकेतकों के सुधारित स्तर में परिलक्षित है, ने राज्य सरकारों को आवश्यक कुशन प्रदान किया, जिससे वे 2008-09 के दौरान मंदी के नकारात्मक प्रभाव को सह सकीं और छोटे वेतन आयोग/राज्यों के खुद के वेतन आयोगों से उत्पन्न बढ़े हुए दबावों को भी सह सकीं, जबकि पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय ऐसी स्थिति नहीं थी। राज्यवार स्थिति को देखने से पता चलता है कि 2008-09 (संअ) के दौरान, अधिकांश राज्य (केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा को छोड़कर) अपनी अधिशेष

स्थिति को बनाए रखने में सक्षम थे, भले ही उनका स्तर कम था। मंदी के बावजूद मेघालय, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों ने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3.0 प्रतिशत से कम रखने में कामयाबी पाई है।

4.53 तथापि 2009-10 में मंदी का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्योंकि राजस्व अधिशेष की स्थिति वाले राज्यों की संख्या 2008-09 (संअ) के 24 राज्यों की तुलना में तेजी से गिरकर इस वर्ष के दौरान 14 रह गई। इसका मुख्य कारण था - राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय में उच्च वृद्धि का होना। इसके परिणामस्वरूप, सभी राज्यों ने 2009-10 में समेकित स्तर पर जीडीपी के 0.5 प्रतिशत पर राजस्व घाटे का बजट प्रावधान किया था। राजस्व लेखे में कमी के अनुरूप, सभी राज्यों में, केवल छह राज्यों यथा, केरल, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु को छोड़कर, जीएफडी में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। 2009-10 (बअ) के दौरान, घाटे के संकेतकों की खराब स्थिति के लिए मुख्यतया गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, राज्यों के राजस्व लेखे के कुल क्षरण में गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों का हिस्सा 77.5 प्रतिशत होगा और जीएफडी की वृद्धि में उनका हिस्सा 81.5 प्रतिशत होगा। ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात के रूप में सभी राज्यों के बीच काफी चौड़ी खाई है। 2008-09 (संअ) में कर्नाटक का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात 10.7 प्रतिशत पर सर्वोच्च था, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में यह 4.7 और 5.5 प्रतिशत के न्यूनतर स्तर पर था।

वर्षों के दौरान, राजस्व घाटे के ऊंचे स्तर ने राजकोषीय घाटे में वृद्धि की तथा ऋण की बढ़ती हुई मात्रा ने राज्य सरकारों के लिए घाटे, ऋण तथा ऋण चुकौती के कभी खत्म न होने वाले चक्र को जन्म दिया। बकाया देयताओं का बढ़ता हुआ स्तर न केवल ऋण की निर्वहनीयता बल्कि अंतर पीढ़ीगत असमानता के प्रश्न को भी जन्म देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों को मध्यावधि में निर्वहनीय स्तर पर बनाये रखने के लिए राज्य स्तरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अधिनियमन द्वारा नियम आधारित राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने समेकित ऋण शोधन निधि तथा गारंटी शोधन निधि का गठन किया है तथा गारंटियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की है जिसने बकाया देयताओं की मात्रा कम करने में सहायता की है। ऋण के उच्च स्तर की निर्वहनीयता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में ऋण के उस स्तर का निर्धारण किया है जिसे वे निर्धारित समयावधि में प्राप्त करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, 2005-08 के दौरान ऋण के सभी मापदंडों में सुधार परिलक्षित हुआ है। 2008-09 (सं.अ.) तथा 2009-10 (ब.अ.) में घाटे की मात्रा में बढ़ोतरी किए जाने के अनुरूप ऋण की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। राज्यों के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु बाजार उधारियां एक महत्वपूर्ण लिखत के रूप में उभरकर आई हैं।

1. भूमिका

5.1 राज्यों के ऋण संकेतकों में हाल की अवधि में जो सुधार देखा गया था उसमें चालू वर्ष के दौरान व्यवधान आने की संभावना है। वैश्विक वित्तीय संकट तथा आर्थिक मंदी के प्रभाव को न्यूनतम करने के प्रतिचक्रिय उपायों के रूप में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटे में उनके सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की अनुमति दी। इस प्रकार, राज्य सरकारों को उनके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर बाजार से अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गयी। उगाही गई अतिरिक्त राशि पूंजीगत निवेश हेतु उपयोग करने के लिए थी। इसके अलावा, केन्द्रीय बजट 2009-10 में एफआरबीएम के अंतर्गत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.5 प्रतिशत से शिथिल करके जीएसडीपी का 4.0 प्रतिशत करते हुए राज्य सरकारों को उनके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गयी। राज्य सरकारों को जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में छूट देने के अलावा राजस्व घाटे को शून्य के स्तर पर बनाए रखने की ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डीसीआरएफ) की अपेक्षा में भी छूट दी गयी। भारत सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया कि वे अपने एफआरएल में तदनुसार संशोधन करें। राज्य सरकारों को राजकोषीय मापदंडों में अतिरिक्त छूट दिए जाने के बावजूद 2008-09 (सं.अ.) में 14 राज्यों का जीएफडी 3.5 प्रतिशत से

कम था जबकि 13 राज्यों ने 2009-10 (ब.अ.) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 4.0 प्रतिशत के नीचे रखने के लिए प्रस्ताव किया था। तथापि, 2007-08 (लेखा) के 1.5 प्रतिशत के समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात की तुलना में इसका 2008-09 (सं.अ.) तथा 2009-10 (ब.अ.) में क्रमशः 2.6 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत पर उच्चतर हो जाना राज्य सरकारों की ऋण निर्वहनीयता हेतु निहितार्थ रखता है। इस संबंध में राज्य सरकारों के व्यय के आबंटन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसके साथ उनकी भविष्य में ऋण चुकाने की क्षमता जुड़ी हुई है।

5.2 ऋण की निर्वहनीयता के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों द्वारा राजकोषीय अनुशासन का पालन करने की जरूरत पर बल दिया है तथा यह सुझाव दिया है कि राज्यों का समग्र उधार कार्यक्रम निर्धारित सीमा के भीतर रहना चाहिए और सभी स्रोतों से प्राप्त होनेवाली उधारियों को हिसाब में लेते हुए वार्षिक आधार पर इसका निर्धारण करना चाहिए। राज्य सरकारें ऋण के स्तर को सीमित रखने के लिए क्रमशः संस्थागत उपायों को लागू कर रही हैं, साथ ही एफआरएल के अधिनियमन, समेकित ऋण शोधन निधि एवं गारंटी शोधन निधि के गठन और गारंटियों की अधिकतम सीमा के निर्धारण द्वारा इसे निर्वहनीय स्तर तक लाने के प्रयास कर रही हैं। इस अध्याय में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं, बाजार उधारियों, आकस्मिक देयताओं एवं अर्थोपाय अग्रिमों व ओवरड्राफ्ट का विश्लेषण किया गया है।

2. बकाया देयताएं¹⁰

मात्रा

5.3 मार्च 1991 के अंत में राज्य सरकारों की समेकित बकाया देयताएं 1,28,155 करोड़ रुपए (जीडीपी का 22.5 प्रतिशत) थीं। ऋण-जीडीपी अनुपात, जो मार्च 1997 के अंत में 20.7 प्रतिशत था, मार्च 2004 के अंत में तेजी से बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गया। इसका कारण बड़ी मात्रा में तथा निरंतर हुए राजस्व घाटे के चलते सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के उच्च स्तर पर बने रहने के कारण ऋण की मात्रा में भारी वृद्धि होना तथा इस अवधि में ऋण चुकौती के भार में तदनुरूपी वृद्धि होना है। उच्च स्तर के ऋण की निर्वहनीयता से जुड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) में निर्धारित समयावधि में लिए जाने वाले ऋण की मात्रा का निर्धारण किया है। बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा मार्च 2010 के अंत तक प्राप्त करने के लिए 30.8 प्रतिशत का ऋण-जीडीपी अनुपात निर्धारित किया था। इसके अलावा, बारहवें वित्त आयोग ने 2009-10 के अंत तक राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली उधारियों को सीमित करने (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) की सिफारिश की थी। बारहवें वित्त आयोग ने 2009-10 तक राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का 15 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त कर लेने की भी सिफारिश की थी। राज्यों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था को अपनाए जाने पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन उपाय से जुड़ी ऋण राहत व्यवस्था ने बकाया देयताओं की मात्रा को सीमित करने में सहायता की है।

5.4 राज्य सरकारों का ऋण-जीडीपी अनुपात मार्च 2004 के अंत के 32.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से 2008-09 (सं.अ.) में घटकर 26.2 प्रतिशत हो गया (सारणी V.1, चार्ट V.1 तथा परिशिष्ट सारणी 19-20)। राज्यों का समेकित ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्ति अनुपात 2003-04 के 26.0 प्रतिशत से घटकर 2008-09 (सं.अ.) में 14.4 प्रतिशत हो गया।

5.5 ऋण-जीडीपी अनुपात में, बकाये का स्तर मार्च 2008 के अंत के 1,328,302 करोड़ रुपए से 10.1 प्रतिशत बढ़कर 1,462,755 करोड़ रुपए हो जाने के बावजूद, वर्ष के दौरान 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, मार्च 2010 के अंत में, बकाया ऋण की राशि बढ़कर 1,636,403 करोड़ रुपए (जीडीपी का 26.5 प्रतिशत) हो जाने का

सारणी V.1 : राज्य सरकार की बकाया देयताएं
(मार्च के अंत में)

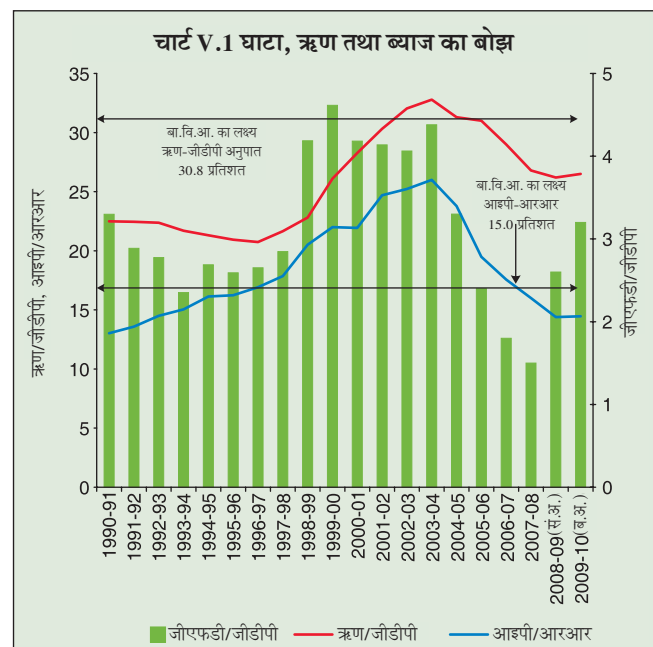
वर्ष	राशि	वार्षिक वृद्धि	ऋण/जीडीपी
		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1	2	3	4
1991	1,28,155	-	22.5
1997	2,85,898	14.6	20.7
1998	3,30,816	15.7	21.7
1999	3,99,576	20.8	22.8
2000	5,09,529	27.5	26.1
2004	9,03,174	14.8	32.8
2008	13,28,302	7.0	26.8
2009 (सं.अ.)	14,62,755	10.1	26.2
2010 (ब.अ.)	16,36,403	11.9	26.5

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान '-': लागू नहीं.

स्रोत:

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2. भारत में संघ तथा राज्य सरकारों के समेकित वित्त तथा राजस्व लेखा, सीएजी, भारत सरकार।
3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. रिजर्व बैंक के रिकार्ड।
5. केन्द्रीय वित्त लेखा, भारत सरकार।

अनुमान है। इसके बावजूद मार्च 2010 के अंत तक ऋण-जीडीपी अनुपात को 30.8 प्रतिशत से नीचे लाने के बारहवें वित्त आयोग के निर्धारण को पूरा करने में राज्य सरकारें सफल होंगी।

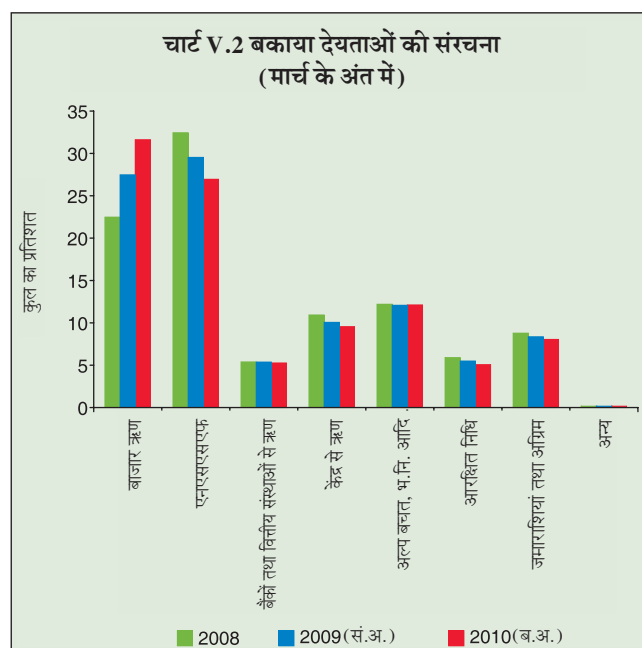


¹⁰ राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संकलन भारत में संघ तथा राज्य सरकारों के समेकित वित्त तथा राजस्व लेखा, सीएजी, भारत सरकार, केन्द्र सरकार के वित्त लेखों, वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज सहित विभिन्न स्रोतों से किया गया है।

ऋण की संरचना

5.6 ब्याज के भुगतान के संदर्भ में, बकाया ऋण की संरचना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उधार के प्रकार तथा परिपक्वता ढांचे के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार की ऋण लिखतों पर ब्याज दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। जैसा कि सारणी V.2 तथा चार्ट V.2 से स्पष्ट होता है, बाजार उधारियों के हिस्से में वर्षों के दौरान तीव्र बढ़ोतरी हुई है और मार्च 2010 के अंत में इसका हिस्सा कुल बकाया देयताओं का लगभग एक-तिहाई हो जाएगा। तथापि, केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण के हिस्से में गिरावट आई। मार्च 2007 के अंत से राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के प्राधान्य में भी लगातार गिरावट आती रही है और मार्च 2010 के अंत में इसका योगदान कुल बकाया देयताओं के लगभग एक-चौथाई हिस्से तक रहने का अनुमान किया गया है। कुल बकाया देयताओं में उच्च लागत वाली ऋण लिखतों, अर्थात् अल्प बचत तथा भविष्य निधि जैसे सार्वजनिक खाते का हिस्सा मार्च 2005 के अंत के 25.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 26.9 प्रतिशत हो गया था, परंतु उसके बाद इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। बाजार उधारियों का हिस्सा बकाया देयताओं की तुलना में एक-तिहाई है और यह राज्य के कम लागत वाले ऋण के हिस्से को दर्शाता है।

5.7 यहां एक बात का उल्लेख करना जरूरी है कि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्थित



राशि तथा तत्संबंधी शर्तों सहित बकाया देयताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है (जैसे ब्याज दर तथा परिपक्वता ढांचा)। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से आपस में तय करके लिए गए ऋणों के संबंध में विशेष तौर पर ऐसा होता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों की ऋण संबंधी स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करना संभव नहीं हो पाता। 1990-91 से 2009-10

सारणी V.2: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)								
मद	1991	2000	2005	2006	2007	2008	2009 (संअ)	2010 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल देयताएं (1 से 4)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. आंतरिक ऋण	15.0	24.8	58.7	60.9	61.5	62.1	63.9	65.1
जिसमें से:								
(i) बाजार ऋण	12.2	14.8	21.1	19.9	19.6	22.5	27.5	31.6
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	5.0	27.8	31.9	34.3	32.4	29.5	26.9
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2.0	3.4	6.7	6.3	5.6	5.4	5.4	5.3
2. केन्द्र से ऋण और अग्रिम	57.4	45.2	15.8	13.7	11.8	10.9	10.1	9.6
3. सार्वजनिक लेखे (i से iii)	26.8	29.9	25.5	25.3	26.6	26.9	25.9	25.2
(i) अल्प बचत, राज्य पीएफ, आदि	13.2	15.8	12.9	12.3	12.1	12.2	12.1	12.1
(ii) आरक्षित निधि	3.7	3.9	5.2	5.5	6.3	5.9	5.5	5.1
(iii) जमा राशियां और अग्रिम	10.0	10.2	7.4	7.6	8.1	8.8	8.4	8.0
4. आकस्मिकता निधि	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान।

—: शून्य / नगण्य / लागू नहीं।

स्रोत: सारणी V.1 में दिए गए अनुसार।

(ब.अ.) तक के राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की विस्तृत संरचना परिशिष्ट सारणी 19 तथा 20 में दी गयी है जबकि बकाया देयताओं की राज्य-वार संरचना विवरण 26-28 में दी गयी है।

3. राज्य-वार ऋण स्थिति

5.8 इस खंड में गैर-विशेष तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के ऋण के स्तर¹¹ में राज्य-वार अंतर का विश्लेषण किया गया है। राज्य-वार ऋण-जीएसडीपी स्थिति की जानकारी सारणी V.3 में दी गयी है।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

5.9 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) में गोवा को छोड़कर गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सुधार दिखाई दिया। अवधि के दौरान उड़ीसा ने जीएसडीपी में 9.5 प्रतिशत से भी अधिक का सुधार दर्शाया जिसके बाद गुजरात (5.4 प्रतिशत) तथा छत्तीसगढ़ (4.9 प्रतिशत) का क्रम था। 2008-09 (सं.अ.) के दौरान उत्तर प्रदेश का ऋण-जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक 50.8 प्रतिशत था जिसके बाद बिहार (49.1 प्रतिशत), राजस्थान (43.8 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (43.2 प्रतिशत) तथा पंजाब (40.0 प्रतिशत) का क्रम था। दूसरी ओर हरियाणा के मामले में यह अनुपात कम अर्थात् 17.8 प्रतिशत था उसके बाद छत्तीसगढ़ (19.0 प्रतिशत), तमिलनाडु (24.2 प्रतिशत), कर्नाटक (25.5 प्रतिशत), महाराष्ट्र (26.1 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश तथा गुजरात (दोनों 30.0 प्रतिशत) तथा झारखंड (30.5 प्रतिशत) का क्रम था। केवल उक्त आठ राज्यों ने 2008-09 (सं.अ.) में बारहवें वित्त आयोग के 30.8 प्रतिशत के ऋण-जीएसडीपी लक्ष्य को हासिल किया (चार्ट V.3)।

5.10 ब्याज भुगतान के भारी बोझ से राजस्व घाटे में वृद्धि होती है तथा इससे सकल राजकोषीय घाटे में भी बढ़ोतरी होती है। इसके परिणामस्वरूप घाटा, ऋण तथा ब्याज भुगतान का कभी खत्म न होने वाला चक्र भयावह रूप ले लेता है। 2008-09 (सं.अ.) में ग्यारह गैर-विशेष श्रेणी राज्यों यथा - छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा तथा महाराष्ट्र का राजस्व प्राप्ति के प्रति ब्याज भुगतान अनुपात,

सारणी V.3: राज्य सरकारों के ऋण संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औ)	2008-09 (सं.अ.)
	ऋण/ जीएसडीपी	ऋण/ जीएसडीपी
1	2	3
I. गैर विशेष श्रेणी		
1. आंध्र प्रदेश	33.6	30.0
2. बिहार	51.8	49.1
3. छत्तीसगढ़	23.9	19.0
4. गोवा	38.5	36.7
5. गुजरात	35.4	30.0
6. हरियाणा	22.5	17.8
7. झारखंड	30.6	30.5
8. कर्नाटक	27.1	25.5
9. केरल	37.1	35.6
10. मध्य प्रदेश	40.5	38.8
11. महाराष्ट्र	30.8	26.1
12. उड़ीसा	46.0	36.5
13. पंजाब	43.2	40.0
14. राजस्थान	48.2	43.8
15. तमिलनाडु	25.4	24.2
16. उत्तर प्रदेश	54.0	50.8
17. पश्चिम बंगाल	47.1	43.2
II. विशेष श्रेणी		
1. अरुणाचल प्रदेश	76.5	74.3
2. असम	30.4	29.2
3. हिमाचल प्रदेश	63.9	57.4
4. जम्मू और कश्मीर	68.9	69.7
5. मणिपुर	79.3	77.5
6. मेघालय	41.4	41.5
7. मिजोरम	115.8	115.9
8. नागालैंड	51.1	50.1
9. सिक्किम	70.3	74.1
10. त्रिपुरा	47.5	37.2
11. उत्तराखंड	44.0	40.3
सभी राज्य#	28.9	26.2
ज्ञापन मद:		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	19.5	15.2
2. पुदुचेरी	31.8	42.4

औ: औसत।

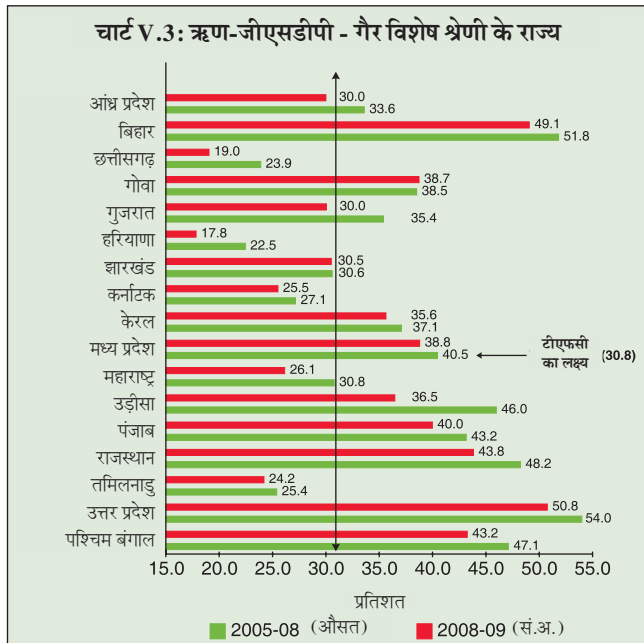
जीएसडीपी: सकल राज्य देशी उत्पाद।

: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर।

जिसका ऋण की निर्वहनीयता से संबंध है, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 15.0 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम था। तथापि, अन्य

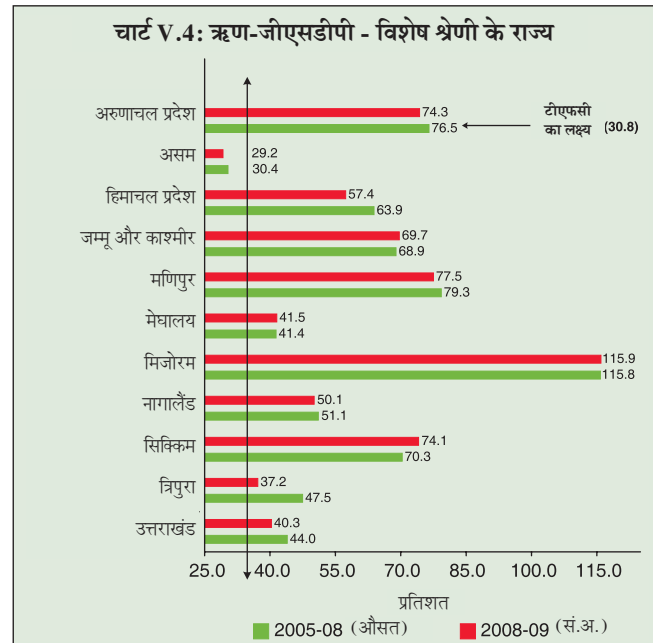
¹¹ विवरण 26-28 में बकाया देयताओं का राज्य-वार तथा घटक-वार रूप में विस्तृत ब्योरा दिया गया है। मार्च 2000 के अंत में विभाजित किए गए तीन राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश) की बकाया देयताओं का संविभाजन नये बनाये गए तीन राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड) में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है।



बातों के साथ-साथ, छह राज्यों यथा - पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, केरल, राजस्थान तथा उड़ीसा का ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्ति (आइपी-आरआर) अनुपात बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 15.0 प्रतिशत की सीमा से अधिक था, यद्यपि 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) में इस अनुपात में गिरावट आई है। आइपी-आरआर अनुपात के उच्च स्तर पर बने रहने से राज्य सरकारों के व्यय प्रबंधन में लचीलापन कम हो जाता है क्योंकि संसाधनों का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाने के कारण इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अर्थात् सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा विकास व्यय, के वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाना संभव नहीं हो पाता।

विशेष श्रेणी के राज्य

5.11 विशेष श्रेणी के ग्यारह राज्यों में से सात राज्यों ने 2008-09 (सं.अ.) में 2005-08 (औसत) की तुलना में ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सुधार दर्ज किया। 2008-09 (सं.अ.) में 2005-08 (औसत) की तुलना में त्रिपुरा के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सबसे अधिक अर्थात् 10.3 प्रतिशत का अधिकतम सुधार हुआ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (6.5 प्रतिशत), उत्तराखंड (3.6 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (2.2 प्रतिशत), मणिपुर (1.8 प्रतिशत), असम (1.1 प्रतिशत) तथा नागालैंड (1.0 प्रतिशत) का क्रम था। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान चार विशेष श्रेणी के राज्यों यथा - सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय तथा मिजोरम के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में विकृति आई। 2008-09 (सं.अ.) के दौरान



मिजोरम ने 115.9 प्रतिशत का उच्चतम ऋण - जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसके बाद मणिपुर (77.5), अरुणाचल प्रदेश (74.3), सिक्किम (74.1) तथा जम्मू और कश्मीर (69.7) का क्रम था। विशेष श्रेणी के राज्यों में केवल असम एक ऐसा राज्य था जिसने 2008-09 (सं.अ.) के दौरान 30.8 प्रतिशत के ऋण-जीएसडीपी के लक्ष्य को पूरा किया (चार्ट V.4)। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर 2008-09 (सं.अ.) के दौरान विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्ति अनुपात के लक्ष्य (15.0 प्रतिशत) को प्राप्त किया। सिक्किम के मामले में आइपी-आरआर अनुपात न्यूनतम (4.7 प्रतिशत) था इसके बाद अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय (दोनों का 6.2 प्रतिशत) का था।

4. बाजार उधारियां

समेकित स्थिति

5.12 राज्य सरकारों ने विभिन्न अवधियों (मुख्यतः 10 वर्ष की परिपक्वता वाली) की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं तथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने इनका अभिदान किया। राज्य सरकारों की बकाया देयताओं में बाजार उधारियों के हिस्से में मार्च 2000 के अंत से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और यह मार्च 2000 के अंत के 14.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़कर 27.5 प्रतिशत हो गया। एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहण में कमी आने के चलते बाजार उधारियों पर निर्भरता बढ़ी है।

5.13 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों के उच्च लागत वाले (10 प्रतिशत से अधिक ब्याज वाले) बाजार ऋणों के हिस्से में और गिरावट आई। मार्च 2009 के अंत में 10 प्रतिशत और उससे अधिक ब्याज दर वाले बाजार ऋणों का बकाया स्टॉक मार्च 2008 के अंत में 18.4 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत हो गया है (सारणी V.4)। 2008-09 (सं.अ.) में देखी गई एक उत्साहजनक बात यह है कि 8 प्रतिशत से कम ब्याज दर वाले बकाया बाजार ऋणों के हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि 8-10 प्रतिशत के ब्याज दर वाले बाजार ऋणों का बकाया हिस्सा मार्च 2008 के अंत के 27.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 34.4 प्रतिशत हो गया है।

2008-09 के दौरान बाजार उधारियों का आबंटन

5.14 भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार राज्य सरकारों को बाजार उधारियों के निवल आबंटन में 2002-03 से लगातार वृद्धि हो रही है (सारणी V.5 तथा परिशिष्ट सारणी 21)। कुल निवल आबंटन पिछले वर्ष के 69,015 करोड़ रुपए की तुलना में तेजी से बढ़कर 2008-09 के दौरान 1,14,709 करोड़ रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी एनएसएसएफ में कमी की वजह से अतिरिक्त आबंटन किए जाने तथा 62,990 करोड़ रुपए के दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के कारण हुई है। 14,371 करोड़ रुपए की चुकौती को हिसाब

सारणी V.4: राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की ब्याज दर प्रोफाइल (मार्च के अंत में)

ब्याज दर का दायरा	बकाया राशि (करोड़ रुपए)		कुल की तुलना में प्रतिशत	
	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5
5.00-5.99	33,825	34,825	11.3	8.7
6.00-6.99	58,564	74,606	19.6	18.6
7.00-7.99	69,759	1,13,906	23.4	28.3
8.00-8.99	76,112	1,25,750	25.5	31.3
9.00-9.99	5,412	12,371	1.8	3.1
10.00-10.99	14,418	14,418	4.8	3.6
11.00-11.99	16,869	14,583	5.7	3.6
12.00-12.99	23,550	11,465	7.9	2.9
13.00-13.99	—	—	—	—
कुल	2,98,508	4,01,924	100.0	100.0

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड। —: कोई नहीं।

सारणी V.5: राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(करोड़ रुपए)

मद	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
1. निवल आबंटन	28,781	51,719	1,02,458 ^
2. अतिरिक्त आबंटन	4,454	14,326	—
3. एनएसएसएफ में कमी के कारण अतिरिक्त आबंटन	35,780	19,768	—
4. दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के प्रति अतिरिक्त आबंटन	—	28,896	—
5. कुल (1+2+3+4)	69,015	1,14,709	1,02,458
6. चुकौती	11,555	14,371	16,238
7. सकल आबंटन (5+6)	80,570	1,29,080	1,18,696
8. उगाही गई कुल राशि (i + ii)	67,779	1,18,138	1,14,091
(i) नियमित निर्गम	—	—	—
(ii) नीलामियां	67,779	1,18,138	1,14,091 *
9. उगाही गई निवल राशि (8-6)	56,224	1,03,767	97,853
ज्ञापन मंदा :			
(i) कूपन / कटऑफ प्रतिफल का दायरा (%)	7.84-8.90	8.39-9.90	7.04-8.49
(ii) भारित औसत ब्याज दर (%)	8.25	7.90	8.06
(iii) औसत परिपक्वता (वर्ष में)	10.00	10.00	10.00

* : 8 फरवरी 2010 तक उगाही गई राशि।

^ : आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के निवल आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

: पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

ध्यान दें : बाजार उधारियों के आंकड़े रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार हैं और इसमें तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

में लेते हुए बाजार उधारियों के सकल आबंटन की राशि 1,29,081 करोड़ रुपए होती है, जिसमें से वर्ष के दौरान 91.5 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों द्वारा उगाही गई। 2008-09 के दौरान दो राज्य सरकारों- छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा - ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जबकि 2007-08 के दौरान चार राज्य सरकारों यथा - छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा तथा त्रिपुरा - ने भाग नहीं लिया था।

5.15 2009-10 (8 फरवरी 2010 तक) के दौरान नीलामी के जरिए 7.04 - 8.49 प्रतिशत के कट-ऑफ के साथ राज्यों ने बाजार से 1,14,091 करोड़ रुपए (बजटीय आबंटन का 96.1 प्रतिशत) के ऋण लिए। 2009-10 (8 फरवरी 2010 तक) में पिछले वर्ष की भांति बाजार उधारियों की समग्र राशि नीलामियों के माध्यम से जुटाई गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारें अपनी बेहतर वित्तीय स्थितियों के आधार पर बाजार उधारियां जुटाना चाहती हैं।

5.16 बाजार उधारियों पर भारित औसत ब्याज दर में 1990 के दशक के मध्य से 2003-04 तक गिरावट आई थी, परंतु 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तर्ज पर इनमें 8.25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई जो ब्याज दर में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती है (सारणी V.6)। तथापि, उसके बाद राज्यों द्वारा उधारियों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, नरम ब्याज दर वातावरण को दर्शाते हुए 2007-08 की तुलना में 2008-09 तथा 2009-10 (8 फरवरी 2010 तक) में जारी राज्य सरकार प्रतिभूतियों के भारित औसत प्रतिफल में गिरावट आई।

5. चलनिधि की स्थिति तथा नकदी प्रबंधन

5.17 राज्य सरकारों की नकदी की स्थिति में आधिक्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की अर्थोपाय सीमाओं में 2006-07 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तदनुसार, 2008-09 के लिए राज्यवार सामान्य अर्थोपाय सीमा को 9,925 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था (पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपए सहित) जिसे 2009-10 के लिए भी बरकरार रखा गया। सामान्य तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के लिए ब्याज की दर को रिपो दर के साथ जोड़ा गया है (सारणी V.7)।

5.18 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग निम्न स्तर पर रहा जो नकदी की समग्र स्थिति में सुधार को दर्शाता है जिसके चलते अधिकांश राज्य सरकारों की नकदी शेष की स्थिति उच्च स्तर के आधिक्य में बदल गई। पिछले वर्ष आठ राज्यों, यथा केरल, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा उत्तराखंड द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लिए जाने के विपरीत

सारणी V.6: राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल

वर्ष	प्रतिफल का दायरा (प्रतिशत)	भारित औसत प्रतिफल (प्रतिशत)	सकल राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1991-92	11.50-12.00	11.82	3,364
2000-01	10.50-12.00	10.99	13,300
2007-08	7.84-8.90	8.25	67,778
2008-09	5.80-9.90	7.87	118,138
2009-10*	7.04-8.49	8.06	1,14,091

* 8 फरवरी 2010 तक।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

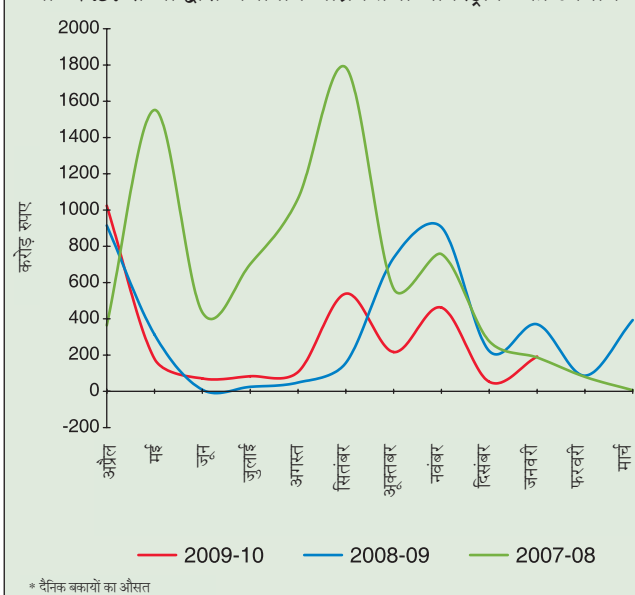
सारणी V.7: सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा - 1996 से 2009

अवधि	राशि (करोड़ रुपए)
1	2
i. अगस्त 1996 से फरवरी 1999	2,234
ii. मार्च 1999 से जनवरी 2001	3,941
iii. फरवरी 2001 से मार्च 2002	5,283
iv. अप्रैल 2002 से 2 मार्च 2003	6,035
v. 3 मार्च 2003 से 31 मार्च 2004	7,170
vi. 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005	8,140
vii. 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006	8,935
viii. 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007	9,875
ix. 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008	9,925
x. 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009	9,925
xi. 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010	9,925

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

2008-09 के दौरान छह राज्यों, यथा केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड ने अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया। तथापि, 2009-10 के दौरान स्थिति में गिरावट आई क्योंकि दस राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिया जिनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, नागालैंड तथा उत्तराखंड थे। 2009-10 के दौरान अब तक (11 फरवरी 2010 तक) पंजाब ने सबसे अधिक 93 दिन के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिया उसके बाद नागालैंड (45 दिन) तथा पश्चिम बंगाल (15 दिन) का क्रम था (चार्ट V.5)।

चार्ट V.5: राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग



5.19 2008-09 के दौरान राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट के उपयोग का मासिक औसत पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था। 2008-09 के दौरान तीन राज्यों यथा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड ने ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया जबकि 2007-08 के दौरान तीन राज्यों यथा, केरल, पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड ने ओवरड्राफ्ट लिया था। 2009-10 के दौरान (11 फरवरी 2010 तक) पंजाब ने 16 दिन ओवरड्राफ्ट लिया उसके बाद नागालैंड (13 दिन) तथा उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल (दोनों राज्य 8-8 दिन) का क्रम था (विवरण 38)।

5.20 केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय अग्रिम (सकल) का ब्यौरा, जैसा कि 2000-01 से 2009-10 (ब.अ.) के दौरान के राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किया गया है, विवरण 39 में दिया गया है। ऐसे अग्रिमों की कुल राशि 2002-03 (बारह राज्य) के 3,329 करोड़ रुपये से निरंतर घटकर 2008-09 (सं.अ.) में (एक राज्य) 10 करोड़ रुपये हो गई है। तथापि, 2009-10 के बजट में यह राशि बढ़कर 360 करोड़ रुपये (दो राज्य) हो जाने का अनुमान लगाया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में असम तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में केरल ने 2009-10 के दौरान ऐसे अग्रिमों के लिए बजट में प्रावधान किया।

6. आकस्मिक देयताएं

5.21 राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं (शहरी स्थानीय निकायों सहित) को गारंटियां तथा आश्वासन पत्र (लेटर्स ऑफ कंफॉर्ट) जारी करती रही हैं ताकि वे सार्वजनिक निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटा सकें। यह मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि राज्य सरकारें इस प्रकार के निवेशों के लिए बजटीय समर्थन नहीं दे पाती हैं। यद्यपि आकस्मिक देयताएं राज्य के ऋण का हिस्सा नहीं होती हैं, फिर भी ऋणकर्ता संस्थाओं द्वारा चूक करने की स्थिति में राज्य सरकारों को ऋण की चुकौती करनी पड़ती है। साथ ही, उनके द्वारा पहले दी गयी गारंटी के संबंध में भुगतान के दायित्व को पूरा न करने पर उनकी सार्वभौमिक विश्वसनीयता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। गारंटी के बढ़ते स्तर के कारण राजकोषीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों ने गारंटियों की अधिकतम सीमा (सांविधिक तथा प्रशासनिक) निर्धारित करने की पहल की है। अठारह राज्य सरकारों ने अब तक सांविधिक/प्रशासनिक अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया है। नौ राज्यों ने गारंटी चुकौती निधि (जीआरएफ) का गठन किया है।

5.22 भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) तथा गारंटी चुकौती निधि (जीआरएफ) का रखरखाव करता है जिसके लिए राज्य सरकारें अंशदान करती हैं। जहां सीएसएफ बाजार उधारियों / देयताओं की चुकौती हेतु कुशन का कार्य करता है वहीं जीआरएफ राज्य स्तरीय उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बांडों तथा उनकी अन्य उधारियों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा दी गयी गारंटियों को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं की चुकौती में कुशन का कार्य करता है। सीएसएफ में निवेश की सकल बकाया राशि मार्च 2008 के अंत में 17 राज्य सरकारों के संबंध में 18,946 करोड़ रुपये थी जबकि मार्च 2009 के अंत में 18 राज्य सरकारों के संबंध में यह राशि बढ़कर 24,032 करोड़ रुपये हो गई। 31 मार्च 2009 को नौ राज्यों ने अपनी जीआरएफ योजनाओं के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं। जीआरएफ में निवेश की सकल बकाया राशि 31 मार्च 2008 को 8 राज्यों के 2,805 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2009 को 3,082 करोड़ रुपये हो गई।

5.23 चुनिंदा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों की गारंटियों की बकाया राशि मार्च 2000 के अंत के 1,32,029 करोड़ रुपये (जीडीपी का 6.8 प्रतिशत) से तेजी से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 2,19,658 करोड़ रुपये (जीडीपी का 8.0 प्रतिशत) हो गई। उसके बाद राज्य सरकारों की गारंटियों की बकाया राशि में गिरावट आई तथा मार्च 2008 के अंत में यह कम होकर 1,71,058 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.5 प्रतिशत) हो गई (सारणी V.8 तथा विवरण 43)।

सारणी V.8: राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

वर्ष (अंत मार्च)	राशि (करोड़ रुपये)	जीडीपी का प्रतिशत
1	2	3
1992	40,158	6.1
2000	1,32,029	6.8
2004	2,19,658	8.0
2005	2,04,426	6.3
2006	1,96,914	5.3
2007	1,54,183	3.6
2008 अ	1,71,058	3.5
अ: अनंतिम.		
टिप्पणी : 2005 तक के आंकड़े 17 राज्यों के हैं तथा 2006 के आंकड़े 16 राज्यों के, 2007 के आंकड़े 19 राज्यों के तथा 2008 के आंकड़े 17 राज्यों के हैं।		
स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।		

7. राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन

5.24 राज्य वित्त से जुड़ा हुआ एक मुद्दा ऋण की निर्वहनीयता का है जो राज्य सरकारों की ऋण दायित्व की चुकौती क्षमता से जुड़ा हुआ है। तदनुसार, इस खंड में ब्याज के भुगतान के भार तथा राज्य सरकार प्रतिभूतियों की परिपक्वता के स्वरूप की दृष्टि से राज्य सरकारों की ऋण निर्वहनीयता तथा इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा चलनिधि प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का आकलन किया गया है।

ऋण की निर्वहनीयता

5.25 राज्य सरकारों के ऋण-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्ति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पांचवें केन्द्रीय / राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों के राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के चलते 1997-98 में इसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गयी। 1998-99 के 22.8 प्रतिशत की तुलना में ऋण-जीडीपी अनुपात 1999-2000 में तेजी से 3.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। पांचवें केन्द्रीय / राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त इस प्रवृत्ति से 1998-99 तथा 1999-2000 में केन्द्र से अंतरण की राशि में गिरावट की वजह से राज्यों को बढ़ती उधारियों की जरूरत भी परिलक्षित होती है। उसके बाद 2003-04 में ऋण-जीडीपी अनुपात क्रमशः बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गया परंतु 2004-05 तथा 2005-06 में इसमें थोड़ी-सी गिरावट आई। 2006-07 से राज्य सरकारें, समग्र स्तर पर, ऋण-जीडीपी अनुपात को बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 30.8 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर रख पाने में सफल रही हैं। मार्च 2009 के अंत में ऋण-जीडीपी अनुपात 26.2 प्रतिशत था। विभिन्न योजनाओं तथा सुधार उपायों के परिणामस्वरूप बकाया ऋणों की औसत ब्याज दर 1999-2000 के 11.17 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 (ब.अ.) में 7.96 प्रतिशत हो गई है (सारणी V.9)।

5.26 बारहवें वित्त आयोग द्वारा परिकल्पित एक और लक्ष्य 15 प्रतिशत का ब्याज भुगतान - राजस्व प्राप्ति (आइपी-आरआर) अनुपात का है जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना है। विभिन्न अवधियों के दौरान के आंकड़ों की तुलना दर्शाती है कि 2000-01 तथा 2004-05 (ग्यारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय की अवधि) के दौरान आइपी-आरआर अनुपात ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के लक्ष्य से उल्लेखनीय रूप से अधिक था। 2004-05 से आइपी-आरआर अनुपात में क्रमशः गिरावट के बावजूद राज्य सरकारें बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में 2008-09 (सं.अ.) में सफल हो पाई हैं (14.4 प्रतिशत) तथा 2009-

सारणी V.9: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	औसत ब्याज दर*
1	2
1991-92	8.54
1999-00	11.17
2007-08	8.04
2008-09 (सं.अ.)	8.00
2009-10 (ब.अ.)	7.96

सं.अ.: संशोधित अनुमान।

ब.अ.: बजट अनुमान।

* : चालू वर्ष के ब्याज भुगतान को पिछले वर्ष के बकाया ऋण द्वारा विभाजित करके निकाला गया है।

स्रोत: सारणी V.1 में दिए गए अनुसार।

10 के बजट अनुमानों के अनुसार यह लक्ष्य के अंदर बना रहेगा (14.9 प्रतिशत)। ऐसा प्रतीत होता है कि राजकोषीय सुधार तथा समेकन की प्रक्रिया ने राज्य सरकारों को हाल के वर्षों में ऋण की निर्वहनीयता की स्थिति में सुधार लाने में मदद की है। इसके अलावा, ऋण स्वैप योजना, के अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गयी सशर्त ऋण पुनर्चना तथा ब्याज दर राहत व्यवस्था ने राज्यों को 2008-09 तक राजस्व शेष को लक्षित करते हुए तथा 2009-10 तक जीएफडी को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक लाने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) को अधिनियमित करने के लिए प्रेरित किया है। वस्तुतः कई राज्यों ने अपने बकाया ऋण-जीएसडीपी अनुपात हेतु भविष्य की निर्दिष्ट तारीख को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण किया है।

5.27 ऋण निर्वहनीयता के संबंध में बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति के राज्य स्तरीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समेकित स्तर पर ये लक्ष्य अंतिम वर्ष 2009-10 से पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। तथापि, 2009-10 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकारों के ऋण-जीडीपी तथा आइपी-आरआर अनुपातों में थोड़ी-सी विकृति आ सकती है, अलबत्ता ये बारहवें वित्त आयोग की सीमाओं के अंदर रहेंगे।

5.28 जहां तक बकाया ऋण में वृद्धि की बात है, ये 2008-09 (सं.अ.) तथा 2009-10 (ब.अ.) में क्रमशः 10.1 प्रतिशत तथा 11.9 प्रतिशत पर उच्चतर स्तर पर थे, इस प्रकार यह आवश्यक है कि वृद्धिशील ऋण का उपयोग कौशलपूर्ण तरीके से किया जाए। वर्तमान संदर्भ में दो मुद्दे राज्यों के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला, जो राज्य सरकारें आर्थिक मंदी के वर्तमान दौर में अतिरिक्त व्यय का

प्रस्ताव कर रही हैं उन्हें इस बात को सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि उनके व्यय का कौशलपूर्ण उपयोग हो ताकि उसी से ऋण चुकौती की क्षमता का सृजन हो सके। अन्य शब्दों में, निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु लाये गए प्रोत्साहन पैकेजों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः पूंजीगत निवेश हेतु किया जाना चाहिए। परंतु, 2009-10 के बजट अनुमानों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि व्यय का समुचित उपयोग हुआ है। यह देखा गया है कि 2009-10 (ब.अ.) में राजस्व व्यय (आरई)-जीडीपी अनुपात का आकलन उच्चतर स्तर पर किया गया है जबकि पूंजीगत परिव्यय-जीडीपी अनुपात को कमतर रखने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा, राज्य सरकारों को मंदी के वर्तमान दौर को ध्यान में रखते हुए

अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की समीक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें राजकोषीय सुधार तथा समेकन का मार्ग अपनाना चाहिए।

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल

5.29 राज्य सरकार प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के परिपक्वता प्रोफाइल के अनुसार आधे से अधिक अर्थात् 53.4 प्रतिशत राज्य सरकार प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की परिपक्वता अवधि मार्च 2009 के अंत में 7 वर्ष तथा अधिक थी जबकि 17.1 प्रतिशत स्टॉक की परिपक्वता अवधि 5-7 वर्ष थी तथा 15.6 प्रतिशत स्टॉक की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम थी (सारणी V.10)।

सारणी V.10: राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च 2009 के अंत में)

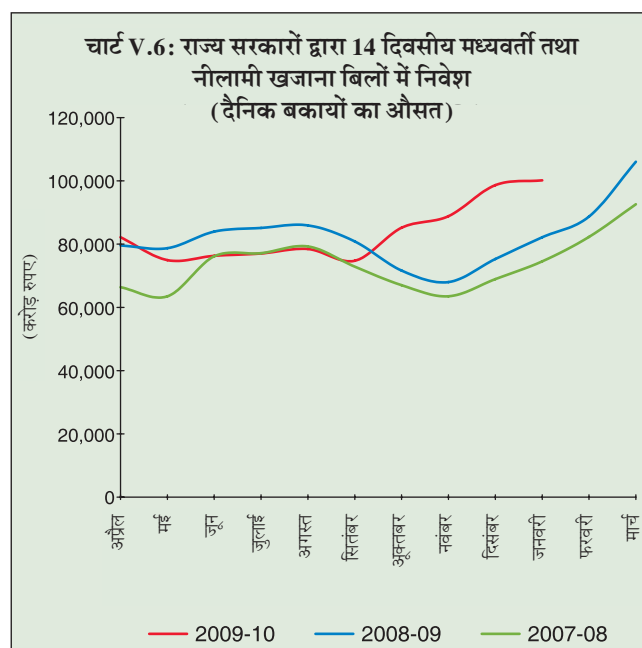
राज्य	बकाया शेष राशि का प्रतिशत				
	0-1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5-7 वर्ष	7 वर्ष से ऊपर
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	5.5	10.5	16.0	14.1	53.9
2. अरुणाचल प्रदेश	1.6	8.5	10.1	18.5	61.2
3. असम	4.5	10.6	15.2	20.3	49.3
4. बिहार	3.7	17.2	18.6	20.2	40.3
5. छत्तीसगढ़	12.1	23.6	26.6	24.7	13.0
6. गोवा	4.4	10.0	14.0	15.9	55.8
7. गुजरात	3.5	8.0	17.9	11.3	59.3
8. हरियाणा	4.4	9.0	21.8	24.3	40.5
9. हिमाचल प्रदेश	3.2	8.6	17.1	19.6	51.6
10. जम्मू और कश्मीर	1.7	8.0	13.5	9.7	67.0
11. झारखंड	2.8	12.9	14.6	17.7	52.0
12. कर्नाटक	5.6	12.1	17.2	19.8	45.2
13. केरल	3.5	9.9	11.5	16.6	58.4
14. मध्य प्रदेश	4.7	8.9	15.5	23.2	47.8
15. महाराष्ट्र	2.0	5.4	12.2	13.7	66.7
16. मणिपुर	3.1	7.0	9.2	28.4	52.3
17. मेघालय	5.6	11.8	9.7	22.2	50.7
18. मिजोरम	3.6	8.2	15.4	20.1	52.7
19. नागालैंड	5.4	12.3	12.4	20.4	42.7
20. उड़ीसा	7.8	22.7	29.8	30.8	8.9
21. पंजाब	3.5	4.8	16.1	16.0	59.5
22. राजस्थान	5.7	11.2	16.4	17.5	49.3
23. सिक्किम	5.2	4.8	3.7	14.3	72.0
24. तमिलनाडु	3.0	9.1	15.0	15.6	57.3
25. त्रिपुरा	8.1	14.0	16.7	28.3	33.0
26. उत्तराखंड	2.4	5.8	29.1	25.1	33.3
27. उत्तर प्रदेश	6.0	11.3	14.2	19.9	48.7
28. पश्चिम बंगाल	2.2	5.7	14.3	14.7	58.8
सभी राज्य	4.0	9.4	15.6	17.1	53.4

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

5.30 बाजार उधारियों की परिपक्वता प्रोफाइल से स्पष्ट होता है कि बड़ी राशि की चुकौती का दायित्व 2012-13 से आएगा जो डीएसएस के अंतर्गत 2002-03 तथा 2004-05 के दौरान उधार की बड़ी राशि की वजह से है। 2008-09 के दौरान बड़ी राशि की उधारियों के कारण 2017-18 में चुकौती का दायित्व पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने की दृष्टि से राज्यों को उनके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर की राशि उधार लेने की अनुमति दी गयी थी (सारणी V.11)(विवरण 34-35 भी देखें)।

8. नकदी शेष का निवेश

5.31 छठे वेतन आयोग / राज्यों के अपने वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के दबाव तथा वर्तमान मंदी के बावजूद राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त नकद राशि शेष थी जैसा कि 14-दिवसीय अंतर्वर्ती राज्य खजाना बिलों (आईटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में उनके निवेश से ज्ञात होता है। 2009-10 के दौरान राज्यों द्वारा 14-दिवसीय आईटीबी तथा एटीबी में निवेश का साप्ताहिक औसत 83,647 करोड़ रुपए (30 जनवरी 2010 को) पर पहुंच गया जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान यह राशि 79,128 करोड़ रुपए थी (चार्ट V.6)। 2004-05 के मध्य से राज्य सरकारों के नकदी शेष के बढ़ते अधिशेषों के राज्यों तथा केंद्र सरकार के नकदी प्रबंधन हेतु निहितार्थ है। राज्य सरकारों के नकदी शेष के अधिक मात्रा में बने



रहने के कारकों तथा बेहतर नकदी प्रबंधन के संभावित विकल्पों की चर्चा बॉक्स V.1 में की गई है।

9. ऋण समेकन तथा राहत

5.32 ऋण की निर्वहनीयता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बारहवें वित्त आयोग ने दो घटकों के साथ ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डीसीआरएफ) की सिफारिश की है: (i) ऋण राहत की एक आम योजना जो सभी राज्यों पर लागू होगी; तथा (ii) 2008-09 तक राजस्व शेष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अपलेखन की योजना जो राजकोषीय निष्पादन पर निर्भर करेगी। डीसीआरएफ का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित करना होगा, राजस्व घाटे की मात्रा में हर अगले वर्ष कटौती करनी होगी और जीएफडी को 2004-05 के स्तर पर बनाए रखना होगा। 2008-09 के दौरान तेईस राज्य सरकारों को ऋण राहत का लाभ मिला तथा पच्चीस राज्य सरकारों को ब्याज राहत का लाभ मिला। 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों को दी गयी ऋण तथा ब्याज राहत की राशि क्रमशः 5,748 करोड़ रुपए तथा 3,398 करोड़ रुपए थी। 2008-09 के दौरान तीन राज्य सरकारों यथा, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल को ऋण तथा ब्याज राहत दोनों ही मिले। 2008-09 के दौरान गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश को बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गयी डीसीआरएफ योजना के अंतर्गत ऋण तथा ब्याज राहत की सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई, उसके बाद

सारणी V.11: बकाया ऋणों और राज्य विद्युत बांड की परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च 2009 के अंत में)

वर्ष	राज्य ऋण	बिजली बांड	कुल
1	2	3	4
2009-10	16,238	2,907	19,145
2010-11	15,660	2,907	18,566
2011-12	21,993	2,907	24,900
2012-13	30,628	2,870	33,498
2013-14	32,079	2,870	34,949
2014-15	33,384	2,870	36,254
2015-16	35,191	2,907	38,098
2016-17	31,522	1,453	32,975
2017-18	67,442	—	67,442
2018-19	1,15,524	—	1,15,524
2019-20	160	—	160
2020-21	2,103	—	2,103
कुल	4,01,924	21,690	4,23,614

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

बॉक्स V.1: राज्य सरकारों के नकदी शेष की अधिकता: मुद्दे तथा चुनौतियां

1990 के दशक के अंतिम तथा 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों के दौरान राज्य सरकारें बार-बार अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का सहारा लेती थीं (उनकी प्राप्तियों तथा भुगतानों के नकदी प्रवाह के अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए) तथा उनकी नकद शेष राशि की मात्रा भी काफी कम रहती थी। तथापि, राज्यों की नकद शेष राशि में, विशेष रूप से 2004-05 से, बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। 2005-06 तथा 2008-09 के दौरान सभी राज्यों की अतिरिक्त नकद शेष राशि में 57 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर बढ़ोतरी हुई। आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था तथा ओवरड्राफ्ट सुविधा के जरिए अल्पावधि चलनिधि समर्थन की मांग करना बंद कर दिया है। यद्यपि प्रारंभ में अतिरिक्त नकद शेष राशि में हुई वृद्धि एनएसएसएफ के स्वतः अंतर्वाह की मात्रा अधिक होने की वजह से थी, परंतु हाल के वर्षों में एनएसएसएफ से अंतर्वाह में तेज गिरावट के बावजूद अतिरिक्त नकदी शेष की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि अधिकांश राज्य सरकारें अपनी आबंटित बाजार उधारियों की सीमा को वर्ष की अंतिम तिमाही में पूरा करती हैं और इस प्रकार अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उपयोग करने के लिए अतिरिक्त नकद राशि इकट्ठा करके रखती हैं, क्योंकि उस दौरान नकदी का अंतर्वाह कम रहता है जबकि सरकारी विभागों द्वारा भारी मात्रा में व्यय किया जाता है। 2004-05 के मध्य से राज्य सरकार के स्तर पर अतिरिक्त नकदी शेष के बने रहने से उनके सामने वित्तीय तथा नकदी प्रबंधन की नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। अतिरिक्त नकदी शेष में बढ़ोतरी के (i) राज्यों के राजस्व शेष; (ii) केन्द्र के नकदी प्रबंधन; तथा (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के खुला बाजार परिचालन की दृष्टि से निहितार्थ हैं।

क्यों राज्य सरकारें खर्च करने के बजाय अतिरिक्त नकदी शेष बनाए रखती हैं? इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि बड़े भुगतान के दायित्वों के दौरान राज्य सरकारें अर्थोपाय अग्रिम अथवा ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने से बचना चाहती हैं। हो सकता है कि एकमुश्त राशि के भुगतान हेतु चलनिधि की कमी से बचने के लिए उन्होंने हाल के वर्षों में अतिरिक्त नकदी शेष बचाकर रखा हो।

यह देखा गया है कि अतिरिक्त नकदी शेष का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा 13 राज्यों, विशेष रूप से गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का है। इनमें से कुछ राज्यों ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित घाटा तथा ऋण संबंधी अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। कुछ राज्यों में घाटा तथा ऋण संकेतकों में सुधार के बावजूद जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उनका पूंजी परिव्यय स्थिर रहा है अथवा उसमें गिरावट आई है। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि राज्य में और अधिक पूंजीगत व्यय को जज्ब करने की क्षमता नहीं है अथवा वे अपने दृष्टिकोण में अति रूढ़िवादी हैं। सभी राज्यों में नकदी शेष में जो वृद्धि हुई है वह कर राजस्व को बढ़ाने की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों तथा केन्द्रीय कर तथा अनुदानों के हिस्सेदारी वाले भाग के बारहवें वित्त आयोग द्वारा किए

गए बड़ी राशि के न्यागमन तथा अंतरण सहित बाह्य कारणों की वजह से है।

अतिरिक्त नकदी शेष के निवेश के लिए उपलब्ध विकल्पों में एक संभावित विकल्प चक्रीय मंदी के दौरान इनका उपयोग किया जाना हो सकता है जब प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में अपने व्यय संबंधी कार्यक्रमों के एक हिस्से को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग कर सकती हैं। समष्टि आर्थिक गिरावट के वर्तमान दौर में यह प्रत्याशित है कि करों के संग्रहण के मोर्चे पर केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय अनिश्चितता के बावजूद राज्य सरकारें घरेलू मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक खर्च करेंगी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के स्तर पर बड़े हुए अतिरिक्त नकदी शेष के स्तर ने वित्तीय दबावों को झेलने में कुछ सहायता की है। राज्यों को प्राप्तियों तथा खर्चों से जुड़े नकदी प्रवाहों का पूर्वानुमान करने की क्षमता विकसित करने तथा लागतों को न्यूनतम रखने के प्रयोजन हेतु उनके अतिरिक्त शेष राशि का उपयोग युक्तिसंगत तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक संभावित विकल्प यह हो सकता है कि राज्यों को वर्ष के लिए निर्धारित परंतु उपयोग न की गयी उनकी उधारियों को अगले वर्ष उपयोग करने की अनुमति दी जाए। इससे राज्यों का उधार कार्यक्रम न केवल आवश्यकता पर आधारित होगा बल्कि इससे राज्यों को जरूरत के समय पर कम लागत पर राशि जुटाने में लचीलेपन का लाभ भी मिलेगा। तेजी के दौरान राज्य सरकारें उधार की मात्रा कम करके उधारी के कोटे को बचा सकती हैं ताकि उसका उपयोग मंदी के दौरान किया जा सके जब अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता होती है। एक संभावित विकल्प अतिरिक्त नकदी शेष के स्थायी प्रकार के घटकों का उपयोग करके बजट स्थिरीकरण निधि के गठन का हो सकता है जिसकी राशि का उपयोग जरूरत के समय किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य सरकारों को अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीतियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उड़ीसा तथा राजस्थान का दृष्टांत लेते हुए राज्य सरकारें अपनी अतिरिक्त नकदी शेष का उपयोग अधिक लागत वाले ऋण को चुकाने के विकल्प पर विचार कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्यों को बेहतर नकदी प्रबंधन की क्षमता के विकास हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। नकदी की जरूरत का वास्तविक आकलन करने वाले सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के अलावा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित श्रेष्ठ प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों को उन्नत अग्रिम पूर्वानुमान तथा चौकसी व्यवस्था को अपनाकर अनावश्यक नकदी की अधिकता की स्थिति से बचना चाहिए। नकदी के प्रभावी प्रबंधन तथा उसके अंतर्वाह तथा बहिर्वाह में बेहतर संतुलन स्थापित करके राज्य सरकारें उधार की अपनी जरूरतों को कम कर सकती हैं। इससे राज्यों द्वारा अनावश्यक रूप से नकदी के आधिक्य को बढ़ाने की प्रवृत्ति को कुछ हद तक कम करने में सहायता मिलेगी क्योंकि इसका संबंध न केवल केन्द्र की नकदी शेष से है बल्कि मौद्रिक नीति से भी है।

आंध्र प्रदेश तथा गुजरात का क्रम था (विवरण 48)। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच ऋण राहत सुविधा के अंतर्गत असम को सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई उसके बाद मणिपुर तथा त्रिपुरा का क्रम था। तथापि, 2008-09 के दौरान ब्याज राहत के रूप में, हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई उसके बाद त्रिपुरा का स्थान रहा।

10. निष्कर्ष

5.33 बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्यों (सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ने राजकोषीय उत्तरदायित्व

विधान को अधिनियमित करके अपने वार्षिक उधार आवश्यकताओं को निर्वहनीय स्तर तक सीमित किया। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों का ऋण-जीडीपी अनुपात मार्च 2004 के अंत के 32.8 प्रतिशत से घटकर 2008-09 (सं.अ.) में 26.2 प्रतिशत हो गया तथा मार्च 2010 के अंत में यह अनुपात बारहवें वित्त आयोग के 30.8 प्रतिशत के लक्ष्य की अंदर रहा। इसके अलावा, बारहवें वित्त आयोग के राजस्व प्राप्ति की तुलना में ब्याज भुगतान (आइपी-आरआर) अनुपात के 2009-10 तक प्राप्त किए जाने वाले 15 प्रतिशत के लक्ष्य के तुलना में राज्यों का समेकित आइपी-आरआर अनुपात 2003-04 के 26.0 प्रतिशत से घटकर 2008-09 (सं.अ.) में 14.4 प्रतिशत हो गया। तथापि,

बजट में मार्च 2010 के अंत में बकाया ऋण की राशि बढ़कर जीडीपी का 26.5 प्रतिशत हो जाने का आकलन किया गया है। बजट में आइपी-आरआर अनुपात 2009-10 में थोड़ा बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान किया गया है।

5.34 बकाया देयताओं में एनएसएसएफ के प्राधान्य में भी मार्च 2007 से गिरावट आई है और 2005-06 से 2007-08 के दौरान इसके एक तिहाई योगदान की तुलना में अब कुल बकाया देयताओं में इसका योगदान एक-चौथाई होने का आकलन है। अल्प बकाया देयताओं में उच्च लागत वाले ऋण लिखतों यथा, अल्प बचत तथा

भविष्य निधि जैसे सार्वजनिक लेखों की मदों का हिस्सा मार्च 2005 के 25.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 में 26.9 प्रतिशत हो गया था परंतु बाद में उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। बकाया देयताओं में बाजार उधारियों का हिस्सा एक-तिहाई है तथा यह राज्य के कम लागत वाले ऋण के हिस्से को दर्शाता है।

5.35 हाल के वर्षों में राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के खजाना बिलों के रूप में नकद शेष की काफी बड़ी राशि बनाये रखती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्ट पर निर्भरता में कमी आई है।

इस विषयगत अध्याय में राज्य सरकारों के 1980-81 से 2009-10 की अवधि के व्यय का विश्लेषण किया गया है। इसमें राज्यों में प्रति व्यक्ति के आधार पर व्यय के प्रमुख वर्गों में अंतर की समीक्षा का भी प्रयास किया गया है। कुल व्यय की संरचना से पता चलता है कि 1980 के दशक और 1990 के दशक के दौरान राजस्व व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। किंतु, 2000 के दशक की शुरुआत से इसके हिस्से में कुछ गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण विकास राजस्व व्यय में कमी आना है। प्रतिबद्ध व्यय-जीडीपी अनुपात में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रुक कर इसमें 2005-10 के दौरान गिरावट आई जिसका मुख्य कारण ब्याज भुगतान-जीडीपी अनुपात कमी आना है। व्यय की गुणवत्ता पर राज्यों के जोर को दर्शाते हुए, पूंजी परिव्यय-जीडीपी अनुपात 2000-01 से लगातार बढ़ रहा है। 2004-05 तक की गिरावट की प्रवृत्ति से बदल कर, कुल व्यय में विकास व्यय का औसत हिस्सा 2005-10 के दौरान काफी बढ़ गया। राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि व्यय की प्रमुख श्रेणियों में प्रवृत्ति में राज्यों में भिन्नता है। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि प्रति व्यक्ति के संदर्भ में, पूंजी परिव्यय, विकास व्यय और सामाजिक क्षेत्र के व्यय के स्तर में राज्यों में अंतर है।

1. परिचय

6.1 भारत में संघीय प्रणाली के तहत, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के संदर्भ में राज्य सरकारों पर बड़ी जिम्मेदारी है¹²। केंद्र और राज्यों के संयुक्त व्यय में राज्य सरकारों का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत होता है जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। निम्नलिखित चर्चा में, राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की विभिन्न श्रेणियों की प्रवृत्तियों की जांच की गई है। राज्यों के व्यय के पैटर्न का अंतर-भौतिक विश्लेषण न केवल राज्य सरकारों के बदलते नीतिगत जोर के महत्व को दर्शाता है, बल्कि यह आकलन करने में मदद भी करता है कि क्या व्यय आबंटन के मामले में राज्यों में कोई परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान अध्ययन में एक विशेष विषय के रूप में, राज्यों के व्यय की प्रवृत्ति और पैटर्न का विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में राज्य सरकारों के व्यय को फोकस किया गया है और इसमें 1980-81 से 2009-10 की अवधि कवर की गई है। यह विश्लेषण

निम्नलिखित खंडों में संरचित है। खंड I में राज्य सरकारों के कुल व्यय की समग्र प्रवृत्ति दी गई है जिसके बाद खंड II और III में क्रमशः राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की संरचना पर चर्चा की गई है। राज्य सरकारों के विकास व्यय और गैर-विकास व्यय की चर्चा खंड IV में की गई है। खंड V राज्य सरकारों के सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रमुख श्रेणियों की जानकारी देता है। व्यय की प्रमुख श्रेणियों की राज्य-वार प्रवृत्ति खंड VI में दी गई है। खंड VII में, इस बात की जांच करने का प्रयास किया गया है कि क्या व्यय की प्रमुख श्रेणियों प्रति व्यक्ति के संदर्भ में राज्यों में कोई अंतर है।

6.2 वृद्धि, विकास, समानता और स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक व्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने में सार्वजनिक व्यय का स्थान महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से हासिल की जाने वाली अधिक समानता के पक्ष में राज्यों के पुनर्वितरण-अधिकार प्रामाणिक तर्क से उत्पन्न होते हैं। सार्वजनिक व्यय के स्तर

¹² संघीय सूची में 97 विषय (अर्थात् रक्षा, अणु ऊर्जा, रेलवे और दूरसंचार तथा बीमा) हैं। राज्य सूची में 66 विषय (अर्थात्, पुलिस, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि आय पर कर) आते हैं। सामान्य या समवर्ती सूची में 47 विषय (अर्थात्, शिक्षा, जंगल, जन्म और मृत्यु के पंजीयन सहित जन्म-मृत्यु के आंकड़े और आर्थिक और सामाजिक योजना) आते हैं। गैर-विनिर्दिष्ट या शेष अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। इन सूचियों में कोई भी परिवर्तन संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है।

और संरचना का समष्टि आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हो सकता है। नीति निर्माताओं और कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि वृद्धि को बढ़ाने वाले कार्यों पर व्यय भविष्य में राजस्व को बढ़ा सकता है और बजट में “राजकोषीय स्थान” के प्रावधान को जायज सिद्ध कर सकता है। किंतु, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि को बढ़ाने वाली संरचना की पहचान के मार्ग सरल नहीं हैं (सेमलर एट अल, 2007)¹³। अनुभवजन्य साक्ष्य को देखते हुए कि सार्वजनिक व्यय और विकास के बीच की कड़ी व्यय की प्रकृति पर निर्भर होती है, सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियाँ और संरचना का आकलन महत्वपूर्ण हो जाता है।

2. समग्र रुझान

6.3 रुझान के विश्लेषण से पता चलता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों का कुल व्यय 1980 के दशक के दौरान बढ़ा और 1990 के दशक के दौरान कम हुआ। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2000-2005 के दौरान बढ़ा। किंतु, राज्य सरकारों के समेकित व्यय में 2005-10 के दौरान गिरावट देखी जा सकती है जिसका मुख्य कारण राजकोषीय दायित्व विधान (एफआरएल) की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का कुछ युक्तिकरण था। यह बात इससे सिद्ध हो जाती है कि 2000-05 का 13.3 प्रतिशत आरई-जीडीपी अनुपात 2005-10 में कम होकर 12.4 प्रतिशत रह गया (सारणी VI.1 और चार्ट VI.1)।

6.4 व्यय नीति के संदर्भ में, व्यय का स्तर ही नहीं बल्कि उसकी संरचना भी मायने रखती है। व्यय-स्तर विरूपण की मात्रा को दर्शाता है, जबकि इसकी संरचना व्यय नीति की प्रभावशीलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है (कास्टल, 2005)। मोटे तौर पर, सरकार का पूरा व्यय, जिसके द्वारा भौतिक या वित्तीय आस्तियों का निर्माण नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। जहां तक राज्य सरकारों के कुल व्यय की व्यापक संरचना का संबंध है, राजस्व व्यय में 1980 के दशक और 1990 के दशक के दौरान स्थिर वृद्धि देखी गई। 2000 के दशक की शुरुआत से, कुल व्यय में राजस्व व्यय के हिस्से में कुछ गिरावट आई है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 1995-00 के 16.8 प्रतिशत से बढ़कर 2000-05 में 21.2 प्रतिशत हो जाने से इस

सारणी VI.1: राज्य सरकारों के व्यय का रुझान

(जीडीपी का प्रतिशत)

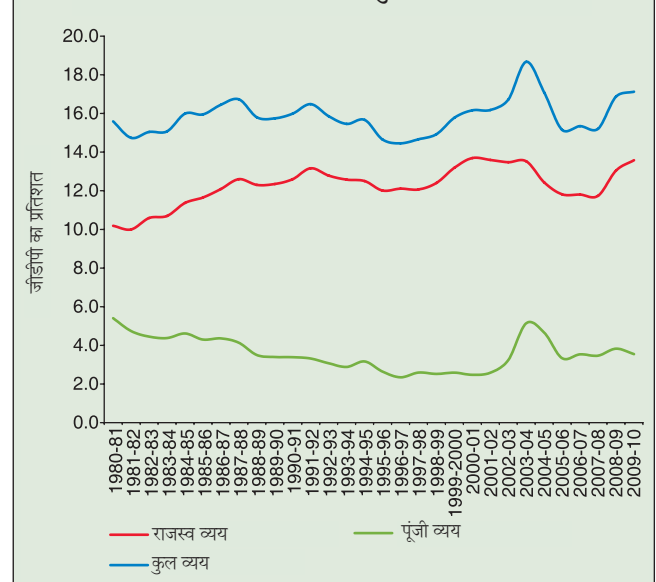
अवधि	राजस्व व्यय	पूंजी व्यय	जिसमें से: पूंजी परिव्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5
1980-85	10.6	4.5	2.0	15.1
1985-90	12.2	3.9	1.8	16.1
1990-95	12.7	3.2	1.5	15.9
1995-2000	12.4	2.5	1.4	14.9
2000-05	13.3	3.6	1.6	17.0
2005-10	12.4	3.5	2.4	15.9
सीएआरजी	14.9	12.4	14.4	14.2

सीएआरजी: विकास की मिश्रित वार्षिक दर।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

अवधि के दौरान पूंजीगत परिव्यय में 0.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई थी (सारणी VI.2 और चार्ट VI.2)। किंतु, कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2000-05 के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 2005-10 में 15.4 प्रतिशत हो गया। फिर भी, राज्य सरकारों के व्यय का पैटर्न राजस्व व्यय का महत्व लगातार बने रहना दर्शाता है जिसमें उनकी दीर्घावधि वृद्धि की संभावना भी दिखती है क्योंकि आमतौर पर उन्हें पूंजीगत व्यय के विपरीत राज्य सरकारों के उपभोग व्यय

चार्ट VI.1: राज्य सरकारों के कुल व्यय का रुझान



¹³ सेमलर, विली, एट अल. (2007), “फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर कंपोजिशन एंड ग्रोथ थ्योरी एंड एम्पायरिक्स”, *वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 4405*.

सारणी VI.2: राज्य सरकारों के सकल व्यय की संरचना

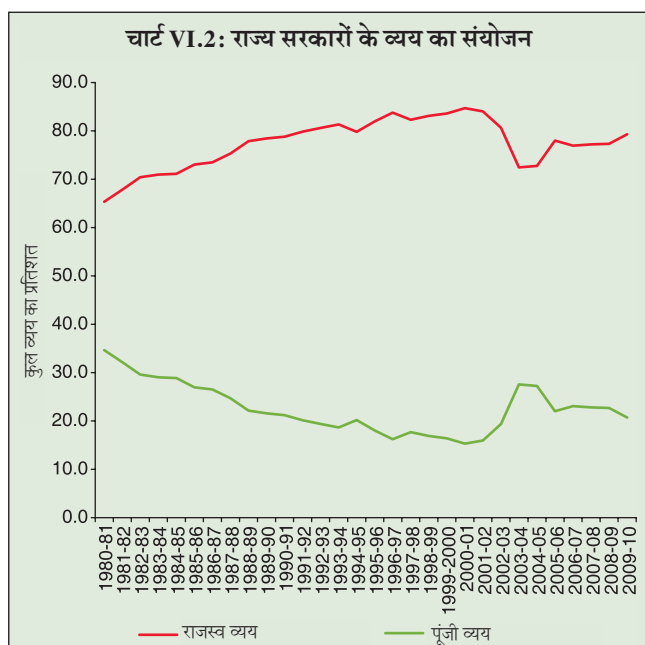
(करोड़ रुपये)

अवधि	राजस्व व्यय	पूंजी व्यय	जिसमें से: पूंजी परिव्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5
1980-85	20,855 (69.5)	9,140 (30.5)	3,943 (13.1)	29,994 (100.0)
1985-90	45,672 (76.0)	14,405 (24.0)	6,694 (11.1)	60,077 (100.0)
1985-90	98,009 (80.2)	24,261 (19.8)	11,907 (9.7)	1,22,270 (100.0)
1995-2000	1,93,812 (83.0)	39,625 (17.0)	21,064 (9.0)	2,33,441 (100.0)
2000-05	3,40,752 (77.9)	96,545 (22.1)	41,880 (9.6)	4,37,297 (100.0)
2005-10	6,17,788 (77.9)	1,75,709 (22.1)	1,22,397 (15.4)	7,93,498 (100.0)

नोट: 1. निरपेक्ष संदर्भ में व्यय संबंधित उप औसत-अवधि का प्रतिनिधित्व करता है।
2. कोष्ठक के आंकड़े राज्य सरकारों के कुल खर्च में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और पूंजी परिव्यय का प्रतिशत हिस्सा है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

माना जाता है। इसके अलावा, राजस्व व्यय का बढ़ता हिस्सा व्यय के पैटर्न की संरचनात्मक कठोरता प्रदर्शित करता है जो राज्य सरकारों के व्यय प्रबंधन को कठिन बना देता है। इसके अलावा, 1980-81 से



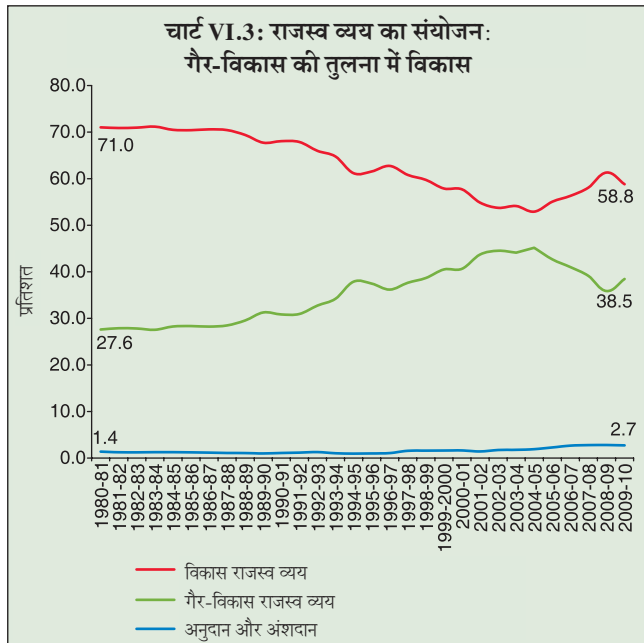
2009-10 के दौरान राजस्व व्यय में विकास की मिश्रित वार्षिक दर (सीएआरजी) पूंजीगत व्यय से अधिक पाई गई।

3. राजस्व व्यय

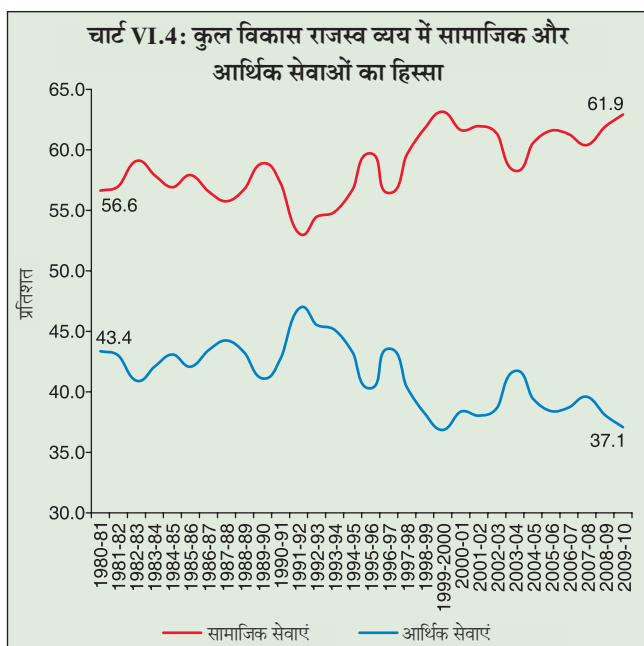
6.5 राजस्व और पूंजीगत व्यय के मामले में राज्य सरकारों के कुल व्यय की संरचना किए गए व्यय की गुणवत्ता प्रतिबिंबित करती है। यह परिकल्पना कि सार्वजनिक व्यय की संरचना में सुधार से विकास पर सकारात्मक असर होता है को साहित्य में व्यापक रूप से समर्थन मिला है। आम तौर पर यह पाया गया कि राजस्व वृद्धि और अधिक उत्पादक खर्च में कटौती की तुलना में चयनित राजस्व व्यय को कम करके किया गया राजकोषीय समेकन उच्च विकास दर को गति प्रदान करता है (पंग तथा अन्य 2007)¹⁴। इस प्रकार, इस बात की जांच करना महत्वपूर्ण है कि क्या राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और संरचना में कोई परिवर्तन आया है। जहां तक राजस्व व्यय की संरचना का संबंध है, इसमें विकास व्यय की अधिकता है जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राज्यों का व्यय शामिल है। विकास व्यय 1980-85 के दौरान राज्यों के कुल राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। किंतु, कुल राजस्व व्यय में इसका हिस्सा 2000-05 तक लगातार कम होता रहा (54.7 प्रतिशत) जिसमें बाद के वर्षों में कुछ वृद्धि हुई (2005-10 के दौरान 58.0 प्रतिशत)। कुल राजस्व व्यय में गैर-विकासीय राजस्व व्यय का हिस्सा 2004-05 तक बढ़ता रहा और बाद में उसमें कुछ गिरावट आई (चार्ट VI.3)। विकास राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का वर्चस्व बना हुआ है। सामाजिक सेवाओं, जो 1980-85 के दौरान कुल विकास व्यय में 57.5 प्रतिशत थीं, के हिस्से में 1995-2000 से कुछ वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत, आर्थिक सेवाओं के औसत हिस्से में 1985-90 और 1990-95 के दौरान कुछ वृद्धि हुई लेकिन बाद में उसमें गिरावट आई (चार्ट VI.4)।

6.6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकास राजस्व व्यय (डीआरई-जीडीपी) 1980-85 के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 1985-90 के दौरान 8.5 प्रतिशत हो गया जिसका कारण सामाजिक और साथ ही आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि होना था। किंतु, डीआरई-जीडीपी

¹⁴ पंग गावबो, पिंगो ब्रायन और वेस मारिया (2007): 'इंडिया रायजिंग - फास्टर ग्रोथ, लोवर इंडेटनेस', *पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर* सीरीज 4241, विश्व बैंक, वाशिंगटन।



अनुपात में 1990-95 के बाद निरपेक्ष गिरावट देखी गई जिसका मुख्य कारण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में कमी आना था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में भी 1985-90 के बाद कमी आई हालांकि इस कमी की गति आर्थिक सेवाओं की तुलना में कम थी। सामाजिक सेवाएं, अर्थात् शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य; और जलापूर्ति और स्वच्छता पर राजस्व खर्च की प्रमुख श्रेणियों में भी



जीडीपी के संदर्भ में गिरावट देखी गई। आर्थिक सेवाओं में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में डीआरई-जीडीपी अनुपात में वर्षों में बड़ी गिरावट हुई। किंतु, राज्यों ने ऊर्जा क्षेत्र पर अपने राजस्व व्यय में धीरे-धीरे वृद्धि की और यह 1980-85 के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2000-05 में जीडीपी के 0.7 प्रतिशत हो गया (सारणी VI.3)। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर-विकासीय राजस्व व्यय (एनडीआरई-जीडीपी) में विश्लेषण की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। एनडीआरई-जीडीपी अनुपात 1980-85 के 2.9 प्रतिशत से दुगुना होकर 2000-05 के दौरान 5.8 प्रतिशत हो गया और 2005-10 के दौरान थोड़ा कम होकर 4.9 प्रतिशत रह गया। सहायक अनुदान के रूप में राजस्व व्यय और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआइ) को मुआवजा और समनुदेशन के रूप में अंशदान 1980-95 के जीडीपी के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 1995-2005 के दौरान 0.2 प्रतिशत हो गया और आगे और बढ़कर 2005-10 में 0.3 प्रतिशत हो गया। स्थानीय निकायों का स्वयं के कुल राजस्व, जो कि 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के बाद व्यय दायित्व से सौंपा गया था, में कोई विशेष सुधार न होने के कारण स्थानीय निकायों के प्रति राज्य सरकारों का वित्तपोषण बढ़ता ही जा रहा है।

6.7 ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन गैर-विकासीय राजस्व व्यय का प्रमुख भाग हैं। इस तरह का व्यय प्रतिबद्ध प्रकृति का होता है और सरकार के संसाधनों पर इसका पहला दावा होता है। इस प्रकार, इस तरह के व्यय से राज्य सरकारों की व्यय प्रबंधन प्रक्रिया कम लचीली हो जाती है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय 1980-85 के 2.3 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2000-05 के दौरान 5.0 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा अपने बकाया ऋणों, जिनमें मुख्य रूप से केन्द्र से ऋण, आंतरिक ऋण, अल्प बचत और भविष्य निधि शामिल थे, की चुकौती में तेज वृद्धि था। 1980-85 और 2000-05 के बीच, प्रतिबद्ध व्यय में लगभग 66 प्रतिशत की कुल वृद्धि का कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि कहा जा सकता है। बढ़ते राजकोषीय असंतुलन, विशेष रूप से 1986-87 से 1997-98 के दौरान, के बीच चालू व्यय के वित्तपोषण के लिए उच्च लागत के उधार के कारण ऋण शोधन का भार बढ़ गया। वास्तव में, बढ़ते राजकोषीय अंतर का स्वयं पर ही परिणाम हुआ क्योंकि राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान के अनुपात की स्थिति भी 1990 के दशक के दौरान तेजी

सारणी VI.3: राजस्व व्यय की संरचना

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-2000	2000-05	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
I. विकास व्यय	7.5	8.5	8.3	7.5	7.3	7.2
क. सामाजिक सेवा	4.3	4.9	4.6	4.5	4.4	4.4
जिसमें से:						
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2.2	2.6	2.6	2.5	2.5	2.2
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5
3. परिवार कल्याण	—	—	—	0.1	0.1	0.1
4. जलापूर्ति और स्वच्छता	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
5. आवास	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6. शहरी विकास	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
7. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
ख. आर्थिक सेवा (1 से 9)	3.2	3.6	3.7	3.0	2.9	2.8
1. कृषि और संबद्ध कार्य	1.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6
2. ग्रामीण विकास	—	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5
3. विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम	—	0.1	0.1	0.1	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3
5. ऊर्जा	0.1	0.2	0.4	0.4	0.7	0.6
6. उद्योग और खनिज	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
7. परिवहन और संचार	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—
9. सामान्य आर्थिक सेवा	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
II. गैर-विकासीय व्यय						
सामान्य सेवाएं (1 से 6)	2.9	3.6	4.2	4.7	5.8	4.9
1. राज्य के घटक	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2. राजकोषीय सेवाएं	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
3. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1.0	1.4	1.8	2.1	2.8	2.2
4. प्रशासनिक सेवा	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
5. पेंशन	0.3	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2
6. विविध सामान्य सेवाएं	0.1	—	0.2	0.2	0.2	0.2
III. सहायक अनुदान और अंशदान	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
जिसमें से:						
मुआवजा और एलबी और पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
कुल राजस्व व्यय (I+II+III)	10.6	12.2	12.7	12.4	13.3	12.4

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

से बिगाड़ी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय विश्लेषण की अवधि के दौरान मोटे तौर पर स्थिर बने रहा, वहीं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशन पर राज्य सरकारों का व्यय काफी बढ़ गया (सारणी VI.4 और चार्ट VI.5 और VI.6)। 2005-10 के दौरान, प्रतिबद्ध ब्याज भुगतान में कमी आई जिसका कारण जीडीपी-ब्याज भुगतान अनुपात में गिरावट आना था जिससे राजस्व व्यय के गैर-विकासीय घटक के साथ ही कुल जीडीपी-राजस्व व्यय अनुपात में कमी आ सकी।

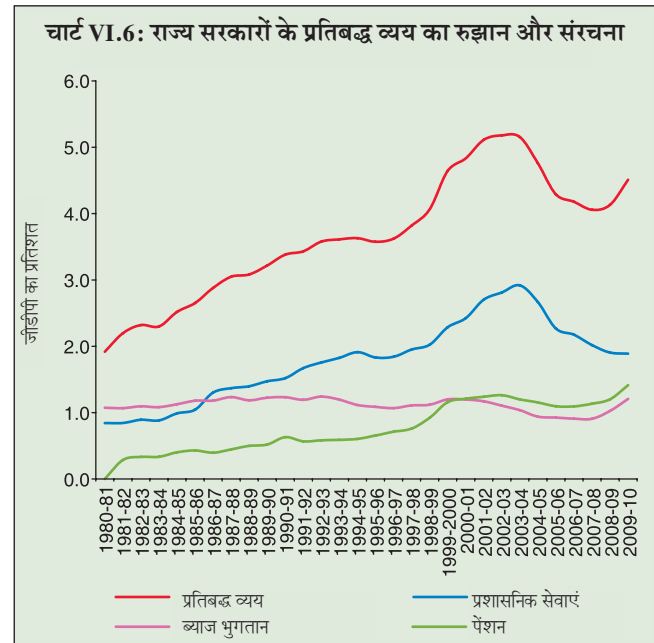
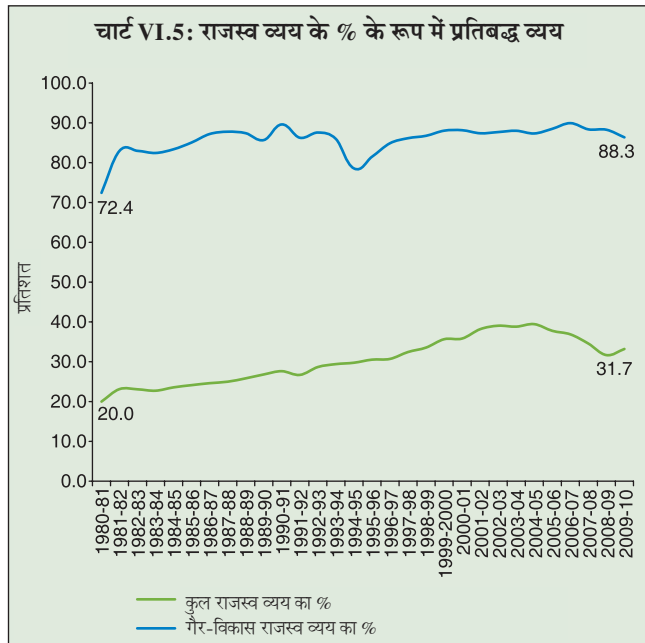
6.8 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की शुरुआत से पहले, 1998-99 तक केंद्र से ऋण राज्यों के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख

सारणी VI.4: प्रतिबद्ध व्यय और उसकी संरचना

(जीडीपी का प्रतिशत)

अवधि	ब्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	प्रतिबद्ध व्यय
1	2	3	4	5
1980-85	0.9	1.1	0.3	2.3
1985-90	1.3	1.2	0.5	3.0
1990-95	1.7	1.2	0.6	3.5
1995-2000	2.0	1.1	0.8	3.9
2000-05	2.7	1.1	1.2	5.0
2005-10	2.1	1.0	1.2	4.3

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।



स्रोत थे। इस प्रकार, इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान 2003-04 तक राज्यों के कुल ब्याज भुगतान का प्रमुख घटक था। उसके बाद, केंद्र से ऋण पर ब्याज भुगतान में काफी कमी आई जिसका आंशिक कारण 2002-05 के दौरान चलाई गई ऋण स्वैप योजना (डीएसएस) और टीडब्ल्यूएफसी द्वारा सिफारिश की गई ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) थी (सारणी VI.5)। इसी तरह की प्रवृत्ति राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान (आइपी-आरआर) में पाई गई। आइपी-आरआर अनुपात 1980-81 के 7.5 प्रतिशत से उत्तरोत्तर बढ़कर 2003-04 में 26.0 प्रतिशत हो गया। बाद में, आइपी-आरआर

अनुपात काफी कम होकर 2008-09 के दौरान 15.1 प्रतिशत रह गया (चार्ट VI.7)। यह मोटे तौर पर टीडब्ल्यूएफसी द्वारा राज्यों के आइपी-आरआर अनुपात के सदर्थ में निर्धारित 15.0 प्रतिशत से नीचे के वहनीय स्तर के अनुरूप था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान में भी 2003-04 तक निरपेक्ष वृद्धि तथा उसके बाद गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी (चार्ट VI.8)।

6.9 टीडब्ल्यूएफसी की सिफारिश के अनुसार राज्यों को योजना ऋण अप्रैल 2005 से बंद करने के केंद्र के निर्णय के प्रकाश में, राज्यों

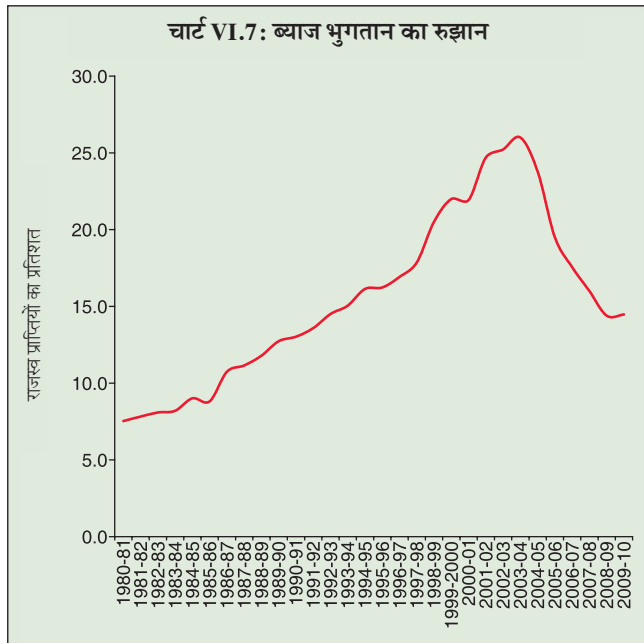
सारणी VI.5: राज्य सरकारों के ब्याज भुगतान की प्रवृत्ति

(जीडीपी का प्रतिशत)

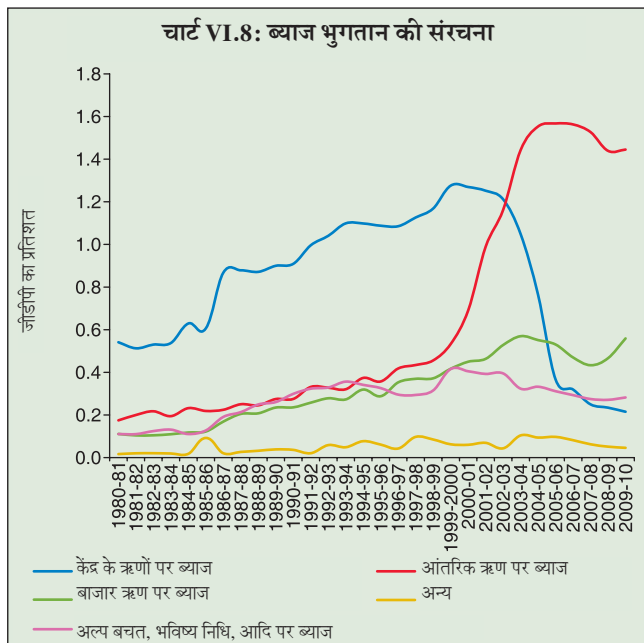
मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-2000	2000-05	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
ब्याज भुगतान (i से iv)	0.9	1.3	1.7	2.0	2.7	2.1
i) केंद्र से ऋणों पर ब्याज	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1	0.3
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	0.2	0.2	0.3	0.4	1.2	1.4
जिसमें से:						
बाजार ऋणों पर ब्याज	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
एनएसएसएफ पर ब्याज					0.1	0.8
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि पर ब्याज	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
iv) अन्य - -	-	0.1	0.1	0.1		

— : कोई नहीं / नगण्य / लागू नहीं। * : आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण अन्य सारणियों के आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।



को अपनी जीएफडी के निधीयन के लिए मुख्य रूप से बाजार उधार और एनएसएसएफ द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के माध्यम से संसाधन जुटाने थे। नतीजतन, बाजार उधार और एनएसएसएफ ऋण पर ब्याज भुगतान में हाल की अवधि में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। एनएसएसएफ ऋण की ब्याज दर राज्य के सभी उधारों में सबसे अधिक होने के कारण,



इससे ब्याज भुगतान पर भारी दबाव आता है। किंतु, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अल्प बचत और भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान हाल के वर्षों में लगभग स्थिर बना हुआ है।

4. पूंजीगत व्यय

6.10 पूंजीगत व्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राजस्व व्यय की तुलना में विकास पर इसका स्थायी प्रभाव होता है। यदि कुशलता से खर्च किया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक बनती है और भविष्य में जीडीपी की अधिक अपेक्षा के कारण बढ़े हुए राजस्व से सरकार की निवल मालियत में वृद्धि होती है। इसी प्रकार, सरकार के पूंजीगत व्यय के कुशल आबंटन से निजी निवेश को प्रभावित कर सकता है बशर्ते यह निजी निवेशकों के लिए उधार लेने की लागत न बढ़ाए। इस प्रकार, बुनियादी सुविधाओं के लिए पूंजी परिव्यय से निजी निवेश की उत्पादकता का स्तर बढ़ने की आशा है जिससे निजी निवेश बढ़ सकता है।

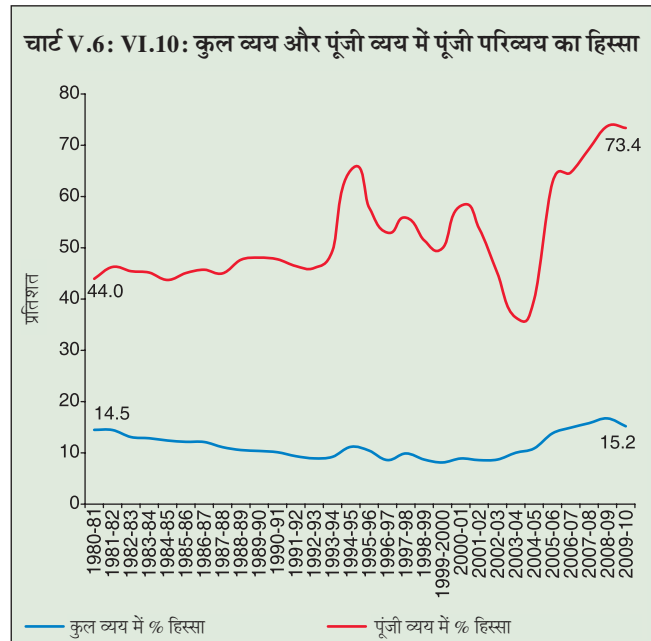
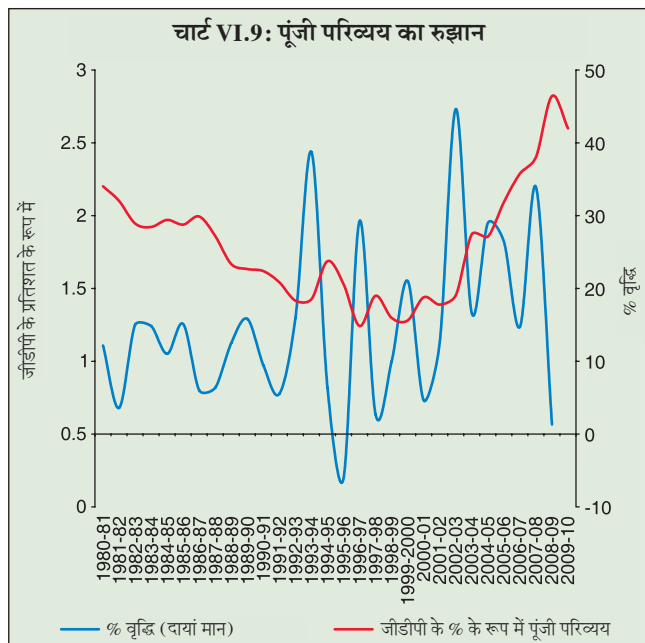
6.11 1980-2010 के दौरान, राज्यों के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा थोड़ा बढ़ा और वह भी मुख्य रूप से हाल के वर्षों में बढ़ा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय¹⁵ (सीओ-जीडीपी), जो कि राज्य सरकारों की निवेश गतिविधियों का संकेतक होता है), में 1980 के दशक के शुरू में गिरावट का रुख दिखने लगा जो विशेष रूप से 1987-88 से अधिक स्पष्ट होने लगा। इस अवधि के दौरान, राज्यों ने 1987-88 के बाद से राजस्व घाटे का सामना करते हुए अपनी निवेश गतिविधियों को घटा दिया। राज्य सरकारों द्वारा निवेश को धीमा किया गया जो राज्यों के व्यय का राजस्व व्यय की ओर अंतरण दर्शाता है जिसका मुख्य कारण ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं के कारण गैर-योजना व्यय में लगातार वृद्धि था। किंतु, हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति उलट गई है और व्यय का उभरता स्वरूप, विशेष रूप से 2002-03 के बाद की अवधि के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि इंगित करता है। एक अंतर-कालिक तुलना से पता चलता है कि सीओ-जीडीपी अनुपात 1980-85 के 2.0 प्रतिशत से कम होकर 1985-90 के दौरान 1.8 प्रतिशत रह गया। राज्यों की वित्तीय स्थिति और खराब हो जाने से यह

¹⁵ पूंजी परिव्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजी व्यय शामिल होता है।

गिरावट 1990 के दशक के दौरान अधिक गंभीर हो गई। किंतु, राज्य वृत्ति में समग्र सुधार हो जाने के कारण राज्य पूंजी परिव्यय में वृद्धि कर सके जैसा कि 2005-10 के दौरान 2.4 प्रतिशत सीओ-जीडीपी अनुपात से देखा जा सकता है (चार्ट VI.9)।

6.12 हाल के वर्षों में उभरी एक और उत्साहजनक प्रवृत्ति यह है कि राज्य सरकारों के कुल पूंजी व्यय में पूंजी परिव्यय की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। कुल पूंजी व्यय में पूंजी परिव्यय की हिस्सेदारी 1980-81 के 44.4 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 के दौरान 68.6 प्रतिशत हो गई। यह उत्पादक क्षमता उत्पन्न करने अपनी विकास क्षमता बढ़ाने में राज्य सरकारों की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। हालांकि पूंजी परिव्यय में वृद्धि ने वर्षों से अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाई है, 1980-81 से 2009-10 के दौरान सीएआरजी राज्य सरकारों के पूंजी व्यय की तुलना में अधिक पाया गया (चार्ट VI.10)।

6.13 पूंजी परिव्यय में मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित विकास गतिविधियों पर किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकास पूंजी व्यय (डीसीओ-जीडीपी) 1980-85 के 2.0 प्रतिशत से लगातार कम होकर 1995-2000 के दौरान 1.3 प्रतिशत रह गया। किंतु, बाद के वर्षों में राज्य सरकारों के द्वारा ग्रामीण विकास, सिंचाई गतिविधियों, ऊर्जा और परिवहन संबंधी सेवाओं पर फोकस बढ़ाने से



डीसीओ-जीडीपी अनुपात बढ़कर 2000-05 में 1.6 प्रतिशत और 2005-10 के दौरान 2.4 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सेवाओं पर विकास पूंजी व्यय 1995-2000 के 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 2005-10 के दौरान 1.9 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में परिवहन क्षेत्र पर राज्य सरकारों के विकास पूंजी व्यय में काफी वृद्धि हुई, विशेष रूप से 2000 के दशक की शुरुआत के बाद। इसी तरह, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा क्षेत्र पर विकास पूंजी व्यय का 0.15 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 के दौरान 0.30 प्रतिशत हो जाना राज्य सरकारों द्वारा अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर के ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है। इसके अलावा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर विकास पूंजी परिव्यय भी 1995-2000 और 2005-10 के दौरान 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 0.5 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजी परिव्यय मुख्य रूप से जल आपूर्ति और सफाई, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति और चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आबंटित था (परिशिष्ट सारणी 22)।

6.14 केंद्र के ऋणों की चुकौती संबंधी पूंजी व्यय में विशेष रूप से 2002-03 के बाद से वृद्धि हुई। ऋण अदला-बदली योजना (2002-03 से 2004-05) के तहत राज्यों को अतिरिक्त बाजार उधार और अल्प बचत से प्राप्त आय के माध्यम से केंद्र सरकार के उच्च लागत के ऋणों की पूर्व चुकौती करनी थी। इसके विपरीत, विकास और गैर-

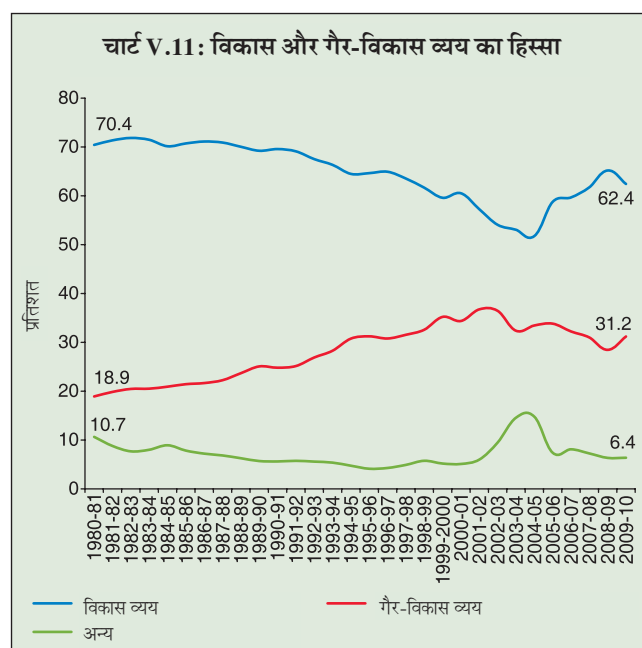
विकास के ऋणों और अग्रिमों के माध्यम से राज्य सरकारों के पूंजी व्यय ने विश्लेषण की अवधि के दौरान निरंतर गिरावट दिखाई। विशेष रूप से, विकास प्रयोजनों के ऋण और अग्रिम 1980-85 के जीडीपी के 1.39 प्रतिशत से कम होकर 2005-10 के दौरान 0.34 प्रतिशत रह गए।

विकास और गैर-विकास व्यय¹⁶

6.15 राज्य सरकारों के व्यय के विश्लेषण का एक और तरीका उन्हें 'विकास' और 'गैर-विकास' व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। विकास व्यय का लाभदायक प्रभाव होता है और इससे आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। दूसरी ओर, गैर-विकास व्यय में प्रशासनिक व्यय और ब्याज व्यय आता है। इस प्रकार, इस तरह के व्यय का वर्गीकरण राज्य सरकारों के व्यय के पैटर्न में आने वाले गुणात्मक बदलाव देखने के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि विकास व्यय आर्थिक और सामाजिक दोनों सेवाओं से संबंधित होता है, अतः उसकी प्रवृत्तियों में मोटे तौर पर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्य सरकारों की उभरती भूमिका देखी जा सकती है।

6.16 राज्य सरकारों के कुल व्यय की संरचना से पता चलता है कि यह मुख्य रूप से विकास के प्रयोजनों के लिए व्यय किया गया था (चार्ट VI.11)। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय (डीई-

जीडीपी) ने सामान्य रूप से 1987-88 और 2004-05 के दौरान गिरावट का रुख दिखाया। किंतु, डीई-जीडीपी अनुपात उसके बाद बढ़ गया। जहां जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकास पूंजी परिव्यय 2000-05 और 2005-10 के दौरान काफी बढ़ गया, वहीं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकास राजस्व व्यय में गिरावट का रुख दिखा (सारणी VI.6 और चार्ट VI.12)।



सारणी VI.6: विकास व्यय की संरचना

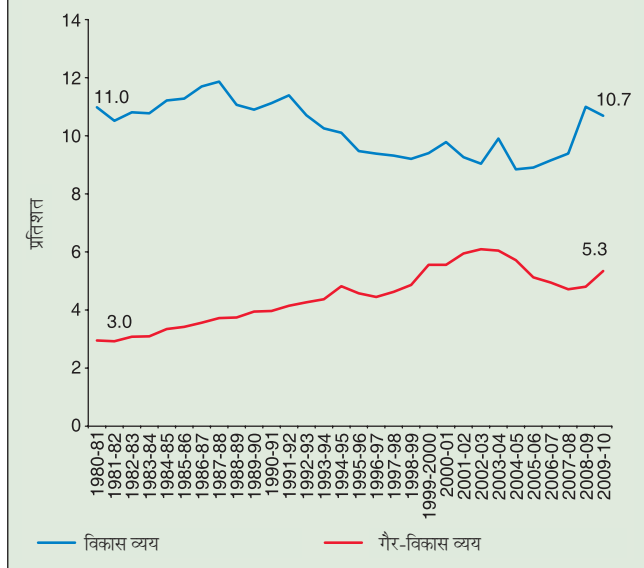
(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-2000	2000-05	2005-10	सीएआरजी
1	2	3	4	5	6	7	8
विकास व्यय (i+ii)	10.9	11.4	10.7	9.4	9.4	9.8	13.7
जिसमें से:							
(i) राजस्व	7.5	8.5	8.3	7.5	7.3	7.2	14.2
(ii) पूंजी	3.4	2.9	2.4	1.9	2.1	2.6	12.5
गैर-विकास व्यय	3.1	3.7	4.3	4.8	5.9	5.0	16.1
अन्य	1.3	1.1	0.9	0.7	1.7	1.1	12.2
कुल	15.3	16.1	15.9	14.9	17.0	15.9	14.2

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

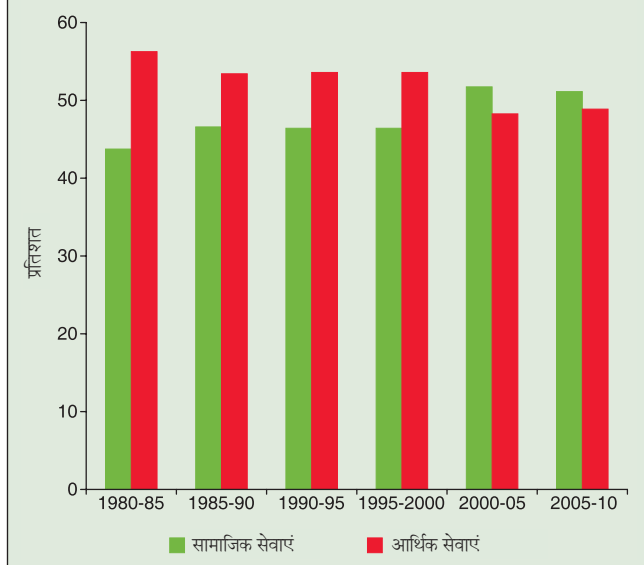
¹⁶ विकास व्यय में सामाजिक सेवाएं (अर्थात् शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) और आर्थिक सेवाएं (अर्थात् कृषि और संबंधित कार्य, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम, प्रमुख और मध्यम सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वातावरण तथा सामान्य आर्थिक सेवाएं) शामिल हैं। गैर-विकास व्यय में राज्यों के घटक सहित सामान्य सेवाओं, राजकोषीय सेवाओं पर व्यय, ब्याज भुगतान और ऋण शोधन, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं शामिल हैं।

चार्ट V.12: विकास और गैर-विकास व्यय (जीडीपी के % के रूप में)



6.17 जैसा कि चार्ट VI.13 से देखा जा सकता है, राज्यों के समग्र विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 1980 के दशक और 1990 के दशक के दौरान सामाजिक सेवाओं की तुलना में अधिक थी। किंतु, उसके बाद की अवधि के दौरान, राज्यों के समग्र विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं का औसत हिस्सा सामाजिक सेवाओं की तुलना में कम था।

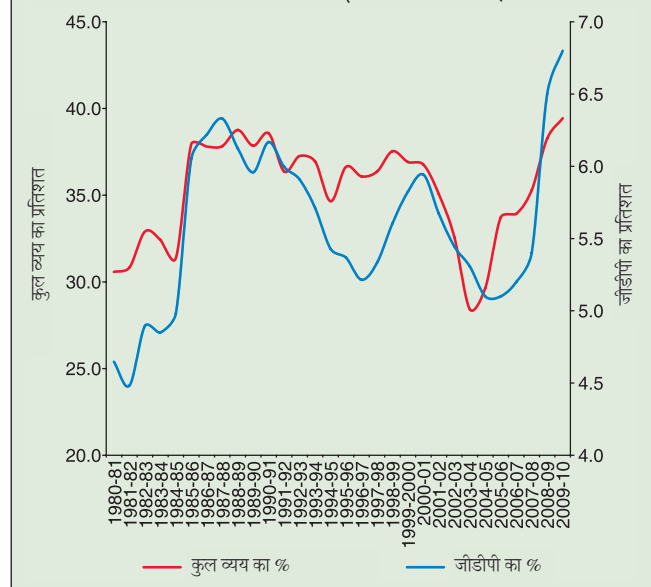
चार्ट V.13: विकास व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा



सामाजिक क्षेत्र के व्यय

6.18 सामाजिक क्षेत्र में विशेष होता है क्योंकि इसके तहत आने वाले शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पानी और सफाई जैसे क्षेत्रों में लाभ मिलने में काफी समय लगता है। भारतीय संदर्भ में, राज्य सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण जैसे सामाजिक व्यय के संबंध में संविधान (सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 246) में उच्च दायित्व सौंपा गया है। जहाँ तक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यय (एसएसई-जीडीपी) के लिए आबंटन का संबंध है, यह 1980 के दशक की दूसरी छमाही के दौरान तेजी से बढ़ा और 1990 के दशक के दौरान इसमें कुछ गिरावट दिखाई। यह अक्सर बताया गया है कि भारत के आर्थिक सुधारों से भी पहले सामाजिक क्षेत्र के व्यय बजट में कटौती के संदर्भ में सर्वाधिक संवेदनशील थे (टीसूजिता, 2005)¹⁷। अनेक अध्ययनों में यह पाया गया कि 1990 के दशक के दौरान के आर्थिक सुधारों के बाद राजकोषीय घाटे को कम करने के दबाव में सामाजिक क्षेत्र के व्यय में गिरावट आई। हालांकि, 1990 के दशक के अंतिम वर्ष के दौरान एसएसई-जीडीपी अनुपात में औसत आधार पर कुछ वृद्धि हुई थी, यह 5.5 प्रतिशत रहा था जो 1990-95 की तुलना में कम था। 2000 की पहली छमाही के दौरान, एसएसई-जीडीपी अनुपात सामान्यतः 5.5 प्रतिशत पर स्थिर था। किंतु, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 2005-10 के दौरान बढ़ गया (चार्ट VI.14)।

चार्ट V.14 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय का रुझान



¹⁷ टीसूजिता, यूको (2005), 'आर्थिक क्षेत्र के सुधार सामाजिक क्षेत्र का व्यय: भारत के पंद्रह राज्यों का अध्ययन 1980/81-1999/2000', चर्चा पेपर सं.31, विकासशील अर्थव्यवस्था संस्था - जापान बाह्य व्यापार संस्था, जापान।

6.19 सामाजिक क्षेत्र के व्यय का एक बड़ा हिस्सा पूंजी परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय के रूप में अधिक होता है। फिर भी, सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय में पूंजी परिव्यय की हिस्सेदारी में 2000-05 और 2005-10 के दौरान कुछ सुधार देखा गया। वर्तमान में, पूंजी परिव्यय सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय का लगभग 10 प्रतिशत होता है। यह इंगित करता है कि सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय (अर्थात्, पूंजी व्यय जिसमें पूंजी परिव्यय और ऋण और अग्रिम शामिल हैं) का मात्र 10 प्रतिशत सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए आबंटित किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र को दी गई राजकोषीय प्राथमिकता (अर्थात्, कुल व्यय में एसएसई अनुपात) जो 1980-85 के दौरान 31.6 प्रतिशत के आसपास था, वह 1985-90 के दौरान बढ़कर 38.0 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह 1990 के दशक के दौरान कुछ हद तक कम हुआ और 2000 के दशक के पूर्वार्ध के दौरान इसमें भारी गिरावट आई हालांकि 2005-06 के बाद वह बढ़ने लगा।

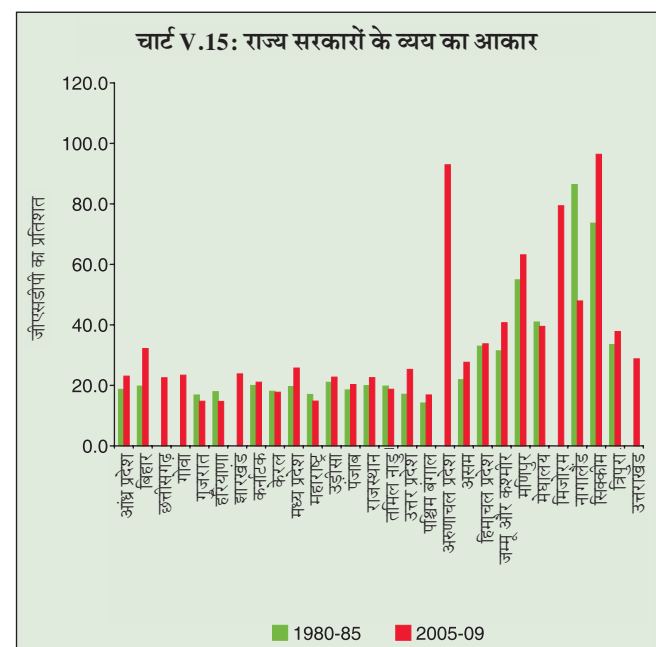
6.20 1980 के दशक के दौरान, ग्रामीण विकास, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, जल आपूर्ति और स्वच्छता और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसे मुख्य सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यद्यपि राज्यों की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति से 1990 के दशक के दौरान एसएसई-जीडीपी अनुपात में कुछ कमी आ गई थी जिससे संसाधनों की कमी हो गई थी और सामाजिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके बावजूद, प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों, अर्थात् शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए व्यय को निरंतर अपेक्षाकृत अधिक आबंटन प्राप्त हो रहा था (परिशिष्ट सारणी 23)।

5. व्यय का राज्य-वार विश्लेषण

6.21 जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार के व्यय (एसजीई-जीएसडीपी अनुपात) विशेष श्रेणी के राज्यों, अर्थात् सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर में काफी अधिक पाया गया। इन राज्यों की आर्थिक गतिविधियों में राज्य सरकार के व्यय की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेष श्रेणी के राज्यों में एसजीई-

जीएसडीपी अनुपात अधिक होने का कारण केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में इन राज्यों में संसाधनों का अधिक हस्तांतरण हो सकता है। किंतु, एसजीई-जीएसडीपी अनुपात महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 20 प्रतिशत से कम पाया जाता है (विवरण 49)।

6.22 औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों (अर्थात् सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार) के मामले में, एसजीई-जीएसडीपी अनुपात 1980-85 और 2005-10 के दौरान तेजी से बढ़ा। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान, तमिलनाडु, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, हरियाणा और नगालैंड राज्यों के मामले में एसजीई-जीएसडीपी अनुपात कम हो गया (चार्ट VI.15)। यह इंगित करता है कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था का आकार (अर्थात् जीएसडीपी) संबंधित राज्य सरकारों के व्यय के आकार की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा। किंतु, एक विश्लेषण से पता चलता है कि एसजीई-जीएसडीपी अनुपात में औसत बदलाव 1985-90 की तुलना में 2005-10 में 5 प्रतिशत पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं था¹⁸। इस तरह, सामान्य रूप से, राज्य सरकारों के आकार में विश्लेषण की अवधि में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ।



¹⁸ माध्यम जांच के अंतर के आधार पर, अर्थात् $T = (EMT - EMT - 1) / एसई$, जहां EMT और EMT 1 का अर्थ क्रमशः 2005-10 और 1980-85 के दौरान राज्यों में एसजीई-जीएसडीपी औसत अनुपात है। एसई मानक चूक है।

6.23 विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों ने 2005-10 के दौरान राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में अधिक खर्च किया। इसके विपरीत, उच्च व्यक्ति आय वाले राज्यों, अर्थात् पंजाब, हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु की इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत से कम व्यय किया। राज्य-वार एसजीई-जीएसडीपी अनुपात और प्रति व्यक्ति सकल व्यय के बीच रैंक सहसंबंध 2005-10 के लिए 0.49 था जो 1 प्रतिशत पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह पता चलता है कि, सामान्य रूप से, उच्च एसजीई-जीएसडीपी अनुपात वाले राज्य प्रति व्यक्ति सकल व्यय के संदर्भ में भी आगे थे।

राजस्व व्यय

6.24 राज्यवार विश्लेषण दर्शाता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय आम तौर पर विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों में अधिक था। उदाहरण के लिए, 2005-10 के दौरान आरई-जीएसडीपी अनुपात 92.8 प्रतिशत पर सिक्किम में सबसे ज्यादा था जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (64.5 प्रतिशत) और मिजोरम (58.0 प्रतिशत) का स्थान था। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय-जीएसडीपी अनुपात सभी विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों (बिहार को छोड़कर) में 20 प्रतिशत से कम था। विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में 2005-10 के दौरान आरई-जीएसडीपी अनुपात सबसे कम था। एक अंतर-भौतिक तुलना से पता चलता है कि दो राज्यों, अर्थात्, महाराष्ट्र और नागालैंड में 1980-85 की तुलना में 2005-10 के दौरान आरई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आई। किंतु, 28 राज्यों में से 15 में 2000-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान आरई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट दर्ज हुई। इससे यह पता चलता है कि एफआरएल अवधि के दौरान राज्यों में राजस्व व्यय में कुछ युक्तिकरण किया गया (विवरण 50)। विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों के मामले में, आरई-जीएसडीपी अनुपात 2000-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान कम होने के बावजूद 1980-85 की तुलना में सांख्यिकीय रूप से अब भी काफी अधिक था।

6.25 राजस्व व्यय के भीतर, बकाया ऋण की चुकौती का ब्याज भुगतान राज्य सरकारों का एक प्रमुख प्रतिबद्ध व्यय होता है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2001-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड को

छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कम हो गया। 2001-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान हुई गिरावट महत्व के 1 प्रतिशत स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थी। इसका कारण 2002-05 के दौरान परिचालित ऋण स्वैप योजना (डीएसएस) और टीडब्ल्यूएफसी द्वारा सिफारिश की गई ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) हो सकती है जिससे ब्याज के भुगतान पर खर्च कम करने में राज्यों को मदद मिली।

पूंजी परिव्यय

6.26 यह प्रतीत होता है कि ज्यादातर राज्य सरकारें अनुत्पादक व्यय कम करने और व्यय को विकास प्रयोजनों की ओर मोड़ने की जरूरत समझ चुके हैं। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय (सीओ-जीएसडीपी) में 2000-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान सभी राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई। विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों, बिहार और उत्तर प्रदेश ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और उत्तराखंड ने तेज वृद्धि दर्ज की। 2000-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान सभी राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में हुई समग्र वृद्धि सांख्यिकीय रूप से 1 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण थी (विवरण 51)। इस विश्लेषण से उभरा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 1980 के दशक के दौरान विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों के बीच सीओ-जीएसडीपी अनुपात उड़ीसा में और अविकसित राज्यों, अर्थात् बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उच्च था। इसके अलावा, 1990 के दशक के दौरान अधिकांश अन्य राज्यों के अनुरूप इन राज्यों के सीओ-जीएसडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहां तक कि 2005-10 के दौरान भी, विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का सीओ-जीएसडीपी अनुपात अधिकतम था। किंतु, इन राज्यों का प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय अन्य राज्यों की तुलना में कम था। इससे उनकी प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी प्रभावित हो सकता है।

6.27 जहां तक राज्यों में प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय की प्रवृत्ति का संबंध है, वृद्धि के संदर्भ में कुछ राज्य अन्य की तुलना में पिछड़ गए हैं। 1980-2010 के दौरान, प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 10 प्रतिशत से कम थी। इसके विपरीत,

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों ने इसी अवधि के दौरान उच्चतम सीएआरजी दर्ज किया जो वृद्धि और विकास बढ़ाने के लिए बुनियादी सेवाओं के निर्माण पर उनका फोकस बढ़ाना दर्शाता है। प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय सामान्यतः विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों में अधिक था (विवरण 52)। सीओ-जीएसडीपी अनुपात और प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय के बीच 0.71 पर रैंक सहसंबंध 1 प्रतिशत पर सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण था। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिक सीओ-जीएसडीपी अनुपात वाले सामान्य राज्यों में भी 2005-10 के दौरान प्रति व्यक्ति के संदर्भ में अधिक राशि व्यय की गई।

विकास व्यय

6.28 2000-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय (डीई-जीएसडीपी) में अधिकांश राज्यों में वृद्धि हुई। किंतु, कुछ राज्यों में डीई-जीएसडीपी अनुपात 1980-85 की तुलना में अब भी कम था (विवरण 53)। डीई-जीएसडीपी अनुपात विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों में अधिक था। विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा - सभी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम - ने विकास व्यय पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उनका संबंधित डीई-जीएसडीपी अनुपात 2000-05 की तुलना में 2005-10 के दौरान बढ़ गया। इसके विपरीत, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोआ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे धनी राज्यों में डीई-जीएसडीपी अनुपात 1980 के दशक और 1990 के दशक की तुलना में कम हो गया। 2005-10 के दौरान राज्यों के कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा 1980-85 की तुलना में काफी कम हो गया। किंतु, राज्य सरकारों के कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा 2000-05 की तुलना में काफी अधिक था (विवरण 54)।

6.29 प्रति व्यक्ति विकास व्यय विशेष और विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों के बीच विशेष प्रवृत्ति दर्शाता है। विशेष श्रेणी के राज्य प्रति व्यक्ति विकास व्यय पर अधिक व्यय करते हैं। विशेष और विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में सीएआरजी के

संदर्भ में कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं देखी गई। विश्लेषण की अवधि के दौरान, राज्य सरकारों के प्रति व्यक्ति विकास व्यय में सीएआरजी मध्य प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड को छोड़कर अन्य राज्यों में 10 प्रतिशत से अधिक पाया गया (विवरण 55)। राज्यों के बीच डीई-जीएसडीपी अनुपात और प्रति व्यक्ति विकास व्यय के बीच 0.50 का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण रैंक सहसंबंध था जो यह दर्शाता है कि सामान्य रूप से उच्च डीई-जीएसडीपी अनुपात वाले राज्य प्रति व्यक्ति विकास व्यय के लिए भी अधिक आबंटन करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र का व्यय

6.30 जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय विशेष से भिन्न श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों में सामान्यतः अधिक पाया गया। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय की राज्य-वार प्रवृत्ति से पता चलता है कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सभी राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र के विकास पर अपना व्यय बढ़ा दिया था। किंतु, 1990-2005 के दौरान अधिकतर राज्यों में एसएसई-जीएसडीपी अनुपात कम हो गया था (विवरण 56)। हाल के वर्षों में, राज्यों के बीच एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में औसत वृद्धि 2000-05 की तुलना में सांख्यिकीय रूप से अधिक होने से यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र के व्यय पर अधिक ध्यान दिया है। अधिकांश राज्यों में, राज्य सरकारों के सामाजिक क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति व्यय में 10 प्रतिशत से अधिक का सीएआरजी दर्ज हुआ (विवरण 57)। विकास व्यय के मामले में, एसएसई-जीएसडीपी अनुपात और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति व्यय के बीच रैंक सहसंबंध भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था।

6.31 सार्वजनिक व्यय के हिस्से की प्रवृत्ति का पता चलने पर इस बात की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यों ने उन्होंने अपने सार्वजनिक व्यय का कार्यकारी वितरण ठीक किया है या नहीं। व्यय की संरचना की जांच से पता चलता है कि राज्यों के बीच मुख्य विकास व्यय में अभिसरण (कन्वर्जन्स) है (बॉक्स VI.19 और चार्ट क से च)।

बॉक्स VI.1: राज्यों में व्यय की मुख्य श्रेणियों की संरचना में अभिसरण (कन्वर्जन्स)

साहित्य में अभिसरण की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं; अभिसरण के दो संकेतक हैं जिनका व्यापक प्रयोग हुआ है: बी अभिसरण और ए अभिसरण (बारो और साला-आइ-मार्टिन, 1992)। इनमें से पहला तब होता है जब यह पाया जाता है कि जब किसी अंतर-समुदायों के समूह (इस मामले में राज्य) कम औसत (परिवर्तनीय) के साथ नमूना अवधि की शुरुआत करते हैं और वह अधिक औसत स्तरों से शुरुआत करने वाले अंतर-समुदायों के अन्य समूहों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं, जबकि इनमें से दूसरा तब पाया जाता है जब समय अंतराल में स्तरों के फैलाव में कमी आती है।

व्यय की मुख्य श्रेणियों के अभिसरण की जांच की दृष्टि से, निम्नलिखित समीकरण के अनुमान से बी अभिसरण की जांच के लिए 1980-81 से 2008-09 की अवधि (आरई) को कवर करते हुए प्रयास किए गए:

$$E_{it} = \alpha + \delta \cdot E_{i0} + u_{it}$$

δ का ऋणात्मक मूल्य बिटा (beta) अभिसरण दर्शाता है और अभिसरण दर β बी की गणना निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके की जा सकती है:

$$\beta = (1 - \delta)T$$

E राज्य के प्रति व्यक्ति व्यय का स्तर दर्शाता है जबकि O और T क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वर्षों को दर्शाते हैं तथा u_{it} चूक का संदर्भ है।

उक्त समीकरण का अनुमान व्यय की मुख्य श्रेणियों, अर्थात् राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय, विकास व्यय और सामाजिक क्षेत्र के व्यय के लिए लगाया जाता है।

सारणी 1: राज्यों में प्रति व्यक्ति व्यय के स्तरों के लिए बीटा अभिसरण का प्रतिगमन

	सीओ	डीई	एसएसई	ईडी	एचई	आरडी
α	4.6	7.1	7.3	6.2	4.3	3.3
E_{i0}	-0.35**	-0.70*	-0.78*	-0.74*	-0.56*	-0.30
R^2	0.16	0.47	0.51	0.31	0.33	0.08
β	-0.010	-0.018	-0.020	-0.019	-0.015	-0.009

(*) और (**) क्रमशः 1% और 5% पर महत्व दर्शाते हैं।

सीओ: पूंजी परिव्यय

डीई: विकास व्यय

एसएसई: सामाजिक क्षेत्र का व्यय

ईडी: शिक्षा व्यय

एचई: आवास व्यय

आरडी: ग्रामीण विकास व्यय

सारणी 1 से यह देखा जा सकता है कि बिटा अभिसरण के लिए जांचे गए सभी समीकरणों में ए का सहगुणक ऋणात्मक है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय, विकास व्यय और सामाजिक क्षेत्र के व्यय ने राज्यों के बीच कुछ अभिसरण दर्शाया है क्योंकि उनके ए का संबंधित सहगुणक ऋणात्मक और सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण है। किंतु, सामाजिक क्षेत्र के व्यय के भीतर, ग्रामीण विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय के लिए जांचे गए समीकरणों में ए का सहगुणक ऋणात्मक है किंतु सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण नहीं है जो यह दर्शाता है

कि अभिसरण को सांख्यिकी विश्वास का समर्थन नहीं है। सामाजिक क्षेत्र के व्यय की अन्य श्रेणियों अर्थात्, (i) स्वास्थ्य; और (ii) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर राज्यों के प्रति व्यक्ति व्यय में राज्यों में काफी अभिसरण देखा गया। व्यापक व्यय की श्रेणियों के बीच, बिटा द्वारा दर्शाए गए अभिसरण की दर से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र के व्यय की दर 1980-81 और 2008-09 के दौरान राज्यों में उच्चतम थी जिसके बाद प्रति व्यक्ति विकास व्यय का स्थान था। ये प्रायोगिक निष्कर्ष प्रत्येक राज्य के जनसंख्या हिस्से से भारांकित किए गए अंतर के भारांकित सहगुणक (डब्ल्यूसीवी) द्वारा दर्शाई गई प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं जिससे चुनिंदा श्रेणियों के प्रति व्यक्ति व्यय में फैलाव की मात्रा में बदलाव का पता चलता है। अंतर के भारांकित सहगुणक की गणना निम्नवत की जाती है:

$$W = \frac{1}{N} \sqrt{\sum \frac{(E_i - E)^2 \cdot \frac{P_i}{P}}{N}}$$

यहां E प्रति व्यक्ति के संदर्भ में संबंधित व्यय की श्रेणी है, P_i/P कुल जनसंख्या में राज्य का हिस्सा है और N राज्यों की संख्या है।

चार्टों का पैलन दर्शाता है कि 1980-2009 के दौरान 22 राज्यों में व्यय की व्यापक श्रेणियों, नामतः, पूंजी परिव्यय, विकास व्यय और सामाजिक क्षेत्र के व्यय के डब्ल्यूसीवी (प्रति व्यक्ति संदर्भ में) में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। सामाजिक क्षेत्र के व्यय के भीतर, डब्ल्यूसीवी में गिरावट की प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय में देखी गई थी। किंतु, राज्यों में प्रति व्यक्ति ग्रामीण विकास व्यय में 1980-2009 के दौरान कोई अभिसरण नहीं देखा गया जैसा कि बिटा अभिसरण विश्लेषण में देखा गया था। जहां बिटा अभिसरण विश्लेषण ने राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय में बढ़ते अभिसरण का समर्थन किया, वहीं डब्ल्यूसीवी की प्रवृत्ति इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती (चार्ट क से च)।

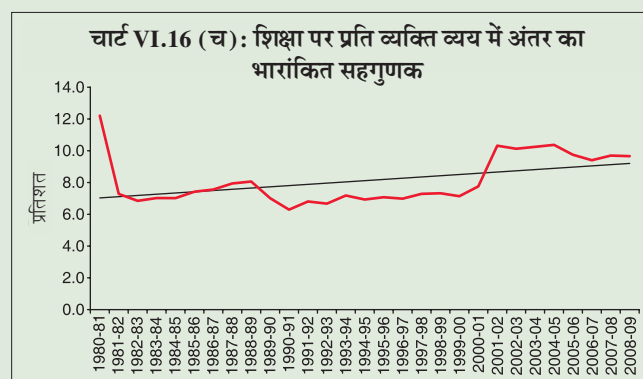
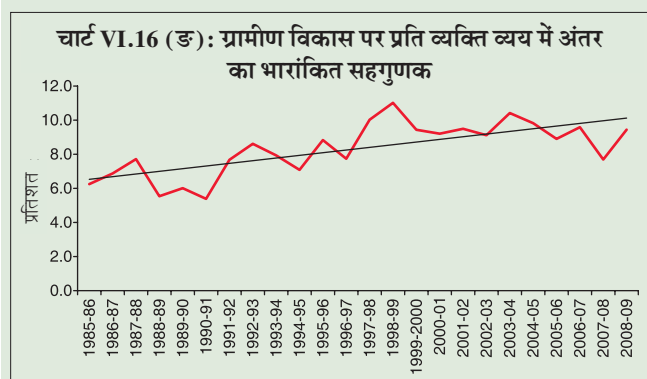
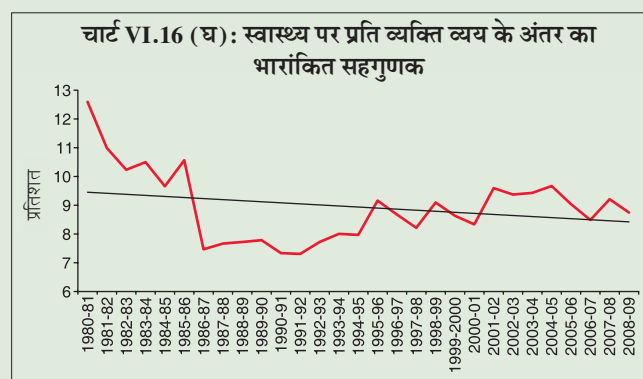
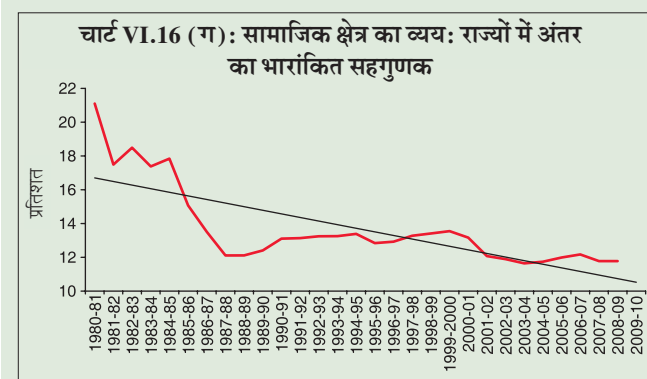
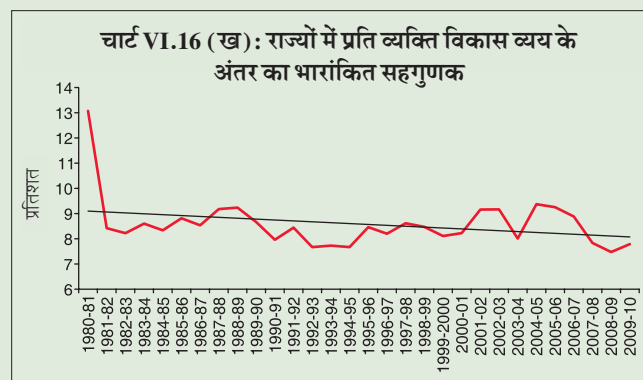
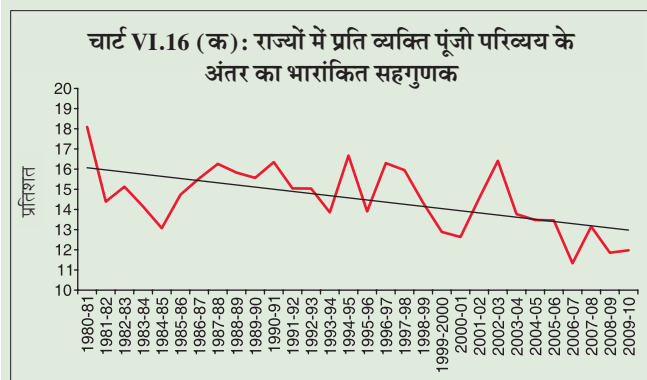
जहां तक जीएसडीपी वृद्धि पर व्यय की प्रमुख श्रेणियों के प्रभाव का संबंध है, पूलड लिस्ट स्क्वेयर पद्धति पर आधारित प्रयोग से पता चलता है कि पूंजी परिव्यय-जीएसडीपी अनुपात में प्रतिशत वृद्धि से अनुवर्ती वर्ष में 0.2 प्रतिशतता अंक का प्रभाव पड़ता है। किंतु, जीएसडीपी वृद्धि पर एक वर्ष के अंतराल से विकास व्यय और सामाजिक क्षेत्र के व्यय का प्रभाव पूंजी परिव्यय की तुलना में कम होता है जिसका कारण यह हो सकता है कि यह राजस्व व्यय घटकों से प्रभावित होता है (सारणी 2)। यह पाया गया कि राज्यों की जीएसडीपी वृद्धि पर पूंजी परिव्यय और विकास व्यय का प्रभाव सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण होता है।

सारणी 2: जीएसडीपी वृद्धि पर प्रभाव: पूलड लीस्ट स्क्वेयर

व्यय श्रेणी	सी	सहगुणक	टी-सांख्यिकी
सीओ-जीएसडीपी	9.4	0.2	3.4
डीई-जीएसडीपी (-1)	8.4	0.1	4.5
एसएसई-जीएसडीपी (-1)	9.6	0.1	1.3

जारी...

समाप्त



6. निष्कर्ष

6.32 प्रवृत्ति विश्लेषण दर्शाता है कि जीडीपी के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों का कुल व्यय 1980 के दशक के दौरान बढ़ा किंतु 1990 के दशक के दौरान कम हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2000-2005 के दौरान बढ़ा। किंतु, 2005-10 के दौरान

राज्य सरकारों के व्यय में गिरावट देखी जा सकती है जिसका मुख्य कारण राजकोषीय दायित्व विधान (एफआरएल) की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में कुछ युक्तीकरण होना था। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आरई-जीडीपी अनुपात 2000-05 के 13.3 प्रतिशत से कम होकर 2005-10 के दौरान 12.4 प्रतिशत रह गया। इस विश्लेषण ने राज्यों में विकास व्यय के प्रमुख घटकों का अभिसरण दर्शाया।

हाल के वर्षों में राजकोषीय स्थिति में देखा गया सुधार बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए एक नियम आधारित फ्रेमवर्क, जो कि राजकोषीय पुनर्गठन मार्ग द्वारा समर्थित है, के अंतर्गत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया को जारी रखकर प्राप्त किया गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के परोक्ष प्रभाव एवं आर्थिक गतिविधियों में आयी परिणामी मंदी ने राज्यों के वित्त को प्रभावित किया है। हाल में, राज्य वित्त के राजस्व और व्यय के लक्ष्य हासिल न होने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं जो राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में अड़चन डाल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के उबरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाने पर राजस्व को बढ़ाने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ और नियम आधारित ढांचे के सशक्तीकरण के माध्यम से राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को कई चुनौतियों से निपटना होगा जैसे कि राजस्व पारदर्शिता के स्तर में सुधार लाना, नकदी शेष की बड़ी राशि का प्रबंधन, राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु राशि जुटाना एवं छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

1. परिचय

7.1 हाल ही में राज्य वित्त में देखा गया राजकोषीय सुधार एवं समेकन आर्थिक मंदी के कारण आए दबाव के कारण हुआ है। इस अध्याय में राज्य सरकारों के समक्ष पेश आने वाले उन मुद्दों एवं चुनौतियों पर विशेष बल दिया गया है जो राज्य सरकारों को कर एवं करेतर दोनों ही स्रोतों से संसाधन जुटाने में तेजी लाने, व्यय की गुणवत्ता बढ़ाने, छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग / राज्य वेतन आयोगों के कार्यान्वयन, अतिरिक्त नकद राशियों की बड़ी मात्रा का प्रबंधन, राजकोषीय पारदर्शिता को उन्नत करने, राजकोषीय नियमों को सशक्त करने एवं राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम उपलब्ध कराने में पेश आती है। 2009-10 में राजस्व घाटे के पुनः बढ़ने एवं बढ़ती हुई जीएफडी, प्रतिबद्ध किन्तु गैर-विकासात्मक व्यय का बढ़ता हुआ अंश, सामाजिक क्षेत्र के व्यय का घटता हुआ अंश एवं निम्न और घटते हुए करेतर राजस्व के मद्देनजर, राज्य सरकारों को कर एवं करेतर संसाधनों से राजस्व संग्रहण में सुधार करने के लिए एवं अपने व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है।

2. राजस्व बढ़ाना

7.2 वैश्विक मंदी के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आने के कारण राज्यों के कुल राजस्व पर उनके स्वयं के कर राजस्व तथा हिस्सेदारी वाले कर के रूप में केन्द्र से राज्य को होने वाले न्यागमन (डिवोल्यूशन) और केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हाल ही में उच्च केन्द्रीय अंतरणों के साथ राजस्व

में आई उछाल ने राज्य को राजस्व अधिशेष जुटाने में सहायता की। अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणामस्वरूप वैट, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों के माध्यम से राज्यों के राजस्व संग्रहण में कमी आ सकती है। बजट अनुमानों (ब.अ.) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में गिरावट के चिह्न प्रकट हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे बजट में राजस्व प्रवाहों की परिधि एवं आकार को बढ़ाने के अपने प्रयासों में तेजी लाएं, ताकि विकासात्मक गतिविधियों के लिए उचित निधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

7.3 राज्य के स्वयं के कर राजस्व में गिरावट आना एक चिंता का विषय है। राज्यों को कर के मोर्चे पर सुधार करके राजस्व बढ़ाने के उपायों में तेजी लाने अर्थात् स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के तहत संग्रहणों को बढ़ाने के लिए संपत्ति को कम मूल्य पर आंकने की जांच करने सहित बिक्री कर के अंतर्गत छूटों को समाप्त करने पर विचार करना होगा। करेतर मोर्चे पर सकल राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व जो लगभग 10 प्रतिशत है, अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम प्रतीत हो रहा है। इसलिए राज्य जल आपूर्ति टैरिफ को समयबद्ध तरीके से बढ़ाने, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पशु चिकित्सा सेवाओं में उपयोगकर्ता प्रभारों की शुरुआत करने और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की लागत वसूल करने जैसे यथोचित उपयोगकर्ता प्रभारों को अधिरोपित करने के माध्यम से करेतर राजस्व पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं। केन्द्रीय बजट 2009-10 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी का कार्यान्वयन

कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। तथापि, जीएसटी के कार्यान्वयन की तिथि आगे बढ़ सकती है। राज्य कर व्यय पर लगाम भी लगा सकते हैं जो कर संरचना के तरजीही प्रावधान के कारण परित्यक्त राजस्व है, जिसमें छूटें, कटौतियाँ, क्रेडिट, आस्थगन और घटी हुई कर दरें शामिल हैं, ताकि कर प्राप्तियों में गिरावट को रोका जा सके। राज्य सरकारें अपने कर प्रशासन को वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण तथा विवरणियों की ई-फाइलिंग और भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण जैसे उपायों के माध्यम से सशक्त करने पर विचार कर सकती हैं। ये उपाय राज्यों को उनके राजस्व आधारों को मध्यावधि और दीर्घावधि में बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

3. व्यय की गुणवत्ता

7.4 राज्य सरकारों की व्यय की प्रवृत्ति सब्सिडी, वेतन, मेहनताना और ब्याज भुगतान जैसे घटकों से उत्पन्न निहित संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त है। चूँकि सामाजिक और आर्थिक संरचना के विकास में राज्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए गैर-जरूरी व्ययों में कटौती की जानी चाहिए। राज्यों में सार्वजनिक व्यय के आकार को पुनर्निर्धारित करते समय सर्वोच्च प्राप्य विकास दर, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकारी व्यय के सही आकार और सही संघटन को महत्व दिया जाना चाहिए। कई देशों ने 'सरकार पुनर्रचना' का एक विशाल प्रयास आरम्भ किया है ताकि कम होते बजटीय संसाधनों को उच्च प्राथमिकता वाले उपयोगों की दिशा में लक्षित किया जा सके। इसका संबंध आकार एवं क्षेत्रीय आबंटन दोनों ही से है जिनका उद्देश्य गलत आबंटन, अभिकल्पना और योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवाओं को प्रदान करने से जुड़ी अक्षमताओं को दूर करना है। इस प्रक्रिया का आशय सुधारों को और गहराई तक ले जाना, मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी एवं सक्षम सुपुर्दगी की क्षमता को मजबूत बनाना है। इस पक्ष की महत्ता के मद्देनजर, तेरहवें वित्त आयोग ने पहली बार बेहतर आउटपुट और परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता पर विचार करने को कहा है। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्यय का पुनः अभिमुखीकरण सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन के सिद्धांतों के पालन को अनिवार्य बना सकते हैं। इस संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय अनुभव कुछ विभिन्न प्रकार की तकनीकों की अपेक्षा करता है जिनमें व्ययों को सीमित करना, व्ययों को प्राथमिकता क्रम देना, कार्यपालक कार्यों का और अधिक विकेंद्रीकरण, बेहतर रोकड़ प्रबंधन एवं निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेवाओं को प्रदान करने में अधिक दायित्वशील बनना शामिल

हैं। इनमें से कुछ सिद्धांतों को अपनाने से मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता आधारित व्यय प्रबंधन को सुकर बनाया जा सकता है।

4. नियम आधारित ढांचे का सशक्तीकरण

7.5 हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियां नियम आधारित ढांचे द्वारा निर्देशित होती रही हैं। छब्बीस राज्यों के नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत होने के चलते वर्ष 2007-08 तक राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया सहज थी। तथापि वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभिक प्रभाव के कारण वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यों की राजकोषीय सुधार प्रक्रिया में विराम आया। इस संदर्भ में राज्य नियम आधारित अपने नीतिगत ढांचे के सशक्तीकरण पर विचार कर सकते हैं। राजकोषीय नियम संबंधी ढांचे का सशक्तीकरण करते समय राज्यों को यह ध्यान रखना होगा कि नीतिगत नियम के लक्ष्यों के बीच महत्वपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना होता है तथा राज्य विशिष्ट परिस्थितियों तथा नीतिगत प्राथमिकताओं के कारण इन लक्ष्यों में काफी अंतर होता है। विश्वसनीयता और लचीलेपन के बीच आपसी समझौते को न्यूनतम स्तर पर रखने की दृष्टि से व्यवहार में अक्सर कई लक्ष्यों को एकसाथ रखा जाता है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि नियम परिचालन की दृष्टि सरल तथा पारदर्शी हो। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर राज्य नियम आधारित फार्मूले को निम्नलिखित तत्वों को शामिल करके सुदृढ़ करने पर विचार कर सकते हैं।

- एक प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति ढांचा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय स्थिरता निधि की स्थापना शामिल हो;
- ऋण निर्वहनीयता प्राप्त करने के मद्देनजर ऋण-जीएसडीपी तथा ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्तियों के लिए लक्ष्य। इसके अतिरिक्त प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) के लिए एक नियम निर्धारित किया जा सकता है अर्थात् पीआरबी में आधिक्य हो तथा राज्यों के ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त हो;
- सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय पर उप - लक्ष्य सहित व्यय की कुछ श्रेणियों यथा गैर-ब्याज राजस्व व्यय के लिए संख्यात्मक लक्ष्य;
- संस्थागत सुधार जैसे, समान बजटीय व्यवहार, पारदर्शिता नियमावली, लेखांकन प्रणाली, लोक व्यय प्रबंधन तथा परिणाम बजट बनाना; तथा
- स्वतंत्र लेखापरीक्षा तंत्र तथा पारदर्शी निरीक्षण तथा निगरानी।

5. राजकोषीय पारदर्शिता

7.6 राजकोषीय पारदर्शिता का संबंध सरकार के ढांचे तथा कार्यों के संबंध में जनता के समक्ष प्रकटीकरण से है। राजकोषीय पारदर्शिता सुशासन की महत्वपूर्ण पहली शर्त मानी जाती है। जैसे कि बाक्स IV.1 में चर्चा की गई है, बजट बनाने, किन्हीं राजस्व/व्यय शीर्षों के वर्गीकरण तथा विभिन्न महत्वपूर्ण संकेतकों की रिपोर्टिंग के संबंध में राज्यों में व्यापक विसंगति है। एकरूपता का अभाव तथा पारदर्शिता की अपर्याप्तता राज्य वित्त के विश्लेषण को सारहीन बना देती है। राज्य स्तर पर राजकोषीय आंकड़ों की पारदर्शिता संबंधी कुछ मुद्दों को मार्च 2009 में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (अध्यक्ष: डॉ. राकेश मोहन) ने भी उजागर किया था। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश राज्यों ने एफआरएल प्रारंभ कर दिया है, पर्याप्त जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में अभी भी व्यापक अंतर है। अतः, जिन राज्यों में प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता मानकों का अभाव है उन्हें कुछ अन्य राज्यों द्वारा स्थापित श्रेष्ठ मानकों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में उत्तरोत्तर सुधार करने की आवश्यकता है। राजकोषीय नीति विश्लेषणों की प्रभावोत्पादकता के लिए यह अनिवार्य है कि सभी राज्यों के राज्य वित्त के आंकड़े तुलनात्मक रूप में प्रकट किए जाएं।

6. अतिरिक्त नकदी शेष

7.7 हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर अत्यधिक नकदी शेष के निर्माण ने राज्य सरकारों द्वारा नकदी प्रबंधन के मुद्दों को रेखांकित किया है। नकदी अधिशेष के निर्माण का संबंध निम्नलिखित से है: (1) राज्यों के राजस्व शेष; (2) केंद्र के नकदी प्रबंधन; तथा (3) रिजर्व बैंक के खुले बाजार के परिचालन। राज्यों को नकदी अधिशेष राशि का निवेश भारत सरकार के आइटीबी अथवा एटीबी में करना होगा। चूंकि इन निवेशों पर राज्यों को प्राप्त होने वाली ब्याज दर कम है अतः उधार लेने के बजाए राज्य अपने जीएफडी के वित्तपोषण के लिए लिए नकद अधिशेष का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप में नकदी अधिशेष राशि का उपयोग पुराने ऊंची लागत वाले ऋण की चुकौती लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण के प्रयास कर सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्यों की वास्तविक नकदी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों में बेहतर सामंजस्य लाने के अलावा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित श्रेष्ठ पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य अत्याधुनिक पूर्वानुमान तथा निगरानी तंत्र अपनाकर नकद अधिशेष के निर्माण से बचने का प्रयास कर सकते हैं।

7. राज्य वित्त पर मंदी का प्रभाव तथा राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम

7.8 राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया है जो बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में केंद्रीय अंतरणों में बड़ा हिस्सा, राजस्व बढ़ाने के राज्यों के खुद के प्रयास, राजस्व व्यय के यौक्तिकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में चक्रीय सुधार जिसने राज्य वित्त को प्रभावित किया है, के रूप में देखा जा सकता है। राज्यों ने वर्ष 1986-87 के बाद पहली बार वर्ष 2006-07 में 0.6 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष दर्ज किया। वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) के लिए 25 राज्यों ने राजस्व अधिशेष का अनुमान किया था तथा 17 राज्यों ने अपने सकल राज्य देशी उत्पाद का 3.0 प्रतिशत से कम सकल राजकोषीय घाटे के रूप में बजटीय आकलन किया था। तथापि वर्ष 2008-09 (सं.अ.) के दौरान प्रमुख राजकोषीय संकेतकों ने गिरावट प्रदर्शित की, साथ ही 24 राज्यों ने राजस्व अधिशेष रिपोर्ट किया तथा नौ राज्यों ने अपने सकल राज्य देशी उत्पाद के 3.0 प्रतिशत से कम सकल राजकोषीय घाटा दर्ज किया। राजकोषीय सुधारों तथा समेकन की गति, जिसे वर्ष 2008-09 (संशोधित अनुमान) में झटका लगा था, वर्ष 2009-10 में राजकोषीय संकेतकों में और अधिक गिरावट के साथ जारी रहने की संभावना है। राज्य बजट के अनुसार घाटे के प्रमुख संकेतकों पर मंदी का प्रभाव वर्ष 2009-10 (ब.अ.) में और अधिक स्पष्ट होने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 (ब. अ.) के दौरान 28 में से दस राज्य राजस्व अधिशेष वाले राज्यों से राजस्व घाटे वाले राज्यों की श्रेणी में चले जाने की संभावना है जबकि 22 राज्यों के बजट में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत से अधिक है। जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में विकृति का प्रमुख कारण राजस्व पक्ष में मंदी के कारण राजस्व लेखा में आई गिरावट तथा विशेषतः प्रतिबद्ध व्यय के कारण राज्यों के राजस्व व्यय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि प्रतीत होते हैं।

7.9 अर्थव्यवस्था में सकल मांग को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों को सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) की 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त बाजार उधारियाँ एकत्र करने की अनुमति दे दी, इस प्रकार 2009-10 के दौरान जीएफडी की सीमा को बढ़ाकर जीएसडीपी का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया (2008-09 के दौरान जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत)। चालू वैश्विक संकट ने राज्य स्तर पर भी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय नीति के फोकस में बदलाव ला दिया। राज्य सरकार के स्तर पर दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन के संबंध में सूचना अपर्याप्त

है। 2009-10 के लिए बजट दस्तावेजों एवं राज्य सरकारों के वित्त विभागों से एकत्र की गई सीमित सूचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल कुछ राज्यों ने ही समर्पित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज लाने का फैसला लिया है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने गरीबों को समर्थक देने वाली कई योजनाओं की घोषणा की है और उद्योग और व्यापार के लिए कई योजनाओं को प्रस्तावित किया है, जिनका संबंध विशेष तौर पर, छोटे व्यापारियों, एसएसआइ इकाइयों से है, साथ ही स्टाम्प शुल्क, विलासिता कर, व्यावसायिक कर, मनोरंजन कर को घटाने और सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्थानीय सरकार और स्वास्थ्य और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों के लिए सब्सिडी प्राप्त चावल से संबंधित सामाजिक कल्याण प्रोत्साहन पैकेज पर व्यय बढ़ाने और स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाली दरों पर बैंक ऋण देने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय समूहों के लिए विशेष आवास योजनाओं से है। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने समर्पित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा नहीं की है, किन्तु 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2009-10 में महत्वपूर्ण रूप से उच्च पूँजीगत व्यय का बजट तैयार किया है। तथापि आगामी अवधि में राज्यों की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक इन बातों पर निर्भर होगी: (i) अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से उबरती है क्योंकि राज्यों के साथ-साथ केन्द्र का कर संग्रहण इसपर निर्भर करता है; और (ii) कितने प्रभावी ढंग से राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उबरने के संकेत मिलते ही राज्य सरकारों को उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने एवं राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस लौटने की आवश्यकता होगी।

8. छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) / राज्यों के स्वयं के वेतन आयोगों (एसपीसी) का कार्यान्वयन

7.10 छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। कई राज्यों ने 2008-09 और 2009-10 में छोटे केन्द्रीय वेतन वेतन आयोग (सीपीसी) / राज्य वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की घोषणा कर दी है। तथापि, राज्यों के वित्त पर छोटे सीपीसी / एसपीसी का समग्र प्रभाव 2009-10 में परिलक्षित होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतन से जुड़े बड़े हुए व्यय के संबंध में राज्य

सरकारों पर सकल देशी उत्पाद का लगभग 1.2 प्रतिशत भार आया था। छोटे सीपीसी/एसपीसी के आंशिक कार्यान्वयन के बावजूद राज्यों ने 2008-09(सं.अ.) के दौरान समेकित राजस्व अधिशेष दर्ज किया और व्यापक रूप से यह समझा जाता है कि राज्य छोटे सीपीसी/एसपीसी के कार्यान्वयन के प्रभाव को झेल पाने की बेहतर स्थिति में हैं। तथापि, छोटे सीपीसी/एसपीसी की सिफारिशों के प्रभाव को माप पाना कठिन है क्योंकि राज्यों में इसके कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं है। वेतन के लिए प्रावधान करने के फलस्वरूप राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार आ गया है, इस तरह से विकासात्मक व्यय की संभावना सीमित हो गई है। छोटे सीपीसी/एसपीसी कार्यान्वयन का प्रभाव राज्यों के वित्त पर प्रथम दो वर्षों में ज्यादा दिखाई दे सकता है (अर्थात् 2008-09 और 2009-10 में)। इस संबंध में 2009-10 में राज्य वित्त में गिरावट की स्थिति को देखते हुए राज्य, जहाँ संभव हो, अपव्यय को कम करके बेहतर व्यय प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

7.11 राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2008-09 (सं.अ.) में मुख्य घाटा संकेतकों में विकृति का संकेत देता है। ऐसी स्थिति कई कारकों के संयोजन के कारण बनी है जैसे, आर्थिक मंदी तथा इसके कारण राजस्व में आई कमी तथा राज्यों द्वारा प्रोत्साहन उपाय शुरू करने के कारण व्यय में हुई वृद्धि। बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों तथा बजटीय नियमों ने राज्यों के लिए राजकोषीय धरातल का निर्माण करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है ताकि राज्य प्रोत्साहन पैकेज शुरू कर सकें। वैश्विक वित्तीय संकट तथा आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम करने के लिए प्रति-चक्रीय उपायों के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटे की सीमा को राज्यों के सकल देशी उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक तथा बाद में 2009-10 में उनके सकल देशी उत्पाद के 4.0 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है। इस प्रकार उपलब्ध राजकोषीय सुविधा का उपयोग पूँजीगत निवेश करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

7.12 राजकोषीय सुधारों की निर्वहनीयता बनाए रखने के लिए व्यय की गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण है। उत्पादक उद्देश्यों के लिए व्यय के पुनर्विन्यास हेतु यह आवश्यक है कि लोक व्यय प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन किया जाए। व्यय प्रबंधन से नजदीकी रूप से जुड़ा मुद्दा सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी तथा मूल्यांकन का है। राजस्व में महत्तम वृद्धि पर आधारित राजकोषीय रणनीति भी व्यय के पैटर्न को विकासात्मक

उद्देश्य की ओर उन्मुख करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कर प्रशासन में सुधार तथा प्रयोक्ता प्रभारों के यौक्तिकीकरण द्वारा बजट में राजस्व के क्षेत्र तथा आकार के विस्तार के प्रयासों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

7.13 राज्य सरकारों की पहली चिंता राज्य वित्त को राजकोषीय सुधार के पथ पर वापस लाना है, परंतु यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली की गति पर निर्भर करेगा। राज्य सरकारें प्रति-चक्रीय प्रावधान, ऋण संबंधी मानदंड तथा स्वतंत्र निरीक्षण और निगरानी तंत्र की शुरुआत करके नियम आधारित ढांचे का सशक्तीकरण कर सकती हैं।

7.14 वित्तीय बाजारों में हाल की उथल-पुथल ने अधिक पारदर्शिता तथा सूचना प्रकटीकरण के महत्त्व को सामने ला दिया है। राज्य सरकार के स्तर पर अपने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु बाजार उधारियों पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता के कारण राजकोषीय पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि हाल के वर्षों में, विशेषकर वित्तीय उत्तरदायित्व विधान के आने के बाद की अवधि

में, राज्य बजटों में पारदर्शिता बढ़ी है परंतु अभी भी पारदर्शिता संबंधी मुद्दों की एक लंबी श्रृंखला का समाधान किया जाना है जिसमें - विस्तृत ब्रेक-अप सहित सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के आंकड़े, बकाया देयताएं, बजटेतर उधारियों के ब्यौरे, आंतरिक ऋण की अदायगी, मजदूरी तथा वेतन, परिचालन तथा अनुरक्षण, सब्सिडी तथा विभिन्न बजट दस्तावेजों की प्रकृति तथा विषयवस्तु में एकरूपता - शामिल है।

7.15 हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर अत्यधिक नकदी शेष के निर्माण की स्थिति ने राज्य सरकारों द्वारा अत्याधुनिक पूर्वानुमान तथा निगरानी तंत्र अपनाकर बेहतर नकदी प्रबंधक के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रयास करने की जरूरत के मुद्दे को उठाया है। प्रभावशाली नकदी प्रबंधन तथा नकदी के अंतर्वाह तथा बहिर्वाह में बेहतर समन्वय करके राज्य अपने अतिरिक्त नकदी शेष को कम करने में समर्थ होंगे। एक संभावित विकल्प अतिरिक्त नकदी शेष का प्रयोग सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण अथवा पुराने ऊंची लागत वाले ऋणों की चुकौती के लिए हो सकता है। कुल मिलाकर, हाल में देखी गई राज्य वित्त की गिरती हालत को राजकोषीय सुधार के पथ की तीव्र डिजाइनिंग द्वारा शीघ्र ही रोकने की आवश्यकता है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
1. आंध्र प्रदेश	- सभी सरकारी स्कूलों में सभी प्राथमिक शिक्षा के छात्रों के लिए पुस्तकों के वितरण के साथ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। - राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। - चुने हुए 5000 हाई स्कूल और जूनियर कॉलेजों के सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव। ‘आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सेवा और नियत दिवस स्वास्थ्य सेवा शुरू की गयी है। - वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए प्रति माह 500 रुपये की मासिक पेंशन गारंटी योजना ‘अभय हस्त’ शुरू की है।	- गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राजीव आवास योजना शुरू की गयी है। - एपी रोड क्षेत्र परियोजना शुरू की गई है। - रु. 4,607 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आठ लेन वाले प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के 158 कि.मी. लंबे बाहरी रिंग रोड के निर्माण के साथ हैदराबाद शहर को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए पहल।	- प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राजीव युवा शक्ति योजना के तहत सहकारी समितियों के बुनकरों और स्वतंत्र बुनकरों को स्वीकृत ऋण की एक बारगी छूट। - उद्योगों और व्यापार वर्ग को अपना कामकाज करने के लिए प्रक्रिया, नियमों, निरीक्षण, पंजीकरण और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के सरलीकरण के लिए पर प्रयास चल रहे हैं।	—
2. अरुणाचल प्रदेश	- शिक्षकों और डाक्टरों के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। - पंचायत नेताओं की गतिशीलता के लिए उनको कुछ भत्ता प्रदान करें। ‘आशा’, ‘दाई’ और ‘मेडिक’ के लिए 500 रुपये का मासिक निर्धारित मानदेय प्रदान करना। - बाल पुनर्वास, विकलांग व्यक्तियों और पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देना तथा अरुणाचल प्रदेश समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को वित्तीय सहायता देना। - विकास तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।	- भारी सड़क विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 1,800 किलोमीटर अरुणाचलपारीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके 513 अतिरिक्त गांवों को दो लेन वाले राजमार्गों से जोड़ा जाएगा।	- तम्बाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत वैट लगाने के लिए प्रस्ताव। - बहुत से उत्पादों के संबंध में वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।	- नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के बीच भारी क्षमता निर्माण के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 300 लाख रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव। - राष्ट्रीय स्तर के खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक की उपलब्धि हासिल करने के लिए 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की स्थापना की गई है। - खेल और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सांगे ल्हादेन अकादमी के लिए रु. 3.0 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि सृजित की गयी है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
3. असम	- विभिन्न स्वदेशी जनजातीय समूहों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए छह सांविधिक स्वायत्तशासी परिषदें बनायी गयी हैं। - पीपीपी आधार पर एक चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है। - अनुसूचित जातियों के वर्चस्व वाले जिलों में डॉ. अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए 16.30 करोड़ रुपये का प्रावधान। - छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। - उन मदरसों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है जो आधुनिक विषयों और व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली लागू करते हैं। - विकलांग व्यक्तियों और विकलांग बच्चों वाले परिवारों को बेरोजगारी भत्ता देने की एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। - गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले लोगों के लिए प्रति रोगी रु. 35,000 के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना का प्रस्ताव रखा गया है। - तीन नए संस्थान अर्थात् शिवसागर में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय निर्माण अकादमी स्थापित करना। - राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में 50 नए अस्पताल स्थापित करना प्रस्तावित।	5.0 करोड़ रुपये के आरंभिक योगदान के साथ असम वित्तीय निगम (एएफसी) के तत्वावधान में जोखिम पूंजी (वेंचर कैपिटल) निधि गठित की गयी है। - बुनियादी सुविधाओं और सीमा क्षेत्रों की अन्य बुनियादी जरूरतों का विकास प्रारंभ किया गया है, खासकर स्वरोजगार के रूप में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कौशल प्रदान करना भी प्रस्तावित है। - ग्रामीण विभिन्न विकास योजनाओं के केंद्रित अभिसरण द्वारा 'आदर्श ग्राम' के रूप में एक गांव को गोद लेना प्रस्तावित। - बाढ़ और कटाव की रोकथाम और भूमि सुधार के लिए जल संसाधन प्रबंधन आयोग स्थापित करना प्रस्तावित। 1200 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए असम को आर्बिट्रिट 300 एमएमटी कोयला भंडार विकसित करने के लिए तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय के साथ भागीदारी में एक राज्य संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाई जाएगी। - पीपीपी व्यवस्था के अंतर्गत बोको में एक कृषि केंद्र (एग्री-हब) और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के अलावा तिनसुकिया जिले में एक पूरी तरह समेकित प्लास्टिक पार्क / प्लास्टिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना। - क्षेत्र वार कई एसईजेड / पार्कों का प्रस्ताव किया जा रहा है। - शहरी केन्द्रों के नियोजित विकास की पड़ताल करने और	- असम बुनियादी सुविधा वित्त पोषण प्राधिकरण को 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी है। - मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना का प्रस्ताव रखा गया है। - लंबे समय से बकाये वाले लघु उधारकर्ताओं के लिए 'उधार माफी योजना' प्रारंभ की गई है। - राज्य सरकार ने छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार का वेतन ढांचा प्रदान करने का निर्णय लिया। - औद्योगिक निविष्टियों पर प्रवेश कर घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। - चुनिंदा वस्तुओं पर वैट घटाकर 4 प्रतिशत किया गया। - प्राकृतिक गैस पर कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई। - संकट से गुजर रहे कलाकारों के कल्याण के लिए एक विशेष निधि सृजित की गई है। - विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मोषों को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन निधि का प्रस्ताव रखा गया है	- उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए पूरे पुलिस बल का आधुनिकीकरण। - महिला एवं युवा विकास के लिए के लिए क्रमशः 10 लाख रुपये और 35 लाख रुपये के साथ दो विकास परिषदें गठित करना प्रस्तावित। - महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमी परिषद का गठन किया जाएगा। - खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्विमिंग पूल और इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने का प्रस्ताव है। - सरकारी अस्पतालों में पैदा हुए बच्चों के लिए ममता की योजना शुरू की गई। - शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। - असम वन संरक्षण बल की दूसरी बटालियन खड़ी करने का प्रस्ताव है। - प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव है ताकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रस्तावित करने के लिए नीतियां सुझाई जा सकें। - शिक्षा नीति के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए ज्ञान आयोग गठित करने का प्रस्ताव है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	महिलाओं के लिए दो नए संरक्षण गृह, एक महिला वृद्धाश्रम और बच्चों / किशोरों के लिए दो अवलोकन गृह (आब्जर्वेशन होम) विकसित किये जाएंगे।	- उपायों के सुझाव के लिए विकास परिषदों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। 10 नए शहरों में बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।		
4. बिहार	- तीन नए मेडिकल कालेजों की स्थापना करना। - मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए दो जिलों में विशेष स्कूलों की स्थापना। - अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोगों के लिए मोटर ड्राइवर और मेकैनिक का प्रशिक्षण देने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड के सहयोग से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना। - पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए तीन नए बोर्डिंग स्कूल स्थापित करना। ‘महा दलित विकास योजना’ और ‘4-दशमलव गृह स्थल योजना’ के अंतर्गत भूमि वितरण। - व्यापारियों के कल्याण के लिए कारोबार दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जाएगी। - उच्च शिक्षा के लिए महा विकास केन्द्रों / संस्थानों की स्थापना।	- एशियाई विकास बैंक और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य पथ विकास निगम की स्थापना करना। 2009-10 के दौरान 1400 पुलों पर काम शुरू करना जिस पर 900 करोड़ रुपये की लागत आएगी। - कृषि के क्षेत्र में पारंपरिक सिंचाई पद्धति को पुनः जीवित करना और आधुनिक बनाने, सिंचाई के लिए निजी पंपों और अनुपूरक पंप सेटों की 1,28,000 इकाइयों की स्थापना करने के लिए किसानों को ऋण एवं अनुदान, चावल और गेहूं के लिए 25 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में बीज गांव स्थापित करने के साथ-साथ एक ‘किसान खेत स्कूल’ स्थापित करना और चावल तथा जूट को छोड़कर सभी फसलों को बिहार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाना। - मुर्गी पालन के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने और चार नए चारा बैंक तथा दो नए डेयरी संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना। - पावर ग्रिड 24 जिलों में काम करेगा और एनएचपीसी 6 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ करेगा। - गया में एक हथकरघा पार्क स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट प्रावधान के साथ चीनी कारखाने प्रस्तावित हैं।		- यूएनडीपी आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जिलों में आपातकाल संचालन केन्द्रों की स्थापना करना। - राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए जमीन की खरीद और निर्माण कार्य शुरू करना। 18 बाढ़ प्रवण जिलों में राहत और बचाव कार्य से संबंधित सामग्री के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण करना। - विभिन्न विकास योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास उपलब्ध निधियों और क्षमता के बीच अंतर को भरने के लिए निधियां प्रदान की जाएंगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
5. छत्तीसगढ़	- देश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)', योजना के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। - संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए 'महतारी एक्सप्रेस योजना' शुरू करने का प्रस्ताव है। 'यूरोपीय संघ राज्य अंशदान कार्यक्रम' की सहायता से कुष्ठ रोग से प्रभावित जिलों में विशेष सर्वेक्षण और उपचार अभियान। - अनुसूचित जनजाति के कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास के हेतु 'अनुसूचित जनजाति अनुसंधान केंद्र' की स्थापना। - मूक और बधिर विद्यार्थियों के लिए दंतेवाड़ा में और नेत्रहीन छात्रों के लिए जशपुर में एक-एक कॉलेज खोलना।	- सभी ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में भूमिगत जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए एक आवश्यक किट और उचित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। - बिलासपुर में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना। - सभी जिला मुख्यालयों में एक बहुउद्देशीय कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। - किसानों के सिंचाई पंप सेटों के लिए मुफ्त बिजली। - यूएनडीपी और योजना आयोग की सहायता से राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, कोरबा, जांजगीर-चम्पा, सरगुजा और जशपुर जिलों के लिए पहली बार 'जिला मानव संसाधन रिपोर्ट' तैयार करना। - भिलाई और राजनांदगांव में नए परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र की स्थापना।	- रियायती दर पर महिलाओं को नए रसोई गैस कनेक्शन। - प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को व्यवसाय कर की छूट। - राज्य में जैव-ईंधन के उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए इसे वैट से छूट दी गई।	बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' का गठन।
6. गोवा	- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाइ) के तहत घरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव। - अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं।	- एक 'कृषि और बागवानी नीति' तैयार करना। - संकट और आपदा के समय में किसानों की देखभाल करने के लिए एक 'शेतकरी आधार निधि'। - पहाड़ी ढलानों में सब्जियां उगानेवाले किसानों के लिए पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए एक 'जलकुंड योजना' प्रारंभ करना। - परंपरागत कौशल संपन्न छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव।	- सरकारी प्रशासन के कार्य करने को समग्र रूप से चुस्त-दुरुस्त बनाने का प्रस्ताव। - विभाग के वित्त का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षा करना और उचित नीतिगत निर्णयों के साथ कमियों को दूर करना। - राजस्व बढ़ाने के उपाय के रूप में 'पेशेवरों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर गोवा राज्य कर अधिनियम, 2009' प्रस्तावित है।	- राज्य सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सतर्कता विभाग को सुदृढ़ बनाना। - मानव विकास सूचकांक का अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करना। - दसवीं और बारहवीं कक्षाओं तथा व्यावसायिक धारा के छात्रों हेतु मेरिट स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। - उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		• बुनियादी संरचना परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इन्हें पीपीपी आधार पर तैयार किया जाएगा। • डोना पौला और वास्को शहर को जोड़ने वाले सेतु का निर्माण करने के लिए पीपीपी / बीओटी आधार पर समुद्री संपर्क मार्ग परियोजना प्रस्तावित। • गोवा की आजादी के 50वें वर्ष की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक अतिरिक्त 'स्मारक सेतु' का निर्माण किया जाएगा। • राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदनों का तेजी से निपटान करने हेतु एकल खिड़की अनुमोदन पद्धति प्रणाली। • महिला उद्यमियों द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दर में छूट प्रस्तावित की जा रही है। • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्र तट सुरक्षा कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रस्तावित है।	• अन्य कर उपायों में शामिल हैं वाणिज्यिक उपयोग हेतु निकाले गए जल पर 20 रुपए प्रति घन मीटर शुल्क, बढ़ाए गए सभी केसीनों पर प्रवेश शुल्क, दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर प्रवेश टोल लगाया जाएगा, होटलों के लिए विलासिता कर की दरें तर्क संगत बनायी गईं, सभी बार्ज लोडिंग और अनलोडिंग जेटियों के लिए पंजीकरण हेतु केवल एक बार का पंजीकरण प्रभार, बंदरगाह और अन्य संबद्ध प्रभार बढ़ाए गए, कोयला और कोक के साथ-साथ ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं के लिए परिवहन प्रभार बढ़ाए गए, जहाजों / नौकाओं पर कसीनों और जुआ खिलाने के लाइसेंस और प्रोसेसिंग शुल्क बढ़ाए गए लेकिन उपभोग हेतु खुदरा बिक्री के लिए घटाए गए। • खनन उद्योग से भूमि के बदले भूमि और हरित वातावरण प्रभार प्रारंभ करना प्रस्तावित।	योजना जिनके बच्चे अन्यथा - समर्थ और विशेष श्रेणी के हैं ताकि वे उनकी देखभाल कर सकें। साथ ही विशेष बच्चों की देखभाल के लिए उचित योजना बनाना।
7. गुजरात	• राज्य में बाल सखी योजना शुरू की गई है। • बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, स्कूल छोड़ने की दर कम करना, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने सहित कई कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। • नये विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। • शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, साइकिल, 'दीन दयाल आवास योजना' के	• शहरी केन्द्रों को जोड़ने वाले सभी गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। • अपारंपरिक संसाधनों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निजी निवेश आकर्षित करने हेतु एक नीति तैयार की गयी है। • दूरदराज के गांवों में किसानों की मदद करने के लिए 'ई-ग्राम - विश्व ग्राम' योजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से सभी गांवों को कनेक्ट करना ताकि वे अपने उत्पादों की कीमत जानने के साथ-साथ अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता	• मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके राजस्व प्रशासन सरल बनाया गया है। • राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की वेतन संरचना लागू करने के लिए स्वीकार की गयी है।	• पर्यावरण सुरक्षा के मोर्चे पर विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जैसे कि वन बंधु कल्याण योजना, सागरखेडू योजना, शहरी गरीब समृद्धि योजना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अंतर्गत मकान का आबंटन और 'कुंवरबाई नू ममेरू' के अंतर्गत शादी के लिए सहायता, विदेशी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, यह सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े समुदायों से संबंधित लोगों के लिए।	देने के लिए जानकारीयां प्राप्त कर सकें। शहरी गरीबों के उत्थान की योजनाओं को समन्वित करके वैज्ञानिक शहरी विकास शुरू किया गया।		
8. हरियाणा	- मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए 300 रुपये का मासिक भत्ता शुरू किया गया है और मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों, निराश्रित महिलाओं और बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ एक महिला मेडिकल कॉलेज और विशेष संस्थाओं का प्रस्ताव है। - अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 18- 60 वर्ष की आयु समूह के सभी पात्र व्यक्तियों को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्रदान करना। - नई योजना अर्थात, 'स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना' आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। - पात्र अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग (ए) के लिए किये जाने वाले उपायों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंडों का महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत आबंटन, अपना घर बनाने के लिए रियायती दर पर ऋण, स्कूल शिक्षा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति की पेशकश के अलावा गांवों में 400 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण शामिल है। इसके	- पहले चरण में 16 शहरों में 100 प्रतिशत अच्छी और विश्वसनीय जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना प्रस्तावित। - प्रमुख जल संसाधनों का नवीकरण करने का प्रस्ताव है। - औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकान बनाने का प्रस्ताव है। - मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। - उन विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में जहां आम अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव। - चुने हुए स्थानों में औद्योगिक आदर्श शहर (आइएमटी) विकसित करने का प्रस्ताव। इसी प्रकार, औद्योगिक इस्टेट भी स्थापित किए जाएंगे। कुंडली-मानेसर-पलवल दुतगति महामार्ग के साथ- साथ 'आर्थिक केन्द्र' भी विकसित किया जाएगा। - लकड़ी आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाते	- जमीन और संपत्ति की बिक्री पर स्टॉप शुल्क की दर घटाकर शहरी क्षेत्रों में 7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। 0.4 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र पर अपनी गतिविधियों का संचालन करने वाले मछली उत्पादक उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की गई है। - मछली के चारे पर वैट की लेवी से छूट दी गई है। - राज्य सरकार ने कर्मचारियों का वेतन पैकेज केंद्र के छोटे वेतन आयोग के अनुरूप कर दिया है और अब पेंशनरों को भी यह लाभ देने की प्रक्रिया में है।	- ग्रामीण युवाओं को राज्य में अवसर प्रदान करने के लिए 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' नामक एक नई योजना शुरू की गई है। - अभिसरण और सामाजिक लेखा परीक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति नामक एक आम समिति गठित की गयी है। - राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लक्ष्य मृत्यु या विकलांगता के कारण मुआवजा देना है। - वरिष्ठ नागरिक क्लब, स्वैच्छिक सेवा नेटवर्क, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान पत्र जारी करने, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग को बस किराए में 50 प्रतिशत रियायत और गरीबी रेखा से नीचे वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क चश्मे के वितरण का प्रस्ताव रखा गया है। - गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है। - कई एक कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अलावा, स्कूली शिक्षा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। • सभी सरकारी स्कूलों और विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा तथा दो नये मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं।	हुए सभी छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिए क्लोनल कृषि वानिकी शुरू की गयी है।		
9. हिमाचल प्रदेश	• इंदिरा आवास योजना और अटल आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीबों और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 9000 नए घरों का निर्माण किया जाएगा। • बिलासपुर में नया इंजीनियरिंग कालेज खोला जाएगा। सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। • गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सभी जिलों में व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है। • आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के लिए हर साल लगभग 400 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। • 'अटल बिजली बचत योजना' के तहत सभी परिवारों को चार सीएफएल वितरित की जाएंगी।	• जैविक खेती और वर्मी खाद को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। • 25 पशु चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और 19 नए संस्थान खोले जाएंगे। • बेरोजगार युवकों को मछली पालन, मोती उत्पादन और व्यावसायिक ट्राउट के प्रजनन में प्रशिक्षित किया जाना है। • बिलासपुर और कांगड़ा जिले में 1171 बस्तियों के लिए तीन प्रमुख ग्रामीण पेय जल परियोजनाएं प्रस्तावित। • प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टाउनशिप सहित आइटी पार्क स्थापित करना। • स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए उदारता से परमिट प्रदान करना।	• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण बेरोजगारों को प्रति वर्ष 11,000 रुपये कमाने का अधिकार और इस के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। • सीएफएल, बिना मार्का वाले साबुन और घी पर कर की दरें घटाई गईं। • ग्रामीण सड़कों में आवागमन के लिए पथ कर में पूरी तरह से छूट दी गई।	• ग्रामीण विद्या उपासक योजना पुनः शुरू। • पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। • वन विभाग की इस हेतु उपलब्ध 6000 वर्ग किमी भूमि में वन लगाने की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। • शिमला में गेटी थियेटर और मसरूर में पहाड़ी काटकर एक मंदिर बनाया जायेगा जो पर्यटन का महत्वपूर्ण आकर्षण होगा।
10. जम्मू और कश्मीर	• स्त्री साक्षरता और 100 प्रतिशत वयस्क साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव है। • महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य महिला विकास निगम के माध्यम से 100 महिला उद्यमियों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख तक प्रत्यक्ष ऋण देने का प्रस्ताव है।	• कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार के लिए समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण अपनाया जाना है। • गोशत और ऊन की उपलब्धता में सुधार लाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में और अधिक भेड़ पालन इकाइयां तैयार करना। • मुर्गी पालन विभाग बेहतर पैरेंट स्टॉक प्रजनन के लिए पीपीपी	• 'उद्यमिता विकास कार्यक्रम/मों (ईडीपी)' को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसमें अप्रतिदेय प्रारंभिक धन के रूप में एक प्रोत्साहन शामिल है ताकि संभावित उद्यमी अपने उद्यम शुरू कर सकें और अपनी परियोजनाओं को बैंकिंग योग्य बना सकें। • सरकार का 25 करोड़ रुपये के एक आरंभिक कोष के साथ 'उद्यमिता विकास कोष' बनाने का इरादा है।	• शहतूत कल्चर, रेशम उत्पादन, बुनाई और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए एक मल्टी टास्क फोर्स स्थापित किया जाएगा। • एक नई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी और क्लस्टर योजनाओं को लागू करने के लिए विशेष प्रयोजन के साधन बनाए जाएंगे। • सभी भू-राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण करवाया जाना

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		मोड में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से लैस चूड़ा केंद्रों (हेचरीज) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की व्यवहार्यता का पता लगाएगा। - सरकार जोर दिए जानेवाले निर्दिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के समूहों के माध्यम से स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कच्चे माल का दोहन करने का इरादा रखती है। - औद्योगिक विकास केन्द्र, लस्सीपोरा में 500 कनाल भूमि चमड़ा क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। - निजी क्षेत्र के दो वस्त्र पार्क कठुआ जिले में घट्टी और गोविंदसर में आ रहे हैं। - नई औद्योगिक इकाइयों और विशेष औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि बैंक के सृजन के प्रयास किए जा रहे हैं। - आइटी, आइटी समर्थित सेवाओं, खुदरा व्यवसाय, पर्यटन और अन्य सेवा उद्योगों में राष्ट्रीय और वैश्विक रोजगार के अवसरों में साझेदारी के लिए नैसकॉम के सहयोग से राज्य में कुशल संसाधन विकसित करने के लिए एक विशेष कार्य बल बनाया गया है।	- पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा क्षेत्र की योग्य प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। - राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र के छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। - जनवरी 2010 से लागू करने के लिए नई पेंशन योजना पर विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिसमें पेंशन के भुगतान का भार पेंशन निधि में स्थानांतरित हो जाएगा। अधिसूचना के बाद सभी नई भर्ती वालों के लिए यह योजना अनिवार्य हो जाएगी।	और इसे आनलाइन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। - जिला रोजगार और परामर्श केन्द्र एक कौशल सूची और कौशल की कमी के मानचित्रण सहित विश्वसनीय आंकड़ा आधार विकसित करेंगे। ‘युवाओं के लिए शेर-ए-कश्मीर रोजगार और कल्याण कार्यक्रम’ (एसकेईडब्ल्यूपीवाई) के तहत राज्य में बेरोजगारी की समस्या से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ‘रोजगार संबंधी राज्य नीति’। - सरकार 22 जिला स्तरीय ‘ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों’ (आरएसईटीआई) की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ करने और उसमें तेजी लाने के स्वयं वचनबद्ध है। - प्लेसमेंट एजेंसियों, विदेशी दूतावासों, श्रम मंत्रालय और विदेशी रोजगार विभाग के साथ संबंध स्थापित करने और विदेश में रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए एक ज्ञान बैंक बनाने के लिए विदेशी रोजगार निगम बनाया जाएगा।
11. झारखंड	- शिक्षा और समाज कल्याण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है। - नक्सल प्रभावित जिलों के लिए प्रोत्साहन पैकेज के तहत इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नए मकान मंजूर किए हैं।	- ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्रों की ओर जोर दिया गया है। - राज्य में तकनीकी कार्य बल को मजबूत बनाने के लिए पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।	—	—

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
12. कर्नाटक	- एक सामान्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के अलावा कृषि, बागवानी, आयुर्वेदिक तथा संस्कृत और वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। - निमहांस, बंगलौर की तर्ज पर एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाएगा। 60,000 रुपए प्रत्येक की लागत से 5000 बुनाई कमरे के साथ मकान का निर्माण करने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ताकि अपना पेशा चलाने के लिए गरीब बुनकरों को अनुकूल माहौल प्रदान किया जा सके। - स्लम क्षेत्र के विकास के लिए शहरी क्षेत्रों में 2009-10 के दौरान 5000 घरों का निर्माण किया जाएगा।	- वार्षिक आधार पर ग्रामीण सड़कें सुधारने के लिए एक बड़ी योजना पीपीपी मॉडल पर शुरू की जाएगी। - उत्तर कर्नाटक के औद्योगिक विकास के लिए इस्पात क्षेत्र, मसाला पार्क और ऑटो पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव। - कौशल मापन, प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए सेवा डेस्क के रूप में मदद करने के लिए रोजगार कार्यालयों को मानव संसाधन सेवा केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। - पीपीपी के आधार पर 2,000 करोड़ रुपए के एक विशेष कार्यक्रम के साथ बंगलूर के सुनियोजित विकास के लिए बंगलूर बुनियादी सुविधा विकास टास्क फोर्स एक ब्लू प्रिंट तैयार करेगा।	- धान, चावल, गेहूं और दालों की तरह की खाद्यान्न वस्तुओं पर राज्य में उपलब्ध छूट 1 अप्रैल 2009 से और एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। - व्यापार प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी हॉल और शादी हॉल पर विलासिता कर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। - मनोरंजन कर की दर 40 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी की जाएगी। - अचल संपत्तियों की बिक्री से संबंधित सभी लेनदेनों पर स्टॉप शुल्क कम कर दिया गया है।	- जैसा सिंगापुर में है उसी की तर्ज पर मैंगलोर में पीपीपी आधार पर एक समुद्री जल पार्क की स्थापना करना। - कृषि बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया लागू की जाएगी। - ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक कॉल कार्यालयों की स्थापना (ई-पीसीओ) को बढ़ावा दिया जाएगा। - व्यापक औद्योगिक विकास और नीति के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु औद्योगिक विकास विजन टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। - वन संरक्षण और जैव-विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु पश्चिमी घाट संरक्षण बल गठित किया गया है।
13. केरल	- सभी बीपीएल परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से राशन में चावल उपलब्ध कराया जाएगा। 'आश्रय' योजना के तहत सभी मछुआरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शामिल किया जाएगा चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में न हों। - संकट में पड़े लगभग 41,500 परिवारों को जिनके बकाये 1986 के पहले से बकाया है उन्हें बट्टे खाते डाला जा रहा है उनके स्वत्वविलेख (डीड) लौटा दिये जाएंगे। 3,055 हाईस्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।	10,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी थी जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए जल आपूर्ति, सिंचाई और सार्वजनिक कार्यों के लिए होंगे और शेष 5,000 करोड़ रुपए ईएमएस हाउसिंग स्कीम, आइटी, केएफसी, सड़कों और पुलों के लिए होंगे। - मलाबार पैकज के रूप में सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपए तक का सीधा निवेश किया जाएगा। - नारियल बोर्ड की साझेदारी में 500 करोड़ रुपए की परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। - मछुआरों को दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से निकालने	- कॉयर मज्जा के प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योगों के लिए 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। 55 वर्ष तक की आयु के सेवा-निवृत्त बीड़ी उद्योग के श्रमिकों के लिए 500 रुपए मासिक पेंशन प्रस्तावित की गयी है। - नवोन्मेषी छोटे और मझोले उद्यमों को सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए की एक जोखिम पूंजी निधि स्थापित की जाएगी। - सभी पंजीकृत पर्यटक रिसोर्ट और हाउसबोटों को एक वर्ष के लिए आधा कर चुकाने की मोहलत दी जाएगी। - तटीय विकास निगम (सीडीसी) के लिए इक्विटी के रूप में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा जो 10 मछली पकड़ने	- तन्नीरमुक्कम बंध को बंद करने की आवश्यकता कम करने के लिए एक कृषि कैलेंडर वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है। - केरल राज्य वित्त उद्यम की 40 शाखाएं खोली जाएंगी। - मलाबार क्षेत्र में 27 पर्यटक क्षेत्र विकसित किये जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कारोबारी मॉडल अपनाया जा रहा है। - तिरुवनंतपुरम में एक जीवन विज्ञान पार्क स्थापित करने के लिए केएसआइडीसी उपक्रम की इक्विटी के रूप में अंशदान देने के लिए सरकार 40 करोड़ रुपए निर्दिष्ट करेगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- चार आइटीआइ उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे और 10 नये आइटीआइ शुरू किये जाएंगे। 65 साल से ऊपर के सभी लोगों को, जिन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है, 100 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। - एक व्यापक पेय जल और सफाई परियोजना तैयार की जा रही है जिससे 3 लाख लोगों को लाभ होगा।	- के लिए एक व्यापक समुद्र संरक्षण योजना कार्यान्वित की गयी। - लिफ्ट सिंचाई और जल नियंत्रण योजनाओं के नवीकरण हेतु निधियां आवंटित की गयी हैं। - केरल कॉयार विपणन संघ बनाया जाएगा। - टेक्सफेड के तहत कताई मिलों के नवीकरण हेतु एक पैकेज कार्यान्वित किया जाएगा। - एसएमई को सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपए के एक ऋण पैकेज को कार्यान्वित करने की घोषणा की गयी है। - केएसआइडीसी, केआइएनएफआरए और इनकेल जैसी विकास एजेंसियों ने 8,000 करोड़ रुपए का सुपर थर्मल स्टेशन चिमेनी में स्थापित करने के प्रयास किये हैं। - औद्योगिक विकास और निर्माण हेतु 7650 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गये और मंजेश्वरम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, रामानडूक्करा में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पार्क, पंतीरमकाऊ में फूटवेयर इंडस्ट्रियल पार्क और नीलेश्वरम में इलेक्ट्रॉनिक पार्क का निर्माण प्रारंभ होगा। - आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के छत्र के नीचे 10 आइटी पार्क बनाए जाएंगे। - बिजली बोर्ड निजी कंपनियों की सीधी साझेदारी में छोटी जल परियोजनाएं प्रारंभ करेगा। - प्रस्ताव है कि सरकार, निजी सहभागिता और रेलवे के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम के	- वाले बंदरगाहों का निर्माण करने के लिए ऋण लेगा। - सरकारी इमारतों की मरम्मत और नवीकरण हेतु 130 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि के साथ आस्ति रखरखाव निधि गठित की जाएगी। - अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मृत्यु के समय दी जाने वाली सहायता हेतु एक कल्याण निधि गठित की गयी है। - अन्यत्र मंदी के कारण खाड़ी देशों से लौटने वाले जरूरतमंदों को छोटी सहायता प्रदान करने के लिए अनिवासी केरलवासियों हेतु कल्याण निधि गठित की गयी है। - स्टाम्प शुल्क के संबंध में कम मूल्यन से संबंधित सभी लंबित मामलों को निपटाने हेतु एक - बारगी निपटान योजना घोषित की गयी है। - बकाया कर के एकबारगी निपटान के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया। - बहुत से उत्पादों के संबंध में कर में कटौती / छूट योजना घोषित की गयी। - विवरणियों को पूरी तरह से ई-फाइलिंग करने की प्रणाली कार्यान्वित की गयी है। 20 लाख रुपए से कम का वार्षिक टर्नओवर रखने वाले छोटे व्यापारियों को कर जाल में लाने के लिए उन्हें एक विकल्प दिया गया है कि यदि वे चाहे तो 3,000 रुपए वार्षिक का समेकित कर अदा कर दें अथवा चार समान तिमाही किस्तों में इसे अलग कर सकते हैं। - कम कर के दिखाए गये टर्नओवर के प्रकटीकरण और उस पर कर अदा करने हेतु	- आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण के प्रयोजन हेतु फार्मास्यूटिकल ड्राग्स रिसर्च केंद्र स्थापित किया जाएगा। - सार्वजनिक कार्यों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा परियोजनाओं को निष्पादित करने में होनेवाले विलंब के कारणों की जांच करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। - मौजूदा वनों के चारों ओर एक हरित बफर क्षेत्र पैदा करने तथा मौजूदा वनों को और घना बनाने के लिए एक महायोजना बनायी जाएगी। - राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित बुनियादी संरचना का राज्य में खेलों के विकास के लिए स्थायी महत्त्व होगा। - प्रशासनिक सुधारों हेतु निगरानी आयोग बनाया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		रूप में केरल रेल विकास निगम (केआरडीसी) की स्थापना की जाए।	‘स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना’ के रूप में एक और अवसर उपलब्ध कराया गया है।	
14. मध्य प्रदेश	- गरीब वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए ‘सुदामा छात्र वृत्ति’ प्रस्तावित है। - इंदौर में आइआईटी और भोपाल राज्य में आयोजना तथा वास्तुशिल्प विद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान जैसे उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के लिए प्रस्ताव। - गरीब बच्चों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नयी शोध छात्रवृत्ति प्रस्तावित है। - विकलांग विद्यार्थियों के लिए शोध अध्ययन हेतु 8,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। - विभिन्न कॉलेजों और शोध केंद्रों के बीच कृषि अनुसंधान कार्य के व्यापक समन्वयन के लिए ग्वालियर में एक नया कृषि विश्व विद्यालय खोलना प्रस्तावित है।	- कृषि विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। - राज्य के सभी 313 विकास खंडों में सीधे कम्प्यूटर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और एक ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापित करना। - सिरौज में राज्य के प्रथम कृषि आधारित सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना। - नर्मदा बेसिन परियोजना के अंतर्गत मझौली और लघु सिंचाई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नर्मदांचल मझौली और लघु सिंचाई योजना परिषद की स्थापना।	सरकारी भुगतानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) लागू करने की योजना।	- मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद राज्य के सभी जिलों के लिए एक जिला संसाधन एटलस तैयार करेगी। - शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस थानों की स्थापना और आतंकवादी विरोधी दल की स्थापना प्रस्तावित है। - निजी सहयोग से राज्य के 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार प्रस्तावित है।
15. महाराष्ट्र	- सरकार ने इजाजत और अनुज्ञप्ति आधार पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराने हेतु महानगर क्षेत्र में 5 लाख घर बनाने का निर्णय लिया है। - स्वर्ण जयंती सुजल और निर्मल कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी केन्द्रों में साफ-सफाई और जल उपलब्ध कराया जाएगा।	- भारत सरकार द्वारा गोसी खंड परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है; लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई जाएगी। - ट्रांबे में टाटा पॉवर कंपनी की 250 मेगावाट की परियोजना शुरू की गई है।	- आंतरिक सड़कों, गटर और अन्य सुख-सुविधाओं के निर्माण के लिए विशेष निधि प्रदान करना। - ऋण राहत योजना उन किसानों के लिए शुरू की गई जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।	- गांव पंचायत की महिला प्रतिनिधियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 12000 महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा। - सभी तालुकों, जिलों और मंडलीय मुख्यालयों में क्रीड़ा संकुल बनाए जाएंगे।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2,24,323 आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। - पीपी आधार पर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआईआईटी) और आइआईएम स्थापित किया जाएगा। - स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने के रोकथाम के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। - घरेलू कामगारों के लाभ के लिए, राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू की जा रही है।	- मत्स्य पालन सहकारी समितियों के द्वारा प्रायोजित मछुवारों के समूह के लिए मछली पकड़ने वाली मशीनी नावों को बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। - विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गये। - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। - केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत 325 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जाएगा जिसकी लागत 250 करोड़ रुपए होगी। - रेलवे के आधारभूत ढांचे को 4 परियोजनाओं को क्रियान्वित करके मजबूत बनाया जाएगा। - राज्य में हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। - महाराष्ट्र ग्रामीण योजना निर्माण योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए प्रावधान किया गया है।	- जनजातियों के लगभग 200 करोड़ रुपए के ऋणों को माफ किया जाना प्रस्तावित है। - उद्योगों के प्रोत्साहन की पैकेज योजना को 400 करोड़ रुपए प्रदान किये गये हैं। - सामाजिक न्याय विभाग के स्वीकृत और बकाया ऋणों को माफ किया जाना है। - जनजाति क्षेत्रों में बिजली के बकाया बिलों को माफ करना प्रस्तावित है। - कुछ वस्तुओं जैसे शराब, तंबाखू, मोबाइल फोन, आयातित विदेशी शराब के आबकारी शुल्क पर वैट को बढ़ाया गया है।	- सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल औरंगाबाद में कैंसर केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। - वनीकरण कार्यक्रम के लिए निधियों को बढ़ाकर 244 करोड़ रुपए किया गया है। - सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ पुलिस को मजबूत करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं।
16. मणिपुर	—	- बागवानी के अतर्गत क्षेत्र के विस्तार को 2009-10 की वार्षिक योजना के लिए विशेष जोर देने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। - राज्य में सड़कों, पुलों के विकास के लिए 26.5 करोड़ रुपए का एक प्रायोगिक परिव्यय निर्धारित किया गया है। - नीलकुठी में खाद्य पार्क के विकास के लिए नाबार्ड ने एक ऋण स्वीकृत किया है।	—	—

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		- समन्वित हथकरघा समूह विकास योजना के लिए 8 करोड़ रुपए के राज्य सरकार के हिस्से को मंजूर किया गया है। - शहरी सुधारों के क्रियान्वयन को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किया जा रहा है।		
17. मेघालय	2010 तक 6 से 14 वर्ष तक आयु समूह में सभी को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत मौलिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। - पीपीपी तर्ज के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त तकनीकी संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। - जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। - यह प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों के 3745 परिवारों को शामिल किया जाएगा।	- विश्वासयोग्य प्रौद्योगिकी को अपनाने और 'झूम' तथा 'बन' सभ्यता में सुधार के लिए उपाय किये जाएंगे। - शेष जिलों में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को लागू किया जाएगा। - क्रायडेमकुलाई और डला में सुअर पालन फार्म और पूर्व के खासी पहाड़ी जिले में हैचरी तथा कुक्कट उत्पादन स्थापित करना। 90 कि.मी. नये रोड का निर्माण, 130 कि.मी. सड़क की मेटलिंग और कोलतार बिछाना तथा 80 कि.मी. में सुधार तथा उसे चौड़ा करने का कार्य शुरू करना। - राज्य में उद्योगों को मजबूत करने और विकास करने के लिए नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। - सीमा क्षेत्र में सड़क संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। - पर्यटन के विकास और रोजगार के सृजन के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।	- राज्य के सभी कोषागारों और उप कोषागारों में ऑनलाइन खजाना एनएफटी अनुप्रयोग उपलब्ध कराया गया है। - बांगला देश के साथ निर्यात संवर्धन संबद्धता सहित राजस्व निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। - खनिजों के रिसाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर समन्वित निगरानी द्वार स्थापित करना।	- बेहतर सेवा के लिए पेंशन स्वचालित प्रणाली शुरू की जाएगी। - सरकार ने अतिरिक्त स्टाफ के साथ 24x7 आधार पर कार्य के लिए 24 सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पहचान की। - विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का एक व्यापक दायरा प्रस्तावित है। - राष्ट्रीय चिकित्सीय पौध बोर्ड के साथ मेघालय राज्य चिकित्सीय पौध बोर्ड राज्य में 4 परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
18. मिजोरम	- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकित्सा विज्ञान संस्थान और कृषि विश्व विद्यालय जैसे संस्थान स्थापित करना। - गरीबों के लिए वहनीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु तरीकों की जांच करने और सुझाने के लिए शिक्षा सुधार आयोग की स्थापना करना।	- संशोधित नवीन भूमि उपयोग नीति (एनएलयूपी) बनाई गयी है। - पीपीपी के अंतर्गत 25 मेगावॉट से ऊपर की जल परियोजनाओं पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। - व्यापक भूमि सुधार और भूमि निस्तारण के लिए एक नया भूमि कानून बनाया जा रहा है। - अन्य चार उत्तर पूर्वीय राजधानी शहरों के साथ-साथ आइजोल शहर में शहरी नवीकरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 'उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र राजधानी शहर विकास निवेश कार्यक्रम' बनाया गया है।	- ईएपी की शक्ल में बाह्य सहायता और पीपीपी के माध्यम से निजी पूंजी जैसे वैकल्पिक साधनों से आवश्यक संसाधन जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। - सरकार की राजकोषीय स्थिति और अर्धवार्षिक आधार पर विभिन्न संबद्ध मसलों पर विचार करने के लिए एक सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति (पीईआरसी) बनाई गयी। - गारंटियों की मांग के कारण सरकार की भावी आकस्मिकता देयताओं को पूरा करने के लिए एक गारंटी शोधन निधि स्थापित करना।	- भारत में मिजोरम ऐसा पहला राज्य होगा जिसने एक व्यापक वन और भूमि संरक्षण तथा प्रबंधन नीति बनाई है। - एक उपयुक्त तेल और प्राकृतिक गैस नीति बनाई जा रही है। - सभी जिला मुख्यालयों में स्थापित की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के विकास और खेल संवर्धन केंद्र के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति 'कैच देम एंग' को लागू किया गया है। - उससे संबद्ध विभिन्न मदों पर विचार करने के लिए एक विधि आयोग स्थापित करना प्रस्तावित है।
19. नागालैंड	- चिमूकेडिमा में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी और कोहिमा में अंतरराष्ट्रीय भाषाओं पर स्कूल तथा एक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। - कोहिमा और सभी जिला अस्पतालों के नगा अस्पतालों में मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। - ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 126 गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी जबकि 250 गांवों का सामुदायीकरण किया जाएगा।	- वर्ष के दौरान लगभग 50 कि.मी. कृषि संबद्ध सड़क का निर्माण पूरा किया गया और एपीएमसी तथा कृषि संपर्क निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 220 हैक्टेयर के मौजूदा तालाबों और 120 नये हैक्टेयर के कवरेज का पुनरुद्धार तथा डोयांग एचईपी जलाशय में मत्स्य पालन के विकास सहित सामुदायिक मत्स्य पालन और जल निकायों को प्राथमिकता दी जा रही है। 74 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा। - राजधानी कश्मीर में बाई-पास रोड का निर्माण शुरू किया गया।	राजस्व संग्रहण में सुधार के उपाय के रूप में, कई कस्बों में जलापूर्ति मीटर लगाये जाने की योजना है।	- पिछड़े जिलों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। - सरकार ने सभी निर्माण कार्यों में मानकों के अनुपालन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण बोर्ड बनाया है। - जिला न्यायालय संकुल और पारंपरिक न्यायालयों का निर्माण किया जाएगा। - चार सरकारी कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के लिए निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं। - भूविज्ञान विभाग चूना पत्थर के भंडार की संभावनाओं पर विस्तार से खोज करेगा।
20. उड़ीसा	- कृषि शिक्षा के विस्तार के लिए एक कृषि महाविद्यालय प्रस्तावित है। - एसटी और एससी छात्राओं के लिए 1,000 हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा। - सरकार ने विपन्न महिलाओं और वृद्ध लोगों की सामाजिक सुरक्षा	- राज्य के अपने राजस्व में से, मो कुडिया योजना, मधुबाबू पेंशन योजना, बीजू केबीके योजना और गोपा बंधु ग्रामीण योजना के लिए प्रावधान किया गया है। - सब्सिडी दर पर उर्वरक, बीज और कीटनाशक उपलब्ध करा	- राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए केंद्र के छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। - राज्य में अध्यापकों के वेतन को यूजीसी की अनुशंसाओं के	-

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	के लिए तथा महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना को काफी अधिक निधियां आबंटित की जा रही हैं।	करके नयी कृषि नीति लागू की जा रही है। - छः आदिवासी बाहुल्य जिलों में 460 वॉटरशेड परियोजनाओं के माध्यम से जीवन-यापन कार्यक्रम के विस्तार के लिए 'जीबिका' नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। - नई लागू राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। - बड़ी, मझौली और लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा बीजू कृषक विकास योजना का भी महत्वपूर्ण ढंग से रखरखाव किया जा रहा है।	अनुसार संशोधित किया गया है। सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किये गये फसल ऋणों पर ब्याज दर संबंधी सरकारी सहायता को 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया।	
21. पंजाब	- राज्य सरकार पीपीपी तर्ज के अंतर्गत सिविल अस्पताल में एक विशेष सुविधा संपन्न कैसर और ट्रॉमा अस्पताल स्थापित कर रही है। - भाई ज्ञान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गयी है जो सरकारी समितियों के सदस्यों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। - सभी जिलों ने बीपीएल परिवारों के लिए 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' अपनाई है। - राज्य सरकार ने 117 आदर्श स्कूल स्थापित करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है जिसमें निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक स्कूल होगा।	- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य भर में कार्यान्वित की जाएगी। - भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए 9 नये कम ऊंचाई वाले बांधों का निर्माण और पानी के जमाव को रोकने से संबंधित कार्य प्रस्तावित है। - राज्य ने तीन नये तापीय विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। - राज्य में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के लिए 20 क्लस्टर बनाया जाना प्रस्तावित है। - वर्तमान वर्ष के लिए परियोजना प्लान के अंतर्गत फगवाड़ा से चंडीगढ़ तक सड़कों का विकास, सिधवान नहर के साथ-साथ लुधियाना के दक्षिणी बाईपास का विकास, आरओबी, मोहाली, जालंधर और अमृतसर के लिए रिंगरोड का विकास प्रस्तावित है।	- सभी सरकारी कर्मचारी 1 अगस्त 2009 से नए वेतनमान पाना शुरू कर देंगे। पांचवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। - अत्याधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने हेतु बाह्य विकास प्रभागों (ईडीसी), लाइसेंस/अनुमति शुल्कों और भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रभागों के संग्रहण के लिए एक व्यापक नीति प्रस्तावित है। - जेंडर बजट शुरू करने के लिए प्रयास किये गये हैं।	- राज्य सरकार वर्तमान वर्ष में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चे को जन्म देने के लिए प्रति गरीब परिवार को 1500 रुपए देगी। - इस वर्ष 'नन्ही छान' कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं के लिए एक योजना प्रस्तावित है। सरकार गरीब परिवार में जन्मी प्रत्येक बालिका के लिए एलआईसी में 13,000 रुपए जमा करेगी। - एलआईसी प्रायोजित बीपीएल के लिए जनश्री बीमा योजना और ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना शुरू करना प्रस्तावित है, जो आकस्मिक मृत्यु के लिए 75,000 रुपए और नैसर्गिक मृत्यु के लिए 30,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। - जून 2010 तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। - शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 21 मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव।	'फसल उत्पादन' के लिए 140 करोड़ रुपए का समग्र परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। 1,000 गांवों के तालाबों के पुनरुद्धार के लिए और 100 गांवों में मल निकास प्रणाली के लिए भी प्रावधान किया गया है। - अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप नये कस्बा योजना मानदंड कस्बों के विकास के लिए लागू किये गये हैं। मास्टर प्लान बनाने के लिए 30 कस्बों की एक सूची बनाई गयी है।		- अंतर्गत 4 लाख ग्रामीण परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे जिसमें 1.5 लाख बीपीएल परिवारों के एकल पॉइंट कनेक्शन भी शामिल होंगे। - सभी 4,965 उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी।
22. राजस्थान	- स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रस्तावों में ग्रामीण क्षेत्रों में 537 नये स्वास्थ्य केन्द्र, 9 जिलों में आइसीयू, 18 जिलों में ट्रॉमा इकाइयां और 18 जिलों में पुनर्वास केन्द्र खोलना शामिल है। 2009-10 में 15 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक और 10 यूनानी अस्पताल खोलना तथा जयपुर में भी हृदय संस्थान खोलना। - एससी/एसटी वर्ग से संबंधित छात्राओं के लिए 13 जिलों में 'बाबू जगजीवनराम योजना' के अंतर्गत छात्रावास बनाए जाएंगे। - राज्य सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम से कारोबार के लिए लिये गये ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। - अस्थायी कार्य के लिए उपयोग करने के बजाय स्थायी आस्तियों के निर्माण के लिए	5,000 कि.मी. की सड़कों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाएगा। 1,127 करोड़ रुपए लागत वाली 13 मेगा जल परियोजनाओं, 50 मेगावाट सोलर पॉवर की दो परियोजनाओं और 27 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना। - एक नयी औद्योगिक और निवेश नीति बनाना। - राजस्थान वित्त निगम को मजबूत बनाना, यह निर्णय लिया गया है कि सिडबी और राज्य सरकार से लिए गये ऋणों को इक्विटी में रूपांतरित किया जाए और प्राधिकृत पूंजी को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। - बेहतर संरक्षण और खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए नई खनिज नीति की घोषणा की गयी है।	- राजस्व के स्रोतों का पता लगाने और कर वंचन को रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय बनाने का प्रस्ताव। - प्रत्येक कर मूल्यांकन अधिकारी के स्तर पर कर संहूलित केन्द्र बनाए जाएंगे। - अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए बिजली शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं। - भवनों और विद्यालयों के विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त पत्थरों पर कर दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाए। - पशुपालन के लाभ के लिए तेल - विहीन चावल की भूसी (डीओआरबी) को कर मुक्त किया जाए। - कतिपय कर मुक्तियों के अधीन सभी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव। - अचल संपत्ति पर स्टैम्प शुल्क को 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना और इसे	540 चिकित्सा अधिकारी और 1400 गैर-चिकित्सा तथा नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करना। - एक नयी 'वन नीति' और 'अवनत जंगलों के पुनरुद्धार के लिए विजन दस्तावेज' बनाना। - वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए 'वरिष्ठ नागरिक बोर्ड' बनाना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	नरेगा के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग करना। - प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करना। 10 आइटीआइ में विश्व बैंक द्वारा निर्धारित 'व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना' को कार्यान्वित करना। - राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करना। - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय समूह वाले लोगों के लिए आवास प्रदान करने पर फोकस करते हुए एक नयी आवास नीति तैयार करना।		महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाएगा। - हवाई सेवाओं को आकर्षित करने के लिए ईंधन और एविएशन स्पिरिट पर कर दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। - पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिदिन 3,000 रुपये किराये वाले कमरे पर विलासिता कर से मुक्ति देना प्रस्तावित है। - तंबाखू और संबंधित उत्पादों पर कर दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना। - पावर शुल्क की प्रत्येक इकाई पर 10 पैसा जल संरक्षण उपकरण लगाना।	
23. सिविकम	- स्वास्थ्य क्षेत्र में, व्यवहार्य स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करना, विशेष सुविधा वाले 500 बिस्तर क्षमता के अस्पताल का निर्माण और टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। - मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, बीपीएल परिवारों को 4 किलो मिश्रित दाल का मासिक रूप से निःशुल्क वितरण तथा सभी जरूरतमंद लोगों को चश्मे और श्रवण यंत्र निःशुल्क दिये जा रहे हैं। - सोरेंग में एक बी.एड. कॉलेज तुरंत खोलना तथा नामची में एक और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईटी) स्थापित करना। - सरकार के पास एक अनाथ आश्रम खोलना प्रस्तावित है।	- व्यापक रूप से परिभाषित ग्राम विकास कार्रवाई कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्लू प्रिंट तैयार करना। - गांव के सभी झरनों की पैमाइश का कार्य शुरू किया गया जिससे मूल्यवान जल संसाधन को सूखने से बचाया जा सके। - देश भर में न्यायिक प्रणाली का भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। - सजातीय पर्यटन कारोबार में लगे गांवों को आवास सुविधाओं और साफ-सफाई की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।	- राज्य में वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत 1 लाख परिवारों को प्रायोजित करने का प्रस्ताव। - किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अच्छे निजी बैंक के कारोबार संपर्की मार्ग के माध्यम से परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम नो फ्रिल बैंक खाते की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए सरकार मूल राशि के रूप में अनुदान प्रदान करेगी।	- ज्ञान आयोग बनाया गया है। - खेलों को बढ़ावा देने के लिए, नामची में स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है। - हैबिटेड केंद्र, राज्य कला दीर्घा और एक राज्य संग्रहालय तथा राज्य सचिवालय के लिए एक एनेक्सी भवन बनाना प्रस्तावित है। - राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुँचने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और जागृति अभियान के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
24. तमिलनाडु	- तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के माध्यम से 100 गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों को अन्य सहायक उपायों के साथ-साथ 5,000 संकर नस्ल वाले दुधारू जानवर दिए जाएंगे। - तूर दाल, उड़द दाल, पाम तेल और गेहूँ के आटे जैसी आवश्यक वस्तुएं विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं और 'उचित मूल्य पर मसाले' की योजना के अंतर्गत 50 रुपए मूल्य के दस खाना पकाने के मसाले दिए जा रहे हैं। - आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 स्कूलों में सुधार का कार्य किया जाएगा, 421 सरकारी उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाबार्ड की सहायता से बनाए जा रहे हैं। 2500 मिडिल स्कूलों में कम्प्यूटर प्रदान किये जाएंगे। केन्द्र सरकार की माध्यमिक शिक्षा के लिए नयी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए के परिव्यय से उच्च स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारा जाएगा। - मूवलूर रामामृतम अम्माअय्यर स्मारक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है ताकि 75,000 गरीब लड़कियों को लाभ मिल सके। - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी वृद्ध व्यक्तियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना केन्द्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है।	- सभी 385 खंडों में 'एग्रीकल्चरल' खोले जा रहे हैं जिससे वे एक स्थान पर किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सकें। - राष्ट्रीय बागवानी मिशन मदद से किसानों को अधिक लाभकारी बागवानी फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 388 करोड़ रुपए की राशि 10.4 लाख प्रभावित किसानों को मुआवजे के तौर पर वितरित की जा रही है। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में इस वर्ष लगान माफ किया जाएगा। 25 लाख किसानों को सब्सिडी दी जाएगी जिससे फसल बीमा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में उनकी फसलों का बीमा किया जा सके। - विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकास्य पुनरुद्धार तथा प्रबंधन परियोजना (आइएएमडब्ल्यूएआयएम) के अंतर्गत, वर्ष के दौरान 38 और उप बेसिनों में कार्य शुरू किया जाएगा। - करूर, त्रिची, अरियालूर जिलों की कावेरी और कोलेरून नदियों में बाढ़ के लिए स्थायी बाढ़ सुरक्षा कार्य 211 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। - चैन्ने शहर में बाढ़ को रोकने के लिए, 1448 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक बड़ी परियोजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत अनुमोदित की गयी है।	- उन सभी किसानों से इसके पश्चात सहकारी फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा जो आगामी वित्तीय वर्ष से समय पर अपने कृषि ऋण की चुकौती करेंगे। - केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन के अलावा सरकार ने क्रमशः धान की उत्कृष्ट और सामान्य किस्म के लिए 120 रुपए और 100 रुपए प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन प्रदान किया है। - तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए स्थानीय निकायों को निधियों का न्यागमन वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष में 9.5 प्रतिशत किया जाएगा। इसके कारण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त रूप से 187 करोड़ रुपए मिलेंगे। - स्थानीय निकायों में, न्यागमन, समनुदेशित राजस्व और कार्यक्रम संबंधी सहायता के रूप में निधियों का आबंटन बढ़ाकर 6,928 करोड़ रुपए कर दिया गया है। - इसके बाद 'लगान' के रूप में केवल एक सैकेतिक राशि लगाई जाएगी तथा वर्तमान जटिल प्रणाली को भी सरल बनाया जाएगा, वर्तमान में 15 रुपए प्रति एकड़ की औसत वसूली के स्थान पर शुष्क भूमि पर 2 रुपए प्रति एकड़ लगान तथा वर्तमान में 50 रुपए प्रति एकड़ की औसत वसूली के स्थान पर गीली भूमि के लिए 5 रुपए प्रति एकड़ लगान आगामी वर्ष से वसूल किया जाएगा।	- स्वयं सहायता समूहों की संख्या को बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। इन नये समूहों को चक्रीय निधि उपलब्ध कराई जाएगी। - पांच जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय के कम्प्यूटराइजेशन के लिए ई-जिला कार्यक्रम लागू किया जाएगा। - तीन प्रमुख विभागों अर्थात् खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और कोषागार विभाग में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की जाएगी। 68 लाख जानवरों को लाभ पहुंचाने वाले 55,000 पशु चिकित्सा शिविर पशुधन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में आयोजित किये जाएंगे। - तमिलनाडु कृषि श्रमिक कल्याण बोर्ड को पुनर्जीवित किया जा रहा है और विभिन्न लाभ अर्थात् विवाह, शिक्षा और पेंशन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। - अंतरराष्ट्रीय मानक का एक आधुनिक राज्य पुस्तकालय चैन्ने में स्थापित किया जाएगा। 11,284 ट्रान्सफार्मर और 45,911 कि.मी. की नई इलेक्ट्रॉनिक लाइन 447 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जाएगी तथा लगभग 5.5 लाख ग्रामीण परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली प्रदान की जाएगी। 8,000 ग्रामीण निवासियों को सुरक्षित पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाएगी। 50 कस्बों के लिए 30 संयुक्त जलापूर्ति योजना और पेय जल सुधार योजना को लाया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के माध्यम से अल्प संख्यक समुदाय के 10,000 लोगों को 30 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। - पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की अंतिम सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, पेंशनर की पति / पत्नी को भी इस योजना में शामिल किया गया है।	408 करोड़ रुपए की भूमिगत सीवेज प्रणाली को अंजाम दिया जाएगा। - चेन्नई मेट्रो रेल की आधार शिला जल्द ही रखी जाएगी। 401 करोड़ रुपए की लागत से 2500 और ग्राम पंचायतों में सड़कों को सुधारा जाएगा। 1,750 रुपए की लागत पर सभी जिलों में एनआरईजीएस को लागू किया जाएगा। 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से एक नया फिशिंग हार्बर विकसित किया जाएगा।	- बुनकर सहकारी समितियों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी को संशोधित किया गया है एवं उसे 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। - वैट दर को बड़ी संख्या में मदों पर से हटा दिया गया है।	- एकीकृत आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त 21,000 नए घर बनाए जाएंगे। - गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए 1,35,000 कंक्रीट के घर बनाए जाएंगे। - वृद्ध लोगों के लिए विशिष्ट उपचार प्रदान करने के लिए एवं वृद्धावस्था की बीमारियों के लिए अनुसंधान कार्य करने हेतु सुविधा संपन्न नेशनल सेंटर फॉर जेरिआट्रिक्स रिसर्च को सरकार की मदद से 112 करोड़ रुपए की लागत से कलाइगनार करुणानिधि नगर में स्थापित किया जाएगा। - तमिलनाडु वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।
25. त्रिपुरा	- मानवशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। - गरीबी रेखा से नीचे के IX एवं X के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और नोटबुक उपलब्ध कराए जाएंगे। - और अधिक सामान्य महाविद्यालय और इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। - छात्रों को छात्रवृत्ति / व्यवसायोन्मुखी / व्यावसायिक महाविद्यालयों में भेजना/ अनुसूचित जाति, जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार दिया जाना जारी रहेगा। 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 उप-संभागीय अस्पताल एवं 3 जिला अस्पताल बनाए जाएंगे।	- वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत 780 लघु डेरी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। - जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ परियोजनाएं / योजनाएं लाई जाएंगी। - शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषित रोजगार सृजन कार्यक्रम को लाना। - बोधजुगनगर ग्रोथ सेंटर में फूड पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क और बैम्बू पार्क के लिए औद्योगिक अवसंरचना स्थापित की जा रही है। - एनएच-44 के समीप बड़े भूमि क्षेत्रों की पहचान की जा रही है एवं उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।	- त्रिपुरा ने एक राज्य समर्थित स्कीम आरंभ की है ताकि स्वयं सहायता समूहों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सके। - सीवरेज निपटान परियोजना, कॉम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान , अगरतल्ला के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जल आपूर्ति के प्रस्ताव आरंभ किए गए। - सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए मास्टर प्लान की तैयारी आरंभ की गई है।	इंडो-जर्मन परियोजना अंतिम चरण में है एवं उजड़े हुए जंगलों को पुनः लगाने के लिए इसका आरंभ किया जाना संभावित है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
26. उत्तराखंड	- गरीब वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'देव भूमि मुस्कान' योजना को आरंभ करना। निजी क्षेत्र के विद्यालयों की सहभागिता से एक वाउचर स्कीम को भी प्रत्येक जिला मुख्यालय में आरंभ किया जाना है। - सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में लड़कों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा को मौजूदा आठवीं कक्षा से बढ़ाकर बारहवीं तक कर दिया गया है। - कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एवं लड़कियों को आर्थिक और शैक्षिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'नंदा देवी कन्या स्कीम' शुरू करना। - एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। - शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रत्येक महिला अस्पताल में नवजात शिशु इकाइयों की स्थापना।	—	- शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त करने का प्रस्ताव है। - बिना कब्जा के करार पर स्टाम्प ड्यूटी को 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाता है। - वैट प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ई-पेमेंट सुविधा के विस्तार, ई-फाइलिंग को आरंभ करने एवं विभिन्न प्रपत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा के लिए कंप्यूटरीकरण प्रस्तावित है।	- जमीनी स्तर पर अच्छे कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तीसरी पार्टी के विशेषज्ञों के माध्यम से विकासात्मक स्कीमों / कार्यक्रमों का गहन मूल्यांकन। 'राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण' का गठन ताकि गंगा और इसकी सहायक नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाया जा सके। - हिन्दी भाषा के संरक्षण एवं इसके विकास के लिए भाषा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी की स्थापना करना।
27. उत्तर प्रदेश	- समाज के विभिन्न वर्गों के विकलांग छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए डॉ शकुन्तला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना। - लड़कियों की बेहतरी के लिए एवं उन्हें समाज में स्वतंत्र बनाने के लिए, बच्चियों की पैदाइश के प्रति एक सकारात्मक मानसिकता बनाने के लिए एवं लड़कियों के वयस्क होने पर ही	- नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा फतेहपुर में 2000 मेगावाट की विद्युत परियोजना का आरंभ। - विद्युत उत्पादन एवं इसके पारेषण के उन्नयन पर प्रमुख बल देने के साथ ऊर्जा क्षेत्र को उच्च तरजीह देना। - उच्च गुणवत्ता वाली बस प्रणाली एवं राज्य में यातायात	- कृषकों को राहत प्रदान करने के लिए अनुदान की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना। - जैव खाद पर सब्सिडी को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि कृषकों के मध्य इसके प्रयोग को बढ़ाया जा सके क्योंकि यह दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है।	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मूल्यांकन के लिए 'राज्य गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी' की स्थापना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- उनकी शादी करने को प्रोत्साहन देने के लिए 'महामाया गरीब लड़की आशीर्वाद योजना' आरंभ करना। - लखनऊ में अरबी-फारसी विश्वविद्यालय खोलना प्रस्तावित है। - कानपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलना। पांच नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी प्रस्तावित हैं। - इंजीनियरिंग के छात्रों की दक्षता के विकास के लिए वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना।	- को सुधारने के लिए उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन यात्री अवसंरचना विकास निगम की स्थापना। - दिल्ली से नोएडा के बीच मेट्रो रेल प्रणाली की स्थापना। कानपुर एवं लखनऊ को भी मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव है। - पॉवर लूम क्षेत्र के मजदूरों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत विकास एवं आधुनिकीकरण योजना' आरंभ की जाएगी।	ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर वेट को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया है।	
28. पश्चिम बंगाल	- राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 2 रु. प्रति किलो की दर पर चावल का वितरण करना प्रस्तावित। - निवारक स्वास्थ्य उपाय के रूप में, स्वच्छ शौचालयों के साथ पीने के साफ पानी की आपूर्ति पर बल दिया गया है। - यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य डिग्री महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में मौजूदा विनियमों के तहत प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा पर जितने अधिक पाठ्यक्रम हो सकें, किए जाएँ, ताकि छात्रों के लिए सापेक्षिक रूप से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हो सकें। - पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास प्रभार सुविधाओं की मात्रा एवं उन तक पहुंच को बढ़ाने के अतिरिक्त पुस्तक	23 फरवरी 2009 को स्कीमों के राज्य स्तरीय पैकेज की घोषणा की गई। इनमें से कुछ स्कीमों वर्ष विशिष्ट हैं जिनके लाभ चालू वर्ष से ही आरंभ हैं, अन्य का क्रियान्वयन एक वर्ष से अधिक की अवधि में होगा। - प्रत्येक जिले में डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना के माध्यम से, 10 से 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा। - महत्वपूर्ण बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने कृषकों से सापेक्षिक रूप से बंजर भूमि को उचित दामों पर खरीद कर एक लैंड बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। - लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के समूहों के लिए अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई है ताकि प्रत्येक जिले के लिए नई लघु उद्योग इकाइयां एवं	- हथकरघा बुनकरों के ऋणों के बोझ में कमी करने के माध्यम से सरकार हथकरघा उद्योग के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। - बंद एवं बीमार उद्योगों के पुनरुत्थान पर, विशेष रूप से बीआइएफआर के समक्ष अपने देकर, कर राहत प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। - सरकारी और गैर विद्यालयों में कार्यरत आंशिक शिक्षकों, अंशकालिक शिक्षकों के लिए मासिक पारिश्रमिक। - पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और वेतन के ऐरियर को तीन वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा जो 2009-10 से प्रारंभ होगा और उसी वर्ष में पेंशन के ऐरियर और ग्रेच्युटी की भी अदायगी की जाएगी, इस मद में 2009-10	- स्थानीय लोगों को शामिल करके जंगलों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है साथ ही साथ उनकी आय को भी बढ़ाया जा रहा है। - राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए के आबंटन के माध्यम से ग्राम स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। - नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रूप में इन सभी क्षेत्रों में योजना स्कीमों के कार्यान्वयन एवं निर्माण में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अनुदान की सीमा को और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 22 पंडित रघुनाथ मुर्मू विद्यालयों की स्थापना का फैसला भी लिया है। - अज्ञा / अजजा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। - ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के अंतर्गत प्रत्येक गांव के घर तक बिजली पहुंचाने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अब अंतिम तारीख निश्चित कर दी है। - गरीब एवं कम आय वाले लोगों के लिए आवास के निर्माण एवं विकास के लिए एक नई योजना। - मछुआरों के लिए व्यवसाय के संवर्धन एवं आय के सृजन, स्वयं सहायता समूहों के व्यापक सृजन, कम लागत में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन, उन्नत बीजों के प्रयोग, प्रशिक्षण एवं विपणन में सहायता और जल क्षेत्रों के विस्तार पर जोर दिया गया है।	साथ ही साथ पारंपरिक उद्योगों का विकास किया जा सके। 5 विशिष्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना के साथ, 12 फूड पार्कों के निर्माण के प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें मंदी से निपटने के लिए आंतरिक बाजार पर बल दिया गया है। - लघु सिंचाई, विशिष्ट रूप से सतही जल आधारित लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है। - राज्य सरकार ने 20 जैविक ग्रामों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। - निचले दामोदर क्षेत्र और घिया-कुंती घाटी के एक हिस्से के लिए जल निकासी की स्कीम आरंभ की गयी। - दूध, अंडे और मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों पर बल, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षण, जानवरों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बर्ड-फ्लू के विरुद्ध निवारक उपायों के भी प्रस्ताव किए गए हैं। - सड़कों एवं पुलों के व्यापक विकास के लिए राज्य परिवहन निगमों को चालू वर्ष में आरंभ किए जाएंगे। - पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजना नाम की केन्द्र-राज्य द्वारा संयुक्त रूप से संचालित परियोजना का आरंभ भी किया गया है।	में लगभग 9,670 करोड़ रुपए का व्यय होगा। - राज्य सरकार ने महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन ढाँचे के संशोधन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है एवं ऐसे संशोधन के लिए 20 प्रतिशत हिस्से को वहन करने की सहमति जताई है। वेतन एवं पेंशन के संशोधन के संबंध में 2009-10 के दौरान कुल अतिरिक्त व्यय लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगा। - रोजगारोन्मुखी शिक्षण प्रदान करने एवं उद्योगों की स्थापना के कारण हुए भूमिहीनों को अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की एक विशिष्ट सहायता निधि का सृजन किया जाएगा।	

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	- आइटीआइ में शारीरिक रूप से विकलांग एवं अनाथ छात्रों के शिक्षण शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव है। - महावीर विकलांग सेवा संस्थान के साथ एक करार किया गया है जिसके अंतर्गत विकलांग लोगों को मुफ्त सहायता एवं उनके प्रयोग की वस्तुएं उपलब्ध करायी जाएंगी एवं लगभग 50,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। 0 से 18 वर्ष के बीच के विकलांग बच्चों के अभिभावकों को 1,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी है। - मूक-बधिर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है। - निराश्रय महिलाओं की देखभाल के लिए एक सहायता केन्द्र स्थापित करने एवं उनके पुनर्वास हो जाने तक भत्ते के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। - सरकार चार जिला स्तरीय विकलांग पुनर्वास सहायता केन्द्र स्थापित करेगी। - वृद्ध नागरिकों के लिए 50 नये मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।	- अक्टूबर 2010 से पहले, फेज II के सभी 11 कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे और दिल्ली मेट्रो 185 कि.मी. के नेटवर्क में अपनी सेवा प्रदान करना आरंभ कर देगी। 2010 की समाप्ति तक ओखला स्थित 20 एमजीडी के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं द्वारका स्थित 50 एमजीडी के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य संपन्न हो जाएगा। - कॉमनवेल्थ खेलों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन होगा। - जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस घरों के निर्माण के लिए 15 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।	- होटलों पर लगने वाले विलासिता कर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। - उत्पाद क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक व्यापक पहल की गयी है एवं तदनुसार शुल्क संरचना के सरलीकरण को शामिल करते हुए एक नया विधेयक लाया जाएगा। - अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू करने की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है।	101 कि.मी. लंबाई के ट्रंक सीवर, जिसमें मिट्टी बैठी हुई है, को दिसंबर 2009 तक निपटाया जाएगा। ‘इंटरसेप्टर’ सीवर प्रणाली को प्रमुख नालों के साथ-साथ बिछाया जाएगा ताकि साफ किया गया पानी ही यमुना में छोड़ा जाए। - भारत सरकार द्वारा 1815 करोड़ रुपए की लागत पर राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए लगभग 65,000 घरों के निर्माण की 15 योजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। - चार स्थानों में नये अस्पताल खोलने के लिए जमीनें खरीदी ली गयी हैं। - दिल्ली को तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करना है। - निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले उनके बच्चों के लिए 100 रुपए प्रति माह, IX और X कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 250 रुपए प्रति माह और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 1500 रुपए प्रति माह और तकनीकी पाठ्यक्रम वालों के लिए 5000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रस्तावित है।
30. पुदुचेरी	- बुनकर परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए एवं गरीब छात्रों के लिए अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। - कराइकनाल में एक आवासीय विद्यालय एवं मछुआरा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।	- विल्लानूर और बहोर 110/22 किलोवाट सब स्टेशन के बीच 110 किलोवाट की लाइन को मजबूत करने का प्रस्ताव है। - विभिन्न नदियों के तल में बांध बनाए गए हैं ताकि भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जा सके।	- केंद्र के छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। - सभी मछुआरों को बिक्री कर से छूट दी जाएगी। - मशीनों द्वारा चालित बोट मालिकों द्वारा प्रति वर्ष प्रति बोट प्राप्त अधिकतम 25000 लीटर	- सभी विपणन यार्डों को एनआइसीएनईटी के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। - भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नाम पर एक मॉडल ग्राम स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	- विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों एवं गरीब युवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक अत्याधुनिक कारीगरी विद्यालय आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। - आन्ध्र प्रदेश में दौलेश्वरम से पुदुचेरी तक पानी लाने के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम आरंभ होगा। - राज्य विधान सभा में पुदुचेरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का विधेयक लाया गया है। - करैकनाल क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।	- पांडिचेरी टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि. और स्वदेशी भारती टेक्सटाइल मिल्स लि. के कर्मचारियों को संशोधित सेवा शर्तों के साथ नए वेतन दिए जाएंगे। 153 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चार आवासीय परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। - इस वर्ष के दौरान गैर परंपरागत ऊर्जा पार्क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। - राज्य में आइटी एवं आइटीईएस की तेज वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।	- एचएसडी तेल पर लगने वाले समग्र बिक्री कर में हाजिर छूट प्रदान की जाएगी। - पुदुचेरी एवं करैकनाल सहकारी निर्माण केंद्रों द्वारा बेची गई निर्माण सामग्री को वैट से छूट दी गई है। - महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज संबंधी सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते इसकी शीघ्र चुकौती की जाए।	- तटीय ग्रामों के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी निवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। - गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त टीवी बांटे जाएंगे। - करैकनाल क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर नालियों के लिए एक व्यापक सुधार स्कीम लाई जाएगी। - बोटैनिकल गार्डन, मनोरंजन पार्क और तालाबों का विकास किया जाएगा।

डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत

यह अध्ययन अट्हाईस राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संबंधी आंकड़े सभी विवरणों में ज्ञापन मदों के रूप में अलग से दिए गए हैं। यह विश्लेषण राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। विस्तृत परिशिष्ट राजस्व और पूंजी खातों में अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर आधारित हैं। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय को और दो भागों 'योजना' एवं 'योजनेतर' में विभाजित किया गया है। राज्य सरकारों से संस्थागत सुधारों, गारंटियों (आकस्मिक देयताओं) के स्तर, मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) पर जानकारी इस अध्ययन में अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है और संबंधित प्राप्ति शीर्ष में शामिल की गई है। राज्यवार बकाया योजना परिव्यय के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के अंतर्गत राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं। राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़ों संघीय वित्त लेखे से लिए गए हैं। इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश और राज्य विकास ऋणों का परिपक्वता स्वरूप शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिजर्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट III में कुल

पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV सरकारी लेखे को छोड़कर कुल पूंजीगत व्यय बताता है। परिशिष्ट सारणियों (समेकित), विवरणों (राज्यवार) में दी गई और इस विश्लेषण में उपयोग की गई पूंजी प्राप्तियों में सरकारी लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि सरकारी लेखे को संबंधित पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। इस अध्ययन और राष्ट्रीय औसतों में सभी राज्यों का योग एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर अट्हाईस राज्य सरकारों से संबंधित है। इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य देशी उत्पाद संबंधी आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिए गए हैं। इसमें संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रयोग किए गए जीएसडीपी अनुमान से प्राप्त जानकारी जोड़ी गई है। जहां कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहां आंकड़े पिछले तीन वर्षों के वार्षिक औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिए गए हैं। सकल देशी उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और सीएसओ से लिए गए हैं। जीएसडीपी/जीडीपी अनुपात की गणना जीएसडीपी/जीडीपी के अद्यतन अनुमानों पर आधारित है। आबादी से संबंधित आंकड़े भारत की जनगणना की वेबसाइट से लिए गए हैं। परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजी परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल रहती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च

माना जाता है। इस प्रकार, विकास व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय के विकास घटक तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। इस सामाजिक क्षेत्र व्यय में राजस्व व्यय सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा खाद्यान्न संग्रहण एवं भंडारण पर किया जानेवाला व्यय, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। पूंजी परिव्यय में विकास और विकासेतर दोनों ही प्रकार के पूंजी परिव्यय शामिल रहते हैं। इस विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र घाटा/ अधिशेष (परांपरागत घाटा/अधिशेष) नकद घाटा/ अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि/कमी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि/कमी के बराबर है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

2005-06 के बजटों के अध्ययन में रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े 1990-91 से संकलित किए थे। 2006-07 के अध्ययन में बकाया देयताओं की संशोधित श्रृंखला प्रकाशित की गई

जिसमें राज्य सरकारों की आरक्षित निधि, जमाराशि और अग्रिम तथा राज्य सरकारों की आकस्मिकता निधि के आंकड़े शामिल थे। 2007-08 के अध्ययन में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संशोधित आंकड़ा श्रृंखलाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखों, रिजर्व बैंक के रिकॉर्डों, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त लेखों तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2003-04 से प्रकाशित की गयी हैं। वर्तमान अध्ययन में बकाया देयताओं के समेकन हेतु वहीं पद्धति अपनायी गई है जो 2007-08 के अध्ययन में दी गयी है और यह उन्हीं आंकड़ा स्रोतों का उपयोग करती है। परिशिष्ट सारणी 21 और 22 और विवरण 26 से 28 में दिए गए राज्यों की ऋण स्थिति के आंकड़े अनंतिम हैं। बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 32) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 34-35 में दी गई है। इन विवरणों में भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर विभक्त हुए तीन राज्यों की देयताओं के उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

नोट : 1980-81 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार आंकड़े तथा 1990-91 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए राजस्व और पूंजी लेखा में हुए लेनदेनों के संबंध में राज्यवार विस्तृत आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा जून 2004 में प्रकाशित 'राज्य सरकार वित्त संबंधी सांख्यिकी पुस्तिका' में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकाशन को रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर देखा जा सकता है। 2001-02 से राज्य वित्त अध्ययन भी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	पारंपरिक घाटा	प्राथमिक घाटा	भा.रि.बैंक से राज्यों को निवल ऋण
1	2	3	4	5	6
1990-91	18,787 (3.3)	5,309 (0.9)	-72 (-0.0)	10,132 (1.8)	420 (0.1)
1991-92	18,900 (2.9)	5,651 (0.9)	156 (0.0)	7,956 (1.2)	-340 (-0.1)
1992-93	20,891 (2.8)	5,114 (0.7)	-1,829 (-0.2)	7,681 (1.0)	176 (0.0)
1993-94	20,364 (2.4)	3,872 (0.4)	363 (0.0)	4,564 (0.5)	591 (0.1)
1994-95	27,308 (2.7)	6,706 (0.7)	-4,346 (-0.4)	7,895 (0.8)	48 (0.0)
1995-96	30,870 (2.6)	8,620 (0.7)	-2,680 (-0.2)	9,031 (0.8)	16 (0.0)
1996-97	36,561 (2.7)	16,878 (1.2)	7,202 (0.5)	11,175 (0.8)	898 (0.1)
1997-98	43,474 (2.8)	17,492 (1.1)	-1,803 (-0.1)	13,675 (0.9)	1,543 (0.1)
1998-99	73,295 (4.2)	44,462 (2.5)	3,268 (0.2)	37,854 (2.2)	5,579 (0.3)
1999-00	90,099 (4.6)	54,548 (2.8)	3,125 (0.2)	45,458 (2.3)	1,312 (0.1)
2000-01	87,923 (4.2)	55,316 (2.6)	-2,379 (-0.1)	36,937 (1.8)	-1,092 (-0.1)
2001-02	94,260 (4.1)	60,398 (2.7)	3,545 (0.2)	32,665 (1.4)	3,451 (0.2)
2002-03	99,726 (4.1)	57,179 (2.3)	-4,291 (-0.2)	30,699 (1.3)	-3,100 (-0.1)
2003-04	1,20,631 (4.4)	63,407 (2.3)	-526 (-0.0)	40,235 (1.5)	293 (0.0)
2004-05	1,07,774 (3.3)	39,158 (1.2)	-10,232 (-0.3)	21,353 (0.7)	-2,705 (-0.1)
2005-06	90,084 (2.4)	7,013 (0.2)	-33,947 (-0.9)	6,060 (0.2)	2,425 (0.1)
2006-07	77,508 (1.8)	-24,857 (-0.6)	-16,324 (-0.4)	-15,672 (-0.4)	640 (0.0)
2007-08	75,455 (1.5)	-42,943 (-0.9)	-13,410 (-0.3)	-24,376 (-0.5)	1,140 (0.0)
2008-09 (बअ)	1,12,653 (2.0)	-28,426 (-0.5)	-2,358 (-0.0)	4,270 (0.1)	-
2008-09 (संअ)	1,46,349 (2.6)	-10,701 (-0.2)	16,357 (0.3)	40,128 (0.7)	602 (0.0)
2009-10 (बअ)	1,99,510 (3.2)	32,295 (0.5)	25,721 (0.4)	83,083 (1.3)	-

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान.

—: उपलब्ध नहीं है।

- नोट :**
1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।
 2. पारंपरिक घाटा कुल संवितरणों और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर दर्शाता है। कुल प्राप्तियों में शामिल हैं: (i) राजस्व प्राप्तियां, (ii), पूंजीगत प्राप्तियां, अर्थोपाय अग्रिम और भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, और (iii) लोक लेखा के अंतर्गत शुद्ध प्राप्तियां, नकद शेष निवेश खाता से निकासी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा को छोड़कर। कुल संवितरणों में शामिल हैं: (i) राजस्व व्यय और (ii) पूंजीगत संवितरण, अर्थोपाय अग्रिम और भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट को चुकौती को छोड़कर।
 3. राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है।
 4. सकल राजकोषीय घाटा कुल संवितरण (ऋण चुकौतियों को घटाकर) से राजस्व प्राप्तियों, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों तथा ऋण और अग्रिम की वसूली को घटाकर है।
 5. प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को घटाकर है।
 6. कोष्ठक के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
 7. 1990-91 से 2007-08 तक के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े तथा 2001-02 से 2007-08 तक के झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
 8. राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण रिजर्व बैंक के पास उनकी वृद्धिशील जमा को घटाकर रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिए गए ऋण और अग्रिम में घटबढ़ को संदर्भित करता है।
- स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और रिजर्व बैंक के अभिलेख।

परिशिष्ट सारणी 2: समेकित बजटीय स्थिति एक नज़र में

(करोड़ रुपए में)

यद	2007-08 (लेख)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 पर स्तंभ 4		स्तंभ 3 पर स्तंभ 4		स्तंभ 4 पर स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. राजस्व खाता										
क. प्राप्तियाँ	6,23,748	7,19,835	7,37,865	8,04,943	1,14,118	18.3	18,030	2.5	67,078	9.1
ख. व्यय	5,80,805	6,91,409	7,27,165	8,37,238	1,46,360	25.2	35,756	5.2	1,10,074	15.1
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (क- ख)	42,943	28,426	10,701	-32,295						
II. पूंजी खाता*										
क. प्राप्तियाँ	1,41,987	1,75,306	1,86,201	2,25,114	44,213	31.1	10,894	6.2	38,914	20.9
ख. संवितरण	1,71,520	2,01,374	2,13,259	2,18,540	41,739	24.3	11,885	5.9	5,281	2.5
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (क-IIख)	-29,532	-26,068	-27,058	6,575						
III. कुल प्राप्तियाँ	7,65,735	8,95,141	9,24,066	10,30,057	1,58,331	20.7	28,925	3.2	1,05,991	11.5
IV. कुल संवितरण	7,52,324	8,92,783	9,40,423	10,55,778	1,88,099	25.0	47,640	5.3	1,15,355	12.3
V. कुल अधिशेष (+) / घाटा (-) (III-IV)	13,410	2,358	-16,357	-25,721						
VI. समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण [V = VI (क + ख + ग)]										
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+) / कमी (-)	-8,793	1,547	-13,371	-15,499						
ख. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से जोड़ (+) निकासी (-)	22,160	901	-3,027	-8,751						
ग. भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) की चुकोती (+) / में वृद्धि (-)	43	-90	40	-1,470						

* : (i) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, (ii) नकदी शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री, और (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा को छोड़कर। पूंजी प्राप्ति में शुद्ध आधार पर लोक लेखा शामिल है, जबकि पूंजीगत व्यय लोक लेखा को छोड़कर है।

नोट : 1. जन्म और कमीर तथा झारखंड के वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
2. इसके अलावा परिशिष्ट के नोट देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 3: राजस्व प्रतियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
					स्तंभ2 पर स्तंभ4		स्तंभ3 पर स्तंभ4		स्तंभ4 पर स्तंभ5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल राजस्व (I + II)	6,23,748	7,19,835	7,37,865	8,04,943	1,14,118	18.3	18,030	2.5	67,078	9.1
I. कर राजस्व (अ + आ)	4,37,948	5,09,957	5,03,878	5,52,243	65,930	15.1	-6,079	-1.2	48,365	9.6
अ. राज्यों के करों से राजस्व (i से iii)	2,86,546	3,36,810	3,30,405	3,66,523	43,859	15.3	-6,405	-1.9	36,118	10.9
(i) आय पर कर (क + ख)	3,318	3,362	3,338	3,804	21	0.6	-24	-0.7	466	13.9
(क) कृषि आय कर	26	13	22	34	-4	-14.0	9	65.2	11	50.6
(ख) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	3,292	3,349	3,316	3,771	24	0.7	-32	-1.0	454	13.7
(ii) सम्पत्ति और पुंजीगत लेनदेन पर कर (क से ग)	41,460	49,295	45,978	48,218	4,518	10.9	-3,316	-6.7	2,240	4.9
(क) स्टांप और पंजीकरण शुल्क	37,162	44,629	40,875	42,937	3,713	10.0	-3,754	-8.4	2,062	5.0
(ख) भूमि राजस्व	3,969	4,351	4,624	4,780	655	16.5	273	6.3	156	3.4
(ग) शहरी अंचल संपत्ति कर	329	315	479	500	150	45.6	164	52.2	21	4.5
(iii) जिंसें और सेवाओं पर कर (क से छ)	2,41,768	2,84,153	2,81,088	3,14,501	39,320	16.3	-3,064	-1.1	33,412	11.9
(क) बिक्री कर*	1,73,422	2,03,623	2,02,610	2,25,009	29,189	16.8	-1,013	-0.5	22,399	11.1
(ख) राज्य उत्पाद शुल्क	34,127	39,463	39,167	45,961	5,040	14.8	-296	-0.8	6,794	17.3
(ग) वाहनों पर कर	15,143	17,905	16,834	18,695	1,691	11.2	-1,071	-6.0	1,860	11.1
(घ) यात्रियों और माल पर कर	6,808	8,910	8,463	9,552	1,655	24.3	-448	-5.0	1,089	12.9
(ई) बिजली शुल्क	9,239	10,713	10,704	11,745	1,465	15.9	-10	-0.1	1,041	9.7
(च) मनोरंजन कर	1,083	831	777	869	-306	-28.2	-54	-6.5	92	11.8
(छ) अन्य कर और शुल्क	1,946	2,706	2,533	2,669	587	30.1	-173	-6.4	136	5.4
आ. केंद्रीय करों में हिस्सा	1,51,402	1,73,147	1,73,473	1,85,720	22,070	14.6	326	0.2	12,247	7.1
II. नैर कर राजस्व (इ + ई)	1,85,799	2,09,878	2,33,987	2,52,700	48,188	25.9	24,109	11.5	18,713	8.0
इ. केन्द्र से अनुदान	1,08,622	1,43,030	1,54,373	1,68,683	45,752	42.1	11,343	7.9	14,310	9.3
ई. राज्यों का खुद का नैर कर राजस्व (क से च)	77,178	66,848	79,614	84,017	2,436	3.2	12,765	19.1	4,403	5.5
(क) ब्याज प्रतियां	12,637	12,686	16,572	13,010	3,935	31.1	3,886	30.6	-3,562	-21.5
(ख) लाभांश और लाभ	570	442	477	497	-92	-16.2	35	8.0	20	4.2
(ग) सामान्य सेवाएं	26,397	14,106	20,547	26,706	-5,850	-22.2	6,441	45.7	6,159	30.0
जिसमें से:										
राज्य लॉटरी	5,130	5,998	5,213	5,860	83	1.6	-785	-13.1	647	12.4
(घ) सामाजिक सेवाएं	7,889	5,861	6,785	7,055	-1,104	-14.0	924	15.8	269	4.0
(ङ) आर्थिक सेवाएं	29,684	33,754	35,210	36,749	5,526	18.6	1,456	4.3	1,539	4.4
(च) राजकोषीय सेवाएं	-	-	22	-	22	-	22	-	-22	-

* : इसमें मोटर स्प्रिंट पर सामान्य बिक्री कर / वैट, केंद्रीय बिक्री कर, और गन्ना, आदि पर खरीद कर शामिल है।

नोट : जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

—: नापय / शून्य।

परिशिष्ट सारणी 4: राजस्व व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 पर स्तंभ 4		स्तंभ 3 पर स्तंभ 4		स्तंभ 4 पर स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल खर्च (I + II + III)	5,80,805	6,91,409	7,27,165	8,37,238	1,46,360	25.2	35,755	5.2	1,10,074	15.1
I. विकास व्यय (अ + आ)	3,37,337	4,02,810	4,45,889	4,92,443	1,08,552	32.2	43,080	10.7	46,553	10.4
अ. सामाजिक सेवाएं (1 से 11)	2,03,766	2,53,160	2,76,029	3,09,921	72,263	35.5	22,868	9.0	33,892	12.3
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,00,775	1,22,072	1,29,706	1,54,781	28,930	28.7	7,634	6.3	25,075	19.3
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	25,452	32,224	33,733	39,602	8,282	32.5	1,510	4.7	5,868	17.4
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,814	9,537	10,239	10,565	425	4.3	702	7.4	326	3.2
4. आवास	4,017	6,784	7,263	5,025	3,246	80.8	478	7.1	-2,238	-30.8
5. शहरी विकास	14,219	21,978	23,099	23,082	8,879	62.4	1,120	5.1	-16	-0.1
6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	14,630	17,460	20,062	19,887	5,432	37.1	2,602	14.9	-174	-0.9
7. श्रम और श्रम कल्याण	2,351	3,013	3,222	3,586	871	37.0	209	6.9	364	11.3
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17,612	23,720	27,083	31,569	9,471	53.8	3,363	14.2	4,486	16.6
9. पोषण	6,178	8,594	9,061	13,784	2,883	46.7	467	5.4	4,722	52.1
10. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	6,657	5,491	10,076	5,540	3,419	51.4	4,585	83.5	-4,536	-45.0
11. अन्य*	2,061	2,287	2,485	2,500	425	20.6	199	8.7	14	0.6
आ. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,33,572	1,49,649	1,69,861	1,82,522	36,289	27.2	20,211	13.5	12,661	7.5
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	30,830	36,376	43,118	43,392	12,289	39.9	6,743	18.5	274	0.6
2. ग्रामीण विकास	22,203	29,750	30,040	43,147	7,836	35.3	290	1.0	13,107	43.6
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,196	1,312	1,771	2,109	575	48.0	338	35.0	338	19.1
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	16,368	19,860	20,496	22,389	4,128	25.2	636	3.2	1,893	9.2
5. ऊर्जा	30,898	26,483	36,937	32,223	6039	19.5	10,454	39.5	-4,714	-12.8
6. उद्योग और खनिज	6,284	6,852	6,974	7,487	691	11.0	122	1.8	513	7.4
7. परिवहन और संचार	17,397	18,525	19,975	20,227	2,578	14.8	1,451	7.8	251	1.3
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	347	553	568	536	221	63.6	15	2.7	-32	-5.6
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	8,049	9,938	9,981	11,013	1,932	24.0	43	0.4	1,032	10.3
II. नैर-विकासत्मक व्यय (क से च)	2,27,235	2,68,665	2,60,899	3,21,907	33,665	14.8	-7,765	-2.9	61,008	23.4
क. राज्य के अंग	5,154	6,220	7,030	9,215	1,876	36.4	810	13.0	2,186	31.1
ख. राजकोषीय सेवाएं	8,565	10,285	11,001	12,868	2436	28.4	717	7.0	1,867	17.0
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	1,06,886	1,15,186	1,12,910	1,25,078	6,023	5.6	-2,277	-2.0	12,168	10.8
1. ऋण की कटौती या बचाव के लिए विनियोजन	7,056	6,803	6,689	8,651	-366	-5.2	-114	-1.7	1,962	29.3
2. ब्याज भुगतान	99,831	1,08,383	1,06,220	1,16,427	6,390	6.4	-2,163	-2.0	10,207	9.6
घ. प्रशासनिक सेवाएं	44,866	62,905	57,144	74,389	12,278	27.4	-5,761	-9.2	17,245	30.2
ड. पेंशन	56,098	62,729	66,938	87,220	10,840	19.3	4,210	6.7	20,282	30.3
च. विविध सामान्य सेवाएं	5,664	11,341	5,876	13,137	212	3.7	-5,465	-48.2	7,261	123.6
जिसमें से: राज्य लॉटरी	4,991	5,709	4,962	5,616	-29	-0.6	-747	-13.1	654	13.2
III. सहायता अनुदान और अंशदान	16,233	19,935	20,376	22,888	4,143	25.5	441	2.2	2,512	12.3

* : मुख्यतः सूचना और प्रचार, सचिवालय पर खर्च - सामाजिक सेवाएं, आदि पर व्यय शामिल है।

नोट : जम्मू और कश्मीर और चारखंड के संबंध में वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजीगत प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

पद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 पर स्तंभ 4		स्तंभ 3 पर स्तंभ 4		स्तंभ 4 पर स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी प्राप्तियां (से 10)	1,41,987	1,75,306	1,86,201	2,25,114	44,213	31.1	10,894	6.2	38,914	20.9
1. आंतरिक ऋण *	94,643	1,22,535	1,40,594	1,66,845	45,951	48.6	18,059	14.7	26,251	18.7
जिसमें से:										
(i) बाजार ऋण (सकल)	66,513	76,027	1,12,805	1,29,005	46,293	69.6	36,779	48.4	16,200	14.4
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	11,094	29,484	10,204	18,882	-890	-8.0	-19,280	-65.4	8,677	85.0
2. केंद्र से ऋण @	7,252	15,348	9,786	17,284	2,535	35.0	-5,562	-36.2	7,498	76.6
3. ऋण और अग्रिम की वसूली	7,770	5,172	11,568	4,609	3,798	48.9	6,397	123.7	-6,960	-60.2
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि (निवल)	12,338	13,001	14,602	21,617	2,264	18.3	1,601	12.3	7,015	48.0
5. आकस्मिकता निधि (निवल)	549	165	207	200	-341	-62.2	42	25.6	-7	-3.5
6. आरक्षित निधियां (निवल) **	-5923	1,203	2,028	2,554	7,951	-134.2	825	68.6	526	25.9
7. जमा और अग्रिम (निवल) ***	13,581	4,813	5,665	9,354	-7,916	-58.3	852	17.7	3,690	65.1
8. आकस्मिक निधि में विनियोजन (निवल)	-170	-165	-415	-	-245	144.1	-250	151.5	415	-100.0
9. विप्रेषण (निवल)	1,254	85	130	3	-1,124	-89.6	44	52.0	-127	-98.0
10. अन्य #	10,693	13,149	2,035	2,649	-8,658	-81.0	-11,114	-84.5	614	30.2

₹ : नगण्य / शून्य.

* : इसमें बाजार ऋण, एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां, भूमि मुआवजा बांड, नकदी ऋण तथा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण (निवल), और नाबाई की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामीणोद्योग आयोग, आदि से प्राप्त ऋण शामिल हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधोप्राय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट शामिल नहीं हैं।

@ : 1999-2000 से प्रभावी लेखांकन की व्यवस्था में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतों में राज्यों की हिस्सेदारी, जिसे पहले केंद्र से ऋण के तहत शामिल किया गया था, को आंतरिक ऋण के तहत शामिल किया गया है और केंद्र सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया गया है।

** : आरक्षित निधि (निवल) में व्याजवाही आरक्षित निधियां (सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियों की तरह) तथा गैर व्याजवाही आरक्षित निधियां (जैसे ऋणशोधन निधि, अकाल राहत कोष तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

*** : जमा और अग्रिम (निवल) में व्याजवाही जमा (जैसे स्थानीय निधियों की जमा राशियां) तथा गैर व्याजवाही जमा (जैसे रक्षा और डाक जमा और नागरिक अग्रिम) शामिल हैं।

: इसमें उचित और विविध (निवल) और अन्तरराज्यीय निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर और शारखंड के संबंध में वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. पूंजी प्राप्ति में शुद्ध आधार पर लोक लेखा शामिल हैं। इसके अलावा परिशिष्टों की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 6: पूंजी संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

पद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 पर स्तंभ 4		स्तंभ 3 पर स्तंभ 4		स्तंभ 4 पर स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी संवितरण (1 से 4)	1,71,520	2,01,374	2,13,259	2,18,540	41,739	24.3	11,885	5.9	5,281	2.5
1. कुल पूंजी परिव्यय (I+II)	1,18,862	1,45,159	1,57,254	1,60,247	38,392	32.3	12,095	8.3	2,993	1.9
i) विकास परिव्यय (क + ख)	1,13,584	1,39,013	1,51,074	1,53,526	37,490	33.0	12,061	8.7	2,452	1.6
क) सामाजिक सेवाएं	22,990	31,612	34,288	34,187	11,299	49.1	2,677	8.5	-101	-0.3
ख) आर्थिक सेवाएं	90,595	1,07,401	1,16,786	1,19,339	26,191	28.9	9,385	8.7	2,553	2.2
ii) गैर विकास परिव्यय @	5,278	6,146	6,180	6,721	902	17.1	34	0.6	541	8.8
2. आंतरिक ऋण का उन्मोचन@@	30,212	31,717	31,461	36,507	1,249	4.1	-256	-0.8	5,046	16.0
जिसमें से:										
बाजार ऋण	12,588	12,184	12,354	13,521	-235	-1.9	169	1.4	1,167	9.5
3. केन्द्र को ऋणों की चुकौती	8,185	8,406	7,865	7,993	-319	-3.9	-541	-6.4	128	1.6
4. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (I+II)	14,261	16,092	16,678	13,792	2,417	16.9	586	3.6	-2,885	-17.3
i) विकास (क + ख)	13,540	15,294	16,048	13,106	2,508	18.5	754	4.9	-2,942	-18.3
क) सामाजिक सेवाएं	6,180	8,018	7,393	5,839	1,213	19.6	-626	-7.8	-1,554	-21.0
ख) आर्थिक सेवाएं	7,360	7,275	8,655	7,267	1,295	17.6	1,380	19.0	-1,388	-16.0
ii) गैर विकास	721	798	630	687	-91	-12.6	-168	-21.1	57	9.0

@ : सामान्य सेवाओं पर खर्च शामिल है।

@@ : इसमें बाजार ऋण, भूमि मुआवजा बॉन्ड तथा नाबार्ड की राष्ट्रीय प्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि से प्राप्त ऋण की चुकौती शामिल है, परंतु भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकद ऋण और अन्य ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौतियां शामिल नहीं हैं।

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर और चारखंड के संबंध में वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. पूंजी व्यय लोक लेखा को छोड़कर दिया गया है। इसके अलावा परिशिष्ट की टिप्पणी भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 पर स्तंभ 4		स्तंभ 3 पर स्तंभ 4		स्तंभ 4 पर स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. केंद्रीय कार्यों में राज्यों का हिस्सा	1,51,402	1,73,147	1,73,473	1,85,720	22,070	14.6	326	0.2	12,247	7.1
II. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	1,08,622	1,43,030	1,54,373	1,68,683	45,752	42.1	11,343	7.9	14,310	9.3
1. राज्य योजना स्कीम	49,548	66,624	68,880	82,807	19,333	39.0	2,256	3.4	13,927	20.2
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	2,274	6,830	7,288	6,889	5,014	220.5	458	6.7	-399	-5.5
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	21,871	31,215	34,964	35,956	13,093	59.9	3,749	12.0	992	2.8
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	621	1,052	1,084	927	463	74.5	32	3.1	-158	-14.5
5. योजनेतर अनुदान (क से ग)	34,309	37,309	42,157	42,105	7,848	22.9	4,848	13.0	-52	-0.1
क) सांविधिक अनुदान	19,792	16,525	17,175	16,642	-2,617	-13.2	650	3.9	-533	-3.1
ख) प्रकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान	2,639	2,904	4,277	2,866	1,638	62.1	1,373	47.3	-1,411	-33.0
ग) योजनेतर गैर सांविधिक अनुदान	11,878	17,880	20,705	22,597	8,827	74.3	2,825	15.8	1,892	9.1
III. केंद्र से सकल ऋण (I+II)	7,252	15,348	9,786	17,284	2,535	35.0	-5,562	-36.2	7,498	76.6
i) योजना ऋण	7,235	14,975	9,736	16,877	2,501	34.6	-5,240	-35.0	7,142	73.4
ii) योजनेतर ऋण*	17	373	50	407	34	203.4	-322	-86.5	356	-
IV. सकल अंतरण (I+II+III)	2,67,276	3,31,525	3,37,633	3,71,688	70,357	26.3	6,108	1.8	34,055	10.1
V. ऋण की चुकोती और ब्याज भुगतान संबंधी देयताएं (क + ख)	19,977	21,089	20,340	20,591	363	1.8	-750	-3.6	251	1.2
क) केंद्र को ऋणों की चुकोती	8,185	8,406	7,865	7,993	-320	-3.9	-541	-6.4	128	1.6
ख) केंद्र से ऋण पर ब्याज भुगतान	11,792	12,683	12,475	12,598	683	5.8	-209	-1.6	124	1.0
VI. केंद्र से संसाधनों का निवल अंतरण (IV-V)	2,47,299	3,10,436	3,17,293	3,51,097	69,994	28.3	6,857	2.2	33,804	10.7

* : केंद्र से अर्थोपाय अप्रिम शामिल है।
 एनईसी : पूर्वोत्तर परिषद।
 नोट : जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
 स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 8: विकास और गैर विकास व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

साल	विकास*	गैर विकास *	दूसरों**	कुल
1	2	3	4	5
1990-91	63,370 (69.6)	22,600 (24.8)	5,118 (5.6)	91,088 (100.0)
1991-92	74,588 (69.1)	27,143 (25.1)	6,198 (5.7)	1,07,929 (100.0)
1992-93	80,567 (67.5)	32,104 (26.9)	6,664 (5.6)	1,19,335 (100.0)
1993-94	88,791 (66.3)	37,859 (28.3)	7,199 (5.4)	1,33,849 (100.0)
1994-95	1,02,629 (64.5)	48,964 (30.8)	7,554 (4.7)	1,59,147 (100.0)
1995-96	1,12,888 (64.6)	54,544 (31.2)	7,200 (4.1)	1,74,632 (100.0)
1996-97	1,29,363 (64.9)	61,353 (30.8)	8,537 (4.3)	1,99,253 (100.0)
1997-98	1,42,266 (63.5)	70,652 (31.6)	11,006 (4.9)	2,23,924 (100.0)
1998-99	1,61,200 (61.7)	85,174 (32.6)	15,045 (5.8)	2,61,419 (100.0)
1999-00	1,83,540 (59.6)	1,08,451 (35.2)	15,986 (5.2)	3,07,977 (100.0)
2000-01	2,05,670 (60.5)	1,16,823 (34.2)	17,342 (5.1)	3,39,835 (100.0)
2001-02	2,11,086 (57.3)	1,35,505 (36.8)	22,089 (6.0)	3,68,680 (100.0)
2002-03	2,21,799 (54.1)	1,49,554 (36.5)	38,896 (9.5)	4,10,249 (100.0)
2003-04	2,72,848 (53.1)	1,66,538 (32.4)	74,916 (14.6)	5,14,302 (100.0)
2004-05	2,86,473 (51.8)	1,85,152 (33.3)	81,803 (14.9)	5,53,428 (100.0)
2005-06	3,30,044 (58.8)	1,90,021 (33.8)	41,617 (7.4)	5,61,682 (100.0)
2006-07	3,92,165 (59.7)	2,11,872 (32.2)	53,243 (8.1)	6,57,280 (100.0)
2007-08	4,64,462 (61.7)	2,33,233 (31.0)	54,630 (7.3)	7,52,324 (100.0)
2008-09 (संअ)	6,13,011 (65.2)	2,67,709 (28.5)	59,703 (6.3)	9,40,423 (100.0)
2009-10 (बअ)	6,59,075 (62.4)	3,29,315 (31.2)	67,388 (6.4)	10,55,778 (100.0)

संअ : संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

* : राजस्व और पूंजी खाते तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर खर्च शामिल है।

** : सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन), आंतरिक ऋण का उन्मोचन और केंद्र को ऋणों की चुकौती शामिल है।

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

2. 1990-91 से 2007-08 के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े और 2001-02 से 2007-08 के झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 9: विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घट-बढ़		
					स्तंभ 2 पर स्तंभ 4	स्तंभ 3 पर स्तंभ 4	स्तंभ 4 पर स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. विकास व्यय (राजस्व और पूंजी) (क + ख)	4,50,922	5,41,822	5,96,963	6,45,967	32.4	10.2	8.2
क. सामाजिक सेवाएं (1 से 11)	2,26,756 (48.8)	2,84,772 (51.1)	3,10,317 (50.6)	3,44,106 (52.2)	36.9	9.0	10.9
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,04,136	1,26,707	1,35,417	1,59,164	30.0	6.9	17.5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	28,908	36,961	38,579	43,848	33.5	4.4	13.7
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता	19,158	21,223	22,098	22,961	15.3	4.1	3.9
4. आवास	5,026	8,177	8,625	7,046	71.6	5.5	-18.3
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	16,471	20,766	23,125	22,015	40.4	11.4	-4.8
6. श्रम और श्रम कल्याण	2,351	3,013	3,222	3,586	37.0	6.9	11.3
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	18,129	24,358	28,269	32,556	55.9	16.1	15.2
8. पोषण	6,178	8,594	9,061	13,784	46.7	5.4	52.1
9. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	6,657	5,491	10,076	5,540	51.4	83.5	-45.0
10. शहरी विकास	16,676	26,267	28,277	30,205	69.6	7.7	6.8
11. अन्य *	3,065	3,215	3,569	3,401	16.4	11.0	-4.7
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	2,24,166 (48.3)	2,57,051 (46.1)	2,86,647 (46.8)	3,01,861 (45.8)	27.9	11.5	5.3
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	35,741	40,693	48,529	47,533	35.8	19.3	-2.1
2. ग्रामीण विकास	27,932	36,416	36,601	61,558	31.0	0.5	68.2
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,743	4,502	5,224	4,752	90.4	16.0	-9.0
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	53,373	64,386	69,223	68,294	29.7	7.5	-1.3
5. ऊर्जा	44,801	43,173	55,665	47,701	24.3	28.9	-14.3
6. उद्योग और खनिज	7,764	7,981	8,685	8,823	11.9	8.8	1.6
7. परिवहन और संचार	41,170	46,186	49,632	49,129	20.6	7.5	-1.0
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	374	610	646	576	72.9	6.0	-10.9
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	10,268	13,105	12,442	13,495	21.2	-5.1	8.5
II. विकास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (क + ख)	13,542	15,294	16,048	13,106	18.5	4.9	-18.3
क. सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	6,180 (1.3)	8,018 (1.4)	7,393 (1.2)	5,839 (0.9)	19.6	-7.8	-21.0
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19	11	14	15	-22.8	29.3	3.1
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	108	180	143	67	32.3	-20.7	-53.4
3. परिवार कल्याण	-	2	2	-	-	0.1	-75.0
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,165	1,439	1,125	1,858	-3.5	-21.8	65.3
5. आवास	3,282	4,015	3,867	608	17.8	-3.7	-84.3
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	455	663	696	780	53.1	5.0	12.0
7. अन्य @	1,151	1,708	1,546	2,511	34.3	-9.5	62.4
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	7,362 (1.6)	7,275 (1.3)	8,655 (1.4)	7,267 (1.1)	17.6	19.0	-16.0
1. फसल उत्पादन	152	47	149	63	-1.9	220.0	-58.1
2. मिट्टी और जल संरक्षण	4	6	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भण्डारण	1,343	1,287	1,274	1,280	-5.1	-1.1	0.5
4. सहकारिता	404	402	572	352	41.7	42.4	-38.4
5. प्रमुख और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	1	4	-	-	-
6. बिजली परियोजनाएं	3,010	3,785	4,595	3,778	52.7	21.4	-17.8
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	122	95	117	86	-4.0	23.7	-26.4
8. अन्य उद्योग और खनिज	873	606	662	474	-24.2	9.2	-28.3
9. ग्रामीण विकास	3	4	6	81	118.7	43.9	-
10. अन्य+	1,453	1,044	1,279	1,149	-11.9	22.6	-10.2
III. कुल विकास व्यय (I + II)	4,64,464 (100.0)	5,57,116 (100.0)	6,13,011 (100.0)	6,59,073 (100.0)	32.0	10.0	7.5

‘-’ : शून्य / नगण्य.

* : सूचना और प्रचार पर खर्च शामिल।

@ : शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, आदि शामिल।

+ : वन, मत्स्यपालन, पशुपालन, सड़क और जल परिवहन सेवाएं, आदि शामिल।

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल विकास खर्च का प्रतिशत हैं।

2. वर्ष 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 10: गैर विकास व्यय - प्रमुख शीर्ष

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	प्रतिशत बदलाव		
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राजस्व खाते पर गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (i से iv)	2,27,235	2,68,665	2,60,899	3,21,907	14.8	-2.9	23.4
i. राज्य के अंग	5,154	6,220	7,030	9,215	36.4	13.0	31.1
ii. राजकोषीय सेवाएँ	8,565	10,285	11,001	12,868	28.4	7.0	17.0
iii. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1+2)	1,06,886	1,15,186	1,12,910	1,25,078	5.6	-2.0	10.8
1. ऋण की कटौती या बचाव के लिए विनियोजन	7,056	6,803	6,689	8,651	-5.2	-1.7	29.3
2. ब्याज भुगतान	99,831	1,08,383	1,06,220	1,16,427	6.4	-2.0	9.6
iv प्रशासनिक सेवाएं (1 से 5)	44,866	62,905	57,144	74,389	27.4	-9.2	30.2
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	3,239	4,896	4,099	6,640	26.6	-16.3	62.0
2. जिला प्रशासन	4,679	5,667	6,031	7,274	28.9	6.4	20.6
3. पुलिस	26,645	30,297	32,979	39,592	23.8	8.9	20.1
4. लोक निर्माण	4,645	4,873	5,450	6,734	17.3	11.8	23.5
5. अन्य *	5,659	17,171	8,585	14,149	51.7	-50.0	64.8
v पेंशन	56,098	62,729	66,938	87,220	19.3	6.7	30.3
vi विविध सामान्य सेवाएं	5,664	11,341	5,876	13,137	3.7	-48.2	123.6
II. पूंजी खाते पर गैर विकास व्यय (1+2)	5,998	6,944	6,810	7,408	13.5	-1.9	8.8
1. गैर-विकास (सामान्य सेवाएं)	5,278	6,146	6,180	6,721	17.1	0.6	8.8
2. गैर विकास प्रयोजनों के लिए ऋण (क + ख)	721	798	630	687	-12.6	-21.1	9.0
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	309	536	437	460	41.5	-18.5	5.3
ख) विविध	412	262	193	226	-53.1	-26.3	17.2
III. कुल गैर विकास व्यय (I + II)	2,33,233	2,75,609	2,67,709	3,29,315	14.8	-2.9	23.0
IV. सकल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में III	30.5	30.8	29.0	32.0			
V. सकल वितरण के प्रतिशत के रूप में III	31.0	30.9	28.5	31.2			

* : लोक सेवा आयोग, खजाना और प्रशासन, जेलों, आदि पर व्यय शामिल है।

नोट : जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2007-08(लेखा) के लिए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 11: विकास और गैर विकास व्यय - योजना और योजनेतर घटक

(करोड़ रु.)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल संवितरण (1 से 3)*	2,31,332	5,20,993	7,52,324	3,12,145	5,80,638	8,92,783	3,23,277	6,17,147	9,40,423	3,49,400	7,06,378	10,55,778
1. विकास व्यय (क + ख)*	2,24,239	2,40,223	4,64,462	3,02,918	2,54,199	5,57,116	3,13,630	2,99,381	6,13,011	3,36,838	3,22,236	6,59,075
क) प्रत्यक्ष विकास व्यय (i + ii)	2,15,705	2,35,217	4,50,922	2,91,017	2,50,806	5,41,822	3,02,401	2,94,563	5,96,964	3,27,585	3,18,384	6,45,969
i) आर्थिक सेवाएँ	1,24,494	99,672	2,24,166	1,63,133	93,918	2,57,051	1,67,085	1,19,562	2,86,647	1,88,172	1,13,689	3,01,861
ii) सामाजिक सेवाएँ	91,211	1,35,545	2,26,756	1,27,884	1,56,888	2,84,772	1,35,316	1,75,001	3,10,317	1,39,413	2,04,695	3,44,108
ख) विकास प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिम (i + ii)	8,534	5,006	13,540	11,901	3,393	15,294	11,229	4,819	16,048	9,253	3,853	13,106
i) आर्थिक सेवाएँ	4,169	3,191	7,360	5,061	2,214	7,275	4,963	3,692	8,655	4,683	2,584	7,267
ii) सामाजिक सेवाएँ	4,365	1,815	6,180	6,840	1,178	8,018	6,266	1,127	7,393	4,570	1,269	5,839
2. गैर विकास व्यय (क + ख)*	6,422	2,26,811	2,33,233	8,238	2,67,370	2,75,609	8,057	2,59,652	2,67,709	10,397	3,18,918	3,29,315
क) प्रत्यक्ष गैर विकास व्यय*	6,415	2,26,098	2,32,512	8,237	2,66,574	2,74,811	8,056	2,59,023	2,67,079	10,396	3,18,232	3,28,628
ख) विकासेतर प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिम	7	713	721	2	796	798	1	629	630	1	685	687
3. अन्य (क से ग)*	671	53,959	54,630	989	59,069	60,058	1,590	58,113	59,703	2,164	65,224	67,388
क) केंद्र को ऋण की चुकौती	-	8,185	8,185	-	8,406	8,406	-	7,865	7,865	-	7,993	7,993
ख) आंतरिक ऋण का उन्मोचन	-	30,212	30,212	-	31,717	31,717	-	31,461	31,461	-	36,507	36,507
जिसमें से:												
बाजार ऋण	-	12,588	12,588	-	12,184	12,184	-	12,354	12,354	-	13,521	13,521
ग) सहायता अनुदान और अंशदान	671	15,562	16,233	989	18,946	19,935	1,590	18,786	20,376	2,164	20,724	22,888
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुद्देशन	671	15,526	16,197	989	18,946	19,935	1,590	18,786	20,376	2,164	20,724	22,888

—: शून्य/नाण्य.

* : राजस्व और पूंजी खर्च दोनों पर व्यय शामिल है।

नोट : वर्ष 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के अंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

**परिशिष्ट सारणी 12: विकास और गैर विकास व्यय -
राजस्व और पूंजी घटक**

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. विकास व्यय	4,64,462 (61.7)	5,57,116 (62.4)	6,13,011 (65.2)	6,59,075 (62.4)
क) राजस्व	3,37,337	4,02,810	4,45,889	4,92,443
ख) पूंजी	1,27,125	1,54,306	1,67,122	1,66,632
II. गैर विकास व्यय	2,33,233 (31.0)	2,75,609 (30.9)	2,67,709 (28.5)	3,29,315 (31.2)
क) राजस्व	2,27,235	2,68,665	2,60,899	3,21,907
ख) पूंजी	5,998	6,944	6,810	7,408
III. अन्य	54,630 (7.3)	60,058 (6.7)	59,703 (6.3)	67,388 (6.4)
क) राजस्व *	16,233	19,935	20,376	22,888
ख) पूंजी **	38,397	40,123	39,327	44,500
IV. सकल संवितरण (I+II+III)	7,52,324	8,92,783	9,40,423	10,55,778

* : सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन) शामिल हैं।

** : आंतरिक ऋण का उम्मोचन और केंद्र को ऋण की चुकौती शामिल है।

नोट : 1. वर्ष 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल संवितरण के प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 13: योजना और योजनेतर व्यय - राजस्व और पूंजी घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. योजना व्यय	2,31,332 (30.7)	3,12,145 (35.0)	3,23,277 (34.4)	3,49,400 (33.1)
क) राजस्व	1,14,244 (15.2)	1,62,810 (18.2)	1,68,576 (17.9)	1,86,631 (17.7)
ख) पूंजी	1,17,087 (15.6)	1,49,335 (16.7)	1,54,700 (16.5)	1,62,769 (15.4)
II. योजनेतर व्यय	5,20,993 (69.3)	5,80,638 (65.0)	6,17,147 (65.6)	7,06,378 (66.9)
क) राजस्व	4,66,560 (62.0)	5,28,599 (59.2)	5,58,588 (59.4)	6,50,607 (61.6)
ख) पूंजी	54,432 (7.2)	52,039 (5.8)	58,558 (6.2)	55,771 (5.3)
III. कुल व्यय (I + II)	7,52,324 (100.0)	8,92,783 (100.0)	9,40,423 (100.0)	10,55,778 (100.0)

नोट : 1. वर्ष 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल खर्च का प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 14: राज्यों के योजनेतर गैर विकास व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4
I. योजनेतर गैर विकास राजस्व व्यय (1 से 6)	2,24,128 (9.2)	2,57,749 (15.0)	3,17,481 (23.2)
1. राज्यों के अंग	5,060 (7.5)	6,879 (36.0)	9,026 (31.2)
2. राजकोषीय सेवाएँ	8,175 (-18.3)	10,435 (27.7)	11,738 (12.5)
3. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1,06,886 (6.2)	1,12,910 (5.6)	1,25,078 (10.8)
जिसमें से:			
ब्याज भुगतान	99,831 (7.2)	1,06,220 (6.4)	1,16,427 (9.6)
जिसमें से:			
केंद्र से ऋण पर ब्याज	11,792 (-10.5)	12,475 (5.8)	12,598 (1.0)
4. प्रशासनिक सेवाएं	42,365 (13.4)	54,823 (29.4)	71,450 (30.3)
5. पेंशन	56,098 (19.7)	66,938 (19.3)	87,206 (30.3)
6. विविध सामान्य सेवाएं	5,544 (-2.1)	5,764 (4.0)	12,983 (125.2)
II. योजनेतर गैर विकास पूंजी संवितरण (1 + 2)*	2,683 (83.3)	1,903 (-29.1)	1,437 (-24.5)
1. योजनेतर गैर विकास पूंजी परिव्यय	1,970 (123.6)	1,274 (-35.3)	751 (-41.0)
2. राज्यों द्वारा योजनेतर गैर विकास ऋण और अग्रिम	713 (22.4)	629 (-11.8)	685 (9.0)
III. कुल योजनेतर गैर विकास व्यय	2,26,811 (9.7)	2,59,652 (14.5)	3,18,918 (22.8)

* : केंद्र को ऋण की चुकौती और आंतरिक ऋण का उन्मोचन शामिल नहीं है।

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ हैं।

2. वर्ष 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 15: सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना *

परिशिष्ट सारणी											
वर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	(करोड़ रुपये)
1											
1. राजस्व व्यय (i + ii)											
(i) सामाजिक सेवाएं (क से ठ)											
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	32,826	36,617	41,344	46,342	51,292	60,003	67,364	76,107	91,460	1,05,688	
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	27,962	31,092	34,565	38,685	44,079	52,596	59,097	66,798	80,187	94,097	
(ग) परिवार कल्याण	15,528	17,077	19,261	21,462	24,556	28,419	32,495	36,377	44,697	54,897	
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,586	5,054	5,662	6,608	7,271	6,646	7,660	8,716	10,511	11,805	
(ङ) आवास	—	—	—	—	—	1,639	1,554	1,730	1,858	2,102	
(च) शहरी विकास	1,638	1,845	2,095	2,424	2,979	3,130	3,661	4,557	5,239	5,345	
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	361	398	445	467	561	689	837	907	1,126	1,012	
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	634	764	727	791	848	1,102	1,385	1,735	2,134	2,660	
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,790	2,071	2,301	2,569	3,007	3,390	3,890	4,493	5,175	5,513	
(ञ) पोषण	453	489	550	585	658	728	799	1,008	1,051	1,202	
(ट) प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	1,362	1,477	1,663	1,852	2,092	2,378	2,587	3,004	3,568	4,054	
(ठ) अन्य	536	611	633	665	852	2,136	1,854	1,844	2,116	2,248	
(ड) ग्रामीण विकास	877	1,076	972	948	899	1,927	1,963	1,976	2,104	2,609	
(ण) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	198	230	256	314	357	413	413	452	608	649	
(क) ग्रामीण विकास	4,863	5,525	6,779	7,657	7,213	7,407	8,267	9,309	11,273	11,592	
(ख) खाद्य संग्रहण और भांडारण	4,675	5,287	6,362	7,276	6,777	6,568	7,526	8,367	10,460	10,505	
(ग) खाद्य परिवहन	188	238	416	381	436	839	741	942	813	1,087	
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)											
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)											
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,566	1,690	2,022	1,985	2,409	2,472	2,524	3,862	5,094	5,637	
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,257	1,647	1,684	1,787	2,219	2,510	2,887	3,303	4,144	4,218	
(ग) परिवार कल्याण	284	278	302	304	365	408	435	451	535	361	
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	237	276	263	272	306	302	330	451	482	669	
(ङ) आवास	—	—	—	—	—	35	38	65	45	27	
(च) शहरी विकास	354	499	549	677	894	896	1,026	1,117	1,688	1,822	
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	182	209	188	196	251	346	296	398	580	500	
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	30	146	97	109	125	179	263	244	176	233	
(झ) अन्य	120	162	177	167	189	217	355	411	487	474	
(ट) ग्रामीण विकास	27	39	37	24	43	25	72	86	89	103	
(ठ) आवास	24	39	50	38	47	101	73	80	62	31	
(ड) ग्रामीण विकास	308	43	358	197	190	-38	-362	559	950	1,419	
(ख) खाद्य संग्रहण और भांडारण	115	204	184	139	136	152	353	330	321	550	
(ग) खाद्य परिवहन	194	-161	174	58	54	-190	-716	229	630	868	
3. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (i + ii)											
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)											
(क) शिक्षा	741	948	1,103	1,125	1,442	1,501	2,008	1,458	1,573	2,365	
(ख) आवास	741	948	1,103	1,125	1,442	1,406	1,820	1,436	1,559	2,235	
(ग) आवास (सरकारी कर्मचारी)	—	—	—	—	—	21	9	22	10	4	
(घ) अन्य	174	213	228	316	274	222	471	293	360	407	
(ङ) आवास (सरकारी कर्मचारी)	143	162	185	229	257	279	340	358	448	994	
(च) अन्य	424	573	690	579	910	884	1,000	764	831	831	
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)											
(क) ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	95	188	22	14	130	
(ख) खाद्य संग्रहण और भांडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय (1+2+3)	35,132	39,255	44,468	49,451	55,143	63,975	71,896	81,427	98,127	1,13,690	(जारी)

परिशिष्ट सारणी 15: सामाजिक क्षेत्र के व्यय की संरचना * (समाप्त)

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. राजस्व व्यय (i + ii)	1,13,366	1,16,342	1,21,866	1,32,204	1,46,001	1,67,775	1,95,626	2,28,122	3,09,417	3,56,509
(i) सामाजिक सेवाएं (क से छ)	1,02,385	1,05,350	1,09,075	1,17,517	1,29,035	1,48,552	1,74,555	2,03,766	2,76,029	3,09,921
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	58,783	59,095	61,253	64,280	69,371	78,147	89,578	1,00,775	1,29,706	1,54,781
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	12,627	12,943	13,443	14,121	15,230	17,542	19,162	21,895	28,860	33,888
(ग) परिवार कल्याण	2,339	2,466	2,375	2,473	2,530	2,763	3,043	3,557	4,874	5,714
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,398	5,519	5,502	5,502	5,502	5,502	5,502	5,502	5,502	5,502
(ङ) आवास	1,285	1,243	1,442	1,739	1,868	2,002	2,878	4,017	7,263	10,565
(च) शहरी विकास	2,678	3,216	3,544	3,921	4,833	4,687	9,471	14,219	23,099	23,082
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	6,104	6,778	7,105	7,704	9,189	10,457	11,802	14,630	20,062	19,887
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1,203	1,132	1,194	1,381	1,483	1,656	2,484	3,222	3,222	3,586
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,897	5,042	6,124	7,104	8,005	9,232	12,917	17,612	27,083	31,569
(ञ) पोषण	2,478	2,249	2,255	2,836	3,226	3,226	4,845	6,178	9,061	13,784
(ट) प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	3,878	5,012	4,153	4,657	5,566	8,570	7,859	6,657	10,076	5,540
(ठ) अन्य	714	655	684	818	810	1,009	1,741	2,061	2,485	2,500
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	10,981	10,992	12,791	14,687	16,966	19,223	21,071	24,357	33,388	46,589
(क) ग्रामीण विकास	10,014	10,192	11,747	13,547	15,391	17,588	19,315	22,203	30,040	43,147
(ख) खाद्य संग्रहण और भांडारण	967	800	1,045	1,140	1,574	1,635	1,756	2,153	3,349	3,442
2. पूंजी परिव्यय (i + ii)	8,508	9,669	9,028	11,171	15,573	18,261	22,615	29,819	41,759	52,685
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	5,348	5,777	7,203	9,294	11,685	14,137	17,393	22,990	34,288	34,185
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	370	513	492	648	984	1,716	2,379	3,360	5,711	4,383
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	604	605	623	917	1,008	1,722	3,135	3,415	4,754	4,076
(ग) परिवार कल्याण	42	34	10	18	3	4	35	40	91	171
(घ) जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,069	2,686	3,553	3,586	5,180	5,181	6,646	9,344	11,859	12,396
(ङ) आवास	491	511	635	599	976	745	982	1,009	1,362	2,021
(च) शहरी विकास	322	350	468	1,841	1,774	2,301	1,766	2,457	5,179	7,123
(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	394	423	618	781	928	1,242	1,715	1,841	3,063	2,128
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	21	36	85	163	158	244	272	517	1,185	987
(झ) अन्य	35	619	718	740	675	982	463	1,004	1,083	901
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	3,160	3,892	1,825	1,877	3,888	4,124	5,222	6,829	7,471	18,499
(क) ग्रामीण विकास	1,285	2,280	2,223	2,318	3,015	3,951	5,388	5,728	6,561	18,411
(ख) खाद्य संग्रहण और भांडारण	1,876	1,613	-399	-441	873	173	-166	1,101	910	88
3. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (i + ii)	3,046	3,242	2,754	2,789	2,503	3,394	4,746	7,525	8,673	7,200
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	2,980	2,863	2,736	2,784	2,186	3,042	3,630	6,180	7,393	5,839
(क) शिक्षा	-	3	34	49	128	53	16	19	14	15
(ख) आवास	440	506	544	810	739	750	894	3,282	3,867	608
(ग) आवास (सरकारी कर्मचारी)	1,145	952	786	560	320	360	429	455	696	780
(घ) अन्य	1,395	1,402	1,371	1,365	998	1,879	2,290	2,425	2,815	4,436
(ii) आर्थिक सेवाएं (क + ख)	66	379	18	5	317	352	1,117	1,345	1,280	1,361
(क) ग्रामीण विकास	-	-	-	-	7	6	6	3	6	81
(ख) खाद्य संग्रहण और भांडारण	66	379	18	5	310	346	1,111	1,343	1,274	1,280
सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय (1+2+3)	1,24,919	1,29,253	1,33,648	1,46,164	1,64,077	1,89,430	2,22,988	2,65,466	3,59,849	4,16,394

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान.

नोट: उपलब्ध नहीं.

*: राज्य सरकारों द्वारा राजस्व व्यय पूंजी परिव्यय तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रहण और भांडारण पर खर्च शामिल है।

नोट: 1990-91 से 2007-08 के जन्म और कर्मों के आंकड़े और 2001-02 से 2007-08 के झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संशोधित हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 16: सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

साल	राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण पूंजी प्राप्ति	सकल राजकोषीय घाटा (2+3+4-5)	सकल राजकोषीय घाटा के प्रति प्रतिशत				
						राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण पूंजी प्राप्ति	कुल (7+8+9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990-91	5,309	9,223	4,255	—	18,787	28.3	49.1	22.6	—	100.0
1991-92	5,651	10,096	3,154	—	18,900	29.9	53.4	16.7	—	100.0
1992-93	5,114	10,655	5,123	—	20,891	24.5	51.0	24.5	—	100.0
1993-94	3,872	12,354	4,139	—	20,364	19.0	60.7	20.3	—	100.0
1994-95	6,706	17,138	3,464	—	27,308	24.6	62.8	12.7	—	100.0
1990-95 (औ)	5,330	11,893	4,027	—	21,250	25.2	55.4	19.4	—	100.0
1995-96	8,620	18,226	4,024	—	30,870	27.9	59.0	13.0	—	100.0
1996-97	16,878	17,123	2,754	193	36,561	46.2	46.8	7.5	0.5	100.0
1997-98	17,492	22,137	3,845	—	43,474	40.2	50.9	8.8	—	100.0
1998-99	44,462	22,731	6,606	505	73,294	60.7	31.0	9.0	0.7	100.0
1999-2000	54,549	25,002	10,549	—	90,099	60.5	27.7	11.7	—	100.0
1995-2000 (औ)	28,400	21,044	5,555	140	54,860	47.1	43.1	10.0	0.2	100.0
2000-01	55,316	30,260	2,346	—	87,923	62.9	34.4	2.7	—	100.0
2001-02	60,398	31,658	2,206	—	94,261	64.1	33.6	2.3	—	100.0
2002-03	57,179	35,655	6,892	—	99,726	57.3	35.8	6.9	—	100.0
2003-04	63,407	51,573	5,650	—	1,20,629	52.6	42.8	4.7	—	100.0
2004-05	39,158	60,133	8,483	—	1,07,774	36.3	55.8	7.9	—	100.0
2000-05 (औ)	55,091	41,856	5,116	—	1,02,063	54.6	40.5	4.9	—	100.0
2005-06	7,013	77,559	5,521	9	90,084	7.8	86.1	6.1	0.0	100.0
2006-07	-24,857	98,063	6,207	1,906	77,508	-32.1	126.5	8.0	2.5	100.0
2007-08	-42,943	1,18,862	6,491	6,955	75,455	-56.9	157.5	8.6	9.2	100.0
2008-09 (संअ)	-10,701	1,57,254	5,109	5,314	1,46,349	-7.3	107.5	3.5	3.6	100.0
2009-10 (बअ)	32,295	1,60,247	9,184	2,216	1,99,510	16.2	80.3	4.6	1.1	100.0

औ : औसत.

— : नगण्य / शून्य.

संअ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान.

नोट : 1. 1990-91 से 2007-08 के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े और 2001-02 से 2007-08 के झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 17: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

वर्ष	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबाई, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उचित और विविध	विशेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+) (13+ 14+15)	नकदी शेष में वृद्धि (-) / कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाता से आहरण (+) / में परिवर्धन (-)	भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि (+) / कमी (-)	सकल राजकोषीय घाटा (सराधा) (2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	2,556	9,978	-	241	3,069	1,120	1,670	376	-154	4	-74	266	-427	88	18,787
1991-92	3,305	9,374	-	-19	2,909	1,343	1,587	724	-716	237	156	629	-685	212	18,900
1992-93	3,501	8,921	-	-46	3,622	1,523	2,378	3,197	-337	-38	-1,829	602	-2,248	-183	20,891
1993-94	3,620	9,400	-	113	4,330	1,541	1,561	-556	-226	217	363	561	-137	38	20,364
1994-95	4,075	14,250	-	2,099	4,779	1,713	3,545	788	59	347	-4,347	1,173	-3,667	-1,974	27,308
1990-95 (औ)	3,411	10,385	-	478	3,742	1,448	2,148	906	-275	153	-1,146	646	-1,433	-364	21,250
1995-96	5,888	14,075	-	635	4,902	2,101	2,947	3,096	-338	245	-2,680	-465	-3,589	1,204	30,870
1996-97	6,515	16,696	-	686	5,375	2,438	4,465	129	-7,505	558	7,202	6,794	-415	663	36,561
1997-98	7,280	22,649	-	1,504	6,226	2,930	3,521	271	-30	927	-1,803	-561	385	-1,926	43,474
1998-99	10,467	30,350	-	2,382	11,969	3,588	7,131	1,483	2,244	414	3,268	-33,690	32,982	4,228	73,295
1999-2000	12,664	12,178	26,416	3,381	17,877	2,562	9,051	849	77	1,917	3,126	-625	1,268	2,470	90,098
1995-2000 (औ)	8,563	19,190	26,416*	1,718	9,270	2,724	5,423	1,166	-1,111	812	1,823	-5,710	6,126	1,328	54,860
2000-01	12,519	8,324	32,606	4,550	13,107	3,099	7,136	2,355	1,032	5,574	-2,379	-849	-727	-769	87,922
2001-02	17,249	10,895	35,648	6,285	10,186	4,521	4,996	-2,452	-427	3,814	3,545	-637	1,203	2,860	94,261
2002-03	28,484	-372	48,966	4,858	9,863	4,799	711	1,212	93	5,403	-4,290	5,057	-2,762	-6,907	99,727
2003-04	47,286	13,940	18,003	4,132	9,325	6,377	-374	-3,651	1,850	24,268	-526	1,713	-1,778	-461	1,20,631
2004-05	34,559	-9,781	64,192	26**	8,883	7,127	8,074	-2,623	1,240	6,335	-10,232	-651	-8,026	-1,782	1,07,774
2000-05 (औ)	28,019	4,601	39,883	4,956	10,273	5,185	4,109	-1,032	758	9,079	-2,776	927	-2,418	-1,412	1,02,063
2005-06	15,305	-44	73,815	4,055	10,463	5,228	7,262	7,911	51	-17	-33,947	1,827	-34,761	-1,013	90,084
2006-07	13,083	-8,887	56,023	3,937	10,370	7,634	12,796	4,675	-305	-5,493	-16,324	4,783	-21,275	168	77,508
2007-08	53,925	-933	5,853	6,300	12,338	-5,923	13,581	3,738	1,254	-1,269	-13,410	8,793	-22,160	-43	75,455
2008-09 (संश)	1,00,452	1,921	3,056	9,143	14,602	2,028	5,665	-3,280	130	-3,726	16,357	13,371	3,027	-40	1,46,349
2009-10 (बअ)	1,15,484	9,291	9,026	8,462	21,617	2,554	9,354	433	3	-2,435	25,721	15,499	8,751	1,470	1,99,510

संश : संशोधित अनुमान.

बअ : बजट अनुमान.

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि.

औ : औसत.

± : लागू नहीं.

* : 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि यह उसी वर्ष से शुरू की गई थी। इसलिए 1995-2000 (औ) की मरों का जोड़ सराधा के बराबर नहीं होगा।

** : तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) के बांडों के समायोजन के कारण एनसीडीसी से ऋण के तहत तमिलनाडु ने 1, 376 करोड़ रुपए का एक ऋणात्मक आंकड़ा दिखाया है।

नोट : 1. 'अन्य' एक अवशिष्ट मद है और इसमें अन्य बातों के साथ आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य निपटार, भूमि मुआवजा और अन्य बांड और सराणी में वर्णित से इतर वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल हैं।

2. 1999-2000 से लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण, केंद्र से ऋण में अल्प बचत संग्रह में राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है, उसे आंतरिक ऋण के तहत एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के तहत दिखाया गया है। तदनुसार, केंद्र को ऋण की चुकौती के अंतर्गत शामिल अल्प बचत संग्रह की चुकौती को अब आंतरिक ऋण के उन्मोचन के तहत दिखाया गया है ताकि प्राप्तियों और व्यय का सुसंगत लेखांकन हो सके।

3. वर्ष 2007-08 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

4. सभी आंकड़े निवल आधार पर हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 18: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत रूप में

वर्ष	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतियुक्तियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उच्च और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+) (13+14+15)	नकदी शेष में वृद्धि (-) / कमी (+)	नकदी शेष निवेश खाता से आहरण (+) / में परिवर्धन (-)	भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि (+) / कमी (-)	सकल राजकोषीय घाटा (सराया) (2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	13.6	53.1	-	1.3	16.3	6.0	8.9	2.0	-0.8	-	-0.4	1.4	-2.3	0.5	100.0
1991-92	17.5	49.6	-	-0.1	15.4	7.1	8.4	3.8	-3.8	1.3	0.8	3.3	-3.6	1.1	100.0
1992-93	16.8	42.7	-	-0.2	17.3	7.3	11.4	15.3	-1.6	-0.2	-8.8	2.9	-10.8	-0.9	100.0
1993-94	17.8	46.2	-	0.6	21.3	7.6	7.7	-2.7	-1.1	1.1	1.8	2.8	-0.7	0.2	100.0
1994-95	14.9	52.2	-	7.7	17.5	6.3	13.0	2.9	0.2	1.3	-15.9	4.3	-13.4	-7.2	100.0
1990-95 (औ)	16.1	48.8	-	1.8	17.6	6.8	9.9	4.3	-1.4	0.7	-4.5	2.9	-6.2	-1.3	100.0
1995-96	19.1	45.6	-	2.1	15.9	6.8	9.5	10.0	-1.1	0.8	-8.7	-1.5	-11.6	3.9	100.0
1996-97	17.8	45.7	-	1.9	14.7	6.7	12.2	0.4	-20.5	1.5	19.7	18.6	-1.1	1.8	100.0
1997-98	16.7	52.1	-	3.5	14.3	6.7	8.1	0.6	-0.1	2.1	-4.1	-1.3	0.9	-4.4	100.0
1998-99	14.3	41.4	-	3.2	16.3	4.9	9.7	2.0	3.1	0.6	4.5	-46.0	45.0	5.8	100.0
1999-2000	14.1	13.5	29.3	3.8	19.8	2.8	10.0	0.9	0.1	2.1	3.5	-0.7	1.4	2.7	100.0
1995-2000 (औ)	16.4	39.7	29.3*	2.9	16.2	5.6	9.9	2.8	-3.7	1.4	3.0	-6.2	6.9	2.0	100.0
2000-01	14.2	9.5	37.1	5.2	14.9	3.5	8.1	2.7	1.2	6.3	-2.7	-1.0	-0.8	-0.9	100.0
2001-02	18.3	11.6	37.8	6.7	10.8	4.8	5.3	-2.6	-0.5	4.0	3.8	-0.7	1.3	3.0	100.0
2002-03	28.6	-0.4	49.1	4.9	9.9	4.8	0.7	1.2	0.1	5.4	-4.3	5.1	-2.8	-6.9	100.0
2003-04	39.2	11.6	14.9	3.4	7.7	5.3	-0.3	-3.0	1.5	20.1	-0.4	1.4	-1.5	-0.4	100.0
2004-05	31.6	-10.8	62.2	-	7.2	6.5	7.4	-2.4	1.1	-12.4	9.6	0.6	7.3	1.6	100.0
2000-05 (औ)	26.4	4.3	40.2	4.0	10.1	5.0	4.2	-0.8	0.7	4.7	1.2	1.1	0.7	-0.7	100.0
2005-06	17.0	-	81.9	4.5	11.6	5.8	8.1	8.8	0.1	-	-37.7	2.0	-38.6	-1.1	100.0
2006-07	16.9	-11.5	72.3	5.1	13.4	9.8	16.5	6.0	-0.4	-7.1	-21.1	6.2	-27.4	0.2	100.0
2007-08	71.5	-1.2	7.8	8.3	16.4	-7.8	18.0	5.0	1.7	-1.7	-17.8	11.7	-29.4	-0.1	100.0
2008-09 (संअ)	68.6	1.3	2.1	6.2	10.0	1.4	3.9	-2.2	0.1	-2.5	11.2	9.1	2.1	-	100.0
2009-10 (बज)	57.9	4.7	4.5	4.2	10.8	1.3	4.7	0.2	-	-1.2	12.9	7.8	4.4	0.7	100.0

संअ : संशोधित अनुमान. बज : बजट अनुमान. एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि. औ : औसत. ' : शून्य / नाण्य / लागू नहीं.

* : 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि यह उसी वर्ष से शुरू की गई थी। इसलिए 1995-2000 (औ) की मदों का जोड़ 100 के बराबर नहीं होगा।

नोट: परिशिष्ट सारणी 17 के अनुरूप।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 19: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना
(मार्च के अंत की स्थिति)

वर्ष	बाजार ऋण	विजली बांड	मुआवजा और अन्य बांड	एनएस-एसएफ	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	जीआइ-सी से ऋण	नाबाईसे ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी-सी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आश्रित निधि	जमा और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड़ (7 से 12)	14 = जोड़ (2 से 6)+13	15	16	17	18	19	20 = जोड़ (14 से 19)
1991	15,652	-	60	-	1,050	718	241	278	303	630	343	2,513	19,274	73,521	16,861	4,734	12,769	995	1,28,155
1992	19,008	-	64	-	1,288	775	267	151	604	812	301	2,910	23,270	82,979	19,790	5,519	14,502	969	1,47,030
1993	22,480	-	72	-	1,073	894	295	25	733	885	396	3,228	26,853	91,626	23,515	6,698	18,911	762	1,68,365
1994	26,119	-	79	-	1,306	1,044	380	-85	807	893	391	3,429	30,933	1,01,122	27,972	8,180	19,009	658	1,87,875
1995	31,200	-	77	-	608	1,135	421	-79	943	1,071	499	3,989	35,875	1,15,238	32,894	9,013	22,963	489	2,16,473
1996	37,088	-	76	-	1,894	1,257	501	288	1,175	1,101	517	4,838	43,895	1,29,264	38,216	10,577	26,654	929	2,49,535
1997	43,602	-	74	-	2,557	1,418	-	821	1,183	1,108	575	5,106	51,338	1,46,168	44,095	12,350	31,436	511	2,85,898
1998	50,847	-	77	-	630	1,684	-	2,038	1,396	1,107	1,510	7,734	59,289	1,68,656	50,843	14,498	36,609	921	3,30,816
1999	61,477	-	66	-	4,858	2,203	-	3,147	2,057	1,204	2,178	10,789	77,190	1,99,007	63,256	17,320	42,357	445	3,99,576
2000	75,427	-	65	25,251	7,328	3,102	-	4,372	3,177	1,345	5,114	17,110	1,26,346	2,30,331	80,523	19,769	52,193	1,533	5,09,529
2001	86,767	-	62	56,352	6,559	4,216	-	6,501	4,390	1,439	12,667	29,213	1,81,623	2,38,655	93,629	22,868	59,328	714	5,94,147
2002	1,04,027	-	59	90,226	9,419	5,085	-	8,969	7,139	1,622	18,078	40,894	2,49,069	2,49,551	1,03,815	27,389	64,325	1,042	6,90,747
2003	1,33,066	-	63	1,39,193	2,512	6,621	-	11,546	7,896	1,611	23,524	51,198	3,33,753	2,49,179	1,13,678	32,188	65,036	314	7,86,430
2004	1,79,917	28,984	82	1,98,454	3,375	8,967	1,008	11,285	8,222	3,071	33,407	65,960	4,76,772	1,92,981	1,21,841	42,217	69,116	246	9,03,174
2005	2,13,480	29,883	83	2,82,200	1,498	11,994	990	8,226	9,486	1,577	35,648	67,921	5,95,064	1,60,045	1,30,828	52,311	75,290	527	10,14,067
2006	2,28,925	31,581	82	3,65,933	407	12,609	989	11,654	9,680	1,195	35,718	71,845	6,98,773	1,57,004	1,40,806	63,120	86,691	1,322	11,47,717
2007	2,42,777	26,051	82	4,25,309	299	12,197	971	15,622	9,176	1,118	30,253	69,338	7,63,855	1,46,653	1,49,920	78,761	1,01,068	1,319	12,41,576
2008	2,98,508	23,143	80	4,30,879	255	11,534	927	20,867	9,295	1,175	27,640	71,438	8,24,304	1,45,098	1,61,972	78,265	1,16,591	2,073	13,28,302
2009 (संअ)	4,01,924	21,691	80	4,31,915	215	10,888	927	30,778	8,724	1,645	25,567	78,509	9,34,333	1,47,019	1,76,574	80,293	1,22,256	2,280	14,62,755
2010 (बअ)	5,17,408	18,784	80	4,40,942	1,685	10,096	927	40,347	8,127	1,907	24,664	86,068	10,64,965	1,56,311	1,98,190	82,846	1,31,610	2,480	16,36,403

संअ: संशोधित अनुमान. बअ: बजट अनुमान. -: लागू नहीं / उपलब्ध नहीं / नगण्य.

नोट : 1. 1997 से 2003 तक, 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में 'अन्य ऋण' और 'जीआइसी से ऋण' भी शामिल हैं। 2004 से, 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में 'अन्य ऋण' शामिल है।

2. अरुणाचल प्रदेश [2008-09 (संअ) और 2009-10 (बअ)] तथा जम्मू और कश्मीर [2008-09 (संअ) और 2009-10 (बअ)] के लिए आंतरिक ऋण के उमीन के अलग-अलग ब्लॉक उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य संस्थाओं से ऋण' के तहत शामिल किया गया है।

3. 'आंकड़ा स्रोतों और पद्धति पर व्याख्यात्मक नोट' भी देखें।

परिशिष्ट सारणी 20: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संरचना - कुल का अनुपात
(मार्च के अंत की स्थिति)

वर्ष	बाजार ऋण	बिजली बांड	मुआवजा और अन्य बांड	एनएस-एएएफ	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपार्जित अग्रिम	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	जीआइ-सी से ऋण	नाबाइसे ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी-सी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आश्रित निधि	जमा और अग्रिम	आकांक्षिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = जोड़ (7 से 12)	14 = जोड़ (2 से 6)+13	15	16	17	18	19	20 = जोड़ (14 से 19)
1991	12.2	—	0.05	—	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	2.0	15.0	57.4	13.2	3.7	10.0	0.8	100.0
1992	12.9	—	0.04	—	0.9	0.5	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	2.0	15.8	56.4	13.5	3.8	9.9	0.7	100.0
1993	13.4	—	0.04	—	0.6	0.5	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.9	15.9	54.4	14.0	4.0	11.2	0.5	100.0
1994	13.9	—	0.04	—	0.7	0.6	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.8	16.5	53.8	14.9	4.4	10.1	0.4	100.0
1995	14.4	—	0.04	—	0.3	0.5	0.2	—	0.4	0.5	0.2	1.8	16.6	53.2	15.2	4.2	10.6	0.2	100.0
1996	14.9	—	0.03	—	0.8	0.5	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	1.9	17.6	51.8	15.3	4.2	10.7	0.4	100.0
1997	15.3	—	0.03	—	0.9	0.5	—	0.3	0.4	0.4	0.2	1.8	18.0	51.1	15.4	4.3	11.0	0.2	100.0
1998	15.4	—	0.02	—	0.2	0.5	—	0.6	0.4	0.3	0.5	2.3	17.9	51.0	15.4	4.4	11.1	0.3	100.0
1999	15.4	—	0.02	—	1.2	0.6	—	0.8	0.5	0.3	0.5	2.7	19.3	49.8	15.8	4.3	10.6	0.1	100.0
2000	14.8	—	0.01	5.0	1.4	0.6	—	0.9	0.6	0.3	1.0	3.4	24.8	45.2	15.8	3.9	10.2	0.3	100.0
2001	14.6	—	0.01	9.5	1.1	0.7	—	1.1	0.7	0.2	2.1	4.9	30.6	40.2	15.8	3.8	10.0	0.1	100.0
2002	15.1	—	0.01	13.1	1.4	0.7	—	1.3	1.0	0.2	2.6	5.9	36.1	36.1	15.0	4.0	9.3	0.2	100.0
2003	16.9	—	0.01	17.7	0.3	0.8	—	1.5	1.0	0.2	3.0	6.5	42.4	31.7	14.5	4.1	8.3	—	100.0
2004	19.9	3.2	0.01	22.0	0.4	1.0	0.1	1.2	0.9	0.3	3.7	7.3	52.8	21.4	13.5	4.7	7.7	—	100.0
2005	21.1	2.9	0.01	27.8	0.1	1.2	0.1	0.8	0.9	0.2	3.5	6.7	58.7	15.8	12.9	5.2	7.4	0.1	100.0
2006	19.9	2.8	0.01	31.9	—	1.1	0.1	1.0	0.8	0.1	3.1	6.3	60.9	13.7	12.3	5.5	7.6	0.1	100.0
2007	19.6	2.1	0.01	34.3	—	1.0	0.1	1.3	0.7	0.1	2.4	5.6	61.5	11.8	12.1	6.3	8.1	0.1	100.0
2008	22.5	1.7	0.01	32.4	—	0.9	0.1	1.6	0.7	0.1	2.1	5.4	62.1	10.9	12.2	5.9	8.8	0.2	100.0
2009 (संअ)	27.5	1.5	0.01	29.5	—	0.7	0.1	2.1	0.6	0.1	1.7	5.4	63.9	10.1	12.1	5.5	8.4	0.2	100.0
2010 (बअ)	31.6	1.1	—	26.9	0.1	0.6	0.1	2.5	0.5	0.1	1.5	5.3	65.1	9.6	12.1	5.1	8.0	0.2	100.0

संअ: संशोधित अनुमान. बअ: बजट अनुमान.
 नोट : 1. 1997 से 2003 तक, 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में 'जीआइसी से ऋण' और 'जीआइसी से ऋण' भी शामिल हैं। 2004 से, 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में 'अन्य ऋण' शामिल है।
 2. अरुणाचल प्रदेश [2008-09 (संअ) और 2009-10 (बअ)] तथा जम्मू और कश्मीर [2008-09 (संअ) और 2009-10 (बअ)] के लिए आंतरिक ऋण के उम्मीद के अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य संस्थाओं से ऋण' के तहत शामिल किया गया है।
 3. 'आंकड़ा स्रोतों और पद्धति पर व्याख्यात्मक नोट' भी देखें।

परिशिष्ट सारणी 21: राज्य सरकार के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल आबंटन	चुकोती	निवल आबंटन
1	2	3	4
1990-91	2,569	—	2,569
1991-92	3,364	—	3,364
1992-93	3,805	334	3,471
1993-94	4,145	507	3,638
1994-95	5,123	—	5,123
1995-96	6,274	343	5,931
1996-97	6,536	—	6,536
1997-98	7,749	557	7,192
1998-99	12,114	1,414	10,700
1999-00	13,706	1,301	12,405
2000-01	13,300	420	12,880
2001-02	18,707	1,446	17,261
2002-03*	30,853	1,789	29,064
2003-04*	50,521	4,145	46,376
2004-05*	39,101	5,123	33,978
2005-06	21,729	6,274	15,455
2006-07	26,597	6,551	20,046
2007-08 @	80,570	11,555 #	69,015
2008-09 @	1,29,081	14,371	1,14,710
2009-10 @	1,18,697 ^	16,238	1,02,459

—: शून्य.

* : ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए 10,000 करोड़ रुपए, 2003-04 के लिए 26,623 करोड़ रुपये, और 2004-05 के लिए 16, 943 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाजार उधार शामिल हैं।

: उड़ीसा सरकार द्वारा 156 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को छोड़कर।

@ : संघ राज्यक्षेत्र पुदुचेरी शामिल है।

^: आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के लिए सकल आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

परिशिष्ट सारणी 22: राज्य सरकारों के पूंजी व्यय की संरचना

(सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)

	1980-85	1985-90	1990-95	1995-2000	2000-05	2005-10
कुल पूंजी संवितरण (I + II + III + IV)	4.52	3.94	3.17	2.53	3.62	3.54
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	2.03	1.82	1.54	1.36	1.60	2.44
1. विकास (क + ख)	1.98	1.76	1.50	1.31	1.54	2.34
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	0.27	0.28	0.22	0.22	0.30	0.48
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	0.07
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	0.16	0.06	0.04	0.03	0.03	0.07
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	0.09	0.08	0.08	0.14	0.18
5. आवास	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02
6. शहरी विकास	—	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07
7. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	—	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.02	0.01	—	—	—	0.01
9. अन्य *	0.02	0.01	0.01	—	0.02	0.02
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1.71	1.49	1.27	1.09	1.24	1.86
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	0.34	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08
2. ग्रामीण विकास	—	0.02	0.02	0.02	0.09	0.15
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	0.92	0.81	0.59	0.52	0.52	0.76
5. ऊर्जा	0.02	0.12	0.22	0.15	0.21	0.28
6. उद्योग और खनिज	0.11	0.12	0.08	0.04	0.02	0.03
7. परिवहन	0.31	0.27	0.22	0.24	0.28	0.47
8. संचार	—	—	—	—	—	—
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं	—	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.10
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन	0.15	0.12	0.15	0.10	2.04	1.12
III. केन्द्र को ऋण की चुकौती	0.87	0.84	0.57	0.46	0.75	0.20
IV राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1+2)	1.47	1.16	0.91	0.62	0.52	0.30
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	1.39	1.10	0.87	0.57	0.53	0.29
(क) सामाजिक सेवाएं	0.17	0.16	0.14	0.11	0.11	0.10
(ख) आर्थिक सेवाएं	1.22	0.94	0.73	0.46	0.42	0.19
2. गैर विकासात्मक प्रयोजन	0.09	0.06	0.04	0.05	-0.01	0.01

* : सूचना और प्रचार, अन्य सामाजिक सेवाएं, आदि पर परिव्यय शामिल।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 23: सामाजिक क्षेत्र व्यय के प्रमुख घटक

(सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)

	1980-85	1985-90	1990-95	1995-2000	2000-05	2005-10	सीएआरजी
I. राजस्व व्यय (क + ख)	4.3	5.7	5.5	5.1	5.0	5.1	15.1
(क) सामाजिक सेवाएं	4.3	4.9	4.6	4.5	4.5	4.6	14.6
जिसमें से:							
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2.2	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	14.4
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	11.6
जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	12.3
शहरी विकास	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	21.2
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	14.0
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	14.0
पोषाहार	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	20.2
(ख) आर्थिक सेवाएं	—	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	27.4
जिसमें से:							
खाद्य संग्रहण और भण्डारण	—	—	—	0.1	—	—	16.4
ग्रामीण विकास	—	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	13.2
II. कुल पूंजी परिव्यय (क + ख)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	17.8
(क) सामाजिक सेवाएं	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	17.1
जिसमें से:							
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	0.1	18.7
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	0.2	0.1	—	—	—	0.1	10.6
जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	11.6
शहरी विकास	—	—	—	—	—	0.1	26.3
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण	—	—	—	—	—	—	15.5
(ख) आर्थिक सेवाएं	—	—	—	—	0.1	0.2	19.2
खाद्य संग्रहण और भण्डारण	—	—	—	—	—	—	-0.8
ग्रामीण विकास	—	—	—	—	0.1	0.2	29.5
III. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	11.6
सामाजिक सेवाएं	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	10.8
आर्थिक सेवाएं	—	—	—	—	—	—	21.0
सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय (I + II + III)	4.8	6.1	5.8	5.5	5.5	5.8	15.3
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में कुल एसएसई	31.6	38.0	36.8	36.7	32.5	36.1	—

सीएआरजी: वृद्धि की मिश्रित वार्षिक दर।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

राज्य	राजस्व घाटा / सकल राजकोषीय घाटा				पूँजी परिव्यय / सकल राजकोषीय घाटा				निवल ऋण / सकल राजकोषीय घाटा				गैर विकास व्यय / कुल वितरण			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2009-10 (बअ)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2009-10 (बअ)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2009-10 (बअ)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4	7	5	6	7	10	8	9	10	12	11	12	13	13
I. गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	-1.8	-19.8	-14.9	111.3	145.4	131.4	111.3	36.4	31.1	36.4	3.6	21.7	24.4	21.7	22.6	22.6
2. बिहार	-272.3	-45.8	-165.7	254.8	357.9	136.2	254.8	9.6	14.5	9.6	10.9	25.8	30.0	25.8	27.8	27.8
3. छत्तीसगढ़	-2,379.6	-46.5	-31.4	139.2	2,451.6	153.6	139.2	-7.1	49.2	-7.1	-7.7	20.0	20.9	20.0	19.8	19.8
4. गोवा	-30.7	-9.3	25.1	73.2	127.3	107.2	73.2	2.0	3.4	2.0	1.7	28.2	26.6	28.2	33.0	33.0
5. गुजरात	-45.1	-2.6	32.2	65.9	142.5	101.5	65.9	1.1	4.5	1.1	1.9	26.6	32.2	26.6	30.0	30.0
6. हरियाणा	-176.0	-1.5	39.5	46.4	271.1	101.3	46.4	0.6	5.7	0.6	14.2	24.2	24.8	24.2	25.1	25.1
7. झारखंड	23.9	-16.7	6.6	83.4	60.3	104.1	83.4	12.7	15.8	12.7	10.0	28.0	27.4	28.0	31.5	31.5
8. कर्नाटक	-70.8	-8.2	-13.6	125.0	162.2	100.8	125.0	9.5	13.2	9.5	11.0	26.3	23.3	26.3	24.8	24.8
9. केरल	62.0	59.1	53.0	30.1	24.2	26.8	30.1	14.2	13.9	14.2	17.0	39.2	42.7	39.2	38.9	38.9
10. मध्य प्रदेश	-182.8	-59.0	-26.4	105.5	245.5	123.9	105.5	35.2	37.7	35.2	20.9	25.9	26.7	25.9	28.3	28.3
11. महाराष्ट्र	524.8	-26.3	26.8	70.8	-407.3	120.1	70.8	6.2	-17.5	6.2	2.3	26.9	30.5	26.9	29.7	29.7
12. उड़ीसा	320.7	-29.7	39.5	59.9	-214.9	127.3	59.9	2.4	-5.8	2.4	0.7	31.1	32.7	31.1	35.7	35.7
13. पंजाब	83.0	55.6	64.5	36.8	47.6	68.0	36.8	-23.6	-30.6	-23.6	-1.3	43.4	49.2	43.4	47.6	47.6
14. राजस्थान	-48.5	4.3	16.7	81.5	192.3	91.4	81.5	4.3	-43.8	4.3	1.7	30.6	31.5	30.6	29.7	29.7
15. तमिलनाडु	-123.3	-0.1	8.7	85.2	202.5	96.2	85.2	3.8	20.9	3.8	6.2	29.0	29.5	29.0	31.3	31.3
16. उत्तर प्रदेश	-25.0	-20.0	-6.8	103.9	122.9	118.5	103.9	1.5	2.1	1.5	2.9	28.4	31.1	28.4	34.6	34.6
17. पश्चिम बंगाल	71.5	99.9	78.1	18.3	23.6	33.7	18.3	-33.6	5.0	-33.6	3.7	33.4	40.6	33.4	39.9	39.9
कुल I	-46.5	-0.1	18.7	77.4	147.5	100.4	77.4	3.5	8.8	3.5	5.0	28.3	30.8	28.3	30.9	30.9
II. विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	4,684.5	-75.8	31.3	68.6	-4,581.2	173.2	68.6	2.6	-3.3	2.6	0.1	18.6	21.1	18.6	20.1	20.1
2. असम	326.6	-86.6	57.1	42.6	-213.7	182.3	42.6	4.3	-13.0	4.3	0.3	27.3	32.8	27.3	35.6	35.6
3. हिमाचल प्रदेश	-154.1	-17.8	-16.1	117.0	256.3	113.3	117.0	4.5	-2.2	4.5	-0.9	31.6	32.9	31.6	33.4	33.4
4. जम्मू और कश्मीर	-84.9	-144.7	-210.3	307.4	183.4	243.1	307.4	1.5	1.5	1.5	2.8	33.0	35.0	33.0	32.2	32.2
5. मणिपुर	1,190.3	-238.7	-233.0	331.6	-1,084.7	337.4	331.6	1.3	-5.6	1.3	1.4	24.8	28.0	24.8	38.8	38.8
6. मेघालय	-87.6	-416.8	-35.5	132.1	182.9	487.7	132.1	29.0	4.8	29.0	3.4	23.6	29.3	23.6	24.6	24.6
7. मिजोरम	-33.5	-64.3	-83.9	186.2	139.0	167.2	186.2	-2.9	-5.5	-2.9	-2.3	26.0	25.8	26.0	29.3	29.3
8. नागालैंड	-106.7	-51.0	-125.2	225.9	206.8	150.5	225.9	0.5	-0.1	0.5	-0.7	35.2	37.4	35.2	38.7	38.7
9. सिक्किम	-546.1	-171.6	-92.4	188.0	646.7	271.1	188.0	0.5	-0.6	0.5	4.4	42.8	57.8	42.8	45.3	45.3
10. त्रिपुरा	-5,451.6	-98.4	-27.2	125.5	5,569.6	194.5	125.5	3.9	-17.9	3.9	1.6	33.2	37.0	33.2	40.4	40.4
11. उत्तराखंड	-36.5	-38.5	10.3	94.5	128.3	143.4	94.5	1.5	8.3	1.5	9.7	32.7	28.6	32.7	30.8	30.8
कुल II	-201.6	-89.9	-4.6	104.4	296.4	187.9	104.4	2.8	5.2	2.8	1.6	30.0	33.0	30.0	33.7	33.7
सभी राज्य (I+II)	-56.9	-7.3	16.2	80.3	157.5	107.5	80.3	3.5	8.6	3.5	4.6	28.5	31.0	28.5	31.2	31.2
जापन मदें:																
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-251.9	-85.3	-186.7	151.0	184.5	96.4	151.0	88.9	167.5	88.9	135.7	22.9	24.2	22.9	22.9	22.9
2. पुदुचेरी	19.6	64.1	14.1	84.0	83.1	36.2	84.0	-0.2	-2.7	-0.2	1.9	19.5	22.2	19.5	19.7	19.7

(जारी)

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक (समाप्त)

राज्य	व्याज भुगतान / राजस्व व्यय				राज्य का अपना कर राजस्व / राजस्व व्यय				राज्य का अपना गैर कर राजस्व / राजस्व व्यय				सकल अंतरण / सकल संवितरण			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2010-11 (बअ)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2010-11 (बअ)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2010-11 (बअ)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संघ)	2009-10 (बअ)	2010-11 (बअ)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
I. गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	14.1	12.3	11.9	53.3	52.9	53.1	13.1	12.4	16.9	25.6	29.6	27.6				
2. बिहार	15.7	11.5	11.7	21.6	19.3	20.5	2.2	1.3	1.5	73.1	64.9	74.5				
3. छत्तीसगढ़	10.5	7.0	6.0	51.8	40.2	38.9	18.6	12.8	15.2	42.3	43.1	41.2				
4. गोवा	16.1	14.7	12.8	48.9	46.7	41.5	37.5	34.0	30.1	17.8	17.6	20.1				
5. गुजरात	22.3	20.1	18.6	65.3	61.4	55.7	13.7	11.0	10.7	22.0	21.6	20.3				
6. हरियाणा	13.4	10.8	11.6	66.3	65.9	56.7	29.1	17.6	13.9	14.1	13.7	14.8				
7. झारखंड	15.1	13.8	13.3	27.1	32.8	33.2	12.2	14.2	16.9	35.2	42.8	38.3				
8. कर्नाटक	12.1	11.4	11.8	69.5	68.4	69.3	9.0	4.5	4.5	26.3	23.2	23.9				
9. केरल	17.4	16.7	17.0	54.9	55.3	58.5	4.9	4.5	4.7	23.2	26.4	28.5				
10. मध्य प्रदेश	16.4	14.1	13.0	46.9	44.1	42.0	10.7	9.9	10.3	46.7	45.3	44.7				
11. महाराष्ट्र	18.8	15.7	14.9	73.4	63.7	53.0	26.2	13.3	14.4	19.2	22.5	21.2				
12. उड़ीसा	17.9	16.6	15.9	38.7	29.5	28.4	15.0	10.0	7.8	54.9	57.1	52.8				
13. पंजाब	19.6	18.2	17.6	42.9	43.2	46.4	22.8	25.3	17.9	17.0	14.9	13.9				
14. राजस्थान	20.4	18.0	17.0	45.6	43.7	42.2	13.9	11.1	13.3	36.8	36.5	33.8				
15. तमिलनाडु	14.2	10.9	10.7	68.9	62.3	65.1	7.7	10.2	5.7	27.6	24.1	25.0				
16. उत्तर प्रदेश	16.6	13.9	12.6	38.3	36.0	36.0	8.9	10.3	6.1	43.8	44.1	46.3				
17. पश्चिम बंगाल	29.7	23.1	21.9	34.3	30.3	32.3	3.8	10.0	4.5	34.8	31.0	29.2				
कुल I	17.5	14.9	14.3	52.4	48.4	47.0	13.1	11.0	10.1	32.5	32.8	32.5				
II. विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	6.9	7.8	7.0	4.3	3.4	3.0	29.1	10.4	8.8	73.5	68.2	62.9				
2. असम	11.9	8.9	7.2	26.4	18.9	13.8	16.7	10.5	7.0	64.5	64.9	48.9				
3. हिमाचल प्रदेश	20.5	19.4	20.0	23.6	23.7	26.4	22.0	14.7	15.8	51.0	48.9	47.1				
4. जम्मू और कश्मीर	17.4	12.9	11.7	19.7	21.6	20.4	8.4	9.1	8.3	65.3	64.0	67.6				
5. मणिपुर	13.0	11.2	11.0	6.4	5.7	6.0	7.2	6.9	6.9	86.1	76.1	80.0				
6. मेघालय	8.4	7.2	6.9	14.2	12.1	11.2	8.8	6.2	6.7	69.5	78.7	69.2				
7. मिजोरम	10.9	9.3	8.5	4.1	3.8	4.1	6.8	6.6	6.4	72.0	76.9	78.5				
8. नागालैंड	10.5	10.8	12.0	5.1	4.8	4.9	4.6	5.2	5.2	76.7	71.4	75.3				
9. सिक्किम	5.0	5.9	6.6	8.4	6.8	6.9	60.2	49.9	45.7	38.8	47.8	46.4				
10. त्रिपुरा	14.2	11.4	9.1	13.3	13.1	12.8	4.1	3.9	3.7	83.8	70.6	64.4				
11. उत्तराखंड	15.1	15.8	13.5	37.8	37.4	31.6	9.2	8.1	12.8	45.1	46.8	43.4				
कुल II	14.1	11.9	10.6	20.7	18.9	16.9	14.9	10.8	9.9	62.7	62.3	56.9				
सभी राज्य (I+II)	17.2	14.6	13.9	49.3	45.4	43.8	13.3	10.9	10.0	35.5	35.9	35.2				
जापन में:																
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	25.6	20.3	20.0	120.6	101.0	99.1	18.6	17.6	18.8	7.2	6.2	12.8				
2. पुदुचेरी	9.9	8.3	9.4	29.7	23.0	28.4	28.4	18.5	31.5	36.5	32.6	31.3				

संघ: संशोधित अनुमान. बअ: बजट अनुमान. ँ: शून्य/ नाण्य / लागू नहीं.
 नोट : 1. ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।
 2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
 स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 3: पारंपरिक घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08 (लेखा)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	सकल प्राप्तियां	कुल खर्च	पारंपरिक अधिशेष(-)/ घाटा(+)	5	सकल प्राप्तियां	कुल खर्च	पारंपरिक अधिशेष(-)/ घाटा(+)	6	7 =6-5	8	9	10 =9-8
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 =6-5	8	9	10 =9-8			
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	77,909	74,875	-3,034	90,273	90,228	-46	-46	1,00,990	-46			
2. बिहार	32,444	31,573	-871	41,276	45,508	4,232	4,232	47,446	4,232			-440
3. छत्तीसगढ़	15,348	15,029	-319	20,030	20,234	204	204	22,820	204			287
4. गोवा	3,583	3,559	-24	4,524	4,881	357	357	5,719	357			477
5. गुजरात	45,959	42,681	-3,278	50,216	52,800	2,584	2,584	57,417	2,584			-48
6. हरियाणा	21,301	22,079	779	26,683	26,826	143	143	32,445	143			2,632
7. झारखंड	16,210	18,360	2,149	18,452	20,641	2,190	2,190	22,992	2,190			1,979
8. कर्नाटक	45,846	48,031	2,185	54,131	54,178	47	47	61,064	47			86
9. केरल	28,626	28,692	66	32,810	32,990	180	180	36,031	180			82
10. मध्य प्रदेश	34,549	35,265	716	41,835	42,239	404	404	48,735	404			-336
11. महाराष्ट्र	83,091	80,240	-2,851	1,01,842	1,02,557	715	715	1,19,762	1,18,739			1,024
12. उड़ीसा	23,413	22,844	-568	31,865	31,375	-490	-490	32,798	31,345			1,453
13. पंजाब	26,839	26,519	-320	31,711	32,812	1,101	1,101	35,684	33,101			2,583
14. राजस्थान	40,385	37,757	-2,627	44,076	43,459	-617	-617	49,737	48,133			1,605
15. तमिलनाडु	56,846	55,748	-1,098	69,057	68,297	-760	-760	73,628	72,529			1,099
16. उत्तर प्रदेश	87,016	87,304	288	1,04,965	1,09,185	4,220	4,220	1,21,597	1,21,718			-121
17. पश्चिम बंगाल	47,431	46,644	-787	63,182	63,608	426	426	70,922	67,920			3,002
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	3,682	3,068	-614	4,405	4,874	469	469	4,571	3,877			694
2. असम	16,409	15,150	-1,259	26,615	26,389	-226	-226	34,936	26,567			8,369
3. हिमाचल प्रदेश	12,057	10,614	-1,444	12,685	12,931	245	245	13,075	12,917			158
4. जम्मू और कश्मीर	17,046	17,046	0	18,785	18,750	-35	-35	22,378	22,314			64
5. मणिपुर	4,186	3,720	-466	4,572	4,742	170	170	4,529	4,373			156
6. मेघालय	2,900	2,771	-129	4,137	3,973	-163	-163	4,582	4,328			254
7. मिजोरम	2,792	2,559	-232	3,206	3,199	-6	-6	3,487	3,700			-213
8. नागालैंड	3,574	3,563	-11	4,142	4,389	247	247	4,777	4,754			23
9. सिक्किम	3,067	2,820	-248	3,405	3,395	-10	-10	3,533	3,432			101
10. त्रिपुरा	3,553	3,835	282	4,394	5,122	728	728	6,084	5,311			773
11. उत्तराखंड	9,673	9,975	302	10,793	10,841	48	48	14,037	14,014			23
सभी राज्य	7,65,735	7,52,324	-13,410	9,24,066	9,40,423	16,357	16,357	10,55,778	10,30,057			25,721
जायज मदें:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15,890	18,160	2,270	16,497	21,118	4,621	4,621	23,043	19,418			3,625
2. पुद्दुचेरी	3,257	2,588	-669	3,777	3,681	-97	-97	4,108	4,304			-196

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 4: सकल राजकोषीय घाटा / अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08 (लेखा)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	प्राप्तियां	खर्च	अधिशेष(-)/ घाटा(+)	प्राप्तियां	खर्च	अधिशेष(-)/ घाटा(+)	प्राप्तियां	खर्च	अधिशेष(-)/ घाटा(+)
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 =6-5	8	9	10 =9-8
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	60,700	69,487	8,787	74,686	85,113	10,428	78,964	95,115	16,152
2. बिहार	28,210	29,915	1,705	36,317	43,811	7,494	41,837	45,533	3,696
3. छत्तीसगढ़	13,906	14,033	128	16,778	19,034	2,256	18,897	21,462	2,564
4. गोवा	2,944	3,485	541	3,806	4,702	896	4,137	5,525	1,389 *
5. गुजरात	35,785	40,556	4,771	39,684	50,043	10,360	41,815	53,963	12,148
6. हरियाणा	19,761	21,025	1,264	21,785	25,493	3,708	22,452	31,010	8,557
7. झारखंड	11,612	17,829	6,217	16,107	19,859	3,751	17,936	22,168	4,232
8. कर्नाटक	41,397	46,728	5,331	43,018	52,375	9,357	50,289	58,783	8,493
9. केरल	21,114	27,215	6,100	25,063	31,378	6,315	28,155	33,835	5,681
10. मध्य प्रदेश	30,700	33,483	2,784	34,949	40,321	5,372	39,961	46,397	6,436
11. महाराष्ट्र	79,583	76,762	-2,821	82,870	99,090	16,220	89,061	115,623	26,562
12. उड़ीसा	21,967	20,644	-1,323	26,810	29,371	2,561	26,550	32,554	6,004
13. पंजाब	19,238	23,841	4,604	22,919	29,775	6,856	24,072	33,732	9,660
14. राजस्थान	30,782	34,190	3,408	34,383	40,932	6,549	38,268	46,688	8,420
15. तमिलनाडु	47,521	51,206	3,686	55,410	64,658	9,248	58,271	70,095	11,823
16. उत्तर प्रदेश	68,672	82,467	13,794	85,146	105,703	20,557	94,440	1,17,739	23,299
17. पश्चिम बंगाल	30,167	41,588	11,400	40,777	53,471	12,694	42,312	65,296	22,984
II. श्रेणी विशेष									
1. अरुणाचल प्रदेश	3,003	2,987	-16	3,682	4,697	1,015	3,257	4,375	1,118
2. असम	15,325	14,535	-790	23,307	25,484	2,177	23,064	33,928	10,864
3. हिमाचल प्रदेश	9,142	9,693	552	10,051	11,915	1,864	10,478	12,070	1,592
4. जम्मू और कश्मीर	13,901	16,510	2,609	15,811	18,136	2,325	19,362	21,567	2,205
5. मणिपुर	3,508	3,406	-102	3,948	4,421	473	4,005	4,412	407
6. मेघालय	2,441	2,656	214	3,703	3,828	125	3,806	4,421	614
7. मिजोरम	2,040	2,431	392	2,702	3,073	372	3,009	3,221	212
8. नागालैंड	2,996	3,393	397	3,443	4,164	721	3,910	4,501	591
9. सिक्किम	2,699	2,764	64	2,972	3,317	345	2,989	3,446	457
10. त्रिपुरा	3,698	3,715	17	4,198	4,954	756	4,614	5,891	1,277
11. उत्तराखंड	7,891	9,633	1,742	8,854	10,411	1,557	11,248	13,319	2,071
सभी राज्य	6,30,703	7,06,157	75,455	7,43,179	8,89,528	1,46,349	8,07,159	10,06,669	1,99,510
जापन मंदें:									
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	14,912	16,953	2,041	16,015	20,250	4,235	19,099	21,989	2,890
2. पुदुचेरी	2,136	2,467	331	2,438	3,553	1,115	3,067	3,968	901

* : 24 जुलाई 2009 के गोवा सरकार के 2009-10 के अतिरिक्त बजट भाषण के अनुसार, वर्ष 2009-10 के लिए जीएफडी 482.54 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उसके ब्यौरेवार अलग-अलग अंकित उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण जीएफडी के अंकित उक्त आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाएंगे।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे के अपघटन

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08 (लेखा)					2008-09 (संशोधित अनुमान)					2009-10 (बजट अनुमान)				
	राजस्व घाटा	पूँजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण प्राप्तियाँ	सराधा 6(±+3+ 4-5)	7	8	पूँजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण प्राप्तियाँ	सराधा 11(±+8 +9-10)	12	पूँजी परिव्यय	निवल ऋण	गैर ऋण प्राप्तियाँ
1	2	3	4	5	6(±+3+ 4-5)	7	8	9	10	11(±+8 +9-10)	12	13	14	15	16(±2+ 13+14-15)
I. गैर विशेष श्रेणी															
1. आंध्र प्रदेश	-159	12,774	2,730	6,558	8,787	-2,067	13,697	3,797	5,000	10,428	-2,407	17,977	581	-	16,152
2. बिहार	-4,645	6,104	247	-	1,705	-3,435	10,210	718	-	7,494	-6,122	9,417	401	-	3,696
3. छत्तीसगढ़	-3,039	3,131	63	27	128	-1,049	3,465	-161	-	2,256	-806	3,569	-199	-	2,564
4. गोवा	-166	689	18	-	541	-83	961	18	-	896	348	1,017	23	-	1,389
5. गुजरात	-2,150	6,801	215	95	4,771	-269	10,517	112	-	10,360	3,913	8,006	229	-	12,148
6. हरियाणा	-2,224	3,426	72	10	1,264	-55	3,755	23	14	3,708	3,384	3,973	1,216	15	8,557
7. झारखंड	1,484	3,748	985	-	6,217	-628	3,903	476	-	3,751	277	3,531	424	-	4,232
8. कर्नाटक	-3,776	8,649	705	246	5,331	-767	9,435	889	200	9,357	-1,151	10,613	932	1,900	8,493
9. केरल	3,785	1,475	848	8	6,100	3,729	1,692	894	-	6,315	3,008	1,710	963	1	5,681
10. मध्य प्रदेश	-5,088	6,833	1,050	11	2,784	-3,170	6,653	1,889	-	5,372	-1,699	6,793	1,342	-	6,436
11. महाराष्ट्र	-14,803	11,490	493	-	-2,821	-4,263	19,484	999	-	16,220	7,123	18,816	622	-	26,562
12. उड़ीसा	-4,244	2,843	77	-	-1,323	-760	3,260	61	-	2,561	2,369	3,594	41	-	6,004
13. पंजाब	3,823	2,192	-1,411	-	4,604	3,812	4,664	-1,620	-	6,856	6,234	3,550	-124	-	9,660
14. राजस्थान	-1,653	6,556	-1,493	1	3,408	283	5,986	281	-	6,549	1,409	8,864	147	-	8,420
15. तमिलनाडु	-4,545	7,462	769	-	3,686	-8	8,900	356	-	9,248	1,024	10,072	727	-	11,823
16. उत्तर प्रदेश	-3,449	16,950	293	-	13,794	-4,106	24,354	309	-	20,557	-1,573	24,205	667	-	23,299
17. पश्चिम बंगाल	8,147	2,688	565	-	11,400	12,678	4,278	-4,262	-	12,694	17,940	4,196	848	-	22,984
II. विशेष श्रेणी															
1. अरुणाचल प्रदेश	-743	727	1	-	-16	-770	1,758	26	-	1,015	350	767	1	-	1,118
2. असम	-2,581	1,688	103	-	-790	-1,886	3,969	94	-	2,177	6,206	4,625	33	-	10,864
3. हिमाचल प्रदेश	-850	1,413	-12	-	552	-331	2,111	84	-	1,864	-257	1,863	-15	-	1,592
4. जम्मू और कश्मीर	-2,216	4,785	39	-	2,609	-3,364	5,653	36	-	2,325	-4,636	6,779	62	-	2,205
5. मणिपुर	-1,216	1,108	6	-	-102	-1,128	1,595	6	-	473	-949	1,350	6	-	407
6. मेघालय	-188	392	10	-	214	-522	611	36	-	125	-218	812	21	-	614
7. मिजोरम	-131	544	-21	-	392	-239	621	-11	-	372	-178	394	-5	-	212
8. नागालैंड	-424	821	-	-	397	-368	1,085	4	-	721	-740	1,335	-4	-	591
9. सिक्किम	-351	415	-	-	64	-592	935	2	-	345	-422	859	20	-	457
10. त्रिपुरा	-904	924	-3	-	17	-743	1,469	30	-	756	-347	1,604	21	-	1,277
11. उत्तराखंड	-637	2,235	144	-	1,742	-600	2,233	24	100	1,557	213	1,957	201	300	2,071
सभी राज्य	-42,943	1,18,862	6,491	6,955	75,455	-10,701	1,57,254	5,109	5,314	1,46,349	32,295	1,60,247	9,184	2,216	1,99,510
जाफ़ा करें:															
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-5,142	3,764	3,418	-	2,041	-3,612	4,082	3,765	-	4,235	-5,396	4,364	3,922	-	2,890
2. पुदुचेरी	65	275	-9	-	331	714	403	-3	-	1,115	127	757	17	-	901

सराधा: सकल राजकोषीय घाटा.

नोट : 1. ऋणात्मक (-) संकेत घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

1. शून्य/ नापण्य.

विवरण 6: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2007-08 (लेखा)

राज्य	बाजार उधार	केन्द्र एण्ड एक्साएफ़ से ऋण	4	5	6	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	उत्तल और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+) (स्तंभ 12 के प्रति स्तंभ 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	5,642	-43	184	522	757	252	3,416	131	943	18	-3,034	8,787
2. बिहार	-780	40	662	267	268	-45	1,700	54	618	-209	-871	1,705
3. छत्तीसगढ़	-157	-167	37	-10	52	181	442	149	-79	0	-319	128
4. गोवा	-30	90	-16	-8	89	-	69	90	51	231	-24	541
5. गुजरात	6,137	-345	424	684	436	15	1,353	-428	3	-231	-3,278	4,771
6. हरियाणा	-254	-44	50	111	299	15	185	-31	14	140	779	1,264
7. झारखंड	1,605	-139	390	826	218	-	-162	1	-20	1,347	2,149	6,217
8. कर्नाटक	287	357	209	180	748	750	-82	1,498	-829	7	2,185	5,331
9. केरल	3,634	161	107	434	1,324	-80	492	119	49	-204	66	6,100
10. मध्य प्रदेश	1,337	102	128	517	193	-134	274	-17	58	-390	716	2,784
11. महाराष्ट्र	7,743	-83	1,475	207	685	-11,717	1,876	199	-72	-284	-2,851	-2,821
12. उड़ीसा	-886	-343	-106	174	400	-86	83	23	50	-63	-568	-1,323
13. पंजाब	3,794	71	463	-265	636	303	65	-36	12	-120	-320	4,604
14. राजस्थान	3,233	46	-223	293	1,118	1,099	557	-2	-14	-73	-2,627	3,408
15. तमिलनाडु	4,127	469	-782	591	383	130	138	161	-130	-303	-1,098	3,686
16. उत्तर प्रदेश	2,628	-821	1,423	1,025	2,451	3,247	2,683	654	273	-57	288	13,794
17. पश्चिम बंगाल	10,740	-277	589	-22	319	-279	789	472	133	-278	-787	11,400
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	185	-16	98	62	85	-90	101	190	-	-17	-614	-16
2. असम	545	-67	-9	125	318	161	-562	-46	34	-31	-1,259	-790
3. हिमाचल प्रदेश	1,322	-5	135	102	540	260	-	183	58	-600	-1,444	552
4. जम्मू और कश्मीर	1,402	403	208	300	509	131	-309	49	-	-85	-	2,609
5. मणिपुर	193	-237	200	1	52	4	133	-90	111	-4	-466	-102
6. मेघालय	147	-15	9	23	46	-9	195	-35	-1	-17	-129	214
7. मिजोरम	129	-7	-1	8	172	8	37	281	27	-29	-232	392
8. नागालैंड	290	-15	-	8	13	5	75	24	-42	52	-11	397
9. सिक्किम	224	-8	-2	18	14	21	4	31	18	-9	-248	64
10. त्रिपुरा	-45	-25	5	30	57	-4	-131	-25	-98	-28	282	17
11. उत्तराखंड	733	-16	195	98	155	-60	142	138	86	-31	302	1,742
सभी राज्य	53,925	-933	5,853	6,300	12,338	-5,923	13,581	3,738	1,254	-1,268	-13,411	75,455
जापन मंद:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-229	-	-	-	-	-	-	-	2,270	2,041
2. पुदुचेरी	-	-14	-7	-	252	-	187	245	-	337	-669	331

“: शून्य/ नाण्य.

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।.

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 'आंतरिक ऋण का उम्मीदन' के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। अतः उसे 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तपोषण मंदे 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।

3. 'अन्य' के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 7: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2007-08 (लेखा)

राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	केन्द्र एनएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, साबई, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	उत्पन्न और विविध	वित्तपोषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 12 के प्रति स्तंभ 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	64.2	-0.5	2.1	5.9	8.6	2.9	38.9	1.5	10.7	0.2	-34.5	100.0
2. बिहार	-45.7	2.3	38.8	15.7	15.7	-2.6	99.7	3.2	36.3	-12.3	-51.1	100.0
3. छत्तीसगढ़	-123.0	-130.8	28.8	-7.9	40.3	142.1	345.9	116.3	-61.6	-0.2	-249.9	100.0
4. गोवा	-5.6	16.7	-3.0	-1.5	16.5	-0.1	12.8	16.6	9.4	42.7	-4.4	100.0
5. गुजरात	128.6	-7.2	8.9	14.3	9.1	0.3	28.4	-9.0	0.1	-4.8	-68.7	100.0
6. हरियाणा	-20.1	-3.5	4.0	8.8	23.7	1.2	14.6	-2.4	1.1	11.1	61.6	100.0
7. झारखंड	25.8	-2.2	6.3	13.3	3.5	-	-2.6	0.0	-0.3	21.7	34.6	100.0
8. कर्नाटक	5.4	6.7	3.9	3.4	14.0	14.1	-1.2	28.1	-15.5	0.1	41.0	100.0
9. केरल	59.6	2.6	1.7	7.1	21.7	-1.3	8.1	1.9	0.8	-3.3	1.1	100.0
10. मध्य प्रदेश	48.0	3.7	4.6	18.6	6.9	-4.8	9.8	-0.6	2.1	-14.0	25.7	100.0
11. महाराष्ट्र	-274.5	3.0	-52.3	-7.3	-24.3	415.4	-66.5	-7.0	2.5	10.1	101.0	100.0
12. उड़ीसा	67.0	25.9	8.0	-13.2	-30.2	6.5	-6.3	-1.7	-3.8	4.7	43.0	100.0
13. पंजाब	82.4	1.6	10.1	-5.8	13.8	6.6	1.4	-0.8	0.3	-2.6	-6.9	100.0
14. राजस्थान	94.8	1.4	-6.5	8.6	32.8	32.3	16.3	-0.1	-0.4	-2.1	-77.1	100.0
15. तमिलनाडु	112.0	12.7	-21.2	16.0	10.4	3.5	3.7	4.4	-3.5	-8.2	-29.8	100.0
16. उत्तर प्रदेश	19.1	-6.0	10.3	27.8	17.8	23.5	19.5	4.7	2.0	-0.4	2.1	100.0
17. पश्चिम बंगाल	94.2	-2.4	5.2	-0.6	2.8	-2.4	6.9	4.1	1.2	-2.4	-6.9	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-1,163.7	101.5	-620.0	-392.4	-533.5	565.2	-634.4	-1,197.1	1.2	106.7	3,866.5	100.0
2. असम	-68.9	8.5	1.1	-15.8	-40.2	47.1	71.1	5.8	-4.3	3.9	159.3	100.0
3. झिमाचल प्रदेश	239.7	-0.9	24.4	18.5	98.0	-20.4	-	33.1	10.5	-108.8	-261.7	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	53.7	15.5	8.0	11.5	19.5	5.0	-11.9	1.9	-	-3.3	-	100.0
5. मणिपुर	-188.7	231.8	-195.7	-1.4	-51.3	-3.8	-130.0	87.8	-108.8	4.1	456.1	100.0
6. मेघालय	68.9	-6.9	4.1	10.7	21.4	-4.4	90.8	-16.2	-0.5	-7.7	-60.3	100.0
7. मिजोरम	32.9	-1.8	-0.3	1.9	44.0	2.0	9.3	71.8	6.8	-7.3	-59.4	100.0
8. नागालैंड	72.9	-3.8	-	2.0	3.3	1.2	18.9	5.9	-10.6	13.0	-2.8	100.0
9. सिक्किम	349.0	-11.7	-2.4	28.1	21.8	32.7	5.6	48.8	27.9	-14.2	-385.4	100.0
10. त्रिपुरा	-274.3	-149.3	29.4	178.0	344.4	-26.5	-789.3	-152.2	-591.9	-167.0	1,698.6	100.0
11. उत्तराखंड	42.1	-0.9	11.2	5.6	8.9	-3.5	8.2	7.9	4.9	-1.8	17.3	100.0
सभी राज्य	71.5	-1.2	7.8	8.3	16.4	-7.8	18.0	5.0	1.7	-1.7	-17.8	100.0
जापन मंटे:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-11.2	-	-	-	-	-	-	-	111.2	100.0
2. पुदुचेरी	-	-4.2	-2.1	-	76.1	-	56.3	74.1	-	101.7	-201.8	100.0

‘-’: शून्य/ नाण्य. संअ: संशोधित अनुमान.

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 'आंतरिक ऋण का उन्मोचन' के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तपोषण मंटे 'अन्य' को छोड़कर निम्न आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 8: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (संअ)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबाई, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	उर्ध्वत और विविध	विशेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 12 के प्रति स्तंभ 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	7,561	381	663	1,200	870	-378	865	-	-	-689	-46	10,428
2. बिहार	1,953	-397	943	551	350	-	95	-	-	-234	4,232	7,494
3. छत्तीसगढ़	993	182	228	547	40	85	30	-5	-	-48	204	2,256
4. गोवा	-96	33	-27	-7	30	-	16	-	-	590	357	896
5. गुजरात	7,950	-284	-645	1,114	225	-	-	-225	-	-358	2,584	10,360
6. हरियाणा	3,172	-78	-86	278	350	9	-52	-145	-	118	143	3,708
7. झारखंड	425	-165	436	209	257	-	154	11	114	121	2,190	3,751
8. कर्नाटक	7,845	-65	22	369	1,114	-	-	30	-	-6	47	9,357
9. केरल	4,679	678	-115	593	419	-14	179	3	-181	-105	180	6,315
10. मध्य प्रदेश	3,791	888	-45	556	164	404	-298	5	-62	-435	404	5,372
11. महाराष्ट्र	16,966	348	428	764	780	22	1,353	-4,759	-100	-298	715	16,220
12. उड़ीसा	847	946	45	540	600	-	139	-3	280	-344	-490	2,561
13. पंजाब	4,646	51	-213	-286	741	355	468	129	-11	-125	1,101	6,856
14. राजस्थान	5,556	59	-434	425	1,347	-45	325	-1	-	-67	-617	6,549
15. तमिलनाडु	8,310	907	-172	709	603	-19	52	-116	5	-271	-760	9,248
16. उत्तर प्रदेश	7,099	-698	463	465	4,590	1,300	2,194	1,428	-	-503	4,220	20,557
17. पश्चिम बंगाल	11,544	-307	607	-14	359	49	300	-	-	-269	426	12,694
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	156	22	40	86	96	14	27	161	40	-96	469	1,015
2. असम	2,015	-102	12	162	350	-	-	-	-	-32	-226	2,177
3. हिमाचल प्रदेश	1,630	-56	101	191	300	-	-	-	-	-547	245	1,864
4. जम्मू और कश्मीर	1,264	-108	453	365	581	195	-327	106	-	-168	-35	2,325
5. मणिपुर	249	-230	233	3	29	-	-21	30	13	-2	170	473
6. मेघालय	186	-12	29	42	55	-	-1	6	-1	-16	-163	125
7. मिजोरम	126	-2	-2	-	100	35	43	36	50	-8	-6	372
8. नागालैंड	357	-21	-1	47	6	-	13	-	-	75	247	721
9. सिक्किम	329	-14	-2	41	16	-10	2	-	-	-7	-10	345
10. त्रिपुरा	78	-26	-16	58	10	-1	-26	5	-19	-35	728	756
11. उत्तराखंड	823	-9	114	139	218	29	135	25	-	34	48	1,557
सभी राज्य	1,00,452	1,921	3,056	9,143	14,602	2,028	5,665	-3,280	130	-3,726	16,357	1,46,349
जागतिक मंदें:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-386	-	-	-	-	-	-	-	4621	4,235
2. पुदुचेरी	-	-38	-12	-	40	12	27	148	-	1,035	-97	1,115

संअ: संशोधित अनुमान.

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 'आंतरिक ऋण का उन्मोचन' के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तपोषण मंदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 9: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रूप में - 2008-09 (संअ)

राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबाई, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उत्तल और विविध	वित्तपोषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 12 के प्रति स्तंभ 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	72.5	3.7	6.4	11.5	8.3	-3.6	8.3	-	-	-6.6	-0.4	100.0
2. बिहार	26.1	-5.3	12.6	7.4	4.7	-	1.3	-	-	-3.1	56.5	100.0
3. छत्तीसगढ़	44.0	8.1	10.1	24.3	1.8	3.7	1.3	-0.2	-	-2.1	9.1	100.0
4. गोवा	-10.7	3.7	-3.0	-0.8	3.3	-	1.7	-	-	65.9	39.9	100.0
5. गुजरात	76.7	-2.7	-6.2	10.7	2.2	-	-	-2.2	-	-3.5	24.9	100.0
6. हरियाणा	85.5	-2.1	-2.3	7.5	9.5	0.2	-1.4	-3.9	-	3.2	3.9	100.0
7. झारखंड	11.3	-4.4	11.6	5.6	6.9	-	4.1	0.3	3.0	3.2	58.4	100.0
8. कर्नाटक	83.8	-0.7	0.2	3.9	11.9	-	-	0.3	-	-0.1	0.5	100.0
9. केरल	74.1	10.7	-1.8	9.4	6.6	-0.2	2.8	-	-2.9	-1.7	2.8	100.0
10. मध्य प्रदेश	70.6	16.5	-0.8	10.3	3.0	7.5	-5.6	-	-1.2	-8.1	7.5	100.0
11. महाराष्ट्र	104.6	2.1	2.6	4.7	4.8	0.1	8.3	-29.3	-0.6	-1.8	4.4	100.0
12. उड़ीसा	33.1	36.9	1.8	21.1	23.4	-	5.4	-0.1	11.0	-13.4	-19.1	100.0
13. पंजाब	67.8	0.7	-3.1	-4.2	10.8	5.2	6.8	1.9	-0.2	-1.8	16.1	100.0
14. राजस्थान	84.8	0.9	-6.6	6.5	20.6	-0.7	5.0	-	-	-1.0	-9.4	100.0
15. तमिलनाडु	89.9	9.8	-1.9	7.7	6.5	-0.2	0.6	-1.3	0.1	-2.9	-8.2	100.0
16. उत्तर प्रदेश	34.5	-3.4	2.3	2.3	22.3	6.3	10.7	6.9	-	-2.4	20.5	100.0
17. पश्चिम बंगाल	90.9	-2.4	4.8	-0.1	2.8	0.4	2.4	-	-	-2.1	3.4	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	15.4	2.2	3.9	8.4	9.5	1.4	-	15.9	4.0	-9.5	46.2	100.0
2. असम	92.5	-4.7	0.5	7.4	16.1	-	-	-	-	-1.5	-10.4	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	87.5	-3.0	5.4	10.2	16.1	-	-	-	-	-29.3	13.2	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	54.4	-4.6	19.5	15.7	25.0	8.4	-14.1	4.5	-	-7.2	-1.5	100.0
5. मणिपुर	52.6	-48.8	49.3	0.6	6.1	-	-4.5	6.3	2.9	-0.5	36.0	100.0
6. मेघालय	148.7	-9.7	23.1	33.6	44.2	-	-0.8	4.8	-0.8	-12.6	-130.4	100.0
7. मिजोरम	34.0	-0.6	-0.7	-	27.0	9.3	11.7	9.7	13.5	-2.1	-1.7	100.0
8. नागालैंड	49.5	-2.9	-0.2	6.5	0.8	-	1.8	-	-	10.4	34.2	100.0
9. सिक्किम	95.4	-4.0	-0.6	11.8	4.7	-3.0	0.5	-	-	-2.0	-2.9	100.0
10. त्रिपुरा	10.3	-3.5	-2.2	7.6	1.3	-0.1	-3.4	0.6	-2.5	-4.6	96.3	100.0
11. उत्तराखंड	52.9	-0.6	7.3	8.9	14.0	1.9	8.7	1.6	-	2.2	3.1	100.0
सभी राज्य	68.6	1.3	2.1	6.2	10.0	1.4	3.9	-2.2	0.1	-2.5	11.2	100.0
जापन मदें:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-9.1	-	-	-	-	-	-	0.0	109.1	100.0
2. पुदुचेरी	-	-3.4	-1.1	-	3.6	1.1	2.4	13.3	-	92.9	-8.7	100.0

सं: शून्य/ नापथ्य. संअ: संशोधित अनुमान.

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 'आंतरिक ऋण का उम्मेद' के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तपोषण मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 10 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2009-10 (बअ)

(करोड़ रुपए)											
राज्य	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एनएसएफएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबाई, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भाविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधियां	जमा और अग्रिम	उत्तल और विविध	विप्रेषण	अन्य	कुल अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 12 के प्रति स्तंभ 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											
I. नौ विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	14,472	1,662	484	47	957	-434	341	-	-	-1,332	-46
2. बिहार	1,721	930	633	635	351	-	95	-	-	-228	-440
3. छत्तीसगढ़	1,299	175	94	515	34	101	114	-	-	-55	287
4. गोवा	-82	202	-49	-6	30	-	16	-	-	802	477
5. गुजरात	11,164	-384	-569	1,228	1,250	-	-	-	-	-495	-48
6. हरियाणा	3,284	487	-172	254	1,486	9	-55	163	-	469	2,632
7. झारखंड	383	-186	488	557	135	-	553	27	-161	456	1,979
8. कर्नाटक	6,061	532	86	476	1,225	-	-	33	-	-6	86
9. केरल	1,446	1,174	2,417	553	138	5	145	2	-176	-105	82
10. मध्य प्रदेश	4,946	1,337	105	422	157	69	121	5	-75	-317	-336
11. महाराष्ट्र	18,579	805	437	518	1,772	194	3,578	3	-50	-298	1,024
12. उड़ीसा	1,890	1,201	250	718	285	-	-282	-25	395	120	1,453
13. पंजाब	5,552	168	-572	-359	822	310	468	829	-11	-130	2,583
14. राजस्थान	6,716	151	-704	355	1,505	-1,512	371	-1	-	-66	1,605
15. तमिलनाडु	7,798	1,793	-223	839	727	16	139	-91	5	-278	1,099
16. उत्तर प्रदेश	9,306	-199	1,514	1,117	6,744	3,205	3,038	-772	-	-533	-121
17. पश्चिम बंगाल	14,000	-240	4,162	-19	1,129	45	967	-	-	-62	3,002
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	57	21	40	60	105	15	28	169	42	-113	694
2. असम	2,164	-111	-48	140	385	-	-	-	-	-34	8,369
3. हिमाचल प्रदेश	1,351	-56	129	68	400	-	-	-	-	-458	158
4. जम्मू और कश्मीर	818	-148	453	-	918	385	-361	36	-	40	64
5. मणिपुर	260	-31	-	2	20	-	-31	10	21	-1	156
6. मेघालय	224	-9	33	66	97	-	-21	5	-19	-14	254
7. मिजोरम	25	7	-4	15	59	24	43	36	50	169	-213
8. नागालैंड	426	-13	9	70	1	-	15	-	-	61	23
9. सिक्किम	303	-14	-2	39	16	1	4	-	-	8	101
10. त्रिपुरा	254	-21	-9	78	199	-	18	-	20	-34	773
11. उत्तराखंड	1,067	58	45	73	671	120	49	3	-38	-1	23
सभी राज्य	1,15,484	9,291	9,026	8,462	21,617	2,554	9,354	433	3	-2,435	25,721
समग्र मूल्य:											1,99,510
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-735	-	-	-	-	-	-	-	3,625
2. पुदुचेरी	-	20	-19	-	42	3	24	127	-	900	-196

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।
2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 'आंतरिक ऋण का उम्मेदन' के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तपोषण में 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं है।
3. 'अन्य' के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 12: विकास व्यय*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	51,153	65,442	72,199	27.9	10.3
2. बिहार	20,456	32,064	32,386	56.7	1.0
3. छत्तीसगढ़	10,782	15,202	17,214	41.0	13.2
4. गोवा	2,544	3,337	3,655	31.2	9.5
5. गुजरात	26,887	36,083	36,904	34.2	2.3
6. हरियाणा	15,420	19,162	23,046	24.3	20.3
7. झारखंड	12,819	14,045	14,934	9.6	6.3
8. कर्नाटक	33,642	35,708	41,006	6.1	14.8
9. केरल	12,912	16,261	17,412	25.9	7.1
10. मध्य प्रदेश	22,597	27,710	30,162	22.6	8.8
11. महाराष्ट्र	52,064	70,704	79,457	35.8	12.4
12. उड़ीसा	13,174	19,470	20,708	47.8	6.4
13. पंजाब	11,879	16,324	15,992	37.4	-2.0
14. राजस्थान	24,048	27,693	32,018	15.2	15.6
15. तमिलनाडु	32,443	42,287	43,577	30.3	3.0
16. उत्तर प्रदेश	52,231	71,679	72,732	37.2	1.5
17. पश्चिम बंगाल	22,698	36,975	36,628	62.9	-0.9
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	2,344	3,793	3,461	61.8	-8.7
2. असम	9,596	16,522	18,847	72.2	14.1
3. हिमाचल प्रदेश	6,227	7,845	7,723	26.0	-1.6
4. जम्मू और कश्मीर	10,549	11,950	14,354	13.3	20.1
5. मणिपुर	2,369	3,248	2,554	37.1	-21.4
6. मेघालय	1,859	2,906	3,310	56.3	13.9
7. मिजोरम	1,798	2,270	2,228	26.2	-1.9
8. नागालैंड	2,065	2,622	2,658	26.9	1.4
9. सिक्किम	1,135	1,863	1,847	64.1	-0.8
10. त्रिपुरा	2,236	3,192	3,356	42.7	5.2
11. उत्तराखंड	6,535	6,656	8,709	1.8	30.8
सभी राज्य	4,64,462	6,13,011	6,59,075	32.0	7.5
ज्ञापन मदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12,123	15,436	16,546	27.3	7.2
2. पुदुचेरी	1,901	2,836	3,188	49.2	12.4

* : राज्यों द्वारा विकास के प्रयोजनों के लिए राजस्व और पूंजीगत लेखा पर किए गए खर्च तथा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 13: गैर विकास व्यय *

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	18,277	19,552	22,822	7.0	16.7
2. बिहार	9,480	11,757	13,172	24.0	12.0
3. छत्तीसगढ़	3,146	4,046	4,523	28.6	11.8
4. गोवा	947	1,377	1,885	45.4	36.8
5. गुजरात	13,735	14,041	17,199	2.2	22.5
6. हरियाणा	5,482	6,491	8,141	18.4	25.4
7. झारखंड	5,023	5,789	7,249	15.3	25.2
8. कर्नाटक	11,212	14,222	15,134	26.8	6.4
9. केरल	12,248	12,919	14,001	5.5	8.4
10. मध्य प्रदेश	9,428	10,959	13,806	16.2	26.0
11. महाराष्ट्र	24,507	27,579	35,520	12.5	28.8
12. उड़ीसा	7,474	9,752	11,711	30.5	20.1
13. पंजाब	13,052	14,250	16,979	9.2	19.2
14. राजस्थान	11,907	13,307	14,761	11.8	10.9
15. तमिलनाडु	16,426	19,838	23,027	20.8	16.1
16. उत्तर प्रदेश	27,135	30,997	42,051	14.2	35.7
17. पश्चिम बंगाल	18,935	21,238	28,264	12.2	33.1
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	646	906	917	40.2	1.2
2. असम	4,970	7,213	12,431	45.1	72.4
3. हिमाचल प्रदेश	3,489	4,090	4,369	17.2	6.8
4. जम्मू और कश्मीर	5,964	6,189	7,216	3.8	16.6
5. मणिपुर	1,040	1,176	1,759	13.1	49.6
6. मेघालय	813	939	1,129	15.4	20.3
7. मिजोरम	661	832	1,023	25.9	23.0
8. नागालैंड	1,331	1,547	1,848	16.2	19.5
9. सिक्किम	1,629	1,455	1,599	-10.7	9.9
10. त्रिपुरा	1,419	1,702	2,460	19.9	44.6
11. उत्तराखंड	2,857	3,549	4,321	24.2	21.7
सभी राज्य	2,33,233	2,67,709	3,29,315	14.8	23.0
ज्ञापन मदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4,394	4,840	5,267	10.1	8.8
2. पुदुचेरी	574	718	808	25.1	12.4

* : राज्यों द्वारा विकासेतर प्रयोजनों के लिए राजस्व और पूंजीगत लेखा पर किए गए खर्च तथा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 14: योजना व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	28,987	41,539	40,174	43.3	-3.3
2. बिहार	11,964	17,743	15,911	48.3	-10.3
3. छत्तीसगढ़	7,164	10,734	12,172	49.8	13.4
4. गोवा	1,260	1,662	1,878	31.9	13.0
5. गुजरात	14,651	21,413	21,344	46.1	-0.3
6. हरियाणा	6,612	8,225	11,130	24.4	35.3
7. झारखंड	8,803	9,694	9,558	10.1	-1.4
8. कर्नाटक	16,263	18,459	24,477	13.5	32.6
9. केरल	4,562	6,148	6,564	34.8	6.8
10. मध्य प्रदेश	13,763	15,707	19,028	14.1	21.1
11. महाराष्ट्र	19,998	29,371	39,081	46.9	33.1
12. उड़ीसा	7,046	9,226	9,913	30.9	7.5
13. पंजाब	3,083	6,499	5,504	110.8	-15.3
14. राजस्थान	10,987	12,606	14,304	14.7	13.5
15. तमिलनाडु	15,705	19,637	21,378	25.0	8.9
16. उत्तर प्रदेश	25,831	43,171	40,251	67.1	-6.8
17. पश्चिम बंगाल	10,438	14,261	16,725	36.6	17.3
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,570	2,787	2,443	77.5	-12.3
2. असम	3,488	9,869	11,231	182.9	13.8
3. हिमाचल प्रदेश	2,525	2,944	2,824	16.6	-4.1
4. जम्मू और कश्मीर	5,024	5,894	7,361	17.3	24.9
5. मणिपुर	1,594	2,186	1,957	37.2	-10.5
6. मेघालय	1,128	2,212	2,402	96.0	8.6
7. मिजोरम	1,143	1,422	1,383	24.4	-2.7
8. नागालैंड	1,295	1,803	2,124	39.3	17.8
9. सिक्किम	835	1,535	1,460	83.7	-4.8
10. त्रिपुरा	1,424	2,154	2,300	51.3	6.8
11. उत्तराखंड	4,186	4,375	4,523	4.5	3.4
सभी राज्य	2,31,332	3,23,277	3,49,400	39.7	8.1
ज्ञापन मदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8,793	10,106	10,112	14.9	0.1
2. पुदुचेरी	1,115	1,796	2,284	61.1	27.2

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 15: गैर योजना व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	45,888	48,689	60,817	6.1	24.9
2. बिहार	19,609	27,765	31,535	41.6	13.6
3. छत्तीसगढ़	7,865	9,501	10,648	20.8	12.1
4. गोवा	2,299	3,219	3,841	40.0	19.3
5. गुजरात	28,030	31,387	36,073	12.0	14.9
6. हरियाणा	15,467	18,601	21,315	20.3	14.6
7. झारखंड	9,557	10,947	13,434	14.6	22.7
8. कर्नाटक	31,768	35,719	36,587	12.4	2.4
9. केरल	24,130	26,842	29,467	11.2	9.8
10. मध्य प्रदेश	21,502	26,532	29,707	23.4	12.0
11. महाराष्ट्र	60,243	73,186	80,681	21.5	10.2
12. उड़ीसा	15,798	22,150	22,884	40.2	3.3
13. पंजाब	23,436	26,313	30,180	12.3	14.7
14. राजस्थान	26,770	30,854	35,433	15.3	14.8
15. तमिलनाडु	40,043	48,659	52,251	21.5	7.4
16. उत्तर प्रदेश	61,473	66,013	81,346	7.4	23.2
17. पश्चिम बंगाल	36,206	49,347	54,197	36.3	9.8
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,498	2,087	2,127	39.3	1.9
2. असम	11,662	16,520	23,705	41.7	43.5
3. हिमाचल प्रदेश	8,089	9,986	10,251	23.5	2.7
4. जम्मू और कश्मीर	12,022	12,856	15,017	6.9	16.8
5. मणिपुर	2,126	2,555	2,572	20.2	0.6
6. मेघालय	1,643	1,762	2,181	7.2	23.8
7. मिजोरम	1,416	1,778	2,104	25.5	18.4
8. नागालैंड	2,268	2,585	2,653	14.0	2.6
9. सिक्किम	1,984	1,861	2,073	-6.2	11.4
10. त्रिपुरा	2,411	2,967	3,784	23.1	27.5
11. उत्तराखंड	5,788	6,466	9,515	11.7	47.2
सभी राज्य	5,20,993	6,17,147	7,06,378	18.5	14.5
ज्ञापन मदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9,366	11,012	12,931	17.6	17.4
2. पुदुचेरी	1,443	1,858	1,824	28.7	-1.8

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 16: गैर योजना गैर विकास व्यय*

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	17,184	19,354	22,637	12.6	17.0
2. बिहार	9,093	10,980	12,185	20.7	11.0
3. छत्तीसगढ़	3,013	3,887	4,367	29.0	12.3
4. गोवा	844	1,195	1,658	41.7	38.7
5. गुजरात	13,578	13,623	16,380	0.3	20.2
6. हरियाणा	5,269	6,248	7,948	18.6	27.2
7. झारखंड	4,577	5,336	6,837	16.6	28.1
8. कर्नाटक	10,843	13,760	14,615	26.9	6.2
9. केरल	11,982	12,708	13,595	6.1	7.0
10. मध्य प्रदेश	9,286	10,858	13,720	16.9	26.4
11. महाराष्ट्र	23,877	26,826	35,210	12.4	31.3
12. उड़ीसा	7,348	9,591	11,476	30.5	19.7
13. पंजाब	12,986	14,124	16,814	8.8	19.0
14. राजस्थान	11,699	13,109	14,564	12.1	11.1
15. तमिलनाडु	16,281	19,558	22,548	20.1	15.3
16. उत्तर प्रदेश	26,785	30,171	40,821	12.6	35.3
17. पश्चिम बंगाल	18,800	20,928	27,939	11.3	33.5
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	601	811	890	34.9	9.9
2. असम	4,944	6,818	12,078	37.9	77.2
3. हिमाचल प्रदेश	3,412	3,996	4,277	17.1	7.0
4. जम्मू और कश्मीर	5,312	5,379	6,198	1.3	15.2
5. मणिपुर	932	1,111	1,171	19.1	5.4
6. मेघालय	759	863	1,018	13.7	17.9
7. मिजोरम	629	781	959	24.3	22.7
8. नागालैंड	1,185	1,389	1,404	17.2	1.1
9. सिक्किम	1,571	1,354	1,466	-13.8	8.3
10. त्रिपुरा	1,324	1,507	1,997	13.8	32.5
11. उत्तराखंड	2,699	3,387	4,143	25.5	22.3
सभी राज्य	2,26,811	2,59,652	3,18,918	14.5	22.8
ज्ञापन मदें:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3,991	4,396	4,795	10.2	9.1
2. पुदुचेरी	471	627	638	33.1	1.8

* : राज्य सरकारों द्वारा राजस्व और पूंजीगत लेखा पर किए गए खर्च तथा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 17: ब्याज भुगतान

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)		2008-09 (संशोधित अनुमान)		2009-10 (बजट अनुमान)		घटबढ़ (प्रतिशत)			
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	स्तंभ4/स्तंभ2	स्तंभ5/स्तंभ3	स्तंभ6/स्तंभ4	स्तंभ7/स्तंभ5
							सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	7,589	4,063	8,335	4,030	9,104	4,647	9.8	-0.8	9.2	15.3
2. बिहार	3,707	3,536	3,796	3,739	4,170	4,117	2.4	5.7	9.9	10.1
3. छत्तीसगढ़	1,140	935	1,094	931	1,079	925	-4.1	-0.4	-1.3	-0.6
4. गोवा	447	430	549	539	572	562	22.9	25.2	4.2	4.2
5. गुजरात	7,484	7,155	7,911	7,581	8,496	7,946	5.7	6.0	7.4	4.8
6. हरियाणा	2,346	1,589	2,354	1,669	3,001	2,423	0.4	5.1	27.5	45.1
7. झारखंड	1,982	1,920	2,137	2,063	2,429	2,268	7.8	7.5	13.6	9.9
8. कर्नाटक	4,506	4,131	4,778	4,589	5,578	5,379	6.0	11.1	16.7	17.2
9. केरल	4,330	4,260	4,815	4,737	5,312	5,222	11.2	11.2	10.3	10.2
10. मध्य प्रदेश	4,191	3,984	4,484	4,334	4,965	4,788	7.0	8.8	10.7	10.5
11. महाराष्ट्र	12,204	11,034	12,307	11,062	14,351	13,238	0.8	0.3	16.6	19.7
12. उड़ीसा	3,169	2,599	4,312	4,002	4,593	4,381	36.1	54.0	6.5	9.5
13. पंजाब	4,527	4,179	4,856	4,634	5,349	5,211	7.3	10.9	10.1	12.4
14. राजस्थान	5,943	4,831	6,242	5,052	6,754	5,565	5.0	4.6	8.2	10.2
15. तमिलनाडु	6,086	4,843	6,055	4,750	6,355	5,377	-0.5	-1.9	4.9	13.2
16. उत्तर प्रदेश	10,820	9,572	11,275	9,646	11,742	10,662	4.2	0.8	4.1	10.5
17. पश्चिम बंगाल	11,384	10,694	12,367	8,328	13,169	11,877	8.6	-22.1	6.5	42.6
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	155	126	228	194	253	216	47.2	54.3	10.9	11.3
2. असम	1,512	1,272	1,911	1,654	2,108	1,833	26.4	30.1	10.3	10.8
3. हिमाचल प्रदेश	1,703	1,636	1,883	1,783	2,049	1,943	10.6	9.0	8.8	9.0
4. जम्मू और कश्मीर	2,031	2,011	1,600	1,578	1,726	1,705	-21.3	-21.5	7.9	8.0
5. मणिपुर	299	271	315	280	338	299	5.5	3.4	7.2	6.8
6. मेघालय	189	174	230	223	246	235	21.9	28.3	6.8	5.4
7. मिजोरम	208	192	229	224	240	234	10.2	16.3	4.6	4.5
8. नागालैंड	270	265	332	326	379	373	22.6	23.0	14.3	14.4
9. सिक्किम	118	103	141	115	170	166	19.5	12.1	20.4	44.6
10. त्रिपुरा	396	337	393	341	390	370	-0.7	1.2	-0.8	8.5
11. उत्तराखंड	1,096	1,054	1,290	1,246	1,511	1,457	17.7	18.2	17.1	16.9
सभी राज्य	99,831	87,193	1,06,220	89,648	1,16,427	1,03,417	6.4	2.8	9.6	15.4
जापन मदें:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,504	870	2,512	518	2,736	361	0.3	-40.5	8.9	-30.2
2. पुदुचेरी	217	200	261	235	299	272	20.0	17.7	14.8	15.6

* : सकल ब्याज भुगतान घटाव ब्याज प्राप्ति।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 18: कर राजस्व*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	कर राजस्व / सभी राज्यों के कर राजस्व (प्रतिशत)		
				2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	39,978	48,908	52,773	9.1	9.7	9.6
2. बिहार	21,852	26,098	31,026	5.0	5.2	5.6
3. छत्तीसगढ़	9,653	11,079	12,493	2.2	2.2	2.3
4. गोवा	1,753	2,201	2,366	0.4	0.4	0.4
5. गुजरात	27,312	30,583	31,570	6.2	6.1	5.7
6. हरियाणा	13,252	16,223	16,568	3.0	3.2	3.0
7. झारखंड	8,345	11,108	11,815	1.9	2.2	2.1
8. कर्नाटक	32,766	35,916	40,367	7.5	7.1	7.3
9. केरल	17,721	20,645	23,645	4.0	4.1	4.3
10. मध्य प्रदेश	22,221	24,768	27,123	5.1	4.9	4.9
11. महाराष्ट्र	55,126	58,103	59,554	12.6	11.5	10.8
12. उड़ीसा	14,703	16,911	17,049	3.4	3.4	3.1
13. पंजाब	11,874	13,926	16,590	2.7	2.8	3.0
14. राजस्थान	21,802	24,131	26,360	5.0	4.8	4.8
15. तमिलनाडु	37,684	43,031	47,674	8.6	8.5	8.6
16. उत्तर प्रदेश	54,247	63,677	73,114	12.4	12.6	13.2
17. पश्चिम बंगाल	23,855	28,856	33,373	5.4	5.7	6.0
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	536	615	625	0.1	0.1	0.1
2. असम	8,278	9,830	9,575	1.9	2.0	1.7
3. हिमाचल प्रदेश	2,752	3,259	3,735	0.6	0.6	0.7
4. जम्मू और कश्मीर	3,954	4,746	4,891	0.9	0.9	0.9
5. मणिपुर	698	809	803	0.2	0.2	0.1
6. मेघालय	883	1,049	1,040	0.2	0.2	0.2
7. मिजोरम	441	523	510	0.1	0.1	0.1
8. नागालैंड	531	571	697	0.1	0.1	0.1
9. सिक्किम	543	568	551	0.1	0.1	0.1
10. त्रिपुरा	1,021	1,186	1,280	0.2	0.2	0.2
11. उत्तराखंड	4,166	4,560	5,075	1.0	0.9	0.9
सभी राज्य	4,37,948	5,03,878	5,52,243	100.0	100.0	100.0
जापन मर्दे:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	11,783	12,523	13,586	—	—	—
2. पुदुचेरी	653	726	906	—	—	—

—: लागू नहीं।

* : केन्द्रीय करों में हिस्सा और राज्यों का अपना कर राजस्व शामिल है।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 19: खुद का कर राजस्व

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	28,794	35,740	40,664	24.1	13.8
2. बिहार	5,086	6,356	7,336	25.0	15.4
3. छत्तीसगढ़	5,618	6,328	7,030	12.6	11.1
4. गोवा	1,359	1,738	1,861	27.9	7.1
5. गुजरात	21,886	24,194	25,450	10.5	5.2
6. हरियाणा	11,618	14,301	14,647	23.1	2.4
7. झारखंड	3,550	5,084	6,052	43.2	19.0
8. कर्नाटक	25,987	28,765	32,721	10.7	13.8
9. केरल	13,669	15,934	18,228	16.6	14.4
10. मध्य प्रदेश	12,018	14,002	16,075	16.5	14.8
11. महाराष्ट्र	47,528	50,088	50,986	5.4	1.8
12. उड़ीसा	6,856	7,672	8,200	11.9	6.9
13. पंजाब	9,899	11,547	14,062	16.6	21.8
14. राजस्थान	13,275	15,134	16,742	14.0	10.6
15. तमिलनाडु	29,619	34,521	38,578	16.6	11.8
16. उत्तर प्रदेश	24,959	29,191	33,456	17.0	14.6
17. पश्चिम बंगाल	13,126	16,223	19,476	23.6	20.1
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	98	99	109	0.9	10.2
2. असम	3,360	4,039	4,028	20.2	-0.3
3. हिमाचल प्रदेश	1,958	2,301	2,700	17.5	17.3
4. जम्मू और कश्मीर	2,299	2,693	3,011	17.1	11.8
5. मणिपुर	147	160	182	8.5	14.0
6. मेघालय	319	385	404	20.5	4.9
7. मिजोरम	78	95	116	22.3	22.6
8. नागालैंड	131	149	156	13.2	4.8
9. सिक्किम	198	162	177	-18.2	9.5
10. त्रिपुरा	371	451	546	21.8	20.9
11. उत्तराखंड	2,739	3,054	3,529	11.5	15.6
सभी राज्य	2,86,546	3,30,405	3,66,523	15.3	10.9
ज्ञापन मर्दे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	11,783	12,523	13,586	6.3	8.5
2. पुदुचेरी	653	726	906	11.2	24.8

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण

विवरण 20: गैर कर राजस्व*

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	गैर कर राजस्व / सभी राज्यों का गैर कर राजस्व (प्रतिशत)		
				2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	14,165	20,778	26,190	7.6	8.9	10.4
2. बिहार	6,357	10,219	10,811	3.4	4.4	4.3
3. छत्तीसगढ़	4,226	5,699	6,404	2.3	2.4	2.5
4. गोवा	1,191	1,604	1,770	0.6	0.7	0.7
5. गुजरात	8,378	9,100	10,245	4.5	3.9	4.1
6. हरियाणा	6,499	5,548	5,869	3.5	2.4	2.3
7. झारखंड	3,267	4,999	6,121	1.8	2.1	2.4
8. कर्नाटक	8,385	6,901	8,022	4.5	2.9	3.2
9. केरल	3,386	4,419	4,509	1.8	1.9	1.8
10. मध्य प्रदेश	8,468	10,181	12,838	4.6	4.4	5.1
11. महाराष्ट्र	24,458	24,767	29,507	13.2	10.6	11.7
12. उड़ीसा	7,265	9,899	9,501	3.9	4.2	3.8
13. पंजाब	7,363	8,994	7,483	4.0	3.8	3.0
14. राजस्थान	8,978	10,252	11,908	4.8	4.4	4.7
15. तमिलनाडु	9,836	12,380	10,597	5.3	5.3	4.2
16. उत्तर प्रदेश	14,425	21,469	21,326	7.8	9.2	8.4
17. पश्चिम बंगाल	6,312	11,921	8,939	3.4	5.1	3.5
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	2,467	3,067	2,632	1.3	1.3	1.0
2. असम	7,047	13,478	13,489	3.8	5.8	5.3
3. हिमाचल प्रदेश	6,390	6,792	6,744	3.4	2.9	2.7
4. जम्मू और कश्मीर	9,946	11,065	14,471	5.4	4.7	5.7
5. मणिपुर	2,810	3,139	3,202	1.5	1.3	1.3
6. मेघालय	1,558	2,654	2,767	0.8	1.1	1.1
7. मिजोरम	1,599	2,179	2,500	0.9	0.9	1.0
8. नागालैंड	2,465	2,872	3,213	1.3	1.2	1.3
9. सिक्किम	2,156	2,404	2,438	1.2	1.0	1.0
10. त्रिपुरा	2,677	3,012	3,334	1.4	1.3	1.3
11. उत्तराखंड	3,725	4,194	5,873	2.0	1.8	2.3
सभी राज्य	1,85,799	2,33,987	2,52,701	100.0	100.0	100.0
जापन मदें:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3,130	3,492	5,513	—	—	—
2. पुदुचेरी	1,483	1,712	2,161	—	—	—

—: लागू नहीं।

* : केंद्र से अनुदान और राज्यों के अपने गैर कर राजस्व शामिल हैं।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 21: खुद का गैर कर राजस्व

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	7,064	8,398	12,946	18.9	54.2
2. बिहार	526	440	541	-16.2	22.8
3. छत्तीसगढ़	2,020	2,018	2,745	-0.1	36.0
4. गोवा	1,043	1,265	1,351	21.3	6.8
5. गुजरात	4,609	4,340	4,871	-5.8	12.2
6. हरियाणा	5,097	3,817	3,600	-25.1	-5.7
7. झारखंड	1,599	2,195	3,073	37.2	40.0
8. कर्नाटक	3,358	1,906	2,130	-43.2	11.7
9. केरल	1,210	1,297	1,460	7.2	12.6
10. मध्य प्रदेश	2,738	3,145	3,937	14.9	25.2
11. महाराष्ट्र	16,948	10,461	13,894	-38.3	32.8
12. उड़ीसा	2,654	2,617	2,242	-1.4	-14.3
13. पंजाब	5,254	6,771	5,433	28.9	-19.8
14. राजस्थान	4,054	3,840	5,283	-5.3	37.6
15. तमिलनाडु	3,304	5,645	3,404	70.8	-39.7
16. उत्तर प्रदेश	5,816	8,326	5,627	43.2	-32.4
17. पश्चिम बंगाल	1,473	5,339	2,729	262.4	-48.9
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	657	302	318	-54.0	5.3
2. असम	2,135	2,246	2,044	5.2	-9.0
3. हिमाचल प्रदेश	1,822	1,426	1,615	-21.8	13.3
4. जम्मू और कश्मीर	985	1,127	1,219	14.4	8.2
5. मणिपुर	165	195	210	18.5	7.5
6. मेघालय	199	199	240	-0.3	21.0
7. मिजोरम	130	161	181	23.9	12.2
8. नागालैंड	119	161	165	34.4	2.8
9. सिक्किम	1,414	1,188	1,172	-16.0	-1.3
10. त्रिपुरा	115	133	158	15.3	18.9
11. उत्तराखंड	668	657	1,429	-1.7	117.5
सभी राज्य	77,178	79,614	84,017	3.2	5.5
ज्ञापन मर्दे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,817	2,178	2,570	19.9	18.0
2. पुदुचेरी	626	584	1,007	-6.7	72.5

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 22: केन्द्रीय करों में हिस्सा

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	11,184	13,168	12,109	17.7	-8.0
2. बिहार	16,766	19,742	23,690	17.7	20.0
3. छत्तीसगढ़	4,035	4,751	5,464	17.7	15.0
4. गोवा	394	464	506	17.7	9.0
5. गुजरात	5,426	6,389	6,120	17.8	-4.2
6. हरियाणा	1,634	1,922	1,922	17.6	—
7. झारखंड	4,795	6,024	5,763	25.6	-4.3
8. कर्नाटक	6,779	7,152	7,645	5.5	6.9
9. केरल	4,052	4,711	5,417	16.3	15.0
10. मध्य प्रदेश	10,203	10,766	11,047	5.5	2.6
11. महाराष्ट्र	7,597	8,015	8,568	5.5	6.9
12. उड़ीसा	7,847	9,239	8,849	17.7	-4.2
13. पंजाब	1,975	2,378	2,527	20.4	6.3
14. राजस्थान	8,528	8,997	9,618	5.5	6.9
15. तमिलनाडु	8,065	8,509	9,096	5.5	6.9
16. उत्तर प्रदेश	29,288	34,486	39,658	17.7	15.0
17. पश्चिम बंगाल	10,729	12,633	13,896	17.7	10.0
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	438	516	516	17.7	—
2. असम	4,918	5,791	5,547	17.7	-4.2
3. हिमाचल प्रदेश	794	958	1,035	20.7	8.1
4. जम्मू और कश्मीर	1,655	2,053	1,880	24.1	-8.4
5. मणिपुर	550	649	621	17.9	-4.3
6. मेघालय	564	664	636	17.7	-4.2
7. मिजोरम	363	428	393	17.7	-8.0
8. नागालैंड	400	422	541	5.5	28.3
9. सिक्किम	345	406	374	17.7	-8.0
10. त्रिपुरा	651	735	734	13.0	-0.2
11. उत्तराखंड	1,428	1,506	1,546	5.5	2.6
सभी राज्य	1,51,402	1,73,473	1,85,720	14.6	7.1

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

विवरण 23: केंद्र सरकार से अनुदान

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3/स्तंभ 2	स्तंभ 4/स्तंभ 3
1	2	3	4	5	6
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	7,101	12,379	13,244	74.3	7.0
2. बिहार	5,832	9,779	10,270	67.7	5.0
3. छत्तीसगढ़	2,205	3,681	3,659	66.9	-0.6
4. गोवा	148	340	419	128.9	23.4
5. गुजरात	3,769	4,760	5,374	26.3	12.9
6. हरियाणा	1,401	1,731	2,269	23.5	31.1
7. झारखंड	1,667	2,805	3,048	68.2	8.7
8. कर्नाटक	5,027	4,996	5,893	-0.6	18.0
9. केरल	2,177	3,122	3,049	43.4	-2.3
10. मध्य प्रदेश	5,729	7,036	8,902	22.8	26.5
11. महाराष्ट्र	7,510	14,306	15,612	90.5	9.1
12. उड़ीसा	4,611	7,282	7,258	57.9	-0.3
13. पंजाब	2,109	2,223	2,050	5.4	-7.8
14. राजस्थान	4,924	6,412	6,625	30.2	3.3
15. तमिलनाडु	6,532	6,735	7,193	3.1	6.8
16. उत्तर प्रदेश	8,609	13,144	15,699	52.7	19.4
17. पश्चिम बंगाल	4,839	6,582	6,210	36.0	-5.6
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	1,810	2,765	2,314	52.7	-16.3
2. असम	4,913	11,232	11,444	128.6	1.9
3. हिमाचल प्रदेश	4,567	5,367	5,128	17.5	-4.4
4. जम्मू और कश्मीर	8,961	9,938	13,252	10.9	33.4
5. मणिपुर	2,646	2,944	2,992	11.3	1.6
6. मेघालय	1,359	2,455	2,526	80.7	2.9
7. मिजोरम	1,469	2,018	2,318	37.4	14.9
8. नागालैंड	2,345	2,712	3,048	15.6	12.4
9. सिक्किम	743	1,216	1,266	63.7	4.1
10. त्रिपुरा	2,562	2,879	3,176	12.4	10.3
11. उत्तराखंड	3,056	3,537	4,444	15.7	25.6
सभी राज्य	1,08,622	1,54,373	1,68,683	42.1	9.3
ज्ञापन मर्दे:					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,313	1,314	2,943	0.1	124.0
2. पुदुचेरी	857	1,128	1,153	31.6	2.2

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 24: केंद्र से ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2007-08 (लेखा)		2008-09 (संशोधित अनुमान)		2009-10 (बजट अनुमान)		घटबढ़ (प्रतिशत)			
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	स्तंभ 4/स्तंभ 2	स्तंभ 5/स्तंभ 3	स्तंभ 6/स्तंभ 4	स्तंभ 7/स्तंभ 5
							सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	909	-43	1,170	381	2,481	1,662	28.7	-978.1	112.1	335.7
2. बिहार	468	40	8	-397	1,401	930	-98.3	—	—	-334.5
3. छत्तीसगढ़	120	-167	293	182	287	175	144.9	-209.2	-2.0	-4.2
4. गोवा	91	90	55	33	225	202	-39.3	-63.7	—	515.0
5. गुजरात	209	-345	275	-284	180	-384	31.4	-17.5	-34.4	34.8
6. हरियाणा	68	-44	36	-78	601	487	-47.6	76.4	—	-722.3
7. झारखंड	—	-139	—	-165	—	-186	—	18.7	—	12.7
8. कर्नाटक	806	357	404	-65	1,041	532	-49.9	-118.2	157.6	-919.3
9. केरल	416	161	868	678	1,802	1,174	108.5	321.3	107.6	73.2
10. मध्य प्रदेश	539	102	1,334	888	1,838	1,337	147.5	769.7	37.8	50.5
11. महाराष्ट्र	329	-83	769	348	1,235	805	133.5	-517.2	60.6	131.1
12. उड़ीसा	90	-343	1,381	946	1,201	1,201	—	-375.5	-13.1	27.0
13. पंजाब	430	71	279	51	395	168	-35.1	-28.3	41.6	228.4
14. राजस्थान	428	46	451	59	554	151	5.4	27.1	22.9	156.9
15. तमिलनाडु	779	469	1,226	907	2,127	1,793	57.4	93.6	73.4	97.7
16. उत्तर प्रदेश	369	-821	503	-698	1,003	-199	36.2	-15.0	99.5	-71.5
17. पश्चिम बंगाल	654	-277	527	-307	622	-240	-19.5	10.8	18.0	-21.8
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	6	-16	46	22	46	21	660.3	-237.1	0.5	-3.5
2. असम	-61	-67	93	-102	87	-111	-252.5	52.8	-6.6	8.6
3. हिमाचल प्रदेश	51	-5	—	-56	—	-56	-99.3	—	—	—
4. जम्मू और कश्मीर	516	403	—	-108	—	-148	-100.0	-126.7	100.0	37.7
5. मणिपुर	8	-237	15	-230	12	-31	75.4	-2.6	-20.5	-86.7
6. मेघालय	3	-15	7	-12	9	-9	152.7	-16.9	36.7	-22.8
7. मिजोरम	10	-7	16	-2	25	7	67.8	-67.9	54.7	-390.3
8. नागालैंड	-11	-15	—	-21	8	-13	-100.0	42.1	—	-37.6
9. सिक्किम	6	-8	—	-14	1	-14	-92.0	81.8	170.1	5.3
10. त्रिपुरा	3	-25	2	-26	8	-21	-31.7	5.3	255.6	-20.8
11. उत्तराखंड	16	-16	29	-9	96	58	79.2	-46.4	228.3	-767.3
सभी राज्य	7,252	-933	9,786	1,921	17,284	9,291	35.0	-305.9	76.6	383.7
ज्ञापन मर्दे:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. पुदुचेरी	88	-14	72	-38	132	20	-18.2	176.5	83.3	-152.6

‘—’: शून्य/ नगण्य।

* : केंद्र सरकार से सकल ऋण घटाव केंद्र को ऋणों की चुकौती।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 25: केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2007-08 (लेखा)		2008-09 (संशोधित अनुमान)		2009-10 (बजट अनुमान)		घटबढ़ (प्रतिशत)			
	सकल	निवल*	सकल	निवल*	सकल	निवल*	स्तंभ 4/स्तंभ 2	स्तंभ 5/स्तंभ 3	स्तंभ 6/स्तंभ 4	स्तंभ 7/स्तंभ 5
							सकल	निवल*	सकल	निवल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	19,193	17,215	26,718	24,749	27,835	25,892	39.2	43.8	4.2	4.6
2. बिहार	23,066	21,997	29,528	28,514	35,362	34,353	28.0	29.6	19.8	20.5
3. छत्तीसगढ़	6,360	5,899	8,725	8,443	9,409	9,149	37.2	43.1	7.8	8.4
4. गोवा	633	613	859	794	1,150	1,093	35.6	29.6	33.9	37.6
5. गुजरात	9,404	7,977	11,424	10,016	11,674	10,287	21.5	25.6	2.2	2.7
6. हरियाणा	3,104	2,824	3,688	3,411	4,791	4,519	18.8	20.8	29.9	32.5
7. झारखंड	6,463	6,000	8,828	8,368	8,811	8,360	36.6	39.5	-0.2	-0.1
8. कर्नाटक	12,613	11,418	12,551	11,301	14,579	13,178	-0.5	-1.0	16.2	16.6
9. केरल	6,645	5,960	8,701	8,075	10,268	9,158	30.9	35.5	18.0	13.4
10. मध्य प्रदेश	16,471	15,340	19,136	17,941	21,787	20,563	16.2	17.0	13.9	14.6
11. महाराष्ट्र	15,436	14,206	23,090	21,996	25,415	24,311	49.6	54.8	10.1	10.5
12. उड़ीसा	12,547	11,459	17,902	16,197	17,309	15,754	42.7	41.4	-3.3	-2.7
13. पंजाब	4,514	4,109	4,880	4,607	4,972	4,701	8.1	12.1	1.9	2.0
14. राजस्थान	13,880	12,885	15,860	14,846	16,797	15,766	14.3	15.2	5.9	6.2
15. तमिलनाडु	15,376	14,561	16,470	15,632	18,415	17,532	7.1	7.4	11.8	12.2
16. उत्तर प्रदेश	38,266	35,360	48,132	45,271	56,360	53,550	25.8	28.0	17.1	18.3
17. पश्चिम बंगाल	16,222	13,581	19,742	17,305	20,729	18,344	21.7	27.4	5.0	6.0
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	2,254	2,232	3,326	3,302	2,876	2,851	47.6	48.0	-13.5	-13.7
2. असम	9,770	9,630	17,116	16,599	17,078	16,560	75.2	72.4	-0.2	-0.2
3. हिमाचल प्रदेश	5,412	5,279	6,325	6,194	6,164	6,033	16.9	17.3	-2.5	-2.6
4. जम्मू और कश्मीर	11,132	10,829	11,991	11,742	15,132	14,793	7.7	8.4	26.2	26.0
5. मणिपुर	3,204	2,861	3,607	3,284	3,624	3,523	12.6	14.8	0.5	7.3
6. मेघालय	1,926	1,898	3,126	3,078	3,171	3,126	62.4	62.2	1.4	1.5
7. मिजोरम	1,842	1,795	2,462	2,408	2,737	2,683	33.7	34.1	11.2	11.4
8. नागालैंड	2,734	2,723	3,134	3,080	3,597	3,545	14.6	13.1	14.8	15.1
9. सिक्किम	1,093	1,056	1,623	1,585	1,641	1,604	48.4	50.0	1.1	1.2
10. त्रिपुरा	3,216	3,142	3,616	3,545	3,918	3,849	12.5	12.8	8.3	8.6
11. उत्तराखंड	4,500	4,449	5,073	5,008	6,086	6,020	12.7	12.5	20.0	20.2
सभी राज्य	2,67,276	2,47,299	3,37,633	3,17,293	3,71,688	3,51,097	26.3	28.3	10.1	10.7
जापन मदें:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,313	-1,191	1,314	-1,198	2,943	207	0.1	0.6	124.0	-117.2
2. पुदुचेरी	945	632	1,200	881	1,285	959	27.0	39.4	7.1	8.8

* : सकल न्यागमन और अंतरण घटाव केंद्र को ऋणों की चुकौती तथा केंद्र से ऋणों पर ब्याज भुगतान।

नोट : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2007-08 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना
(मार्च 2004 के अंत में)

(करोड़ रुपये)																			
राज्य	एसडीएल	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएसएसएफ	आर.बी.आइएल/आइसी अर्थोपाय अग्रिम	एल/आइसी जीआइसी से ऋण	नॉनआई स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसोडसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरांक ऋण	केन्द्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	17,090	2,436	-	10,109	-	472	143	1,449	-	10	3,581	5,654	35,289	18,628	4,779	1,224	5,306	26	65,251
2. बिहार	8,904	1,594	24	7,797	-9	14	4	65	-	42	11	135	18,444	10,302	7,997	460	2,446	350	39,999
3. छत्तीसगढ़	2,623	483	-	1,654	-	20	11	336	57	-	-	425	5,185	2,822	1,511	491	775	40	10,825
4. गोवा	843	-	-	975	66	33	-	33	-	1	98	164	2,047	944	485	53	327	29	3,885
5. गुजरात	10,849	1,629	2	20,945	42	186	16	-6	-	80	1,409	1,686	35,153	14,273	3,641	1,412	7,721	107	62,307
6. हरियाणा	3,825	2,022	-	5,319	-	32	22	418	304	78	53	907	12,074	3,720	4,953	559	1,134	10	22,450
7. झारखंड	2,896	-	8	3,173	9	5	2	3	-	5	2	16	6,102	3,106	261	206	340	22	10,036
8. कर्नाटक	9,645	551	-	8,119	-	782	89	532	-	56	-	1,460	19,776	10,885	5,885	-	3,375	39	39,959
9. केरल	8,221	1,158	1	4,174	565	1,944	248	479	-	275	267	3,214	17,334	5,629	14,403	199	1,578	8	39,151
10. मध्य प्रदेश	7,692	2,664	-	6,658	267	44	23	1,268	-	59	65	1,459	18,739	9,221	6,861	882	2,225	39	37,967
11. महाराष्ट्र	13,659	1,019	-	30,612	-	2,354	-5	1,050	2	684	2,071	6,156	51,445	16,476	7,689	18,180	12,945	102	1,06,838
12. उड़ीसा	8,681	1,103	-	3,045	-	31	55	585	-	12	869	1,552	14,381	9,190	7,822	413	1,996	48	33,850
13. पंजाब	6,059	637	-	11,152	455	150	2	681	5,121	11	688	6,634	24,937	9,377	6,767	679	1,033	25	42,819
14. राजस्थान	12,282	369	-	13,790	-	103	95	954	-	35	654	1,841	28,282	9,881	10,516	581	3,814	35	53,109
15. तमिलनाडु	11,889	1,962	1	9,609	596	944	144	1,338	-	1,497	3,496	7,419	31,477	9,420	6,932	683	3,098	150	51,759
16. उत्तर प्रदेश	23,123	5,872	40	21,515	-31	4	86	768	1,156	7	6,075	8,095	58,613	28,038	13,534	13,850	10,952	-924	1,24,063
17. पश्चिम बंगाल	14,714	1,964	2	30,918	831	43	21	50	-	123	8,781	9,017	57,445	19,329	4,505	493	7,682	18	89,472
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	262	24	-	87	-	1	-	116	-	-	112	229	602	468	444	84	138	-	1,736
2. असम	4,497	858	-	3,099	298	4	25	194	-	19	188	430	9,180	3,454	2,498	679	-173	50	15,688
3. हिमाचल प्रदेश	2,839	70	-	1,413	118	745	3	302	-	14	3,433	4,497	8,938	1,848	2,720	225	642	5	14,379
4. जम्मू और कश्मीर	2,279	1,591	-	1,524	-	420	14	353	1,547	-	354	2,688	8,083	2,792	2,870	770	213	-	14,728
5. मणिपुर	529	157	-	93	105	8	-	-	-	22	101	132	1,016	824	446	14	144	-	2,444
6. मेघालय	700	14	-	143	-	2	1	63	-	9	126	202	1,059	390	413	32	224	6	2,123
7. मिजोरम	422	46	-	73	27	237	-	41	-	5	104	387	955	359	602	16	675	-	2,806
8. नागालैंड	1,098	79	-	52	5	49	2	35	-	17	235	337	1,571	428	478	-2	-86	-	2,389
9. सिक्किम	296	48	-	62	-	55	2	32	-	-	17	105	510	235	267	6	-10	1	1,010
10. त्रिपुरा	792	64	-	563	-	284	1	8	-	1	66	358	1,777	621	1,662	-12	-1	10	4,057
11. उत्तराखंड	3,208	572	2	1,781	31	1	5	139	36	9	573	764	6,358	322	900	40	603	50	8,273
सभी राज्य:	1,79,917	28,984	82	1,98,454	3,375	8,967	1,008	11,285	8,222	3,071	33,407	65,960	4,76,772	1,92,981	1,21,841	42,217	69,116	246	9,03,174
ज्ञापन में:																			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	11,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,211	-	-	-	-	14,149
2. पुद्दुचेरी	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	1,310
(जारी)																			

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना (जारी)
(मार्च 2005 के अंत में)

राज्य	एस्डीएल	पावर बांड और अन्य बांड	एनएसएसएफ	आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम	एलआईसी से ऋण	एलआईसी से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	नार्वेई से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल अंतरांक ऋण	केन्द्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. नैऋत्य क्षेत्रीय																			
1. आंध्र प्रदेश	19,965	2,436	-	14,981	-	2,289	158	854	-	75	4,376	7,752	45,134	16,131	5,130	1,571	7,403	50	75,418
2. बिहार	10,463	1,594	24	10,097	-9	14	3	120	-	41	38	216	22,385	9,103	8,401	537	2,407	350	43,183
3. छत्तीसगढ़	2,788	483	-	2,550	-	20	11	486	-	60	1	578	6,400	2,383	1,569	751	990	40	12,133
4. गोवा	961	-	-	1,428	-	31	-	28	-	1	98	159	2,547	907	527	80	327	30	4,417
5. गुजरात	12,660	1,629	2	29,733	-	-	4	-8	142	48	1,333	1,520	45,544	11,470	3,872	1,670	8,586	193	71,334
6. हरियाणा	4,755	2,022	-	7,448	-	29	20	527	6	81	96	758	14,984	2,302	5,238	686	1,880	10	24,900
7. झारखंड	3,311	899	8	4,766	9	5	2	3	-	4	12	25	9,017	2,943	278	275	426	150	13,090
8. कर्नाटक	11,762	551	-	12,386	-	748	78	389	-	74	-	1,289	25,988	9,033	6,470	-	2,813	41	44,345
9. केरल	9,598	1,158	1	6,969	235	2,282	274	525	-	290	257	3,628	21,589	9,123	14,791	322	1,496	85	43,895
10. मध्य प्रदेश	9,301	2,664	-	9,423	-	41	21	731	-	45	2,223	3,061	24,449	9,123	7,501	1,218	2,254	40	44,586
11. महाराष्ट्र	17,547	1,019	3	46,365	-	2,226	-7	445	2	630	2,202	5,499	70,433	8,584	8,184	21,515	15,794	45	1,24,554
12. उड़ीसा	9,581	1,103	-	4,382	-	28	50	304	-	13	820	1,215	16,281	9,280	8,381	1,263	1,749	29	36,982
13. पंजाब	7,719	637	-	14,793	283	7	2	770	5,121	6	770	6,676	30,109	7,398	7,186	1,106	1,247	25	47,071
14. राजस्थान	14,359	369	-	18,833	-	991	90	287	-	29	487	1,883	35,444	7,915	11,681	916	3,977	35	59,968
15. तमिलनाडु	13,788	1,962	-	15,523	391	1,419	134	655	342	48	2,786	5,384	37,049	6,537	6,504	1,246	4,482	150	55,968
16. उत्तर प्रदेश	26,435	5,872	40	28,696	-5	-4	79	756	2,111	-45	6,417	9,315	70,353	24,622	15,343	16,102	10,745	-892	1,36,273
17. पश्चिम बंगाल	18,731	1,964	2	41,353	-	38	18	47	-	109	8,090	8,302	70,352	16,078	4,781	852	5,263	16	97,342
II. विदेश क्षेत्रीय																			
1. अरुणाचल प्रदेश	279	24	-	129	96	1	-	113	-	2	112	228	756	516	525	100	172	-	2,069
2. असम	5,129	858	-	3,932	317	4	23	160	-	-25	167	329	10,566	2,830	2,880	914	-197	50	17,043
3. हिमाचल प्रदेश	3,691	70	-	2,202	22	692	3	236	-	16	3,777	4,725	10,710	1,104	2,981	156	1,528	5	16,483
4. जम्मू और कश्मीर	2,695	1,591	-	2,096	-	496	14	412	1,727	-	334	2,983	9,365	2,316	3,115	871	211	-	15,877
5. मणिपुर	598	157	-	127	55	8	-	-	-	22	91	122	1,058	1,482	433	13	252	-	3,239
6. मेघालय	825	14	-	200	-	2	1	27	-	9	142	180	1,219	395	503	45	242	6	2,410
7. मिजोरम	501	46	-	106	27	225	-	43	-	5	113	385	1,065	403	728	30	695	-	2,922
8. नागालैंड	1,237	79	-	77	9	54	2	48	-	15	256	376	1,778	451	489	-2	-88	-	2,638
9. सिक्किम	332	48	-	94	-	62	1	9	-	-	16	88	561	240	292	9	47	1	1,150
10. त्रिपुरा	1,025	64	-	762	-	286	-	7	-	1	60	353	2,204	602	2,020	-4	21	10	4,853
11. उत्तराखंड	3,443	572	2	2,749	65	1	5	253	36	23	573	892	7,724	484	1,013	73	771	58	10,123
सभी राज्य:	2,13,480	29,883	83	2,82,200	1,498	11,984	990	8,226	9,486	1,577	35,648	67,921	5,95,064	1,80,045	1,30,828	52,311	75,290	527	10,14,067
ज्ञान मंत्र:																			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	15,670	-	-	-	-	-	-	-	-	15,670	166	-	-	-	-	15,836
2. पुद्दुचेरी				591									591	958					1,549

विवरण

175

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना (जारी)
(मार्च 2007 के अंत में)

राज्य	एस्डीएल	पावर बॉन्ड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएसएसएफ	आर.बी.आइ. से अर्थोपाय अग्रिम	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एससीडीसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण और अग्रिम	प्रविश्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	उपार्ज और अग्रिम	आकस्मिकता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. गैर विशेष श्रेणी																			
1. आंध्र प्रदेश	23,543	2,192	-	24,039	-	2,096	139	2,357	-	97	1,853	6,542	56,317	15,000	6,126	2,297	10,666	50	90,456
2. बिहार	10,393	1,868	23	14,704	-9	25	2	336	-	48	10	421	27,400	8,268	9,161	976	3,691	350	49,846
3. छत्तीसगढ़	2,695	435	-	4,295	-	20	11	591	-	43	-	665	8,090	2,111	1,576	790	1,437	37	14,042
4. गोवा	1,108	-	-	2,582	-	27	-	18	-	1	71	117	3,806	861	633	140	371	30	5,841
5. गुजरात	12,722	1,466	2	43,966	-	-	-	6	227	6	2,583	2,822	60,978	11,015	4,415	4,476	9,874	197	90,956
6. हरियाणा	4,994	1,820	-	10,485	-	22	16	691	-	89	243	1,061	18,360	2,128	5,958	1,082	1,769	10	29,308
7. झारखंड	3,805	1,904	8	7,731	9	5	2	390	-	2	38	436	13,893	2,649	720	488	1,181	118	19,049
8. कर्नाटक	11,700	-	-	19,306	-	678	66	895	-	-2	-	1,638	32,645	9,202	7,785	4,130	4,249	67	58,079
9. केरल	12,847	1,042	1	11,875	-	2,871	322	552	-	222	237	4,203	29,969	5,373	14,534	447	1,896	100	52,318
10. मध्य प्रदेश	11,219	2,398	-	14,579	-	153	18	1,533	122	18	763	2,608	30,803	8,685	7,644	1,886	3,613	100	52,731
11. महाराष्ट्र	19,967	917	3	71,376	-	2,336	-9	734	2	363	2,892	6,318	98,580	8,645	9,411	25,394	18,616	95	1,60,741
12. उड़ीसा	8,898	993	-	6,862	-	22	42	656	-	5	690	1,414	18,167	8,797	10,327	3,682	1,993	-28	42,938
13. पंजाब	9,435	574	-	21,185	-	5	1	1,018	4,255	-	666	5,946	37,139	3,213	7,977	1,538	1,116	25	51,009
14. राजस्थान	16,070	221	-	24,425	59	799	80	927	-	56	228	2,089	42,865	7,632	14,304	1,339	4,998	35	71,173
15. तमिलनाडु	16,373	-	-	25,631	-	1,279	124	1,564	314	34	1,294	4,610	46,613	6,469	7,088	2,637	5,604	150	68,561
16. उत्तर प्रदेश	30,759	5,285	40	42,647	-31	-18	73	1,030	2,091	-47	5,985	9,113	87,813	21,965	19,963	22,225	15,951	-141	1,67,776
17. पश्चिम बंगाल	20,839	1,767	2	60,987	-	29	13	42	-	101	8,402	8,588	92,184	14,778	5,383	2,458	9,338	13	1,24,153
II. विशेष श्रेणी																			
1. अरुणाचल प्रदेश	424	22	-	496	56	2	-	167	-	5	107	280	1,277	478	527	127	-38	-	2,371
2. असम	6,525	772	-	4,689	-	3	19	303	-	-24	118	418	12,403	2,670	3,615	1,126	-375	50	19,490
3. हिमाचल प्रदेश	4,583	63	-	3,694	42	517	2	464	-	27	2,802	3,812	12,195	1,022	3,613	175	1,131	5	18,142
4. जम्मू और कश्मीर	3,538	1,432	-	3,141	-	647	14	568	2,130	1	91	3,450	11,561	2,075	3,953	1,074	1,008	1	19,673
5. मणिपुर	868	141	-	481	-	8	-	10	-	17	88	123	1,613	1,206	648	14	704	-	4,185
6. मेघालय	1,120	13	-	279	-	1	1	58	-	7	132	199	1,611	364	383	57	399	6	2,819
7. मिजोरम	709	41	-	140	47	285	-	48	-	4	106	443	1,380	384	863	41	686	-	3,354
8. नागालैंड	1,700	71	-	113	95	99	27	90	-	1	320	537	2,516	419	419	-	-130	-	3,225
9. सिक्किम	517	43	-	117	-	75	1	24	-	-	13	113	790	222	321	2	73	1	1,409
10. त्रिपुरा	1,159	57	-	1,111	-	210	-	15	-	-	7	233	2,561	556	1,372	21	105	10	4,625
11. उत्तराखंड	4,266	515	2	4,373	31	1	5	534	36	47	516	1,139	10,325	464	1,201	137	1,142	38	13,308
सभी राज्य:	2,42,777	26,051	82	4,25,309	299	12,197	971	15,622	9,176	1,118	30,253	89,338	7,63,855	1,46,653	1,49,920	76,761	1,01,068	1,319	12,41,576
ग्राम मंडल:																			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	25,569	-	-	-	-	-	-	-	-	25,569	-	-	-	-	-	25,569
2. पुदुचेरी	-	-	-	1,165	-	-	-	-	-	-	-	-	1,165	1,003	-	-	-	1	2,169

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना (जारी)
(मार्च 2008 के अंत में)

राज्य	एफडीएल	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएसएसएफ	आर.बी.आई से अर्थोपाय अग्रिम	एलआईसी से ऋण	जीआईसी से ऋण	नार्वेई से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरांक ऋण	केन्द्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आवधिक्यता निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19
I. नैऋत्य क्षेत्रीय																			
1. आंध्र प्रदेश	29,186	1,949	-	24,222	-	1,750	130	3,189	-	134	54	5,256	60,612	15,126	6,862	3,121	14,105	49	99,875
2. बिहार	10,706	1,660	22	15,331	-9	24	2	613	-	39	10	687	28,398	8,308	9,429	932	5,391	350	52,807
3. छत्तीसगढ़	2,510	387	-	4,355	-	20	11	588	-	36	-	655	7,907	2,122	1,628	1,071	1,879	40	14,647
4. गोवा	1,477	-	-	2,680	-	25	-	12	-	1	72	110	4,267	839	722	175	440	200	6,642
5. गुजरात	19,021	1,303	2	44,389	-	-	-	4	204	2	3,071	3,282	67,998	10,670	4,851	5,391	11,227	190	1,00,328
6. हरियाणा	4,741	1,618	-	10,536	-	19	14	814	-	80	587	1,514	18,408	2,080	6,257	1,232	1,923	10	29,911
7. झारखंड	4,734	1,692	7	7,861	9	5	2	607	-	-	425	1,038	15,342	2,541	881	622	1,806	150	21,342
8. कर्नाटक	11,988	-	-	19,515	-	644	60	1,149	-	-41	-	1,812	33,315	9,560	8,533	4,880	4,187	80	60,555
9. केरल	16,481	927	1	11,982	-	3,136	324	691	-	251	227	4,628	34,019	5,534	15,858	685	2,387	20	58,503
10. मध्य प्रदेश	12,584	2,131	-	14,686	-	150	17	2,038	122	33	689	3,048	32,450	8,784	7,836	1,852	3,886	100	54,909
11. महाराष्ट्र	27,711	815	3	72,851	-	2,086	-10	1,149	2	405	2,714	6,347	1,07,726	8,562	10,096	14,847	20,691	91	1,62,013
12. उड़ीसा	8,024	882	-	6,756	-	19	37	834	-	4	628	1,522	17,185	8,454	10,727	4,426	2,099	86	42,975
13. पंजाब	13,228	510	-	21,642	-	4	1	1,242	3,768	-	610	5,625	41,005	3,283	8,613	1,722	1,146	25	55,794
14. राजस्थान	19,303	184	-	24,203	-	614	75	1,369	-	92	197	2,346	46,037	7,679	15,422	2,439	5,555	35	77,166
15. तमिलनाडु	20,502	-	-	24,848	-	1,203	115	2,254	298	27	1,000	4,897	50,247	6,936	7,471	3,340	5,742	150	73,887
16. उत्तर प्रदेश	33,389	4,697	40	44,055	-31	-24	71	1,326	2,811	-32	5,429	9,580	91,731	21,143	22,414	25,472	18,634	346	1,79,741
17. पश्चिम बंगाल	31,579	1,571	2	61,715	-	25	11	40	-	86	8,323	8,485	1,03,352	14,156	5,702	2,602	10,599	13	1,36,422
II. विदेश क्षेत्रीय																			
1. अरुणाचल प्रदेश	598	19	-	521	56	1	-	203	-	2	107	314	1,508	460	570	47	253	-	2,837
2. असम	7,155	686	-	4,699	-	2	17	434	-	-30	89	512	13,052	2,601	3,933	1,492	-936	50	20,192
3. हिमाचल प्रदेश	5,905	56	-	3,829	-	470	2	616	-	24	2,203	3,315	13,105	1,018	4,154	435	765	5	19,482
4. जम्मू और कश्मीर	5,645	1,273	-	3,169	-	690	12	711	2,055	1	77	3,546	13,633	1,951	4,295	1,204	1,019	1	22,102
5. मणिपुर	1,078	126	-	681	-	8	-	14	-	14	84	120	2,005	969	701	18	837	-	4,529
6. मेघालय	1,268	11	-	288	-	1	1	81	-	7	117	207	1,773	348	429	68	594	6	3,218
7. मिजोरम	838	36	-	140	27	286	-	56	-	2	82	426	1,468	377	1,035	49	1,021	-	3,951
8. नागालैंड	1,998	63	-	113	-	99	26	98	-	2	370	596	2,770	404	432	2	-32	-	3,577
9. सिक्किम	742	38	-	115	-	81	1	36	-	-	11	129	1,024	215	335	23	107	1	1,705
10. त्रिपुरा	1,114	51	-	1,115	-	195	4	57	-	-	7	263	2,542	532	1,429	46	-17	10	4,542
11. उत्तराखंड	5,001	458	2	4,582	202	1	5	641	36	37	459	1,179	11,425	446	1,356	74	1,284	65	14,650
सभी राज्य:	2,98,508	23,143	80	4,30,879	255	11,534	927	20,867	9,295	1,175	27,640	71,438	8,24,304	145,098	161,972	78,265	1,16,591	2,073	13,28,302
ग्राम मंडल:																			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	25,339	-	-	-	-	-	-	-	-	25,339	-	-	-	-	-	25,339
2. पुद्दुचेरी	337	-	-	1,174	-	-	-	-	-	-	-	-	1,511	973	252	-	187	1	2,923

विवरण 26: बकाया देयताओं की संरचना (जारी)
(मार्च 2009 के अंत में)

राज्य	एफडीएल	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएसएसएफ	आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम	एलआईसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नार्वेड से ऋण	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि, आदि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम	आवक्यता निधि	बकाया देयताएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7 से 12	14 = (2 से 6) + 13	15	16	17	18	19	20 = 14 से 19	
I. नैऋत्य क्षेत्रीय																				
1. आंध्र प्रदेश	38,336	1,827	-	24,209	-	1,401	130	4,751	-	120	-392	6,010	70,382	15,508	7,732	2,742	14,970	49	1,11,383	
2. बिहार	13,370	1,557	21	15,826	-9	24	2	1,157	-	46	9	1,238	32,003	7,911	9,779	932	5,486	350	56,461	
3. छत्तीसगढ़	2,326	362	-	4,373	-	20	11	844	-	327	-	1,202	8,264	2,304	1,669	1,156	1,909	40	15,342	
4. गोवा	1,881	-	-	2,704	-100	23	-	7	-	1	258	289	4,773	872	752	175	455	200	7,227	
5. गुजरात	26,879	1,222	2	44,316	-	-	-	1,143	182	-	2,713	4,037	76,456	10,386	5,076	5,391	11,227	190	1,08,726	
6. हरियाणा	7,246	1,517	-	10,456	-	16	14	1,086	-	89	907	2,112	21,330	2,002	6,607	1,241	1,871	10	33,061	
7. झारखंड	5,972	1,587	7	7,949	9	5	2	809	-	6	760	1,582	17,105	2,377	1,139	622	1,960	150	23,352	
8. कर्नाटक	18,572	-	-	19,351	-	609	60	1,573	-	-61	-6	2,175	40,098	9,495	9,647	4,880	4,187	80	68,387	
9. केरल	21,263	869	1	11,880	-	3,357	324	1,079	-	235	237	5,232	39,244	6,211	16,276	670	2,567	20	64,989	
10. मध्य प्रदेश	16,572	1,998	-	14,538	-	138	17	2,626	122	13	613	3,529	36,637	9,673	8,000	2,256	3,588	100	60,254	
11. महाराष्ट्र	44,678	764	3	73,279	-	1,836	-10	1,978	2	590	2,416	6,812	1,25,536	8,910	10,876	14,869	22,045	91	1,82,326	
12. उड़ीसा	7,354	827	-	6,812	-	16	37	1,378	-	3	644	2,078	17,072	9,399	11,327	4,426	2,238	86	44,547	
13. पंजाब	17,874	478	-	21,429	-	3	1	1,488	3,236	-	549	5,277	45,058	3,334	9,354	2,077	1,614	25	61,462	
14. राजस्थान	24,499	166	-	23,769	-	428	75	1,948	-	123	167	2,741	51,175	7,738	16,769	2,394	5,880	200	84,156	
15. तमिलनाडु	29,294	-	-	24,610	-	1,128	115	3,047	281	35	729	5,335	59,239	7,843	8,074	3,321	5,794	150	84,422	
16. उत्तर प्रदेश	43,686	4,404	40	44,466	-31	-31	71	1,786	2,811	-21	4,926	9,542	1,02,107	20,445	27,004	26,772	20,828	346	1,97,501	
17. पश्चिम बंगाल	43,123	1,473	2	62,235	-	20	11	41	-	76	8,243	8,391	1,15,223	13,849	6,061	2,650	10,898	20	1,48,702	
II. विदेश क्षेत्रीय																				
1. अरुणाचल प्रदेश	615	18	-	543	116	1	-	288	-	3	11	303	1,594	482	667	61	279	-	-	
2. असम	9,255	643	-	4,717	-	2	17	597	-	-31	57	641	15,256	2,499	4,282	1,492	-936	50	22,644	
3. हिमाचल प्रदेश	7,658	53	-	3,889	-	421	2	863	-	16	1,663	2,966	14,565	961	4,454	435	765	5	21,186	
4. जम्मू और कश्मीर	7,275	1,193	-	3,212	-	790	12	976	2,055	1	-91	3,743	15,423	1,844	4,876	1,398	691	1	24,233	
5. मणिपुर	1,342	118	-	880	-	5	-	22	-	11	82	121	2,461	739	730	18	816	-	4,763	
6. मेघालय	1,454	11	-	293	-	1	1	124	-	7	102	234	1,992	336	484	68	593	6	3,480	
7. मिजोरम	964	34	-	137	27	282	-	62	-	-	80	425	1,587	375	1,135	84	1,065	-	4,246	
8. नागालैंड	2,371	59	-	113	-	88	26	140	-	18	445	718	3,261	383	438	2	-19	-	4,065	
9. सिक्किम	990	36	-	113	-	85	1	72	-	-	9	168	1,306	201	351	13	109	1	1,981	
10. त्रिपुरा	1,192	48	-	1,096	-	195	4	115	-	-	-22	292	2,628	505	1,439	45	-43	10	4,585	
11. उत्तराखंड	5,885	429	2	4,722	202	1	5	778	36	39	458	1,317	12,557	437	1,575	103	1,419	100	16,191	
सभी राज्य:	4,01,924	21,691	80	4,31,915	215	10,868	927	30,778	8,724	1,645	25,567	78,509	9,34,333	1,47,019	1,76,574	80,293	1,22,256	2,280	14,62,755	
जागतिक बैंक:																				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	25,382	-	-	-	-	-	-	-	-	25,382	-	-	-	-	-	-	25,382
2. पुदुचेरी	687	-	-	1,183	-	-	-	-	-	-	684	684	2,554	935	294	12	213	1	4,009	

विवरण

स्पष्टीकरण: राज्य विकास क्रम।

नोट : 1. 2004 से पहले की कयाय देवतओं में गोरखार डेटा श्रृंखला के लिए कयाय राज्य ति: 2006-07 के बजटों का अध्ययन: देहां।

स्रोत : 2. आंध्र प्रदेश और मणिपुर के लिए मार्च 2004 के अंत से मध्य तिथि के जवादे संग्रहित किए गए हैं।

संदर्भ : 3. भारत में रसव और राज्य सरकारों के संयुक्त और राज्य लंबे, संपादित।

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
3. रिजर्व बैंक के अभिलेख।
4. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
5. केंद्र सरकार के वित्त लेख: सीजीए, भारत सरकार।

विवरण 27: राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं (मार्च के अंत की स्थिति)

राज्य	(करोड़ रुपये)																				
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (संशु.)	2010 (अंशु.)	21
I. संघ विशेष श्रेणी																					
1. आंध्र प्रदेश	8,150	9,454	11,063	12,940	15,224	17,778	20,201	23,313	28,301	34,829	41,809	48,637	56,030	65,251	75,418	83,282	90,456	99,875	1,11,383	1,27,581	
2. बिहार	10,633	11,777	13,551	14,752	16,701	18,685	20,752	23,584	27,109	32,866	29,942	34,135	38,254	39,999	43,183	47,290	49,846	52,807	56,461	60,617	
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,967	8,121	9,592	10,825	12,133	13,190	14,042	14,647	15,342	17,820	
4. गोवा	903	967	1,049	1,115	1,183	1,275	1,402	1,568	1,836	2,510	2,822	3,746	3,503	3,885	4,417	5,126	5,841	6,642	7,227	8,039	
5. गुजरात	8,076	9,361	10,502	11,467	12,999	14,889	17,006	20,419	25,068	34,190	42,781	47,919	55,175	62,307	71,334	83,024	90,956	1,00,328	1,08,726	1,20,759	
6. हरियाणा	3,076	3,471	3,899	4,424	5,036	6,171	7,004	8,110	10,250	13,810	14,650	17,726	19,948	22,450	24,900	26,979	29,308	29,911	33,061	40,324	
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,448	9,979	11,887	10,036	13,090	16,924	19,049	21,342	23,352	25,741	
8. कर्नाटक	5,898	6,271	7,160	8,815	9,952	11,074	12,739	14,697	17,455	21,045	25,301	31,337	36,020	39,959	44,345	49,587	58,079	60,555	68,387	76,762	
9. केरल	4,983	5,833	6,682	7,595	9,280	10,719	12,314	14,469	17,333	22,214	26,259	29,536	34,312	39,151	43,695	47,883	52,318	58,503	64,989	70,761	
10. मध्य प्रदेश	7,777	8,803	11,442	10,792	12,165	13,891	15,948	17,975	21,957	25,933	22,127	26,043	29,882	37,967	44,586	49,647	52,731	54,909	60,254	67,190	
11. महाराष्ट्र	12,878	15,279	16,911	18,787	21,979	26,379	30,602	37,052	44,264	58,813	67,601	78,541	89,952	1,06,838	1,24,554	146,228	1,60,741	1,62,013	1,82,326	2,07,810	
12. उड़ीसा	5,156	6,065	6,792	7,689	8,914	10,295	11,996	13,636	16,281	20,614	24,220	28,161	30,869	33,850	36,982	40,724	42,938	42,975	44,547	48,619	
13. पंजाब	7,071	8,131	9,524	10,874	12,454	14,040	15,618	17,904	21,823	26,610	30,763	35,730	40,125	42,819	47,071	51,140	51,009	55,794	61,462	67,721	
14. राजस्थान	6,580	7,647	8,654	10,038	11,866	14,137	16,742	19,229	24,136	31,684	35,541	41,634	47,534	53,109	59,968	66,239	71,773	77,166	84,156	90,972	
15. तमिलनाडु	7,044	8,341	10,206	11,616	13,541	15,134	17,257	19,512	23,189	29,568	34,541	39,069	44,471	51,759	55,968	63,848	68,561	73,887	84,422	95,232	
16. उत्तर प्रदेश	19,760	22,978	26,366	29,693	34,253	39,998	45,630	52,428	62,103	77,934	83,098	95,822	1,05,126	1,24,063	1,36,273	1,54,061	1,67,776	1,79,741	1,97,501	2,21,106	
17. पश्चिम बंगाल	8,857	10,135	11,281	12,926	15,128	17,716	21,114	25,173	32,192	44,042	54,929	66,396	78,325	89,472	97,342	1,14,419	1,24,153	1,36,422	1,48,702	1,68,684	
II. विशेष श्रेणी																					
1. अरुणाचल प्रदेश	280	287	262	281	319	397	480	477	566	735	739	790	966	1,736	2,069	2,412	2,371	2,837	3,083	3,363	
2. असम	4,341	4,658	4,670	4,675	5,228	6,326	6,402	6,469	6,765	8,666	10,227	11,988	13,099	15,688	17,043	18,401	19,490	20,192	22,644	25,053	
3. हिमाचल प्रदेश	1,329	1,492	1,833	1,996	2,556	3,267	3,661	4,298	6,383	7,840	8,705	10,055	12,228	14,379	16,483	17,390	18,142	19,482	21,186	22,619	
4. जम्मू और कश्मीर	3,358	3,808	4,014	4,510	4,448	4,628	5,294	5,736	6,429	7,739	9,101	9,624	10,528	14,728	15,877	18,427	19,673	22,102	24,233	26,179	
5. मणिपुर	390	503	531	564	607	676	721	1,040	1,328	1,614	1,870	1,870	1,890	2,444	3,239	4,062	4,185	4,529	4,763	4,967	
6. मेघालय	218	245	301	381	450	490	475	658	862	1,117	1,388	1,528	1,820	2,123	2,410	2,610	2,819	3,218	3,480	3,853	
7. मिजोरम	330	314	322	378	444	538	574	771	842	1,178	1,375	1,713	1,967	2,606	2,922	3,154	3,354	3,951	4,246	4,583	
8. नागालैंड	409	476	520	586	624	781	753	876	1,063	1,389	1,604	1,884	2,385	2,389	2,638	3,006	3,225	3,577	4,065	4,625	
9. सिक्किम	142	162	199	222	263	292	228	260	415	593	852	929	989	1,010	1,150	1,289	1,409	1,705	1,981	2,338	
10. त्रिपुरा	517	573	631	759	856	948	986	1,163	1,525	1,993	2,384	2,817	3,278	4,057	4,853	5,358	4,625	4,542	4,585	5,069	
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,106	5,018	6,274	8,273	10,123	12,017	13,308	14,650	16,191	18,216	
सभी राज्य	1,28,155	1,47,030	1,69,365	1,87,875	2,16,473	2,49,535	2,85,898	3,30,816	3,99,576	5,09,829	5,94,148	6,90,747	7,86,427	9,03,174	10,14,087	11,47,717	12,41,576	13,28,302	14,82,755	16,36,403	
आम्र प्रदेश:																					
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	117	627	1,354	2,205	3,081	3,788	6,348	7,924	9,777	12,494	14,149	15,836	21,567	25,569	25,339	25,382	24,646	
2. पुद्दुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310	1,549	1,818	2,169	2,923	4,009	4,979	

संशु.: संशोधित अनुमान, अंशु.: बजट अनुमान.
नोट : अंकड़ा शीतों और पद्धति पर व्याख्यात्मक नोट देखें।
स्रोत : विवरण 26 से तैयार।

विवरण 29: राज्य सरकारों के बाज़ार उधार

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08				2008-09				2009-10			
	सकल आबंटन	चुकोती	निवल आबंटन#	जुटायी गयी राशि	सकल आबंटन	चुकोती	निवल आबंटन#	जुटायी गयी राशि*	सकल आबंटन	चुकोती	निवल आबंटन	जुटायी गयी राशि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. नैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश ^	8,325	1,008	7,318	6,650	12,007	1,783	10,224	10,934	2,098	2,098	—	13,000
2. बिहार	2,196	779	1,417	1,092	4,279	733	3,546	3,397	5,672	498	5,174	3,000
3. छत्तीसगढ़	978	157	821	—	1,375	153	1,221	—	2,789	250	2,539	700
4. गोवा	636	31	605	400	725	96	628	500	802	82	720	500
5. गुजरात	6,777	475	6,301	6,775	9,088	677	8,391	8,534	13,756	930	12,826	9,000
6. हरियाणा	1,272	253	1,018	—	3,985	290	3,694	2,795	3,929	316	3,613	3,300
7. झारखंड ^	1,553	264	1,289	1,192	1,490	248	1,241	1,486	169	169	—	1,844
8. कर्नाटक	2,462	462	2,000	750	7,417	833	6,584	7,417	9,116	1,046	8,070	4,750
9. केरल	4,297	663	3,634	4,297	7,183	734	6,449	5,516	2,192	746	1,446	3,976
10. मध्य प्रदेश	3,682	538	3,144	1,875	5,034	538	4,496	4,495	6,059	804	5,255	4,673
11. महाराष्ट्र ^	8,568	775	7,793	8,520	17,762	795	16,967	17,762	889	889	—	12,500
12. उड़ीसा	1,085	718	367	—	1,132	670	462	—	2,678	571	2,107	—
13. पंजाब	4,121	328	3,794	4,121	5,711	416	5,295	5,061	7,162	624	6,538	4,985
14. राजस्थान	3,987	754	3,233	3,987	6,556	1,160	5,396	6,356	8,105	1,389	6,716	7,500
15. तमिलनाडु	4,942	813	4,130	4,942	8,792	806	7,987	9,598	12,919	875	12,044	11,200
16. उत्तर प्रदेश	6,494	1,791	4,703	4,422	14,006	2,397	11,610	12,693	13,877	2,634	11,243	12,680
17. पश्चिम बंगाल	11,607	867	10,740	11,607	11,898	854	11,044	12,397	14,948	948	14,000	15,752
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	185	10	174	185	182	10	172	26	251	10	241	79
2. असम	964	333	631	963	2,563	405	2,157	2,506	3,921	418	3,503	963
3. हिमाचल प्रदेश	1,399	77	1,322	1,399	2,510	160	2,350	1,912	2,145	243	1,902	500
4. जम्मू और कश्मीर	2,226	118	2,108	2,226	1,680	128	1,553	1,757	896	127	769	539
5. मणिपुर	247	37	210	247	383	39	344	303	503	42	461	189
6. मेघालय	196	48	147	196	378	73	305	259	305	82	224	274
7. मिजोरम	147	18	129	147	156	30	126	156	168	35	133	101
8. नागालैंड	369	71	298	369	467	94	373	467	549	129	420	549
9. सिक्किम	308	26	282	250	314	45	269	293	331	51	280	188
10. त्रिपुरा	238	45	193	—	628	78	550	156	561	96	465	250
11. उत्तराखंड	971	95	877	830	1,051	127	924	1,011	1,258	140	1,118	600
सभी राज्य	80,233	11,555	68,678	67,442	1,28,730	14,371	1,14,359	1,17,787	1,18,047	16,238	1,01,809	1,13,591
जापन में:												
1. पुदुचेरी	337	—	337	337	350	—	350	350	650	—	650	500

* : 8 फ़रवरी 2010 तक।

: अतिरिक्त आबंटन शामिल।

^ : 2009-10 के लिए आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के लिए निवल आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्रोत: रिजर्व बैंक के अभिलेख।

विवरण 30: राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	1999-2000 (वास्तविक खर्च)	2000-01 (वास्तविक खर्च)	2001-02 (वास्तविक खर्च)	2002-03 (वास्तविक खर्च)	2003-04 (वास्तविक खर्च)	2004-05 (वास्तविक खर्च)	2005-06 (वास्तविक खर्च)	2006-07 (वास्तविक खर्च)	2007-08 (वास्तविक खर्च)	2008-09 (संशोधित परिव्यय)	2009-10 (अनुमोदित परिव्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. गैर विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	4,748	7,035	7,969	8,315	10,759	11,457	13,439	18,207	29,982*	36,188	\$
2. बिहार	2,676	1,638	1,471	2,207	2,627	3,196	4,465	8,550	9,652	12,000	16,000
3. छत्तीसगढ़	—	470	1,361	1,767	2,404	2,833	3,465	5,107	7,414*	9,600**	10,948
4. गोवा	237	361	373	423	568	767	958	1,070	1,225	1,738**	2,240
5. गुजरात	6,492	4,965	5,357	5,403	7,585	7,603	11,000	14,384	15,651	21,000**	23,500
6. हरियाणा	1,676	1,718	1,766	1,776	1,866	2,108	2,997	4,233	5,751	7,130	10,000
7. झारखंड	—	—	2,024	2,797	1,772	2,991	4,079	3,883	5,706	8,015**	\$
8. कर्नाटक	6,363	6,785	7,904	8,164	8,619	11,741	12,678	18,309	17,227	22,354	29,500
9. केरल	2,946	2,954	2,398	3,944	3,618	3,544	3,878	4,559	5,085	7,700**	8,660
10. मध्य प्रदेश	3,589	3,177	4,532	5,330	5,087	6,610	7,443	9,532	12,047	14,183**	16,174
11. महाराष्ट्र	10,419	9,586	8,526	7,739	8,188	9,817	14,674	15,681	20,200*	25,000**	\$
12. उड़ीसा	2,484	2,562	2,450	2,474	2,437	2,739	2,819	3,631	6,033	7,500	9,500
13. पंजाब	1,753	1,877	2,171	1,766	1,586	1,956	3,825	5,752	5,024	6,210**	8,600
14. राजस्थान	3,601	3,773	4,338	4,431	6,044	6,591	7,700	8,969	13,795	14,020	17,322
15. तमिलनाडु	5,414	5,777	5,319	5,841	7,088	8,286	8,784	12,677	14,224	16,000	17,500
16. उत्तर प्रदेश	6,572	5,956	7,695	6,618	6,132	8,428	13,523	20,097	24,297	32,000	39,000
17. पश्चिम बंगाल	3,928	5,631	4,595	2,673	2,529	4,268	5,990	6,935	8,858	11,602**	14,150
कुल I	62,898	64,265	70,249	71,668	78,908	94,935	1,21,717	1,61,575	2,02,172	2,52,240	2,23,094
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	468	511	555	532	642	656	738	892	1,083	1,887	2,100
2. असम	1,405	1,481	1,628	1,415	1,456	2,175	1,869	2,758	3,895*	5,041	6,000
3. हिमाचल प्रदेश	1,624	1,723	1,720	2,051	1,307	1,475	1,676	2,017	2,099	2,535	2,700
4. जम्मू और कश्मीर	1,506	1,538	1,743	2,064	2,352	2,839	3,556	3,406	4,850*	5,513**	5,500
5. मणिपुर	453	248	229	209	287	560	611	1,046	1,337	1,716	2,000
6. मेघालय	343	463	470	400	487	590	688	760	984	1,425	2,100
7. मिजोरम	378	372	402	421	551	550	693	702	767	1,048	1,250
8. नागालैंड	306	318	400	368	479	463	648	693	847	1,110	1,500
9. सिक्किम	193	218	282	340	368	467	472	450	607	915	1,045
10. त्रिपुरा	453	474	523	591	576	579	746	892	1,067	1,338	1,680
11. उत्तराखंड	—	821	1,729	1,449	1,678	1,917	3,026	3,250	3,944	4,775**	4,646
कुल II	7,129	8,167	9,681	9,840	10,183	12,271	14,723	16,867	21,480	27,301	30,521
महा जोड़ (I+II)	70,027	72,432	79,930	81,508	89,091	1,07,206	1,36,440	1,78,442	2,23,652	2,79,541	2,53,615
ज्ञापन मंटे:											
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,298	3,129	4,005	4,406	4,609	4,261	4,286	5,084	7,860	10,000**	10,000
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	916	1,037	1,087	1,750	2,250

\$: योजना के आकार को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

* : संशोधित परिव्यय।

** : राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परिव्यय देहराया गया।

स्रोत: योजना आयोग, भारत सरकार।

विवरण 31: पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय

(करोड़ रु.)

राज्य	पूंजीगत प्राप्तियां			पूंजीगत व्यय		
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	23,767	20,587	22,073	20,892	22,609	24,433
2. बिहार	4,234	4,959	6,049	8,008	12,626	11,731
3. छत्तीसगढ़	1,470	3,252	3,636	4,189	4,505	4,729
4. गोवा	639	718	1,106	781	1,158	1,234
5. गुजरात	10,269	10,532	15,649	9,142	13,385	11,688
6. हरियाणा	1,550	4,912	7,376	4,553	5,111	6,624
7. झारखंड	4,598	2,344	3,077	5,264	5,162	4,779
8. कर्नाटक	4,695	11,313	12,589	10,656	12,127	13,826
9. केरल	7,519	7,747	7,795	3,801	4,198	4,869
10. मध्य प्रदेश	3,861	6,886	9,110	9,664	10,460	10,473
11. महाराष्ट्र	3,508	18,972	29,678	15,460	23,951	23,578
12. उड़ीसा	1,446	5,055	4,795	5,121	5,326	3,878
13. पंजाब	7,601	8,792	9,029	3,458	6,081	5,378
14. राजस्थान	9,604	9,693	9,865	8,630	8,793	10,061
15. तमिलनाडु	9,326	13,646	14,258	12,773	12,894	14,333
16. उत्तर प्रदेश	18,343	19,818	27,278	22,081	28,144	28,730
17. पश्चिम बंगाल	17,263	22,405	25,608	8,330	10,153	10,670
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	679	723	620	809	1,962	964
2. असम	1,084	3,308	3,504	2,406	4,968	5,666
3. हिमाचल प्रदेश	2,916	2,634	2,439	2,322	3,211	2,854
4. जम्मू और कश्मीर	3,145	2,974	2,952	5,361	6,303	7,652
5. मणिपुर	677	624	368	1,427	1,922	1,473
6. मेघालय	459	434	521	517	793	994
7. मिजोरम	752	504	691	651	736	656
8. नागालैंड	578	699	844	991	1,313	1,607
9. सिक्किम	368	433	443	471	1,014	966
10. त्रिपुरा	-145	195	697	1,041	1,666	1,817
11. उत्तराखंड	1,782	2,039	3,066	2,720	2,687	2,876
सभी राज्य	1,41,987	1,86,201	2,25,114	1,71,520	2,13,259	2,18,540
ज्ञापन मर्दे:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	977	482	318	8,389	8,715	9,340
2. पुदुचेरी	1,121	1,339	1,237	357	502	914

टिप्पणी : 1. पूंजीगत प्राप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल है, जबकि पूंजीगत व्यय लोक लेखा को छोड़कर है।
2. परिशिष्ट III और IV के नोट भी देखें।
3. वर्ष 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
आंध्र प्रदेश					
ब्याजवाही ऋण					
1	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	245.36	51	8.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	400.00
2	11.77% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	400.00	52	8.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	750.00
3	11.85% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	251.49	53	8.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	600.00
4	12.25% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	700.67	54	8.48% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	500.00
5	10.52% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	514.13	55	7.10% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,500.00
6	11.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	500.01	56	7.92% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	500.00
7	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	239.91	57	7.98% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	800.00
8	11.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	400.00	58	8.11% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
9	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	285.07	59	8.25% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
10	8.37% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	350.00	60	8.41% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
11	9.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	198.74	61	8.45% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,500.00
12	9.53% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	475.00	62	9.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	500.00
13	10.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	684.46	63	9.89% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2018	1,000.00
14	10.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	200.02	64	5.80% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
15	11.50% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	127.20	65	7.13% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,632.60
16	12.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	212.31	66	7.45% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,211.55
17	6.67% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	294.65	67	8.09% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	174.44
18	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	386.71	68	8.59% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,915.00
19	7.80% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012(II श्रृंखला)	442.82	69	5.00% शहरी भूमि सोलिंग (आंध्र प्रदेश) बांड 1976	0.12
20	7.90% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2012	250.00	कुल (क)		38,336.39
21	8.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	154.00	पावर बांड		
22	8.30% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	192.54	1	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2009	121.80
23	6.03% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2013	500.00	2	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2009	121.80
24	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	462.14	3	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2010	121.80
25	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	404.26	4	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2010	121.80
26	6.35% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013(II श्रृंखला)	531.53	5	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2011	121.80
27	6.40% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	828.00	6	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2011	121.80
28	6.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	808.85	7	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2012	121.80
29	6.75% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	342.19	8	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2012	121.80
30	6.95% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	876.00	9	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2013	121.80
31	5.60% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	732.45	10	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2013	121.80
32	5.70% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	590.62	11	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2014	121.80
33	7.32% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	321.15	12	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2014	121.80
34	7.36% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	734.87	13	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2015	121.80
35	5.85% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	263.83	14	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अक्टूबर 2015	121.80
36	6.20% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	462.25	15	8.50% आंध्र प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2016	121.80
37	7.02% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	354.34	कुल (ख)		1,827.07
38	7.39% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2015	482.10	<i>गैर ब्याजवाही ऋण (ग)</i>		
39	7.77% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	782.75			
40	7.34% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2015	375.00	कुल (क + ख + ग)		40,164.34
41	7.32% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	316.53	अरुणाचल प्रदेश		
42	7.74% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	400.00	ब्याजवाही ऋण		
43	7.89% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	500.00	1	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	3.60
44	7.93% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	408.78	2	12.25% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	4.00
45	8.65% आंध्र प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	742.16	3	10.52% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	4.01
46	5.90% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	305.98	4	11.30% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	2.22
47	7.17% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	46.86	5	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	4.30
48	7.99% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	300.00	6	12.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	2.21
49	8.00% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	600.00	7	8.60% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	5.17
50	8.17% आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	375.00	8	9.45% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.17

(जारी)

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
9	10.35% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.88	असम		
10	10.82% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	10.00	ब्याजवाही ऋण		
11	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	1.77	1	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2009	31.83
12	12.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	2.96	2	11.85% असम रा.वि.ऋ. 2009	100.00
13	6.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.12	3	12.25% असम रा.वि.ऋ. 2009	200.00
14	7.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	8.43	4	10.52% असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
15	7.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 [श्रृंखला]	4.67	5	11.30% असम रा.वि.ऋ. 2010	86.45
16	8.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	7.93	6	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2010	34.31
17	8.30% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.05	7	12.00% असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
18	6.95% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	14.00	8	9.45% असम रा.वि.ऋ. 2011	155.00
19	6.75% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	4.00	9	10.35% असम रा.वि.ऋ. 2011	75.00
20	6.40% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	9.02	10	10.82% असम रा.वि.ऋ. 2011	129.90
21	6.35% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	8.75	11	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2011	14.14
22	6.20% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	10.00	12	12.00% असम रा.वि.ऋ. 2011	23.60
23	5.60% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.50	13	6.80% असम रा.वि.ऋ. 2012	118.88
24	7.32% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	5.13	14	7.80% असम रा.वि.ऋ. 2012	89.04
25	7.36% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.52	15	7.80% असम रा.वि.ऋ. 2012 [श्रृंखला]	177.19
26	6.20% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	10.00	16	8.00% असम रा.वि.ऋ. 2012	106.76
27	5.85% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	11.88	17	8.30% असम रा.वि.ऋ. 2012	194.52
28	5.85% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015[श्रृंखला]	23.00	18	6.95% असम रा.वि.ऋ. 2013	303.00
29	7.39 % अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	6.83	19	6.75% असम रा.वि.ऋ. 2013	222.52
30	7.53 % अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	9.35	20	6.40% असम रा.वि.ऋ. 2013	207.37
31	7.77% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	7.21	21	6.35% असम रा.वि.ऋ. 2013	113.41
32	7.61 % अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	23.60	22	6.20% असम रा.वि.ऋ. 2013	129.60
33	8.00 % अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	12.63	23	6.35% असम रा.वि.ऋ. 2013 [श्रृंखला]	49.53
34	8.04% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	48.10	24	5.60% असम रा.वि.ऋ. 2014	220.00
35	8.10% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	47.00	25	5.70% असम रा.वि.ऋ. 2014	110.49
36	5.90% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	58.00	26	7.32% असम रा.वि.ऋ. 2014	174.32
37	8.42% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	50.00	27	7.36% असम रा.वि.ऋ. 2014	137.11
38	8.48% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	20.00	28	6.20% असम रा.वि.ऋ. 2015	129.60
39	8.00% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	105.84	29	5.85% असम रा.वि.ऋ. 2015	157.60
40	8.46% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	8.85	30	7.02% असम रा.वि.ऋ. 2015	69.40
41	8.47% अरुणाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	26.05	31	7.39% असम रा.वि.ऋ. 2015	146.62
कुल (क)		614.76	32	7.50% असम सरकार स्टॉक 2015	208.84
पावर बॉन्ड			33	7.77% असम रा.वि.ऋ. 2015	224.84
1	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2009	1.20	34	7.65% असम सरकार स्टॉक 2016	200.00
2	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2009	1.20	35	7.75% असम सरकार स्टॉक 2016	100.00
3	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2010	1.20	36	7.89% असम सरकार स्टॉक 2016	166.46
4	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2010	1.20	37	7.95% असम सरकार स्टॉक 2016	262.63
5	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2011	1.20	38	8.11% असम सरकार स्टॉक 2016	215.00
6	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2011	1.20	39	5.90% असम रा.वि.ऋ. 2017	205.40
7	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2012	1.20	40	7.17% असम रा.वि.ऋ. 2017	33.61
8	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2012	1.20	41	8.20% असम सरकार स्टॉक 2017	212.57
9	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2013	1.20	42	8.20% असम सरकार स्टॉक 2017	116.13
10	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2013	1.20	43	8.40% असम सरकार स्टॉक 2017	200.00
11	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2014	1.20	44	8.52% असम रा.वि.ऋ. 2017	401.00
12	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2014	1.20	45	7.97% असम सरकार स्टॉक 2018	246.00
13	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2015	1.20	46	8.89% असम सरकार स्टॉक 2018	1910.00
14	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2015	1.20	47	8.43% असम सरकार स्टॉक 2018	595.64
15	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2016	1.20	48	2.50% असम राज्य जमींदारी अधिग्रहण अधिनियम 1951 मुआवजा बॉन्ड	0.08
कुल [ख]		18.05	कुल (क)		9,255.38
कुल [क + ख]		632.81			

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
पावर बांड					
1	8.50% असम सरकार पावर बांड 2009	42.88	27	5.85% बिहार रा.वि.क्र. 2015	202.06
2	8.50% असम सरकार पावर बांड 2009	42.88	28	5.85% बिहार रा.वि.क्र. 2015 (II श्रृंखला)	21.83
3	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88	29	6.20% बिहार रा.वि.क्र. 2015	337.20
4	8.50% असम सरकार पावर बांड 2010	42.88	30	7.02% बिहार रा.वि.क्र. 2015	213.00
5	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88	31	7.77% बिहार रा.वि.क्र. 2015	494.14
6	8.50% असम सरकार पावर बांड 2011	42.88	32	7.39% बिहार रा.वि.क्र. 2015	233.49
7	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88	33	5.90% बिहार रा.वि.क्र. 2017	568.50
8	8.50% असम सरकार पावर बांड 2012	42.88	34	7.17% बिहार रा.वि.क्र. 2017	326.55
9	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88	35	8.25% बिहार सरकार स्टॉक 2018	1,092.00
10	8.50% असम सरकार पावर बांड 2013	42.88	36	6.45% बिहार सरकार स्टॉक 2018	750.00
11	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88	37	7.10% बिहार सरकार स्टॉक 2019	730.93
12	8.50% असम सरकार पावर बांड 2014	42.88	38	8.78% बिहार सरकार स्टॉक 2019	1,135.00
13	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88	39	8.45% बिहार सरकार स्टॉक 2019	781.00
14	8.50% असम सरकार पावर बांड 2015	42.88		कुल (ख)	12,051.14
15	8.50% असम सरकार पावर बांड 2016	42.88		कुल (क + ख)	13,391.08
	कुल (ख)	643.15	पावर बांड		
	कुल (क + ख)	9,898.53	1	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	103.78
	गैर व्याजवाही ऋण (ग)	0.05	2	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	103.78
	कुल (क + ख + ग)	9898.58	3	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	103.78
बिहार¹			4	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	103.78
व्याजवाही ऋण			5	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	103.78
1	11.50% बिहार रा.वि.क्र. 2009	199.31	6	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	103.78
2	11.30% बिहार रा.वि.क्र. 2010	298.86	7	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	103.78
3	11.50% बिहार रा.वि.क्र. 2010	253.77	8	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	103.78
4	10.52% बिहार रा.वि.क्र. 2010	216.66	9	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	103.78
5	12.00% बिहार रा.वि.क्र. 2010	59.77	10	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	103.78
6	11.50% बिहार रा.वि.क्र. 2011	108.88	11	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	103.78
7	12.00% बिहार रा.वि.क्र. 2011	181.74	12	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	103.78
8	2.50% बिहार बिहार जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड	20.95	13	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	103.78
	कुल (क)	1,339.94	14	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	103.78
9	9.45% बिहार रा.वि.क्र. 2011	262.00	15	8.50% बिहार सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	103.78
10	10.35% बिहार रा.वि.क्र. 2011	170.02		कुल (ग)	1,556.71
11	10.82% बिहार रा.वि.क्र. 2011	362.19		गैर व्याजवाही ऋण (घ)	0.29
12	6.80% बिहार रा.वि.क्र. 2012	227.09		कुल (क + ख + ग + घ)	14,948.07
13	7.80% बिहार रा.वि.क्र. 2012	184.30	छत्तीसगढ़²		
14	7.80% बिहार रा.वि.क्र. 2012 (II श्रृंखला)	327.11	1	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	38.18
15	8.00% बिहार रा.वि.क्र. 2012	323.61	2	11.85% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	64.08
16	8.30% बिहार रा.वि.क्र. 2012	360.30	3	12.25% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	98.37
17	6.20% बिहार रा.वि.क्र. 2013	337.20	4	10.52% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	62.94
18	6.35% बिहार रा.वि.क्र. 2013	295.05	5	11.00% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	79.86
19	6.40% बिहार रा.वि.क्र. 2013	369.00	6	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	40.08
20	6.75% बिहार रा.वि.क्र. 2013	297.97	7	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	61.49
21	6.95% बिहार रा.वि.क्र. 2013	299.00	8	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	17.71
22	6.35% बिहार रा.वि.क्र. 2013 (II श्रृंखला)	151.98	9	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	26.01
23	5.60% बिहार रा.वि.क्र. 2014	359.00	10	5.00% शहरी भूमि सीलिंग (मध्य प्रदेश) बांड	0.15
24	5.70% बिहार रा.वि.क्र. 2014	265.06		कुल (क)	488.87
25	7.32% बिहार रा.वि.क्र. 2014	308.53	11	10.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2011	84.93
26	7.36% बिहार रा.वि.क्र. 2014	266.05	12	10.50% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2011	40.00

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
13	10.82% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2011	30.49	13	7.80% गोवा रा.वि.क्र. 2012 (II शृंखला)	27.41
14	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2012	56.45	14	8.00% गोवा रा.वि.क्र. 2012	6.69
15	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2012 (II B)	154.87	15	8.30% गोवा रा.वि.क्र. 2012	22.58
16	8.00% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2012	65.49	16	6.20% गोवा रा.वि.क्र. 2013	24.81
17	8.10% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2012	67.00	17	6.35% गोवा रा.वि.क्र. 2013	21.70
18	8.30% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2012	52.00	18	6.40% गोवा रा.वि.क्र. 2013	62.15
19	6.75% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2013	115.21	19	6.75% गोवा रा.वि.क्र. 2013	11.24
20	6.95% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2013	137.01	20	6.95% गोवा रा.वि.क्र. 2013	33.75
21	6.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2013	72.80	21	5.60% गोवा रा.वि.क्र. 2014	67.22
22	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2013	83.21	22	7.32% गोवा रा.वि.क्र. 2014	26.39
23	5.60% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2014	153.68	23	7.36% गोवा रा.वि.क्र. 2014	39.35
24	5.70% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2014	106.67	24	5.85% गोवा रा.वि.क्र. 2015	57.33
25	7.32 % छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2014	132.00	25	6.20% गोवा रा.वि.क्र. 2015	24.82
26	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2015	83.23	26	7.77% गोवा रा.वि.क्र. 2015	33.22
27	5.85% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2015	100.02	27	7.65% गोवा सरकार स्टॉक 2016	50.00
28	5.90% छत्तीसगढ़ रा.वि.क्र. 2017	302.32	28	5.90% गोवा रा.वि.क्र. 2017	49.00
कुल (ख)		1,837.38	29	7.99% गोवा सरकार स्टॉक 2017	100.00
पावर बांड			30	8.40% गोवा सरकार स्टॉक 2017	150.00
1	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2009	24.16	31	8.23% गोवा सरकार स्टॉक 2018	200.00
2	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2009	24.16	32	8.35% गोवा सरकार स्टॉक 2018	250.00
3	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2010	24.16	33	7.24% गोवा सरकार स्टॉक 2019	200.00
4	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2010	24.16	34	8.08% गोवा सरकार स्टॉक 2019	100.00
5	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2011	24.16	कुल (क)		1,880.92
6	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2011	24.16	<i>गैर ब्याजवाही ऋण (ख)</i>		0.20
7	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2012	24.16	कुल (क + ख)		1,881.12
8	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2012	24.16	गुजरात		
9	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2013	24.16	ब्याजवाही ऋण		
10	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2013	24.16	1	9.40% गुजरात सरकार स्टॉक 2009	250.00
11	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2014	24.16	2	11.50% गुजरात रा.वि.क्र. 2009	99.57
12	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2014	24.16	3	11.85% गुजरात रा.वि.क्र. 2009	80.05
13	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2015	24.16	4	12.25% गुजरात रा.वि.क्र. 2009	500.00
14	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अक्टूबर 2015	24.16	5	10.52% गुजरात रा.वि.क्र. 2010	488.07
15	8.50% छत्तीसगढ़ पावर बांड अप्रैल 2016	24.16	6	11.50% गुजरात रा.वि.क्र. 2010	84.30
कुल (ग)		362.41	7	12.00% गुजरात रा.वि.क्र. 2010	71.19
<i>गैर ब्याजवाही ऋण (घ)</i>		1.36	8	9.45% गुजरात रा.वि.क्र. 2011	200.73
कुल (क +ख +ग +घ)		2,690.02	9	9.50% गुजरात सरकार स्टॉक 2011	190.00
गोवा			10	10.35% गुजरात रा.वि.क्र. 2011	388.50
ब्याजवाही ऋण			11	10.50% गुजरात रा.वि.क्र. 2011	250.00
1	11.50% गोवा रा.वि.क्र. 2009	7.31	12	11.50% गुजरात रा.वि.क्र. 2011	36.61
2	11.85% गोवा रा.वि.क्र. 2009	37.57	13	12.00% गुजरात रा.वि.क्र. 2011	61.12
3	12.25% गोवा रा.वि.क्र. 2009	37.43	14	6.80% गुजरात रा.वि.क्र. 2012	360.77
4	10.52% गोवा रा.वि.क्र. 2010	39.74	15	7.33% गुजरात सरकार स्टॉक 2012	200.00
5	11.50% गोवा रा.वि.क्र. 2010	8.73	16	7.80% गुजरात रा.वि.क्र. 2012	344.21
6	12.00% गोवा रा.वि.क्र. 2010	40.27	17	7.80% गुजरात रा.वि.क्र. 2012 (II शृंखला)	240.04
7	9.45% गोवा रा.वि.क्र. 2011	20.00	18	7.83% गुजरात सरकार स्टॉक 2012	245.00
8	10.35% गोवा रा.वि.क्र. 2011	40.01	19	8.00% गुजरात रा.वि.क्र. 2012	99.75
9	11.50% गोवा रा.वि.क्र. 2011	3.60	20	8.30% गुजरात रा.वि.क्र. 2012	277.20
10	12.00% गोवा रा.वि.क्र. 2011	6.00	21	6.00% गुजरात सरकार स्टॉक 2013	250.00
11	6.80% गोवा रा.वि.क्र. 2012	48.29	22	6.20% गुजरात रा.वि.क्र. 2013	629.72
12	7.80% गोवा रा.वि.क्र. 2012	34.31	23	6.35% गुजरात रा.वि.क्र. 2013	550.93
			24	6.35% गुजरात रा.वि.क्र. 2013 (II शृंखला)	508.86

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
25	6.40% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	343.08	हरियाणा		
26	6.75% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	452.88	ब्याजवाही ऋण		
27	6.95% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	694.03	1	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	60.07
28	5.60% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	318.94	2	11.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	144.93
29	5.70% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	740.00	3	12.25% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	111.33
30	7.32% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	169.25	4	10.52% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	140.30
31	7.36% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	283.42	5	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	53.97
32	5.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	300.04	6	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	98.08
33	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	629.73	7	9.45% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	80.00
34	7.77% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	347.85	8	10.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	100.01
35	7.61% गुजरात रा.वि.ऋ. 2016	254.42	9	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	26.16
36	5.90% गुजरात रा.वि.ऋ. 2017	629.27	10	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	40.99
37	8.00% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	400.00	11	6.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	168.90
38	8.20% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	475.00	12	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	129.78
39	8.30% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	400.00	13	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	77.86
40	8.32% गुजरात सरकार स्टॉक 2017	1,000.00	14	8.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	30.68
41	7.03% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1,250.00	15	8.30% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	83.92
42	7.80% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	16	6.95% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	289.40
43	7.87% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	17	6.75% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	89.61
44	8.07% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	18	6.40% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	215.55
45	8.14% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	19	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	185.52
46	8.39% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	360.00	20	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	212.04
47	8.43% गुजरात सरकार स्टॉक 2018	1,140.00	21	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	211.70
48	6.05% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1875.00	22	5.60% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	204.88
49	7.00% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1250.00	23	5.70% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	271.04
50	7.45% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1499.00	24	7.32% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	99.44
51	8.40% गुजरात सरकार स्टॉक 2019	1660.00	25	7.36% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	165.65
52	5.00% शहरी भूमि सीलिंग (गुजरात) बांड	1.21	26	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	212.05
53	3.00% बंबई कार्यकाल उन्मूलन मुआवजा बांड	0.70	27	5.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	198.86
54	4.50% गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 मुआवजा बांड	0.32	28	7.02% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	86.00
55	3.00% गुजरात उत्तरजीवी हस्तांतरण अधिनियम, 1963 मुआवजा बांड	0.17	29	7.53% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	164.97
कुल (क)		26,880.90	30	7.77% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	189.86
पावर बांड			31	7.33% हरियाणा सरकार स्टॉक 2016	165.93
1	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	81.44	32	5.90% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2017	141.02
2	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	81.44	33	7.27% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2019	1,295
3	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	81.44	34	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2019	1,500
4	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	81.44	कुल [क]		7,245.52
5	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	81.44	पावर बांड		
6	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	81.44	1	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	101.11
7	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	81.44	2	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	101.11
8	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	81.44	3	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	101.11
9	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	81.44	4	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	101.11
10	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	81.44	5	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	101.11
11	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	81.44	6	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	101.11
12	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	81.44	7	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	101.11
13	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	81.44	8	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	101.11
14	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	81.44	9	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	101.11
15	8.50% गुजरात सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	81.44	10	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	101.11
कुल (ख)		1,221.54	11	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	101.11
गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		1.44	12	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	101.11
कुल (क +ख +ग)		28,103.88	13	8.50% हरियाणा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	101.11

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
14	8.50% हरियाणा सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2015	101.11	43	8.00% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	274.01
15	8.50% हरियाणा सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2016	101.11	44	8.03% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	300.00
	कुल [ख]	1,516.71	45	8.21% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	200.00
	<i>गैर ब्याजवाही ऋण (ग)</i>	0.13	46	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	225.00
	कुल [क + ख + ग]	8,762.36	47	8.82% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	112.00
हिमाचल प्रदेश			48	6.10% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	200.00
ब्याजवाही ऋण			49	7.09% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	300.00
1	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	13.76	50	7.24% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	100.00
2	11.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	97.96	51	7.40% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	100.00
3	12.25% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	91.21	52	8.40% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	200.00
4	10.52% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	134.19	53	8.43% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	500.00
5	11.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	40.01		कुल (क)	7,657.85
6	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	22.54	पावर बॉन्ड		
7	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	48.91	1	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2009	3.51
8	9.45% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	40.01	2	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2009	3.51
9	10.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	121.45	3	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2010	3.51
10	10.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	50.00	4	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2010	3.51
11	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	9.11	5	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2011	3.51
12	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	17.33	6	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2011	3.51
13	6.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	99.91	7	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2012	3.51
14	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	104.05	8	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2012	3.51
15	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	149.88	9	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2013	3.51
16	8.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	22.20	10	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2013	3.51
17	8.30% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	192.56	11	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2014	3.51
18	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	141.22	12	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2014	3.51
19	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	123.57	13	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2015	3.51
20	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	155.40	14	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अक्टूबर 2015	3.51
21	6.40% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	190.31	15	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पावर बॉन्ड अप्रैल 2016	3.51
22	6.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	100.00		कुल (ख)	52.68
23	6.75% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	68.65		<i>गैर ब्याजवाही ऋण (ग)</i>	0.06
24	6.95% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	175.36		कुल [क+ख+ग]	7,710.59
25	5.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	207.76	झारखंड		
26	5.70% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	174.03	ब्याजवाही ऋण		
27	7.32% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	85.31	1	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2009	67.47
28	7.36% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	157.50	2	11.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	101.17
29	5.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	175.51	3	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	85.90
30	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	141.22	4	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	73.34
31	7.02% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	89.75	5	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	20.23
32	7.39% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2015	56.25	6	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	36.86
33	7.53% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	212.57	7	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	61.52
34	7.77% हिमाचल प्रदेश 2015	200.00	8	2.50% बिहार जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बॉन्ड	7.10
35	7.74% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	300.00		कुल (क)	453.59
36	5.90% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	110.00	9	10.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	120.13
37	7.17% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	15.85	10	10.82% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	122.61
38	8.16% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	300.00	11	6.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	64.91
39	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	211.50	12	7.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	87.69
40	8.40% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	100.00	13	7.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012 (श्रृंखला)	97.37
41	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	200.00	14	8.00% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	97.76
42	7.97% हिमाचल प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	200.00			

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
15	8.30% झारखंड रा.वि.क्र. 2012	152.40	जम्मू और काश्मीर		
16	6.20% झारखंड रा.वि.क्र. 2013	82.81	ब्याजवाही ऋण		
17	6.35% झारखंड रा.वि.क्र. 2013	72.45	1	11.50% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2009	26.54
18	6.40% झारखंड रा.वि.क्र. 2013	161.71	2	11.85% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2009	50.44
19	6.75% झारखंड रा.वि.क्र. 2013	75.62	3	12.25% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2009	50.00
20	6.95% झारखंड रा.वि.क्र. 2013	129.38	4	10.52% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2010	50.00
21	6.35% झारखंड रा.वि.क्र. 2013 (II शृंखला)	97.50	5	11.50% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2010	28.80
22	5.60% झारखंड रा.वि.क्र. 2014	124.78	6	12.00% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2010	38.61
23	5.70% झारखंड रा.वि.क्र. 2014	130.43	7	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2011	45.00
24	7.32% झारखंड रा.वि.क्र. 2014	116.75	8	9.45% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2011	38.71
25	7.36% झारखंड रा.वि.क्र. 2014	74.50	9	10.35% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2011	30.00
26	5.85% झारखंड रा.वि.क्र. 2015	147.11	10	10.50% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2011	150.00
27	6.20% झारखंड रा.वि.क्र. 2015	82.83	11	11.50% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2011	16.87
28	7.02% झारखंड रा.वि.क्र. 2015	15.69	12	12.00% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2011	19.81
29	7.39% झारखंड रा.वि.क्र. 2015	79.04	13	6.80% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2012	30.37
30	7.50% झारखंड सरकार स्टॉक 2015	117.81	14	7.80% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2012	61.14
31	7.77% झारखंड रा.वि.क्र. 2015	167.27	15	7.80% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2012 (II शृंखला)	45.54
32	7.96% झारखंड सरकार स्टॉक 2016	129.59	16	8.00% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2012	41.92
33	7.99% झारखंड सरकार स्टॉक 2016	192.56	17	8.00% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2012	70.00
34	8.65% झारखंड सरकार स्टॉक 2016	78.37	18	8.30% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2012	123.88
35	5.90% झारखंड रा.वि.क्र. 2017	27.99	19	6.20% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2013	109.20
36	8.04% झारखंड सरकार स्टॉक 2017	192.18	20	6.35% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2013	95.56
37	7.89% झारखंड सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	21	6.35% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2013 (II शृंखला)	65.00
38	6.34% झारखंड सरकार स्टॉक 2018	195.45	22	6.40% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2013	115.66
39	8.75% झारखंड सरकार स्टॉक 2019	535.00	23	6.60% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2013	211.99
40	8.47% झारखंड सरकार स्टॉक 2019	107.45	24	6.75% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2013	87.00
41	6.10% झारखंड सरकार स्टॉक 2019	248.10	25	6.95% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2013	90.00
42	7.44% झारखंड सरकार स्टॉक 2019	400.00	26	5.60% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2014	54.15
कुल (ख)		5,525.25	27	5.70% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2014	106.78
पावर बांड			28	7.32% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2014	35.60
1	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	105.77	29	7.36% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2014	42.20
2	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	105.77	30	5.85% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2015	17.48
3	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	105.77	31	6.20% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2015	109.22
4	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	105.77	32	7.02% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2015	45.03
5	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	105.77	33	7.53% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2015	128.38
6	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	105.77	34	7.77% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2015	95.11
7	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	105.77	35	7.75% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2016	75.00
8	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	105.77	36	7.80% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2016	90.97
9	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	105.77	37	8.04 % जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2016	149.73
10	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	105.77	38	5.90% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	75.01
11	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	105.77	39	7.17% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	124.98
12	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	105.77	40	7.95% जम्मू और काश्मीर सरकार स्टॉक 2017	200.00
13	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	105.77	41	8.25% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	122.02
14	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	105.77	42	8.45% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	250.00
15	8.50% झारखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	105.77	43	8.50% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	134.51
कुल (ग)		1,586.49	44	8.57% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	100.00
गैर ब्याजवाही ऋण (घ)		0.29	45	8.58% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	307.06
कुल (क+ख+ग+घ)		7,565.62	46	8.90% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2017	371.86
			47	7.98% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2018	100.00
			48	8.48% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2018	976.00
			49	8.54% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2018	200.00
			50	8.55% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2018	211.80
			51	8.68% जम्मू और काश्मीर रा.वि.क्र. 2018	564.10

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
52	8.70% जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2018	114.65	22	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013 (II शृंखला)	391.57
53	7.98% जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2019	444.57	23	6.40% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	562.46
54	8.34% जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2019	129.38	24	6.75% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	151.47
55	8.47% जम्मू और काश्मीर रा.वि.ऋ. 2019	207.00	25	6.95% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	456.79
कुल (क)		7,274.62	26	5.60% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	550.09
पावर बांड			27	5.70% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	435.13
1	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	79.54	28	7.32% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	295.70
2	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	79.54	29	7.36% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	365.47
3	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	79.54	30	5.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	518.68
4	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	79.54	31	5.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015 (II शृंखला)	500.03
5	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	79.54	32	6.20% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	339.84
6	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	79.54	33	7.02% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	261.02
7	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	79.54	34	7.77% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	414.92
8	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	79.54	35	5.90% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2017	220.96
9	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	79.54	36	8.40% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2018	750.00
10	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	79.54	37	6.70% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	1,500.00
11	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	79.54	38	7.76% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	3,000.00
12	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	79.54	39	8.49% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2019	2,917.00
13	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	79.54	40	3.00% बंबई भूमि पट्टेदारी उन्मूलन अधिनियम. (मैसूर)	
14	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	79.54		मुआवजा बांड	0.29
15	8.50% जम्मू और काश्मीर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	79.54	41	2.75% मैसूर इनाम्स उन्मूलन मुआवजा बांड	0.02
कुल (ख)		1,193.11	42	5.00% शहरी भूमि सीलिंग कर्नाटक बांड 1976	0.10
<i>गैर ब्याजवाही ऋण (ग)</i>		0.24	कुल (क)		18,572.39
कुल (क+ख+ग)		8,467.97	<i>गैर ब्याजवाही ऋण (ख)</i>		0.22
कर्नाटक			कुल (क+ख)		18,572.61
ब्याजवाही ऋण			केरल		
1	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	142.28	ब्याजवाही ऋण		
2	11.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	203.96	1	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2009	154.70
3	12.25% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	500.00	2	11.85% केरल रा.वि.ऋ. 2009	138.21
4	10.52% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	428.64	3	12.25% केरल रा.वि.ऋ. 2009	452.73
5	11.08% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2010	200.00	4	10.52% केरल रा.वि.ऋ. 2010	302.03
6	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	137.18	5	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2010	152.23
7	11.57% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2010	250.00	6	11.75% केरल रा.वि.ऋ. 2010	200.00
8	9.10% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2011	315.00	7	12.00% केरल रा.वि.ऋ. 2010	75.42
9	10.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	400.04	8	8.37% केरल रा.वि.ऋ. 2011	138.96
10	10.82% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	146.97	9	9.56% केरल रा.वि.ऋ. 2011	289.59
11	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	59.14	10	10.53% केरल रा.वि.ऋ. 2011	200.00
12	12.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	98.81	11	11.50% केरल रा.वि.ऋ. 2011	72.28
13	6.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	352.24	12	12.00% केरल रा.वि.ऋ. 2011	120.64
14	7.80% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2012	80.00	13	6.80% केरल रा.वि.ऋ. 2012	197.39
15	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	150.02	14	6.93% केरल सरकार स्टॉक 2012	220.00
16	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)	300.04	15	7.80% केरल रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)	251.06
17	7.90% कर्नाटक सरकार स्टॉक 2012	200.00	16	8.00% केरल रा.वि.ऋ. 2012	286.15
18	8.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	80.21	17	8.30% केरल रा.वि.ऋ. 2012	276.42
19	8.30% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	259.41	18	6.02% केरल सरकार स्टॉक 2013	250.00
20	6.20% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	339.68	19	6.20% केरल रा.वि.ऋ. 2013	192.05
21	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	297.25	20	6.35% केरल रा.वि.ऋ. 2013	168.01
			21	6.35% केरल रा.वि.ऋ. 2013 (II शृंखला)	221.46
			22	6.40% केरल रा.वि.ऋ. 2013	395.01

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड रु.)

क्रम सं.		विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2		3
23	6.75%	केरल रा.वि.क्र. 2013	85.97
24	6.95%	केरल रा.वि.क्र. 2013	258.00
25	5.60%	केरल रा.वि.क्र. 2014	329.94
26	5.70%	केरल रा.वि.क्र. 2014	396.08
27	5.80%	केरल सरकार स्टॉक 2014	200.00
28	7.25%	केरल सरकार स्टॉक 2014	355.66
29	7.32%	केरल सरकार स्टॉक 2015	250.00
30	7.42%	केरल सरकार स्टॉक 2015	145.82
31	7.33%	केरल सरकार स्टॉक 2015	361.14
32	5.85%	केरल रा.वि.क्र. 2015	114.57
33	5.85%	केरल रा.वि.क्र. 2015 (II श्रृंखला)	300.02
34	6.20%	केरल रा.वि.क्र. 2015	192.02
35	7.02%	केरल रा.वि.क्र. 2015	41.54
36	7.45%	केरल रा.वि.क्र. 2 015	300.00
37	7.77%	केरल रा.वि.क्र. 2015	422.84
38	7.75%	केरल सरकार स्टॉक 2016	328.00
39	7.65%	केरल सरकार स्टॉक 2016	300.00
40	7.87%	केरल सरकार स्टॉक 2016	400.00
41	7.94%	केरल सरकार स्टॉक 2016	400.00
42	7.99%	केरल सरकार स्टॉक 2016	153.23
43	8.11%	केरल सरकार स्टॉक 2016	300.00
44	5.90%	केरल रा.वि.क्र. 2017	118.99
45	7.17%	केरल रा.वि.क्र. 2017	327.23
46	7.99%	केरल सरकार स्टॉक 2017	314.59
47	8.19%	केरल सरकार स्टॉक 2017	300.00
48	8.19%	केरल सरकार स्टॉक 2017	436.00
49	8.20%	केरल सरकार स्टॉक 2017	590.23
50	8.34%	केरल सरकार स्टॉक 2017	350.00
51	8.36%	केरल सरकार स्टॉक 2017	350.00
52	8.45%	केरल सरकार स्टॉक 2017	300.00
53	8.69%	केरल सरकार स्टॉक 2017	800.00
54	6.38%	केरल सरकार स्टॉक 2018	800.00
55	7.77%	केरल सरकार स्टॉक 2018	350.00
56	8.00%	केरल सरकार स्टॉक 2018	637.23
57	8.12%	केरल सरकार स्टॉक 2018	833.30
58	8.50%	केरल सरकार स्टॉक 2018	385.00
59	8.50%	केरल सरकार स्टॉक 2018 (II श्रृंखला)	500.00
60	8.50%	केरल सरकार स्टॉक 2018 (III श्रृंखला)	800.00
61	9.86%	केरल सरकार स्टॉक 2018	300.00
62	6.10%	केरल सरकार स्टॉक 2019	812.00
63	7.45%	केरल सरकार स्टॉक 2019	800.00
64	8.27%	केरल सरकार स्टॉक 2019	268.93
65	8.45%	केरल सरकार स्टॉक 2019	500.00
59	4.25%	केरल हाउस साइट बांड	0.01
58	4.50%	केरल हाउस साइट बांड	-
59	4.50%	केरल भूमि सुधार बांड	0.99
60	4.00%	जेमिकरम भुगतान (उन्मूलन) बांड	0.02
कुल (क)			21,263.65
पावर बांड			
1	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	57.91
2	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	57.91

क्रम सं.		विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2		3
3	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	57.91
4	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	57.91
5	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	57.91
6	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	57.91
7	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	57.91
8	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	57.91
9	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	57.91
10	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	57.91
11	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	57.91
12	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	57.91
13	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	57.91
14	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	57.91
15	8.50%	केरल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	57.91
कुल (ख)			868.69
गैर ब्याजवाही ऋण (ग)			0.17
कुल (क+ख+ग)			22,132.50
मध्य प्रदेश*			
ब्याजवाही ऋण			
1	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	105.25
2	11.85%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	176.62
3	12.25%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	271.15
4	10.52%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	173.51
5	11.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	220.14
6	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	110.50
7	12.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	169.50
8	11.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	48.83
9	12.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	71.71
10	5.00%	शहरी भूमि सीलिंग (मध्य प्रदेश) बांड	0.40
कुल (क)			1,347.61
11	8.50%	मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	43.00
12	9.45%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	87.55
13	9.55%	मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2011	105.00
14	10.35%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	187.32
15	10.50%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	105.00
16	10.82%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	84.02
17	6.94%	मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2012	247.00
18	7.80%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2012	109.04
19	7.80%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2012 (II श्रृंखला)	370.17
20	8.00%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2012	129.07
21	8.30%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2012	161.32
22	6.95%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	281.26
23	6.75%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	129.50
24	6.40%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	379.12
25	6.35%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	199.86
26	6.20%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	228.42
27	6.00%	मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2013	220.00
28	6.35%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2013 [I श्रृंखला]	400.78
29	5.60%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	349.50
30	5.70%	मध्य प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	247.00

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
31	7.32% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	290.01	4	10.52% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	421.49
32	7.36% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	342.44	5	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	104.43
33	6.20% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	228.44	6	11.70% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	280.00
34	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	220.01	7	12.00% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	107.70
35	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	799.96	8	8.37% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	141.20
36	7.02% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	99.97	9	9.40% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2011	290.00
37	7.39% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	292.75	10	10.35% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	500.01
38	7.53% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	50.02	11	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	38.97
39	7.77% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	418.04	12	12.00% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	150.11
40	7.61% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	300.00	13	6.93% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2012	230.00
41	7.65% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	200.00	14	7.80% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	328.16
42	7.95% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	300.00	15	7.80% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	236.97
43	8.66% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	300.00	16	7.83% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	278.75
44	5.90% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	129.01	17	8.00% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	150.52
45	8.20% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	350.00	18	8.30% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	207.92
46	8.40 % मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	470.00	19	5.78% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2013	400.00
47	8.49% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	625.00	20	6.20% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	1,253.75
48	8.40% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	750.00	21	6.35% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	1,096.98
49	8.43% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	500.00	22	6.35% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	700.52
50	8.30% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	625.00	23	6.40% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	643.66
51	6.00% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	900.00	24	5.60% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	610.98
52	7.00% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	885.00	25	5.70% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	1,145.00
53	7.77% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,075.00	26	6.00% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2014	300.00
54	8.40% मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,010.25	27	7.32% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	347.66
कुल (ख)		15,224.83	28	7.36% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	427.16
पावर बांड			29	5.85% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	567.42
1	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2009	133.19	30	5.85% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	50.06
2	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2009	133.19	31	6.20% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	1,253.61
3	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2010	133.19	32	7.02% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	136.92
4	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2010	133.19	33	7.39% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2015	407.39
5	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2011	133.19	34	7.77% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	595.35
6	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2011	133.19	35	7.45% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2015	290.00
7	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2012	133.19	36	7.70% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2016	286.89
8	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2013	133.19	37	7.74% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2016	500.00
9	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2013	133.19	38	7.91% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2016	500.00
10	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2014	133.19	39	5.90% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	883.92
11	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2014	133.19	40	7.17% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	519.97
12	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2015	133.19	41	7.20% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	386.38
13	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2015	133.19	42	8.30% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	500.00
14	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अक्तूबर 2015	133.19	43	8.31% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	722.31
15	8.50% मध्य प्रदेश पावर बांड अप्रैल 2016	133.19	44	8.35% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	737.60
कुल [ग]		1,997.92	45	8.50% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2017	1,597.35
<i>गैर ब्याजवाही ऋण (घ)</i>		1.27	46	7.89% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	1,350.00
कुल (क +ख +ग +घ)		18,571.63	47	8.00% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	2,350.00
महाराष्ट्र			48	8.07% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	2,000.00
ब्याजवाही ऋण			49	8.08% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2018	2,000.00
1	11.50% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	116.51	50	6.73% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	3,294.78
2	11.85% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	172.47	51	7.50% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	3,000.00
3	12.25% महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	600.00	52	7.83% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	4,000.00
			53	8.30% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	1,568.34
			54	8.46% महाराष्ट्र सरकार स्टॉक 2019	3,898.81
			55	5.00% शहरी भूमि सीलिंग (महाराष्ट्र) बांड	0.37

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
56	3.00% बंबई भूमि पट्टेदारी उन्मूलन अधिनियम (बम्बई) मुआवजा बांड	0.10	13	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)	27.52
57	3.00% बंबई भूमि पट्टेदारी उन्मूलन अधिनियम (महाराष्ट्र) मुआवजा बांड	0.05	14	8.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	11.90
58	3.00% महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की अधिकतम सीमा) अधिनियम 1961 मुआवजा बांड (किस्तों में प्रतिदेय)	1.84	15	8.30% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	13.29
59	3.00% महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की अधिकतम सीमा) अधिनियम 1961 मुआवजा बांड (परिपक्वता पर प्रतिदेय)	0.21	16	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	10.40
57	3.00% हैदराबाद (नकद अनुदान समापन) अधिनियम, 1952 मुआवजा बांड	0.03	17	6.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	9.10
58	3.00% महाराष्ट्र के राजस्व पटेल (पद समापन) अधिनियम 1962	0.01	18	6.40% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	26.62
59	3.00% कोल्हापुर के न्यासी जागीरदारों के सरंजाम (बहाली) नियम, 1957	0.00	19	6.75% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	4.50
60	4.00% बंबई नगर (इनामी और विशेष धारणाधिकार) समापन और महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1969	0.00	20	6.95% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	13.50
कुल (क)		44,680.61	21	5.60% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	34.00
पावर बांड			22	7.36% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	44.06
1	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	50.93	23	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	57.69
2	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	50.93	24	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015 (II शृंखला)	28.00
3	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	50.93	25	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	10.40
4	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	50.93	26	7.02% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	2.00
5	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	50.93	27	7.39% मणिपुर सरकार स्टॉक 2015	27.23
6	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	50.93	28	7.45% मणिपुर सरकार स्टॉक 2015	36.95
7	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	50.93	29	7.77% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	25.73
8	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	50.93	30	7.61% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2016	30.00
9	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	50.93	31	7.74% मणिपुर सरकार स्टॉक 2016	85.00
10	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	50.93	32	7.82% मणिपुर सरकार स्टॉक 2016	42.25
11	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	50.93	33	7.98% मणिपुर सरकार स्टॉक 2016	56.65
12	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	50.93	34	5.90% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	50.00
13	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	50.93	35	7.17% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	2.93
14	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	50.93	36	8.35% मणिपुर सरकार स्टॉक 2017	85.67
15	8.50% महाराष्ट्र सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	50.93	37	7.00% मणिपुर सरकार स्टॉक 2018	200.00
कुल (ख)		763.95	38	8.02% मणिपुर सरकार स्टॉक 2018	124.38
गैर व्याजवाही ऋण (ग)		1.83	39	8.46% मणिपुर सरकार स्टॉक 2018	37.18
कुल (क+ख+ग)		45,446.38	40	7.09% मणिपुर सरकार स्टॉक 2019	103.30
मणिपुर			कुल (क)		1,342.20
व्याजवाही ऋण			पावर बांड		
1	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	11.43	1	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	7.85
2	11.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	9.75	2	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	7.85
3	12.25% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	20.64	3	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	7.85
4	10.52% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	15.76	4	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	7.85
5	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	11.03	5	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	7.85
6	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	9.44	6	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	7.85
7	9.45% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00	7	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	7.85
8	10.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00	8	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	7.85
9	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	4.54	9	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	7.85
10	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	7.59	10	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	7.85
11	6.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	21.43	11	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	7.85
12	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	10.33	12	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	7.85
			13	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	7.85
			14	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	7.85
			15	8.50% मणिपुर सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	7.85
			कुल (ख)		117.82
			गैर व्याजवाही ऋण (ग)		0.34
			कुल (क+ख+ग)		1,460.36

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
मेघालय					
ब्याजवाही ऋण					
1	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	2.71	6	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2011	0.70
2	11.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	29.15	7	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2012	0.70
3	12.25% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	50.00	8	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2012	0.70
4	10.52% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	50.00	9	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2013	0.70
5	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	20.00	10	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2013	0.70
6	9.45% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00	11	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2014	0.70
7	10.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00	12	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2014	0.70
8	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	4.70	13	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2015	0.70
9	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	8.33	14	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2015	0.70
10	6.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	19.60	15	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2016	0.70
11	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	21.00		कुल (ख)	10.49
12	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	29.40		गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	—
13	8.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	11.11		कुल (क+ख+ग)	1,464.41
14	8.30% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	27.31	मिजोरम		
15	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	10.00	ब्याजवाही ऋण		
16	6.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	8.75	1	11.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	14.97
17	6.40% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	34.70	2	12.25% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	20.00
18	6.75% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	4.25	3	10.52% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	20.00
19	6.95% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	12.75	4	12.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	14.97
20	5.60% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	41.15	5	9.45% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	13.00
21	7.36% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	46.61	6	10.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	10.32
22	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	52.06	7	6.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	80.59
23	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.32	8	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	10.49
24	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	10.00	9	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	13.89
25	7.02% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	3.00	10	8.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	6.44
26	7.53% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	69.14	11	8.30% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	14.12
27	7.77% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	39.11	12	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	7.20
28	7.70% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	50.00	13	6.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	6.30
29	7.94% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	55.44	14	6.40% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	16.96
30	7.95% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	40.00	15	6.75% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	3.25
31	8.65% मेघालय सरकार स्टॉक 2016	29.43	16	6.95% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	9.75
32	5.90% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	39.22	17	5.60% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	15.50
33	7.17% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	51.59	18	7.32% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	9.96
34	8.39% मेघालय सरकार स्टॉक 2017	67.00	19	7.36% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	16.81
35	8.42% मेघालय सरकार स्टॉक 2017	50.00	20	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	18.01
36	8.48% मेघालय सरकार स्टॉक 2017	55.00	21	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.95
37	8.02% मेघालय सरकार स्टॉक 2018	50.00	22	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	7.20
38	8.25% मेघालय सरकार स्टॉक 2018	120.00	23	7.53% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	29.28
39	8.46% मेघालय सरकार स्टॉक 2018	40.69	24	7.77% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	20.31
40	7.59% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	103.54	25	7.61% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2016	15.08
41	8.16% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	25.64	26	7.71% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	50.00
42	8.47% मेघालय सरकार स्टॉक 2019	10.22	27	7.82% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	20.52
	कुल (क)	1,453.92	28	8.05% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	15.00
पावर बॉड			29	8.65% मिजोरम सरकार स्टॉक 2016	19.02
1	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2009	0.70	30	5.90% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	33.05
2	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2009	0.70	31	7.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	46.82
3	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2010	0.70	32	8.39% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	70.20
4	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अक्टूबर 2010	0.70	33	8.30% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	47.00
5	8.50% मेघालय सरकार पावर बॉड अप्रैल 2011	0.70	34	8.35% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	28.84
			35	8.42% मिजोरम सरकार स्टॉक 2017	28.85

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
36	8.25% मिजोरम सरकार स्टॉक 2018	42.18	25	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	82.15
37	9.44% मिजोरम सरकार स्टॉक 2018	59.60	26	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015 (II शृंखला)	21.00
38	8.15% मिजोरम सरकार स्टॉक 2019	96.58	27	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	8.40
	कुल (क)	964.00	28	7.02% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	1.80
पावर बांड			29	7.53% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	125.09
1	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	2.28	30	7.77% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	59.57
2	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	2.28	31	7.61% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2016	24.17
3	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	2.28	32	7.69% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	45.00
4	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	2.28	33	7.81% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	40.00
5	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	2.28	34	7.82% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	43.19
6	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	2.28	35	7.95% नागालैंड सरकार स्टॉक 2016	120.00
7	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	2.28	36	5.90% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	42.00
8	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	2.28	37	7.17% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	2.04
9	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	2.28	38	8.04% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	74.96
10	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	2.28	39	8.30% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	140.00
11	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	2.28	40	8.39% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	90.00
12	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	2.28	41	8.42% नागालैंड सरकार स्टॉक 2017	77.00
13	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	2.28	42	8.02% नागालैंड सरकार स्टॉक 2018	77.09
14	8.50% मिजोरम सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	2.28	43	8.58% नागालैंड सरकार स्टॉक 2018	160
15	8.50% समिजोरम सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	2.28	44	7.40% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	100
	कुल (ख)	34.17	45	8.40% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	185
	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	-	46	8.47% नागालैंड सरकार स्टॉक 2019	22
	कुल (क+ख+ग)	998.18		कुल (क)	2,371.32
नागालैंड			पावर बांड		
ब्याजवाही ऋण			1	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	3.95
1	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ.2009	15.06	2	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	3.95
2	11.85% नागालैंड रा.वि.ऋ.2009	63.65	3	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.95
3	12.25% नागालैंड रा.वि.ऋ.2009	50.00	4	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	3.95
4	10.52 % नागालैंड रा.वि.ऋ.2010	50.00	5	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.95
5	11.50 % नागालैंड रा.वि.ऋ.2010	14.37	6	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	3.95
6	9.45% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	43.00	7	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.95
7	10.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	35.00	8	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	3.95
8	10.82% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	54.95	9	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.95
9	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	5.92	10	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	3.95
10	12.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	9.88	11	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.95
11	6.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	74.29	12	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	3.95
12	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	36.33	13	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.95
13	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)	53.49	14	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	3.95
14	8.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	20.15	15	8.50% नागालैंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.95
15	8.30% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	57.65		कुल (ख)	59.19
16	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	8.40		गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	0.10
17	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.35		कुल (क+ख+ग)	2,430.61
18	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013 (II शृंखला)	42.50	उड़ीसा		
19	6.40% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	57.65	ब्याजवाही ऋण		
20	6.75% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	6.99	1	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2009	58.28
21	6.95% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.00	2	11.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2009	276.40
22	5.60% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	62.00	3	12.25% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2009	186.30
23	7.32% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	21.00	4	11.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	49.93
24	7.36% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	34.27	5	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	122.22

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
6	10.52% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	106.51	पंजाब		
7	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	134.20	ब्याजवाही ऋण		
8	9.45% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	300.00	1	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	43.43
9	10.35% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	154.01	2	11.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	80.48
10	10.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	131.00	3	12.25% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	300.00
11	10.82% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	129.00	4	10.52% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	261.26
12	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	79.42	5	11.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	200.02
13	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	144.27	6	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	37.25
कुल (क)		1,871.55	7	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	100.45
14	6.80% उड़ीसा सरकार ऋण 2012	186.81	8	9.40% पंजाब सरकार स्टॉक 2011	130.00
15	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	154.03	9	10.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	200.02
16	7.80% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	280.23	10	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	15.35
17	8.00% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	161.07	11	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	25.63
18	8.30% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2012	207.24	12	6.80% पंजाब सरकार स्टॉक 2012	85.00
19	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	220.00	13	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	212.08
20	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	192.50	14	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	127.26
21	6.40% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	339.28	15	8.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	37.28
22	6.75% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	333.96	16	8.30% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	51.34
23	6.95% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013	353.02	17	6.95% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	450.50
24	6.35% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	133.10	18	6.75% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	266.34
25	5.60% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	313.46	19	6.40% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	205.85
26	5.70% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	174.69	20	6.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	351.43
27	7.32% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	217.83	21	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	401.66
28	7.36% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2014	168.89	22	6.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	596.05
29	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	183.39	23	5.90% पंजाब सरकार स्टॉक 2013	189.78
30	5.85% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	481.46	24	5.60% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	210.81
31	6.20% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	220.03	25	5.70% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	512.11
32	7.77% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2015	506.13	26	5.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.99
33	5.90% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	464.21	27	7.02% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	292.50
34	7.17% उड़ीसा रा.वि.ऋ. 2017	191.00	28	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	401.69
कुल (ख)		5,482.33	29	7.67% पंजाब सरकार स्टॉक 2016	619.30
पावर बांड			30	7.74% पंजाब सरकार स्टॉक 2016	243.36
1	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	55.14	31	7.79% पंजाब सरकार स्टॉक 2016	580.00
2	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	55.14	32	7.93 % पंजाब सरकार स्टॉक 2016	437.86
3	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	55.14	33	5.90% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	256.03
4	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	55.14	34	7.17% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	219.23
5	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	55.14	35	8.22% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	1,000.00
6	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	55.14	36	8.32% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	300.00
7	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	55.14	37	8.35% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	500.00
8	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	55.14	38	8.41% पंजाब सरकार स्टॉक 2017	900.00
9	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	55.14	39	7.86 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	456.10
10	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	55.14	40	7.96 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00
11	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	55.14	41	8.28 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	765.18
12	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	55.14	42	8.83 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00
13	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	55.14	43	9.30 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	1,000.00
14	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	55.14	44	9.81 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00
15	8.50% उड़ीसा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	55.14	45	8.07 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	500.00
कुल (ग)		827.16	46	7.02 % पंजाब सरकार स्टॉक 2018	702.17
गैर ब्याजवाही ऋण (घ)		0.14	47	6.10 % पंजाब सरकार स्टॉक 2019	667.00
कुल (क+ख+ग+घ)		8,181.16	48	7.24 % पंजाब सरकार स्टॉक 2019	353.97
			49	7.68 % पंजाब सरकार स्टॉक 2019	695.00
			50	8.13 % पंजाब सरकार स्टॉक 2019	143.05
			कुल [क]		17,873.81

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
पावर बांड					
1	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	31.87	29	5.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	571.19
2	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	31.87	30	5.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.03
3	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	31.87	31	6.20% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	381.23
4	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	31.87	32	7.02% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	267.75
5	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	31.87	33	7.77% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	540.83
6	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	31.87	34	7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	500.00
7	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	31.87	35	7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	274.01
8	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	31.87	36	7.81% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	300.00
9	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	31.87	37	8.62% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	225.00
10	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	31.87	38	8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक 2016	500.00
11	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	31.87	39	5.90% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2017	230.00
12	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	31.87	40	8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	200.00
13	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	31.87	41	8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	750.00
14	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	31.87	42	8.32% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	950.00
15	8.50% पंजाब सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	31.87	43	8.45% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	215.00
कुल [ख]		478.01	44	8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक 2017	500.00
गैर ब्याजवाही ऋण (ग)		0.10	45	7.84% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	549.33
कुल [क+ख+ग]		18,351.91	46	7.93% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	220.00
राजस्थान			47	8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	600.00
ब्याजवाही ऋण			48	8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	202.63
1	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	165.28	49	8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	500.00
2	11.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	243.32	50	8.26% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	500.00
3	12.25% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	700.00	51	7.80% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	1,000.00
4	10.52% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	342.56	52	6.41% राजस्थान सरकार स्टॉक 2018	1,162.00
5	11.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	280.03	53	7.29% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
6	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	160.79	54	7.77% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	1,250.00
7	12.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	425.18	55	8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	592.61
8	9.45% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	350.00	56	8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक 2019	351.19
9	10.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	446.15	52	2.50% राजस्थान जागीर बहाली अतिरिक्त पुनर्वास बांड	0.07
10	10.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	280.00	53	2.50% राजस्थान जागीर बहाली मुआवजा पुनर्वास बांड	0.09
11	10.82% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	134.33	54	2.50% राजस्थान जमींदारी एवं बिसवारी उन्मूलन मुआवजा बांड	0.04
12	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	76.63	कुल (ख)		24,499.22
13	12.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	127.69	पावर बांड		
14	6.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	283.94	1	राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	18.44
15	7.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	248.52	2	राजस्थान सरकार पावर बांड 2009	18.44
16	7.80% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	425.98	3	राजस्थान सरकार पावर बांड 2010	18.44
17	8.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	177.87	4	राजस्थान सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	18.44
18	8.30% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	218.08	5	राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	18.44
19	6.20% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	381.22	6	राजस्थान सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	18.44
20	6.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	333.58	7	राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	18.44
21	6.40% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	516.65	8	राजस्थान सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	18.44
22	6.75% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	711.63	9	राजस्थान सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	18.44
23	6.95% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	713.35	कुल (ग)		165.95
24	6.35% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	393.37	गैर ब्याजवाही ऋण (घ)		0.19
25	5.60% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	512.84	कुल (क+ख+ग+घ)		24,665.36
26	5.70% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	495.33			
27	7.32% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	217.06			
28	7.36% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	504.86			

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
सिक्किम					
ब्याजवाही ऋण					
1	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009 (1989-90)	5.11	13	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2015	2.39
2	11.85% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	10.90	14	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2015 8]	2.39
3	12.25% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	35.00	15	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2016	2.39
4	10.52% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	25.00		कुल [ख]	35.85
5	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	6.11	1	गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	0.25
6	9.45% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.58		कुल [क+ख+ग]	1,025.64
7	10.35% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	5.42	तमिलनाडु		
8	11.50% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	2.52	ब्याजवाही ऋण		
9	12.00% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.20	1	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	200.42
10	6.80% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012	3.89	2	11.74% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2009	200.00
11	7.80% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	6.11	3	11.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	24.18
12	6.95% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	10.00	4	12.25% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	450.00
13	6.40% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	6.67	5	10.52% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	400.00
14	6.35% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	4.70	6	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	185.12
15	6.20% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	5.20	7	11.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	290.00
16	5.60% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	6.11	8	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	152.53
17	7.32% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	5.63	9	9.38% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2011	320.00
18	7.36% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	10.68	10	9.45% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	137.42
19	6.20% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	5.20	11	10.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	460.00
20	5.85% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	9.83	12	10.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	249.94
21	7.53% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	8.71	13	11.50% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	86.91
22	7.77% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	18.49	14	12.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	146.14
23	7.61% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2016	11.15	15	6.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	145.94
24	7.70% सिक्किम सरकार स्टॉक 2016	65.65	16	7.30% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2012	275.00
25	7.82% सिक्किम सरकार स्टॉक 2016	50.26	17	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	309.02
26	8.65% सिक्किम सरकार स्टॉक 2016	64.35	18	7.80% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	406.48
27	5.90% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	30.00	19	8.00% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	107.37
28	7.17% सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	25.15	20	8.30% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	134.96
29	8.20% सिक्किम सरकार स्टॉक 2017	112.11	21	6.95% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	728.57
30	7.00% सिक्किम सरकार स्टॉक 2018	293.02	22	6.75% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	460.40
31	8.02% सिक्किम सरकार स्टॉक 2018	137.80	23	6.40% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	657.07
	कुल [क]	989.54	24	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	335.00
पावर बांड			25	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	382.97
1	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2009	2.39	26	6.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	443.27
2	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर सितंबर 2009	2.39	27	6.00% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2013	250.00
3	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2010	2.39	28	5.60% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	580.56
4	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2010	2.39	29	5.70% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	722.60
5	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2011	2.39	30	7.10% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2014	270.00
6	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2011	2.39	31	7.36% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	449.93
7	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2012	2.39	32	6.20% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	383.01
8	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2012	2.39	33	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	150.10
9	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2013	2.39	34	5.85% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.95
10	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2013	2.39	35	7.02% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	133.01
11	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अप्रैल 2014	2.39	36	7.35% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	209.50
12	8.50% सिक्किम सरकार बांड पावर अक्टूबर 2014	2.39	37	7.77% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	200.01
			38	7.68% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2016	600.00
			39	7.79% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2016	609.38
			40	7.93% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2016	400.00
			41	5.90% तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2017	442.86

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
42	7.96% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	26	7.45% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2015	40.00
43	8.14% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	27	7.77% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	30.08
44	8.19% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	28	7.61% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2016	42.09
45	8.30% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	300.00	29	7.70% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2016	25.03
46	8.32% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	414.47	30	8.11% त्रिपुरा सरकार स्टॉक 2016	35.00
47	8.39% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	31	5.90% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	56.00
48	8.39% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	500.00	32	7.17% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	145.94
49	8.47% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2017	600.00	33	7.77% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2019	156.00
50	7.85% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	750.00			
51	7.96% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	1,000.00		कुल (क)	1,191.89
52	8.12% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	792.44		पावर बांड	
53	8.23% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	750.00	1	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	3.18
54	6.95% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	750.00	2	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	3.18
55	6.40% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	3	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	3.18
56	6.65% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1,000.00	4	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	3.18
57	7.00% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1,000.00	5	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	3.18
58	7.26% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1,200.00	6	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	3.18
59	7.45% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1,000.00	7	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	3.18
60	7.65% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1,200.00	8	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	3.18
61	8.48% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	1,216.80	9	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	3.18
62	8.24% तमिलनाडु सरकार स्टॉक 2019	480.93	10	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	3.18
	कुल (क)	29,294.23	11	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	3.18
	गैर ब्याजवाही ऋण (ख)	1.21	12	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	3.18
	कुल (क+ख)	29,295.45	13	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	3.18
			14	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	3.18
			15	8.50% त्रिपुरा सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	3.18
				कुल (ख)	47.63
				गैर ब्याजवाही ऋण (ग)	0.07
				कुल (क+ख+ग)	1,239.59
				उत्तर प्रदेश	
				ब्याजवाही ऋण	
			1	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	440.15
			2	11.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	759.74
			3	12.25% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	819.57
			4	10.52% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	854.71
			5	11.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	474.86
			6	11.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	139.49
			7	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	435.83
			8	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	332.38
			9	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	194.47
			10	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	352.63
			11	2.75% उत्तर प्रदेश जार्ज बांड	11.22
			12	3.25% उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.20
			13	3.50% उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा मुआवजा बांड	0.30
			14	2.50% उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड	0.33
			15	2.50% उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बांड प्रमाणपत्र	27.66
				कुल (क)	4,843.54

त्रिपुरा

ब्याजवाही ऋण

1	11.50 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	12.93
2	11.85 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	46.92
3	12.25 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	36.13
4	10.52% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	50.00
5	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	12.84
6	9.45% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2 011	27.00
7	10.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	30.00
8	10.82% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	29.95
9	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	5.08
10	12.00% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	11.49
11	6.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	24.19
12	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	25.34
13	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	34.92
14	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.40
15	6.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.85
16	6.40% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	39.42
17	6.75% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.00
18	6.95% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.00
19	5.60% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	41.60
20	7.32% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	22.00
21	7.36% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	39.85
22	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	61.93
23	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	13.00
24	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	20.40
25	7.02% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	1.50

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
16	8.37% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	207.35	5	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	293.59
17	9.45% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	597.75	6	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	293.59
18	10.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	574.94	7	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	293.59
19	10.82% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	302.45	8	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	293.59
20	6.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2012	542.49	9	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	293.59
21	7.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2012	432.67	10	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	293.59
22	7.80% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2012 (II श्रृंखला)	813.82	11	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	293.59
23	8.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2012	471.51	12	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	293.59
24	8.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2012	597.50	13	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	293.59
25	6.20% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	808.00	14	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	293.59
26	6.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	707.92	15	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	293.59
27	6.40% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	916.49			
28	6.75% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	598.78		कुल (ग)	4,403.90
29	6.95% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2013	849.15		गैर ब्याजवाही ऋण (घ)	2.95
30	6.35% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2013 (II श्रृंखला)	513.57		कुल (क+ख+ग+घ)	48,132.57
31	5.60% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	775.20			
32	5.70% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	735.00		उत्तराखंड⁶	
33	7.32% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	1,144.40		ब्याजवाही ऋण	
34	7.36% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2014	367.12	1	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	23.32
35	5.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	794.55	2	11.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	40.26
36	5.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2015 (II श्रृंखला)	474.17	3	12.25% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2009	43.43
37	6.20% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	808.05	4	10.52% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	45.29
38	7.02% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	491.91	5	11.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	25.16
39	7.53% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	1,500.14	6	11.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	7.39
40	7.77% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2015	996.97	7	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	23.09
41	7.85% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	599.33	8	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2010	17.61
42	8.00% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2016	1,632.90	9	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	10.30
43	5.90% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2017	865.40	10	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2011	18.69
44	7.17% उत्तर प्रदेश रा.वि.क्र. 2017	32.30	11	2.75% उत्तर प्रदेश जार्ग बांड	0.59
45	8.45% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	1,615.01	12	3.25% उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.01
46	8.55% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2017	1,000.00	13	3.50% उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा मुआवजा बांड	0.02
47	8.01% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,500.00	14	2.50% उत्तर प्रदेश जर्मीदारी उन्मूलन मुआवजा बांड प्रमाणपत्र	0.02
48	8.07% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,100.00	15	2.50% उत्तर प्रदेश जर्मीदारी उन्मूलन मुआवजा बांड प्रमाणपत्र	1.47
49	8.25% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	822.00			
50	8.51% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,000.00		कुल (क)	256.7
51	9.59% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	16	9.45% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2011	126.25
52	9.30% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	17	10.35% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2011	45.00
53	8.89% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	18	10.82% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2011	15.99
54	7.89% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	19	6.80% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2012	286.29
55	7.03% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2018	1,000.00	20	7.80% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2012	56.85
56	7.10% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	1,099.33	21	7.80% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2012 (II श्रृंखला)	22.74
57	8.57% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	3,000.00	22	8.00% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2012	19.23
58	8.59% उत्तर प्रदेश सरकार स्टॉक 2019	2,594.00	23	8.30% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2012	21.26
	कुल (ख)	38,882.18	24	6.20% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2013	339.24
	कुल (क+ख)	43,725.72	25	6.35% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2013	296.95
			26	6.40% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2013	127.68
पावर बांड			27	6.75% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2013	291.99
1	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	293.59	28	6.95% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2013	292.00
2	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	293.59	29	5.60% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2014	209.00
3	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	293.59	30	7.32% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2014	32.54
4	8.50% उत्तर प्रदेश सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	293.59	31	7.36% उत्तराखंड रा.वि.क्र. 2014	67.31

विवरण

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (जारी..)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
32	5.85% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	262.70	12	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	94.10
33	6.20% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	339.25	13	12.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	177.08
34	7.77% उत्तराखंड रा.वि.ऋ. 2015	92.00	14	7.35% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2012	152.65
35	7.70% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2016	250.00	15	7.80% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	384.37
36	7.72% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2016	226.25	16	7.80% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	229.05
37	7.95% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2016	158.65	17	8.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	160.83
38	8.38% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2017	210.54	18	8.30% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	245.90
39	8.39% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2017	250.00	19	5.78% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2013	335.00
40	7.87% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	250.00	20	6.20% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1,170.57
41	8.12% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	250.00	21	6.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1,024.11
42	8.68% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	80.00	22	6.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	680.60
43	8.50% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	250.00	23	6.40% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	465.71
44	8.39% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	200.00	24	6.75% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	838.23
45	7.00% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2018	215.00	25	6.95% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	901.77
46	7.45% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2019	251.69	26	5.60% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	406.22
47	8.55% उत्तराखंड सरकार स्टॉक 2019	94.00	27	5.70% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	1,112.58
कुल (ख)		5,630.40	28	7.15% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2014	259.00
पावर बांड			29	7.32% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	182.92
1	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	28.60	30	7.36% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	289.31
2	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	28.60	31	5.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	164.22
3	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	28.60	32	5.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.00
4	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	28.60	33	6.20% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	1,170.59
5	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	28.60	34	7.02% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	542.21
6	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	28.60	35	7.39% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2015	449.45
7	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	28.60	36	7.53% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	633.49
8	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	28.60	37	7.77% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	631.53
9	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	28.60	38	7.74% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2016	466.67
10	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	28.60	39	7.93% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2016	869.34
11	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	28.60	40	5.90% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	898.96
12	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	28.60	41	7.17% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	965.99
13	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	28.60	42	8.39% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	1,098.06
14	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	28.60	43	8.40% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	1,000.00
15	8.50% उत्तराखंड सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	28.60	44	8.40% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	2,000.00
कुल (ग)		429.00	45	8.48% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	964.59
<i>गैर ब्याजवाही ऋण (घ)</i>		2.95	46	8.48% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	2,100.00
कुल (क+ख+ग+घ)		6,319.00	47	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2017	2,100.00
पश्चिम बंगाल			48	6.43% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	887.72
ब्याजवाही ऋण			49	7.86% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1,500.00
1	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	180.83	50	7.87% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1,400.00
2	11.85% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	272.68	51	8.07% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	600.00
3	12.25% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	494.00	52	8.30% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	944.00
4	10.52% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	372.56	53	8.52% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1,000.00
5	11.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	178.45	54	8.60% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1,853.00
6	11.80% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2010	250.00	55	8.80% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	1,800.00
7	12.00% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	104.81	56	9.38% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	800.00
8	9.45% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	75.00	57	9.90% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2018	800.00
9	9.72% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2011	250.00	58	7.27% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	1,000.00
10	10.35% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	387.74	59	8.25% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	189.64
11	10.50% पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	150.00	60	8.43% पश्चिम बंगाल सरकार स्टॉक 2019	1,967.10
			61	पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण मुआवजा बांड	2.24
			62	5.00% यूएलसी (पश्चिम बंगाल) बांड 1976	0.03
कुल (क)			कुल (क)		43,124.88

विवरण 32: राज्य सरकार बाजार ऋण (समाप्त)

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष	क्रम सं.	विवरण	मार्च 2009 के अंतिम दिन का शेष
1	2	3	1	2	3
पावर बांड			पुदुचेरी		
1	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2009	98.19	व्याजवाही ऋण		
2	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2009	98.19	1	7.90% पुदुचेरी सरकार स्टॉक 2018	177.00
3	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2010	98.19	2	8.40% पुदुचेरी सरकार स्टॉक 2018	160.00
4	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2010	98.19	3	8.81% पुदुचेरी सरकार स्टॉक 2018	100.00
5	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2011	98.19	4	8.48% पुदुचेरी सरकार स्टॉक 2019	2.95
6	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2011	98.19	5	8.55% पुदुचेरी सरकार स्टॉक 2019	247.48
7	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2012	98.19	कुल		687.43
8	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2012	98.19			
9	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2013	98.19			
10	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2013	98.19			
11	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2014	98.19			
12	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2014	98.19			
13	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2015	98.19			
14	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अक्टूबर 2015	98.19			
15	8.50% पश्चिम बंगाल सरकार पावर बांड अप्रैल 2016	98.19			
कुल (ख)		1,472.83			
गैर व्याजवाही ऋण (ग)		2.41			
कुल (क+ख+ग)		44,600.13			

रा.वि.ऋ. : राज्य विकास ऋण

- नोट** : 1. क्रम सं. 1 से 10 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 के आदेश सं. एफ 9 (3)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
2. क्रम सं. 1 से 10 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 के आदेश सं. एफ.9 (3) - बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
3. क्रम सं. 1 से 13 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 के आदेश सं. एफ.9 (2)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
4. क्रम सं. 1 से 13 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 के आदेश सं. एफ.9 (2)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
5. क्रम सं. 1 से 19 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्टूबर 2002 के आदेश सं. एफ.9 (1)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।
6. क्रम सं. 1 से 19 के ऋण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्टूबर 2002 के आदेश सं. एफ.9 (1)-बी (एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण

विवरण 33 : राज्य सरकारों के बकाया बाजार ऋण
(मार्च 2009 के अंत की स्थिति)

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	गैर ब्याजवाही बाजार ऋण	क्षतिपूर्ति बांड	कुल बकाया बाजार ऋण
1	2	3	4	5	6=2 से 5
I. गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	38,336.3	1,827.1	0.9	0.1	40,164.3
2. बिहार	13,370.1	1,556.7	0.3	21.0	14,948.1
3. छत्तीसगढ़	2,326.1	362.4	1.4	0.1	2,690.0
4. गोवा	1,880.9	—	0.2	—	1,881.1
5. गुजरात	26,878.5	1,221.5	1.4	2.4	28,103.9
6. हरियाणा	7,245.5	1,516.7	0.1	—	8,762.4
7. झारखंड	5,971.7	1,586.5	0.3	7.1	7,565.6
8. कर्नाटक	18,572.0	—	0.2	0.4	18,572.6
9. केरल	21,262.6	868.7	0.2	1.0	22,132.5
10. मध्य प्रदेश	16,572.0	1,997.9	1.3	0.4	18,571.6
11. महाराष्ट्र	44,678.0	763.9	1.8	2.6	45,446.4
12. उड़ीसा	7,353.9	827.2	0.1	—	8,181.2
13. पंजाब	17,873.8	478.0	0.1	—	18,351.9
14. राजस्थान	24,499.0	166.0	0.2	0.2	24,665.4
15. तमिलनाडु	29,294.2	—	1.2	—	29,295.4
16. उत्तर प्रदेश	43,686.0	4,403.9	2.9	39.7	48,132.6
17. पश्चिम बंगाल	43,122.6	1,472.8	2.4	2.3	44,600.1
II. विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	614.8	18.1	—	—	632.8
2. असम	9,255.3	643.2	0.1	0.1	9,898.6
3. हिमाचल प्रदेश	7,657.8	52.7	0.1	—	7,710.6
4. जम्मू और कश्मीर	7,274.6	1,193.1	0.2	—	8,468.0
5. मणिपुर	1,342.2	117.8	0.3	—	1,460.4
6. मेघालय	1,453.9	10.5	—	—	1,464.4
7. मिजोरम	964.0	34.2	—	—	998.2
8. नागालैंड	2,371.3	59.2	0.1	—	2,430.6
9. सिक्किम	989.5	35.9	0.25	—	1,025.6
10. त्रिपुरा	1,191.9	47.6	0.1	—	1,239.6
11. उत्तराखंड	5,884.9	429.0	2.9	2.1	6,319.0
सभी राज्य	4,01,924	21,690.5	19.1	79.5	4,23,712.8
ज्ञापन म दें:					
1. पुदुचेरी	687.4	—	—	—	687.4

—: शून्य / नगण्य।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण 34 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता प्रोफाइल
(31 मार्च 2009 को बकाया)

(करोड़ रु.)

राज्य / वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. गैर विशेष श्रेणी													
1. आंध्र प्रदेश	2,098	1,639	2,394	3,401	2,726	2,733	2,682	3,079	6,650	10,934	-	-	38,336
2. बिहार	498	892	1,407	1,335	1,153	1,433	1,267	895	1,092	3,397	-	-	13,370
3. छत्तीसगढ़	280	235	313	464	156	392	183	302	-	-	-	-	2,326
4. गोवा	82	89	99	155	109	133	165	149	400	500	-	-	1,881
5. गुजरात	930	894	1,254	2,537	2,283	1,512	1,532	629	6,775	8,534	-	-	26,879
6. हरियाणा	316	292	362	756	825	827	932	141	-	2,795	-	-	7,246
7. झारखंड	169	302	469	455	414	462	594	429	1,192	1,486	-	-	5,972
8. कर्नाटक	1,046	963	1,293	1,611	1,591	2,407	1,273	221	750	7,417	-	-	18,572
9. केरल	746	730	1,384	1,012	1,427	1,423	2,114	2,614	4,297	5,516	-	-	21,263
10. मध्य प्रदेश	773	643	834	1,137	1,428	2,129	1,709	1,549	1,875	4,495	-	-	16,572
11. महाराष्ट्र	889	914	1,479	1,074	4,395	2,718	3,401	3,528	8,520	17,762	-	-	44,678
12. उड़ीसा	571	623	1,046	1,308	885	1,356	910	655	-	-	-	-	7,354
13. पंजाब	624	399	460	1,141	1,745	1,265	1,601	1,456	4,121	5,061	-	-	17,874
14. राजस्थान	1,389	1,343	1,396	2,383	1,625	2,298	1,993	1,729	3,987	6,356	-	-	24,499
15. तमिलनाडु	875	1,278	1,393	2,325	2,068	2,406	2,152	2,257	4,942	9,598	-	-	29,294
16. उत्तर प्रदेश	2,634	1,925	2,996	3,237	2,946	3,988	4,699	4,146	4,422	12,693	-	-	43,686
17. पश्चिम बंगाल	948	1,056	1,391	2,506	3,676	3,292	3,049	3,201	11,607	10,544	-	1,853	43,123
II. विशेष श्रेणी													
1. अरुणाचल प्रदेश	10	21	32	34	28	45	69	166	185	26	-	-	615
2. असम	418	414	569	911	500	711	1,167	1,096	963	2,506	-	-	9,255
3. हिमाचल प्रदेश	243	256	403	698	610	714	786	637	1,399	1,912	-	-	7,658
4. जम्मू और कश्मीर	127	267	316	596	385	284	425	891	2,226	1,757	-	-	7,275
5. मणिपुर	42	36	57	77	46	108	273	152	247	303	-	-	1,342
6. मेघालय	82	70	101	87	53	102	220	283	196	259	-	-	1,454
7. मिजोरम	35	35	44	118	30	54	140	205	147	156	-	-	964
8. नागालैंड	129	119	172	178	116	140	344	337	369	307	160	-	2,371
9. सिक्किम	51	31	17	20	17	22	119	170	250	293	-	-	990
10. त्रिपुरा	96	93	74	121	78	118	220	237	-	156	-	-	1,192
11. उत्तराखंड	140	102	241	950	764	309	1,170	369	830	761	-	250	5,885
सभी राज्य	16,238	15,660	21,993	30,628	32,079	33,384	35,191	31,522	67,442	1,15,524	160	2,103	4,01,924
ज्ञापन करें:													
1. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	337	350	-	-	687
पावर बॉंड	2,907	2,907	2,907	2,870	2,870	2,870	2,907	1,453	-	-	-	-	21,690

नोट : 1. क्षतिपूर्ति बॉंड, गैर ब्याजवाही ऋण और पावर बॉंड शामिल नहीं हैं।
2. तत्कालीन बिहार के द्वारा जुटाए गए बकाया ऋण का बंटवारा बिहार और झारखंड के बीच क्रमशः 74.71 प्रतिशत और 25.29 प्रतिशत के जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया है।
3. तत्कालीन मध्य प्रदेश के द्वारा जुटाए गए बकाया ऋण का बंटवारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच क्रमशः 73.3797 प्रतिशत और 26.6203 प्रतिशत के जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया है।
4. तत्कालीन उत्तर प्रदेश के द्वारा जुटाए गए बकाया ऋण का बंटवारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच क्रमशः 94.9676 प्रतिशत और 5.0324 प्रतिशत के जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया है।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड

विवरण 35: राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता प्रोफाइल - कुल के प्रतिशत के रूप में
(31 मार्च 2009 को बकाया)

(प्रतिशत)

राज्य / वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. गैर विशेष श्रेणी													
1. आंध्र प्रदेश	5.47	4.28	6.25	8.87	7.11	7.13	7.00	8.03	17.35	28.52	—	—	100.00
2. बिहार	3.73	6.67	10.52	9.99	8.63	10.72	9.48	6.69	8.17	25.41	—	—	100.00
3. छत्तीसगढ़	12.06	10.10	13.46	19.93	6.71	16.87	7.88	13.00	—	—	—	—	100.00
4. गोवा	4.38	4.72	5.26	8.24	5.78	7.07	8.79	7.92	21.27	26.58	—	—	100.00
5. गुजरात	3.46	3.32	4.67	9.44	8.49	5.62	5.70	2.34	25.21	31.75	—	—	100.00
6. हरियाणा	4.37	4.03	4.99	10.43	11.38	11.41	12.86	1.95	—	38.58	—	—	100.00
7. झारखंड	2.82	5.06	7.85	7.62	6.94	7.74	9.95	7.18	19.96	24.88	—	—	100.00
8. कर्नाटक	5.63	5.18	6.96	8.67	8.57	12.96	6.86	1.19	4.04	39.94	—	—	100.00
9. केरल	3.51	3.43	6.51	4.76	6.71	6.69	9.94	12.29	20.21	25.94	—	—	100.00
10. मध्य प्रदेश	4.67	3.88	5.03	6.86	8.62	12.85	10.31	9.35	11.31	27.13	—	—	100.00
11. महाराष्ट्र	1.99	2.04	3.31	2.40	9.84	6.08	7.61	7.90	19.07	39.76	—	—	100.00
12. उड़ीसा	7.76	8.47	14.22	17.79	12.03	18.44	12.37	8.91	—	—	—	—	100.00
13. पंजाब	3.49	2.23	2.57	6.38	9.76	7.08	8.96	8.15	23.06	28.32	—	—	100.00
14. राजस्थान	5.67	5.48	5.70	9.73	6.63	9.38	8.14	7.06	16.27	25.94	—	—	100.00
15. तमिलनाडु	2.99	4.36	4.75	7.94	7.06	8.21	7.35	7.71	16.87	32.76	—	—	100.00
16. उत्तर प्रदेश	6.03	4.41	6.86	7.41	6.74	9.13	10.76	9.49	10.12	29.06	—	—	100.00
17. पश्चिम बंगाल	2.20	2.45	3.22	5.81	8.52	7.63	7.07	7.42	26.92	24.45	—	4.30	100.00
II. विशेष श्रेणी													
1. अरुणाचल प्रदेश	1.60	3.34	5.19	5.57	4.52	7.34	11.20	26.96	30.04	4.24	—	—	100.00
2. असम	4.52	4.48	6.15	9.84	5.40	7.69	12.61	11.84	10.41	27.07	—	—	100.00
3. हिमाचल प्रदेश	3.17	3.34	5.26	9.11	7.97	9.33	10.26	8.32	18.27	24.97	—	—	100.00
4. जम्मू और कश्मीर	1.75	3.68	4.35	8.19	5.30	3.90	5.84	12.24	30.60	24.15	—	—	100.00
5. मणिपुर	3.12	2.70	4.27	5.76	3.44	8.05	20.34	11.31	18.42	22.60	—	—	100.00
6. मेघालय	5.63	4.81	6.98	5.98	3.68	7.02	15.15	19.44	13.46	17.84	—	—	100.00
7. मिजोरम	3.63	3.63	4.55	12.24	3.16	5.62	14.51	21.23	15.23	16.20	—	—	100.00
8. नगालैंड	5.43	5.03	7.24	7.51	4.89	5.91	14.52	14.22	15.56	12.94	6.75	—	100.00
9. सिक्किम	5.15	3.14	1.69	2.02	1.67	2.27	12.03	17.16	25.25	29.61	—	—	100.00
10. त्रिपुरा	8.05	7.79	6.17	10.19	6.52	9.90	18.42	19.88	—	13.09	—	—	100.00
11. उत्तराखंड	2.37	1.73	4.09	16.14	12.98	5.25	19.88	6.27	14.10	12.93	—	4.25	100.00
सभी राज्य	4.04	3.90	5.47	7.62	7.98	8.31	8.76	7.84	16.78	28.74	0.04	0.52	100.00
जापन में:													
1. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	49.02	50.98	—	—	100.00

—: शून्य/ लागू नहीं।
नोट: विवरण 34 के अनुरूप।
स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण 36: राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राज्यों के खुद के राजस्व के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	वर्ष 2007-08 (लेखा)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	व्यय भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (2+3+4)	व्यय भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (6+7+8)	व्यय भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. नैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	21.2	11.5	14.2	46.9	18.9	8.8	12.7	40.4	17.0	9.1	12.6	38.6
2. बिहार	66.1	38.4	49.7	154.2	55.9	45.5	50.6	151.9	52.9	49.1	48.0	150.0
3. छत्तीसगढ़	14.9	9.7	9.0	33.6	13.1	15.3	10.4	38.8	11.0	16.5	9.6	37.2
4. गोवा	18.6	7.3	5.8	31.7	18.3	8.8	9.0	36.0	17.8	9.0	20.8	47.5
5. गुजरात	28.2	6.1	11.2	45.6	27.7	6.5	10.5	44.8	28.0	7.4	10.6	46.0
6. हरियाणा	14.0	7.3	7.8	29.1	13.0	9.0	9.3	31.3	16.4	11.4	12.0	39.9
7. झारखंड	38.5	36.0	13.9	88.3	29.4	25.7	15.5	70.6	26.6	27.4	16.8	70.8
8. कर्नाटक	15.4	7.9	11.0	34.3	15.6	12.4	13.7	41.7	16.0	11.8	11.5	39.2
9. केरल	29.1	9.9	33.1	72.1	27.9	9.7	27.8	65.4	27.0	10.2	25.4	62.6
10. मध्य प्रदेश	28.4	11.9	13.3	53.6	26.1	12.1	15.1	53.3	24.8	15.6	18.2	58.6
11. महाराष्ट्र	18.9	8.5	6.5	34.0	20.3	11.5	8.3	40.1	22.1	15.3	8.3	45.8
12. उड़ीसा	33.3	11.7	18.9	64.0	41.9	16.4	27.2	85.5	44.0	19.8	38.2	102.0
13. पंजाब	29.9	13.6	16.1	59.5	26.5	13.5	13.8	53.9	27.4	17.9	18.7	64.1
14. राजस्थान	34.3	9.4	14.8	58.5	32.9	12.1	20.1	65.1	30.7	12.5	20.7	63.9
15. तमिलनाडु	18.5	8.2	18.3	45.0	15.1	9.5	20.0	44.6	15.1	10.5	23.5	49.1
16. उत्तर प्रदेश	35.2	15.2	19.9	70.3	30.1	16.6	18.0	64.6	30.0	25.2	28.2	83.5
17. पश्चिम बंगाल	78.0	16.4	27.4	121.7	57.4	12.3	20.0	89.6	59.3	16.4	40.5	116.1
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	20.5	41.0	14.4	75.9	56.9	99.1	32.6	188.6	59.2	94.6	33.6	187.4
2. असम	27.5	29.7	24.4	81.6	30.4	42.0	24.7	97.2	34.7	56.5	38.5	129.7
3. हिमाचल प्रदेश	45.0	15.4	25.1	85.6	50.5	18.5	32.4	101.4	47.5	16.8	30.1	94.4
4. जम्मू और कश्मीर	61.8	61.3	32.0	155.1	41.9	60.1	30.0	132.0	40.8	65.6	33.4	139.8
5. मणिपुर	95.6	117.8	65.9	279.3	88.7	131.4	70.4	290.5	86.1	125.9	64.2	276.2
6. मेघालय	36.5	67.4	26.0	129.8	39.5	68.4	21.5	129.5	38.2	80.5	27.3	146.0
7. मिजोरम	100.1	131.1	46.7	278.0	89.5	145.2	41.4	276.0	80.7	166.8	54.8	302.3
8. नागालैंड	107.8	233.0	103.5	444.3	107.2	231.3	88.5	427.0	118.1	200.2	95.6	414.0
9. सिक्किम	7.3	9.0	3.1	19.4	10.4	13.6	4.3	28.3	12.6	15.6	8.1	36.2
10. त्रिपुरा	81.4	101.6	64.9	247.9	67.2	105.1	65.0	237.3	55.4	138.9	74.6	268.8
11. उत्तराखंड	32.2	17.1	18.3	67.5	34.8	22.8	23.1	80.7	30.5	18.2	26.3	75.0
सभी राज्य	27.4	12.3	15.4	55.2	25.9	13.9	16.3	56.2	25.8	16.5	19.4	61.7
जापन में:												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	18.4	3.1	-	21.5	17.1	3.7	-	20.8	16.9	3.9	-	20.8
2. पुदुचेरी	17.0	8.8	9.4	35.2	19.9	12.3	12.6	44.9	15.6	8.1	8.1	31.9

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

नोट: वर्ष 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

विवरण 37: राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	वर्ष 2007-08 (लेखा)					2008-09 (संशोधित अनुमान)					2009-10 (बजट अनुमान)			
	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (2+3+4)	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (6+7+8)	व्याज भुगतान	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन	कुल (10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. गैर विशेष श्रेणी														
1. आंध्र प्रदेश	14.1	7.6	9.4	31.1	12.3	5.8	8.3	26.4	11.9	6.3	8.8	27.0		
2. बिहार	15.7	9.2	11.8	36.7	11.5	9.4	10.5	31.4	11.7	10.8	10.6	33.1		
3. छत्तीसगढ़	10.5	6.8	6.3	23.7	7.0	8.1	5.5	20.6	6.0	8.9	5.2	20.1		
4. गोवा	16.1	6.3	5.0	27.4	14.7	7.1	7.2	29.0	12.8	6.4	14.9	34.0		
5. गुजरात	22.3	4.8	8.9	36.0	20.1	4.7	7.6	32.4	18.6	4.9	7.0	30.5		
6. हरियाणा	13.4	7.0	7.4	27.8	10.8	7.5	7.8	26.1	11.6	8.1	8.5	28.2		
7. झारखंड	15.1	14.1	5.4	34.7	13.8	12.1	7.3	33.2	13.3	13.7	8.4	35.5		
8. कर्नाटक	12.1	6.2	8.7	26.9	11.4	9.1	10.0	30.4	11.8	8.7	8.5	29.0		
9. केरल	17.4	5.9	19.8	43.1	16.7	5.8	16.6	39.2	17.0	6.4	16.1	39.5		
10. मध्य प्रदेश	16.4	6.9	7.7	30.9	14.1	6.5	8.1	28.8	13.0	8.1	9.5	30.6		
11. महाराष्ट्र	18.8	8.5	6.5	33.8	15.7	8.8	6.4	30.9	14.9	10.3	5.6	30.9		
12. उड़ीसा	17.9	6.3	10.2	34.3	16.6	6.5	10.7	33.8	15.9	7.2	13.8	36.8		
13. पंजाब	19.6	8.9	10.5	39.1	18.2	9.3	9.5	36.9	17.6	11.5	12.0	41.2		
14. राजस्थान	20.4	5.6	8.8	34.8	18.0	6.6	11.0	35.6	17.0	7.0	11.5	35.5		
15. तमिलनाडु	14.2	6.3	14.0	34.5	10.9	6.9	14.5	32.3	10.7	7.4	16.6	34.8		
16. उत्तर प्रदेश	16.6	7.2	9.4	33.2	13.9	7.7	8.3	29.9	12.6	10.6	11.9	35.1		
17. पश्चिम बंगाल	29.7	6.2	10.4	46.4	23.1	5.0	8.0	36.1	21.9	6.0	14.9	42.8		
II. विशेष श्रेणी														
1. अरुणाचल प्रदेश	6.9	13.7	4.8	25.4	7.8	13.7	4.5	26.0	7.0	11.2	4.0	22.2		
2. असम	11.9	12.8	10.5	35.2	8.9	12.3	7.2	28.5	7.2	11.7	8.0	26.9		
3. हिमाचल प्रदेश	20.5	7.0	11.4	39.0	19.4	7.1	12.4	38.9	20.0	7.1	12.7	39.9		
4. जम्मू और कश्मीर	17.4	17.2	9.0	43.6	12.9	18.4	9.2	40.5	11.7	18.8	9.6	40.2		
5. मणिपुर	13.0	16.0	9.0	38.0	11.2	16.6	8.9	36.6	11.0	16.2	8.2	35.4		
6. मेघालय	8.4	15.5	6.0	29.9	7.2	12.5	3.9	23.7	6.9	14.4	4.9	26.2		
7. मिजोरम	10.9	14.3	5.1	30.3	9.3	15.1	4.3	28.7	8.5	17.5	5.8	31.7		
8. नागालैंड	10.5	22.7	10.1	43.3	10.8	23.3	8.9	42.9	12.0	20.3	9.7	41.9		
9. सिक्किम	5.0	6.2	2.1	13.3	5.9	7.7	2.4	16.1	6.6	8.2	4.2	19.0		
10. त्रिपुरा	14.2	17.7	11.3	43.1	11.4	17.8	11.0	40.1	9.1	22.9	12.3	44.4		
11. उत्तराखंड	15.1	8.0	8.6	31.7	15.8	10.4	10.5	36.7	13.5	8.1	11.7	33.3		
सभी राज्य	17.2	7.7	9.7	34.6	14.6	7.9	9.2	31.7	13.9	8.9	10.4	33.2		
जापन करें:														
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	25.6	4.3	-	29.9	20.3	4.3	-	24.6	20.0	4.6	-	24.6		
2. पुदुचेरी	9.9	5.1	5.5	20.5	8.3	5.1	5.3	18.7	9.4	4.9	4.9	19.1		

स्रोत: राज्य सरकारों के चुनिंदा प्रतिबद्ध व्यय - राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में

विवरण 38 : रिजर्व बैंक से सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट प्राप्त करना

राज्य	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट					
	2007-08	2008-09	2009-10#	2007-08		2008-09		2009-10#	
	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या*	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या*	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या*	दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. गोवा	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5. गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. हरियाणा	—	—	5	—	—	—	—	—	—
7. झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. केरल	184	18	2	9	51	—	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	—	2	11	—	—	—	—	—	—
11. महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. पंजाब	19	21	93	—	—	—	—	3	16
14. राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. उत्तर प्रदेश	—	—	8	—	—	—	—	—	—
17. पश्चिम बंगाल	142	39	15	6	65	1	4	2	8
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. मणिपुर	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. मिजोरम	4	—	15	—	—	—	—	—	—
7. नागालैंड	30	18	45	1	3	1	4	1	13
8. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. उत्तराखंड	5	28	24	—	—	2	15	—	8

: 11 फरवरी 2010 तक।

— : शून्य।

* : वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट की ताजा घटनाओं को संदर्भित करता है।

स्रोत: रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण

विवरण 39 : केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रु.)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	75	329	135	-	-	-	-	-	-	-
2. बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. गुजरात	550	91	-	-	-	-	-	-	-	-
6. हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. कर्नाटक	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
9. केरल	-	203	178	310	350	350	-	-	-	350
10. मध्य प्रदेश	-	-	312	-	250	-	-	-	-	-
11. महाराष्ट्र	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
12. उड़ीसा	250	382	695	400	-	-	-	-	-	-
13. पंजाब	250	305	-	150	200	-	-	-	-	-
14. राजस्थान	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-
15. तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. उत्तर प्रदेश	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-
17. पश्चिम बंगाल	200	227	650	-	-	-	-	-	-	-
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. असम	200	675	470	50	200	-	-	-	10	10
3. हिमाचल प्रदेश	110	187	-	125	100	-	-	-	-	-
4. जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. मणिपुर	196	433	573	445	331	-	-	-	-	-
6. मेघालय	-	-	65	-	65	-	-	-	-	-
7. मिजोरम	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-
8. नागालैंड	-	70	27	-	100	100	-	-	-	-
9. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सभी राज्य	1,831	2,939	3,329	1,980	1,596	463	-	-	10	360

संअ: संशोधित अनुमान।

बअ: बजट अनुमान।

-: शून्य।

नोट: सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 40: 14 - दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में बकाया निवेश
(मार्च के अंत की स्थिति)

(करोड़ रु.)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	139	190	1,183	1,701	2,076	3,416	6,380	2,288
2. बिहार	91	943	299	2,845	2,848	1,674	4,446	3,953
3. छत्तीसगढ़	352	589	271	335	882	1,121	1,641	790
4. गोवा	—	—	—	80	258	353	654	534
5. गुजरात	—	747	289	227	3,420	2,105	8,223	7,454
6. हरियाणा	—	149	632	1,571	3,861	2,898	845	2,756
7. झारखंड	1,482	217	1,259	1,139	147	963	1,467	975
8. कर्नाटक	1,885	388	296	2,033	4,213	1,597	3,488	7,533
9. केरल	—	—	—	—	147	828	840	2,584
10. मध्य प्रदेश	—	27	—	200	646	2,507	2,761	2,932
11. महाराष्ट्र	857	1,021	1,831	1,095	3,255	4,711	6,495	17,31
12. उड़ीसा	—	—	102	653	1,722	2,621	4,821	6,312
13. पंजाब	—	—	—	—	1,527	457	730	95
14. राजस्थान	—	—	179	930	1,805	—	3,389	5,268
15. तमिलनाडु	—	—	—	—	2,944	3,407	5,279	11,623
16. उत्तर प्रदेश	—	407	240	—	3,234	5,481	5,451	8,805
17. पश्चिम बंगाल	—	—	—	935	3,302	1,136	2,121	1,916
कुल (I)	4,806	4,678	6,580	13,744	36,288	35,276	59,032	83,131
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	48	97	6	—	—	39	846	971
2. असम	—	—	—	—	1,378	2,549	4,447	8,153
3. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	337	—	1,122	1,129
4. मणिपुर	—	—	—	—	138	315	624	838
5. मेघालय	89	123	148	160	165	366	481	543
6. मिजोरम	—	36	11	114	84	—	267	196
7. नागालैंड	—	245	25	—	—	—	82	165
8. त्रिपुरा	—	103	8	297	476	538	578	757
9. उत्तराखंड	—	311	77	—	118	133	—	—
कुल (II)	137	916	275	571	2,695	3,941	8,445	12,752
महा जोड़ (I+II)	4,943	5,594	6,856	14,314	38,983	39,217	67,477	95,883

—: शून्य।

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड।

विवरण 41: शिक्षा पर व्यय * सकल व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	13.3	12.5	11.7	11.6	9.8	11.1	10.8	9.0	11.2	11.1
2. बिहार	23.7	20.7	18.4	18.9	15.8	19.6	19.7	17.6	16.6	18.8
3. छत्तीसगढ़	13.1	12.4	11.0	10.8	12.3	13.4	12.9	13.5	15.3	16.2
4. गोवा	11.9	10.5	12.0	12.1	13.9	12.3	13.7	12.3	13.9	13.2
5. गुजरात	13.6	12.7	13.5	11.2	11.5	12.6	12.7	13.4	11.6	11.5
6. हरियाणा	14.6	13.8	13.7	10.2	11.6	13.4	11.9	12.9	15.3	16.8
7. झारखंड	—	16.2	19.0	14.2	14.9	15.8	15.2	15.1	18.6	17.2
8. कर्नाटक	17.7	16.0	14.8	12.9	12.7	14.0	13.1	14.4	16.1	14.9
9. केरल	20.0	19.0	17.6	15.7	16.2	16.6	17.1	15.9	16.8	17.5
10. मध्य प्रदेश	16.3	12.5	12.2	9.9	8.8	10.2	12.4	11.1	13.7	13.1
11. महाराष्ट्र	22.3	22.1	18.9	15.5	14.0	15.7	16.4	17.2	16.3	16.2
12. उड़ीसा	15.9	14.6	14.3	12.2	12.6	14.7	12.8	14.3	16.0	18.3
13. पंजाब	13.2	11.7	12.1	10.2	10.1	11.3	8.9	10.3	11.8	12.1
14. राजस्थान	18.8	18.2	15.5	14.1	13.8	17.2	15.6	14.6	17.3	18.5
15. तमिलनाडु	18.0	17.3	13.8	12.6	11.2	13.6	12.2	12.7	13.8	14.9
16. उत्तर प्रदेश	16.8	16.0	14.6	9.1	12.5	15.2	14.7	14.1	14.0	14.9
17. पश्चिम बंगाल	17.1	16.2	15.9	11.8	14.9	13.7	15.2	15.2	13.5	17.4
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	6.4	13.3	12.1	9.1	10.7	9.9	10.7	10.8	10.5	9.0
2. असम	25.5	21.9	22.4	22.3	17.0	20.8	20.4	20.1	16.2	13.8
3. हिमाचल प्रदेश	17.0	16.2	14.5	12.4	13.5	14.1	14.1	15.4	17.5	17.6
4. जम्मू और कश्मीर	11.1	11.6	10.9	11.1	9.7	9.3	10.0	9.2	10.0	11.6
5. मणिपुर	20.2	13.7	13.3	13.1	15.3	15.4	11.9	14.2	11.8	11.6
6. मेघालय	16.6	17.9	15.3	15.2	15.0	15.5	14.1	15.5	15.7	14.3
7. मिजोरम	16.2	16.0	14.5	12.0	13.8	13.4	13.8	13.2	12.9	14.4
8. नागालैंड	13.8	11.0	11.0	10.8	11.0	11.6	12.3	11.4	10.6	10.0
9. सिक्किम	14.2	8.0	7.6	11.8	8.8	10.4	10.5	9.2	9.7	11.1
10. त्रिपुरा	19.3	18.6	19.2	18.3	20.0	15.3	15.9	15.1	14.4	14.7
11. उत्तराखंड	21.5	21.1	20.0	17.6	18.4	17.2	18.1	17.6	12.5	21.0
सभी राज्य	17.4	16.2	15.1	12.6	12.7	14.2	14.0	13.8	14.4	15.1
सभी राज्य (सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.4	2.6
<i>जापन मदें:</i>										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15.1	13.7	12.1	10.9	13.1	14.9	15.1	13.3	16.0	17.3
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	10.7	9.9	10.0	11.4	12.1

संअ: संशोधित अनुमान. बअ: बजट अनुमान

— : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

* : राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय के तहत खेल, कला और संस्कृति पर खर्च शामिल है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 42: चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय* - सकल व्यय के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	4.7	4.4	4.0	3.7	3.2	3.4	3.3	3.3	3.4	3.8
2. बिहार	5.9	4.9	4.2	3.8	3.1	4.5	4.2	4.4	3.9	3.8
3. छत्तीसगढ़	4.1	4.3	4.0	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	4.0	4.2
4. गोवा	4.4	3.8	4.0	4.5	4.7	4.9	4.6	4.6	5.5	4.6
5. गुजरात	3.4	2.8	3.2	2.7	2.8	3.1	2.9	3.2	3.0	3.4
6. हरियाणा	3.3	3.0	3.3	2.4	2.7	3.1	2.5	2.6	3.1	3.2
7. झारखंड	—	4.9	4.2	4.1	3.7	6.9	6.3	5.0	5.1	5.3
8. कर्नाटक	5.1	4.9	4.2	3.4	3.0	3.3	3.1	3.8	4.2	3.9
9. केरल	5.3	5.8	4.8	4.3	4.5	4.7	4.9	4.5	4.7	4.7
10. मध्य प्रदेश	5.1	4.1	4.1	3.3	3.1	3.4	3.8	3.5	3.6	3.4
11. महाराष्ट्र	3.9	4.3	3.7	3.2	2.7	3.2	3.1	3.5	3.4	2.8
12. उड़ीसा	4.2	3.7	3.8	3.2	4.0	3.0	3.1	3.3	3.9	5.0
13. पंजाब	4.5	3.9	3.5	3.0	2.9	3.4	2.7	2.9	3.6	3.1
14. राजस्थान	5.2	5.2	4.2	4.0	3.7	4.4	4.1	4.0	4.7	5.2
15. तमिलनाडु	4.9	4.9	4.1	3.8	3.2	4.2	3.3	3.3	3.8	4.8
16. उत्तर प्रदेश	4.0	3.6	3.8	2.7	3.8	5.1	5.7	4.8	5.7	5.3
17. पश्चिम बंगाल	5.6	5.0	4.9	3.7	4.2	3.9	4.1	4.0	3.6	4.5
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	5.0	4.9	4.5	3.5	4.5	3.1	4.4	3.8	3.9	4.4
2. असम	4.7	4.2	3.7	3.5	2.9	3.4	4.2	4.3	5.3	4.7
3. हिमाचल प्रदेश	5.6	4.9	4.5	4.3	4.6	4.6	4.4	4.4	4.6	4.8
4. जम्मू और कश्मीर	4.9	5.5	5.2	5.5	4.9	4.5	5.4	5.3	4.8	4.8
5. मणिपुर	4.8	3.4	2.9	3.2	2.6	3.0	2.7	4.1	3.6	3.2
6. मेघालय	5.6	6.6	5.9	5.5	4.9	5.5	5.1	5.4	4.4	4.7
7. मिजोरम	5.4	5.4	5.0	5.0	4.3	3.5	3.6	3.9	5.7	7.8
8. नागालैंड	5.2	4.1	4.6	4.0	5.7	4.3	4.2	4.3	4.0	3.5
9. सिक्किम	3.7	2.2	2.0	2.9	2.6	2.8	2.5	2.6	2.7	3.1
10. त्रिपुरा	4.0	3.7	3.8	3.4	3.5	4.7	5.1	5.0	5.5	4.2
11. उत्तराखंड	3.1	4.4	3.8	3.4	3.9	4.6	4.8	4.6	5.1	4.1
सभी राज्य	4.6	4.4	4.0	3.4	3.4	3.9	3.9	3.8	4.1	4.2
सभी राज्य (जीडीपी का प्रतिशत)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
ज्ञापन म दें:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.2	6.7	6.3	6.0	6.6	8.2	8.5	7.2	8.4	8.1
2. पुदुचेरी	—	—	—	—	—	5.4	7.6	7.9	4.9	5.9

संअ: संशोधित अनुमान. बअ: बजट अनुमान

— : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

* : राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 43: राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां
(मार्च के अंत की स्थिति)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. नैऋत्य क्षेत्र																	
1. आंध्र प्रदेश*	3,633	5,021	5,326	5,848	4,343	7,947	9,885	10,469	13,794	13,138	10,237	15,337	15,317	17,707	17,386	17,433	16,870
2. बिहार	1,359	1,477	1,652	73	1,184	525	525	525	1,149	1,157	997	789	899	1,166	591	620	504
3. गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. गुजरात	4,514	5,190	5,387	6,501	6,519	6,602	7,274	7,299	13,450	17,301	18,723	19,001	17,624	15,683	14,079	12,701	11,561
5. हरियाणा*	1,264	1,526	1,856	1,811	2,362	3,749	4,119	4,119	4,315	8,209	9,174	7,684	5,869	4,380	5,574	5,596	4,283
6. कर्नाटक*	3,057	2,255	3,640	3,862	4,669	4,887	6,122	6,517	9,829	12,989	11,845	13,314	14,179	17,451	8,983	9,879	10,786
7. केरल	1,744	2,296	2,320	3,229	2,082	2,069	2,466	2,866	7,952	8,756	11,937	11,410	13,836	12,316	11,935	9,496	8,317
8. मध्य प्रदेश*	677	720	1,890	287	440	3,485	3,485	3,485	9,841	10,482	9,670	9,670	9,974	9,435	13,692	5,697	—
9. महाराष्ट्र	7,351	6,132	7,305	7,706	8,127	7,636	9,933	12,851	21,161	44,954	35,520	38,002	67,068	58,818	59,470	37,823	36,075
10. उड़ीसा*	1,090	1,333	1,357	1,484	1,716	1,919	2,094	2,292	3,837	3,787	5,309	5,499	5,178	3,823	3,496	2,648	2,168
11. पंजाब*	1,303	1,225	1,517	2,360	2,525	6,691	7,044	7,292	8,744	6,067	6,149	18,632	12,987	10,585	9,226	—	15,480
12. राजस्थान*	2,727	3,143	3,573	3,929	4,758	5,754	6,154	6,454	11,270	11,954	12,912	14,819	17,239	12,703	13,098	14,706	19,769
13. तमिलनाडु*	2,895	3,205	3,604	2,128	3,456	4,339	4,339	4,637	9,287	12,388	12,004	11,918	10,818	7,779	6,329	5,850	5,610
14. उत्तर प्रदेश	4,257	4,852	5,135	5,300	4,730	4,338	4,503	4,643	8,090	6,391	6,268	3,601	8,364	8,433	11,426	12,736	13,362
15. पश्चिम बंगाल*	2,450	2,193	2,299	2,246	2,893	2,380	2,480	2,680	4,378	6,982	7,641	10,331	11,044	14,154	13,519	13,137	13,684
II. विशेष क्षेत्र																	
1. असम	1,008	1,022	1,022	945	1,430	1,430	1,430	1,430	1,033	1,100	1,854	1,101	1,023	607	1,221	863	—
2. हिमाचल प्रदेश*	370	482	502	495	798	989	1,299	1,299	3,109	1,921	4,113	2,153	4,610	4,315	6,888	2,852	2,594
3. जम्मू और कश्मीर*	459	443	480	275	599	599	599	599	790	1,143	1,033	1,033	3,629	5,071	—	—	9,709
4. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	211
5. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	—
6. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	75
7. उत्तराखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,738	—
कुल	40,158	42,515	48,865	48,479	52,631	65,339	73,751	79,457	1,32,029	1,68,719	1,65,386	1,84,294	2,19,658	204,426	1,96,914	1,54,183	1,71,058
सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत	6.1	5.6	5.6	4.8	4.4	4.7	4.8	4.5	6.8	8.0	7.3	7.5	8.0	6.3	5.3	3.6	3.5

—: उपलब्ध नहीं।
अ: अंतिम।
* : वर्ष 1991-92 और 1996-97 के लिए बकाया गारंटी में मूलधम और व्याज शामिल है।
: अंकड़े अप्रैल से सितंबर तक से संबंधित हैं।
नोट: अंकड़े 2006-07 के लिए 19 राज्यों तथा 2007-08 के लिए 17 राज्यों से संबंधित हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी।

विवरण 44: वेतन और मजदूरी पर व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)
1																				
1. आंध्र प्रदेश	2,048 (37.2)	2,470 (38.3)	2,732 (38.0)	3,083 (38.5)	3,622 (38.1)	3,773 (35.5)	4,219 (29.3)	4,768 (32.8)	5,936 (35.0)	6,668 (37.0)	7,978 (34.6)	8,165 (33.0)	8,103 (31.1)	8,718 (29.2)	8,825 (28.2)	10,269 (29.4)	11,932 (28.8)	13,243 (24.5)	16,238 (24.0)	19,900 (26.0)
2. असम																				
3. बिहार	2,410 (49.3)	2,640 (46.0)	3,024 (46.0)	3,262 (44.6)	3,448 (44.6)	3,833 (45.3)	4,047 (49.0)	4,561 (50.9)	5,321 (50.1)	6,686 (41.5)	7,129 (49.7)	5,276 (42.0)	5,073 (36.2)	5,020 (34.3)	5,005 (34.2)					
4. छत्तीसगढ़																				
5. गुजरात	636 (15.6)	765 (14.6)	890 (14.3)	917 (13.2)	1,049 (13.9)	1,299 (14.8)	1,345 (13.1)	1,547 (12.7)	2,124 (13.6)	2,116 (12.1)	2,229 (10.1)	1,916 (10.2)	1,948 (11.5)	2,059 (11.6)	2,103 (10.6)	2,139 (10.6)	2,501 (9.6)	2,965 (27.4)	4,164 (26.5)	6,053 (33.5)
6. हरियाणा	687 (35.5)	774 (34.0)	881 (37.0)	980 (28.8)	1,171 (18.7)	1,369 (25.5)	1,597 (23.6)	1,827 (27.6)	2,703 (38.5)	2,627 (37.8)	2,687 (37.4)	2,920 (33.7)	3,156 (33.8)	3,143 (31.1)	3,455 (30.3)	3,737 (29.6)	4,027 (24.6)	4,466 (25.5)	6,680 (30.8)	8,877 (34.4)
7. हिमाचल प्रदेश																				
8. झारखंड																				
9. कर्नाटक*	1,289 (32.5)	1,431 (28.9)	1,657 (29.6)	1,941 (31.3)	2,213 (30.5)	2,481 (29.2)	2,871 (28.1)	3,365 (30.9)	3,810 (30.6)	4,576 (30.0)	4,630 (27.7)	5,030 (27.0)	4,941 (26.3)	5,323 (25.0)	5,530 (22.2)	5,899 (21.0)	6,545 (19.6)	8,410 (22.5)	11,413 (27.1)	11,305 (23.9)
10. केरल	1,683 (59.6)	1,384 (43.0)	1,419 (38.8)	1,836 (42.8)	2,194 (43.3)	2,230 (38.3)	2,617 (38.5)	2,842 (34.5)	3,298 (35.7)	4,566 (39.5)	4,561 (38.4)	4,263 (36.6)	4,745 (32.1)	5,136 (33.1)	5,417 (31.6)	5,677 (30.8)	6,663 (32.0)	7,792 (31.3)	9,325 (32.4)	10,307 (33.1)
11. मध्य प्रदेश																				
12. महाराष्ट्र	3,848 (44.0)	4,908 (48.8)	5,548 (48.0)	6,216 (47.4)	6,837 (46.2)	7,899 (46.0)	8,890 (42.6)	10,074 (44.0)	11,125 (43.4)	16,089 (54.5)	18,188 (48.6)	18,475 (48.3)	18,499 (45.7)	19,627 (46.0)	20,678 (40.5)	22,816 (43.6)	24,222 (39.5)	27,561 (42.5)	32,118 (40.9)	41,293 (42.9)
13. मिजोरम	89 (29.3)	104 (32.4)	127 (34.1)	147 (35.1)	172 (37.1)	204 (36.0)	240 (38.7)	262 (39.6)	280 (40.5)	393 (43.9)	437 (42.7)	474 (42.0)	487 (43.1)	503 (39.1)	556 (39.9)	544 (34.3)	623 (36.3)			
14. नागालैंड																				
15. उड़ीसा	906 (41.4)	991 (37.6)	1,157 (38.0)	1,274 (36.6)	1,427 (35.4)	1,798 (38.3)	2,209 (43.2)	2,814 (50.8)	3,091 (45.3)	3,741 (44.2)	3,803 (43.2)	3,736 (37.8)	3,929 (39.2)	4,002 (36.8)	4,074 (32.9)	4,350 (32.0)	4,634 (29.4)	5,339 (30.1)	8,514 (32.7)	10,866 (37.6)
16. राजस्थान																				
17. सिक्किम																				
18. तमिलनाडु	2,350 (41.6)	2,530 (29.1)	2,869 (33.6)	3,235 (36.9)	3,603 (37.4)	4,136 (37.9)	4,818 (36.9)	5,559 (37.2)	7,469 (42.2)	8,295 (40.0)	8,251 (37.9)	8,262 (38.3)	7,981 (31.1)	7,966 (31.5)	8,507 (29.2)	8,980 (28.1)	10,695 (27.9)	12,158 (28.3)	17,556 (31.7)	20,858 (35.2)
19. उत्तर प्रदेश	2,569 (26.9)	2,585 (24.9)	3,291 (25.9)	3,492 (26.3)	3,628 (23.6)	4,066 (23.2)	4,670 (24.3)	6,033 (27.2)	6,389 (24.5)	7,054 (24.5)	7,721 (24.9)	6,962 (21.9)	7,395 (22.5)	8,039 (16.0)	8,423 (18.9)	9,057 (19.4)	9,869 (17.7)	11,186 (17.2)	15,793 (19.5)	21,594 (23.3)
20. उत्तराखंड																				
21. पश्चिम बंगाल																				
सभी राज्य	18,515 (37.3)	23,042 (35.2)	26,234 (35.5)	29,431 (35.6)	33,317 (34.3)	37,673 (34.4)	45,746 (33.3)	58,282 (34.4)	71,234 (35.6)	86,285 (36.4)	94,507 (39.1)	93,009 (36.3)	94,717 (35.1)	98,741 (32.0)	1,03,924 (31.1)	1,04,158 (29.1)	1,16,431 (27.5)	1,16,983 (28.4)	1,51,272 (29.3)	1,92,568 (32.6)
जापन में:																				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली#								761 (32.8)	962 (33.9)	1,012 (28.7)	1,064 (28.8)	1,106 (21.9)	1,172 (25.5)	1,275 (25.1)	1,441 (24.7)					
2. पुदुचेरी																378 (21.1)	445 (23.1)	466 (21.2)	715 (22.7)	737 (23.1)

संअ : संशोधित अनुमान संअ : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं
 \$ 2001-02 के बाद से आंकड़े द्विभाजित बिहार से संबंधित हैं। * : वेतन व्यय से संबंधित है।
 नोट: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत हैं।
 स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना।

विवरण 45: परिचालन और रखरखाव पर व्यय

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. आंध्र प्रदेश	576 (10.5)	722 (11.2)	746 (10.4)	871 (10.9)	810 (8.5)	911 (8.6)	1,103 (7.7)	1,085 (7.5)	1,427 (8.4)	1,395 (7.7)	2,499 (10.8)	2,899 (11.7)	3,117 (12.0)	3,828 (12.8)	3,833 (12.2)	3,884 (11.1)	4,713 (11.4)	5,852 (10.8)	9,059 (13.4)	8,971 (11.7)
2. असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 (6.3)	322 (4.7)	333 (4.7)	366 (4.3)	511 (5.0)	541 (5.1)	360 (3.1)	-	-	-
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 (2.9)	125 (2.5)	221 (4.0)	212 (3.2)	189 (2.7)	114 (1.5)	327 (3.7)	384 (3.5)	561 (3.6)	517 (2.9)
4. गुजरात	193 (4.7)	259 (4.9)	640 (10.3)	356 (5.1)	373 (4.9)	425 (4.8)	403 (3.9)	794 (6.5)	433 (2.8)	483 (2.8)	1,224 (5.6)	909 (4.0)	1,419 (6.6)	2,180 (9.9)	1,380 (5.7)	791 (3.1)	636 (2.2)	-	-	-
5. हरियाणा	86 (4.4)	88 (3.9)	99 (4.2)	115 (3.4)	135 (2.1)	158 (3.0)	171 (2.5)	208 (3.1)	191 (2.7)	254 (3.7)	220 (3.1)	259 (3.0)	318 (3.4)	414 (4.1)	349 (3.1)	456 (3.6)	748 (4.6)	985 (5.6)	1,152 (5.3)	965 (3.7)
6. हिमाचल प्रदेश \$	-	-	-	-	204 (12.6)	208 (10.9)	228 (10.6)	271 (10.0)	355 (10.6)	364 (9.5)	401 (9.2)	297 (6.5)	268 (5.2)	379 (6.8)	349 (6.0)	0	590 (7.7)	-	-	-
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.0)	-	-	-
8. कर्नाटक	11 (0.3)	14 (0.3)	9 (0.2)	12 (0.2)	16 (0.2)	15 (0.2)	14 (0.1)	15 (0.1)	16 (0.1)	33 (0.2)	49 (0.3)	93 (0.5)	89 (0.5)	253 (1.2)	274 (1.1)	448 (1.6)	858 (2.6)	672 (1.8)	770 (1.8)	738 (1.6)
9. केरल @	-	-	-	-	-	-	-	254 (3.1)	236 (2.6)	272 (2.3)	248 (2.1)	291 (2.5)	347 (2.4)	354 (2.3)	434 (2.5)	504 (2.7)	549 (2.6)	647 (2.6)	642 (2.2)	636 (2.0)
10. मध्य प्रदेश \$	-	268 (4.9)	291 (5.4)	342 (5.5)	339 (4.5)	367 (4.7)	414 (4.5)	436 (3.8)	418 (3.6)	410 (2.9)	371 (2.5)	366 (2.5)	311 (2.1)	204 (1.1)	246 (1.4)	268 (1.3)	-	-	-	-
11. महाराष्ट्र*	3,194 (36.5)	3,079 (30.6)	3,817 (33.1)	3,552 (27.1)	3,864 (26.1)	4,266 (24.9)	5,690 (27.3)	6,461 (28.2)	7,029 (27.4)	6,675 (22.6)	7,207 (19.3)	7,444 (19.4)	8,630 (21.3)	9,229 (21.6)	12,350 (24.2)	16,002 (30.6)	18,503 (30.1)	23,193 (28.4)	23,193 (29.5)	15,939 (16.6)
12. मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 (21.1)	-	-	-
13. मिजोरम	17 (5.6)	21 (6.5)	26 (6.9)	30 (7.1)	32 (7.0)	25 (4.4)	46 (7.4)	49 (7.5)	43 (6.2)	48 (5.3)	56 (5.5)	59 (5.2)	118 (10.4)	130 (10.1)	126 (9.0)	174 (11.0)	372 (21.7)	-	-	-
14. नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 (0.7)	42 (1.6)	19 (0.6)	20 (0.6)
15. उड़ीसा	97 (4.4)	106 (4.0)	156 (5.1)	176 (5.1)	199 (4.9)	223 (4.7)	261 (5.1)	260 (4.7)	262 (3.8)	320 (3.8)	426 (4.8)	424 (4.3)	436 (4.4)	423 (3.9)	484 (3.9)	672 (4.9)	1,211 (7.7)	1,598 (9.0)	1,840 (7.1)	1,872 (6.5)
16. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380 (11.9)	1,493 (11.1)	794 (5.3)	851 (5.3)	1,117 (6.6)	1,136 (6.0)	1,224 (6.1)	1,274 (5.9)	1,521 (6.1)	1,660 (5.7)	1,927 (5.6)	1,954 (4.9)
17. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,389 (181.9)	1,400 (84.1)	1,522 (80.9)	1,707 (144.5)	1,650 (95.7)	1,751 (99.1)	2,256 (119.5)	-	-	-
18. तमिलनाडु	915 (16.2)	1,109 (12.8)	1,146 (13.4)	1,268 (14.5)	1,415 (14.7)	1,498 (13.7)	1,728 (13.2)	1,816 (12.1)	1,941 (11.0)	1,815 (8.8)	1,867 (8.6)	1,683 (7.8)	2,144 (8.3)	2,472 (9.8)	3,159 (10.8)	3,829 (12.0)	3,721 (9.7)	4,099 (9.5)	4,099 (7.4)	3,727 (6.3)
19. उत्तर प्रदेश	1,832 (19.2)	1,637 (15.7)	2,353 (18.5)	2,317 (17.4)	3,199 (20.8)	3,272 (18.6)	2,584 (13.5)	2,478 (11.2)	3,043 (11.7)	2,718 (9.5)	749 (2.4)	749 (2.4)	1,034 (3.1)	1,110 (2.2)	1,376 (3.1)	1,664 (3.6)	2,668 (4.8)	2,771 (4.2)	3,138 (3.9)	3,358 (3.6)
20. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 (1.3)	300 (4.1)	288 (3.5)	278 (2.5)
21. पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	745 (6.6)	937 (6.6)	1,242 (6.4)	1,580 (7.1)	1,420 (6.1)	1,015 (4.4)	1,088 (4.1)	1,232 (4.4)	1,603 (5.2)	2,163 (6.3)	1,066 (2.8)	1,163 (2.2)	1,156 (1.9)
सभी राज्य	6,922 (16.5)	7,302 (12.9)	9,281 (14.6)	9,037 (12.7)	10,585 (12.5)	11,368 (11.9)	12,642 (11.1)	14,872 (9.5)	17,710 (9.6)	17,522 (8.2)	19,529 (8.1)	19,591 (7.6)	22,438 (8.3)	25,464 (8.3)	29,164 (8.8)	33,976 (9.5)	41,807 (9.8)	38,439 (9.3)	47,851 (9.3)	40,132 (6.8)
ज्ञापन मंदः																				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली #	-	-	-	-	-	-	-	94 (4.1)	104 (3.7)	116 (3.3)	138 (3.7)	129 (2.6)	135 (2.9)	141 (2.8)	164 (2.8)	-	-	-	-	-
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,556 (86.7)	1,964 (101.9)	2,138 (97.1)	3,002 (95.2)	3,396 (106.3)

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान

Δ: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

\$: रखरखाव से संबंधित है।

@ : इसमें यात्रा खर्च, कार्यालय खर्च, किराया, छोटे-छोटे काम, मशीनरी और उपकरण, सामग्री और आपूर्ति, रखरखाव, मोटर वाहन, ईंधन प्रभार और अन्य प्रभार शामिल हैं।

* : इसमें रखरखाव कार्य, औजार और संयंत्र, मशीनरी और उपकरण, सामग्री और आपूर्ति, चेतनंतर सहायता अनुदान और उचित के अंतर्गत आने वाला व्यय शामिल है।

: आकड़े मरम्मत और रखरखाव से संबंधित हैं।

नोट : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत हैं।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना।

विवरण 46: सामाजिक क्षेत्र व्यय*

(करोड़ रु.)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005-07	2007-08	2008-09 (सं. अ.)	2009-10 (ब. अ.)
I. गैर विशेष श्रेणी																				
1. आंध्र प्रदेश	2,741	3,121	3,662	3,919	4,265	5,507	6,284	6,759	8,927	8,831	10,006	10,876	11,179	13,367	13,821	14,900	18,654	24,471	36,786	35,668
2. बिहार	2,381	3,073	3,143	3,434	3,524	3,796	4,014	4,375	5,354	8,338	7,408	5,783	6,466	7,023	6,117	8,663	11,127	13,815	20,505	21,136
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988	2,435	2,820	3,244	3,635	4,295	5,707	6,947	10,587	12,255
4. गोवा	162	181	192	216	223	257	292	350	415	470	518	543	626	686	798	880	1,010	1,124	1,614	1,784
5. गुजरात	1,993	2,344	2,456	2,844	3,273	3,666	4,068	4,953	6,609	7,571	9,681	9,029	8,177	8,992	10,127	10,995	13,104	14,893	18,527	21,316
6. हरियाणा	776	781	955	1,093	1,304	1,698	1,628	1,829	2,474	2,572	3,387	3,675	2,810	2,818	3,497	4,742	5,605	7,343	9,826	12,154
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,727	4,904	4,320	5,127	6,156	7,392	7,984	9,870	10,322
8. कर्नाटक	1,842	2,299	2,557	3,063	3,449	3,995	4,526	4,886	5,851	6,803	7,541	7,642	7,570	8,315	9,764	11,675	14,407	17,644	20,707	24,526
9. केरल	1,477	1,594	1,791	2,061	2,387	2,691	3,215	4,239	4,660	5,432	5,242	4,932	6,338	5,924	7,344	7,524	7,189	9,010	11,313	12,734
10. मध्य प्रदेश	2,439	2,664	3,020	3,508	3,854	4,416	5,267	5,622	6,887	7,417	7,153	6,007	7,158	6,787	7,268	9,426	10,658	12,600	16,489	18,735
11. महाराष्ट्र	3,792	4,601	5,561	6,204	6,723	8,361	9,195	10,609	11,407	12,844	15,429	15,452	15,704	18,877	20,433	24,268	28,276	29,721	38,515	59,821
12. उड़ीसा	1,113	1,310	1,492	1,747	1,864	2,188	2,467	2,636	3,246	4,889	4,065	4,122	4,210	4,360	4,598	5,386	6,126	8,196	13,010	14,037
13. पंजाब	957	1,099	1,058	1,335	1,565	1,767	1,231	2,242	3,054	2,724	3,887	3,730	2,990	3,525	3,747	4,052	4,706	4,991	8,735	9,051
14. राजस्थान	1,866	2,036	2,393	2,783	3,291	3,912	4,324	4,697	5,953	6,377	7,224	7,730	8,032	9,228	9,845	10,920	12,580	14,683	19,313	22,735
15. तमिलनाडु	2,985	3,433	3,929	4,251	4,550	5,145	6,210	6,654	8,153	8,862	9,618	9,190	9,662	11,586	13,617	14,297	16,921	19,994	27,381	28,052
16. उत्तर प्रदेश	4,711	4,443	5,573	5,212	6,031	6,466	7,693	9,080	10,477	11,669	12,135	12,279	13,103	12,999	16,932	20,141	24,032	30,006	41,784	45,473
17. पश्चिम बंगाल	2,824	2,716	2,747	3,323	3,827	4,097	4,991	5,180	6,626	9,338	9,623	9,581	8,463	9,008	9,732	11,445	13,142	16,192	20,968	28,472
II. विशेष श्रेणी																				
1. अरुणाचल प्रदेश	128	137	172	198	217	263	317	334	332	372	325	449	421	620	650	742	843	953	1,338	1,107
2. असम	932	1,113	1,138	1,397	1,536	1,815	1,708	1,892	2,151	2,640	3,077	3,035	3,233	3,709	4,775	4,452	5,220	6,056	9,910	11,428
3. हिमाचल प्रदेश	444	495	581	621	731	881	994	1,242	1,553	1,701	1,963	1,912	1,973	2,348	2,328	2,804	3,334	3,736	4,849	4,571
4. जम्मू और कश्मीर	600	732	887	901	1,047	1,223	1,393	1,623	1,496	1,726	2,044	2,321	2,518	2,493	3,104	4,030	4,348	5,108	5,609	6,631
5. मणिपुर	151	185	196	210	241	307	384	416	391	605	449	550	562	603	873	939	1,041	1,179	1,517	1,205
6. मेघालय	160	189	198	238	216	288	314	338	390	502	578	565	570	640	741	767	873	1,039	1,483	1,801
7. मिजोरम	153	173	200	212	239	292	343	320	379	506	505	542	562	652	647	722	798	940	1,351	1,336
8. नागालैंड	182	179	224	269	299	364	353	370	415	479	585	544	567	644	629	804	914	1,053	1,304	1,306
9. सिक्किम	61	73	81	90	101	151	166	188	254	245	259	314	348	406	479	501	547	663	938	1,067
10. त्रिपुरा	264	286	261	324	383	429	517	594	673	776	896	968	974	963	1,121	1,121	1,206	1,399	1,940	2,133
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	1,320	1,708	2,027	2,327	2,781	3,226	3,726	3,679	5,542
सभी राज्य	35,132	39,255	44,468	49,451	55,143	63,975	71,896	81,427	98,127	1,13,690	1,24,919	1,29,253	1,33,648	1,46,164	1,64,077	1,89,430	2,22,988	2,65,466	3,59,849	4,16,395
जापन मदें:																				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	386	1,155	1,365	1,714	2,043	2,245	2,461	3,000	2,989	3,492	3,465	4,267	4,566	5,139	7,353	9,471	10,290
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797	828	927	1,362	1,724

संय: संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान ँ: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं
* : इसमें राजस्व व्यय के तहत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह और भंडारण पर किए गए व्यय, पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 47: कुल व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के व्यय*

विवरण

प्रतिशत

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (संश)	2009-10 (बज)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. गैर विशेष श्रेणी																				
1. आंध्र प्रदेश	41.7	40.2	40.8	37.2	34.2	38.5	38.6	38.1	40.7	38.8	35.6	35.0	32.5	33.3	29.3	30.8	32.9	32.7	40.8	35.3
2. बिहार	38.3	45.2	40.6	40.7	41.2	40.3	42.7	42.8	44.0	42.7	43.7	38.9	36.4	36.7	30.5	38.4	41.0	43.8	45.1	44.5
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.5	43.3	41.3	36.2	37.7	44.2	47.6	46.2	52.3	53.7
4. गोवा	40.9	38.8	38.6	38.7	37.1	27.2	30.8	27.6	28.5	29.1	26.4	23.1	26.1	28.4	31.4	30.9	31.8	31.6	33.1	31.2
5. गुजरात	36.4	33.9	30.8	33.8	34.5	33.9	32.3	33.3	34.5	35.3	35.6	35.2	30.4	27.3	29.0	32.1	33.4	34.9	35.1	37.1
6. हरियाणा	32.4	28.6	32.3	26.6	18.9	27.7	20.8	23.4	28.8	30.8	37.0	34.3	26.6	18.6	24.2	32.0	28.5	33.3	36.6	37.5
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.0	50.0	44.4	44.1	45.9	47.0	43.5	47.8	44.9
8. कर्नाटक	37.0	36.8	36.0	37.9	38.9	38.4	37.8	38.8	39.3	38.2	38.3	34.8	31.4	28.4	28.5	33.4	32.7	36.7	38.2	40.2
9. केरल	43.7	39.8	41.1	40.1	40.1	38.9	40.5	43.2	43.9	42.1	39.9	37.6	37.4	30.0	36.2	35.6	31.0	31.4	34.3	35.3
10. मध्य प्रदेश	41.3	40.1	39.4	39.5	41.4	41.7	40.2	39.5	43.1	41.3	42.3	35.4	37.7	28.4	24.7	32.5	35.3	35.7	39.0	38.4
11. महाराष्ट्र	35.2	38.2	39.7	38.8	33.6	39.1	36.8	38.3	37.6	33.6	36.6	36.4	33.3	30.9	28.1	35.3	37.3	37.0	37.6	49.9
12. उड़ीसा	36.5	36.0	38.1	39.2	37.4	39.3	39.1	38.5	37.6	48.3	36.8	34.2	31.7	28.0	28.9	34.2	31.7	35.9	41.5	42.8
13. पंजाब	28.1	21.9	25.1	25.6	20.9	25.2	16.3	23.7	27.9	22.7	27.6	23.8	17.2	17.3	17.8	19.8	17.9	18.8	26.6	25.4
14. राजस्थान	39.5	35.0	37.7	37.5	39.1	35.9	39.4	37.0	41.6	39.2	41.3	40.7	37.3	35.7	34.1	40.1	39.5	38.9	44.4	45.7
15. तमिलनाडु	45.1	35.8	40.3	42.2	39.8	41.1	40.3	38.4	41.0	39.2	39.4	37.0	32.0	34.3	32.6	36.9	33.1	35.9	40.1	38.1
16. उत्तर प्रदेश	38.5	33.5	34.5	32.0	28.6	31.1	33.4	34.1	33.3	33.7	33.1	32.2	31.1	18.7	28.6	33.7	32.1	34.4	38.3	37.4
17. पश्चिम बंगाल	46.9	43.9	41.3	41.7	41.2	39.0	38.3	38.2	38.6	41.2	36.0	34.1	30.5	23.4	29.1	28.2	31.9	34.7	33.0	40.1
II. विशेष श्रेणी																				
1. अरुणाचल प्रदेश	32.1	31.0	34.1	34.4	31.5	32.8	35.6	34.3	33.1	33.9	26.9	32.5	30.9	28.3	31.2	30.4	30.2	31.1	27.4	24.2
2. असम	34.7	40.3	36.3	38.6	38.5	41.3	40.0	37.7	41.3	37.3	40.3	35.5	36.2	35.0	32.4	36.8	38.7	40.0	37.6	32.7
3. हिमाचल प्रदेश	39.7	21.1	40.1	36.7	36.4	37.5	37.7	36.0	37.3	36.1	36.9	33.7	29.8	29.0	29.0	32.7	33.0	35.2	37.5	35.0
4. जम्मू और कश्मीर	29.7	32.0	38.2	34.7	31.4	34.2	34.6	33.2	25.6	24.3	26.1	28.8	28.8	28.3	27.9	29.9	31.3	30.0	29.9	29.6
5. मणिपुर	33.4	34.6	23.8	32.9	35.6	37.9	37.9	36.7	35.1	34.0	32.5	26.0	26.0	26.0	33.6	34.2	28.7	31.7	32.0	26.6
6. मेघालय	39.3	38.3	36.4	34.9	36.8	37.0	40.0	39.7	38.7	42.0	40.6	40.5	35.9	36.2	35.8	38.2	37.6	37.5	37.3	39.3
7. मिजोरम	30.6	41.8	40.9	40.7	40.3	40.8	42.4	36.8	42.4	43.6	39.2	40.7	40.0	35.7	35.6	33.3	34.8	36.7	42.2	38.3
8. नागालैंड	33.0	27.6	26.2	28.9	33.0	35.0	32.2	30.0	27.9	32.1	31.9	26.9	29.6	27.0	27.6	28.6	29.6	29.5	29.7	27.3
9. सिक्किम	33.3	32.2	32.4	34.4	16.8	15.2	13.4	13.5	15.7	15.1	27.3	16.5	16.3	27.5	22.2	23.3	24.3	23.5	27.6	30.2
10. त्रिपुरा	43.1	42.3	39.8	41.2	43.5	43.4	43.8	44.0	43.9	43.8	42.0	39.3	38.4	34.8	37.6	34.0	36.5	36.5	37.9	35.0
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0	40.0	35.2	32.7	36.6	36.3	37.9	37.4	33.9	39.5
सभी राज्य	38.6	36.4	37.3	36.9	34.6	36.6	36.1	36.4	37.5	36.9	36.8	35.1	32.6	28.4	29.6	33.7	33.9	35.3	38.3	39.4
ज्ञान में:																				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	48.2	48.0	46.3	48.8	48.5	45.4	41.6	40.8	34.6	34.2	29.6	33.1	41.0	39.6	40.5	44.8	44.7
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.7	34.7	35.8	37.0	42.0

संज्ञ : संशोधित अनुमान

संज्ञ : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

* : इसमें राजस्व व्यय के तहत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह और भंडारण संबंधी व्यय, पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 48: बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन और राहत सुविधा के तहत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत

(करोड़ रु.)

राज्य	2008-09	
	ऋण राहत	ब्याज राहत
1	2	3
I. गैर विशेष श्रेणी		
1. आंध्र प्रदेश	703	481
2. बिहार	385	228
3. छत्तीसगढ़	93	59
4. गोवा	—	13
5. गुजरात	472	325
6. हरियाणा	97	50
7. झारखंड #	210	72
8. कर्नाटक	358	251
9. केरल ##	102	125
10. मध्य प्रदेश	363	253
11. महाराष्ट्र	340	163
12. उड़ीसा	382	142
13. पंजाब ###	153	110
14. राजस्थान	309	149
15. तमिलनाडु	263	166
16. उत्तर प्रदेश	1,064	722
17. पश्चिम बंगाल	—	—
II. विशेष श्रेणी		
1. अरुणाचल प्रदेश	20	14
2. असम*	316	6
3. हिमाचल प्रदेश	—	29
4. जम्मू और कश्मीर @	—	—
5. मणिपुर	38	-11
6. मेघालय #	15	10
7. मिजोरम #	13	9
8. नागालैंड	16	10
9. सिक्किम	—	—
10. त्रिपुरा##	22	15
11. उत्तराखंड	13	7
सभी राज्य	5,748	3,398

: झारखंड में पूर्व चुकौती के माध्यम से वर्ष 2007-08 के लिए 104.96 करोड़ रुपये शामिल हैं।

: 2006-07 के लिए।

: वर्ष 2007-08 के लिए।

* : असम में पूर्व चुकौती के माध्यम से वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में से प्रत्येक वर्ष के लिए 105.41 करोड़ रुपये शामिल हैं।
सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने अपना एफआरबीएम अधिनियम नहीं बनाया है।

@ : जम्मू और कश्मीर का समेकन 2008-09 से किया गया।

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण

विवरण 49: कुल व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	सकल राज्य देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय						सीएआरजी
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	18.7	20.8	18.4	18.2	20.6	22.9	15.3
2. बिहार	19.8	20.3	21.6	19.2	25.5	32.2	12.0
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	18.0	22.5	31.7
4. गोवा	—	28.4	25.4	25.5	28.0	23.4	14.5
5. गुजरात	16.8	19.0	17.8	16.7	20.5	14.8	13.5
6. हरियाणा	17.9	18.8	18.5	19.7	16.1	14.7	14.7
7. झारखंड	—	—	—	—	22.9	23.8	14.2
8. कर्नाटक	20.0	21.2	19.5	17.9	21.1	21.1	14.2
9. केरल	18.1	20.9	19.4	18.6	18.9	17.7	13.8
10. मध्य प्रदेश	19.6	20.6	18.4	17.0	22.7	25.7	12.5
11. महाराष्ट्र	17.0	18.1	15.3	14.3	17.1	14.8	14.1
12. उड़ीसा	21.0	22.2	24.6	22.7	25.0	22.7	13.3
13. पंजाब	18.5	19.6	19.3	18.4	20.8	20.3	13.9
14. राजस्थान	19.9	21.9	20.9	20.2	22.9	22.6	14.0
15. तमिलनाडु	19.8	18.6	19.4	16.7	18.5	18.7	13.9
16. उत्तर प्रदेश	17.1	18.4	20.0	18.2	23.0	25.3	14.1
17. पश्चिम बंगाल	14.2	14.8	14.9	15.1	17.9	16.8	14.1
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	93.2	71.1	69.6	72.5	92.9	13.5
2. असम	21.9	23.7	23.5	21.1	22.8	27.7	14.1
3. हिमाचल प्रदेश	33.0	38.6	40.1	36.1	35.2	33.7	13.4
4. जम्मू और कश्मीर	31.4	38.7	46.1	46.5	44.0	52.8	14.5
5. मणिपुर	54.9	58.2	56.3	51.3	55.7	63.2	12.2
6. मेघालय	41.0	43.5	40.6	35.2	32.9	39.5	14.0
7. मिजोरम	—	74.9	88.2	75.2	71.9	79.4	12.5
8. नागालैंड	86.4	87.5	69.3	56.1	46.2	47.9	12.3
9. सिक्किम	73.6	80.2	90.2	198.5	133.4	121.6	16.9
10. त्रिपुरा	33.5	43.5	45.3	40.7	37.6	37.8	13.8
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	22.4	28.8	32.6
सभी राज्य (सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	15.1	16.1	15.9	14.9	17.0	15.9	14.2

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी: वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 50 : राजस्व व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	सकल राज्य देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय						सीएआरजी
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	14.4	16.8	14.7	14.6	15.5	16.9	15.5
2. बिहार	12.6	14.4	18.3	16.7	20.2	24.2	13.4
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	14.2	17.1	30.8
4. गोवा	—	15.5	18.9	22.0	23.1	18.1	15.2
5. गुजरात	11.1	14.4	13.8	13.6	15.9	11.3	14.5
6. हरियाणा	11.8	13.6	15.6	16.7	12.6	12.0	15.4
7. झारखंड	—	—	—	—	17.3	18.4	14.9
8. कर्नाटक	14.1	16.1	15.4	15.1	16.6	16.4	14.7
9. केरल	13.5	16.3	16.1	16.0	16.2	15.5	14.2
10. मध्य प्रदेश	13.2	15.7	15.1	14.8	17.5	19.1	13.3
11. महाराष्ट्र	12.6	14.3	12.3	11.7	13.7	11.7	14.5
12. उड़ीसा	14.6	16.1	18.7	18.5	19.3	18.8	14.7
13. पंजाब	11.1	12.8	15.4	15.3	17.0	16.7	14.8
14. राजस्थान	13.1	16.2	16.0	15.7	17.8	17.8	15.0
15. तमिलनाडु	13.8	14.7	16.9	14.7	14.9	14.8	14.6
16. उत्तर प्रदेश	11.2	13.6	15.6	15.2	18.0	19.1	14.8
17. पश्चिम बंगाल	10.8	11.6	12.6	12.5	14.2	13.8	14.7
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	50.6	46.9	48.5	51.9	64.5	14.1
2. असम	14.0	17.8	18.2	17.4	17.8	23.2	16.4
3. हिमाचल प्रदेश	22.7	28.9	27.4	29.0	26.8	25.8	14.8
4. जम्मू और कश्मीर	20.0	26.1	31.5	35.7	33.8	36.4	14.7
5. मणिपुर	32.6	39.3	36.3	37.3	37.2	41.1	13.9
6. मेघालय	28.5	31.0	30.4	27.6	25.4	31.9	15.2
7. मिजोरम	—	59.1	64.4	58.1	56.2	60.2	12.9
8. नागालैंड	62.0	66.2	50.4	43.7	34.9	33.8	13.0
9. सिक्किम	53.9	56.8	68.2	180.4	111.9	92.8	16.6
10. त्रिपुरा	23.7	33.3	37.0	32.0	28.5	27.0	14.4
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	17.4	21.7	32.1
सभी राज्य (सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	10.6	12.2	12.7	12.4	13.3	12.4	14.9

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी : वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 51 : पूंजीगत परिव्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	सकल राज्य देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय						सीएआरजी
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	2.4	2.1	1.8	1.4	2.2	3.8	15.9
2. बिहार	3.0	3.0	1.4	1.1	2.0	5.9	13.2
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	2.0	3.9	36.3
4. गोवा	—	6.9	5.3	2.7	3.0	4.5	13.3
5. गुजरात	2.4	1.9	2.0	2.0	2.0	2.7	13.5
6. हरियाणा	2.7	1.7	1.1	1.5	1.4	1.9	13.5
7. झारखंड	—	—	—	—	3.8	4.4	12.4
8. कर्नाटक	2.3	1.8	2.5	1.9	2.4	3.8	15.3
9. केरल	2.4	1.8	1.4	1.3	0.7	0.8	9.5
10. मध्य प्रदेश	3.1	3.1	2.0	1.3	2.6	4.5	11.9
11. महाराष्ट्र	2.1	1.8	1.7	1.6	1.7	2.3	14.7
12. उड़ीसा	3.9	4.1	3.8	2.4	1.8	2.2	10.7
13. पंजाब	1.9	1.2	1.4	1.2	1.0	2.0	14.1
14. राजस्थान	3.3	2.7	2.8	3.0	2.4	3.4	13.4
15. तमिलनाडु	1.2	0.8	0.8	0.9	1.5	2.3	17.9
16. उत्तर प्रदेश	2.6	2.5	1.4	1.2	2.4	4.9	14.5
17. पश्चिम बंगाल	0.8	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9	13.5
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	24.3	22.2	20.1	14.8	22.2	11.4
2. असम	2.5	2.5	1.9	1.4	1.9	3.4	15.2
3. हिमाचल प्रदेश	5.5	5.5	5.5	5.0	3.6	4.3	13.1
4. जम्मू और कश्मीर	7.9	9.8	10.2	8.4	8.2	14.6	14.8
5. मणिपुर	14.0	14.5	11.6	11.2	6.2	18.0	13.7
6. मेघालय	9.0	8.8	7.1	5.4	4.2	6.0	13.4
7. मिजोरम	—	11.9	14.2	13.5	10.9	15.4	11.1
8. नागालैंड	15.5	15.8	10.1	8.5	8.3	11.3	14.6
9. सिक्किम	17.5	21.6	20.1	14.7	17.3	23.2	15.8
10. त्रिपुरा	7.1	8.4	6.6	6.8	7.2	9.4	15.2
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	2.4	5.7	33.2
सभी राज्य (सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	2.0	1.8	1.5	1.4	1.6	2.5	14.3

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी : वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 52 : प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(रुपए)

राज्य	प्रति व्यक्ति पूंजी परिव्यय						सीएआरजी (प्रतिशत)
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	50.2	70.7	143.7	191.4	492.1	1500.4	14.1
2. बिहार	56.9	92.1	66.8	92.6	161.2	699.6	10.9
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	349.9	1184.4	34.2
4. गोवा	—	486.0	829.8	970.8	1859.5	4801.9	11.1
5. गुजरात	77.6	96.1	187.2	398.0	547.7	1415.7	11.4
6. हरियाणा	93.8	92.5	122.5	314.6	425.0	1249.1	10.9
7. झारखंड	—	—	—	—	458.5	1067.5	10.6
8. कर्नाटक	52.5	68.6	194.7	281.4	539.0	1493.1	13.5
9. केरल	57.8	71.2	109.6	207.8	194.6	389.2	8.4
10. मध्य प्रदेश	77.2	126.0	156.9	194.3	264.4	593.9	7.9
11. महाराष्ट्र	69.9	100.5	209.9	339.9	803.0	2023.8	14.3
12. उड़ीसा	69.6	120.2	183.9	220.4	249.9	611.6	9.2
13. पंजाब	71.1	77.8	185.3	257.2	332.5	1080.8	12.2
14. राजस्थान	66.1	88.6	182.0	350.6	401.1	880.8	10.8
15. तमिलनाडु	29.0	33.7	71.4	158.0	410.5	1099.7	16.6
16. उत्तर प्रदेश	49.3	76.0	75.4	112.8	293.7	919.8	12.0
17. पश्चिम बंगाल	19.3	38.9	59.7	130.2	144.9	339.5	11.6
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	852.2	1778.4	2628.0	2940.7	7103.3	9.2
2. असम	51.5	88.1	111.6	134.8	315.7	863.1	13.2
3. हिमाचल प्रदेश	136.4	230.7	465.5	810.1	1105.6	2210.7	11.3
4. जम्मू और कश्मीर	222.0	424.5	658.5	905.9	1612.6	4227.6	12.0
5. मणिपुर	274.4	485.9	652.9	1167.2	1104.1	4661.8	11.6
6. मेघालय	189.5	328.8	496.4	643.3	884.1	1880.2	10.9
7. मिजोरम	—	558.2	1139.9	1919.2	2598.5	5230.2	8.8
8. नागालैंड	365.0	673.2	819.1	1081.8	1814.9	4096.6	10.5
9. सिक्किम	382.2	978.5	1459.5	1957.2	4075.5	9691.7	14.1
10. त्रिपुरा	155.7	294.5	367.1	727.1	1499.6	3114.2	13.1
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	538.1	2064.7	31.0
सभी राज्य (औसत)	55.5	84.7	135.9	218.8	398.4	1083.8	12.4

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी : वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 53: विकास व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	सकल राज्य देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय						सीएआरजी
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	13.9	15.3	13.3	12.4	12.2	15.5	15.2
2. बिहार	13.0	14.0	13.7	11.3	13.3	21.1	12.6
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	11.4	16.4	33.4
4. गोवा	—	21.1	19.1	14.5	15.9	16.0	13.7
5. गुजरात	12.7	14.2	12.9	11.9	12.7	9.5	13.1
6. हरियाणा	13.5	13.2	11.2	11.2	9.4	10.2	14.3
7. झारखंड	—	—	—	—	15.3	17.3	13.7
8. कर्नाटक	13.7	14.8	13.8	12.2	12.7	14.2	14.1
9. केरल	12.7	13.4	12.1	11.5	9.7	8.5	11.9
10. मध्य प्रदेश	15.1	14.9	12.9	11.4	14.0	16.4	11.7
11. महाराष्ट्र	11.8	12.9	10.9	9.4	9.7	9.6	13.8
12. उड़ीसा	15.1	15.4	16.5	14.4	12.3	12.8	12.8
13. पंजाब	12.7	14.0	11.9	9.1	8.4	9.1	12.0
14. राजस्थान	13.7	15.1	14.3	12.8	12.7	14.3	13.8
15. तमिलनाडु	14.5	13.5	14.2	10.8	9.9	11.0	13.0
16. उत्तर प्रदेश	12.3	12.7	12.4	10.1	11.6	15.1	13.3
17. पश्चिम बंगाल	9.5	9.6	9.6	9.4	8.6	8.4	13.0
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	65.7	55.3	53.1	48.5	68.1	13.7
2. असम	14.3	16.0	15.3	12.7	13.0	16.7	14.3
3. हिमाचल प्रदेश	24.5	29.1	23.8	24.8	19.0	19.1	13.2
4. जम्मू और कश्मीर	22.0	27.0	29.1	29.3	25.4	33.8	13.7
5. मणिपुर	36.0	41.6	35.3	34.9	27.0	40.1	12.5
6. मेघालय	29.2	32.1	29.0	24.3	21.0	27.3	14.5
7. मिजोरम	—	57.8	62.5	54.9	48.5	54.5	11.8
8. नागालैंड	54.3	59.2	41.6	33.4	25.3	27.7	12.7
9. सिक्किम	63.0	67.6	59.8	56.1	52.5	55.4	15.1
10. त्रिपुरा	24.8	33.2	32.0	27.4	23.0	22.1	13.1
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	13.6	18.4	30.3
सभी राज्य (सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	10.9	11.4	10.7	9.4	9.4	9.8	13.7

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी: वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 54: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय					
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य						
1. आंध्र प्रदेश	74.1	73.6	72.2	68.2	59.3	67.5
2. बिहार	66.2	69.1	63.3	58.7	52.7	65.0
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	63.6	72.6
4. गोवा	—	74.5	75.0	56.7	57.6	68.4
5. गुजरात	75.3	74.6	72.7	70.9	61.3	64.5
6. हरियाणा	75.6	70.3	62.4	57.1	58.2	69.1
7. झारखंड	—	—	—	—	66.8	66.2
8. कर्नाटक	68.7	69.6	71.1	67.8	60.2	67.2
9. केरल	70.5	64.2	62.2	61.8	51.5	47.6
10. मध्य प्रदेश	77.0	72.2	70.4	66.8	61.8	63.8
11. महाराष्ट्र	69.6	71.7	70.9	65.6	56.9	65.1
12. उड़ीसा	71.9	69.2	67.3	63.5	49.2	56.1
13. पंजाब	68.8	71.4	61.3	49.4	40.8	44.7
14. राजस्थान	68.8	68.4	68.4	63.3	55.5	63.3
15. तमिलनाडु	73.2	72.5	72.8	64.3	54.0	58.5
16. उत्तर प्रदेश	72.3	68.8	61.8	55.4	50.0	59.3
17. पश्चिम बंगाल	67.2	64.9	64.1	61.9	48.2	49.5
II. विशेष श्रेणी के राज्य						
1. अरुणाचल प्रदेश	—	70.9	77.7	76.2	67.3	72.8
2. असम	66.5	67.4	65.4	60.2	56.7	61.2
3. हिमाचल प्रदेश	74.7	75.3	62.8	68.7	54.3	56.7
4. जम्मू और कश्मीर	70.2	69.8	63.3	63.2	57.5	63.9
5. मणिपुर	67.1	71.6	64.3	68.1	49.1	63.5
6. मेघालय	71.6	73.8	71.6	69.1	63.6	68.6
7. मिजोरम	—	74.2	72.8	73.0	67.4	68.5
8. नागालैंड	64.2	67.7	60.2	59.7	54.6	57.9
9. सिक्किम	85.6	84.3	70.5	28.3	41.3	46.9
10. त्रिपुरा	74.4	76.3	70.4	67.4	61.2	58.5
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	62.6	64.0
सभी राज्य	71.0	70.4	67.4	62.9	55.3	61.2

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण

विवरण 55: प्रति व्यक्ति विकास व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(रुपए)

राज्य	प्रति व्यक्ति विकास व्यय						सीएआरजी (प्रतिशत)
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	290.7	532.2	972.7	1719.2	2706.9	5547.4	13.4
2. बिहार	245.5	445.0	696.6	920.1	1078.2	2216.7	10.3
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	1905.1	4449.4	31.4
4. गोवा	—	1858.7	3117.7	5433.2	9693.1	15896.6	11.6
5. गुजरात	406.2	729.8	1280.1	2320.1	3418.5	4862.4	11.1
6. हरियाणा	472.2	769.9	1280.4	2237.2	3127.8	5995.1	11.7
7. झारखंड	—	—	—	—	2317.9	4029.3	11.9
8. कर्नाटक	317.4	572.2	1072.2	1802.8	2820.3	5321.8	12.3
9. केरल	310.1	538.7	955.1	1905.4	2628.9	3727.4	10.8
10. मध्य प्रदेश	382.8	619.3	1055.7	1676.1	1432.1	2048.3	7.6
11. महाराष्ट्र	388.3	712.3	1247.2	2006.7	4391.2	7804.1	13.3
12. उड़ीसा	268.4	450.6	820.9	1342.3	1757.4	3145.4	11.2
13. पंजाब	471.3	888.1	1415.5	1973.2	2842.9	4483.8	10.2
14. राजस्थान	276.4	498.2	957.6	1547.5	2111.6	3450.4	11.2
15. तमिलनाडु	340.7	577.4	1206.3	1841.0	2595.4	4759.0	11.7
16. उत्तर प्रदेश	238.1	396.7	692.7	962.5	1423.3	2627.6	10.8
17. पश्चिम बंगाल	241.8	395.8	654.4	1229.8	1779.3	2766.1	11.1
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	2874.7	4438.4	7034.8	9717.5	20156.9	11.4
2. असम	293.2	553.5	902.1	1220.3	2103	3599.3	12.3
3. हिमाचल प्रदेश	618.0	1225.6	1933.3	4043.4	5764.6	9092.3	11.4
4. जम्मू और कश्मीर	623.1	1167.8	1896.4	3364.6	4902.4	9009.1	11.1
5. मणिपुर	706.9	1404.3	2012.4	3645.1	4605.7	10311.8	10.4
6. मेघालय	621.3	1205.0	2034.9	2942.2	4382.1	7507.1	11.9
7. मिजोरम	—	2743.0	4997.6	7789.7	11299.5	18455.8	9.4
8. नागालैंड	1294.1	2525.0	3371.9	4272.0	5558.7	9372.9	8.6
9. सिक्किम	1414.2	3044.0	4368.0	7689.6	12224.8	20688.7	12.5
10. त्रिपुरा	540.8	1168.1	1780.2	2967.0	4778.8	6667.1	11.0
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	2975.9	6285.9	28.2
सभी राज्य (औसत)	299.4	534.2	938.4	1515.2	2287.3	4016.7	11.6

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी : वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 56: सामाजिक क्षेत्र व्यय की राज्यवार प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

राज्य	सकल राज्य देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय						सीएआरजी
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	6.8	8.9	7.1	7.1	6.8	7.9	15.6
2. बिहार	6.1	8.1	8.9	9.5	10.4	13.6	14.2
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	7.5	11.2	32.6
4. गोवा	—	8.7	9.9	7.3	7.5	7.2	13.8
5. गुजरात	5.3	7.1	6.0	5.7	6.5	5.1	14.6
6. हरियाणा	4.4	5.5	4.9	5.1	4.5	4.9	16.7
7. झारखंड	—	—	—	—	10.9	11.9	13.6
8. कर्नाटक	5.4	7.8	7.3	6.8	6.5	7.4	15.8
9. केरल	7.6	9.2	7.9	7.8	6.7	5.8	12.8
10. मध्य प्रदेश	5.5	7.9	7.4	7.5	7.5	9.3	14.2
11. महाराष्ट्र	4.9	6.6	5.7	5.3	5.6	5.8	16.3
12. उड़ीसा	7.2	8.5	9.2	9.2	8.0	8.4	14.5
13. पंजाब	4.8	5.7	4.7	4.3	4.3	4.4	13.1
14. राजस्थान	6.5	8.7	7.9	7.8	8.6	9.3	15.8
15. तमिलनाडु	6.4	7.8	7.8	6.7	6.4	6.7	14.9
16. उत्तर प्रदेश	4.8	6.5	6.7	6.1	6.4	9.0	14.8
17. पश्चिम बंगाल	5.6	6.3	6.4	5.9	5.4	5.7	14.3
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	23.6	23.2	23.7	21.8	26.5	12.2
2. असम	6.5	8.9	8.8	8.4	8.1	10.1	15.6
3. हिमाचल प्रदेश	11.4	15.1	13.2	13.3	11.1	11.7	13.8
4. जम्मू और कश्मीर	8.8	12.8	15.2	14.1	12.3	16.0	14.7
5. मणिपुर	17.4	21.1	17.7	18.6	16.2	20.4	12.4
6. मेघालय	14.0	15.7	15.1	13.9	12.8	15.1	15.1
7. मिजोरम	—	30.3	33.4	30.9	27.5	30.3	11.2
8. नागालैंड	24.1	29.0	20.5	17.6	13.2	14.7	12.9
9. सिक्किम	17.5	27.3	25.3	28.9	27.8	30.4	18.1
10. त्रिपुरा	11.2	19.0	19.1	17.8	14.4	30.5	13.9
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	8.0	10.6	35.7
सभी राज्य (सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)	4.8	6.1	5.8	5.5	5.5	5.8	15.3

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी : वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 57: प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय में राज्यवार प्रवृत्ति

(रुपए)

राज्य	प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय						सीएआरजी (प्रतिशत)
	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	1980-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. गैर विशेष श्रेणी के राज्य							
1. आंध्र प्रदेश	145	308	516	988	1,516	3,155	13.8
2. बिहार	115	258	455	663	761	1,597	11.8
3. छत्तीसगढ़	—	—	—	—	1,207	3,396	30.6
4. गोवा	—	770	1,612	2,745	4,555	7,933	11.7
5. गुजरात	170	364	595	1,115	1,756	2,773	12.5
6. हरियाणा	156	330	561	1,029	1,473	3,257	14.1
7. झारखंड	—	—	—	—	1,283	2,756	11.8
8. कर्नाटक	124	304	565	1,029	1,504	3,081	14.0
9. केरल	185	367	627	1,301	1,835	2,821	11.6
10. मध्य प्रदेश	141	330	606	1,038	777	1,252	10.1
11. महाराष्ट्र	161	361	648	1,142	2,537	5,219	15.8
12. उड़ीसा	128	248	459	870	1,134	2,348	12.9
13. पंजाब	178	369	568	947	1,429	2,348	11.3
14. राजस्थान	133	290	529	953	1,427	2,472	13.2
15. तमिलनाडु	152	335	668	1,156	1,687	3,219	13.6
16. उत्तर प्रदेश	92	205	373	579	778	1,685	12.4
17. पश्चिम बंगाल	142	258	437	785	1,129	2,066	12.4
II. विशेष श्रेणी के राज्य							
1. अरुणाचल प्रदेश	—	1,034	1,857	3,141	4,356	8,294	10.0
2. असम	134	306	524	802	1,294	2,503	13.6
3. हिमाचल प्रदेश	287	636	1,069	2,184	3,374	5,838	12.1
4. जम्मू और कश्मीर	251	558	998	1,575	2,380	4,557	12.1
5. मणिपुर	341	713	1,015	1,941	2,699	4,965	10.3
6. मेघालय	298	591	1,059	1,691	2,597	4,689	12.5
7. मिजोरम	—	1,435	2,668	4,416	6,369	9,812	8.9
8. नागालैंड	574	1,243	1,673	2,251	2,906	4,943	8.9
9. सिक्किम	397	1,231	1,869	3,989	6,489	12,526	15.5
10. त्रिपुरा	242	671	1,065	1,942	2,996	4,451	11.7
11. उत्तराखंड	—	—	—	—	1,745	3,969	33.6
सभी राज्य (औसत)	134	402	624	1,097	1,585	2,735	10.7

—: उपलब्ध नहीं / लागू नहीं।

सीएआरजी: वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट
I से IV

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	5,414,255	7,092,704	6,968,595	7,896,370	300,301	390,355	368,152	325,696
I. कर राजस्व (क +ख)	3,997,769	5,046,361	4,890,841	5,277,330	53,596	61,100	61,455	62,460
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	2,879,405	3,786,616	3,573,995	4,066,400	9,807	9,540	9,895	10,900
1. आय पर कर (I+II)	35,572	42,130	39,129	45,000	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	35,572	42,130	39,129	45,000	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (I से III)	332,070	472,298	368,137	345,600	298	290	395	600
i) भूमि राजस्व	14,439	13,048	13,048	14,400	212	210	300	500
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	308,606	453,750	345,639	322,400	86	80	95	100
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	9,026	5,500	9,450	8,800	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (I से VII)	2,511,763	3,272,188	3,166,729	3,675,800	9,509	9,250	9,500	10,300
i) बिक्री कर (क से च)	1,902,649	2,488,728	2,453,179	2,768,500	7,706	7,600	7,600	8,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,753,789	2,269,078	2,261,160	2,538,184	7,706	7,600	7,600	8,000
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	143,308	216,718	184,866	221,805	-	-	-	-
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	23	34	32	40	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	4,115	1,210	5,305	6,300	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	1,415	1,688	1,816	2,171	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	404,069	499,125	480,000	626,000	1,160	1,200	1,250	1,500
iii) वाहन पर कर	160,380	228,980	192,456	231,500	642	450	650	800
iv) माल और यात्रियों पर कर	8,029	8,352	3,000	1,800	-	-	-	-
v) बिजली पर शुल्क और कर	19,536	19,284	19,284	24,000	-	-	-	-
vi) मनोरंजन कर	6,195	7,812	6,815	7,900	-	-	-	-
vii) अन्य कर और शुल्क	10,905	19,907	11,995	16,100	-	-	-	-
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (I से IX)	1,118,364	1,259,745	1,316,846	1,210,930	43,789	51,560	51,560	51,560
i) निगम कर	354,936	335,939	431,813	488,789	13,896	16,906	16,906	16,906
ii) आय कर	238,228	250,418	271,155	238,162	9,327	10,616	10,616	10,616
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-18	-	-	-30	-1	-	-	-
v) धन पर कर	394	789	411	468	15	16	16	16
vi) सीमा शुल्क	211,391	264,400	251,720	202,313	8,276	9,855	9,855	9,855
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	201,800	313,931	219,481	136,476	7,901	8,595	8,595	8,595
viii) सेवा कर	111,676	94,268	142,266	144,801	4,375	5,574	5,574	5,574
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-43	-	-	-49	-	-2	-2	-2
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	1,416,486	2,046,343	2,077,754	2,619,040	246,705	329,255	306,697	263,236
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	706,413	887,263	839,816	1,294,600	65,692	52,164	30,228	31,841
1. व्याज प्राप्ति	352,534	436,050	430,529	445,625	2,910	2,200	3,400	3,700
2. लाभांश और लाभ	1,195	7,441	3,741	1,722	-	-	-	-

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	98,778	102,757	102,746	431,518	5,302	2,639	3,131	3,661
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	19,401	28,253	28,253	35,137	730	967	712	1,086
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,135	15,385	15,385	18,462	118	75	122	125
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,731	4,825	4,825	7,576	37	40	40	42
iii) परिवार कल्याण	50	421	421	500	—	—	—	—
iv) आवास	160	244	244	244	4	11	5	12
v) शहरी विकास	2,312	1,115	1,115	1,338	280	600	250	600
vi) श्रम और रोजगार	2,242	2,263	2,263	2,716	1	4	1	1
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	718	278	278	578	6	11	6	10
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	500	1,105	1,105	1,105	284	225	287	295
ix) अन्य	552	2,617	2,617	2,618	1	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	2,021	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	234,506	312,762	274,547	380,598	56,750	46,358	20,964	23,394
i) फसल उत्पादन	5,744	908	908	2,090	150	140	150	160
ii) पशुपालन	390	134	134	261	32	50	35	40
iii) मत्स्यपालन	230	201	201	242	8	17	9	10
iv) वानिकी और वन्य जीव	9,092	15,281	9,547	10,375	857	1,455	955	1,500
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सव्कारिता	3,914	3,709	3,709	4,450	40	16	30	30
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	6	6	7	17	40	40	40
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	4,203	7,154	7,154	8,584	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	250	690	690	725	1	—	—	—
x) पावर	2,513	3,157	3,157	3,315	45,806	39,280	14,678	15,200
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	212	211	211	220	39	40	40	45
xiii) उद्योग @	160,355	218,891	191,848	245,227	4,582	2,215	2,215	2,615
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	5,280	7,903	7,903	9,484	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	1,045	1,716	1,203	1,630
xvi) पर्यटन	2,198	1,696	1,696	2,100	26	25	27	30
xvii) अन्य*	40,122	52,821	47,383	93,520	4,148	1,364	1,582	2,094
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	710,073	1,159,080	1,237,938	1,324,440	181,013	277,091	276,469	231,395
1. राज्य योजना स्कीमें	379,799	511,543	591,220	767,032	126,896	213,976	195,567	163,185
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	12,364	238,045	236,850	135,937	6,038	17,867	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	201,149	293,957	294,333	214,439	6,233	7,758	35,989	31,469
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	3,816	3,588	4,185	4,185
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	116,760	115,535	115,535	207,032	38,030	33,902	40,728	32,556
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	35,480	51,720	51,720	51,720	29,307	29,937	29,383	28,156
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	21,999	29,873	29,873	31,367	2,248	2,315	4,955	2,315
ग) अन्य	59,281	33,942	33,942	123,945	6,475	1,650	6,390	2,085

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,532,492	2,219,299	2,330,720	2,306,363	2,820,970	3,355,099	3,631,723	4,183,743
I. कर राजस्व (क +ख)	827,771	981,187	982,959	957,512	2,185,245	2,435,321	2,609,810	3,102,637
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	335,950	402,080	403,852	402,825	508,616	525,889	635,625	733,615
1. आय पर कर (I+II)	12,782	12,932	12,988	16,000	-	-	-	125
i) कृषि आय कर	314	294	350	2,000	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	12,468	12,638	12,638	14,000	-	-	-	125
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	18,967	21,476	20,641	22,480	73,625	65,574	78,000	82,622
i) भूमि राजस्व	7,976	9,049	8,441	8,938	8,210	7,472	8,000	7,622
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	10,991	12,427	12,200	13,542	65,415	58,102	70,000	75,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	304,201	367,672	370,223	364,345	434,991	460,315	557,625	650,868
i) बिक्री कर (क से च)	269,144	282,069	304,434	290,000	253,479	293,772	370,379	394,803
क) राज्य बिक्री कर / वैट	228,212	257,341	257,435	260,000	249,126	289,772	366,379	392,303
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	-	24,728	47,000	30,000	4,428	4,000	4,000	2,500
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	104	-	-	-	32	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	19	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	1	-	-	-	1	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	40,807	-	-	-	-108	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	18,871	22,330	21,445	23,590	52,542	53,769	70,000	85,000
iii) वाहन पर कर	13,862	19,300	15,387	17,079	27,321	25,660	30,000	35,500
iv) माल और यात्रियों पर कर	1,239	41,458	26,707	31,340	93,787	82,500	82,500	127,000
v) बिजली पर शुल्क और कर	462	1,854	1,704	1,735	6,405	3,028	3,028	6,278
vi) मनोरंजन कर	265	315	200	220	1,424	960	1,093	1,250
vii) अन्य कर और शुल्क	358	346	346	381	33	626	625	1,037
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	491,821	579,107	579,107	554,687	1,676,629	1,909,432	1,974,185	2,369,022
i) निगम कर	156,093	189,902	189,902	204,751	532,114	585,411	647,368	776,842
ii) आय कर	104,767	119,248	119,248	115,170	357,148	365,843	406,511	487,813
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-8	-	-	-	-27	-92	-27	-32
v) धन पर कर	173	181	181	206	591	789	616	739
vi) सीमा शुल्क	92,965	110,701	110,701	100,958	316,914	381,401	377,374	452,849
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	88,747	96,549	96,549	66,074	302,536	374,721	329,133	394,960
viii) सेवा कर	49,103	62,526	62,526	67,528	167,417	201,605	213,275	255,930
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-19	-	-	-	-64	-246	-65	-78
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	704,720	1,238,112	1,347,760	1,348,852	635,725	919,778	1,021,913	1,081,106
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	213,458	224,894	224,572	204,435	52,559	42,182	44,041	54,095
1. व्याज प्राप्ति	24,072	18,465	25,757	27,560	17,071	5,744	5,744	5,362
2. लाभांश और लाभ	2,400	2,914	2,568	2,748	3	81	79	77

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	14,029	15,283	26,567	46,267	4,838	7,953	7,814	15,885
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	3,089	2,195	3,306	3,537	5,007	6,675	6,674	4,239
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	636	762	681	728	2,088	2,647	2,647	2,213
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	715	637	765	819	2,107	1,778	1,778	1,313
iii) परिवार कल्याण	1	2	1	1	4	—	—	4
iv) आवास	318	407	341	365	138	103	103	146
v) शहरी विकास	1	1	1	1	2	—	—	2
vi) श्रम और रोजगार	1,318	275	1,410	1,509	168	101	101	69
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	27	56	29	31	275	1,322	1,322	292
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	71	52	76	81	147	108	108	119
ix) अन्य	2	3	2	2	78	616	616	80
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएँ (i से xvii)	169,868	186,037	166,374	124,323	25,640	21,729	23,729	28,532
i) फसल उत्पादन	34	24	36	39	1,776	185	185	400
ii) पशुपालन	33	35	35	38	26	43	43	30
iii) मत्स्यपालन	119	134	127	136	657	742	742	766
iv) वानिकी और वन्य जीव	7,503	4,583	8,028	8,590	664	465	465	500
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	29	31	31	33	99	342	342	210
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	32	35	33	35	5	—	—	5
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	36	47	39	41	1,208	1,100	1,100	2,850
ix) लघु सिंचाई	34	58	36	39	254	50	50	50
x) पावर	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) पेट्रोलियम	154,788	172,787	150,000	106,791	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	372	756	398	426	12	48	48	12
xiii) उद्योग @	68	49	50	77	17,871	14,017	16,017	20,375
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	6	5	5	6
xvi) पर्यटन	10	13	11	11	1	1	1	1
xvii) अन्य*	6,810	7,485	7,550	8,067	3,061	4,731	4,731	3,326
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	491,263	1,013,218	1,123,188	1,144,417	583,166	877,596	977,872	1,027,011
1. राज्य योजना स्कीमें	297,836	446,604	446,604	431,977	291,383	456,499	456,499	503,833
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	13,430	20,323	24,650	124,633	5,326	19,807	19,807	16,721
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	72,196	174,552	244,905	327,515	135,950	222,289	222,565	325,209
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	19,235	48,875	48,875	43,357	—	—	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	88,566	322,865	358,154	216,934	150,508	179,001	279,001	181,248
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	45,828	14	14	14	113,799	4,000	4,000	—
क) सांविधिक अनुदान								
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	15,336	15,797	15,797	16,280	23,323	12,186	112,186	12,559
ग) अन्य	27,402	307,053	342,343	200,639	13,386	162,815	162,815	168,689

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,387,867	1,565,617	1,677,780	1,889,721	294,390	350,953	380,581	413,673
I. कर राजस्व (क +ख)	965,310	1,091,422	1,107,904	1,249,334	175,264	202,992	220,145	236,635
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	561,808	653,782	632,794	702,955	135,892	156,636	173,787	186,085
1. आय पर कर (I+II)	1,154	2,270	384	439	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	1,154	2,270	384	439	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	55,084	64,607	62,000	72,001	12,478	8,831	11,747	11,994
i) भूमि राजस्व	8,812	9,683	10,000	12,000	719	384	736	697
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	46,272	54,923	52,000	60,001	11,759	8,447	11,011	11,297
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	505,570	586,906	570,410	630,515	123,414	147,805	162,040	174,090
i) बिक्री कर (क से च)	302,369	362,000	347,000	377,560	87,928	102,635	110,999	125,770
क) राज्य बिक्री कर / वैट	244,827	311,565	307,000	345,060	-	92,335	-	-
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	52,100	50,435	40,000	32,500	-	9,900	-	-
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	96	-	-	-	-	300	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	5,346	-	-	-	87,928	100	110,999	125,770
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	84,310	93,000	95,000	110,000	7,594	7,705	8,480	8,800
iii) वाहन पर कर	27,694	33,000	31,550	35,147	8,196	9,714	10,312	10,321
iv) माल और यात्रियों पर कर	51,072	46,100	48,500	56,000	11,272	11,001	15,151	11,201
v) बिजली पर शुल्क और कर	39,485	52,120	47,675	51,000	-	-	-	-
vi) मनोरंजन कर	538	605	605	727	-	1,050	-	-
vii) अन्य कर और शुल्क	102	81	80	81	8,423	15,700	17,098	17,998
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	403,502	437,640	475,110	546,379	39,372	46,356	46,358	50,550
i) निगम कर	128,059	133,479	155,796	179,165	12,497	15,204	15,204	16,572
ii) आय कर	85,951	83,416	97,831	112,506	8,388	9,547	9,547	10,024
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-6	-18	-6	-6	-1	-1	-1	-1
v) धन पर कर	142	179	148	170	14	14	14	14
vi) सीमा शुल्क	76,269	89,232	90,819	104,442	7,443	8,863	8,863	9,300
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	72,808	85,439	79,209	91,090	7,105	7,730	7,730	8,140
viii) सेवा कर	40,294	45,970	51,329	59,028	3,926	5,001	5,001	6,501
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-15	-58	-16	-16	-	-2	-	-
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	422,557	474,194	569,876	640,386	119,127	147,962	160,436	177,038
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	202,044	181,938	201,818	274,534	104,282	114,029	126,459	135,096
1. व्याज प्राप्ति	20,561	13,851	16,303	15,443	1,670	1,034	1,034	1,051
2. लाभांश और लाभ	10	136	135	135	33	54	54	39

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	32,843	4,685	15,101	15,370	6,968	1,182	4,000	5,001
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	1	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	3,825	3,131	3,443	3,618	8,162	10,077	10,113	13,358
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	483	189	173	191	940	736	740	818
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	762	1,590	1,595	1,595	833	638	641	663
iii) परिवार कल्याण	15	15	15	15	—	—	—	—
iv) आवास	287	277	302	331	28	18	18	18
v) शहरी विकास	160	40	50	75	8	9	9	9
vi) श्रम और रोजगार	510	453	680	735	212	273	293	279
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	247	6	6	6	17	5	14	16
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	447	358	412	460	6,123	8,396	8,396	11,553
ix) अन्य	914	203	210	210	1	2	2	2
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	144,805	160,135	166,836	239,968	87,448	101,682	111,257	115,647
i) फसल उत्पादन	516	510	459	498	145	134	151	157
ii) पशुपालन	220	288	299	325	90	87	87	87
iii) मत्स्यपालन	180	167	176	167	120	100	100	462
iv) वानिकी और वन्य जीव	25,808	27,556	28,000	33,000	249	242	267	265
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	713	450	550	600	44	30	30	45
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	114	70	84	105	5	5	5	5
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	9,762	8,883	13,400	14,400	356	819	819	1,007
ix) लघु सिंचाई	2,701	3,690	3,691	4,200	58	141	726	155
x) पावर	—	—	—	40,000	79,626	92,960	100,800	106,924
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	117	60	76	91	895	525	1,083	1,056
xiii) उद्योग @	103,297	117,109	118,740	145,187	3,662	4,001	4,001	2,960
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	1,439	1,710	1,710	1,719
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	—	—	—	—	46	55	605	55
xvii) अन्य*	1,376	1,351	1,361	1,395	715	875	875	751
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	220,513	292,256	368,058	365,852	14,845	33,932	33,977	41,942
1. राज्य योजना स्कीमें	99,763	154,302	189,498	181,000	14,845	24,565	33,977	41,942
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	13,686	31,242	50,236	25,622	—	1,344	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	55,268	61,125	59,249	96,886	—	3,573	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	51,796	45,587	69,075	62,344	—	4,450	—	—
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	—	—	—	—	183	—	—
ग) अन्य	51,796	45,587	69,075	62,344	—	4,267	—	—

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	3,568,985	3,827,812	3,968,353	4,181,518	1,975,074	2,169,533	2,177,060	2,243,700
I. कर राजस्व (क +ख)	2,731,166	2,969,960	3,058,304	3,156,971	1,325,218	1,605,718	1,622,272	1,656,822
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	2,188,557	2,364,960	2,419,365	2,545,000	1,161,782	1,429,375	1,430,100	1,464,650
1. आय पर कर (I+II)	14,967	14,500	17,522	18,600	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	14,967	14,500	17,522	18,600	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	281,336	227,280	258,450	255,000	177,266	211,350	211,350	123,850
i) भूमि राजस्व	68,309	55,000	68,850	69,000	938	1,350	1,350	1,350
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	201,843	165,800	179,600	175,000	176,328	210,000	210,000	122,500
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	11,184	6,480	10,000	11,000	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	1,892,254	2,123,180	2,143,393	2,271,400	984,516	1,218,025	1,218,750	1,340,800
i) बिक्री कर (क से च)	1,510,454	1,702,300	1,712,300	1,821,500	772,098	978,500	978,500	1,074,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,271,838	1,374,795	1,479,000	1,479,000	636,434	838,500	838,500	986,000
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	190,550	275,005	182,300	291,500	135,664	140,000	140,000	88,000
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	45,147	51,700	50,000	50,000	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	802	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	2,117	800	1,000	1,000	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,720	5,000	5,000	5,000	137,881	148,500	156,000	170,000
iii) वाहन पर कर	131,009	141,240	141,240	145,000	23,379	27,500	27,500	37,500
iv) माल और यात्रियों पर कर	15,162	23,800	26,160	26,500	37,939	48,525	41,500	42,500
v) बिजली पर शुल्क और कर	204,652	226,000	231,693	244,500	10,745	12,000	12,000	13,000
vi) मनोरंजन कर	2,876	3,947	3,900	4,000	1,743	2,250	2,500	3,000
vii) अन्य कर और शुल्क	23,381	20,893	23,100	24,900	730	750	750	800
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	542,609	605,000	638,939	611,971	163,435	176,343	192,172	192,172
i) निगम कर	172,209	164,074	209,508	225,891	51,875	55,804	62,807	62,807
ii) आय कर	115,584	110,939	131,560	127,061	34,814	26,263	33,960	33,960
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-9	-	-	-	-3	-	-	-
v) धन पर कर	191	16,233	199	227	53	49	50	50
vi) सीमा शुल्क	102,563	113,609	122,130	111,381	30,893	33,666	31,536	31,536
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	97,910	134,488	106,518	72,896	29,491	39,838	41,256	41,256
viii) सेवा कर	54,182	65,657	69,024	74,515	16,318	20,723	22,563	22,563
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-21	-	-	-	-6	-	-	-
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	837,819	857,852	910,049	1,024,547	649,856	563,815	554,788	586,878
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	460,931	445,859	434,017	487,100	509,708	404,388	381,667	360,002
1. व्याज प्राप्ति	32,988	20,700	33,000	55,000	75,720	67,519	68,522	57,835
2. लाभांश और लाभ	4,757	4,718	4,800	5,000	605	913	926	954

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	80,013	65,860	75,514	87,386	26,900	16,488	26,690	29,662
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	5	3	4	4
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	38,171	37,012	42,191	67,337	304,477	206,330	166,984	149,353
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,713	6,206	7,276	16,059	11,770	14,150	13,911	14,611
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,625	8,278	8,501	13,030	6,491	5,432	6,300	7,345
iii) परिवार कल्याण	60	54	136	1,265	11	12	12	13
iv) आवास	797	832	832	3,430	167	230	235	240
v) शहरी विकास	10,649	11,082	11,858	10,693	280,524	180,000	140,000	120,000
vi) श्रम और रोजगार	9,223	8,731	9,520	14,811	849	840	900	1,000
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	309	308	308	280	536	630	630	781
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	162	65	110	294	3,812	4,820	4,730	5,045
ix) अन्य	3,633	1,456	3,650	7,475	317	216	266	318
5. राजकोषीय सेवाएँ	6	8	8	9	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	304,996	317,561	278,504	272,368	102,006	113,138	118,545	122,197
i) फसल उत्पादन	580	584	584	1,106	310	325	400	450
ii) पशुपालन	468	386	455	775	193	262	262	300
iii) मत्स्यपालन	311	353	355	525	232	157	160	170
iv) वानिकी और वन्य जीव	3,508	5,335	4,250	4,170	3,379	3,413	3,500	3,800
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	1,568	1,817	1,817	1,982	737	928	1,060	1,080
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	96	1	10	7	142	121	200	200
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	45,282	46,115	46,114	50,000	7,227	12,201	22,201	12,800
ix) लघु सिंचाई	1,043	1,169	1,169	1,500	12	10	15	15
x) पावर	658	—	—	—	376	600	600	600
xi) पेट्रोलियम	2	1	3	3	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	220	212	212	1,193	2,306	221	266	290
xiii) उद्योग @	209,240	235,740	180,740	141,178	21,602	20,004	22,504	25,004
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	27,349	9,700	26,656	50,000	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	62,256	73,000	65,000	75,000
xvi) पर्यटन	1	—	—	40	407	87	116	90
xvii) अन्य*	14,670	16,148	16,139	19,889	2,829	1,809	2,261	2,398
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	376,888	411,993	476,032	537,447	140,148	159,427	173,120	226,877
1. राज्य योजना स्कीमें	214,796	235,844	310,783	339,518	63,900	45,084	61,119	82,690
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	18,230	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	5,818	155	155	155	1,444	25,938	25,727	34,681
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	61,795	119,718	102,432	141,249	49,636	55,791	52,998	75,171
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	94,479	56,276	62,662	56,525	25,168	32,614	33,277	34,335
क) सांविधिक अनुदान	77,857	—	—	—	2,299	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	4,857	21,358	31,529	22,425	—	10,799	10,799	11,339
ग) अन्य	11,765	34,918	31,133	34,100	22,869	21,815	22,478	22,996

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	914,156	939,773	1,005,111	1,047,833	1,390,071	1,531,701	1,581,097	1,936,211
I. कर राजस्व (क +ख)	275,183	319,508	325,868	373,483	395,436	465,145	474,637	489,119
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	195,818	230,098	230,098	269,983	229,950	266,645	269,337	301,136
1. आय पर कर (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	8,888	9,727	9,727	11,167	7,364	8,844	6,556	9,114
i) भूमि राजस्व	189	185	185	194	649	926	527	852
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	8,699	9,542	9,542	10,973	6,710	7,917	6,028	8,261
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	5	1	1	1
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	186,930	220,371	220,371	258,816	222,586	257,801	262,781	292,022
i) बिक्री कर (क से च)	109,216	133,681	133,681	160,417	148,000	177,800	185,250	206,570
क) राज्य बिक्री कर / वैट	96,223	111,594	111,594	137,806	120,000	147,000	153,750	172,550
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	11,318	20,297	20,297	20,346	-	-	-	-
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	28,000	30,800	31,500	34,020
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	1,675	1,791	1,791	2,265	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	38,957	42,861	42,861	48,007	23,800	24,500	25,000	26,000
iii) वाहन पर कर	11,372	13,650	13,650	15,698	6,906	7,586	7,766	8,350
iv) माल और यात्रियों पर कर	5,512	6,867	6,867	7,554	28,600	29,950	29,700	31,564
v) बिजली पर शुल्क और कर	8,157	9,032	9,032	10,386	15,278	17,965	15,065	19,538
vi) मनोरंजन कर	10	19	19	25	2	-	-	-
vii) अन्य कर और शुल्क	13,706	14,261	14,261	16,729	-	-	-	-
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	79,365	89,410	95,770	103,500	165,486	198,500	205,300	187,983
i) निगम कर	25,187	25,112	25,112	27,301	-	-	-	-
ii) आय कर	16,906	15,694	22,054	23,571	-	-	-	-
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-1	-3	-3	-3	-	-	-	-
v) धन पर कर	28	34	34	40	-	-	-	-
vi) सीमा शुल्क	15,001	16,360	16,360	16,624	-	-	-	-
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	14,320	23,574	23,574	25,425	165,486	198,500	205,300	187,983
viii) सेवा कर	7,927	8,650	8,650	10,553	-	-	-	-
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-3	-11	-11	-11	-	-	-	-
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	638,973	620,266	679,243	674,350	994,635	1,066,556	1,106,460	1,447,092
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	182,243	123,166	142,573	161,522	98,543	114,028	112,687	121,881
1. व्याज प्राप्ति	6,690	6,358	10,022	10,527	2,020	2,219	2,120	2,124
2. लाभांश और लाभ	103	150	252	265	2,964	3,000	3,000	3,000

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	10,959	6,436	6,922	11,480	3,676	3,561	3,833	3,783
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	8,654	8,358	10,699	11,485	3,908	4,678	3,831	3,911
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,272	4,967	6,567	6,944	128	133	125	130
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	768	681	759	800	1,336	2,079	1,189	1,196
iii) परिवार कल्याण	3	9	9	7	—	—	—	—
iv) आवास	199	234	281	296	125	125	125	124
v) शहरी विकास	136	50	371	389	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	405	338	445	470	95	95	118	128
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	319	184	373	392	4	5	3	3
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,474	1,828	1,828	1,976	2,220	2,240	2,270	2,330
ix) अन्य	79	66	66	212	1	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	155,836	101,865	114,678	127,765	85,975	100,571	99,903	109,063
i) फसल उत्पादन	589	492	562	590	499	517	604	521
ii) पशुपालन	44	42	42	44	457	461	394	443
iii) मत्स्यपालन	109	105	105	109	150	165	208	219
iv) वानिकी और वन्य जीव	5,360	4,694	4,694	6,716	3,636	3,980	2,952	3,949
v) बागान	—	1	1	1	—	—	—	—
vi) सल्कारिता	494	261	403	428	16	16	17	17
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	11	6	6	12	15	16	20	18
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	22	26	31	32	179	184	195	196
ix) लघु सिंचाई	45	78	68	71	222	227	227	227
x) पावर	141,452	88,600	100,000	110,500	78,063	92,205	92,205	100,253
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	107	38	38	38	194	176	354	196
xiii) उद्योग @	6,472	6,463	7,576	7,653	1,621	1,700	1,710	1,815
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	33	11	11	34	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	21	27	27	27	110	103	124	155
xvii) अन्य*	1,076	1,021	1,115	1,510	813	821	893	1,054
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	456,729	497,100	536,671	512,828	896,092	952,527	993,773	1,325,211
1. राज्य योजना स्कीमें	184,653	172,118	183,813	248,071	475,421	557,589	568,624	929,565
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	1,036	1,582	1,814	2,076	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	30,782	26,258	46,498	11,526	70,000	75,000	75,000	80,000
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	240,259	297,142	304,545	251,155	350,671	319,938	350,149	315,646
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	228,220	216,202	216,202	199,071	270,623	264,469	264,469	249,132
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	7,999	8,240	10,423	6,368	24,931	7,075	7,075	7,075
ग) अन्य	4,040	72,700	77,920	45,716	55,117	48,394	78,605	59,439

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,161,207	1,578,214	1,610,709	1,793,560	4,115,114	4,724,032	4,281,784	4,838,904
I. कर राजस्व (क +ख)	834,549	1,081,142	1,110,780	1,181,506	3,276,599	3,985,823	3,591,648	4,036,674
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	355,034	553,565	508,412	605,168	2,598,676	3,187,585	2,876,465	3,272,125
1. आय पर कर (I+II)	-22	-	-	-13	45,441	43,016	50,992	60,532
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	304	169	937	362
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-22	-	-	-13	45,137	42,847	50,054	60,170
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (I से III)	14,556	35,000	42,535	41,000	355,415	428,632	336,027	365,710
i) भूमि राजस्व	3,746	5,000	5,275	6,000	14,531	9,048	25,000	9,048
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	10,811	30,000	37,261	35,000	340,883	419,584	311,027	356,662
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (I से VII)	340,500	518,565	465,877	564,181	2,197,821	2,715,937	2,489,447	2,845,883
i) बिक्री कर (क से च)	278,983	400,000	371,500	440,000	1,389,399	1,716,078	1,548,882	1,772,732
क) राज्य बिक्री कर / वैट	205,118	340,000	306,485	367,000	1,263,190	1,642,989	1,484,615	1,702,038
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	73,865	60,000	65,015	73,000	126,209	73,089	64,267	70,694
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	21,111	50,000	35,752	55,000	476,657	562,608	557,404	650,000
iii) वाहन पर कर	18,478	50,000	40,060	50,000	165,013	209,896	176,178	193,750
iv) माल और यात्रियों पर कर	13,620	9,300	9,300	10,695	83,734	125,998	127,531	143,931
v) बिजली पर शुल्क और कर	6,810	7,400	7,400	8,510	44,950	38,579	38,579	40,508
vi) मनोरंजन कर	1,127	1,365	-	-	35,290	6,514	4,241	4,665
vii) अन्य कर और शुल्क	371	500	1,865	-24	2,778	56,263	36,633	40,296
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (I से IX)	479,515	527,577	602,368	576,338	677,923	798,238	715,182	764,549
i) निगम कर	146,989	161,688	188,666	212,726	215,152	261,753	234,517	250,706
ii) आय कर	91,859	101,045	126,617	119,656	144,407	164,366	147,263	157,429
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-	-	-	-11	-11	-13	-15
v) धन पर कर	198	218	218	214	239	249	223	238
vi) सीमा शुल्क	95,764	105,450	116,935	104,890	128,139	152,585	136,708	146,145
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	94,087	103,496	108,645	68,648	122,325	133,080	119,233	127,463
viii) सेवा कर	50,618	55,680	61,287	70,204	67,698	86,242	77,268	82,602
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-	-	-	-26	-26	-17	-19
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	326,658	497,072	499,928	612,054	838,515	738,208	690,136	802,230
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	159,912	291,273	219,474	307,258	335,766	193,165	190,582	212,951
1. व्याज प्राप्ति	6,148	7,381	7,351	16,094	37,524	14,692	18,945	19,892
2. लाभांश और लाभ	341	1,000	1,000	1,000	2,340	287	3,097	3,252

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	4,159	3,634	3,712	3,850	67,910	16,995	20,795	22,194
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	43	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	5,349	6,954	6,827	21,553	18,139	14,620	18,837	19,779
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	816	1,701	1,574	4,018	7,493	5,402	6,000	6,300
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	658	776	776	8,793	5,277	5,531	7,000	7,350
iii) परिवार कल्याण	28	30	30	35	10	134	25	26
iv) आवास	84	94	94	108	1,551	1,269	1,750	1,838
v) शहरी विकास	15	17	17	20	61	125	43	45
vi) श्रम और रोजगार	223	222	222	2,155	1,792	1,263	2,065	2,169
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,703	2,164	2,164	4,080	1,349	583	1,650	1,732
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,018	1,130	1,130	1,401	48	67	20	21
ix) अन्य	804	820	820	943	560	246	284	298
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	143,915	272,304	200,584	264,762	209,852	146,572	128,908	147,834
i) फसल उत्पादन	417	457	457	9,628	1,404	1,743	1,665	1,748
ii) पशुपालन	39	48	48	86	249	465	315	331
iii) मत्स्यपालन	174	189	189	259	768	410	628	660
iv) वानिकी और वन्य जीव	2,838	5,000	5,000	6,000	13,184	18,677	12,775	13,414
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	278	306	306	2,080	3,314	3,818	3,276	3,440
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	6	6	6	37	11	3	9	9
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	1,122	3,031	17,312	27,120	1,969	2,359	1,868	1,961
ix) लघु सिंचाई	73	79	79	91	1,866	729	1,109	1,164
x) पावर	—	15	15	17	8,752	4,515	4,515	4,741
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	43	47	47	963	3,530	2,137	3,408	3,578
xiii) उद्योग @	136,655	260,270	174,270	213,058	47,785	63,742	52,554	67,777
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	1,284	874	1,063	1,117
xv) सड़क परिवहन	65	25	25	29	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	102	103	103	222	1,314	855	2,936	3,082
xvii) अन्य*	2,105	2,727	2,727	5,172	124,422	46,244	42,787	44,811
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	166,746	205,799	280,454	304,795	502,749	545,043	499,554	589,280
1. राज्य योजना स्कीमें	32,601	34,951	66,512	58,677	191,625	205,804	164,422	229,433
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	38,676	28,182	30,740	24,468	7,116	21,699	21,699	28,576
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	41,841	85,272	125,808	111,088	150,915	201,438	171,589	173,170
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	53,628	57,394	57,394	110,563	153,093	116,102	141,843	158,101
क) सांविधिक अनुदान	9,334	10,751	10,751	13,089	—	15,000	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	10,015	10,316	10,316	10,631	7,111	9,955	9,955	10,453
ग) अन्य	34,279	36,327	36,327	86,843	145,982	91,147	131,888	147,648

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	2,110,679	2,493,573	2,506,326	2,815,389	3,068,874	3,440,378	3,494,900	3,996,103
I. कर राजस्व (क +ख)	1,772,064	2,049,138	2,064,458	2,364,540	2,222,114	2,474,504	2,476,752	2,712,286
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	1,366,894	1,578,085	1,593,404	1,822,828	1,201,818	1,421,481	1,400,186	1,607,545
1. आय पर कर (I+II)	2,205	739	813	852	19,297	20,301	15,650	19,883
i) कृषि आय कर	2,205	739	813	852	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	—	—	—	—	19,297	20,301	15,650	19,883
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (I से III)	213,490	261,417	249,033	285,491	166,069	196,745	185,601	172,181
i) भूमि राजस्व	4,721	8,413	5,173	5,250	12,915	12,745	15,601	16,181
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	202,797	242,056	237,272	272,863	153,154	184,000	170,000	156,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	5,973	10,948	6,588	7,378	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (I से VII)	1,151,199	1,315,929	1,343,558	1,536,484	1,016,452	1,204,435	1,198,935	1,415,481
i) बिक्री कर (क से च)	937,176	1,061,639	1,101,102	1,273,394	604,507	660,000	672,000	801,211
क) राज्य बिक्री कर / वैट	834,976	1,008,984	1,076,247	1,255,149	548,814	613,448	625,448	753,065
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	101,621	35,322	24,170	17,460	55,693	46,552	46,552	48,146
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	1	1	1	1	—	—	—	—
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्ति	578	17,333	684	785	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	116,925	129,985	130,956	144,052	185,383	207,500	215,000	276,000
iii) वाहन पर कर	85,317	100,864	90,437	95,863	70,262	100,000	100,000	90,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	—	—	—	—	91,644	120,000	120,000	146,000
v) बिजली पर शुल्क और कर	3,904	13,620	4,294	4,724	62,608	115,000	90,000	100,000
vi) मनोरंजन कर	123	171	269	351	1,242	1,915	1,915	2,248
vii) अन्य कर और शुल्क	7,754	9,650	16,500	18,100	808	20	20	22
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (I से IX)	405,170	471,054	471,054	541,712	1,020,296	1,053,023	1,076,566	1,104,741
i) निगम कर	128,589	144,420	144,420	166,084	323,814	322,847	314,150	445,930
ii) आय कर	86,308	90,253	90,253	103,791	217,340	201,758	207,379	217,280
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-6	-22	-22	-26	-16	-51	-18	-27
v) धन पर कर	143	195	195	224	359	436	375	427
vi) सीमा शुल्क	76,585	94,091	94,091	108,204	192,856	210,337	224,648	184,573
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	73,110	92,443	92,443	106,309	184,106	206,652	200,292	124,509
viii) सेवा कर	40,457	49,735	49,735	57,195	101,876	111,179	129,782	132,094
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-16	-61	-61	-70	-39	-135	-43	-45
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	338,615	444,434	441,868	450,850	846,759	965,874	1,018,148	1,283,817
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	120,955	129,356	129,677	145,958	273,818	301,770	314,531	393,654
1. व्याज प्राप्ति	6,965	5,116	7,853	8,920	20,698	49,548	14,940	17,698
2. लाभांश और लाभ	2,863	3,450	3,236	3,656	5,923	6,171	10,593	9,791

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	52,609	63,341	61,856	69,787	50,890	17,444	53,467	22,748
जिसमें से: राज्य लाटरियां	32,525	42,000	42,000	47,460	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	14,779	19,733	16,960	18,854	9,580	5,467	38,649	59,362
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,089	13,861	11,716	12,895	1,375	365	34,360	50,523
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,692	4,211	4,042	4,689	2,193	2,323	2,746	4,304
iii) परिवार कल्याण	14	26	13	13	16	118	118	50
iv) आवास	76	223	86	97	1,402	1,250	353	2,760
v) शहरी विकास	118	141	141	153	183	143	100	719
vi) श्रम और रोजगार	525	636	647	688	861	405	449	472
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	147	118	152	152	735	4	—	4
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	314	1	1	591	825	438	442
ix) अन्य	117	203	162	166	2,225	35	85	89
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	3	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	43,739	37,715	39,773	44,742	186,724	223,139	196,882	284,055
i) फसल उत्पादन	1,091	1,961	1,577	1,649	1,506	7,645	1,326	1,582
ii) पशुपालन	526	691	673	529	261	260	223	223
iii) मत्स्यपालन	347	324	324	384	183	199	205	215
iv) वानिकी और वन्य जीव	15,445	19,121	21,199	22,780	60,889	60,000	61,033	85,000
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	3,652	4,319	4,319	4,663	2,929	1,697	1,036	1,033
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	11	8	10	11	791	1,134	1,134	1,140
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	513	654	841	885	3,742	3,646	5,385	7,323
ix) लघु सिंचाई	200	185	208	215	1,340	681	1,112	2,752
x) पावर	—	—	—	—	1	25,000	200	25,261
xi) पेट्रोलियम	1	1	1	1	—	1	1	—
xii) गांव और लघु उद्योग	584	614	614	825	239	320	89	114
xiii) उद्योग @	15,863	3,768	3,769	6,258	113,022	120,575	123,062	157,190
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	212	284	245	272	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	442	509	511	530	—	—	—	—
xvii) अन्य*	4,851	5,276	5,482	5,739	1,822	1,983	2,077	2,222
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	217,659	315,079	312,191	304,892	572,941	664,104	703,617	890,163
1. राज्य योजना स्कीमें	101,387	173,077	173,803	170,326	251,980	327,576	324,626	445,367
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	3,656	—	—	—	22,031	124,596	148,272	114,864
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	41,371	85,541	85,541	82,014	178,627	93,853	109,030	193,215
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	71,245	56,461	52,847	52,552	120,303	118,080	121,690	136,717
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	41,326	46,121	41,326	41,326	101,717	—	—	—
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	7,070	7,424	7,424	7,795	—	20,804	20,804	21,441
ग) अन्य	22,849	2,915	4,097	3,431	18,586	97,276	100,886	115,276

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	7,958,315	7,991,086	8,286,993	8,906,065	350,826	363,694	394,793	400,460
I. कर राजस्व (क +ख)	5,512,563	6,083,923	5,810,305	5,955,415	69,784	75,395	80,861	80,309
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	4,752,816	5,189,346	5,008,785	5,098,584	14,741	16,001	15,989	18,228
1. आय पर कर (I+II)	148,840	145,000	145,000	160,000	1,472	1,568	1,572	1,792
i) कृषि आय कर	5	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	148,835	145,000	145,000	160,000	1,472	1,568	1,572	1,792
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	906,179	1,030,000	930,000	1,037,000	368	456	456	520
i) भूमि राजस्व	51,222	70,000	70,000	77,000	75	120	120	137
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	854,957	960,000	860,000	960,000	293	336	336	383
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	3,697,798	4,014,346	3,933,785	3,901,584	12,901	13,977	13,961	15,916
i) बिक्री कर (क से च)	2,675,280	2,903,900	2,843,900	2,700,600	12,075	12,880	12,880	14,683
क) राज्य बिक्री कर / वैट	2,436,199	2,000,000	1,940,000	1,840,000	12,075	12,880	12,880	14,683
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	238,458	199,600	199,600	120,000	—	—	—	—
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	1	704,000	704,000	740,000	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	4	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्ति	618	300	300	600	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	396,305	450,000	430,000	480,000	375	447	447	510
iii) वाहन पर कर	214,310	242,618	220,000	260,000	357	491	491	560
iv) माल और यात्रियों पर कर	38,827	59,400	61,788	66,529	76	105	86	98
v) बिजली पर शुल्क और कर	268,787	260,000	280,000	300,000	—	34	34	39
vi) मनोरंजन कर	40,974	36,000	36,000	39,000	—	—	—	—
vii) अन्य कर और शुल्क	63,314	62,428	62,097	55,455	18	20	23	26
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	759,747	894,577	801,520	856,831	55,043	59,394	64,872	62,081
i) निगम कर	241,111	293,335	262,833	316,272	17,467	18,205	21,250	22,912
ii) आय कर	161,831	184,198	165,042	177,900	11,724	11,377	13,344	12,888
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-21	-12	-11	-20	—	—	—	—
v) धन पर कर	268	279	250	318	19	24	20	23
vi) सीमा शुल्क	143,600	170,995	153,212	155,946	10,403	11,860	12,388	11,297
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	137,085	149,137	133,628	102,062	9,931	11,653	10,804	7,394
viii) सेवा कर	75,873	96,645	86,592	104,389	5,499	6,274	7,066	7,567
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	—	—	-26	-36	—	—	—	—
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	2,445,752	1,907,163	2,476,688	2,950,650	281,042	288,299	313,932	320,151
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	1,694,797	671,467	1,046,109	1,389,412	16,471	21,137	19,522	20,982
1. व्याज प्राप्ति	117,017	108,536	124,488	111,372	2,761	3,500	3,500	3,850
2. लाभांश और लाभ	12,200	453	745	461	—	1	1	1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	1,194,595	153,597	420,153	780,908	6,231	6,569	6,628	7,206
जिसमें से: राज्य लाटरियां	2,825	82,639	4,300	66,337	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	65,459	57,356	88,906	93,273	479	577	578	635
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,225	12,212	12,212	12,823	90	137	137	151
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,069	19,904	19,800	22,968	25	37	37	41
iii) परिवार कल्याण	512	1,151	1,151	1,005	—	—	—	—
iv) आवास	5,545	3,500	3,578	3,936	172	158	158	174
v) शहरी विकास	8,446	5,925	33,567	33,567	—	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	4,969	5,014	3,872	3,250	4	5	5	5
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,259	5,486	5,694	6,378	23	—	—	—
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,472	980	980	978	158	231	231	254
ix) अन्य	7,963	3,184	8,053	8,368	7	10	10	10
5. राजकोषीय सेवाएँ	6	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	305,520	351,525	411,816	403,398	7,000	10,490	8,816	9,290
i) फसल उत्पादन	2,661	2,831	3,608	3,756	10	15	15	17
ii) पशुपालन	1,274	1,870	1,869	1,817	9	10	10	11
iii) मत्स्यपालन	694	540	620	733	6	10	10	11
iv) वानिकी और वन्य जीव	19,573	25,431	25,431	26,703	145	231	231	254
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	6,772	10,376	7,776	8,025	12	12	12	13
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	242	311	304	374	2	1	1	1
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	62,641	71,858	72,856	78,724	526	950	950	1,045
ix) लघु सिंचाई	4,787	5,812	5,823	6,336	13	10	10	11
x) पावर	34,407	39,958	79,000	77,300	6,229	7,126	7,500	7,839
xi) पेट्रोलियम	6	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	611	600	739	205	8	8	8	9
xiii) उद्योग @	109,402	114,758	138,495	137,369	1	10	10	11
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	237	—	—	—	9	5	5	5
xvii) अन्य*	62,212	77,180	75,295	62,057	31	2,103	54	64
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	750,955	1,235,696	1,430,579	1,561,238	264,571	267,162	294,410	299,169
1. राज्य योजना स्कीमें	377,966	655,904	656,060	848,471	141,771	148,850	154,267	173,100
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	6,245	514	514	171	752	6,500	8,083	4,942
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	156,106	180,128	341,412	127,406	20,589	9,121	23,986	14,666
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	4,675	2,657	5,512	3,730
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	210,639	399,150	432,594	585,190	96,784	100,034	102,562	102,731
क) सांविधिक अनुदान	5,527	10,000	10,000	10,000	92,184	96,271	97,778	97,918
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	21,662	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य	183,450	389,150	422,594	575,190	4,600	3,763	4,784	4,813

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	244,137	370,286	370,286	380,631	203,974	221,787	270,175	300,921
I. कर राजस्व (क +ख)	88,317	104,878	104,878	103,976	44,088	50,237	52,263	50,969
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	31,910	38,461	38,461	40,360	7,752	7,456	9,482	11,629
1. आय पर कर (I+II)	146	136	136	158	532	500	667	748
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	146	136	136	158	532	500	667	748
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	811	989	989	1,092	171	145	175	196
i) भूमि राजस्व	212	39	39	281	148	120	150	168
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	599	950	950	811	23	25	25	28
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	30,952	37,336	37,336	39,110	7,048	6,811	8,640	10,685
i) बिक्री कर (क से च)	23,489	28,542	28,542	28,942	6,204	6,000	7,755	9,693
क) राज्य बिक्री कर / वैट	8,661	16,535	16,535	18,408	6,204	6,000	7,755	9,693
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	1,801	3,734	3,734	3,429	—	—	—	—
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	7,274	8,273	8,273	7,100	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्ति	5,753	—	—	5	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	5,862	7,157	7,157	8,015	169	170	164	184
iii) वाहन पर कर	1,135	1,162	1,162	1,448	537	500	579	649
iv) माल और यात्रियों पर कर	358	339	339	433	107	100	105	118
v) बिजली पर शुल्क और कर	3	5	5	120	—	—	—	—
vi) मनोरंजन कर	83	37	37	70	—	—	—	—
vii) अन्य कर और शुल्क	21	94	94	83	32	41	37	41
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	56,407	66,417	66,417	63,616	36,336	42,781	42,781	39,340
i) निगम कर	17,901	21,778	21,778	23,481	11,532	14,030	14,030	15,881
ii) आय कर	12,015	13,676	13,676	13,208	7,740	8,810	8,810	7,738
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-1	-1	-1	-2	—	-1	-1	-1
v) धन पर कर	20	21	21	24	13	13	13	15
vi) सीमा शुल्क	10,662	12,695	12,695	11,578	6,868	8,178	8,178	6,573
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	10,178	11,073	11,073	7,578	6,557	7,133	7,133	4,434
viii) सेवा कर	5,634	7,177	7,177	7,752	3,626	4,619	4,619	4,702
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-2	-2	-2	-3	—	-1	-1	-2
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	155,821	265,408	265,408	276,655	159,887	171,550	217,912	249,952
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	19,936	19,870	19,870	24,049	13,030	11,727	16,141	18,114
1. व्याज प्राप्ति	1,538	772	772	1,123	1,560	625	557	617
2. लाभांश और लाभ	2	9	9	5	—	—	—	—

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	2,867	2,336	2,336	2,763	648	877	2,188	2,283
जिसमें से: राज्य लाटरियां	391	924	924	963	—	300	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	284	393	393	1,490	880	882	903	1,003
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	53	108	108	114	50	60	73	81
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	56	100	100	108	66	50	68	75
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आवास	20	33	33	25	82	75	57	63
v) शहरी विकास	3	3	3	5	7	—	—	—
vi) श्रम और रोजगार	51	64	64	112	—	—	—	—
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	46	12	12	42	36	40	40	56
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	51	66	66	1,071	639	650	651	721
ix) अन्य	2	7	7	13	—	7	13	7
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	15,245	16,360	16,360	18,668	9,942	9,344	12,493	14,211
i) फसल उत्पादन	238	306	306	326	18	35	34	38
ii) पशुपालन	147	123	123	135	60	65	65	65
iii) मत्स्यपालन	2	6	6	8	6	4	4	4
iv) वानिकी और वन्य जीव	1,560	1,927	1,927	2,035	298	320	418	463
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	93	67	67	78	2	2	2	2
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	34	123	123	130	59	60	70	75
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	7	6	6	8	—	1	—	—
x) पावर	728	—	—	200	8,360	8,000	11,077	12,790
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	17	37	37	39	5	15	15	18
xiii) उद्योग @	12,366	13,569	13,569	15,463	98	160	244	270
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	165	170	168	169
xvi) पर्यटन	1	3	3	4	87	107	107	110
xvii) अन्य*	52	193	193	242	783	405	290	207
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	135,885	245,538	245,538	252,606	146,857	159,823	201,771	231,838
1. राज्य योजना स्कीमें	64,542	135,602	135,602	153,781	66,022	90,953	92,812	113,112
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	369	2,006	2,006	1,585	858	110	110	8
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	17,875	44,244	44,244	49,290	8,501	8	29,077	14,690
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	6,998	19,509	19,509	7,650	3,618	2	3,634	3,540
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	46,101	44,176	44,176	40,300	67,858	68,750	76,138	100,488
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	39,326	—	35,578	31,215	60,517	65,660	63,400	64,491
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	896	923	923	951	1,397	539	5,499	555
ग) अन्य	5,879	43,253	7,675	8,134	5,945	2,551	7,239	35,442

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	299,602	326,561	344,296	390,989	2,196,719	2,327,042	2,680,993	2,655,009
I. कर राजस्व (क +ख)	53,114	60,911	57,055	69,725	1,470,259	1,551,688	1,691,096	1,704,938
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	13,137	13,838	14,870	15,591	685,609	727,195	767,194	819,989
1. आय पर कर (I+II)	1,772	1,637	1,637	1,871	8,644	8,906	8,906	9,529
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	1,772	1,637	1,637	1,871	8,644	8,906	8,906	9,529
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	153	169	169	183	68,091	60,078	61,078	65,884
i) भूमि राजस्व	50	69	69	75	27,615	25,024	26,024	27,325
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	102	100	100	108	40,476	35,054	35,054	38,559
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	11,213	12,032	13,064	13,537	608,873	658,211	697,210	744,576
i) बिक्री कर (क से च)	9,479	10,707	11,207	11,564	411,843	440,037	477,037	511,604
क) राज्य बिक्री कर / वैट	9,479	10,707	11,207	11,564	356,716	401,542	437,984	488,927
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	—	—	—	—	55,127	38,495	39,053	22,677
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	283	315	330	335	52,493	60,076	62,076	70,767
iii) वाहन पर कर	1,230	856	1,300	1,400	45,942	59,079	59,079	60,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	219	151	225	235	62,690	58,090	58,090	58,090
v) बिजली पर शुल्क और कर	2	2	1	2	32,746	37,972	37,972	41,010
vi) मनोरंजन कर	—	—	—	—	222	9	208	218
vii) अन्य कर और शुल्क	—	1	1	1	2,937	2,948	2,749	2,887
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	39,977	47,073	42,185	54,134	784,650	824,493	923,902	884,949
i) निगम कर	12,690	15,439	13,837	17,755	249,025	257,250	288,267	326,652
ii) आय कर	8,517	9,695	8,688	11,149	167,142	156,258	175,098	183,739
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-1	-1	-1	-1	-12	—	—	-38
v) धन पर कर	14	15	13	17	276	323	362	329
vi) सीमा शुल्क	7,558	9,000	8,065	10,350	148,313	160,807	180,196	161,064
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	7,215	7,849	7,034	9,026	141,584	170,756	191,344	105,412
viii) सेवा कर	3,986	5,078	4,551	5,840	78,352	79,099	88,636	107,812
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-2	-2	-2	-2	-30	—	—	-21
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	246,488	265,649	287,241	321,264	726,460	775,354	989,896	950,071
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	11,948	12,110	16,056	16,505	265,358	213,532	261,723	224,227
1. व्याज प्राप्ति	566	306	600	650	57,039	26,000	31,000	21,133
2. लाभांश और लाभ	—	—	—	—	14,093	6,000	6,000	10,000

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	2,450	1,694	2,017	1,429	49,796	17,809	56,000	18,164
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	1,080	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	421	658	502	543	11,923	12,880	12,880	13,390
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	48	28	28	30	4,195	4,386	4,386	4,605
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16	17	17	19	1,428	1,499	1,499	1,529
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	26	14	14	14
iv) आवास	211	319	319	344	1,210	1,667	1,667	1,700
v) शहरी विकास	4	—	—	—	45	36	36	37
vi) श्रम और रोजगार	3	5	5	5	526	627	627	639
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	31	21	21	22	27	33	33	34
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	107	265	110	119	4,017	4,030	4,030	4,231
ix) अन्य	—	3	3	3	449	588	588	600
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	1	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	8,510	9,452	12,936	13,883	132,505	150,843	155,842	161,540
i) फसल उत्पादन	12	13	13	14	739	971	971	990
ii) पशुपालन	39	50	60	100	90	164	164	167
iii) मत्स्यपालन	1	1	1	1	216	494	494	504
iv) वानिकी और वन्य जीव	481	694	694	749	8,266	12,752	12,752	8,000
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	17	6	6	6	229	366	366	373
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1	4	4	5	108	89	89	91
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	4,373	7,745	7,745	7,977
ix) लघु सिंचाई	1	1	1	1	496	1,000	1,000	1,030
x) पावर	6,947	7,467	11,000	11,600	105	161	161	164
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	1	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	30	22	22	24	14	61	61	62
xiii) उद्योग @	30	7	8	8	112,620	120,028	125,028	135,028
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	194	241	241	246
xv) सड़क परिवहन	837	1,115	1,056	1,297	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	21	28	28	30	15	50	50	51
xvii) अन्य*	92	44	44	47	5,038	6,721	6,721	6,856
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	234,539	253,540	271,185	304,760	461,102	561,822	728,173	725,843
1. राज्य योजना स्कीमें	85,177	81,831	90,668	115,283	223,159	267,692	323,076	336,541
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	23,527	32,422	38,620	45,130	11,562	53,893	63,566	73,711
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	111,134	119,722	128,239	152,542
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	4,548	4,448	4,737	4,049	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	121,288	134,839	137,160	140,297	115,247	120,515	213,293	163,050
क) सांविधिक अनुदान	112,444	116,817	116,817	121,258	13,153	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	742	312	312	322	18,088	24,673	32,450	17,650
ग) अन्य	8,103	17,710	20,031	18,717	84,006	95,842	180,843	145,400

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,923,762	2,326,102	2,291,942	2,407,234	3,078,062	3,298,625	3,438,318	3,826,796
I. कर राजस्व (क +ख)	1,187,416	1,357,248	1,392,581	1,658,969	2,180,233	2,443,971	2,413,129	2,635,996
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	989,925	1,124,701	1,154,734	1,406,239	1,327,473	1,456,228	1,513,429	1,674,229
1. आय पर कर (I+II)	-	-	-	-	5	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	1	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-	-	-	-	4	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	158,516	188,900	191,900	221,997	175,068	200,394	192,006	211,006
i) भूमि राजस्व	1,731	1,900	1,900	1,997	15,529	21,206	14,506	25,006
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	156,784	187,000	190,000	220,000	154,435	172,500	157,500	165,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	5,103	6,688	20,000	21,000
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	831,410	935,801	962,834	1,184,242	1,152,400	1,255,834	1,321,423	1,463,223
i) बिक्री कर (क से च)	534,249	629,000	652,962	832,000	775,074	850,000	910,000	1,003,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	491,985	551,520	-	-	712,637	785,760	841,919	934,364
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	32,845	39,400	652,962	832,000	40,490	45,536	45,536	43,036
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	9,210	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	38,080	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	208	-	-	-	21,946	18,704	22,545	25,599
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	186,152	183,001	181,072	200,083	180,512	191,000	202,500	230,000
iii) वाहन पर कर	49,945	57,600	57,600	61,056	116,440	115,300	120,000	130,000
iv) माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	16,061	30,000	19,000	22,500
v) बिजली पर शुल्क और कर	60,380	65,300	70,300	90,003	58,423	63,534	63,923	70,723
vi) मनोरंजन कर	544	650	900	1,100	1,550	1,700	1,700	2,000
vii) अन्य कर और शुल्क	139	250	-	-	4,341	4,300	4,300	5,000
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	197,491	232,547	237,847	252,730	852,760	987,743	899,700	961,767
i) निगम कर	62,678	76,254	72,954	79,998	270,641	302,831	275,829	355,007
ii) आय कर	42,069	47,883	47,983	50,839	181,651	189,249	172,356	199,688
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-3	-3	-3	-3	-14	-48	-44	-23
v) धन पर कर	70	73	73	70	300	409	372	357
vi) सीमा शुल्क	37,330	44,451	47,951	50,665	161,187	197,296	179,703	175,045
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	35,636	38,769	43,769	43,113	153,874	193,839	176,587	114,562
viii) सेवा कर	19,719	25,120	25,120	28,047	85,154	104,295	95,012	117,172
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-8	-	-	-	-33	-127	-116	-41
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	736,346	968,854	899,360	748,266	897,829	854,654	1,025,189	1,190,800
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	525,397	539,110	677,069	543,261	405,393	359,117	383,991	528,300
1. व्याज प्राप्ति	34,838	19,919	22,176	13,776	111,243	100,687	118,962	118,932
2. लाभांश और लाभ	40	148	160	160	1,267	2,963	4,290	4,290

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	437,358	450,564	570,394	471,745	115,300	64,808	77,188	158,534
जिसमें से: राज्य लाटरियां	350,605	375,062	375,062	372,459	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	19,824	22,715	26,008	24,603	28,508	29,082	31,183	33,700
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,824	3,086	3,368	3,593	2,723	2,299	2,982	3,761
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,812	5,073	5,330	5,613	3,911	2,973	3,647	3,184
iii) परिवार कल्याण	26	46	38	39	58	31	31	31
iv) आवास	211	250	232	255	327	332	498	664
v) शहरी विकास	6,356	8,270	10,978	8,290	48	38	60	66
vi) श्रम और रोजगार	834	1,050	1,049	1,103	397	327	355	370
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	946	1,300	951	1,249	365	252	330	365
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,636	3,620	4,000	4,400	20,416	22,587	23,000	25,000
ix) अन्य	180	20	62	61	264	242	280	258
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	33,337	45,764	58,331	32,978	149,075	161,576	152,366	212,844
i) फसल उत्पादन	667	1,185	1,065	1,077	238	249	254	269
ii) पशुपालन	473	603	603	634	3,437	151	875	175
iii) मत्स्यपालन	95	145	145	155	875	775	975	2,000
iv) वानिकी और वन्य जीव	1,470	1,770	1,500	1,600	5,830	5,379	5,379	5,679
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहाकरिता	460	610	500	600	2,701	1,987	2,500	3,000
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3,463	3,880	3,100	3,492	310	359	333	512
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	2,002	2,440	2,747	2,958	5,792	5,678	6,745	5,976
ix) लघु सिंचाई	249	16	16	16	1,361	2,902	2,188	2,820
x) पावर	—	—	—	—	845	50	300	320
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	893	950	2,550	43,100
xii) गांव और लघु उद्योग	72	62	72	139	378	60	80	85
xiii) उद्योग @	1,649	1,543	2,500	3,000	122,751	140,056	126,610	145,112
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	15,526	23,267	14,290	15,140	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	—	—	—	—	1,519	1,520	1,520	1,520
xvii) अन्य*	7,211	10,243	31,793	4,167	2,145	1,459	2,057	2,276
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	210,949	429,744	222,292	205,004	492,436	495,538	641,198	662,501
1. राज्य योजना स्कीमें	61,767	109,300	68,425	87,287	176,861	138,562	223,102	213,119
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	1,343	38,139	29,656	18,933	6,682	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	36,566	218,261	80,075	53,921	202,637	252,036	281,261	320,093
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	1,188	—	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	111,274	64,044	44,136	44,863	105,068	104,940	136,835	129,289
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	—	—	—	—	72,272	64,723	94,141	81,855
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	—	—	—	25,734	36,087	36,087	37,890
ग) अन्य	111,274	64,044	44,136	44,863	7,063	4,130	6,607	9,544

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	269,942	268,921	297,245	298,923	4,752,052	5,150,563	5,541,029	5,827,114
I. कर राजस्व (क +ख)	54,298	45,199	56,816	55,090	3,768,437	4,265,274	4,303,077	4,767,421
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	19,786	15,110	16,179	17,720	2,961,910	3,315,610	3,452,149	3,857,800
1. आय पर कर (I+II)	4,910	4,230	150	168	11	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	11	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	4,910	4,230	150	168	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	701	344	624	699	389,852	505,302	462,532	514,192
i) भूमि राजस्व	275	111	308	345	7,803	14,618	17,756	2,998
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	426	233	316	354	380,474	488,890	442,982	509,399
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	1,575	1,794	1,794	1,794
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	14,175	10,536	15,405	16,853	2,572,048	2,810,308	2,989,616	3,343,608
i) बिक्री कर (क से च)	8,132	5,600	8,637	9,650	1,815,636	1,941,774	2,090,600	2,324,253
क) राज्य बिक्री कर / वैट	2,589	2,600	2,900	3,248	1,643,412	1,814,074	1,976,932	2,204,902
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	599	200	200	200	172,224	127,700	113,668	119,351
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	4,944	2,800	5,537	6,202	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,794	3,050	4,250	4,760	476,406	532,960	570,918	656,556
iii) वाहन पर कर	622	400	697	780	148,321	170,760	172,634	199,438
iv) माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	109,747	115,106	95,809	100,980
v) बिजली पर शुल्क और कर	-	-	-	-	3,722	25,009	36,078	36,178
vi) मनोरंजन कर	56	55	62	70	909	681	572	440
vii) अन्य कर और शुल्क	1,570	1,431	1,759	1,593	17,307	24,018	23,006	25,764
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	34,512	30,089	40,637	37,370	806,527	949,664	850,928	909,621
i) निगम कर	10,953	11,411	13,325	15,084	255,973	311,415	279,037	335,766
ii) आय कर	7,352	-	8,368	7,350	171,805	195,551	175,220	188,865
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-	-1	-1	-13	-13	-12	-21
v) धन पर कर	12	-	13	14	284	297	266	338
vi) सीमा शुल्क	6,523	7,438	7,768	6,243	152,451	181,535	162,661	165,558
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	6,227	7,308	6,775	4,212	145,534	158,329	141,868	108,353
viii) सेवा कर	3,446	3,932	4,390	4,469	80,524	102,581	91,916	110,801
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-1	-	-1	-1	-31	-31	-28	-39
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	215,645	223,722	240,429	243,834	983,613	885,289	1,237,951	1,059,693
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	141,374	114,627	118,814	117,229	330,436	327,693	564,474	340,427
1. व्याज प्राप्ति	1,510	308	2,564	308	124,249	107,718	130,533	97,773
2. लाभांश और लाभ	68	75	75	75	3,971	3,255	1,599	1,601

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	126,033	96,477	97,276	96,902	55,761	59,202	66,781	68,730
जिसमें से: राज्य लाटरियां	123,255	94,336	95,136	94,341	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	642	474	566	553	55,170	59,917	58,861	63,595
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	118	67	103	85	30,140	35,612	28,947	32,091
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	114	50	68	55	9,756	9,531	12,019	11,411
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	8	2,415	5,214	6,914
iv) आवास	29	36	36	36	3,026	4,848	3,883	4,478
v) शहरी विकास	127	74	94	94	3,789	615	824	775
vi) श्रम और रोजगार	19	10	12	10	3,619	3,410	3,340	3,414
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3	1	1	1	3,772	2,738	3,447	3,593
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	211	225	240	260	79	28	137	28
ix) अन्य	22	11	12	12	982	720	1,050	892
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	13,121	17,293	18,334	19,391	91,285	97,601	306,699	108,727
i) फसल उत्पादन	164	34	34	34	8,241	9,478	8,945	8,607
ii) पशुपालन	43	40	40	45	722	832	820	868
iii) मत्स्यपालन	2	2	2	2	2,127	1,468	3,030	3,169
iv) वानिकी और वन्य जीव	1,095	800	800	810	4,642	11,056	5,642	7,201
v) बागान	210	220	220	250	803	—	—	—
vi) सहाकरिता	2	—	—	—	1,701	1,633	2,041	2,103
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	99	10	23	10	2,234	3,276	2,148	2,696
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	1,914	2,261	4,464	2,073
ix) लघु सिंचाई	16	10	105	12	167	238	186	236
x) पावर	9,766	14,600	15,400	16,500	—	—	—	—
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	1	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	23	15	15	25	1,507	630	771	772
xiii) उद्योग @	7	26	28	25	58,194	59,342	270,871	72,512
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	100	100	—	—
xv) सड़क परिवहन	1,562	1,400	1,530	1,535	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	118	123	123	130	2,273	1,615	1,897	2,800
xvii) अन्य*	14	13	13	13	6,659	5,672	5,885	5,690
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	74,271	109,095	121,615	126,605	653,177	557,596	673,478	719,266
1. राज्य योजना स्कीमें	45,522	59,704	66,049	92,476	216,579	283,689	253,848	283,593
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	451	300	455	520	8,111	5,198	9,236	20,799
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	16,022	36,801	41,133	23,412	82,197	57,433	125,114	100,611
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	3,574	7,068	7,284	7,116	—	—	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	8,702	5,222	6,694	3,081	346,289	211,276	285,280	314,263
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	5,286	2,194	2,194	—	52,990	37,300	37,023	37,023
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	2,746	1,435	2,271	1,478	17,288	18,152	22,917	14,295
ग) अन्य	670	1,593	2,229	1,603	276,012	155,824	225,340	262,945

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखण्ड			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	369,833	426,902	419,838	461,387	789,109	1,045,656	875,380	1,094,767
I. कर राजस्व (क +ख)	102,132	120,138	118,638	127,955	416,645	479,966	455,966	507,477
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	37,070	45,138	45,138	54,580	273,865	311,966	305,356	352,877
1. आय पर कर (I+II)	2,385	2,583	2,564	3,077	518	634	609	685
i) कृषि आय कर	11	20	—	—	—	—	—	—
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	2,374	2,563	2,564	3,077	518	634	609	685
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	1,797	2,230	2,191	2,877	44,767	51,647	38,757	43,037
i) भूमि राजस्व	297	357	310	620	2,340	3,143	2,871	768
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	1,498	1,871	1,881	2,257	42,427	48,504	35,886	42,269
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	2	2	—	—	—	—	—	—
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	32,887	40,326	40,383	48,626	228,579	259,685	265,991	309,156
i) बिक्री कर (क से च)	26,498	32,164	32,474	39,600	162,741	184,950	191,000	222,080
क) राज्य बिक्री कर / वैट	26,498	32,164	32,474	39,600	162,741	132,200	132,200	155,080
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	—	—	—	—	—	8,000	8,000	6,000
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	—	—	—	—	—	44,000	50,000	60,000
घ) बिक्री कर पर अधिभार	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—	—
च) अन्य प्राप्ति	—	—	—	—	—	750	800	1,000
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,850	4,430	4,231	4,654	44,156	50,100	52,896	59,822
iii) वाहन पर कर	2,320	2,850	2,855	3,426	15,526	17,554	16,335	19,309
iv) माल और यात्रियों पर कर	—	—	—	—	—	1	1	—
v) बिजली पर शुल्क और कर	1	2	2	2	5,522	6,460	5,161	7,200
vi) मनोरंजन कर	26	—	—	—	645	574	537	700
vii) अन्य कर और शुल्क	193	880	821	944	-10	45	61	44
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	65,062	75,000	73,500	73,375	142,780	168,000	150,610	154,600
i) निगम कर	20,652	24,644	22,043	18,416	45,308	52,424	49,395	62,394
ii) आय कर	13,861	15,278	15,267	13,738	30,410	31,835	31,017	30,402
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-1	—	—	—	-2	-9	-9	-4
v) धन पर कर	23	28	1,441	5,853	50	65	50	60
vi) सीमा शुल्क	12,300	14,144	13,706	13,166	26,984	32,761	28,757	25,825
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	11,741	12,646	13,149	12,228	25,760	34,788	25,118	17,421
viii) सेवा कर	6,488	8,260	7,894	9,974	14,265	16,125	16,282	18,496
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-2	—	—	—	5	10	—	6
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	267,702	306,764	301,200	333,432	372,464	565,690	419,413	587,290
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	11,541	12,321	13,303	15,816	66,838	89,723	65,689	142,869
1. व्याज प्राप्ति	5,893	3,772	5,200	2,000	4,156	3,802	4,441	5,428
2. लाभांश और लाभ	27	12	28	30	53	86	23	25

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखण्ड			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	2,570	5,480	4,739	10,182	10,796	20,725	8,672	72,853
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	691	834	738	925	4,976	5,252	5,751	6,834
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	100	120	105	150	3,069	3,760	2,800	3,430
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	374	460	393	512	529	605	682	757
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	4	3	1	2
iv) आवास	123	136	135	149	158	200	158	200
v) शहरी विकास	—	—	—	—	612	250	1,110	1,250
vi) श्रम और रोजगार	16	13	17	19	158	161	192	223
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3	5	3	3	118	—	94	100
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	62	82	68	75	—	10	8	10
ix) अन्य	13	18	16	17	327	263	706	862
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	200	—	—	1	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,360	2,224	2,398	2,679	46,857	59,857	46,801	57,729
i) फसल उत्पादन	153	172	161	200	394	310	322	499
ii) पशुपालन	154	170	162	170	120	104	150	157
iii) मत्स्यपालन	127	71	133	140	2	4	6	7
iv) वानिकी और वन्य जीव	552	570	570	599	20,975	20,068	20,669	21,927
v) बागान	—	—	—	—	—	2	—	—
vi) सल्कारिता	49	7	53	59	558	503	503	732
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	6	5	2	3
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	—	—	—	—	770	487	594	631
ix) लघु सिंचाई	10	31	11	12	146	567	144	200
x) पावर	1	—	—	—	14,437	27,000	17,037	22,074
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	7	8	8	8	137	83	83	80
xiii) उद्योग @	930	1,020	977	1,125	7,376	8,600	6,412	9,100
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	202	100	50	265
xvi) पर्यटन	64	67	73	79	835	610	318	615
xvii) अन्य*	315	108	250	287	897	1,416	512	1,441
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	256,161	294,443	287,897	317,616	305,626	475,967	353,725	444,421
1. राज्य योजना स्कीमें	92,879	127,897	126,605	147,535	153,992	305,614	188,082	287,725
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—
से जारी अग्रिम	2,606	900	800	900	1,016	1,670	1,670	2,493
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	19,253	24,108	20,214	23,915	17,099	43,556	43,556	34,561
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	14,462	19,036	14,677	19,036	—	—	—	—
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	126,961	122,502	125,601	126,230	133,520	125,127	120,416	119,642
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	112,291	113,190	113,190	113,318	126,165	114,574	106,979	110,194
क) सांविधिक अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	1,007	1,022	1,460	1,022	7,319	7,550	11,247	7,639
ग) अन्य	13,663	8,290	10,951	11,890	37	3,003	2,191	1,809

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	6,867,247	8,580,635	8,514,644	9,443,984	3,016,738	3,606,603	4,077,705	4,231,241
I. कर राजस्व (क +ख)	5,424,706	6,701,910	6,367,697	7,311,420	2,385,540	2,885,601	2,885,601	3,337,292
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	2,495,932	3,231,300	2,919,142	3,345,582	1,312,634	1,622,283	1,622,283	1,947,642
1. आय पर कर (I+II)	1,896	1,500	1,500	2,295	29,246	33,631	33,631	38,670
i) कृषि आय कर	—	—	—	—	-260	127	127	140
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	1,896	1,500	1,500	2,295	29,506	33,504	33,504	38,530
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (I से III)	436,921	554,065	554,065	553,204	245,695	322,685	322,685	371,084
i) भूमि राजस्व	39,253	17,011	17,011	18,102	103,958	148,858	148,858	171,187
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	397,668	537,054	537,054	535,102	141,696	173,762	173,762	199,826
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	—	—	—	—	40	65	65	72
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (I से VII)	2,057,115	2,675,735	2,363,577	2,790,083	1,037,694	1,265,967	1,265,967	1,537,888
i) बिक्री कर (क से च)	1,502,310	1,970,500	1,717,800	2,074,127	806,046	979,418	979,418	1,204,685
क) राज्य बिक्री कर / वैट	1,246,398	1,244,300	1,597,540	1,910,973	724,863	866,501	866,501	1,065,797
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	138,497	163,600	120,000	148,152	79,754	110,573	110,573	136,005
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	81,722	547,600	—	—	13	8	8	10
घ) बिक्री कर पर अधिभार	7,405	—	—	—	1,332	2,265	2,265	2,786
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	—	—	—	—	68	61	61	75
च) अन्य प्राप्ति	28,288	15,000	260	15,002	17	10	10	12
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	394,840	504,000	445,000	517,645	93,547	111,542	111,542	133,850
iii) वाहन पर कर	114,584	86,225	86,198	87,489	53,207	67,311	67,311	77,408
iv) माल और यात्रियों पर कर	10,965	73,775	73,775	70,000	107	125	125	137
v) बिजली पर शुल्क और कर	20,665	27,535	27,535	25,005	50,669	69,610	69,610	80,051
vi) मनोरंजन कर	9,434	13,122	12,790	15,244	3,007	3,347	3,347	3,682
vii) अन्य कर और शुल्क	4,316	578	478	573	31,112	34,614	34,614	38,075
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (I से IX)	2,928,774	3,470,610	3,448,555	3,965,838	1,072,906	1,263,318	1,263,318	1,389,649
i) निगम कर	929,511	1,057,005	1,050,288	1,207,832	340,509	414,261	414,261	455,687
ii) आय कर	623,876	683,559	679,216	781,099	228,545	260,133	260,133	286,146
iii) संपदा शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-47	-168	-167	-194	-17	-17	-17	-19
v) धन पर कर	1,032	1,425	1,416	1,629	378	394	394	433
vi) सीमा शुल्क	553,594	688,643	684,267	786,907	202,799	241,488	241,488	265,637
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	528,477	676,581	672,282	773,125	193,597	210,618	210,618	231,680
viii) सेवा कर	292,443	364,010	361,697	415,952	107,136	136,482	136,482	150,130
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-112	-445	-444	-512	-41	-41	-41	-45
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	1,442,541	1,878,725	2,146,948	2,132,564	631,198	721,003	1,192,104	893,949
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	581,601	609,845	832,574	562,692	147,309	177,091	533,910	272,907
1. व्याज प्राप्ति	124,784	158,858	162,895	107,995	68,996	82,886	403,991	129,220
2. लाभांश और लाभ	1,072	592	592	592	622	283	715	823

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	151,076	167,701	292,653	168,792	24,349	34,470	35,497	41,517
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	3,351	3,427	3,854	4,432
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	145,068	24,932	72,759	27,222	11,324	15,712	21,018	25,093
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	121,762	7,981	13,286	9,622	2,142	1,997	2,496	2,866
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,211	7,362	45,296	8,186	4,283	9,627	12,772	15,561
iii) परिवार कल्याण	111	200	200	200	27	18	31	36
iv) आवास	1,136	3,693	3,693	4,062	968	1,262	1,113	1,281
v) शहरी विकास	32	3,890	3,890	3,890	1,968	623	2,263	2,603
vi) श्रम और रोजगार	9,335	1,354	1,354	796	462	542	586	671
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,973	440	440	448	1,019	668	1,409	1,682
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	39	—	—	—	133	586	153	176
ix) अन्य	3,469	12	4,600	18	321	390	193	219
5. राजकोषीय सेवाएँ	6	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	159,595	257,763	303,675	258,092	42,017	43,740	72,688	76,255
i) फसल उत्पादन	5,103	3,946	10,886	4,067	533	673	640	756
ii) पशुपालन	1,060	1,955	1,955	2,119	336	398	533	605
iii) मत्स्यपालन	298	350	350	338	217	624	1,105	962
iv) वानिकी और वन्य जीव	29,480	18,515	18,095	18,520	4,984	5,043	5,751	6,614
v) बागान	—	—	—	—	39	—	45	51
vi) सहाकरिता	633	1,254	1,254	1,050	424	878	606	679
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	562	358	358	433	34	46	39	44
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	32,181	18,336	18,336	14,984	691	842	795	914
ix) लघु सिंचाई	3,141	4,574	4,574	1,697	1,957	2,288	2,251	2,588
x) पावर	34,225	148,500	148,500	90,000	1	1	1	1
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	1	2	2	2
xii) गांव और लघु उद्योग	161	8	8	9	468	204	538	619
xiii) उद्योग@	39,529	44,904	60,051	51,779	995	1,802	1,155	1,316
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	10	10	12	13
xv) सड़क परिवहन	462	198	198	218	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	289	100	100	100	138	564	282	476
xvii) अन्य*	12,472	14,764	39,009	72,778	31,189	30,367	58,936	60,614
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	860,940	1,268,880	1,314,374	1,569,872	483,890	543,911	658,194	621,042
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	279,549	441,292	470,407	567,904	242,090	256,010	271,975	268,163
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	26,190	421	605	422	7,030	10,142	13,519	11,543
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	265,759	468,026	486,733	589,420	137,579	161,943	225,400	228,079
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	289,442	359,141	356,629	412,126	97,190	115,816	147,301	113,257
क) सांविधिक अनुदान	257,115	313,342	310,842	328,392	74,107	80,196	111,681	86,013
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	23,510	24,215	24,215	24,956	18,647	19,207	19,207	19,793
ग) अन्य	8,818	21,584	21,572	58,778	4,436	16,413	16,413	7,451

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	62,374,754	71,983,507	73,786,525	80,494,308
I. कर राजस्व (क +ख)	43,794,817	50,995,659	50,387,796	55,224,259
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	28,654,568	33,680,969	33,040,507	36,652,265
1. आय पर कर (I+II)	331,775	336,212	333,849	380,411
i) कृषि आय कर	2,589	1,348	2,228	3,354
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	329,185	334,864	331,621	377,058
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	4,145,996	4,929,474	4,597,825	4,821,782
i) भूमि राजस्व	396,875	435,090	462,407	478,041
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	3,716,212	4,462,906	4,087,520	4,293,696
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	32,908	31,478	47,898	50,045
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	24,176,798	28,415,283	28,108,833	31,450,071
i) बिक्री कर (क से च)	17,342,164	20,362,275	20,261,020	22,500,938
क) राज्य बिक्री कर / वैट	15,300,710	17,181,784	17,152,040	19,093,393
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	1,654,552	1,692,884	2,111,793	2,326,801
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	162,317	1,386,415	843,813	891,170
घ) बिक्री कर पर अधिभार	18,066	2,565	2,265	2,786
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	4,987	39,351	5,366	6,375
च) अन्य प्राप्ति	201,532	59,275	145,741	180,413
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,412,722	3,946,330	3,916,729	4,596,130
iii) वाहन पर कर	1,514,308	1,790,546	1,683,426	1,869,471
iv) माल और यात्रियों पर कर	680,767	891,043	846,259	955,205
v) बिजली पर शुल्क और कर	923,913	1,071,346	1,070,376	1,174,511
vi) मनोरंजन कर	108,287	83,099	77,711	86,910
vii) अन्य कर और शुल्क	194,637	270,644	253,312	266,905
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	15,140,249	17,314,690	17,347,289	18,571,995
i) निगम कर	4,747,361	5,282,822	5,435,297	6,327,606
ii) आय कर	3,179,565	3,356,909	3,448,212	3,721,789
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-239	-471	-356	-467
v) धन पर कर	5,299	22,748	7,384	12,513
vi) सीमा शुल्क	2,835,631	3,371,840	3,332,774	3,428,924
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,875,128	3,509,516	3,289,139	3,000,424
viii) सेवा कर	1,498,012	1,772,507	1,835,713	2,082,191
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-509	-1,180	-875	-985
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	18,579,936	20,987,846	23,398,728	25,270,047
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	7,717,752	6,684,845	7,961,386	8,401,718
1. व्याज प्राप्ति	1,263,721	1,268,565	1,657,200	1,301,006
2. लाभांश और लाभ	56,953	44,193	47,720	49,701

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	2,639,707	1,410,566	2,054,670	2,670,600
जिसमें से: राज्य लाटरियां	513,001	599,771	521,281	585,996
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	788,920	586,112	678,525	705,469
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	233,593	138,432	172,306	207,418
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	87,875	96,108	142,686	129,534
iii) परिवार कल्याण	983	4,698	7,460	10,170
iv) आवास	18,554	21,824	20,328	27,376
v) शहरी विकास	315,886	213,047	206,781	184,621
vi) श्रम और रोजगार	38,816	28,480	30,593	37,819
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	20,011	16,671	19,411	22,332
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	49,920	54,894	54,584	62,446
ix) अन्य	23,282	11,958	24,376	23,753
5. राजकोषीय सेवाएं	22	9	2,230	10
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,968,429	3,375,400	3,521,041	3,674,932
i) फसल उत्पादन	33,932	35,844	36,317	41,268
ii) पशुपालन	10,991	9,787	10,473	10,578
iii) मत्स्यपालन	8,258	7,755	10,409	12,356
iv) वानिकी और वन्य जीव	251,762	274,358	262,523	301,213
v) बागान	1,053	222	265	302
vi) सहाकरिता	31,478	35,440	32,611	36,812
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	8,415	9,972	8,156	9,497
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	186,511	196,815	231,690	242,480
ix) लघु सिंचाई	20,449	25,244	25,495	26,171
x) पावर	473,297	599,195	606,146	645,599
xi) पेट्रोलियम	155,694	173,741	152,556	149,897
xii) गांव और लघु उद्योग	12,308	7,218	9,341	11,142
xiii) उद्योग@	1,308,044	1,574,369	1,645,013	1,608,492
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	35,868	20,823	37,831	62,851
xv) सड़क परिवहन	82,159	101,007	83,536	95,323
xvi) पर्यटन	10,281	8,266	10,662	12,264
xvii) अन्य*	337,931	295,342	358,016	408,688
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	10,862,184	14,303,001	15,437,342	16,868,329
1. राज्य योजना स्कीमें	4,954,760	6,662,431	6,888,044	8,280,706
जिसमें से:				
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता				
से जारी अग्रिम	18,230	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	227,361	682,996	728,789	688,890
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	2,187,079	3,121,514	3,496,382	3,595,558
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	62,115	105,182	108,413	92,663
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	3,430,869	3,730,878	4,215,713	4,210,513
क) सांविधिक अनुदान	1,979,165	1,652,481	1,717,487	1,664,185
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	263,923	290,440	427,723	286,599
ग) अन्य	1,187,781	1,787,957	2,070,503	2,259,729

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	1,491,237	1,764,797	1,601,498	1,909,930	213,562	208,605	243,806	306,654
I. कर राजस्व (क +ख)	1,178,280	1,384,000	1,252,300	1,358,600	65,285	73,200	72,600	90,600
क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)	1,178,280	1,384,000	1,252,300	1,358,600	65,285	73,200	72,600	90,600
1. आय पर कर (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)	131,841	162,000	90,000	105,000	4,191	3,879	3,979	6,079
i) भूमि राजस्व	1	-	-	-	54	30	50	79
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	131,839	162,000	90,000	105,000	4,137	3,849	3,929	6,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)	1,046,439	1,222,000	1,162,300	1,253,600	61,094	69,321	68,621	84,521
i) बिक्री कर (क से च)	831,048	980,000	930,000	1,000,000	35,498	41,000	39,000	50,000
क) राज्य बिक्री कर / वैट	729,252	850,000	820,000	880,000	35,498	41,000	39,000	50,000
ख) केन्द्रीय बिक्री कर	101,772	129,975	109,875	119,875	-	-	-	-
ग) मोटर स्प्रिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यवर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्ति	24	25	125	125	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	130,125	142,500	140,000	151,200	22,402	24,700	26,000	30,000
iii) वाहन पर कर	42,020	50,000	47,000	53,000	3,160	3,600	3,600	4,500
iv) माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
v) बिजली पर शुल्क और कर	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) मनोरंजन कर	4,534	4,700	4,800	4,600	-	-	-	-
vii) अन्य कर और शुल्क	38,712	44,800	40,500	44,800	34	21	21	21
ख. केन्द्रीय करों में हिस्सा (i से ix)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) निगम कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-	-	-	-	-	-	-
v) धन पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) सीमा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) सेवा कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
II. गैर कर राजस्व (ग+घ)	312,958	380,797	349,198	551,330	148,277	135,405	171,206	216,054
ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)	181,670	206,950	217,843	257,048	62,583	65,100	58,400	100,715
1. व्याज प्राप्ति	163,479	191,850	199,449	237,520	1,773	277	2,577	2,778
2. लाभांश और लाभ	3,115	3,450	3,450	4,000	368	238	286	365

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (समाप्त)

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
3. सामान्य सेवाएं	8,520	6,155	6,910	7,270	1,480	1,331	1,342	1,407
जिसमें से: राज्य लाटरियां	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सामाजिक सेवाएं (i से ix)	3,746	3,118	4,679	4,830	1,387	1,153	1,161	1,198
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,252	975	1,693	1,748	48	73	73	73
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,687	1,455	2,192	2,245	783	620	620	630
iii) परिवार कल्याण	6	—	25	25	—	—	—	—
iv) आवास	279	290	280	300	114	42	44	45
v) शहरी विकास	—	1	—	1	25	4	4	4
vi) श्रम और रोजगार	506	380	470	490	90	93	99	115
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17	15	19	19	13	19	19	19
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	284	291	291	300
ix) अन्य	—	2	—	2	30	11	11	11
5. राजकोषीय सेवाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	2,809	2,377	3,355	3,428	57,574	62,101	53,032	94,967
i) फसल उत्पादन	35	32	39	41	34	42	40	42
ii) पशुपालन	47	35	21	21	6	13	8	9
iii) मत्स्यपालन	4	5	4	5	115	13	27	27
iv) वानिकी और वन्य जीव	5	2	7	7	7	7	7	7
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	4	4	5	5	24	16	17	17
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	11	2	2	2	1	1	1	1
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	966	530	970	1,000	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	16	10	7	7	11	23	20	22
x) पावर	476	700	900	900	57,036	61,700	52,200	94,515
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	269	140	400	400	29	19	27	25
xiii) उद्योग @	6	5	6	7	125	105	105	105
xiv) बंदरगाह और लाइटहाउस	—	—	—	—	16	10	28	30
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
xvi) पर्यटन	5	5	7	7	52	33	40	40
xvii) अन्य*	963	907	987	1,026	118	120	513	127
घ. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	131,288	173,847	131,355	294,282	85,695	70,305	112,806	115,339
1. राज्य योजना स्कीमें	72,020	128,847	81,113	241,869	85,695	14,396	15,823	27,359
जिसमें से:								
प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	5,825	10,000	8,013	11,083	—	2,984	4,643	3,680
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	53,443	35,000	42,229	41,330	—	52,925	92,340	84,300
क) सांविधिक अनुदान	32,500	32,500	32,500	32,500	—	16,000	18,047	16,000
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य	20,943	2,500	9,729	8,830	—	36,925	74,293	68,300

— : शून्य/ नगण्य /उपलब्ध नहीं।

@ : अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग और अन्य उद्योग शामिल।

* : डेरी विकास, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, नागर विमानन, अंतर्देशीय जल परिवहन, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सामान्य आर्थिक सेवाओं, नागरिक आपूर्ति, सड़क और पुल आदि से प्राप्तियां शामिल।

परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	1,390,059	4,008,298	5,398,356	2,596,525	4,425,248	7,021,773	2,393,129	4,398,775	6,761,904	2,146,370	5,509,348	7,655,717
I. विकास व्यय (क + ख)	1,284,273	2,272,176	3,556,449	2,558,074	2,404,373	4,962,446	2,380,601	2,403,780	4,784,381	2,131,988	3,215,925	5,347,914
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	804,106	1,061,932	1,866,038	1,555,461	1,350,794	2,906,255	1,458,546	1,365,650	2,824,195	1,485,161	1,743,087	3,228,248
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	82,012	578,471	660,483	354,738	697,306	1,052,044	290,886	707,005	997,891	262,738	840,660	1,103,398
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	39,487	164,753	204,240	69,930	184,337	254,267	64,011	187,909	251,920	105,177	210,188	315,365
3. परिवार कल्याण	39,111	555	39,665	57,556	747	58,303	52,877	739	53,616	56,585	770	57,355
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	112,423	17,502	129,925	118,284	20,618	138,902	85,994	21,697	107,691	129,378	27,331	156,709
5. आवास	89,107	1,800	90,907	215,250	1,578	216,828	229,561	1,578	231,139	140,000	1,712	141,712
6. शहरी विकास	141,689	16,486	158,174	276,318	13,311	289,629	200,780	13,379	214,159	233,880	56,129	290,008
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	139,754	112,815	252,568	192,882	144,731	337,613	253,810	145,711	399,521	204,767	156,034	360,801
8. श्रम और श्रम कल्याण	6,633	9,302	15,935	16,638	11,150	27,788	16,004	11,377	27,381	10,040	13,744	23,784
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	118,491	30,499	148,990	205,653	28,978	234,631	216,411	29,215	245,626	269,912	31,976	301,888
10. पोषण	30,120	88,878	118,998	42,751	198,986	241,737	42,751	198,986	241,737	67,670	350,987	418,656
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	31,630	31,630	—	40,161	40,161	—	40,164	40,164	—	42,239	42,239
12. अन्य*	5,280	9,242	14,522	5,461	8,891	14,352	5,461	7,889	13,351	5,015	11,317	16,333
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	480,167	1,210,244	1,690,411	1,002,613	1,053,579	2,056,191	922,056	1,038,130	1,960,186	646,827	1,472,839	2,119,666
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	118,268	89,200	207,468	260,177	82,908	343,085	310,012	84,897	394,909	146,482	98,447	244,929
i) फसल उत्पादन	83,467	15,158	98,624	157,102	18,639	175,741	253,274	18,018	271,292	91,982	21,528	113,511
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	523	1,629	2,152	908	2,113	3,021	879	1,974	2,853	1,272	2,461	3,733
iii) पशुपालन	10,598	22,888	33,487	26,022	29,426	55,448	8,415	30,451	38,866	4,186	35,884	40,070
iv) डेरी विकास	113	—	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	1,972	2,211	4,183	4,954	2,714	7,668	2,571	2,818	5,389	2,289	3,360	5,649
vi) वनिकी और वन्य जीवन	13,680	16,475	30,155	16,667	19,408	36,075	13,000	22,528	35,528	9,367	24,167	33,535
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	6,885	15,858	22,742	30,558	1,072	31,630	18,670	—	18,670	31,117	—	31,117
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सत्कारिता	430	14,299	14,729	23,966	8,758	32,724	12,367	9,221	21,588	6,268	10,146	16,414
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	600	681	1,281	—	776	776	835	-112	723	—	901	901
ग्रामीण विकास	173,623	126,431	300,054	296,303	123,999	420,302	278,108	108,400	386,509	83,302	144,343	227,645
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	114,260	351,603	465,863	245,806	449,838	695,643	166,537	448,544	615,081	242,188	452,856	695,044
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	108,260	345,888	454,149	206,875	435,749	642,624	138,014	434,500	572,515	196,023	438,378	634,401
ii) लघु सिंचाई	5,426	3,622	9,048	38,138	4,084	42,221	27,808	4,039	31,846	44,670	4,472	49,142
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	2,092	2,092	—	10,005	10,005	10,005	—	10,005	—	10,006	10,006
ऊर्जा	2,108	457,766	459,874	3,096	247,901	250,997	3,050	247,713	250,763	3,056	613,785	616,841
जिसमें से: पावर	1,887	457,491	459,379	2,850	247,592	250,442	2,850	247,404	250,254	2,850	613,313	616,163
उद्योग और खनिज (1 से iii)	34,342	17,995	52,336	57,213	10,382	67,595	21,109	10,095	31,204	80,996	11,951	92,947
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	14,683	5,823	20,506	30,888	6,871	37,759	13,727	6,878	20,605	59,371	7,918	67,289
ii) उद्योग @	13,438	12,172	25,609	13,325	3,511	16,836	5,882	3,217	9,999	21,124	4,033	25,158
iii) अन्य**	6,221	—	6,221	13,000	—	13,000	1,500	—	1,500	500	—	500

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	500	152,227	152,727	27,600	122,998	150,598	27,600	123,806	151,406	18,300	132,834	151,134
i) सड़क और पुल	500	136,083	136,583	10,100	121,819	131,919	10,100	121,873	131,973	5,000	130,712	135,712
ii) अन्य @	-	16,144	16,144	17,500	1,179	18,679	17,500	1,933	19,433	13,300	2,122	15,422
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	783	159	942	897	171	1,068	784	171	954	1,269	209	1,478
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	36,282	14,864	51,146	111,521	15,382	126,903	114,857	14,503	129,359	71,236	18,413	89,649
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	27,335	3,693	31,028	99,741	4,484	104,225	86,970	4,529	91,499	59,999	5,569	65,568
ii) पर्यटन	3,430	372	3,802	5,400	421	5,821	2,619	402	3,021	418	485	903
iii) नागरिक आपूर्ति	4,352	6,770	11,122	4,730	5,310	10,039	23,735	4,307	28,042	9,628	6,562	16,190
iv) अन्य +	1,165	4,030	5,194	1,650	5,167	6,818	1,533	5,265	6,798	1,191	5,798	6,988
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	105,786	1,711,237	1,817,023	38,451	1,983,920	2,022,371	12,527	1,928,040	1,940,567	14,381	2,256,467	2,270,848
क. राज्य के अंग	387	36,270	36,657	392	45,598	45,990	266	41,007	41,273	442	69,265	69,707
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	2,454	59,743	62,196	6,691	74,129	80,820	1,986	71,125	73,110	1,873	87,253	89,126
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,454	53,434	55,887	6,691	68,623	75,314	1,986	66,925	68,911	1,873	81,711	83,584
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	6,309	6,309	-	5,506	5,506	-	4,200	4,200	-	5,542	5,542
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	796,583	796,583	-	940,445	940,445	-	875,447	875,447	-	952,306	952,306
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	37,711	37,711	-	41,950	41,950	-	41,950	41,950	-	41,950	41,950
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	758,872	758,872	-	898,495	898,495	-	833,497	833,497	-	910,356	910,356
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	102,543	102,543	-	117,185	117,185	-	117,984	117,984	-	112,324	112,324
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	594,036	594,036	-	686,580	686,580	-	632,287	632,287	-	711,840	711,840
जिसमें से:	-	204,424	204,424	-	295,030	295,030	-	249,515	249,515	-	333,598	333,598
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	62,293	62,293	-	94,729	94,729	-	83,224	83,224	-	86,190	86,190
iv) अन्य	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	102,945	309,378	412,323	31,368	403,461	434,829	10,275	378,552	388,828	12,066	473,353	485,420
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	97,785	7,548	105,333	18,895	41,758	60,653	4,965	8,470	13,435	5,820	36,128	41,948
ii) जिला प्रशासन	-	45,990	45,990	-	58,443	58,443	-	69,176	69,176	-	74,623	74,623
iii) पुलिस	2,141	192,288	194,430	9,000	212,941	221,941	3,500	211,555	215,055	5,500	261,545	267,045
iv) लोक निर्माण	-	16,528	16,528	2	28,533	28,535	-	29,006	29,006	-	31,760	31,760
v) अन्य ++	3,019	47,023	50,042	3,471	61,786	65,257	1,810	60,345	62,156	746	69,298	70,044
ङ. पेंशन	-	509,213	509,213	-	520,275	520,275	-	561,897	561,897	-	674,276	674,276
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	51	51	-	12	12	-	12	12	-	13	13
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	24,884	24,884	-	36,955	36,955	-	36,955	36,955	-	36,955	36,955
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समुद्रेशन	-	24,884	24,884	-	36,955	36,955	-	36,955	36,955	-	36,955	36,955

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	104,388	121,587	225,955	177,626	118,674	296,300	103,141	188,044	291,185	167,718	192,990	360,708
I. विकास व्यय (क + ख)	102,174	61,774	163,948	176,481	57,467	233,948	102,166	107,342	209,508	166,901	104,303	271,204
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	49,023	21,634	70,658	24,425	22,479	46,904	41,819	47,937	89,756	38,009	50,293	88,301
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19,033	10,688	29,721	15,892	10,640	26,532	11,326	23,616	34,943	11,375	28,393	39,767
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,933	6,721	9,654	2,025	6,701	8,726	5,794	11,343	17,136	4,054	14,163	18,217
3. परिवार कल्याण	677	—	677	59	—	59	694	—	694	529	—	529
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	17,596	2,061	19,657	3,020	742	3,762	18,751	2,516	21,267	17,075	1,304	18,380
5. आवास	953	703	1,657	1,075	—	1,075	1,028	1,500	2,528	785	—	785
6. शहरी विकास	20	188	208	279	157	436	30	790	820	35	572	607
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. श्रम और श्रम कल्याण	407	111	518	312	104	417	252	312	563	279	434	714
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,905	469	3,374	1,094	475	1,569	2,888	1,134	4,023	2,970	1,115	4,085
10. पोषण	1,311	7	1,318	441	7	448	888	7	896	788	8	796
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2,955	—	2,955	—	3,087	3,087	—	5,727	5,727	—	3,181	3,181
12. अन्य*	232	686	918	228	566	794	167	992	1,159	117	1,122	1,239
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	53,151	40,140	93,291	152,056	34,988	187,044	60,347	59,405	119,752	128,893	54,010	182,903
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	12,658	14,647	27,306	9,388	11,225	20,614	14,492	20,757	35,249	12,725	20,325	33,050
i) फसल उत्पादन	5,287	2,704	7,990	3,375	2,465	5,840	6,156	3,615	9,771	5,986	4,898	10,884
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,117	1,146	2,263	992	1,002	1,993	2,278	1,653	3,931	852	1,611	2,463
iii) पशुपालन	1,118	1,551	2,669	883	1,411	2,294	988	2,366	3,353	1,184	3,293	4,477
iv) डेरी विकास	55	17	72	—	25	25	50	77	127	—	46	46
v) मत्स्यपालन	380	257	638	305	218	523	280	443	723	325	568	894
vi) वानिकी और वन्य जीवन	4,277	2,960	7,237	3,434	3,183	6,617	4,291	4,434	8,726	3,994	6,410	10,404
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	5,692	5,692	—	2,583	2,583	—	7,750	7,750	—	2,915	2,915
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	188	64	252	80	60	140	92	69	161	85	85	170
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	183	229	412	250	238	488	287	310	597	229	426	655
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	52	27	80	70	39	109	70	42	112	70	72	142
2. ग्रामीण विकास	2,815	1,148	3,963	2,663	2,421	5,085	4,516	2,615	7,131	5,955	4,219	10,174
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	6,810	3	6,813	5,637	4	5,641	8,410	10	8,419	5,947	6	5,952
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,812	1,983	8,796	4,800	791	5,590	9,521	3,557	13,079	5,795	2,797	8,592
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	48	—	48	50	—	50	50	—	50	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	5,666	1,715	7,382	4,457	791	5,248	9,221	3,027	12,249	5,545	2,797	8,342
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	430	268	698	22	—	22	—	530	530	—	—	—
5. ऊर्जा	2,074	11,524	13,601	2,543	11,161	13,704	1,460	13,649	15,109	1,781	12,947	14,727
जिसमें से: पावर	1,883	11,294	13,177	2,343	11,161	13,504	1,460	13,649	15,109	1,781	12,947	14,727
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	1,418	869	2,287	1,016	699	1,715	858	1,611	2,468	742	2,020	2,762
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,225	866	2,091	817	699	1,516	710	1,415	2,125	619	1,739	2,358
ii) उद्योग @	177	—	177	169	—	169	107	196	302	87	281	369
iii) अन्य**	16	3	19	30	—	30	41	—	41	35	—	35

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	7,624	8,648	16,273	4,937	7,567	12,504	11,984	15,482	27,466	9,604	9,505	19,110
i) सड़क और पुल	7,190	2,408	9,599	4,564	1,454	6,017	10,693	7,519	18,211	9,285	2,637	11,922
ii) अन्य @	434	6,240	6,674	373	6,113	6,486	1,292	7,963	9,255	319	6,868	7,187
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,074	-	1,074	1,057	-	1,057	1,301	2	1,303	1,279	4	1,283
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	11,865	1,314	13,179	120,016	1,120	121,135	7,804	1,723	9,527	85,065	2,188	87,253
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	10,581	77	10,658	119,110	76	119,186	6,831	101	6,932	84,139	128	84,267
ii) पर्यटन	509	31	540	437	26	462	484	115	599	396	129	524
iii) नागरिक आपूर्ति	520	715	1,235	209	522	731	175	836	1,011	419	995	1,414
iv) अन्य +	255	491	746	260	496	756	314	672	986	112	936	1,048
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)	2,193	59,813	62,007	1,145	61,207	62,352	976	80,701	81,677	816	88,888	89,504
क. राज्य के अंग	20	2,680	2,700	1	2,142	2,143	-	3,636	3,636	-	6,891	6,891
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	14	613	627	18	573	591	10	881	891	10	1,108	1,118
i) कर और शुल्क का संग्रह	-	593	593	-	554	554	-	845	845	-	1,060	1,060
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	14	20	34	18	19	37	10	36	46	10	47	57
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती												
(1 + 2)	-	16,734	16,734	-	24,119	24,119	-	24,211	24,211	-	26,800	26,800
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	1,240	1,240	-	1,400	1,400	-	1,400	1,400	-	1,500	1,500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	15,494	15,494	-	22,719	22,719	-	22,811	22,811	-	25,300	25,300
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) परस्परपरफू पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य	-	15,494	15,494	-	22,719	22,719	-	22,811	22,811	-	25,300	25,300
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	2,159	28,788	30,947	1,126	25,867	26,993	966	38,805	39,771	806	39,628	40,435
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	33	3,205	3,238	31	2,166	2,197	28	3,755	3,783	30	3,570	3,600
ii) जिला प्रशासन	-	5,955	5,955	-	5,330	5,330	-	6,951	6,951	-	7,766	7,766
iii) पुलिस	757	11,556	12,313	-	11,322	11,322	-	16,033	16,033	-	19,033	19,033
iv) लोक निर्माण	1,270	6,021	7,291	960	5,494	6,454	769	9,254	10,022	709	6,677	7,386
v) अन्य ++	99	2,051	2,150	135	1,554	1,689	170	2,812	2,982	67	2,582	2,649
ड. फेंशन	-	10,876	10,876	-	8,430	8,430	-	13,075	13,075	-	14,379	14,379
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	123	123	-	77	77	-	94	94	-	81	81
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान												
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और सम्पुर्देशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	198,158	1,076,258	1,274,416	536,920	1,467,012	2,003,932	590,374	1,551,735	2,142,109	664,674	2,262,312	2,926,986
I. विकास व्यय (क + ख)	197,824	583,256	781,080	484,827	688,497	1,153,324	516,542	731,169	1,247,711	592,819	828,461	1,421,280
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	89,518	406,157	495,675	282,628	507,647	770,275	288,323	545,247	833,570	338,498	613,743	952,241
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	20,636	284,069	304,705	47,227	352,458	399,685	71,055	357,098	428,153	66,459	414,390	480,848
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,181	49,737	55,918	27,907	93,404	121,311	27,907	94,070	121,977	30,269	110,760	141,028
3. परिवार कल्याण	7,180	2,229	9,409	12,236	5,415	17,650	12,236	5,415	17,650	16,410	4,202	20,612
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	670	17,374	18,044	2,324	15,504	17,828	2,324	16,600	18,924	3,745	18,612	22,357
5. आवास	81	641	722	228	1,274	1,503	228	1,274	1,503	84	1,543	1,628
6. शहरी विकास	8,404	3,944	12,348	23,276	3,596	26,873	23,276	3,597	26,874	21,736	2,867	24,603
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	21,693	4,219	25,911	43,077	2,031	45,108	44,945	2,154	47,099	49,256	2,342	51,597
8. श्रम और श्रम कल्याण	344	3,063	3,407	5,699	3,598	9,297	5,699	3,761	9,460	1,566	4,421	5,988
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14,993	7,645	22,638	69,877	5,833	75,710	69,877	6,313	76,190	45,766	7,184	52,950
10. पोषण	9,122	147	9,269	30,497	182	30,679	30,497	182	30,679	102,857	188	103,045
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	30,088	30,088	—	21,063	21,063	—	51,063	51,063	—	43,414	43,414
12. अन्य*	214	3,002	3,216	280	3,289	3,569	280	3,720	4,000	350	3,821	4,171
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	108,306	177,099	285,405	202,199	180,850	383,049	228,219	185,922	414,141	254,320	214,718	469,038
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	15,080	52,152	67,232	54,865	49,502	104,366	54,894	51,136	106,029	67,481	60,177	127,658
i) फसल उत्पादन	8,804	12,986	21,790	31,076	12,046	43,122	31,076	12,075	43,151	37,676	13,596	51,273
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	181	2,395	2,575	1,006	1,538	2,544	1,006	1,538	2,544	1,089	1,591	2,680
iii) पशुपालन	654	9,898	10,552	4,361	10,617	14,978	4,361	10,848	15,209	5,835	13,495	19,330
iv) डेरी विकास	274	735	1,009	2,094	1,235	3,329	2,094	1,235	3,329	2,214	1,346	3,560
v) मत्स्यपालन	1,133	1,838	2,970	3,941	1,680	5,621	3,941	1,680	5,621	4,017	2,021	6,038
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,538	13,433	14,972	7,250	13,056	20,306	7,250	13,714	20,964	10,165	17,051	27,216
vii) बागान	343	—	343	5	—	5	5	—	5	50	—	50
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	10	2,200	2,210	250	1,394	1,644	279	2,005	2,283	309	1,961	2,270
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,143	5,520	7,663	4,215	4,581	8,795	4,215	4,671	8,885	5,319	4,703	10,022
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	—	2,810	2,810	517	3,038	3,555	517	3,053	3,570	651	4,034	4,685
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	337	337	150	318	468	150	318	468	155	379	534
2. ग्रामीण विकास	54,504	24,072	78,576	83,611	8,642	92,253	83,611	8,869	92,480	77,543	11,228	88,771
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,956	3,366	5,322	10,073	321	10,395	35,602	328	35,931	61,017	384	61,400
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	29,205	29,205	—	38,255	38,255	—	38,596	38,596	—	48,085	48,085
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	3,739	3,739	—	5,573	5,573	—	5,751	5,751	—	10,577	10,577
ii) लघु सिंचाई	—	14,468	14,468	—	19,987	19,987	—	20,146	20,146	—	23,216	23,216
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	10,827	10,827	—	12,395	12,395	—	12,399	12,399	—	13,947	13,947
5. ऊर्जा	6	3,076	3,082	8	12,275	12,283	8	12,275	12,283	10	18,306	18,316
<i>जिसमें से:</i>												
i) ग्रामीण और खनिज (1 से iii)	4,890	12,902	17,792	10,242	7,244	17,486	10,242	7,244	17,486	14,302	10,427	24,729
ii) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,993	12,250	15,243	7,447	6,417	13,864	7,447	6,417	13,864	8,501	9,442	17,943
iii) उद्योग @	1,898	652	2,549	2,795	827	3,622	2,795	827	3,622	5,801	985	6,786
अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	3,718	46,653	50,372	4,103	58,527	62,631	4,103	61,155	65,258	5,598	58,835	64,434
i) सड़क और पुल	3,166	41,242	44,408	2,967	51,548	54,515	2,967	54,146	57,113	4,291	51,800	56,091
ii) अन्य @	552	5,411	5,964	1,136	6,980	8,116	1,136	7,009	8,145	1,307	7,035	8,343
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	524	44	568	1,950	70	2,020	1,950	70	2,020	1,980	74	2,054
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	27,627	5,629	33,255	37,348	6,013	43,361	37,810	6,250	44,059	26,390	7,201	33,591
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	26,349	2,669	29,018	35,538	2,784	38,322	35,538	2,791	38,329	24,690	3,419	28,109
ii) पर्यटन	1,128	376	1,504	1,433	452	1,885	1,433	452	1,885	1,073	486	1,559
iii) नागरिक आपूर्ति	-	21	21	10	40	50	472	40	512	5	46	51
iv) अन्य +	150	2,562	2,712	367	2,737	3,104	367	2,966	3,333	622	3,249	3,871
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	335	492,107	492,442	33,739	642,575	676,314	35,137	679,831	714,968	29,703	1,206,245	1,235,947
क. राज्य के अंग	11	10,044	10,054	-	14,597	14,597	-	16,852	16,852	-	20,741	20,741
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	100	13,397	13,497	725	24,047	24,772	2,123	24,517	26,640	905	27,618	28,522
i) कर और शुल्क का संग्रह	100	13,273	13,373	725	23,930	24,655	2,123	24,399	26,522	905	27,495	28,399
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	124	124	-	118	118	-	118	118	-	123	123
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	171,624	171,624	-	201,938	201,938	-	201,939	201,939	-	221,638	221,638
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	20,400	20,400	-	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	10,800	10,800
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	151,224	151,224	-	191,138	191,138	-	191,139	191,139	-	210,838	210,838
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	13,372	13,372	-	32,164	32,164	-	32,164	32,164	-	32,054	32,054
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	111,809	111,809	-	127,231	127,231	-	127,231	127,231	-	138,332	138,332
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	62,448	62,448	-	71,757	71,757	-	71,757	71,757	-	86,373	86,373
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	45,612	45,612	-	50,222	50,222	-	50,222	50,222	-	47,184	47,184
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	26,043	26,043	-	31,744	31,744	-	31,744	31,744	-	40,452	40,452
iv) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	224	162,925	163,150	33,014	198,204	231,218	33,014	231,235	264,249	28,798	314,245	343,043
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	60	27,572	27,632	26,582	35,654	62,236	26,582	60,668	87,250	22,083	114,773	136,856
ii) जिला प्रशासन	-	5,286	5,286	-	6,522	6,522	-	6,624	6,624	-	7,794	7,794
iii) पुलिस	-	97,499	97,499	260	113,863	114,123	260	120,016	120,276	360	140,120	140,480
iv) लोक निर्माण	-	15,750	15,750	-	18,969	18,969	-	18,969	18,969	-	22,787	22,787
v) अन्य ++	164	16,819	16,983	6,172	23,197	29,369	6,172	24,959	31,131	6,355	28,770	35,125
ङ. पेंशन	-	134,068	134,068	-	153,732	153,732	-	155,232	155,232	-	233,743	233,743
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	50	50	-	50,056	50,056	-	50,056	50,056	-	388,260	388,260
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	-	894	894	38,354	135,939	174,293	38,694	140,736	179,430	42,153	227,606	269,759
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और समुदेशन	-	894	894	38,354	135,939	174,293	38,694	140,736	179,430	42,153	227,606	269,759

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	609,980	1,748,506	2,358,486	671,531	2,222,259	2,893,789	835,331	2,452,934	3,288,265	775,476	2,796,028	3,571,503
I. विकास व्यय (क + ख)	583,387	847,201	1,430,588	622,783	1,180,454	1,803,236	782,804	1,371,162	2,153,965	689,575	1,586,257	2,275,832
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	419,484	587,314	986,798	400,212	868,716	1,268,928	452,322	1,011,129	1,463,451	406,852	1,150,283	1,557,136
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	260,299	289,300	549,599	131,804	588,962	720,766	133,918	601,080	734,998	135,633	736,758	872,391
2. विहिता और सार्वजनिक स्वास्थ्य	510	99,165	99,675	816	127,631	128,447	1,616	135,481	137,097	2,963	138,485	141,448
3. परिवार कल्याण	—	14,473	14,473	—	21,983	21,983	—	21,983	21,983	—	24,832	24,832
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,016	15,863	28,879	12,892	20,897	33,788	15,897	21,049	36,946	19,314	32,631	51,945
5. आवास	—	537	537	—	770	770	—	785	785	—	850	850
6. शहरी विकास	25,891	16,032	41,923	85,748	6,888	92,635	112,742	50,858	163,600	99,390	58,874	158,264
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13,856	10,931	24,787	14,277	12,189	26,466	16,865	12,276	29,141	23,387	16,178	39,565
8. श्रम और श्रम कल्याण	23,972	4,165	28,138	2,369	7,164	9,533	3,129	7,449	10,578	2,903	6,373	9,275
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14,123	24,389	38,513	74,456	32,697	107,153	89,593	41,114	130,707	87,713	39,768	127,481
10. पोषण	24,530	10,688	35,218	29,937	28,557	58,493	29,937	28,557	58,493	31,657	53,205	84,862
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	42,243	77,979	120,222	46,600	16,398	62,998	46,600	84,095	130,695	2,500	22,228	24,728
12. अन्य*	1,044	3,790	4,834	1,315	4,581	5,896	2,025	6,402	8,427	1,393	20,102	21,495
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	163,903	279,887	443,790	222,570	311,738	534,308	330,482	360,033	690,515	282,723	435,973	718,696
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	24,715	48,970	73,685	38,003	42,568	80,571	101,198	61,705	162,903	61,461	51,050	112,511
i) फसल उत्पादन	12,979	24,164	37,143	25,428	15,421	40,849	57,731	32,126	89,857	38,742	19,341	58,083
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	309	464	774	360	840	1,200	841	896	1,737	810	1,335	2,145
iii) पशुपालन	1,439	7,558	8,997	1,283	9,157	10,439	11,280	9,198	20,478	7,500	11,173	18,673
iv) डेरी विकास	3,538	442	3,980	4,407	413	4,820	9,657	681	10,338	2,368	526	2,893
v) मत्स्यपालन	626	874	1,500	550	1,300	1,850	1,803	1,300	3,103	2,633	1,780	4,412
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,353	3,992	7,345	3,315	4,741	8,056	4,381	5,102	9,483	4,522	6,055	10,577
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	6,250	1,750	8,000	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,230	7,610	9,840	2,400	6,220	8,620	4,650	6,251	10,901	3,821	6,362	10,183
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सल्कारिता	141	3,702	3,843	109	4,252	4,361	4,455	4,176	8,631	966	4,155	5,121
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	100	164	263	150	225	375	150	225	375	100	324	424
2. ग्रामीण विकास	109,302	56,008	165,311	139,558	71,617	211,176	179,745	73,876	253,621	182,594	79,803	262,396
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	7,391	48,802	56,193	6,810	47,519	54,330	6,810	68,293	75,104	9,600	109,629	119,229
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	26,196	26,196	—	22,751	22,751	—	31,981	31,981	—	49,444	49,444
ii) लघु सिंचाई	3,712	12,368	16,080	4,800	16,105	20,905	4,800	24,610	29,410	1,100	31,935	33,035
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	44	7,376	7,420	10	8,063	8,073	10	11,102	11,112	500	28,250	28,750
5. ऊर्जा	628	72,000	72,628	400	72,100	72,500	400	72,100	72,500	620	72,025	72,645
जिसमें से: पावर												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	72,000	72,000	—	72,100	72,100	—	72,100	72,100	—	72,025	72,025
ii) उद्योग और खनिज (1 से iii)	20,615	2,682	23,297	36,478	3,308	39,786	41,007	3,449	44,456	27,321	4,523	31,844
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	4,911	1,234	6,145	8,072	1,442	9,514	8,650	1,566	10,216	3,174	1,334	4,508
ii) उद्योग @	15,704	1,448	17,152	28,406	1,865	30,271	32,357	1,883	34,240	24,147	3,189	27,336
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
बिहार

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	169	40,585	40,754	120	61,395	61,515	120	64,625	64,745	—	100,848	100,848
i) सड़क और पुल	54	40,314	40,368	—	61,183	61,183	—	64,363	64,363	—	100,554	100,554
ii) अन्य @	115	271	386	120	212	332	120	262	382	—	295	295
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	1,083	10,841	11,924	1,201	13,230	14,431	1,201	15,985	17,186	1,127	18,094	19,221
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	763	2,278	3,041	680	3,450	4,130	680	3,686	4,366	680	4,250	4,930
ii) पर्यटन	229	221	450	165	246	411	165	295	460	200	324	524
iii) नागरिक आपूर्ति	—	6,266	6,266	—	6,625	6,625	—	7,265	7,265	—	9,970	9,970
iv) अन्य +	91	2,076	2,167	356	2,909	3,265	356	4,740	5,096	247	3,551	3,798
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)												
क. राज्य के अंग	26,594	898,804	925,397	48,748	1,041,393	1,090,141	52,527	1,081,360	1,133,887	85,900	1,209,359	1,295,259
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	1,894	27,934	29,828	2,506	37,992	40,498	2,506	48,578	51,084	2,170	57,886	60,056
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,275	28,152	30,427	4,065	30,760	34,825	4,743	31,520	36,263	4,670	34,843	39,513
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	2,275	27,955	30,230	4,065	30,549	34,614	4,743	31,290	36,033	4,670	34,238	38,908
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	—	197	197	—	211	211	—	230	230	—	605	605
(1 + 2)	—	370,699	370,699	—	379,604	379,604	—	383,604	393,604	—	431,015	431,015
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	370,699	370,699	—	379,604	379,604	—	379,604	379,604	—	417,015	417,015
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	64,062	64,062	—	60,850	60,850	—	60,990	60,990	—	53,767	53,767
ii) अंतरिक ऋण पर ब्याज	—	247,522	247,522	—	255,488	255,488	—	255,348	255,348	—	289,228	289,228
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	85,488	85,488	—	83,474	83,474	—	86,483	86,483	—	112,939	112,939
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	—	142,261	142,261	—	151,901	151,901	—	145,490	145,490	—	150,406	150,406
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	57,964	57,964	—	62,764	62,764	—	62,764	62,764	—	73,525	73,525
iv) अन्य	—	1,150	1,150	—	501	501	—	501	501	—	495	495
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	22,635	183,124	215,759	42,177	249,201	291,377	45,278	263,816	309,095	79,060	307,394	386,454
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	70	6,074	6,143	2,859	6,777	9,636	3,375	7,723	11,098	1,234	8,558	9,792
ii) जिला प्रशासन	19,515	11,354	30,869	36,779	14,819	51,597	36,779	14,839	51,618	73,576	22,401	95,977
iii) पुलिस	284	130,646	130,930	250	173,391	173,641	1,140	178,919	180,059	250	213,605	213,855
iv) लोक निर्माण	—	19,939	19,939	—	22,112	22,112	—	28,046	28,046	—	26,468	26,468
v) अन्य ++	2,766	25,111	27,877	2,289	32,102	34,391	3,984	34,290	38,274	4,000	36,362	40,362
ङ. पेंशन	—	278,894	278,894	—	343,837	343,837	—	343,842	343,842	—	378,221	378,221
च. विविध सामान्य सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	501	501	—	412	412	—	412	412	—	412	412
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मुआवजा और सम्पुर्ण	—	501	501	—	412	412	—	412	412	—	412	412

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	357,561	726,424	1,083,985	576,473	811,389	1,387,862	673,353	899,565	1,572,919	806,673	1,002,432	1,809,104
I. विकास व्यय (क + ख)	352,640	373,115	725,755	569,772	393,020	962,792	669,864	461,334	1,130,998	801,088	518,395	1,319,483
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	227,434	184,301	411,735	404,562	233,194	637,756	488,592	241,035	729,627	598,748	287,420	886,168
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	102,925	78,085	181,010	135,621	96,082	231,703	175,622	100,767	276,388	226,420	121,725	348,145
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,589	18,663	32,253	33,155	28,532	61,687	30,883	26,349	57,232	37,325	33,078	70,403
3. परिवार कल्याण	7,284	6	7,290	8,033	15	8,048	8,160	15	8,175	7,550	15	7,565
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	31,350	6,358	37,708	39,106	7,154	46,260	43,098	7,610	50,708	32,621	9,717	42,338
5. आवास	2,497	3,162	5,659	4,823	3,658	8,481	5,766	3,919	9,685	2,876	4,045	6,921
6. शहरी विकास	19,032	1,171	20,203	43,428	2,148	45,576	59,131	2,200	61,331	46,471	2,266	48,738
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	12,403	50,342	62,745	12,492	55,424	67,916	14,935	59,315	74,250	14,545	73,853	88,398
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,022	2,605	3,627	3,863	3,217	7,081	2,760	2,939	5,699	3,548	3,733	7,281
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	21,890	17,391	39,281	102,820	16,837	119,657	127,023	17,051	144,074	192,847	17,667	210,514
10. पोषण	15,127	—	15,127	20,877	—	20,877	20,869	—	20,869	34,035	—	34,035
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	4,067	4,067	—	17,640	17,640	—	17,690	17,690	—	18,562	18,562
12. अन्य*	315	2,451	2,765	345	2,487	2,832	345	3,182	3,527	510	2,758	3,268
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	125,206	188,814	314,020	165,210	159,826	325,036	181,072	220,299	401,371	202,340	230,975	433,316
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	51,158	92,656	143,814	60,922	61,898	122,819	75,291	114,682	189,972	76,084	130,583	206,667
i) फसल उत्पादन	8,653	7,027	15,680	16,568	8,450	25,018	25,112	10,156	35,269	30,330	13,107	43,437
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	61	1,413	1,474	55	1,093	1,148	55	1,104	1,159	57	1,623	1,680
iii) पशुपालन	5,415	6,356	11,770	9,872	7,362	17,234	10,114	7,719	17,832	7,088	10,479	17,567
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	562	678	1,240	875	984	1,860	1,905	896	2,801	1,691	1,153	2,845
vi) वानिकी और वन्य जीवन	16,064	29,404	45,468	19,610	34,544	54,153	23,099	36,436	59,535	22,205	41,588	63,793
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	17,978	45,259	63,237	3,601	6,122	9,722	3,915	55,097	59,013	4,075	58,876	62,951
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	530	1,342	1,872	1,000	1,889	2,889	1,000	1,888	2,888	1,000	1,892	2,892
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सल्कारिता	777	1,158	1,935	9,341	1,454	10,795	9,949	1,385	11,334	9,638	1,864	11,502
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,120	18	1,138	—	—	—	141	—	141	—	—	—
ग्रामीण विकास	53,856	30,030	83,886	76,814	31,806	108,620	76,907	32,666	109,573	77,449	34,643	112,092
3. विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,747	10,135	14,882	3,809	8,590	12,398	4,563	9,820	14,383	5,332	12,559	17,891
जिल्हों से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1,891	8,839	10,730	—	7,307	7,307	568	8,537	9,105	1,101	11,275	12,376
ii) लघु सिंचाई	2,661	1,295	3,956	3,490	1,283	4,773	3,665	1,283	4,948	3,817	1,283	5,100
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ऊर्जा	4,234	12,901	17,135	6,605	11,960	18,565	5,355	11,960	17,315	21,180	160	21,340
जिल्हों से: पावर												
2,714	12,901	15,615	5,042	11,960	17,002	15,752	3,792	11,960	15,752	19,610	160	19,770
उद्योग और खनिज (1 से iii)	7,190	7,342	14,531	10,444	9,663	20,107	10,744	9,922	20,666	13,449	11,754	25,203
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,634	2,212	4,846	4,232	2,656	6,888	5,105	2,956	8,061	4,996	3,800	8,796
ii) उद्योग @	4,556	5,105	9,660	6,213	6,982	13,195	5,639	6,941	12,580	8,453	7,924	16,377
iii) अन्य**	—	25	25	—	25	25	—	25	25	—	30	30

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	1,326	34,733	36,059	2,772	34,464	37,236	3,934	39,914	43,848	4,651	39,571	44,222
i) सड़क और पुल	—	34,730	34,730	10	34,456	34,466	931	39,908	40,839	700	39,568	40,268
ii) अन्य @	1,326	3	1,329	2,762	8	2,770	3,003	6	3,009	3,951	3	3,954
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	650	72	722	713	100	813	813	100	913	731	75	806
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,045	946	2,991	3,131	1,346	4,477	3,465	1,235	4,700	3,465	1,630	5,095
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	4	305	309	1	444	445	212	426	638	79	563	642
ii) पर्यटन	2,000	—	2,000	3,100	—	3,100	3,100	—	3,100	3,233	—	3,233
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य +	41	641	682	30	903	933	153	809	962	153	1,067	1,220
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	2,822	301,136	303,958	6,701	378,434	385,135	3,689	388,386	392,076	5,585	436,541	442,126
क. राज्य के अंग	178	8,628	8,806	231	14,778	15,010	231	15,671	15,903	279	20,678	20,956
ख. राजकीय सेवाएँ (i से ii)	984	27,796	28,780	5,143	40,522	45,665	1,704	40,810	42,514	2,743	44,995	47,738
i) कर और शुल्क का संग्रह	984	27,762	28,746	5,143	40,461	45,604	1,704	40,742	42,446	2,743	44,922	47,665
ii) अन्य राजकीय सेवाएँ	—	34	34	—	61	61	—	68	68	—	73	73
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	124,017	124,017	—	125,382	125,382	—	119,361	119,361	—	117,902	117,902
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	10,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	114,017	114,017	—	115,382	115,382	—	109,361	109,361	—	107,902	107,902
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	17,374	17,374	—	16,155	16,155	—	17,160	17,160	—	14,834	14,834
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	71,034	71,034	—	75,445	75,445	—	71,099	71,099	—	72,015	72,015
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	21,253	21,253	—	19,703	19,703	—	19,541	19,541	—	17,178	17,178
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	—	45,405	45,405	—	47,117	47,117	—	47,318	47,318	—	46,559	46,559
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	12,193	12,193	—	14,527	14,527	—	12,193	12,193	—	12,193	12,193
iv) अन्य	—	13,416	13,416	—	9,255	9,255	—	8,910	8,910	—	8,859	8,859
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	1,660	72,240	73,900	1,327	111,762	113,089	1,754	125,615	127,369	2,563	159,663	161,226
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	20	2,589	2,609	42	3,757	3,799	165	3,528	3,693	171	4,326	4,497
ii) जिला प्रशासन	—	5,755	5,755	—	7,038	7,038	—	8,068	8,068	—	9,605	9,605
iii) पुलिस	1,228	47,866	49,094	1,250	59,248	60,498	1,385	67,119	68,504	2,376	82,841	85,217
iv) लोक निर्माण	409	8,125	8,534	—	10,592	10,592	—	14,869	14,869	—	12,390	12,390
v) अन्य ++	3	7,905	7,908	35	31,127	31,162	204	32,031	32,235	16	49,501	49,517
ङ. पेंशन	—	68,450	68,450	—	85,978	85,978	—	86,918	86,918	—	94,292	94,292
च. विविध सामान्य सेवाएँ	—	5	5	—	11	11	—	11	11	—	11	11
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	2,099	52,173	54,272	—	39,935	39,935	—	49,845	49,845	—	47,495	47,495
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मुआवजा और समुद्रेशन	2,099	52,173	54,272	—	39,935	39,935	—	49,845	49,845	—	47,495	47,495

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	56,712	221,064	277,776	72,642	255,747	328,388	69,417	302,868	372,285	85,577	362,937	448,514
I. विकास व्यय (क + ख)	56,091	137,997	194,058	71,447	146,884	218,330	68,134	185,588	253,722	80,215	200,195	280,411
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	37,549	55,494	93,043	46,879	61,941	108,820	45,026	85,156	130,182	54,347	90,422	144,768
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	8,466	31,563	40,028	10,894	33,885	44,779	12,714	48,191	60,905	12,594	53,286	65,879
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,811	10,692	14,503	4,598	11,609	16,207	6,611	16,992	23,603	6,541	17,445	23,986
3. परिवार कल्याण	368	—	368	355	—	355	472	—	472	604	—	604
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,317	9,069	11,386	2,838	10,962	13,800	2,858	13,262	16,120	4,052	12,857	16,909
5. आवास	—	513	513	—	488	488	—	517	517	—	744	744
6. शहरी विकास	4,211	548	4,759	11,165	1,093	12,258	5,008	1,208	6,216	11,550	1,119	12,669
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	255	45	300	443	20	463	443	22	465	1,583	26	1,609
8. श्रम और श्रम कल्याण	601	930	1,531	648	1,034	1,682	740	1,660	2,401	673	1,401	2,074
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15,892	1,589	17,481	14,448	2,215	16,663	14,066	2,938	17,004	14,668	3,192	17,859
10. पोषण	255	57	312	464	80	544	484	80	564	724	80	804
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	260	260	—	284	284	—	284	284	—	271	271
12. अन्य*	1,373	227	1,601	1,027	271	1,298	1,632	—	1,632	1,358	—	1,358
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	18,512	82,504	101,016	24,568	84,943	109,511	23,108	100,433	123,540	25,869	109,774	135,643
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	4,926	2,996	7,922	5,486	3,211	8,697	6,464	5,889	12,353	6,323	4,841	11,165
i) फसल उत्पादन	1,486	759	2,245	1,753	830	2,583	1,993	1,205	3,198	1,983	1,187	3,171
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	80	55	135	80	65	145	82	70	152	90	80	170
iii) पशुपालन	290	718	1,009	524	715	1,239	609	1,261	1,869	481	1,277	1,758
iv) डेरी विकास	598	9	607	730	13	743	778	15	792	723	17	740
v) मत्स्यपालन	1,322	237	1,559	1,278	265	1,542	1,464	418	1,882	1,506	380	1,886
vi) वानिकी और वन्य जीवन	968	768	1,736	797	800	1,597	1,166	1,139	2,304	1,082	1,109	2,190
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	2	74	76	7	99	106	7	1,201	1,208	4	131	135
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	28	59	88	49	76	125	49	77	126	75	93	168
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	151	271	422	269	294	563	317	439	756	379	486	865
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	46	46	—	54	54	—	64	65	—	82	82
2. ग्रामीण विकास	2,505	1,594	4,100	3,572	2,279	5,850	4,223	2,504	6,727	3,750	2,834	6,584
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	296	—	296	263	—	263	385	—	385	357	—	357
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,167	2,316	3,483	1,255	2,503	3,758	1,264	3,062	4,325	1,625	3,624	5,249
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	358	1,014	1,372	443	1,077	1,519	447	1,496	1,943	544	1,469	2,012
ii) लघु सिंचाई	218	1,173	1,391	279	1,262	1,541	280	1,394	1,674	418	1,825	2,243
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	321	94	415	202	125	327	202	125	327	310	274	584
ऊर्जा	1,396	61,994	63,390	1,563	63,868	65,431	1,805	73,537	75,342	2,263	81,034	83,297
जिसमें से: पावर	1,370	61,994	63,364	1,530	63,868	65,398	1,772	73,537	75,309	2,230	81,034	83,264
उद्योग और खनिज (1 से iii)	5,195	487	5,682	8,215	730	8,945	4,786	823	5,609	7,002	1,162	8,164
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	370	402	772	1,861	619	2,479	1,917	672	2,589	1,730	987	2,717
ii) उद्योग @	4,599	85	4,684	6,117	111	6,228	2,631	151	2,783	4,772	175	4,947
iii) अन्य**	225	—	225	237	—	237	237	—	237	500	—	500

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गोवा

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	547	11,841	12,388	1,103	10,910	12,013	1,047	12,726	13,772	1,177	14,184	15,361
i) सड़क और पुल	54	9,473	9,527	16	8,266	8,282	16	9,480	9,496	16	10,724	10,740
ii) अन्य @@	493	2,368	2,861	1,087	2,645	3,732	1,031	3,246	4,276	1,161	3,460	4,621
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	338	—	338	448	—	448	448	3	451	498	—	498
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	2,143	1,275	3,418	2,663	1,442	4,105	2,687	1,890	4,577	2,874	2,094	4,968
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	10	669	679	16	713	729	16	944	960	16	1,083	1,099
ii) पर्यटन	2,032	217	2,249	2,526	293	2,819	2,526	343	2,869	2,517	359	2,876
iii) नागरिक आपूर्ति	9	130	140	5	146	151	5	202	207	5	207	213
iv) अन्य +	91	259	350	116	290	407	140	401	542	336	445	781
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)												
क. राज्य के अंग	651	83,067	83,717	1,195	108,863	110,058	1,283	117,280	118,563	5,362	162,741	168,103
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	76	3,486	3,562	85	3,005	3,090	85	3,915	4,000	94	4,425	4,518
i) कर और शुल्क का संग्रह	270	1,460	1,730	660	1,726	2,386	469	2,326	2,795	356	2,418	2,774
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	267	1,460	1,728	660	1,717	2,377	460	2,326	2,786	346	2,418	2,764
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	3	—	3	—	9	9	9	—	9	10	—	10
(1 + 2)												
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	46,686	46,686	—	57,900	57,900	—	57,900	57,900	—	60,205	60,205
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	2,000	2,000	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000	—	3,000	3,000
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	44,686	44,686	—	54,900	54,900	—	54,900	54,900	—	57,205	57,205
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	1,977	1,977	—	4,188	4,188	—	4,188	4,188	—	3,349	3,349
जिसमें से:	—	35,736	35,736	—	43,499	43,499	—	43,499	43,499	—	45,265	45,265
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	9,220	9,220	—	15,557	15,557	—	15,557	15,557	—	17,047	17,047
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	—	25,227	25,227	—	26,000	26,000	—	26,000	26,000	—	25,900	25,900
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	5,241	5,241	—	5,935	5,935	—	5,935	5,935	—	6,719	6,719
iv) अन्य	—	1,732	1,732	—	1,278	1,278	—	1,278	1,278	—	1,872	1,872
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	302	17,178	17,480	440	19,021	19,461	718	25,616	26,334	588	28,218	28,786
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	—	1,156	1,156	—	1,134	1,134	—	1,606	1,606	—	1,517	1,517
ii) जिला प्रशासन	—	1,144	1,144	—	1,365	1,365	—	1,717	1,717	—	1,809	1,809
iii) पुलिस	—	8,971	8,971	—	9,959	9,959	—	13,476	13,476	—	14,962	14,962
iv) लोक निर्माण	106	3,552	3,658	318	3,574	3,891	350	5,269	5,619	196	5,813	6,008
v) अन्य ++	197	2,355	2,552	122	2,989	3,111	369	3,548	3,916	372	4,117	4,489
ड. फेंशन	—	14,006	14,006	—	26,875	26,875	—	26,875	26,875	—	66,674	66,674
च. विविध सामान्य सेवाएं	3	251	253	11	336	347	11	647	658	4,345	802	5,147
जिसमें से:												
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	15	15	—	31	31	—	148	148	—	42	42
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मुआवजा और सम्पुर्ण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	760,002	2,593,951	3,353,953	1,001,341	2,821,234	3,822,575	1,076,946	2,864,550	3,941,496	1,317,040	3,255,796	4,572,837
I. विकास व्यय (क + ख)	749,298	1,224,485	1,973,774	969,831	1,282,178	2,252,009	1,048,546	1,489,892	2,538,438	1,259,237	1,617,569	2,876,806
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	456,956	723,111	1,180,067	554,439	818,249	1,372,689	590,607	904,355	1,494,962	703,537	1,044,339	1,747,876
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	56,800	486,520	543,320	86,757	451,118	537,875	86,904	493,101	580,005	111,805	501,944	613,750
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	38,063	72,112	110,174	52,467	65,221	117,688	51,013	69,381	120,395	65,385	75,406	140,791
3. परिवार कल्याण	7,234	11,101	18,334	9,507	11,202	20,709	9,350	12,624	21,975	11,472	13,595	25,067
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	29,303	9,327	38,629	42,665	8,685	51,350	45,228	9,415	54,643	64,865	8,754	73,619
5. आवास	28,561	7,769	36,330	30,582	9,589	40,171	32,195	10,485	42,680	43,776	12,166	55,942
6. शहरी विकास	188,821	27,933	216,755	198,466	161,670	360,136	226,784	183,698	410,482	233,685	253,930	487,615
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	53,399	25,611	79,010	61,939	24,378	86,317	67,612	27,976	95,588	69,716	31,953	101,669
8. श्रम और श्रम कल्याण	7,671	11,888	19,559	11,549	14,263	25,812	9,515	14,262	23,777	10,526	14,992	25,518
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15,846	14,695	30,541	23,070	7,644	30,714	22,137	13,430	35,568	26,583	30,447	57,029
10. पोषण	29,145	21,033	50,178	34,251	26,286	60,537	36,797	30,659	67,456	61,690	58,325	120,015
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	29,440	29,440	—	32,713	32,713	—	33,390	33,390	—	36,044	36,044
12. अन्य*	2,113	5,682	7,795	3,186	5,480	8,667	3,071	5,933	9,004	4,034	6,782	10,817
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	292,333	501,374	793,707	415,391	463,929	879,321	457,939	585,536	1,043,476	555,700	573,230	1,128,930
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	78,057	69,855	147,911	98,836	66,651	165,487	124,206	68,325	192,531	146,725	72,510	219,235
i) फसल उत्पादन	37,993	17,048	55,041	39,818	19,592	59,410	55,332	18,438	73,770	78,491	21,317	99,808
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	19,197	809	20,006	24,150	975	25,125	30,872	1,061	31,933	24,150	1,565	25,715
iii) पशुपालन	5,577	6,925	12,502	8,958	6,488	15,446	8,839	6,913	15,752	10,314	8,183	18,497
iv) डेरी विकास	1,792	290	2,081	2,440	45	2,485	3,275	596	3,871	1,290	45	1,335
v) मत्स्यपालन	2,325	12,816	15,141	4,999	9,712	14,711	4,959	9,732	14,691	4,999	4,408	9,407
vi) वनिकी और वन्य जीवन	4,468	15,002	19,470	5,230	14,087	19,317	5,585	14,763	20,349	5,238	18,006	23,243
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	735	1,634	2,369	907	1,595	2,501	906	1,667	2,573	1,934	2,170	4,103
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,524	11,118	14,642	9,801	10,128	19,929	9,409	11,110	20,519	11,807	11,699	23,505
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	2,219	4,039	6,258	2,010	3,870	5,880	4,506	3,887	8,393	6,683	4,927	11,610
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	228	173	401	523	160	683	523	159	682	1,820	190	2,010
ग्रामीण विकास	89,632	20,862	110,493	109,984	21,653	131,637	110,184	20,653	130,836	128,849	26,304	155,153
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	640	2,565	3,204	722	2,458	3,179	722	2,845	3,567	797	2,684	3,482
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	26,331	36,267	62,598	32,994	33,243	66,238	37,594	38,910	76,504	42,730	37,220	79,950
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	841	30,158	30,999	6,035	27,633	33,668	1,498	32,513	34,011	5,610	31,386	36,996
ii) लघु सिंचाई	24,127	5,739	29,866	22,013	5,234	27,246	31,342	5,536	36,879	27,653	5,430	33,084
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	562	364	926	3,475	379	3,854	3,596	859	4,455	8,281	404	8,685
ऊर्जा	16,170	223,328	239,498	27,895	215,329	243,224	40,493	305,227	345,720	51,585	267,046	318,631
उद्योग और खनिज (1 से iii)	16,094	223,328	239,422	27,695	215,329	243,024	40,293	305,227	345,520	50,820	267,046	317,866
उद्योग और खनिज (1 से iii)	29,517	6,504	36,021	68,430	5,533	73,962	57,915	5,664	63,579	70,642	6,784	77,426
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	15,957	3,232	19,189	29,308	2,679	31,987	23,506	2,757	26,263	31,351	3,429	34,780
ii) उद्योग @	13,561	3,265	16,825	39,122	2,846	41,968	34,410	2,896	37,305	39,290	3,346	42,636
iii) अन्य**	—	7	7	—	8	8	—	11	11	—	9	9

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	34,759	120,745	155,504	56,901	98,644	155,545	67,652	122,656	190,307	87,491	135,821	223,312
i) सड़क और पुल	34,759	84,392	119,151	56,901	78,511	135,412	67,652	86,350	154,002	87,491	95,543	183,033
ii) अन्य @@	-	36,353	36,353	-	20,133	20,133	-	36,306	36,306	-	40,279	40,279
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,814	144	2,958	1,811	80	1,891	1,817	130	1,947	2,651	80	2,731
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	14,414	21,105	35,519	17,818	20,338	38,156	17,357	21,128	38,484	24,230	24,779	49,009
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1,418	3,574	4,993	2,467	3,395	5,863	1,866	3,713	5,579	3,330	4,263	7,593
ii) पर्यटन	10,463	13	10,476	10,437	15	10,452	10,437	11	10,448	14,783	16	14,798
iii) नागरिक आपूर्ति	630	15,491	16,121	2,942	15,121	18,063	3,143	15,458	18,601	5,600	18,242	23,842
iv) अन्य +	1,902	2,027	3,930	1,972	1,806	3,779	1,911	1,945	3,856	517	2,258	2,775
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	10,713	1,354,733	1,365,446	31,510	1,528,934	1,560,444	28,400	1,357,717	1,386,116	57,804	1,629,158	1,686,962
क. राज्य के अंग	6	31,983	31,989	1,268	22,200	23,467	1,312	27,357	28,669	3,425	45,843	49,269
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	485	23,854	24,339	3,419	21,161	24,580	3,382	23,119	26,501	7,638	27,873	35,511
i) कर और शुल्क का संग्रह	485	23,617	24,103	3,419	20,992	24,411	3,382	22,972	26,354	7,638	27,604	35,242
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	-	236	236	-	169	169	-	147	147	-	269	269
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकोती (1 + 2)	-	838,445	838,445	-	865,937	865,937	-	836,123	836,123	-	899,571	899,571
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	90,000	90,000	-	50,000	50,000	-	45,000	45,000	-	50,000	50,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	748,445	748,445	-	815,937	815,937	-	791,123	791,123	-	849,571	849,571
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	87,353	87,353	-	85,699	85,699	-	84,890	84,890	-	82,350	82,350
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	580,669	580,669	-	652,741	652,741	-	623,423	623,423	-	684,073	684,073
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	118,963	118,963	-	173,209	173,209	-	162,185	162,185	-	228,013	228,013
(ख) परस्परस्पर्क पर ब्याज	-	440,225	440,225	-	451,676	451,676	-	435,676	435,676	-	428,198	428,198
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	35,725	35,725	-	38,703	38,703	-	40,498	40,498	-	42,042	42,042
iv) अन्य	-	44,698	44,698	-	38,794	38,794	-	42,312	42,312	-	41,106	41,106
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	10,222	152,099	162,322	26,823	144,590	171,413	23,706	162,205	185,910	46,740	177,273	224,013
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	4,872	5,007	9,879	5,428	5,019	10,446	3,762	6,455	10,216	15,569	6,382	21,951
ii) जिला प्रशासन	918	9,917	10,835	1,231	9,198	10,428	1,190	12,506	13,696	4,405	11,960	16,365
iii) पुलिस	2,766	103,354	106,120	12,017	97,327	109,345	12,652	104,024	116,675	22,901	118,638	141,539
iv) लोक निर्माण	150	15,735	15,885	351	15,836	16,187	351	21,156	21,507	627	21,112	21,739
v) अन्य ++	1,515	18,087	19,603	7,797	17,210	25,007	5,752	18,065	23,816	3,239	19,180	22,419
ङ. पेंशन	-	297,938	297,938	-	304,880	304,880	-	300,241	300,241	-	322,298	322,298
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	10,414	10,414	-	170,166	170,166	-	8,672	8,672	-	156,301	156,301
जिसमें से:												
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	14,733	14,733	-	10,121	10,121	-	16,942	16,942	-	9,069	9,069
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और समुद्देशन	-	14,733	14,733	-	10,121	10,121	-	16,942	16,942	-	9,069	9,069

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	317,551	1,435,136	1,752,687	413,655	1,614,429	2,028,084	449,514	1,722,005	2,171,519	562,012	2,020,094	2,582,106
I. विकास व्यय (क + ख)	313,398	882,667	1,196,055	408,865	882,628	1,291,493	443,514	1,089,878	1,533,391	554,235	1,231,305	1,785,540
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	221,213	362,654	573,867	272,671	371,968	644,539	285,031	471,677	756,708	374,649	603,675	978,325
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	74,256	201,088	275,344	102,930	230,016	332,946	103,267	298,163	401,430	133,428	401,623	535,051
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,641	37,207	46,848	16,349	40,224	56,573	19,736	51,287	71,023	24,306	67,140	91,446
3. परिवार कल्याण	6,041	—	6,041	6,867	—	6,867	6,867	—	6,867	7,864	—	7,864
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	705	54,240	54,945	1,760	43,834	45,594	1,960	55,151	57,111	1,870	66,452	68,322
5. आवास	—	1,414	1,414	—	1,365	1,365	—	1,546	1,546	—	1,825	1,825
6. शहरी विकास	30,332	6,757	37,089	29,163	10,835	39,998	38,503	14,723	53,226	78,438	12,751	91,189
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,204	3,031	14,234	17,036	3,159	20,194	13,097	3,176	16,273	13,810	2,686	16,496
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,887	8,657	10,544	3,097	9,178	12,274	3,627	12,330	15,957	4,816	11,865	16,680
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	71,435	11,326	82,761	78,319	11,354	89,673	80,040	12,156	92,196	88,818	13,365	102,183
10. पोषण	14,189	48	14,236	14,650	51	14,701	15,435	71	15,506	18,750	92	18,842
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	26,443	26,443	—	19,436	19,436	—	19,452	19,452	—	20,187	20,187
12. अन्य*	1,524	2,443	3,967	2,500	2,417	4,917	2,500	3,620	6,120	2,550	5,689	8,239
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	92,175	530,013	622,188	136,194	510,760	646,955	158,483	618,201	776,684	179,586	627,630	807,216
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	24,331	83,172	107,503	40,596	45,705	86,301	42,853	57,467	100,320	43,931	72,901	116,832
i) फसल उत्पादन	7,747	7,894	15,641	10,526	8,259	18,785	17,805	11,031	28,836	19,177	14,282	33,459
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	431	1,930	2,361	1,030	1,960	2,990	1,030	2,671	3,701	1,320	3,469	4,789
iii) पशुपालन	2,367	13,836	16,202	10,706	13,716	24,422	5,873	19,307	25,180	7,363	25,120	32,483
iv) डेरी विकास	202	79	280	200	88	288	189	112	301	200	146	346
v) मत्स्यपालन	591	858	1,449	1,207	845	2,052	956	1,237	2,193	1,193	1,551	2,744
vi) वानिकी और वन्य जीवन	10,097	4,998	15,095	11,600	5,230	16,830	11,600	6,532	18,132	10,070	8,217	18,287
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	543	543	—	1,262	1,262	—	1,223	1,223	—	1,058	1,058
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,007	10,830	12,837	3,423	10,619	14,042	3,412	10,746	14,157	3,418	14,261	17,678
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	889	42,109	42,998	1,905	3,619	5,524	1,989	4,469	6,457	1,190	4,615	5,805
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	96	96	—	108	108	—	139	139	—	182	182
2. ग्रामीण विकास	38,947	19,575	58,522	42,621	20,536	63,157	62,021	35,897	97,918	61,047	32,463	93,510
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	13,891	56,867	70,759	22,557	62,365	84,922	26,226	92,107	118,333	26,872	87,594	114,466
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	6,905	56,433	63,338	12,700	61,141	73,841	17,400	91,519	108,919	17,300	86,742	104,042
ii) लघु सिंचाई	—	434	434	—	1,224	1,224	—	588	588	—	852	852
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	431	256,640	257,072	1,118	266,200	267,318	1,304	300,598	301,902	781	277,843	278,624
जिसमें से: पावर	—	256,227	256,227	643	265,768	266,411	643	300,160	300,803	—	277,397	277,397
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	4,065	2,667	6,732	6,230	2,609	8,839	4,984	3,315	8,298	5,276	4,044	9,320
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	3,339	405	3,745	4,191	339	4,530	3,000	422	3,422	3,119	505	3,625
ii) उद्योग @	726	2,262	2,988	2,039	2,270	4,309	1,984	2,892	4,876	2,157	3,539	5,695
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)												
i) सड़क और पुल	6,228	109,180	115,408	12,200	111,291	123,491	10,200	126,014	136,214	10,600	149,293	159,893
ii) अन्य @	6,028	36,057	42,085	12,000	32,994	44,994	10,000	40,623	50,623	10,000	44,187	54,187
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	200	73,123	73,323	200	78,297	78,497	200	85,391	85,591	600	105,106	105,706
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	605	161	765	560	166	726	762	191	953	3,315	220	3,535
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,676	1,751	5,427	10,313	1,889	12,201	10,133	2,613	12,746	27,764	3,271	31,035
ii) पर्यटन	3,649	786	4,435	10,296	809	11,105	10,096	1,138	11,234	27,746	1,428	29,174
iii) नागरिक आपूर्ति	-	108	108	-	188	188	-	215	215	-	241	241
iv) अन्य +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ)	27	857	884	17	892	908	37	1,260	1,297	18	1,602	1,620
क. राज्य के अंग												
ख. राजकीय सेवाएँ (i से ii)	4,163	518,805	522,968	4,790	712,474	717,264	6,000	610,267	616,268	7,777	779,783	787,560
i) कर और शुल्क का संग्रह	138	16,206	16,338	210	16,206	16,416	115	23,653	23,768	192	27,958	28,150
ii) अन्य राजकीय सेवाएँ	25	14,476	14,501	49	15,062	15,111	69	19,997	20,066	66	24,434	24,501
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	25	14,351	14,376	49	14,764	14,813	69	19,778	19,847	66	24,278	24,345
(1 + 2)	-	125	125	-	298	298	-	219	219	-	156	156
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	239,574	239,574	-	258,349	258,349	-	240,179	240,179	-	307,557	307,557
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	4,997	4,997	-	4,744	4,744	-	4,743	4,743	-	7,453	7,453
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	234,577	234,577	-	253,605	253,605	-	235,436	235,436	-	300,104	300,104
ii) अंतरिक ऋण पर ब्याज	-	16,698	16,698	-	16,281	16,281	-	16,409	16,409	-	15,849	15,849
जिसमें से:	-	168,972	168,972	-	182,955	182,955	-	166,027	166,027	-	228,554	228,554
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	39,367	39,367	-	47,559	47,559	-	37,174	37,174	-	85,270	85,270
(ख) परस्परपरफू पर ब्याज	-	105,404	105,404	-	103,829	103,829	-	103,829	103,829	-	103,592	103,592
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	45,869	45,869	-	51,070	51,070	-	49,718	49,718	-	52,410	52,410
iv) अन्य	-	3,038	3,038	-	3,299	3,299	-	3,282	3,282	-	3,292	3,292
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	4,000	118,646	122,646	4,531	122,266	126,797	5,817	157,325	163,142	7,519	200,771	208,291
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	-	4,610	4,610	-	4,484	4,484	-	6,774	6,774	-	7,717	7,717
ii) जिला प्रशासन	-	6,280	6,280	-	6,354	6,354	-	8,878	8,878	-	11,220	11,220
iii) पुलिस	-	77,368	77,368	-	81,657	81,657	-	105,052	105,052	-	139,851	139,851
iv) लोक निर्माण	3,932	18,025	21,956	4,330	17,340	21,670	5,616	19,637	25,253	7,308	22,162	29,470
v) अन्य ++	68	12,364	12,432	201	12,431	12,632	201	16,984	17,185	211	19,821	20,032
ङ. फेंशन	-	129,751	129,751	-	180,000	180,000	-	169,000	169,000	-	219,000	219,000
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	158	158	-	120,592	120,592	-	112	112	-	62	62
जिसमें से:												
राज्य लैटरी के कारण भुगतान	-	19	19	-	18	18	-	53	53	-	16	16
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	33,665	33,665	-	19,326	19,326	-	21,860	21,860	-	9,005	9,005
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	33,665	33,665	-	19,326	19,326	-	21,860	21,860	-	9,005	9,005
मुआवजा और समनुदेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	120,217	708,959	829,176	77,939	854,841	932,780	90,514	881,498	972,012	101,122	921,054	1,022,176
I. विकास व्यय (क + ख)	117,896	368,027	485,923	74,838	465,551	540,388	87,495	481,748	569,243	98,046	493,082	591,129
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	72,838	214,717	287,554	36,542	300,213	336,755	46,333	308,650	354,983	41,341	317,302	358,643
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14,003	134,411	148,415	8,108	183,589	191,697	12,028	184,034	196,062	8,240	198,149	206,389
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	19,049	20,238	39,287	2,822	40,623	43,445	2,564	41,443	44,008	3,913	44,017	47,930
3. परिवार कल्याण	4,217	266	4,483	189	4,603	4,792	1,393	4,633	6,026	1,309	5,047	6,357
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	12,320	34,173	46,493	2,905	39,335	42,240	3,646	39,355	43,001	194	39,738	39,932
5. आवास	1,822	629	2,450	1,832	354	2,186	1,764	435	2,199	2,461	435	2,896
6. शहरी विकास	2,830	3,982	6,812	1,514	4,914	6,429	2,719	5,112	7,831	1,510	4,954	6,464
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,876	601	3,478	5,178	764	5,941	5,228	764	5,992	5,429	826	6,255
8. श्रम और श्रम कल्याण	447	1,894	2,341	169	2,622	2,791	1,262	2,693	3,955	150	2,835	2,984
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12,646	3,304	15,950	10,701	10,411	21,111	11,668	10,826	22,494	14,561	9,945	24,506
10. पोषण	1,956	431	2,387	2,260	40	2,300	3,636	40	3,676	3,040	40	3,080
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	13,187	13,187	—	10,987	10,987	—	17,170	17,170	—	9,198	9,198
12. अन्य*	672	1,599	2,271	864	1,971	2,835	425	2,145	2,570	534	2,118	2,652
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	45,058	153,310	198,368	38,296	165,338	203,634	41,162	173,098	214,260	56,706	175,780	232,486
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	24,413	38,732	63,145	23,536	47,292	70,828	26,520	53,949	80,469	26,078	51,250	77,327
i) फसल उत्पादन	4,759	6,990	11,749	3,176	8,317	11,494	4,715	9,143	13,858	3,566	9,057	12,623
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,666	1,501	4,167	1,492	1,867	3,359	2,855	1,876	4,731	2,105	2,026	4,130
iii) पशुपालन	1,909	7,616	9,524	1,091	9,312	10,404	1,182	9,338	10,520	1,055	10,114	11,169
iv) डेरी विकास	84	963	1,047	50	934	984	52	934	987	50	937	987
v) मत्स्यपालन	146	492	638	165	622	787	232	631	863	123	675	798
vi) वानिकी और वन्य जीवन	10,076	11,974	22,050	10,943	14,941	25,884	10,845	15,803	26,647	11,228	16,965	28,193
vii) बागान	7	58	65	11	64	75	11	64	75	14	70	84
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	30	6,526	6,556	34	9,575	9,609	51	14,280	14,331	32	9,598	9,630
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	4,585	1,318	5,903	6,505	—	6,505	6,505	200	6,705	7,825	—	7,825
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	150	1,295	1,445	68	1,658	1,726	72	1,679	1,751	80	1,808	1,888
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	7,618	10,883	18,501	9,898	15,746	25,644	9,672	16,052	25,724	12,211	16,332	28,543
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,663	16,999	18,662	339	17,803	18,142	886	17,812	18,698	372	18,419	18,791
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	734	734	—	726	726	—	725	725	—	769	769
ii) लघु सिंचाई	1,628	16,239	17,866	299	17,055	17,354	846	17,064	17,911	352	17,627	17,979
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	35	26	61	—	22	22	—	22	22	—	22	22
ऊर्जा	344	17,131	17,475	549	14,274	14,823	345	14,274	14,619	195	14,291	14,486
जिसमें से: पावर	225	16,964	17,189	355	14,100	14,455	200	14,100	14,300	50	14,100	14,150
उद्योग और खनिज (1 से iii)	2,621	2,305	4,926	3,097	2,088	5,185	2,856	2,603	5,459	2,256	2,263	4,519
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,546	1,401	3,947	2,996	1,402	4,398	2,755	1,911	4,666	2,146	1,514	3,660
ii) उद्योग @	75	904	979	101	686	787	101	692	793	110	749	859
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	819	65,118	65,937	215	64,807	65,022	210	65,033	65,243	14,700	69,615	84,315
i) सड़क और पुल	788	60,212	61,000	200	59,050	59,250	200	59,267	59,467	14,700	62,742	77,442
ii) अन्य @	31	4,906	4,937	15	5,757	5,772	10	5,766	5,776	—	6,873	6,873
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	184	40	224	—	200	200	—	230	230	—	204	204
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	7,396	2,102	9,498	662	3,129	3,790	673	3,145	3,818	894	3,407	4,301
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	7,048	688	7,736	150	1,301	1,451	150	1,261	1,411	350	1,411	1,761
ii) पर्यटन	338	200	538	510	214	724	521	263	784	543	232	775
iii) नागरिक आपूर्ति	—	669	669	—	873	873	—	876	876	—	954	954
iv) अन्य +	10	545	555	2	740	742	2	745	747	1	810	811
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	2,322	340,617	342,938	3,102	388,943	392,045	3,019	399,353	402,372	3,076	427,624	430,700
क. राज्य के अंग	151	8,321	8,472	—	8,642	8,642	—	9,907	9,907	—	9,372	9,372
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	156	9,782	9,938	505	11,397	11,902	970	12,383	13,353	527	12,464	12,991
i) कर और शुल्क का संग्रह	156	9,690	9,846	505	11,292	11,796	970	12,278	13,248	527	12,354	12,881
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	—	92	92	—	105	105	—	105	105	—	110	110
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	170,272	170,272	—	182,910	182,910	—	188,306	188,306	—	204,860	204,860
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	170,272	170,272	—	182,910	182,910	—	188,306	188,306	—	204,860	204,860
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	7,718	7,718	—	7,359	7,359	—	7,359	7,359	—	7,359	7,359
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	134,863	134,863	—	140,669	140,669	—	140,669	140,669	—	161,401	161,401
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	37,375	37,375	—	45,728	45,728	—	45,728	45,728	—	69,115	69,115
(ख) परस्परपरफू पर ब्याज	—	36,270	36,270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	27,689	27,689	—	34,882	34,882	—	40,278	40,278	—	36,100	36,100
iv) अन्य	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	2,015	56,388	58,403	2,597	64,436	67,033	2,049	66,899	68,948	2,549	70,132	72,681
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	—	3,154	3,154	—	3,526	3,526	—	3,790	3,790	—	3,829	3,829
ii) जिला प्रशासन	1,885	5,421	7,306	2,551	6,363	8,914	2,003	6,430	8,433	2,204	6,941	9,145
iii) पुलिस	—	24,935	24,935	—	29,523	29,523	—	30,998	30,998	—	32,136	32,136
iv) लोक निर्माण	17	13,855	13,872	21	15,702	15,723	21	16,009	16,030	20	17,230	17,250
v) अन्य ++	113	9,023	9,135	25	9,322	9,347	25	9,672	9,697	325	9,996	10,321
ङ. पेंशन	—	94,932	94,932	—	120,612	120,612	—	120,612	120,612	—	129,850	129,850
च. विविध सामान्य सेवाएं जिसमें से:	—	921	921	—	946	946	—	1,245	1,245	—	946	946
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	—	315	315	—	347	347	—	397	397	—	347	347
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और सम्पुर्देशन	—	315	315	—	347	347	—	397	397	—	347	347

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	चोजना	चोजनेतर	कुल	चोजना	चोजनेतर	कुल	चोजना	चोजनेतर	कुल	चोजना	चोजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	53,886	1,114,618	1,168,504	72,742	1,119,978	1,192,719	44,822	1,199,864	1,244,686	70,321	1,402,258	1,472,579
I. विकास व्यय (क + ख)	53,852	587,684	641,335	72,429	624,735	697,163	44,596	685,468	710,064	70,149	783,377	853,526
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	42,682	256,913	299,595	56,025	270,779	326,804	33,586	294,224	327,810	54,728	368,199	422,927
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	23,230	115,115	138,345	33,251	121,012	154,263	15,688	139,154	154,842	31,466	182,206	213,672
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,650	59,565	61,215	2,887	67,933	70,820	1,631	64,153	65,785	4,086	78,521	82,608
3. परिवार कल्याण	570	739	1,309	580	759	1,339	580	794	1,374	210	1,495	1,705
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	300	40,803	41,103	300	41,762	42,062	1,878	42,954	44,832	1,500	49,946	51,446
5. आवास	—	3,275	3,275	—	3,339	3,339	—	3,449	3,449	—	3,781	3,781
6. शहरी विकास	2,042	15,873	17,915	2,435	15,367	17,802	189	20,040	20,229	215	21,017	21,232
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,607	472	2,080	1,844	456	2,299	1,594	659	2,253	4,451	860	5,311
8. श्रम और श्रम कल्याण	343	757	1,100	567	867	1,434	122	1,125	1,247	250	1,455	1,705
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,077	6,901	17,978	12,133	6,709	18,842	11,754	7,968	19,722	12,385	9,389	21,774
10. पोषण	1,641	157	1,798	1,798	174	1,972	—	1,404	1,404	—	1,527	1,527
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	10,535	10,535	—	9,467	9,467	—	9,464	9,464	—	14,484	14,484
12. अन्य*	222	2,721	2,943	230	2,934	3,164	150	3,061	3,211	165	3,517	3,682
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	10,969	330,771	341,740	16,404	353,956	370,360	11,010	371,244	382,254	15,420	415,178	430,598
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	816	66,571	67,387	1,298	71,554	72,852	953	71,075	72,029	1,185	92,680	93,865
i) फसल उत्पादन	612	13,604	14,216	670	14,372	15,042	670	13,633	14,303	960	18,807	19,767
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	2,690	2,690	200	3,134	3,334	12	3,582	3,594	—	4,186	4,186
iii) पशुपालन	70	15,449	15,519	272	16,979	17,251	195	19,975	20,169	90	22,142	22,232
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	12	2,152	2,164	12	2,303	2,315	12	2,292	2,304	5	2,937	2,942
vi) वानिकी और वन्य जीवन	60	22,938	22,998	60	24,886	24,946	60	22,954	23,014	70	32,563	32,633
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	62	—	62	68	—	68	—	64	64	—	81	81
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	7,088	7,088	17	6,984	7,001	5	5,966	5,971	10	8,394	8,404
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	—	1,621	1,621	—	1,834	1,834	—	1,510	1,510	50	2,237	2,287
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	1,028	1,028	—	1,063	1,063	—	1,100	1,100	—	1,332	1,332
2. ग्रामीण विकास	4,741	8,610	13,351	5,688	9,229	14,916	1,075	14,399	15,474	1,038	20,019	21,058
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	1,171	1,171	—	1,303	1,303	—	1,146	1,146	—	1,425	1,425
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	30	23,552	23,582	30	24,108	24,138	30	24,713	24,743	40	30,231	30,271
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	20	4,687	4,707	20	4,811	4,831	20	4,915	4,935	—	5,630	5,630
ii) लघु सिंचाई	—	13,876	13,876	—	14,449	14,449	—	14,826	14,826	30	18,233	18,263
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	3,754	3,754	—	3,534	3,534	—	3,790	3,790	—	4,763	4,763
ऊर्जा	—	206,403	206,403	—	221,245	221,245	—	232,908	232,908	5	238,061	238,066
जिसमें से: पावर	—	206,403	206,403	—	221,245	221,245	—	232,908	232,908	5	238,061	238,066
उद्योग और खनिज (1 से iii)	84	12,772	12,856	93	14,401	14,494	93	14,417	14,510	160	18,203	18,363
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	84	11,395	11,479	93	12,611	12,704	93	12,965	13,058	160	15,930	16,090
ii) उद्योग @	—	1,377	1,377	—	1,790	1,790	—	1,451	1,451	—	2,273	2,273
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	-	4,344	4,344	-	4,349	4,349	-	4,337	4,337	-	4,735	4,735
i) सड़क और पुल	-	4,344	4,344	-	4,349	4,349	-	4,337	4,337	-	4,735	4,735
ii) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	887	887	10	982	992	10	1,014	1,024	-	1,301	1,301
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	5,298	6,461	11,759	9,285	6,785	16,070	8,849	7,234	16,083	12,992	8,523	21,515
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,659	1,913	4,572	3,000	1,999	4,999	2,601	2,031	4,632	5,105	2,519	7,624
ii) पर्यटन	459	3,331	3,790	565	3,513	4,078	528	3,862	4,390	601	4,458	5,059
iii) नागरिक आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य +	2,180	1,217	3,398	5,720	1,272	6,992	5,720	1,341	7,061	7,286	1,545	8,831
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	234	526,935	527,169	313	495,243	495,556	226	534,396	534,822	172	618,881	619,054
क. राज्य के अंग	-	9,109	9,109	-	12,577	12,577	-	16,915	16,915	-	15,706	15,706
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	-	8,406	8,406	-	9,333	9,333	-	13,419	13,419	-	11,944	11,944
i) कर और शुल्क का संग्रह	-	8,299	8,299	-	9,279	9,279	-	13,347	13,347	-	11,865	11,865
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	108	108	-	54	54	-	72	72	-	79	79
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	203,236	203,236	-	160,055	160,055	-	160,055	160,055	-	172,740	172,740
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	203,136	203,136	-	159,955	159,955	-	159,955	159,955	-	172,640	172,640
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	18,990	18,990	-	14,088	14,088	-	14,088	14,088	-	19,054	19,054
ii) अतिरिक्त ऋण पर ब्याज	-	100,962	100,962	-	62,312	62,312	-	62,312	62,312	-	48,792	48,792
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	22,500	22,500	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	13,500	13,500
(ख) परस्परस्पर्ध पर ब्याज	-	66,841	66,841	-	30,075	30,075	-	30,075	30,075	-	20,500	20,500
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	37,723	37,723	-	41,677	41,677	-	41,677	41,677	-	41,292	41,292
iv) अन्य	-	45,461	45,461	-	41,878	41,878	-	41,878	41,878	-	63,502	63,502
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	234	201,176	201,410	313	218,270	218,583	226	229,303	229,529	172	277,287	277,459
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	128	2,661	2,789	201	3,084	3,285	201	3,141	3,341	100	4,060	4,160
ii) जिला प्रशासन	-	3,644	3,644	-	3,985	3,985	-	3,843	3,843	-	5,001	5,001
iii) पुलिस	-	154,145	154,145	-	148,352	148,352	-	179,325	179,325	-	191,857	191,857
iv) लोक निर्माण	-	18,639	18,639	-	20,242	20,242	-	20,431	20,431	-	27,641	27,641
v) अन्य ++	106	22,087	22,193	112	42,608	42,720	26	22,563	22,589	72	48,729	48,801
ङ. फेंशन	-	105,004	105,004	-	95,004	95,004	-	114,700	114,700	-	141,200	141,200
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	5	5
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और सम्पुर्देशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	चोजना	चोजनेतर	कुल	चोजना	चोजनेतर	कुल	चोजना	चोजनेतर	कुल	चोजना	चोजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)												
I. विकास व्यय (क + ख)												
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)												
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	452,090	857,478	1,309,568	521,444	836,741	1,358,186	536,147	1,011,774	1,547,921	565,229	1,256,065	1,821,295
2. स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य	418,419	405,828	824,247	486,603	395,449	882,052	510,980	478,797	989,778	539,444	576,529	1,115,973
3. परिवार कल्याण	210,304	291,868	502,172	259,560	296,886	556,446	285,815	360,307	646,122	320,663	410,824	731,486
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	53,641	195,524	249,165	109,063	180,779	289,842	120,635	219,631	340,266	116,029	268,065	384,094
5. आवास	354	50,342	50,696	10,073	42,844	52,917	14,073	48,843	62,916	23,925	63,826	87,752
6. शहरी विकास	17,405	1,380	18,784	15,271	1,446	16,717	15,271	1,501	16,772	16,440	1,787	18,227
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,300	12,020	15,320	2,300	13,792	16,092	2,300	15,442	17,742	1,325	19,291	20,616
8. श्रम और श्रम कल्याण	180	10,581	10,761	730	10,208	10,938	2,480	10,208	12,688	7,000	1,308	8,308
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,000	1,647	2,647	1,266	555	1,821	1,266	566	1,832	495	10,052	10,547
10. पोषण	16,808	17,825	34,633	21,218	18,388	39,606	30,192	19,315	49,506	37,627	9,017	46,644
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	3,640	2,722	6,362	18,515	2,952	21,467	18,515	3,772	22,287	14,335	6,961	21,296
12. अन्य*	47,338	16,419	63,757	60,064	15,286	75,350	60,024	15,553	75,577	69,437	2,479	71,916
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)												
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	17,172	-	17,172	20,060	-	20,060	20,060	-	20,060	32,015	-	32,015
i) फसल उत्पादन	49,107	-20,269	28,839	-	7,161	7,161	-	20,916	20,916	-	23,251	23,251
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	360	3,677	4,037	1,000	3,475	4,475	1,000	4,561	5,561	2,035	4,787	6,822
iii) पशुपालन	208,115	113,959	322,074	227,044	98,563	325,607	225,165	118,491	343,656	218,781	165,706	384,487
iv) डेरी विकास	64,959	18,764	83,723	88,001	21,472	109,474	88,967	26,855	115,822	58,432	35,187	93,619
v) मत्स्यपालन	21,203	2,686	23,889	53,187	3,239	56,426	54,406	4,049	58,455	24,642	5,360	30,002
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,300	910	2,210	550	912	1,462	550	1,137	1,687	1,018	1,536	2,554
vii) बागान	3,692	4,429	8,121	3,306	4,469	7,774	3,306	5,607	8,913	2,891	7,653	10,544
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	6,389	456	6,845	5,100	438	5,538	5,100	529	5,629	6,087	677	6,764
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,444	380	1,825	1,864	402	2,266	1,864	489	2,353	2,088	630	2,718
x) कृषि वित्त संस्थाएं	12,075	7,973	20,048	11,855	7,979	19,834	13,059	10,577	23,636	12,847	13,675	26,522
xi) सल्कारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	5,159	11	5,170	3,100	2,204	5,304	2,912	2,217	5,129	2,350	2,673	5,023
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>जिल्हों से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	-	14,273	14,273	-	14,732	14,732	-	18,473	18,473	-	25,185	25,185
ii) लघु सिंचाई	40	3,556	3,596	-	4,345	4,345	-	5,116	5,116	-	6,271	6,271
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. उद्योग और खनिज (1 से iii)	39,500	29,815	69,315	35,145	8,130	43,275	21,145	8,130	29,275	45,845	30,135	75,980
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	35,500	29,815	65,315	31,645	8,130	39,775	17,645	8,130	25,775	42,345	30,135	72,480
ii) उद्योग @	15,882	2,686	18,568	20,111	2,742	22,853	14,042	3,367	17,409	13,040	4,517	17,556
iii) अन्य**	6,323	1,226	7,549	7,238	1,282	8,519	6,563	1,571	8,134	6,929	2,152	9,081
	9,559	1,460	11,019	12,873	1,461	14,334	7,479	1,796	9,275	6,111	2,365	8,476
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	कुल
1																
7. परिवहन और संचार (i + ii)																
i) सड़क और पुल	22,283	18,505	40,788	26,803	22,283	49,086				13,500	24,921	38,420	2,075	33,363		35,438
ii) अन्य @	449	16,993	17,442	493	20,772	21,265				533	23,406	23,939	555	22,086		22,641
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	21,834	1,512	23,346	26,310	1,512	27,822				12,967	1,514	14,481	1,520	11,277		12,797
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)																
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	7,795	3,394	11,189	11,926	3,912	15,838				19,451	7,054	26,505	32,011	6,770		38,781
ii) पर्यटन	46	1,531	1,577		1,589	1,589					2,136	2,137		2,882		2,882
iii) नागरिक आपूर्ति	596	131	727	4,350	125	4,475				4,036	150	4,186	985	190		1,175
iv) अन्य +	6,300	1,028	7,328	7,500	1,293	8,793				15,052	3,659	18,712	30,500	2,121		32,621
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)	853	705	1,558	76	904	980				362	1,108	1,471	526	1,576		2,102
(क से च)																
क. राज्य के अंग	33,671	451,635	485,306	34,841	441,226	476,067				25,167	529,416	554,583	25,786	679,491		705,277
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)																
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,544	13,557	16,101	3,245	14,551	17,796				2,845	18,099	20,944	1,500	23,643		25,143
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	2,544	13,359	15,902	3,245	14,393	17,638				2,845	17,913	20,758	1,500	23,395		24,895
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती																
(1 + 2)																
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन		198	198		158	158					186	186		248		248
2. ब्याज भुगतान (i से iv)																
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज		198,183	198,183													
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज		32,407	32,407		29,556	29,556					29,556	29,556		26,600		26,600
जिसमें से:		141,610	141,610		154,412	154,412					154,412	154,412		183,535		183,535
(क) बाजार ऋण पर ब्याज		36,520	36,520		50,950	50,950					50,950	50,950		42,500		42,500
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज		78,245	78,245		70,200	70,200					70,200	70,200		96,806		96,806
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज		24,000	24,000		29,500	29,500					29,500	29,500		32,453		32,453
iv) अन्य		165	165		226	226					226	226		263		263
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)																
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	31,128	154,123	185,251	31,596	125,535	157,131				22,322	165,082	187,403	24,286	225,488		249,774
ii) जिला प्रशासन	120	56,208	56,328	100	6,159	6,259				100	7,117	7,217	250	8,490		8,740
iii) पुलिस	8,885	5,103	13,987	21,111	5,532	26,643				11,531	6,714	18,245	15,255	8,398		23,653
iv) लोक निर्माण	13,853	79,593	93,446	8,580	92,816	101,396				8,838	126,963	135,801	7,240	180,656		187,896
v) अन्य ++	7,162	1,027	8,189	55	9,283	9,338				75	10,603	10,678	55	9,064		9,119
ड. फेंशन	1,108	12,192	13,300	1,750	11,744	13,494				1,778	13,684	15,461	1,486	18,880		20,366
च. विविध सामान्य सेवाएं																
जिसमें से:																
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान																
III. सहायता अनुदान और अंशदान																
जिसमें से:																
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए		16	16		66	66					3,561	3,561		45		45
मुआवजा और सम्पुर्ण																

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	831,282	2,906,195	3,737,477	1,195,708	3,375,578	4,571,286	1,056,400	3,148,637	4,205,037	1,403,135	3,320,631	4,723,766
I. विकास व्यय (क + ख)	822,758	1,634,940	2,457,899	1,178,604	1,716,866	2,895,470	982,985	1,585,666	2,568,651	1,304,488	1,674,771	2,979,239
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	478,409	833,958	1,312,367	728,065	985,754	1,713,839	618,210	974,971	1,593,180	861,433	1,011,765	1,873,198
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	140,940	540,181	681,121	196,507	679,935	876,442	182,942	671,700	854,642	210,052	670,608	880,661
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	26,029	101,139	127,169	50,773	118,139	168,911	48,173	117,039	165,211	53,775	118,796	172,571
3. परिवार कल्याण	19,615	1,010	20,625	26,324	1,475	27,799	26,324	1,475	27,799	28,192	1,504	29,696
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	16,483	1,078	17,561	30,676	1,272	31,948	26,176	1,272	27,448	23,156	1,242	24,398
5. आवास	29,436	4,542	33,979	60,987	5,512	66,499	59,477	5,512	64,989	67,226	6,062	73,288
6. शहरी विकास	92,609	5,157	97,766	139,355	8,570	147,925	61,155	8,570	69,725	132,709	7,976	140,685
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	82,056	41,310	123,366	100,252	49,942	150,193	97,527	48,942	146,468	153,372	44,964	198,336
8. श्रम और श्रम कल्याण	8,692	5,686	14,378	15,744	6,941	22,686	11,724	6,911	18,636	22,653	6,380	29,033
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	49,222	92,270	141,491	89,483	76,363	165,846	87,228	76,359	163,587	136,303	96,839	233,143
10. पोषण	11,126	13,612	24,737	11,408	14,239	25,647	11,408	14,239	25,647	29,671	31,400	61,071
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	17,160	17,160	—	13,273	13,273	—	13,273	13,273	—	13,936	13,936
12. अन्य*	2,201	10,813	13,014	6,575	10,095	16,670	6,075	9,680	15,755	4,325	12,056	16,381
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	344,349	800,982	1,145,331	450,519	731,111	1,181,631	364,776	610,695	975,471	443,035	663,006	1,106,041
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	159,763	292,042	451,805	204,729	227,187	431,916	178,485	177,432	355,917	210,076	177,570	387,646
i) फसल उत्पादन	46,413	28,728	75,142	76,719	79,643	156,363	77,074	26,543	103,618	94,561	27,455	122,016
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	19,528	4,875	24,402	23,956	7,036	30,992	19,798	7,036	26,833	18,437	5,312	23,749
iii) पशुपालन	8,141	16,811	24,952	15,470	19,600	35,070	12,372	19,485	31,856	16,702	19,308	36,010
iv) डेरी विकास	2,734	902	3,636	16,585	—	16,585	12,975	—	12,975	22,645	—	22,645
v) मत्स्यपालन	1,759	1,503	3,261	6,139	1,690	7,829	3,406	1,690	5,096	7,792	1,716	9,508
vi) वानिकी और वन्य जीवन	15,359	23,561	38,919	23,552	26,226	49,778	23,072	24,686	47,758	22,089	26,602	48,690
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	118	67,263	67,382	—	65,737	65,737	—	75,737	75,737	—	78,704	78,704
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	13,105	10,093	23,198	10,900	11,235	22,135	7,188	11,235	18,422	12,080	8,264	20,344
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	52,606	138,307	190,914	31,407	16,021	47,428	22,601	11,021	33,622	15,771	10,208	25,979
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	55,959	39,981	95,940	91,325	36,581	127,906	58,905	36,581	95,486	74,901	37,462	112,363
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	15,568	17,136	32,704	27,359	—	27,359	27,359	—	27,359	33,479	—	33,479
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	12,180	15,672	27,853	11,227	18,322	29,549	10,827	18,322	29,149	11,688	19,734	31,422
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	430	6,636	7,066	1,691	6,858	8,549	1,291	6,858	8,149	1,296	8,928	10,224
ii) लघु सिंचाई	2,288	8,997	11,285	3,176	11,424	14,600	3,176	11,424	14,600	2,969	10,762	13,731
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	39	39	—	40	40	—	40	40	—	44	44
5. ऊर्जा	873	229,903	230,776	2,624	241,183	243,807	2,624	186,183	188,807	3,740	240,390	244,130
जिसमें से: पावर	523	229,903	230,426	1,832	241,183	243,015	1,832	186,183	188,015	2,748	240,190	242,938
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	30,296	36,868	67,164	29,722	23,819	53,542	22,272	22,319	44,592	27,643	24,976	52,619
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	21,635	34,473	56,108	22,172	20,867	43,039	15,572	19,367	34,939	21,557	22,211	43,768
ii) उद्योग @	8,462	2,394	10,856	7,550	2,952	10,503	6,700	2,952	9,653	6,085	2,766	8,851
iii) अन्य**	200	—	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	57,991	74,563	132,553	62,655	83,934	146,589	47,655	69,773	117,428	59,313	61,118	120,431
i) सड़क और पुल	57,991	50,852	108,842	62,655	64,173	126,828	47,655	59,472	107,127	59,313	42,968	102,281
ii) अन्य @	-	23,711	23,711	-	19,761	19,761	-	10,300	10,300	-	18,150	18,150
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,746	1	2,747	3,253	1	3,254	3,253	1	3,254	4,091	1	4,092
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	8,974	94,817	103,790	17,626	100,084	117,709	13,396	100,084	113,479	18,105	101,755	119,859
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	2,106	4,673	6,779	4,956	4,112	9,067	4,556	4,112	8,667	6,287	3,640	9,928
ii) पर्यटन	4,496	224	4,721	6,717	270	6,987	5,207	270	5,477	7,280	267	7,547
iii) नागरिक आपूर्ति	132	802	934	170	1,338	1,508	170	1,338	1,508	169	1,213	1,382
iv) अन्य +	2,239	89,117	91,356	5,783	94,363	100,146	3,463	94,363	97,826	4,368	96,634	101,002
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	8,524	1,078,655	1,087,178	17,104	1,359,245	1,376,348	13,815	1,371,003	1,384,818	18,667	1,453,892	1,472,559
क. राज्य के अंग	1,140	31,786	32,927	2,221	48,318	50,539	1,432	49,107	50,539	1,004	48,514	49,519
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	1,193	43,716	44,909	2,181	52,521	54,702	2,181	50,721	52,902	1,101	51,666	52,767
i) कर और शुल्क का संग्रह	1,193	40,696	41,890	2,181	49,109	51,290	2,181	47,309	49,490	1,101	50,298	51,399
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	-	3,020	3,020	-	3,412	3,412	-	3,412	3,412	-	1,368	1,368
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	450,578	450,578	-	527,810	527,810	-	477,800	477,800	-	557,800	557,800
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	450,578	450,578	-	527,810	527,810	-	477,800	477,800	-	557,800	557,800
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	74,613	74,613	-	88,735	88,735	-	78,098	78,098	-	89,291	89,291
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	310,061	310,061	-	366,714	366,714	-	328,418	328,418	-	379,030	379,030
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	95,544	95,544	-	132,615	132,615	-	96,412	96,412	-	145,067	145,067
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	196,089	196,089	-	216,716	216,716	-	216,716	216,716	-	213,779	213,779
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	65,891	65,891	-	72,350	72,350	-	71,273	71,273	-	89,469	89,469
iv) अन्य	-	12	12	-	11	11	-	11	11	-	11	11
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	6,190	225,377	231,567	12,702	377,983	390,685	10,202	370,763	380,965	16,561	393,183	409,744
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	227	5,788	6,014	250	7,259	7,509	250	7,259	7,509	220	6,751	6,971
ii) जिला प्रशासन	1,022	17,870	18,891	375	21,483	21,858	375	21,483	21,858	3,000	19,657	22,657
iii) पुलिस	3,785	129,829	133,614	5,000	162,277	167,277	2,500	155,857	158,357	4,000	181,482	185,482
iv) लोक निर्माण	208	37,580	37,788	100	43,757	43,857	100	43,757	43,857	400	43,160	43,560
v) अन्य ++	949	34,311	35,260	6,977	143,207	150,184	6,977	142,407	149,384	8,941	142,133	151,075
ङ. पेंशन	-	324,058	324,058	-	350,049	350,049	-	420,049	420,049	-	400,066	400,066
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	3,140	3,140	-	2,563	2,563	-	2,563	2,563	-	2,863	2,863
जिसमें से:												
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	369	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	192,600	192,600	-	299,468	299,468	59,600	191,968	251,568	80,000	191,968	271,968
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	192,600	192,600	-	299,468	299,468	59,600	191,968	251,568	80,000	191,968	271,968
मुआवजा और समनुदेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	228,398	2,260,765	2,489,162	363,881	2,466,399	2,830,279	367,064	2,512,148	2,879,212	424,969	2,691,215	3,116,184
I. विकास व्यय (क + ख)	207,894	853,143	1,060,828	346,521	974,397	1,320,917	349,927	1,015,721	1,365,648	387,159	1,083,549	1,470,708
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	133,894	645,104	778,998	220,458	752,903	973,362	217,176	765,558	982,734	253,657	852,443	1,106,100
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14,873	438,030	452,903	23,512	529,101	552,613	23,512	526,326	549,838	36,361	588,245	624,606
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,682	102,283	108,966	9,462	122,408	131,870	9,669	123,200	132,869	9,085	134,313	143,398
3. परिवार कल्याण	15,231	3	15,234	5,627	13,256	18,883	5,616	13,496	19,112	5,627	14,525	20,152
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,946	10,685	20,632	41,635	11,306	52,941	42,035	11,496	53,531	9,978	12,437	22,415
5. आवास	2,078	3,227	5,305	1,010	1,380	2,390	983	2,680	3,663	2,235	11,984	14,219
6. शहरी विकास	23,348	965	24,313	68,770	1,353	70,123	59,756	1,375	61,131	86,186	1,442	87,628
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	29,314	16,051	45,365	35,204	16,440	51,644	31,931	18,064	49,996	50,863	20,204	71,067
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,823	15,292	17,115	2,385	14,904	17,289	6,568	15,678	22,246	12,810	16,089	28,899
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	29,974	36,027	66,001	32,088	29,678	61,766	35,929	39,126	75,055	39,582	38,267	77,850
10. पोषण	—	59	59	—	103	103	—	105	105	—	133	133
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	19,658	19,658	—	9,898	9,898	—	10,848	10,848	—	10,391	10,391
12. अन्य*	615	2,824	3,438	765	3,077	3,842	1,176	3,165	4,341	930	4,412	5,342
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	73,800	208,040	281,840	126,063	221,493	347,556	132,751	250,163	382,914	133,501	231,107	364,608
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	27,810	80,850	108,660	47,176	84,212	131,387	52,430	96,566	148,996	45,620	92,589	138,209
i) फसल उत्पादन	8,987	20,952	29,939	18,048	21,361	39,409	24,675	26,871	51,546	20,199	23,062	43,261
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,174	1,728	2,902	1,845	1,930	3,775	1,567	1,945	3,513	1,836	2,104	3,940
iii) पशुपालन	3,428	11,548	14,975	5,577	12,831	18,408	5,757	13,080	18,837	6,496	14,291	20,787
iv) डेरी विकास	1,184	1,568	2,752	2,271	1,801	4,072	2,221	1,855	4,076	1,936	1,933	3,869
v) मत्स्यपालन	5,440	3,430	8,870	9,098	2,660	11,757	9,427	2,898	12,325	5,297	2,610	7,907
vi) वनिकी और वन्य जीवन	3,869	12,002	15,871	4,931	13,751	18,682	3,572	13,559	17,131	5,084	14,630	19,714
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	678	15,212	15,889	416	14,348	14,764	582	17,348	17,929	407	14,378	14,785
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,300	6,581	8,881	3,415	7,129	10,544	3,315	7,136	10,451	3,320	7,845	11,165
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	397	7,724	8,121	580	8,339	8,919	580	11,808	12,388	536	11,666	12,202
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	353	106	459	995	63	1,058	735	64	799	510	69	579
2. ग्रामीण विकास	13,222	8,452	21,674	17,793	15,820	33,613	20,760	16,144	36,904	21,454	17,463	38,917
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,029	—	2,029	2,000	—	2,000	1,261	—	1,261	3,235	—	3,235
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,943	26,738	28,681	4,605	25,969	30,574	2,479	26,539	29,018	3,674	29,649	33,323
<i>जिल्हों से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	22	15,992	16,014	45	13,756	13,801	28	13,953	13,981	45	16,609	16,654
ii) लघु सिंचाई	1,344	9,009	10,353	3,285	10,774	14,059	1,531	10,618	12,149	2,942	11,277	14,219
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	1,737	1,737	15	1,439	1,454	15	1,968	1,963	—	1,762	1,762
ऊर्जा	3,426	198	3,624	10,785	214	10,999	10,785	214	10,999	3,751	235	3,986
<i>जिल्हों से: पावर</i>												
2,433	55	2,488	8,685	57	8,742	8,742	8,685	57	8,742	1,125	62	1,187
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	11,172	5,729	16,901	18,441	6,082	24,523	13,465	7,208	20,673	19,730	6,718	26,448
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	7,846	5,008	12,854	10,606	5,249	15,856	10,449	6,362	16,811	14,855	5,816	20,671
ii) उद्योग @	3,326	721	4,047	7,835	832	8,667	3,016	846	3,863	4,875	902	5,777
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	938	76,095	77,033	2,296	78,158	80,454	7,775	92,137	99,912	17,264	72,427	89,691
i) सड़क और पुल	312	72,075	72,387	2,091	73,788	75,879	7,625	86,967	94,592	17,124	66,020	83,144
ii) अन्य @	627	4,020	4,647	205	4,370	4,575	150	5,170	5,320	140	6,407	6,547
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,619	1,840	3,459	4,695	2,025	6,720	4,695	2,025	6,720	4,980	2,227	7,207
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	11,641	8,137	19,778	18,272	9,014	27,286	19,101	9,330	28,432	13,793	9,799	23,592
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3,518	2,166	5,684	9,651	2,477	12,128	9,799	2,529	12,329	7,527	2,898	10,425
ii) पर्यटन	6,839	2,180	9,018	7,228	2,080	9,308	7,857	2,262	10,119	4,797	2,259	7,056
iii) नागरिक आपूर्ति	14	633	647	45	746	791	99	765	865	30	810	840
iv) अन्य +	1,271	3,158	4,429	1,348	3,711	5,059	1,346	3,773	5,119	1,439	3,831	5,270
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	20,713	1,197,696	1,218,409	17,360	1,265,144	1,282,504	17,137	1,269,544	1,286,681	37,810	1,358,228	1,396,038
क. राज्य के अंग	-	23,480	23,480	-	25,651	25,651	-	26,700	26,700	-	30,776	30,776
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	2,194	54,013	56,207	250	52,065	52,315	250	53,486	53,736	250	57,189	57,439
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,194	40,490	42,684	250	44,625	44,875	250	46,040	46,290	250	49,745	49,995
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	-	13,523	13,523	-	7,440	7,440	-	7,446	7,446	-	7,444	7,444
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	455,217	455,217	-	539,295	539,295	-	516,032	516,032	-	558,803	558,803
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	22,252	22,252	-	24,887	24,887	-	34,486	34,486	-	27,636	27,636
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	432,965	432,965	-	514,408	514,408	-	481,546	481,546	-	531,167	531,167
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	42,948	42,948	-	46,847	46,847	-	43,519	43,519	-	48,191	48,191
ii) अंतरिक ऋण पर ब्याज	-	272,771	272,771	-	309,279	309,279	-	305,862	305,862	-	328,737	328,737
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	110,686	110,686	-	141,525	141,525	-	137,737	137,737	-	164,132	164,132
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	116,460	116,460	-	118,446	118,446	-	118,446	118,446	-	117,094	117,094
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	117,246	117,246	-	158,282	158,282	-	132,165	132,165	-	154,239	154,239
iv) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	7,944	139,318	147,262	6,535	159,396	164,931	6,212	161,141	167,352	26,985	173,677	200,662
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	117	6,867	6,983	-	7,915	7,915	13	8,148	8,161	-	8,654	8,654
ii) जिला प्रशासन	6,801	10,431	17,232	4,939	11,144	16,083	4,684	11,688	16,372	24,810	12,376	37,186
iii) पुलिस	132	80,330	80,462	170	95,785	95,955	160	94,732	94,892	185	103,586	103,771
iv) लोक निर्माण	-	12,965	12,965	-	11,965	11,965	-	12,921	12,921	-	14,641	14,641
v) अन्य ++	894	28,726	29,620	1,426	31,587	33,013	1,355	33,652	35,007	1,990	34,420	36,410
ङ. पेंशन	-	492,453	492,453	-	456,903	456,903	-	478,376	478,376	-	500,587	500,587
च. विविध सामान्य सेवाएं	10,575	33,215	43,790	10,575	32,833	43,408	10,675	33,810	44,485	10,575	37,196	47,771
जिसमें से:												
राज्य लैटरी के कारण भुगतान	-	27,490	27,490	-	32,280	32,280	-	33,260	33,260	-	36,650	36,650
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	209,926	209,926	-	226,858	226,858	-	226,883	226,883	-	249,438	249,438
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और सम्पुर्ण	-	209,926	209,926	-	226,858	226,858	-	226,883	226,883	-	249,438	249,438

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	680,829	1,879,482	2,560,111	831,846	2,324,554	3,156,401	846,277	2,331,617	3,177,893	1,128,577	2,697,835	3,826,211
I. विकास व्यय (क + ख)	649,290	819,002	1,468,293	806,069	1,060,483	1,866,552	822,415	1,101,454	1,923,869	1,072,741	1,137,267	2,210,008
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	324,328	490,218	814,546	420,123	621,825	1,041,948	446,579	663,281	1,109,860	626,163	708,498	1,334,661
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	83,710	293,074	376,784	130,624	377,179	507,804	136,926	411,694	548,620	168,982	454,629	623,611
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,447	92,368	97,814	20,029	104,463	124,493	20,677	103,241	123,918	19,844	120,759	140,603
3. परिवार कल्याण	15,807	240	16,047	19,516	406	19,922	18,216	406	18,622	18,407	491	18,898
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,160	22,040	35,200	15,055	25,643	40,698	15,427	26,149	41,576	16,756	27,661	44,417
5. आवास	7,225	7,345	14,570	7,486	7,112	14,598	7,486	6,709	14,195	7,880	7,703	15,583
6. शहरी विकास	38,737	975	39,713	47,361	1,252	48,613	43,777	1,235	45,013	45,150	1,376	46,525
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	80,629	18,551	99,180	86,104	23,639	109,743	87,797	22,681	110,477	102,660	25,040	127,700
8. श्रम और श्रम कल्याण	3,052	5,235	8,287	4,239	6,837	11,076	4,239	6,615	10,854	3,896	7,429	11,325
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	45,084	22,621	67,705	54,835	34,381	89,216	77,141	36,040	113,181	160,855	19,171	180,026
10. पोषण	31,205	159	31,364	34,651	173	34,824	34,651	194	34,846	81,340	213	81,553
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	21,942	21,942	—	34,191	34,191	20	40,144	40,164	—	35,795	35,795
12. अन्य*	271	5,669	5,940	222	6,549	6,771	222	8,173	8,395	393	8,233	8,625
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	324,962	328,784	653,746	385,946	438,658	824,604	375,836	438,173	814,009	446,578	428,769	875,347
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	92,084	102,406	194,489	123,506	137,725	261,231	107,758	166,480	274,238	159,225	161,342	320,567
i) फसल उत्पादन	36,438	21,438	57,876	81,224	17,254	98,478	56,864	17,189	74,053	86,904	21,379	108,283
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	837	2,391	3,227	1,381	3,064	4,444	1,562	3,064	4,626	2,180	3,409	5,589
iii) पशुपालन	5,406	16,270	21,676	6,621	23,192	29,813	7,268	23,192	30,460	8,595	23,392	31,987
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	868	1,146	2,014	1,386	1,907	3,293	1,191	1,907	3,098	2,608	1,632	4,240
vi) वानिकी और वन्य जीवन	37,299	45,127	82,425	25,790	53,599	79,389	33,319	54,142	87,462	50,164	60,065	110,228
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	625	9,718	10,343	1,018	30,488	31,506	1,075	58,773	59,849	853	43,077	43,930
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,746	2,948	6,694	2,997	3,820	6,816	2,997	3,820	6,816	2,095	3,823	5,918
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सल्कारिता	6,865	3,369	10,234	3,091	4,401	7,492	3,482	4,393	7,875	5,825	4,566	10,391
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	198,443	15,272	213,716	219,904	18,301	238,205	226,230	17,500	243,729	245,182	20,208	265,390
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9,421	29,993	39,414	893	32,732	33,624	657	32,241	32,898	679	37,329	38,008
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	9,032	22,333	31,365	—	26,439	26,439	—	26,019	26,019	—	29,845	29,845
ii) लघु सिंचाई	285	7,659	7,944	482	6,292	6,775	482	6,223	6,705	426	7,485	7,911
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	8,753	99,663	108,417	18,551	167,722	186,273	16,275	138,566	154,841	16,052	131,346	147,398
<i>जिसमें से:</i> पावर	8,753	99,663	108,417	18,551	167,722	186,273	16,275	138,566	154,841	16,052	131,346	147,398
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	10,610	17,065	27,675	14,008	16,381	30,389	16,137	16,483	32,620	15,722	17,349	33,071
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	6,635	3,739	10,374	9,327	4,504	13,832	10,047	4,442	14,489	8,168	5,061	13,229
ii) उद्योग @	3,975	10,488	14,463	4,681	11,876	16,557	6,090	12,041	18,131	7,554	12,288	19,842
iii) अन्य**	—	2,838	2,838	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	30	60,877	60,907	60	61,398	61,458	60	62,524	62,584	80	55,631	55,711
i) सड़क और पुल	-	60,863	60,863	-	61,351	61,351	-	62,497	62,497	-	55,604	55,604
ii) अन्य @	30	15	45	60	47	107	60	27	87	80	27	107
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4,058	195	4,253	5,973	267	6,241	5,875	482	6,357	5,653	347	6,000
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	1,562	3,313	4,875	3,050	4,133	7,182	2,844	3,898	6,741	3,984	5,217	9,201
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3	854	858	233	1,096	1,330	227	1,086	1,314	500	1,847	2,347
ii) पर्यटन	1,095	31	1,126	1,974	39	2,013	1,774	25	1,799	1,400	24	1,424
iii) नागरिक आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य +	464	2,428	2,892	842	2,998	3,840	842	2,786	3,629	2,084	3,346	5,430
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	7,086	928,349	935,435	3,177	1,129,310	1,132,487	1,262	1,082,724	1,083,986	-916	1,369,450	1,368,533
क. राज्य के अंग	-	22,039	22,039	-	32,909	32,909	-	35,863	35,863	-	37,096	37,096
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	2,214	109,934	112,148	1,669	136,298	137,967	3,441	129,468	132,910	3,764	155,260	159,024
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,214	109,725	111,939	1,669	136,013	137,682	3,441	129,099	132,540	3,764	154,916	158,680
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	-	209	209	-	285	285	-	370	370	-	344	344
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	419,077	419,077	-	448,967	448,967	-	448,375	448,375	-	496,539	496,539
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	419,077	419,077	-	448,967	448,967	-	448,375	448,375	-	496,539	496,539
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	69,424	69,424	-	74,915	74,915	-	74,915	74,915	-	72,333	72,333
ii) अंतरिक ऋण पर ब्याज	-	285,900	285,900	-	304,750	304,750	-	304,832	304,832	-	350,600	350,600
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	96,561	96,561	-	104,217	104,217	-	104,217	104,217	-	130,687	130,687
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	141,917	141,917	-	146,523	146,523	-	146,523	146,523	-	146,523	146,523
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	53,449	53,449	-	57,000	57,000	-	57,865	57,865	-	61,813	61,813
iv) अन्य	-	10,305	10,305	-	12,302	12,302	-	10,763	10,763	-	11,793	11,793
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	4,872	170,808	175,680	1,509	280,847	282,355	-2,179	209,673	207,494	-4,680	316,195	311,515
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	3,399	5,125	8,463	7,000	6,535	13,535	3,200	6,835	10,035	2,426	7,491	9,917
ii) जिला प्रशासन	-	16,795	16,795	-	21,762	21,762	-	21,681	21,681	-	24,208	24,208
iii) पुलिस	1,399	103,311	104,710	1,750	129,734	131,484	1,678	129,358	131,036	2,234	145,343	147,577
iv) लोक निर्माण	-	21,514	21,514	-7,366	19,838	12,472	-7,354	19,791	12,438	-9,843	19,207	9,365
v) अन्य ++	134	24,064	24,198	124	102,979	103,103	296	32,007	32,303	502	119,945	120,448
ङ. पेंशन	-	196,428	196,428	-	229,896	229,896	-	258,873	258,873	-	364,100	364,100
च. विविध सामान्य सेवाएं जिसमें से:	-	10,062	10,062	-	392	392	-	471	471	-	260	260
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	24,253	132,131	156,384	22,600	134,762	157,362	22,600	147,439	170,039	56,752	190,918	247,670
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए												
मुआवजा और समुदेशन	24,253	132,131	156,384	22,600	134,762	157,362	22,600	147,439	170,039	56,752	190,918	247,670

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	1,028,903	5,449,102	6,478,005	1,485,025	6,429,591	7,894,616	1,528,588	6,332,121	7,860,888	2,174,997	7,443,406	9,618,402
I. विकास व्यय (क + ख)	987,415	3,013,579	4,000,995	1,424,825	2,805,048	4,229,873	1,481,580	3,585,642	5,047,221	2,155,023	3,851,143	6,006,166
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	721,268	1,956,038	2,677,305	930,182	1,939,196	2,869,378	1,005,068	2,270,184	3,275,253	418,627	2,606,892	3,025,519
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	64,976	1,299,187	1,364,163	84,925	1,393,929	1,478,854	104,108	1,528,473	1,632,581	43,627	1,884,769	1,928,397
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	52,227	187,310	239,537	51,086	202,557	253,643	66,064	213,948	280,012	31,198	269,795	300,993
3. परिवार कल्याण	27,362	2,608	29,969	31,884	3,213	35,097	32,482	3,117	35,599	11,382	4,305	15,687
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	80,897	86,893	167,790	49,783	12,897	62,679	54,187	13,254	67,441	28,509	15,863	44,372
5. आवास	76,039	31,644	107,683	173,568	20,001	193,570	127,133	34,955	162,088	72,450	20,199	92,648
6. शहरी विकास	200,181	28,803	228,984	264,928	41,741	306,669	278,328	42,785	321,113	101,098	46,144	147,242
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	138,018	101,204	239,222	162,731	100,617	263,348	185,261	146,546	331,807	63,620	153,421	217,041
8. श्रम और श्रम कल्याण	11,862	28,364	40,226	14,504	27,876	42,380	28,405	30,018	58,423	15,844	33,824	49,668
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	24,411	64,026	88,437	38,787	67,258	106,045	61,599	99,866	161,465	21,183	107,078	128,261
10. पोषण	44,182	41,560	85,742	55,660	36,890	92,550	60,010	37,570	97,579	27,223	37,715	64,938
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	96	78,441	78,537	125	25,584	25,709	5,676	112,490	118,166	1,892	25,584	27,476
12. अन्य*	1,017	5,998	7,015	2,200	6,633	8,833	1,815	7,164	8,979	602	8,194	8,796
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	266,147	1,057,542	1,323,689	494,643	865,852	1,360,495	476,511	1,295,457	1,771,969	1,736,396	1,244,251	2,980,647
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	71,718	275,204	346,922	88,502	253,797	342,299	139,819	509,741	649,559	60,093	549,411	609,503
i) फसल उत्पादन	29,553	41,340	70,893	46,203	43,199	89,402	82,204	50,041	132,245	32,797	60,563	93,361
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,399	741	3,140	2,178	801	2,978	2,173	1,443	3,616	864	1,018	1,882
iii) पशुपालन	9,880	22,136	32,016	10,635	26,978	37,612	10,606	27,778	38,383	6,604	37,658	44,262
iv) डेरी विकास	432	59,355	59,787	712	51,672	52,384	823	51,139	51,962	417	43,364	43,781
v) मत्स्यपालन	1,314	8,895	10,209	2,245	12,175	14,420	3,029	13,601	16,630	1,562	12,403	13,965
vi) वनिकी और वन्य जीवन	8,750	42,575	51,325	9,551	48,051	57,602	12,935	49,124	62,059	7,481	61,931	69,411
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	153	9,152	9,305	-	9,712	9,712	152	10,125	10,276	-	13,333	13,333
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,032	27,173	29,204	2,066	31,843	33,909	3,604	32,760	36,364	1,205	40,164	41,369
x) कृषि वित्त संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) सहकारिता	17,205	63,837	81,042	14,914	29,366	44,280	24,294	273,731	298,024	9,163	278,976	288,140
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	64,074	41,984	106,058	228,770	76,516	305,286	116,817	113,223	230,040	1,545,957	76,872	1,622,828
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,258	25	3,283	3,956	29	3,985	3,956	29	3,985	1,319	40	1,359
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	38,301	126,472	164,773	61,778	110,564	172,341	68,164	133,595	201,759	35,677	141,383	177,059
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	10,789	105,228	116,017	33,043	89,064	122,107	32,966	104,975	137,940	11,166	111,356	122,522
ii) लघु सिंचाई	26,368	20,316	46,684	28,680	19,582	48,261	35,163	26,491	61,655	24,487	27,293	51,781
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	-	920	920	-	751	751	-	789	789	-	950	950
5. ऊर्जा	47,893	293,222	341,115	59,293	179,805	239,098	59,747	250,616	310,363	20,008	219,383	239,391
जिसमें से: पावर	45,825	293,157	338,982	56,988	179,805	236,794	56,994	250,616	307,610	19,082	219,383	238,465
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	3,260	101,015	104,275	3,868	57,904	61,771	4,020	65,039	69,059	2,577	60,922	63,499
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,266	3,253	5,519	3,868	3,327	7,194	4,020	3,842	7,862	2,577	4,419	6,996
ii) उद्योग @	994	97,762	98,756	-	54,577	54,577	-	61,197	61,197	-	56,503	56,503
iii) अन्य**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	20,430	204,921	225,351	32,368	176,727	209,095	59,807	212,224	272,031	31,058	182,529	213,587
i) सड़क और पुल	14,418	204,708	219,126	24,859	176,398	201,257	50,059	211,896	261,954	26,020	182,234	208,254
ii) अन्य @@	6,012	214	6,226	7,508	329	7,838	9,748	329	10,077	5,038	295	5,333
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2,556	-	2,556	3,905	11	3,916	4,147	8	4,155	5,997	9	6,006
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	14,657	14,699	29,356	12,024	10,500	22,704	20,035	10,981	31,016	33,712	13,702	47,414
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,060	5,925	7,985	1,773	7,272	9,045	1,371	7,659	9,030	747	9,363	10,110
ii) पर्यटन	12,178	5,754	17,932	10,149	4	10,153	18,556	4	18,560	32,854	4	32,858
iii) नागरिक आपूर्ति	5	-	5	8	-	8	8	-	8	3	-	3
iv) अन्य +	413	3,020	3,433	274	3,225	3,498	100	3,318	3,418	108	4,335	4,443
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	37,965	2,346,677	2,384,641	33,584	3,530,956	3,564,540	39,874	2,658,806	2,698,880	13,397	3,497,411	3,510,808
क. राज्य के अंग	-	54,052	54,052	-	60,570	60,570	-	69,519	69,519	-	119,760	119,760
ख. राजकीय सेवाएँ (i से ii)	1,338	80,876	82,214	706	92,782	93,488	1,004	136,262	137,266	353	105,544	105,896
i) कर और शुल्क का संग्रह	1,338	80,272	81,610	706	91,981	92,687	1,004	135,533	136,537	353	104,822	105,174
ii) अन्य राजकीय सेवाएँ	-	604	604	-	802	802	-	729	729	-	722	722
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	1,276,501	1,276,501	-	1,298,753	1,298,753	-	1,290,566	1,290,566	-	1,518,226	1,518,226
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	56,100	56,100	-	59,900	59,900	-	59,900	59,900	-	83,100	83,100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	1,220,401	1,220,401	-	1,238,853	1,238,853	-	1,230,666	1,230,666	-	1,435,126	1,435,126
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	81,779	81,779	-	77,261	77,261	-	67,329	67,329	-	67,407	67,407
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	972,523	972,523	-	942,600	942,600	-	986,380	986,380	-	1,171,902	1,171,902
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	153,279	153,279	-	203,872	203,872	-	211,427	211,427	-	386,020	386,020
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	711,416	711,416	-	712,927	712,927	-	712,927	712,927	-	715,881	715,881
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	155,177	155,177	-	187,276	187,276	-	157,322	157,322	-	180,194	180,194
iv) अन्य	-	10,922	10,922	-	31,716	31,716	-	19,635	19,635	-	15,623	15,623
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	36,627	513,728	550,354	32,878	1,361,942	1,394,820	38,869	655,129	693,999	13,044	981,708	994,752
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	2,202	8,158	10,360	3,000	10,086	13,086	3,000	10,371	13,371	1,000	12,940	13,940
ii) जिला प्रशासन	31,209	123,081	154,290	24,600	137,799	162,399	30,568	147,932	178,501	10,150	179,254	189,404
iii) पुलिस	1,812	293,890	295,702	4,465	317,985	322,450	4,465	369,410	373,875	1,488	408,670	410,158
iv) लोक निर्माण	1,133	51,592	52,725	653	56,521	57,174	646	76,769	77,415	353	90,644	90,996
v) अन्य ++	270	37,007	37,277	160	839,551	839,711	190	50,647	50,837	53	290,200	290,253
ङ. पेंशन	-	419,126	419,126	-	456,361	456,361	-	502,533	502,533	-	540,574	540,574
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	2,395	2,395	-	260,549	260,549	-	4,797	4,797	-	231,599	231,599
राज्य लैटरी के कारण भुगतान	-	1,690	1,690	-	79,826	79,826	-	4,027	4,027	-	63,447	63,447
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	3,523	88,846	92,369	6,615	93,587	100,203	7,114	107,673	114,787	6,577	94,852	101,429
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समनुदान	3,523	85,212	88,735	6,615	93,587	100,203	7,114	107,673	114,787	6,577	94,852	101,429

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	47,991	181,261	229,252	55,664	193,450	249,114	58,351	223,604	281,955	59,978	245,613	305,591
I. विकास व्यय (क + ख)	47,669	88,389	136,058	55,412	96,539	151,952	57,936	112,585	170,521	59,720	118,327	178,047
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	23,404	48,534	71,938	26,985	52,335	79,320	27,455	60,552	88,007	30,285	62,036	92,320
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,917	33,077	40,994	8,769	36,384	45,153	6,078	38,363	44,442	9,625	40,115	49,741
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	883	7,219	8,101	1,384	8,440	9,824	1,468	8,753	10,220	1,610	10,529	12,139
3. परिवार कल्याण	1,166	—	1,166	1,160	—	1,160	1,331	—	1,331	1,330	—	1,330
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	37	1,594	1,631	40	2,423	2,463	35	2,684	2,720	38	3,560	3,598
5. आवास	—	715	715	—	70	70	—	2,068	2,068	—	2,262	2,262
6. शहरी विकास	1,093	241	1,334	1,828	963	2,791	1,677	2,608	4,284	1,781	572	2,352
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,561	831	6,392	6,234	772	7,005	6,574	1,372	7,946	7,639	948	8,587
8. श्रम और श्रम कल्याण	366	468	834	188	420	608	477	513	990	188	630	818
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,932	2,305	6,237	4,951	1,513	6,464	7,182	1,886	9,068	6,289	1,841	8,130
10. पोषण	2,296	8	2,305	2,295	8	2,303	2,498	11	2,508	1,648	13	1,661
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	60	1,449	1,509	30	636	666	30	1,476	1,506	30	663	693
12. अन्य*	93	627	720	106	708	814	106	818	924	106	903	1,009
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	24,265	39,855	64,120	28,427	44,205	72,632	30,481	52,032	82,514	29,435	56,291	85,727
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	12,338	8,859	21,197	7,628	9,581	17,209	10,583	10,576	21,160	7,815	12,474	20,289
i) फसल उत्पादन	3,339	2,018	5,357	3,467	2,178	5,645	5,687	2,266	7,953	3,724	2,754	6,478
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	6,347	673	7,020	1,623	735	2,358	1,947	801	2,748	1,513	899	2,412
iii) पशुपालन	418	2,643	3,061	491	2,619	3,110	727	3,075	3,802	516	3,479	3,995
iv) डेरी विकास	31	70	100	40	83	123	48	92	140	48	56	104
v) मत्स्यपालन	272	915	1,188	310	1,008	1,318	240	1,091	1,331	316	1,359	1,675
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,788	1,291	3,080	1,550	1,573	3,123	1,750	1,675	3,425	1,550	2,087	3,637
vii) बागान	5	—	5	5	—	5	5	—	5	5	—	5
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	18	435	454	7	491	498	46	635	681	10	672	682
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	23	105	127	24	114	138	22	120	142	22	143	165
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहाकरिता	94	709	804	107	780	887	107	823	930	107	1,026	1,133
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3	—	3	4	—	4	4	—	4	4	—	4
2. ग्रामीण विकास	3,991	3,377	7,367	4,609	4,417	9,026	4,359	4,895	9,254	4,630	2,177	6,807
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	97	—	97	4,296	—	4,296	4,440	—	4,440	4,403	—	4,403
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,710	2,245	3,955	1,451	2,402	3,853	1,491	5,641	7,132	2,637	6,294	8,931
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	976	826	1,802	625	914	1,539	625	3,194	3,819	723	—	723
ii) लघु सिंचाई	9	465	474	33	455	489	16	1,328	1,344	16	1,497	1,513
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	813	813	—	871	871	—	951	951	—	1,093	1,093
5. ऊर्जा	200	15,425	15,625	300	18,101	18,401	480	18,282	18,762	300	19,586	19,886
जिसमें से: पावर												
i) उद्योग और खनिज (1 से iii)	—	15,425	15,425	—	18,101	18,101	—	18,282	18,282	—	19,586	19,586
ii) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,701	2,224	4,925	3,439	2,309	5,748	3,953	2,537	6,491	3,462	3,136	6,599
iii) उद्योग @	2,341	2,056	4,397	3,109	2,129	5,238	3,623	2,334	5,957	3,232	2,885	6,117
अन्य**	360	169	529	300	54	354	330	204	534	230	251	481
	—	—	—	30	125	155	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	-	6,584	6,584	-	6,200	6,200	-	8,750	8,750	-	10,962	10,962
i) सड़क और पुल	-	6,584	6,584	-	6,200	6,200	-	8,750	8,750	-	10,962	10,962
ii) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	515	67	583	1,220	21	1,241	1,270	79	1,349	1,220	98	1,318
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,714	1,073	3,787	5,484	1,174	6,658	3,905	1,272	5,177	4,967	1,565	6,533
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,553	294	2,847	5,295	334	5,629	3,736	373	4,109	4,774	454	5,228
ii) पर्यटन	35	145	180	88	154	242	68	174	242	97	214	311
iii) नागरिक आपूर्ति	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य +	78	634	713	101	686	787	100	726	826	97	897	994
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	322	92,873	93,195	251	96,911	97,162	415	111,020	111,434	258	117,058	117,316
क. राज्य के अंग	-	4,014	4,014	-	4,192	4,192	-	4,264	4,264	-	4,028	4,028
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	55	1,890	1,945	75	1,981	2,056	147	2,472	2,619	147	2,769	2,916
i) कर और शुल्क का संग्रह	55	1,864	1,919	75	1,957	2,032	147	2,442	2,589	147	2,741	2,888
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	26	26	-	24	24	-	31	31	-	28	28
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	29,850	29,850	-	31,278	31,278	-	32,865	32,865	-	35,794	35,794
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	-	-	-	1,366	1,366	-	1,366	1,366	-	2,032	2,032
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	29,850	29,850	-	29,912	29,912	-	31,499	31,499	-	33,762	33,762
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	9,877	9,877	-	7,738	7,738	-	7,817	7,817	-	5,846	5,846
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	14,536	14,536	-	16,637	16,637	-	17,911	17,911	-	21,910	21,910
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	9,136	9,136	-	8,743	8,743	-	9,621	9,621	-	11,582	11,582
(ख) परस्परपरफ़ पर ब्याज	-	3,028	3,028	-	6,608	6,608	-	6,398	6,398	-	8,602	8,602
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	5,437	5,437	-	5,537	5,537	-	5,771	5,771	-	6,007	6,007
iv) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	267	36,491	36,759	176	37,622	37,798	267	46,398	46,666	111	49,245	49,356
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	221	1,717	1,938	-	1,951	1,951	91	2,574	2,666	-	2,643	2,643
ii) जिला प्रशासन	-	1,288	1,288	-	1,358	1,358	-	1,557	1,557	-	1,843	1,843
iii) पुलिस	-	26,104	26,104	-	26,454	26,454	-	33,678	33,678	-	36,874	36,874
iv) लोक निर्माण	-	4,405	4,405	-	4,556	4,556	-	5,120	5,120	-	3,998	3,998
v) अन्य ++	46	2,977	3,023	176	3,303	3,479	176	3,469	3,645	111	3,888	3,999
ङ. पेंशन	-	20,575	20,575	-	21,794	21,794	-	24,984	24,984	-	25,178	25,178
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	53	53	-	44	44	-	36	36	-	44	44
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	53	53	-	43	43	-	36	36	-	44	44
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,228	10,228
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और सम्पुर्ण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	72,123	153,243	225,366	155,388	162,659	318,047	155,388	162,659	318,047	155,658	203,169	358,827
I. विकास व्यय (क + ख)	69,094	78,445	147,539	151,442	76,889	228,331	151,442	76,889	228,331	151,111	101,939	253,050
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	31,386	43,970	75,355	60,657	47,639	108,296	60,657	47,639	108,296	63,019	62,482	125,501
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	18,228	24,054	42,283	35,923	26,495	62,419	35,923	26,495	62,419	30,625	34,374	65,000
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,500	6,782	10,282	6,869	7,056	13,925	6,869	7,056	13,925	8,034	9,610	17,644
3. परिवार कल्याण	869	157	1,026	1,365	195	1,560	1,365	195	1,560	1,245	524	1,769
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	930	5,638	6,568	1,841	6,045	7,886	1,841	6,045	7,886	2,011	8,468	10,479
5. आवास	694	3,596	4,290	968	2,677	3,645	968	2,677	3,645	1,077	2,281	3,358
6. शहरी विकास	1,827	486	2,313	2,611	672	3,283	2,611	672	3,283	3,738	847	4,585
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	550	624	1,174	1,450	1,150	2,600	1,450	1,150	2,600	1,275	2,165	3,440
8. श्रम और श्रम कल्याण	250	513	763	630	652	1,282	630	652	1,282	524	1,009	1,532
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,683	368	2,050	3,604	472	4,076	3,604	472	4,076	4,023	587	4,609
10. पोषण	2,608	19	2,627	5,020	186	5,206	5,020	186	5,206	9,991	201	10,192
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	1,195	1,195	—	1,195	1,195	—	1,195	1,195	50	1,247	1,297
12. अन्य*	246	538	784	375	843	1,218	375	843	1,218	425	1,170	1,595
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	37,708	34,476	72,184	90,785	29,251	120,035	90,785	29,251	120,035	88,092	39,457	127,549
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	11,669	10,004	21,673	20,454	10,718	31,171	20,454	10,718	31,171	28,731	15,858	44,589
i) फसल उत्पादन	4,252	2,068	6,320	8,235	2,276	10,511	8,235	2,276	10,511	14,073	3,352	17,425
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,450	1,649	4,098	4,349	1,960	6,309	4,349	1,960	6,309	5,350	2,890	8,240
iii) पशुपालन	1,125	1,846	2,972	1,949	2,073	4,022	1,949	2,073	4,022	2,611	3,022	5,633
iv) डेरी विकास	174	253	427	379	309	689	379	309	689	636	420	1,056
v) मत्स्यपालन	342	392	735	587	444	1,031	587	444	1,031	1,007	676	1,683
vi) वनिकी और वन्य जीवन	2,816	2,888	5,704	3,493	2,627	6,120	3,493	2,627	6,120	3,763	3,969	7,732
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	170	326	496	262	356	618	262	356	618	283	533	816
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	282	457	739	1,109	532	1,641	1,109	532	1,641	889	782	1,671
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	57	125	181	90	141	231	90	141	231	120	214	334
2. ग्रामीण विकास	11,850	1,355	13,205	18,046	1,478	19,524	18,171	1,478	19,649	18,230	2,223	20,453
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,226	—	2,226	9,052	—	9,052	9,052	—	9,052	3,699	—	3,699
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	972	963	1,935	527	981	1,508	527	981	1,508	2,067	1,434	3,501
<i>नियंत्रण से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	968	903	1,871	527	910	1,437	527	910	1,437	2,067	1,359	3,426
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	3	61	64	—	71	71	—	71	71	—	75	75
5. ऊर्जा	5,673	8,099	13,772	32,855	1,382	34,237	32,730	1,382	34,112	25,692	1,468	27,160
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	5,612	8,099	13,711	32,540	1,382	33,922	32,540	1,382	33,922	25,452	1,468	26,920
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,394	4,519	6,912	2,440	4,069	6,510	2,440	4,069	6,510	3,373	5,261	8,634
ii) उद्योग @	2,047	1,370	3,417	2,098	1,554	3,652	2,098	1,554	3,652	2,943	2,300	5,243
iii) अन्य**	347	3,149	3,496	342	2,516	2,858	342	2,516	2,858	430	2,961	3,391
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	-	7,938	7,938	-	8,521	8,521	-	8,521	8,521	-	10,281	10,281
i) सड़क और पुल	-	7,938	7,938	-	8,521	8,521	-	8,521	8,521	-	10,281	10,281
ii) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	14	14	-	31	31	-	31	31	-	40	40
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,926	1,584	4,510	7,411	2,071	9,482	7,411	2,071	9,482	6,300	2,892	9,192
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,256	519	2,775	6,625	797	7,422	6,625	797	7,422	4,821	1,036	5,857
ii) पर्यटन	286	100	386	364	163	527	364	163	527	990	236	1,226
iii) नागरिक आपूर्ति	179	510	690	125	488	613	125	488	613	150	707	857
iv) अन्य +	204	456	660	297	623	920	297	623	920	339	913	1,252
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	3,029	74,798	77,827	3,946	85,770	89,716	3,946	85,770	89,716	4,547	101,230	105,778
क. राज्य के अंग	-	6,548	6,548	30	5,014	5,044	-	4,943	4,943	-	6,095	6,095
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	203	2,550	2,752	250	7,598	7,848	250	7,598	7,848	300	3,870	4,170
i) कर और शुल्क का संग्रह	203	2,540	2,742	250	7,582	7,832	250	7,582	7,832	300	3,842	4,142
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	10	10	-	16	16	-	16	16	-	28	28
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	20,068	20,068	-	24,394	24,394	-	24,394	24,394	-	26,012	26,012
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	1,169	1,169	-	1,352	1,352	-	1,352	1,352	-	1,409	1,409
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	18,899	18,899	-	23,042	23,042	-	23,042	23,042	-	24,603	24,603
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	1,052	1,052	-	2,888	2,888	-	2,888	2,888	-	2,721	2,721
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	14,333	14,333	-	16,504	16,504	-	16,504	16,504	-	17,881	17,881
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	9,566	9,566	-	11,170	11,170	-	11,170	11,170	-	12,407	12,407
(ख) परस्परपरफ़ पर ब्याज	-	2,793	2,793	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,010	3,010
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	3,514	3,514	-	3,650	3,650	-	3,650	3,650	-	4,000	4,000
iv) अन्य	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	2,827	32,120	34,947	3,666	36,148	39,814	3,666	36,219	39,915	4,247	47,570	51,817
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	-	3,463	3,463	-	4,748	4,748	-	4,748	4,748	-	5,800	5,800
ii) जिला प्रशासन	-	1,094	1,094	-	1,268	1,268	-	1,268	1,268	-	1,766	1,766
iii) पुलिस	-	16,253	16,253	-	16,543	16,543	-	16,543	16,543	-	21,210	21,210
iv) लोक निर्माण	2,523	5,244	7,768	3,232	7,000	10,232	3,232	7,000	10,232	3,254	8,729	11,983
v) अन्य ++	304	6,066	6,370	434	6,588	7,022	464	6,659	7,123	994	10,066	11,059
ङ. फ़ैशन	-	13,470	13,470	-	12,557	12,557	-	12,557	12,557	-	17,600	17,600
च. विविध सामान्य सेवाएँ	-	42	42	-	59	59	-	59	59	-	84	84
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य लैटरी के कारण भुगतान	-	39	39	-	56	56	-	56	56	-	81	81
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और सम्पुर्ण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	64,899	125,940	190,839	66,442	136,823	203,264	87,341	158,953	246,294	98,595	184,573	283,169
I. विकास व्यय (क + ख)	63,024	63,249	126,274	65,310	65,887	131,197	84,721	81,309	166,030	93,802	89,639	183,441
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	33,934	35,745	69,678	32,354	36,029	68,383	46,010	46,092	92,102	58,268	51,607	109,874
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,405	17,855	33,260	12,631	19,226	31,857	17,602	21,733	39,335	20,011	28,529	48,540
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,098	4,270	8,368	10,282	5,205	15,487	10,624	5,501	16,125	18,616	6,997	25,613
3. परिवार कल्याण	1,465	16	1,481	192	20	212	1,777	20	1,796	1,646	29	1,675
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,989	3,573	7,561	3,550	2,041	5,592	4,986	3,835	8,821	5,089	2,660	7,748
5. आवास	748	413	1,161	383	432	815	668	432	1,100	245	446	691
6. शहरी विकास	1,867	576	2,443	1,047	433	1,480	1,590	713	2,303	1,873	602	2,475
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,707	5,843	8,550	2,360	6,136	8,496	2,668	6,382	9,050	4,561	9,065	13,626
8. श्रम और श्रम कल्याण	249	182	430	180	209	389	327	236	564	229	306	535
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,960	684	2,644	768	702	1,470	4,063	926	4,989	3,793	945	4,737
10. पोषण	1,248	29	1,277	750	29	779	1,502	31	1,532	1,990	37	2,027
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	1,578	1,578	—	719	719	—	5,266	5,266	—	740	740
12. अन्य*	198	728	925	210	877	1,087	204	1,017	1,221	215	1,252	1,467
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	29,091	27,505	56,596	32,956	29,858	62,814	38,711	35,217	73,928	35,534	38,032	73,566
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	12,740	7,850	20,591	7,612	8,489	16,101	13,433	9,978	23,410	18,103	12,209	30,312
i) फसल उत्पादन	7,668	1,499	9,167	4,345	1,568	5,913	7,571	1,813	9,383	14,036	2,298	16,335
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	305	576	881	350	661	1,011	363	686	1,049	300	970	1,270
iii) पशुपालन	1,115	1,177	2,292	671	1,375	2,047	1,235	1,517	2,752	780	1,995	2,775
iv) डेरी विकास	49	45	94	50	52	102	72	59	132	50	76	126
v) मत्स्यपालन	568	181	749	396	228	623	948	255	1,203	650	336	986
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,284	1,610	3,894	1,027	1,761	2,788	2,475	2,119	4,594	1,268	2,587	3,855
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	81	2,400	2,481	105	2,426	2,531	105	3,050	3,155	96	3,347	3,443
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12	—	12	12	—	12	12	—	12	17	—	17
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सत्कारिता	515	244	759	483	297	780	483	333	816	652	435	1,088
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	143	118	262	173	120	293	169	146	314	253	165	418
2. ग्रामीण विकास	4,570	498	5,068	6,417	895	7,313	6,325	1,032	7,357	4,408	1,270	5,678
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,891	—	2,891	614	—	614	1,458	—	1,458	3,512	—	3,512
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	540	108	648	266	126	392	266	156	422	274	186	460
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1
ii) लघु सिंचाई	505	108	613	250	126	376	250	156	406	258	186	444
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ऊर्जा	3,176	11,341	14,517	2,400	12,052	14,452	2,359	14,185	16,544	2,856	13,735	16,591
जिसमें से: पावर	3,129	11,341	14,470	2,339	12,063	14,402	2,359	14,184	16,543	2,806	13,735	16,541
उद्योग और खनिज (1 से iii)	1,904	1,075	2,979	1,554	1,215	2,769	1,661	1,451	3,112	1,579	1,776	3,355
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,792	898	2,690	1,474	1,013	2,487	1,582	1,227	2,809	1,499	1,481	2,980
ii) उद्योग @	113	176	289	80	202	282	79	224	303	80	295	375
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
मिजोरम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii) i) सड़क और पुल ii) अन्य @	1,812 1,227	5,129 3,772	6,941 4,999	1,977 910	5,442 3,776	7,419 4,686	2,499 938	6,164 4,333	8,662 5,271	2,089 888	6,466 4,863	8,555 5,751
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	586	1,357	1,942	1,067	1,666	2,733	1,561	1,831	3,391	1,201	1,603	2,804
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv) i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ ii) पर्यटन iii) नागरिक आपूर्ति iv) अन्य +	243 1,214 231 388 323 271	9 1,495 442 99 608 345	252 2,709 673 488 932 617	234 11,881 11,091 330 210 250	23 1,615 531 105 620 360	257 13,497 11,622 435 831 610	232 10,480 9,525 364 263 328	27 2,225 632 135 1,031 427	258 12,705 10,157 499 1,295 755	234 2,479 1,552 390 229 308	34 2,356 791 141 904 520	268 4,835 2,343 531 1,133 828
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च) क. राज्य के अंग ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii) i) कर और शुल्क का संग्रह ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	1,875 38 120 120 -	62,691 2,977 2,185 2,125 60	64,565 3,015 2,305 2,245 60	1,132 43 100 100 -	70,936 3,091 2,401 2,339 62	72,067 3,135 2,501 2,439 62	2,620 69 220 220 -	77,644 4,752 2,897 2,818 79	80,264 4,821 3,117 3,037 79	4,794 105 122 122 -	94,934 4,521 3,379 3,298 81	99,728 4,626 3,501 3,420 81
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2) 1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन 2. ब्याज भुगतान (i से iv) i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से: (क) बाजार ऋण पर ब्याज (ख) परस्परपरफू पर ब्याज iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज iv) अन्य	- - - - - - - -	22,201 1,400 20,801 2,969 11,124 9,672 1,418 6,708	22,201 1,400 20,801 2,969 11,124 9,672 1,418 6,708	- - - - - - - -	21,813 1,500 20,313 3,170 12,293 10,897 1,367 4,850	21,813 1,500 20,313 3,170 12,293 10,897 1,367 4,850	- - - - - - - -	24,429 1,500 22,929 3,542 13,323 11,905 1,374 6,063	24,429 1,500 22,929 3,542 13,323 11,905 1,374 6,063	- - - - - - - -	25,590 1,600 23,990 3,524 13,307 11,905 1,349 7,159	25,590 1,600 23,990 3,524 13,307 11,905 1,349 7,159
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v) i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ ii) जिला प्रशासन iii) पुलिस iv) लोक निर्माण v) अन्य ++ ड. पेंशन च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से: राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	1,717 - 142 527 270 778 - -	25,534 2,332 1,541 14,275 2,342 5,044 80 80	27,251 2,332 1,682 14,802 2,612 5,823 9,714 80	988 200 10 280 498 - - -	32,957 8,945 1,575 14,968 2,489 4,980 73 73	33,945 8,945 1,775 14,978 2,769 5,479 73 73	2,331 - 196 1,205 274 656 - -	34,871 3,032 1,857 21,069 2,850 6,063 95 95	37,202 3,032 2,053 22,273 3,124 6,720 95 95	3,097 936 250 809 230 872 1,470 -	46,507 8,460 2,184 26,222 3,108 6,533 14,841 97	49,604 9,395 2,434 27,032 3,338 7,404 16,311 97
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से: स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और सम्पुर्देशन	- - - -	- 80 - -	- 80 - -	- - - -	- 73 - -	- 73 - -	- 73 - -	- - - -	- 95 - -	- 97 - -	- - - -	- 97 - -

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
नागालैंड

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	48,299	208,927	257,226	52,082	215,712	267,794	71,069	236,442	307,510	78,883	238,124	317,007
I. विकास व्यय (क + ख)	47,489	90,392	137,881	51,114	90,202	141,316	69,857	97,577	167,234	77,998	97,770	175,769
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	15,579	50,116	65,695	17,341	47,764	65,105	21,256	50,693	71,948	26,073	51,587	77,661
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,272	31,709	37,981	6,819	31,603	38,422	7,814	33,542	41,356	7,309	34,295	41,604
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	857	10,557	11,415	1,518	9,603	11,120	942	10,026	10,968	1,413	10,739	12,152
3. परिवार कल्याण	655	147	802	1,867	495	2,362	875	525	1,400	1,218	561	1,779
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	86	2,124	2,210	127	2,430	2,556	154	2,522	2,676	80	2,697	2,777
5. आवास	400	1,486	1,886	400	333	733	453	340	793	—	370	370
6. शहरी विकास	1,211	44	1,255	19	—	19	130	-560	-430	100	-776	-676
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	127	—	127	1,331	—	1,331	3,226	—	3,226	1,876	—	1,876
8. श्रम और श्रम कल्याण	414	694	1,108	295	726	1,020	268	886	1,154	475	945	1,420
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,701	1,368	4,069	2,394	770	3,164	3,726	1,083	4,809	6,694	814	7,508
10. पोषण	2,608	15	2,624	2,370	17	2,387	3,215	17	3,231	6,537	17	6,553
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	585	585	—	416	416	—	821	821	—	429	429
12. अन्य*	247	1,387	1,634	202	1,373	1,575	453	1,492	1,945	371	1,497	1,868
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	31,910	40,276	72,186	33,773	42,437	76,211	48,401	46,885	95,285	51,925	46,183	98,108
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	9,285	11,260	20,545	9,672	9,960	19,633	12,265	10,439	22,704	14,357	11,043	25,400
i) फसल उत्पादन	3,962	3,104	7,066	2,668	2,549	5,217	4,898	2,698	7,596	4,096	2,792	6,888
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,049	1,318	3,366	1,398	1,162	2,560	2,124	1,178	3,302	1,655	1,274	2,929
iii) पशुपालन	1,088	2,360	3,448	1,220	2,302	3,521	1,327	2,381	3,707	1,960	2,469	4,429
iv) डेरी विकास	—	44	44	180	29	209	2	29	31	728	31	759
v) मत्स्यपालन	299	459	759	468	470	938	713	505	1,218	886	544	1,430
vi) वनिकी और वन्य जीवन	1,414	2,330	3,744	3,059	1,864	4,923	2,108	2,031	4,139	1,917	2,137	4,054
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	22	650	672	22	676	699	35	709	744	111	764	875
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	155	409	564	183	444	627	273	420	692	1,331	521	1,852
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	295	587	882	474	465	939	787	487	1,274	1,673	512	2,185
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	7,570	1,351	8,921	5,202	4,327	9,529	8,734	3,391	12,126	6,710	2,829	9,539
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,190	1,407	3,597	3,050	262	3,312	8,649	275	8,924	8,497	292	8,789
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5,474	821	6,295	5,020	911	5,931	7,128	961	8,089	10,587	1,042	11,629
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	5,474	821	6,295	5,020	911	5,931	7,128	961	8,089	10,587	1,042	11,629
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ऊर्जा	60	11,744	11,804	51	11,603	11,654	494	15,491	15,985	517	14,945	15,462
जिसमें से: पावर	9	11,706	11,716	—	11,562	11,562	—	15,448	15,448	—	14,900	14,900
उद्योग और खनिज (1 से iii)	1,457	2,500	3,957	4,397	2,425	6,822	4,828	2,609	7,437	3,312	2,751	6,063
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,267	1,906	3,173	4,204	1,779	5,982	4,559	1,935	6,493	2,934	2,023	4,957
ii) उद्योग @	190	594	784	193	646	839	269	674	943	378	728	1,106
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	408,908	1,383,419	1,772,327	536,770	1,733,885	2,270,655	611,155	1,993,814	2,604,969	632,386	2,259,531	2,891,917
I. विकास व्यय (क + ख)	405,828	608,688	1,014,516	530,619	692,447	1,223,067	604,719	1,020,911	1,625,631	623,579	1,095,270	1,718,850
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	231,782	409,869	641,651	282,811	483,541	766,351	310,063	715,478	1,025,541	383,775	739,637	1,123,412
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	68,173	257,849	326,022	106,465	289,021	395,486	108,269	391,619	499,887	103,080	488,641	591,721
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,980	51,557	61,537	22,231	65,538	87,770	19,593	86,046	105,640	18,882	99,751	118,633
3. परिवार कल्याण	9,969	1,115	11,085	13,330	1,457	14,787	13,419	2,056	15,475	40,605	2,448	43,054
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	24,312	11,099	35,411	12,351	10,941	23,292	13,881	13,608	27,489	16,852	16,383	33,235
5. आवास	1,307	12,934	14,241	15	14,328	14,343	15	14,724	14,739	11	15,416	15,427
6. शहरी विकास	19,848	2,369	22,217	12,347	2,576	14,923	12,879	3,072	15,951	29,225	2,887	32,112
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	31,381	17,295	48,676	34,001	18,832	52,833	38,989	24,630	63,619	41,590	35,191	76,782
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,631	2,786	5,417	742	2,973	3,715	4,683	4,102	8,785	7,228	4,837	12,066
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	40,985	24,646	65,631	56,847	25,470	82,317	70,091	26,394	96,485	84,840	27,775	112,615
10. पोषण	21,438	120	21,558	21,961	162	22,123	26,461	223	26,685	38,926	278	39,204
11. प्रकृतिक आपदाओं के कारण राहत	493	24,063	24,555	1,250	47,897	49,147	100	143,266	143,366	1,000	39,586	40,586
12. अन्य*	1,265	4,035	5,300	1,270	4,345	5,615	1,682	5,738	7,420	1,536	6,442	7,978
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	174,046	198,819	372,865	247,809	208,907	456,715	294,657	305,433	600,090	239,804	355,634	595,438
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	38,456	50,577	89,033	60,115	55,336	115,451	69,397	124,541	193,938	70,419	167,754	238,174
i) फसल उत्पादन	13,652	14,187	27,839	24,257	15,398	39,654	31,342	20,962	52,304	35,079	23,779	58,858
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	4,021	3,315	7,336	3,130	3,553	6,683	3,184	4,914	8,098	5,280	5,863	11,143
iii) पशुपालन	1,791	9,179	10,969	2,997	10,065	13,062	4,336	14,296	18,634	1,814	16,654	18,468
iv) डेरी विकास	124	39	163	669	41	709	669	57	725	418	68	486
v) मत्स्यपालन	722	2,055	2,777	3,042	2,236	5,278	3,283	3,228	6,511	2,283	3,666	5,949
vi) वानिकी और वन्य जीवन	11,346	10,137	21,484	16,964	11,944	28,908	17,362	16,217	33,579	17,605	17,837	35,442
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	1,787	4,498	6,286	3,526	4,633	8,159	3,528	54,982	58,510	741	86,865	87,406
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	389	3,030	3,419	390	3,015	3,405	478	3,602	4,079	1,390	5,716	7,106
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	4,526	3,921	8,448	5,028	4,194	9,222	5,104	5,907	11,011	5,481	7,080	12,561
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	97	216	313	113	256	369	111	377	488	328	427	755
ग्रामीण विकास	56,689	29,424	86,113	77,912	31,071	108,983	95,904	36,292	132,196	78,912	39,213	118,124
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	13,908	31,492	45,401	12,406	31,123	43,528	17,264	46,019	63,283	15,978	42,304	58,282
जिल्ले से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	200	16,948	17,148	140	18,800	18,940	490	24,393	24,883	440	24,944	25,384
ii) लघु सिंचाई	10,640	6,679	17,319	8,357	6,600	14,957	12,606	8,876	21,483	12,143	10,038	22,181
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	7,407	7,407	—	5,200	5,200	—	12,118	12,118	—	6,649	6,649
ऊर्जा	18,544	454	18,998	22,477	431	22,908	29,168	658	29,826	9,025	619	9,643
जिल्ले से: पावर	17,873	437	18,310	20,120	404	20,524	27,024	631	27,733	8,325	592	8,916
उद्योग और खनिज (1 से iii)	7,764	5,423	13,187	12,433	5,701	18,134	12,246	7,961	20,206	10,754	9,418	20,172
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	4,548	3,659	8,207	7,708	3,900	11,607	7,889	5,434	13,324	5,681	6,402	12,083
ii) उद्योग @	3,126	1,614	4,740	3,698	1,802	5,500	3,530	2,527	6,056	5,072	3,016	8,088
iii) अन्य**	90	150	240	1,027	—	1,027	827	—	827	1	—	1

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	2	75,431	75,433	11,873	78,730	90,603	22,373	80,934	103,307	6,060	85,761	91,821
i) सड़क और पुल	-	74,970	74,970	11,825	78,190	90,015	21,825	80,271	102,096	6,000	85,071	91,071
ii) अन्य @	2	461	463	48	540	588	548	663	1,211	60	690	750
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,516	328	1,844	3,269	388	3,657	3,061	399	3,460	3,171	400	3,572
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	37,167	5,689	42,856	47,325	6,127	53,452	45,243	8,629	53,873	45,485	10,165	55,650
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	36,775	3,834	40,609	46,346	4,122	50,468	44,386	5,822	50,208	44,433	6,854	51,287
ii) पर्यटन	275	443	718	465	427	892	465	584	1,049	795	693	1,488
iii) नागरिक आपूर्ति	10	190	200	74	230	304	77	324	401	14	366	380
iv) अन्य +	107	1,222	1,328	440	1,348	1,788	315	1,899	2,214	243	2,252	2,495
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	3,080	719,641	722,721	6,150	1,003,738	1,009,888	6,435	933,344	939,779	8,807	1,126,404	1,135,211
क. राज्य के अंग	302	11,678	11,980	362	16,030	16,392	404	21,347	21,751	721	23,962	24,683
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	2,018	20,971	22,989	3,882	24,804	28,686	4,172	33,525	37,698	5,268	38,645	43,913
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,018	20,715	22,733	3,882	24,466	28,348	4,172	33,110	37,282	5,268	38,178	43,446
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	256	256	-	338	338	-	416	416	-	467	467
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	386,956	386,956	-	461,237	461,237	-	431,237	431,237	-	459,267	459,267
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	70,007	70,007	-	30,007	30,007	-	7	7	-	7	7
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	316,948	316,948	-	431,230	431,230	-	431,230	431,230	-	459,260	459,260
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	65,560	65,560	-	126,932	126,932	-	126,932	126,932	-	155,475	155,475
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	165,485	165,485	-	229,171	229,171	-	229,171	229,171	-	168,588	168,588
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	73,973	73,973	-	64,773	64,773	-	64,773	64,773	-	66,505	66,505
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	70,686	70,686	-	143,005	143,005	-	143,005	143,005	-	78,743	78,743
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	85,897	85,897	-	75,120	75,120	-	75,120	75,120	-	135,192	135,192
iv) अन्य	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	5	5
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	760	110,452	111,212	1,906	214,084	215,989	1,859	186,652	188,511	2,818	204,220	207,039
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	109	6,140	6,249	455	96,413	96,868	601	8,926	9,527	297	24,310	24,607
ii) जिला प्रशासन	214	5,925	6,139	-	5,923	5,923	-	8,230	8,230	-	9,560	9,560
iii) पुलिस	-	59,627	59,627	-	68,525	68,525	-	95,198	95,198	412	111,760	112,172
iv) लोक निर्माण	56	19,745	19,801	10	21,968	21,978	10	27,017	27,027	10	25,150	25,160
v) अन्य ++	381	19,015	19,396	1,441	21,255	22,696	1,248	27,281	28,528	2,100	33,440	35,540
ङ. पेंशन	-	180,136	180,136	-	279,565	279,565	-	279,565	279,565	-	399,090	399,090
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	9,448	9,448	-	8,018	8,018	-	1,018	1,018	-	1,219	1,219
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	-	35,090	35,090	-	37,700	37,700	-	39,559	39,559	-	37,857	37,857
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समुद्देशन	-	35,090	35,090	-	37,700	37,700	-	39,559	39,559	-	37,857	37,857

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	116,354	2,189,732	2,306,086	220,207	2,305,912	2,526,119	215,080	2,458,025	2,673,106	223,261	2,807,364	3,030,626
I. विकास व्यय (क + ख)	115,782	865,435	981,217	217,311	886,993	1,104,304	213,630	973,616	1,187,246	220,157	1,046,936	1,267,093
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	21,500	411,858	433,358	123,877	462,427	586,304	150,427	489,045	639,472	159,980	552,054	712,034
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,304	260,095	267,399	38,565	278,640	317,204	47,981	286,171	334,152	57,165	340,052	397,217
2. विद्वत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य	617	67,738	68,355	3,962	76,048	80,010	15,620	77,738	93,359	5,424	83,173	88,597
3. परिवार कल्याण	5,581	1,711	7,292	7,250	1,985	9,235	6,230	2,074	8,304	7,650	2,279	9,929
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	28,968	28,968	—	23,716	23,716	—	25,373	25,373	2	26,340	26,342
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. शहरी विकास	—	1,744	1,744	—	4,966	4,966	—	4,522	4,522	—	4,953	4,953
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	654	5,158	5,813	14,420	7,339	21,759	17,913	7,292	25,205	20,751	7,467	28,217
8. श्रम और श्रम कल्याण	33	6,753	6,786	5,329	7,697	13,026	391	7,744	8,136	2,761	8,426	11,187
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,816	12,166	18,982	52,734	13,353	66,087	60,442	24,621	85,063	64,419	28,540	92,958
10. पोषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	24,903	24,903	—	45,808	45,808	—	50,511	50,511	—	47,498	47,498
12. अन्य*	494	2,622	3,116	1,618	2,876	4,494	1,848	2,999	4,847	1,810	3,327	5,137
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	94,282	453,577	547,860	93,433	424,567	518,000	63,203	484,571	547,774	60,177	494,882	555,059
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	19,950	46,265	66,215	44,406	50,160	94,566	34,909	51,556	86,466	37,117	53,354	90,472
i) फसल उत्पादन	10,692	7,696	18,388	26,262	8,900	35,162	20,872	8,959	29,830	17,989	9,762	27,751
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	540	3,450	3,990	1,652	3,548	5,199	2,352	3,433	5,785	4,849	3,576	8,426
iii) पशुपालन	1,953	13,088	15,042	4,297	14,466	18,763	2,815	14,508	17,324	3,547	15,893	19,440
iv) डेरी विकास	1,290	572	1,862	3,949	637	4,586	2,520	618	3,138	2,724	652	3,376
v) मत्स्यपालन	113	760	873	887	861	1,748	600	831	1,432	1,172	862	2,034
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,063	2,691	5,754	5,620	3,364	8,984	4,241	3,815	8,056	5,797	3,723	9,520
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,300	12,590	14,890	700	12,603	13,303	700	13,604	14,304	500	12,613	13,113
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	—	5,081	5,081	1,038	5,418	6,456	809	5,422	6,231	538	5,873	6,411
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	336	336	1	365	366	—	366	366	1	400	401
2. ग्रामीण विकास	797	5,771	6,568	33,848	7,499	41,347	13,739	7,690	21,429	2,520	8,356	10,877
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	56,767	56,767	—	68,415	68,415	—	69,201	69,201	—	75,004	75,004
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	46,463	46,463	—	56,474	56,474	—	56,699	56,699	—	61,733	61,733
ii) लघु सिंचाई	—	4,813	4,813	—	5,483	5,483	—	6,559	6,559	—	6,762	6,762
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	5,491	5,491	—	5,808	5,808	—	5,943	5,943	—	6,510	6,510
5. ऊर्जा	—	285,106	285,106	—	200,464	200,464	—	260,638	260,638	—	260,501	260,501
<i>जिसमें से:</i>												
उद्योग और खनिज (1 से iii)	130	12,705	12,835	303	13,124	13,427	404	13,241	13,645	575	13,341	13,916
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	130	2,510	2,640	303	2,911	3,213	404	3,027	3,431	575	3,116	3,691
ii) उद्योग @	—	10,195	10,195	—	10,214	10,214	—	10,214	10,214	—	10,225	10,225
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	-	36,364	36,364	-	46,958	46,958	-	44,513	44,513	-	45,941	45,941
i) सड़क और पुल	-	14,303	14,303	-	23,626	23,626	-	23,762	23,762	-	23,628	23,628
ii) अन्य @	-	22,061	22,061	-	23,332	23,332	-	20,751	20,751	-	22,313	22,313
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,304	94	1,398	3,061	99	3,160	1,162	99	1,261	1,360	118	1,478
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	72,102	10,504	82,605	11,815	37,847	49,662	12,989	37,633	50,622	18,605	38,266	56,870
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	72,065	611	72,677	11,416	734	12,150	12,345	740	13,085	18,203	833	19,035
ii) पर्यटन	10	72	82	100	73	173	340	107	447	145	120	265
iii) नागरिक आपूर्ति	25	8,635	8,660	276	35,713	35,989	292	35,456	35,748	235	35,896	36,131
iv) अन्य +	2	1,185	1,187	23	1,327	1,350	13	1,329	1,342	22	1,417	1,439
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	572	1,288,618	1,289,190	2,896	1,337,094	1,339,990	1,450	1,398,280	1,399,731	3,105	1,667,578	1,670,683
क. राज्य के अंग	124	18,386	18,510	180	20,609	20,789	130	24,205	24,335	120	26,485	26,605
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	350	21,340	21,689	1,758	23,327	25,085	758	23,439	24,197	1,963	25,098	27,060
i) कर और शुल्क का संग्रह	350	17,507	17,857	1,758	21,727	23,485	758	22,124	22,881	1,963	23,687	25,650
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	-	3,832	3,832	-	1,600	1,600	-	1,316	1,316	-	1,410	1,410
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	452,692	452,692	-	481,787	481,787	-	485,608	485,608	-	534,864	534,864
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	452,692	452,692	-	481,787	481,787	-	485,608	485,608	-	534,864	534,864
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	4,659	4,659	-	4,470	4,470	-	4,553	4,553	-	4,414	4,414
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	363,105	363,105	-	379,087	379,087	-	390,305	390,305	-	435,425	435,425
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	85,105	85,105	-	116,052	116,052	-	114,086	114,086	-	162,500	162,500
(ख) परस्परपरफू पर ब्याज	-	214,102	214,102	-	203,455	203,455	-	217,303	217,303	-	219,032	219,032
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	64,207	64,207	-	72,807	72,807	-	66,800	66,800	-	65,201	65,201
iv) अन्य	-	20,721	20,721	-	25,424	25,424	-	23,950	23,950	-	29,823	29,823
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	99	206,075	206,174	958	235,500	236,458	563	246,918	247,481	1,022	347,871	348,893
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	4	6,780	6,784	630	8,364	8,994	252	8,725	8,977	482	10,116	10,598
ii) जिला प्रशासन	-	11,505	11,505	-	13,092	13,092	-	16,876	16,876	-	13,823	13,823
iii) पुलिस	-	142,442	142,442	-	157,593	157,593	86	164,955	165,040	2	184,876	184,878
iv) लोक निर्माण	-	21,212	21,212	-	28,595	28,595	-	28,899	28,899	-	29,637	29,637
v) अन्य ++	95	24,137	24,232	328	27,857	28,185	224	27,464	27,688	538	109,956	109,956
ङ. पेंशन	-	243,259	243,259	-	211,198	211,198	-	253,426	253,426	-	365,076	365,076
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	-	346,865	346,865	-	364,673	364,673	-	364,684	364,684	-	368,184	368,184
राज्य लैटरी के कारण भुगतान	-	346,617	346,617	-	364,461	364,461	-	364,461	364,461	-	367,231	367,231
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	-	35,679	35,679	-	81,824	81,824	-	86,129	86,129	-	92,850	92,850
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और समुद्रेशन	-	35,679	35,679	-	81,824	81,824	-	86,129	86,129	-	92,850	92,850

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
राजस्थान

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	513,367	2,399,398	2,912,765	628,553	2,551,758	3,180,311	606,567	2,860,053	3,466,620	654,043	3,313,618	3,967,661
I. विकास व्यय (क + ख)	499,107	1,319,774	1,818,882	612,491	1,340,686	1,953,177	594,845	1,525,358	2,120,003	650,845	1,787,302	2,438,147
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	191,912	828,089	1,020,002	259,116	964,803	1,223,919	274,685	1,108,549	1,383,234	301,373	1,331,030	1,632,403
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	59,485	482,830	542,315	95,816	580,480	676,296	85,547	661,752	747,299	96,763	816,594	913,357
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	19,206	98,663	117,869	35,545	120,336	155,880	24,233	143,136	167,369	31,661	180,904	212,564
3. परिवार कल्याण	22,470	2,608	25,078	27,490	1,401	28,890	32,156	1,705	33,861	39,987	2,108	42,095
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,256	93,085	94,341	87	94,474	94,561	108	118,569	118,678	134	132,537	132,670
5. आवास	—	2,651	2,651	—	2,751	2,751	—	3,164	3,164	—	3,820	3,820
6. शहरी विकास	12,483	65,172	77,655	15,468	73,345	88,813	21,220	73,504	94,724	17,215	80,543	97,757
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	26,593	4,800	31,393	25,549	5,295	30,845	44,082	6,053	50,134	33,867	7,148	41,015
8. श्रम और श्रम कल्याण	903	5,139	6,042	1,852	6,200	8,052	2,017	7,348	9,364	1,568	9,089	10,657
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,249	30,113	43,362	12,246	28,388	40,634	15,617	36,512	52,129	14,156	41,524	55,681
10. पोषण	36,174	144	36,318	44,850	167	45,017	49,462	211	49,673	66,023	262	66,285
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	39,160	39,160	—	48,416	48,416	—	50,208	50,208	—	51,546	51,546
12. अन्य*	93	3,725	3,817	213	3,550	3,763	243	6,388	6,631	—	4,956	4,956
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	307,195	491,685	798,880	353,375	375,882	729,258	319,960	416,809	736,769	349,472	456,272	805,744
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	38,011	56,551	94,562	52,389	67,502	119,891	52,983	81,505	134,489	64,982	99,122	164,104
i) फसल उत्पादन	28,251	13,947	42,198	35,640	16,292	51,932	40,841	19,195	60,037	49,360	23,630	72,990
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,289	1,853	3,141	3,015	1,783	4,799	2,839	2,414	5,253	4,207	2,113	6,320
iii) पशुपालन	2,740	14,433	17,172	5,116	18,095	23,211	2,552	21,188	23,740	2,684	27,612	30,296
iv) डेरी विकास	357	—	357	200	—	200	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	66	806	872	92	945	1,037	77	1,108	1,185	127	1,441	1,568
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,071	17,060	20,131	2,390	21,079	23,468	3,604	26,963	30,567	4,566	34,007	38,573
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	65	—	65	92	—	92	56	—	56	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	800	5,311	6,110	777	5,449	6,226	777	5,452	6,229	827	5,449	6,276
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,374	2,810	4,183	4,517	3,466	7,983	1,887	4,705	6,592	3,211	4,270	7,481
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	332	332	550	393	943	350	479	829	—	600	600
2. ग्रामीण विकास	109,838	33,708	143,547	189,311	47,265	236,576	156,116	62,942	219,058	198,230	60,154	258,384
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	19	—	19	33	—	33	33	—	33	45	—	45
4. विचारों और बाढ़ नियंत्रण	1,748	103,390	105,138	3,574	108,074	111,648	2,701	114,281	116,982	2,999	121,678	124,677
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	831	92,063	92,894	1,210	97,827	99,038	1,116	101,921	103,037	1,287	109,681	110,968
ii) लघु सिंचाई	25	7,560	7,585	1,385	8,052	9,437	405	9,999	10,404	775	11,816	12,591
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ऊर्जा	58,811	247,570	306,381	50,351	96,735	147,086	40,087	98,268	138,355	40,302	106,947	147,249
जिसमें से: पावर	58,750	247,570	306,320	50,255	96,735	146,990	40,000	98,268	138,268	40,187	106,947	147,134
उद्योग और खनिज (1 से iii)	3,080	7,318	10,398	2,905	7,793	10,697	2,443	10,002	12,443	3,009	11,728	14,737
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,461	1,355	2,816	1,668	1,332	3,000	1,769	1,599	3,368	2,129	1,425	3,554
ii) उद्योग @	1,618	5,963	7,582	1,237	6,460	7,697	674	8,402	9,076	881	10,302	11,183
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	29,022	36,823	65,845	35,000	41,090	76,090	38,000	41,207	79,207	33,205	46,445	79,650
i) सड़क और पुल	29,022	35,597	64,619	35,000	41,080	76,080	38,000	40,015	78,015	33,195	43,945	77,140
ii) अन्य @	-	1,226	1,226	-	10	10	-	1,193	1,193	10	2,500	2,510
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	325	287	612	398	333	732	349	423	772	486	516	1,002
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	66,341	6,037	72,379	19,414	7,091	26,505	27,248	8,182	35,430	6,214	9,683	15,897
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	60,685	987	61,672	14,304	1,238	15,542	22,193	1,536	23,729	629	1,889	2,518
ii) पर्यटन	1,956	304	2,259	1,755	360	2,115	1,735	426	2,161	1,900	524	2,424
iii) नागरिक आपूर्ति	784	3,401	4,185	795	3,970	4,765	743	4,293	5,037	750	4,901	5,651
iv) अन्य +	2,917	1,345	4,263	2,561	1,522	4,083	2,576	1,927	4,502	2,935	2,370	5,305
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	14,259	1,077,969	1,092,228	16,062	1,209,901	1,225,963	11,922	1,332,080	1,344,002	3,198	1,525,201	1,528,398
क. राज्य के अंग	1,288	23,237	24,525	1,952	29,480	31,432	1,801	38,035	39,835	1,836	45,613	47,450
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	10,458	41,973	52,431	13,802	49,825	63,627	6,925	59,714	66,639	1,201	70,294	71,495
i) कर और शुल्क का संग्रह	10,458	41,474	51,931	13,802	49,826	63,628	6,925	59,354	66,279	1,201	70,092	71,293
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	-	500	500	-	199	199	-	360	360	-	202	202
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	594,300	594,300	-	644,052	644,052	-	624,156	624,156	-	675,419	675,419
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	594,300	594,300	-	644,052	644,052	-	624,156	624,156	-	675,419	675,419
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	61,319	61,319	-	63,595	63,595	-	62,153	62,153	-	62,775	62,775
ii) अंतरिक ऋण पर ब्याज	-	403,103	403,103	-	435,590	435,590	-	419,013	419,013	-	474,884	474,884
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	138,354	138,354	-	176,982	176,982	-	160,171	160,171	-	218,214	218,214
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	246,880	246,880	-	239,265	239,265	-	239,265	239,265	-	234,645	234,645
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	126,366	126,366	-	140,337	140,337	-	138,570	138,570	-	150,318	150,318
iv) अन्य	-	3,512	3,512	-	4,531	4,531	-	4,420	4,420	-	-12,558	-12,558
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	2,514	160,469	162,982	308	184,804	185,112	3,196	227,303	230,500	161	276,168	276,328
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	7	5,870	5,877	160	7,221	7,381	2	9,147	9,149	5	10,875	10,880
ii) जिला प्रशासन	-	14,560	14,560	-	17,003	17,003	-	20,970	20,970	-	27,302	27,302
iii) पुलिस	2,086	103,658	105,744	45	121,551	121,595	2,930	146,991	149,921	59	182,689	182,748
iv) लोक निर्माण	91	14,414	14,505	100	15,164	15,264	-	19,698	19,698	25	19,323	19,348
v) अन्य ++	329	21,969	22,298	3	23,866	23,869	264	30,498	30,762	72	35,978	36,051
ङ. पेंशन	-	256,420	256,420	-	300,081	300,081	-	381,053	381,053	-	455,440	455,440
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	1,569	1,569	-	1,659	1,659	-	1,820	1,820	-	2,267	2,267
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	1,655	1,655	-	1,172	1,172	-	2,615	2,615	-	1,115	1,115
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और समुद्रेशन	-	1,655	1,655	-	1,172	1,172	-	2,615	2,615	-	1,115	1,115

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
सिक्किम

मद	2007-08 (लखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	41,977	192,879	234,856	56,384	167,292	223,675	60,004	178,071	238,075	58,108	198,607	256,715
I. विकास व्यय (क + ख)	40,098	35,792	75,890	55,458	36,835	92,293	58,707	42,714	101,421	56,302	52,007	108,309
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	20,794	23,089	43,823	24,992	23,492	48,484	27,540	27,225	54,765	28,340	33,583	61,923
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,337	13,567	23,903	12,715	14,611	27,326	13,029	16,248	29,278	14,022	21,427	35,449
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,758	3,736	6,495	3,237	3,984	7,222	3,103	4,561	7,664	3,424	5,583	9,007
3. परिवार कल्याण	606	—	606	621	—	621	697	—	697	933	—	933
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,207	568	1,775	1,610	608	2,218	1,713	647	2,360	1,254	819	2,073
5. आवास	1,475	304	1,779	941	536	1,477	2,400	936	3,336	1,042	431	1,474
6. शहरी विकास	306	300	606	885	323	1,208	1,331	578	1,909	838	531	1,369
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,089	279	1,369	1,331	281	1,612	1,518	327	1,845	2,045	361	2,405
8. श्रम और श्रम कल्याण	135	93	228	148	100	247	210	100	309	168	148	316
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,602	290	1,892	2,036	372	2,407	2,168	490	2,657	2,649	421	3,070
10. पोषण	493	47	539	920	48	967	820	48	867	1,495	55	1,551
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	228	3,220	3,449	—	1,925	1,925	1	2,045	2,046	—	2,700	2,700
12. अन्य*	498	686	1,184	550	704	1,254	550	1,246	1,796	469	1,107	1,576
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	19,353	12,703	32,056	30,466	13,343	43,809	31,167	15,489	46,655	27,962	18,424	46,386
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	7,991	5,453	13,444	11,396	5,625	17,021	12,171	6,263	18,434	8,694	7,787	16,481
i) फसल उत्पादन	1,787	1,268	3,055	2,838	1,276	4,114	3,336	1,410	4,747	1,805	2,074	3,879
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	164	296	460	145	308	453	157	318	475	136	884	1,020
iii) पशुपालन	1,148	737	1,885	1,610	777	2,388	1,728	861	2,590	1,223	1,200	2,423
iv) डेरी विकास	160	20	180	685	29	714	685	29	714	149	26	175
v) मत्स्यपालन	66	170	236	163	175	338	163	180	343	54	197	251
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,539	1,273	2,812	1,535	1,327	2,862	1,630	1,451	3,081	1,562	1,434	2,996
vii) बागान	—	294	294	—	282	282	—	313	313	—	304	304
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	190	1,028	1,218	236	1,033	1,268	229	1,033	1,262	186	1,077	1,263
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	34	—	34	25	—	25	25	—	25	24	—	24
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सत्कारिता	357	366	723	400	418	818	308	418	726	394	591	985
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2,546	—	2,546	3,759	—	3,759	3,909	250	4,159	3,161	—	3,161
2. ग्रामीण विकास	3,529	325	3,854	4,081	334	4,414	4,359	389	4,748	4,583	652	5,235
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	142	—	142	150	—	150	154	—	154	150	—	150
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,221	131	1,352	5,934	148	6,082	5,984	198	6,182	4,901	186	5,087
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	609	124	733	944	141	1,085	945	191	1,136	4,595	178	4,773
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	607	7	614	4,945	7	4,952	4,995	7	5,002	261	7	268
5. ऊर्जा	1,799	2,010	3,809	2,454	2,266	4,720	2,602	2,448	5,050	2,643	2,844	5,487
जिसमें से: पावर												
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	1,717	2,010	3,727	2,396	2,266	4,662	2,544	2,448	4,992	2,566	2,844	5,410
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,451	446	1,897	1,574	456	2,029	1,845	525	2,370	1,597	726	2,323
ii) उद्योग @	866	345	1,211	1,008	353	1,361	1,045	422	1,467	1,014	552	1,566
iii) अन्य**	585	101	686	566	103	669	800	103	903	583	174	757
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)												
I. विकास व्यय (क + ख)												
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)												
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	829,711	3,467,790	4,297,501	1,030,309	4,111,847	5,142,156	1,039,353	4,500,903	5,540,256	1,095,664	4,833,865	5,929,528
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	797,128	1,552,565	2,349,693	998,427	1,860,343	2,858,770	1,006,595	2,184,969	3,191,564	1,063,544	2,169,551	3,233,095
3. परिवार कल्याण	672,417	900,145	1,572,563	802,481	1,158,981	1,961,462	821,188	1,386,806	2,207,995	841,988	1,340,082	2,182,070
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	57,784	626,791	684,575	78,971	840,669	919,640	61,238	869,939	931,177	86,439	976,769	1,063,207
5. आवास	11,020	133,203	144,223	15,515	179,209	194,725	22,646	181,818	204,464	31,624	217,919	249,543
6. शहरी विकास	25,402	4,080	29,482	37,035	4,988	42,022	37,422	5,540	42,963	43,680	6,327	50,006
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,952	1,675	4,628	7,586	1,253	8,840	22,060	1,555	23,615	18,159	1,685	19,844
8. श्रम और श्रम कल्याण	42,053	3,662	45,715	73,776	3,808	77,583	67,926	63,264	131,190	35,821	3,961	39,782
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	72,890	4,696	77,586	72,338	4,000	76,338	70,234	6,713	76,947	85,483	4,497	89,980
10. पोषण	62,279	33,506	95,786	70,592	43,422	114,014	70,410	45,884	116,294	70,266	52,767	123,034
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2,306	11,678	13,984	3,872	15,761	19,633	5,803	15,498	21,301	5,063	19,143	24,206
12. अन्य*	207,597	29,113	236,710	232,058	34,780	266,838	239,749	34,943	274,692	243,131	39,422	282,553
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)												
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	112,164	1,158	113,321	134,486	1,759	136,245	147,467	1,536	149,003	172,158	1,670	173,828
i) फसल उत्पादन	—	42,709	42,709	—	19,558	19,558	—	149,957	149,957	—	4,354	4,354
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	75,969	7,876	83,845	76,253	9,773	86,026	76,232	10,159	86,391	50,164	11,568	61,732
iii) पशुपालन	124,711	652,419	777,130	195,946	701,362	897,308	185,406	798,162	983,569	221,556	829,469	1,051,025
iv) डेरी विकास	49,447	133,740	183,187	79,495	150,659	230,154	96,036	153,066	249,102	119,964	161,115	281,079
v) मत्स्यपालन	13,606	73,594	87,200	37,604	74,895	112,500	53,649	75,316	128,964	73,285	75,001	148,287
vi) वानिकी और वन्य जीवन	7,147	1,988	9,135	11,387	2,549	13,936	5,995	2,002	7,996	6,898	2,056	8,893
vii) बागान	1,747	12,927	14,675	1,299	17,241	18,539	3,670	17,613	21,282	1,041	19,748	20,790
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	938	1,323	2,261	1,443	1,827	3,270	2,682	1,854	4,536	1,320	2,111	3,431
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	9,065	1,790	10,855	8,664	2,595	11,258	9,440	2,331	11,772	5,754	2,602	8,355
x) कृषि वित्त संस्थाएं	3,531	9,517	13,048	5,041	11,673	16,714	4,767	13,130	17,897	5,414	14,721	20,135
xi) सत्कारिता	—	2	2	2	—	2	—	3	3	—	3	3
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	10,487	8,307	18,794	10,804	9,905	20,709	11,808	9,439	21,247	11,502	10,582	22,084
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,766	20,307	23,073	3,133	23,905	27,038	3,634	24,366	28,000	14,653	26,305	40,958
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	160	3,984	4,143	119	6,069	6,188	392	7,013	7,405	156	7,986	8,143
<i>जिल्लों से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	46,251	34,232	80,483	71,539	28,262	99,801	46,280	31,278	77,558	53,382	32,724	86,106
ii) लघु सिंचाई	1,127	76	1,203	983	95	1,077	1,342	73	1,415	1,164	107	1,271
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	2,417	60,469	62,886	4,963	58,301	63,264	5,524	62,336	67,860	6,920	66,829	73,750
5. ऊर्जा	405	55,651	56,056	2,158	52,422	54,580	2,874	56,210	59,085	4,467	60,410	64,877
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	375	4,204	4,579	586	5,580	6,166	573	5,508	6,081	489	5,802	6,291
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	—	614	614	—	299	299	—	617	617	—	617	617
ii) उद्योग @	111	116,915	117,026	170	122,096	122,266	179	129,271	129,450	196	131,396	131,592
iii) अन्य**	—	116,915	116,915	—	122,096	122,096	—	129,271	129,271	—	131,396	131,396
	17,204	17,228	34,432	30,132	44,259	74,391	25,960	38,729	64,689	26,014	42,732	68,746
	16,234	15,997	32,231	26,099	17,942	44,041	21,823	20,640	42,463	21,988	21,111	43,099
	965	1,231	2,196	4,033	26,317	30,349	4,137	18,089	22,226	4,026	21,621	25,647
	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	1,908	85,600	87,508	2,641	88,578	91,219	2,757	89,348	92,105	7,758	87,283	95,042
i) सड़क और पुल	1,908	85,469	87,377	2,641	88,535	91,176	2,757	89,018	91,775	7,758	86,960	94,718
ii) अन्य @	-	130	130	-	43	43	-	330	330	-	324	324
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	961	48	1,009	1,558	96	1,654	2,005	93	2,098	750	109	859
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	5,285	204,111	209,396	4,466	209,015	213,481	5,323	293,968	299,291	5,408	307,173	312,581
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	636	3,188	3,825	527	3,722	4,249	665	4,060	4,725	634	4,600	5,234
ii) पर्यटन	3,268	498	3,766	2,835	641	3,476	2,835	671	3,507	2,620	734	3,355
iii) नागरिक आपूर्ति	36	196,848	196,885	-15	199,715	199,700	42	284,213	284,255	-	296,018	296,018
iv) अन्य +	1,345	3,576	4,920	1,119	4,936	6,055	1,781	5,024	6,805	2,154	5,821	7,976
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)												
क. राज्य के अंग	3,719	1,609,160	1,612,878	2,687	1,921,586	1,924,273	3,918	1,947,687	1,951,605	3,280	2,240,179	2,243,459
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	635	30,442	31,077	680	39,066	39,746	891	42,762	43,653	1,007	53,397	54,404
i) कर और शुल्क का संग्रह	2,014	48,245	50,259	111	62,720	62,831	683	64,549	65,232	175	74,659	74,834
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	2,014	44,721	46,734	111	59,593	59,704	683	61,403	62,086	175	71,439	71,615
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	-	3,525	3,525	-	3,127	3,127	-	3,146	3,146	-	3,219	3,219
(1 + 2)	-	653,585	653,585	-	642,617	642,617	-	650,533	650,533	-	680,506	680,506
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	45,000	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000	45,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	608,585	608,585	-	597,617	597,617	-	605,533	605,533	-	635,506	635,506
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	50,501	50,501	-	53,017	53,017	-	51,929	51,929	-	55,071	55,071
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	452,141	452,141	-	457,752	457,752	-	454,278	454,278	-	487,851	487,851
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	136,459	136,459	-	166,672	166,672	-	163,946	163,946	-	198,818	198,818
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	257,568	257,568	-	243,091	243,091	-	240,565	240,565	-	238,708	238,708
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	64,149	64,149	-	76,646	76,646	-	76,542	76,542	-	84,423	84,423
iv) अन्य	-	41,794	41,794	-	10,202	10,202	-	22,784	22,784	-	8,160	8,160
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	1,070	269,352	270,423	1,896	372,180	374,076	2,344	378,563	380,906	2,097	438,307	440,404
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	100	8,456	8,557	-	9,452	9,452	-	11,273	11,273	-	12,147	12,147
ii) जिला प्रशासन	3	43,449	43,452	1,000	66,277	67,277	1,000	62,884	63,884	1,000	69,793	70,793
iii) पुलिस	-	156,435	156,435	-	211,638	211,638	-	215,677	215,677	-	260,433	260,433
iv) लोक निर्माण	-	20,275	20,275	1	31,516	31,517	1	30,988	30,989	1	31,837	31,838
v) अन्य ++	967	40,737	41,703	895	53,298	54,193	1,343	57,741	59,084	1,097	64,097	65,193
ङ. फेंशन	-	601,703	601,703	-	791,906	791,906	-	803,506	803,506	-	984,784	984,784
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	5,832	5,832	-	13,097	13,097	-	7,775	7,775	-	8,526	8,526
जिसमें से:												
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	3	3	-	3	3	-	5	5	-	5	5
III. सहायता अनुदान और अंशदान	28,864	306,066	334,930	29,195	329,918	359,113	28,840	368,248	397,088	28,840	424,134	452,974
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए												
मुआवजा और सम्पुर्जन	28,864	306,066	334,930	29,195	329,918	359,113	28,840	368,248	397,088	28,840	424,134	452,974

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	57,847	221,773	279,420	69,099	278,975	348,074	72,446	273,076	345,522	73,902	352,784	426,686
I. विकास व्यय (क + ख)	50,858	91,161	141,819	68,089	110,011	178,099	71,426	120,544	191,970	72,604	148,638	221,242
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	33,549	60,826	94,374	47,340	74,191	121,531	50,052	77,186	127,238	52,307	98,521	150,828
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,289	49,018	52,307	5,051	56,363	61,414	4,345	56,603	60,948	5,184	74,325	79,510
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,436	7,205	10,641	5,454	8,776	14,230	5,213	9,492	14,705	6,115	12,268	18,383
3. परिवार कल्याण	1,155	—	1,155	1,416	—	1,416	1,382	—	1,382	1,665	—	1,665
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	488	-1,481	-993	558	1,706	2,264	187	1,709	1,896	563	2,191	2,754
5. आवास	—	462	462	—	600	600	—	600	600	—	600	600
6. शहरी विकास	1,572	130	1,701	5,097	250	5,347	5,248	289	5,536	6,080	262	6,343
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,489	1,191	12,680	11,148	1,441	12,588	13,386	2,567	15,953	12,666	2,485	15,151
8. श्रम और श्रम कल्याण	211	560	771	331	697	1,028	351	775	1,126	448	1,080	1,528
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,949	1,708	10,657	15,337	2,004	17,341	16,104	2,693	18,797	16,601	2,625	19,226
10. पोषण	2,394	104	2,497	2,298	132	2,431	3,167	122	3,290	2,230	159	2,389
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	—	1,142	1,142	—	1,403	1,403	—	1,428	1,428	—	1,444	1,444
12. अन्य*	567	787	1,354	651	819	1,470	668	909	1,577	755	1,082	1,837
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	17,109	30,336	47,445	20,748	35,820	56,568	21,374	43,358	64,732	20,297	50,116	70,413
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	8,584	13,131	21,715	11,166	14,573	25,739	11,886	16,563	28,449	13,689	21,761	35,450
i) फसल उत्पादन	4,049	5,278	9,327	6,087	5,796	11,883	6,215	6,789	13,004	7,892	9,084	16,976
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	152	580	732	147	672	819	221	751	972	197	801	998
iii) पशुपालन	739	2,269	3,007	1,478	2,541	4,019	1,812	2,863	4,675	1,658	3,758	5,416
iv) डेरी विकास	2	85	87	40	99	139	33	110	144	67	150	218
v) मत्स्यपालन	996	1,008	2,004	1,360	1,094	2,454	1,307	1,207	2,514	1,480	1,589	3,069
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,637	2,516	4,154	1,656	2,834	4,490	1,958	3,128	5,086	1,918	4,147	6,064
vii) बागान	30	—	30	30	—	30	30	—	30	30	—	30
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	45	724	770	50	802	852	50	885	935	50	1,144	1,194
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	83	—	83	100	—	100	67	—	67	101	—	101
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	851	669	1,520	219	735	953	192	829	1,022	295	1,089	1,384
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	4,930	4,176	9,106	6,250	5,277	11,526	6,272	4,836	11,108	3,813	6,434	10,247
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	337	—	337	652	—	652	381	—	381	290	—	290
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	43	1,698	1,741	58	2,530	2,588	63	2,987	3,050	67	3,799	3,866
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	43	1,044	1,087	58	2,530	2,588	63	2,124	2,187	67	2,740	2,807
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	654	654	—	738	738	—	863	863	—	1,059	1,059
ऊर्जा	3	127	129	33	148	181	10	2,652	2,662	62	2,988	3,049
जिसमें से: पावर												
उद्योग और खनिज (1 से iii)	2,210	1,230	3,439	1,519	1,618	3,137	1,781	1,579	3,360	1,537	2,010	3,547
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,735	1,212	2,946	1,439	1,595	3,034	1,701	1,561	3,262	1,452	1,985	3,437
ii) उद्योग @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अन्य**	475	18	493	80	23	103	80	18	98	85	25	110

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपए)

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	21	8,901	8,922	27	10,433	10,460	41	13,400	13,441	50	11,512	11,562
i) सड़क और पुल	—	7,941	7,941	—	9,337	9,337	—	12,100	12,100	—	10,037	10,037
ii) अन्य @	21	961	981	27	1,096	1,123	41	1,300	1,341	50	1,475	1,525
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	443	51	495	450	55	505	404	67	471	317	88	405
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	538	1,022	1,560	593	1,186	1,780	536	1,275	1,811	473	1,524	1,997
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	72	138	210	121	168	289	60	180	239	51	237	288
ii) पर्यटन	191	33	223	190	55	244	220	67	287	227	105	333
iii) नागरिक आपूर्ति	247	499	746	231	560	791	206	551	757	148	648	796
iv) अन्य +	28	352	381	51	404	455	50	477	527	46	534	579
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएँ) (क से च)	647	130,612	131,259	1,011	162,714	163,725	1,020	146,182	147,202	1,298	196,346	197,644
क. राज्य के अंग	58	4,694	4,753	65	3,439	3,504	68	3,921	3,989	68	5,182	5,250
ख. राजकोषीय सेवाएँ (i से ii)	12	1,980	1,992	18	2,366	2,384	20	2,490	2,510	21	3,123	3,144
i) कर और शुल्क का संग्रह	12	1,879	1,891	18	2,239	2,256	20	2,354	2,374	21	2,953	2,974
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएँ	—	101	101	—	128	128	—	136	136	—	170	170
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	43,576	43,576	—	41,021	41,021	—	41,290	41,290	—	38,983	38,983
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	4,000	4,000	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	39,576	39,576	—	39,021	39,021	—	39,290	39,290	—	38,983	38,983
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	4,500	4,500	—	4,267	4,267	—	4,279	4,279	—	4,064	4,064
ii) अंतरिक ऋण पर ब्याज	—	24,144	24,144	—	22,194	22,194	—	23,011	23,011	—	21,719	21,719
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	9,499	9,499	—	9,461	9,461	—	10,994	10,994	—	10,770	10,770
(ख) परस्परस्पर्ध पर ब्याज	—	11,176	11,176	—	9,000	9,000	—	8,658	8,658	—	7,344	7,344
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	10,932	10,932	—	12,559	12,559	—	12,000	12,000	—	13,200	13,200
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	577	48,832	49,408	928	80,858	81,786	932	60,480	61,412	1,209	96,558	97,767
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	—	1,827	1,827	—	2,086	2,086	—	2,407	2,407	100	3,116	3,216
ii) जिला प्रशासन	33	2,036	2,069	100	2,484	2,583	110	2,963	3,072	134	3,523	3,657
iii) पुलिस	—	31,873	31,873	—	35,467	35,467	—	37,752	37,752	—	48,871	48,871
iv) लोक निर्माण	480	8,434	8,914	717	10,393	11,110	726	11,471	12,197	875	13,487	14,362
v) अन्य ++	64	4,662	4,726	111	30,429	30,541	97	5,887	5,984	100	27,561	27,661
ङ. पेंशन	—	31,529	31,529	—	34,929	34,929	—	38,000	38,000	—	52,500	52,500
च. विविध सामान्य सेवाएँ जिसमें से:	—	—	—	—	101	101	—	1	1	—	1	1
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	6,343	—	6,343	—	6,250	6,250	—	6,350	6,350	—	7,800	7,800
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मुआवजा और समनुदेशन	6,343	—	6,343	—	6,250	6,250	—	6,350	6,350	—	7,800	7,800

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तराखण्ड

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	183,386	542,070	725,455	251,569	614,684	866,253	211,006	604,386	815,392	228,753	887,358	1,116,110
I. विकास व्यय (क + ख)	183,095	245,880	428,975	250,979	279,102	530,081	210,491	243,825	454,316	228,355	436,255	664,610
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	116,639	166,227	282,866	166,387	191,711	357,098	132,311	148,969	281,280	156,864	333,209	490,094
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	44,777	113,484	158,261	49,209	130,469	179,678	30,184	88,738	118,922	36,725	253,723	290,448
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,896	19,883	27,779	12,024	28,211	40,234	9,886	26,177	36,063	9,525	37,643	47,168
3. परिवार कल्याण	2,686	49	2,735	3,820	-	3,820	5,547	-	5,547	5,994	-	5,994
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	26,740	6,133	32,873	42,856	5,000	47,856	34,268	5,000	39,268	22,031	5,000	27,031
5. आवास	6	153	159	-	162	162	-	162	162	-	162	162
6. शहरी विकास	10,402	375	10,777	17,126	417	17,542	21,829	587	22,417	44,056	663	44,720
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,058	5,721	10,779	9,235	5,254	14,489	7,086	4,877	11,963	9,157	5,442	14,599
8. श्रम और श्रम कल्याण	305	2,019	2,324	3,467	2,603	6,070	1,156	2,584	3,741	1,189	3,274	4,463
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17,682	6,219	23,901	25,592	6,648	32,240	21,445	6,018	27,463	24,228	6,914	31,142
10. पोषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	259	9,536	9,795	1,585	10,167	11,752	467	12,061	12,528	668	17,005	17,673
12. अन्य*	828	2,654	3,482	474	2,781	3,255	443	2,765	3,208	3,311	3,383	6,694
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	66,457	79,653	146,110	85,592	87,391	172,983	78,180	94,856	173,036	71,471	103,046	174,516
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	30,363	34,927	65,290	45,988	36,679	82,667	42,692	43,020	85,712	34,857	44,552	79,409
i) फसल उत्पादन	14,759	7,690	22,449	17,987	9,488	27,475	20,638	14,206	34,844	17,340	10,405	27,744
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	472	10	482	1,370	-	1,370	1,342	-	1,342	268	-	268
iii) पशुपालन	1,704	3,196	4,901	2,521	3,766	6,287	2,043	4,334	6,377	866	6,147	7,013
iv) डेरी विकास	702	194	897	1,087	239	1,327	1,083	242	1,324	1,077	190	1,268
v) मत्स्यपालन	240	212	452	204	285	489	205	272	477	123	203	326
vi) वानिकी और वन्य जीवन	8,810	16,089	24,899	17,546	15,100	32,646	13,842	15,472	29,314	12,548	19,451	31,999
vii) बागान	-	38	38	-	50	50	-	50	50	-	50	50
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	709	1,197	1,907	400	1,625	2,025	91	1,567	1,658	100	1,761	1,861
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,250	5,833	7,083	3,057	5,550	8,607	1,613	6,028	7,641	1,187	5,550	6,737
x) कृषि वित्त संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) सहकारिता	1,716	467	2,183	1,817	575	2,392	1,835	850	2,685	1,347	796	2,143
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	21,930	9,497	31,426	27,613	9,911	37,525	24,761	10,077	34,838	28,969	12,966	41,935
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,289	16,597	17,886	1,431	22,058	23,488	415	22,187	22,602	1,387	23,236	24,623
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1	12,410	12,411	80	15,287	15,367	80	15,668	15,748	38	17,818	17,856
ii) लघु सिंचाई	732	3,906	4,638	581	6,452	7,033	185	6,200	6,385	343	5,067	5,409
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	2	281	283	-	319	319	-	319	319	-	351	351
ऊर्जा	1,833	155	1,988	1,477	213	1,689	1,385	213	1,598	1,027	194	1,221
जिसमें से: पावर	707	11	718	501	33	534	299	33	332	-	14	14
उद्योग और खनिज (1 से iii)	1,557	1,110	2,668	2,048	1,379	3,427	1,578	1,652	3,230	1,260	1,676	2,936
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,534	914	2,448	1,887	1,126	3,013	1,530	1,454	2,984	1,080	1,331	2,410
ii) उद्योग @	23	197	220	161	253	414	48	198	246	180	345	525
iii) अन्य**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तराखण्ड

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	कुल
1																
7. परिवहन और संचार (i + ii)	3,086	15,451	18,537	2,574	15,321	17,895	2,178	16,080	18,258	2,205	17,988	20,193	2,205	17,988	20,193	
i) सड़क और पुल	3,086	13,304	16,390	2,513	13,014	15,527	2,117	14,814	16,931	1,855	16,414	18,269	1,855	16,414	18,269	
ii) अन्य @	-	2,147	2,147	61	2,307	2,368	61	1,266	1,327	350	1,574	1,924	350	1,574	1,924	
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	967	-	967	575	-	575	875	-	875	391	-	391	391	-	391	
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	5,432	1,916	7,348	3,886	1,830	5,717	4,296	1,627	5,923	1,374	2,434	3,808	1,374	2,434	3,808	
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3,486	94	3,580	420	171	591	812	109	920	320	158	478	320	158	478	
ii) पर्यटन	1,755	1,110	2,865	2,475	533	3,008	2,475	459	2,934	980	885	1,865	980	885	1,865	
iii) नागरिक आपूर्ति	142	161	303	926	232	1,158	926	251	1,176	10	326	336	10	326	336	
iv) अन्य +	50	551	601	65	895	960	83	809	892	64	1,065	1,130	64	1,065	1,130	
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	204	265,298	265,502	590	301,328	301,918	516	333,815	334,331	398	411,474	411,872	398	411,474	411,872	
क. राज्य के अंग	72	10,123	10,195	216	10,584	10,800	200	11,631	11,832	343	17,494	17,837	343	17,494	17,837	
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	80	11,326	11,405	297	18,379	18,676	230	17,091	17,321	51	19,892	19,943	51	19,892	19,943	
i) कर और शुल्क का संग्रह	79	11,132	11,212	297	18,056	18,353	230	16,788	17,019	51	19,473	19,524	51	19,473	19,524	
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	-	193	194	-	323	323	-	302	302	-	419	419	-	419	419	
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	118,893	118,893	-	130,403	130,403	-	134,538	134,538	-	153,291	153,291	-	153,291	153,291	
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	9,300	9,300	-	5,500	5,500	-	5,500	5,500	-	2,200	2,200	-	2,200	2,200	
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	109,593	109,593	-	124,903	124,903	-	129,038	129,038	-	151,091	151,091	-	151,091	151,091	
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	1,830	1,830	-	1,000	1,000	-	2,680	2,680	-	2,800	2,800	-	2,800	2,800	
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	86,937	86,937	-	104,556	104,556	-	107,056	107,056	-	120,374	120,374	-	120,374	120,374	
जिसमें से:																
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	31,827	31,827	-	39,006	39,006	-	41,006	41,006	-	46,290	46,290	-	46,290	46,290	
(ख) परस्परपरफू पर ब्याज	-	46,223	46,223	-	53,000	53,000	-	53,000	53,000	-	56,000	56,000	-	56,000	56,000	
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	10,433	10,433	-	13,796	13,796	-	13,796	13,796	-	21,316	21,316	-	21,316	21,316	
iv) अन्य	-	10,393	10,393	-	5,551	5,551	-	5,506	5,506	-	6,601	6,601	-	6,601	6,601	
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	53	58,101	58,154	52	71,885	71,937	60	84,719	84,779	4	90,051	90,055	4	90,051	90,055	
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	-	3,891	3,891	-	4,694	4,694	-	5,655	5,655	-	8,403	8,403	-	8,403	8,403	
ii) जिला प्रशासन	-	3,547	3,547	-	4,861	4,861	-	5,838	5,838	-	5,254	5,254	-	5,254	5,254	
iii) पुलिस	8	29,737	29,745	31	36,771	36,802	12	42,775	42,787	4	45,748	45,752	4	45,748	45,752	
iv) लोक निर्माण	-	15,137	15,138	-	18,202	18,202	-	22,172	22,172	-	21,280	21,280	-	21,280	21,280	
v) अन्य ++	45	5,788	5,834	21	7,358	7,379	48	8,279	8,327	-	9,367	9,367	-	9,367	9,367	
ङ. पेंशन	-	62,287	62,287	25	69,976	70,001	25	85,683	85,708	-	130,465	130,465	-	130,465	130,465	
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	4,568	4,568	-	101	101	-	153	153	-	281	281	-	281	281	
जिसमें से:																
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	86	30,892	30,978	-	34,253	34,253	-	26,745	26,745	-	39,629	39,629	-	39,629	39,629	
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए																
मुआवजा और सम्पुर्ण	86	30,892	30,978	-	34,253	34,253	-	26,745	26,745	-	39,629	39,629	-	39,629	39,629	

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	1,174,392	5,347,929	6,522,321	1,730,293	5,752,584	7,482,867	2,091,858	6,012,232	8,104,090	1,738,379	7,548,286	9,286,665
I. विकास व्यय (क + ख)	1,165,104	2,347,193	3,512,297	1,721,304	2,458,367	4,179,671	2,063,988	2,695,046	4,759,034	1,646,758	3,178,372	4,825,130
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	821,370	1,487,187	2,308,557	1,154,779	1,595,661	2,750,440	1,408,810	1,775,119	3,183,930	1,168,168	2,215,432	3,383,600
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	244,344	923,224	1,167,568	283,980	971,321	1,255,301	325,745	1,088,928	1,414,674	317,292	1,439,469	1,756,761
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	45,262	216,325	261,587	54,197	271,280	325,477	56,065	294,510	350,575	24,396	383,435	407,831
3. परिवार कल्याण	36,107	12,478	48,585	65,851	15,744	81,595	70,866	17,508	88,373	93,819	23,205	117,024
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	57,221	—	57,221	62,678	—	62,678	74,619	—	74,619	52,700	—	52,700
5. आवास	26	3,090	3,117	—	3,449	3,449	—	3,542	3,542	—	3,113	3,113
6. शहरी विकास	117,177	19,347	136,524	240,322	13,337	253,659	352,738	13,337	366,075	50,303	11,745	62,048
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	75,111	122,328	197,439	88,894	138,158	227,042	116,436	168,890	285,326	113,711	158,809	272,521
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,721	13,414	16,135	5,301	15,454	20,754	5,609	15,442	21,051	18,400	18,656	37,057
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	243,289	115,668	358,957	353,476	123,710	477,186	406,440	123,846	530,286	497,470	129,857	627,327
10. पोषण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	58	55,205	55,263	—	33,412	33,412	—	34,662	34,662	—	35,427	35,427
12. अन्य*	55	6,107	6,161	90	9,797	9,887	292	14,453	14,745	76	11,717	11,793
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	343,734	860,006	1,203,740	566,525	862,706	1,429,231	655,177	919,927	1,575,104	478,590	962,940	1,441,530
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	122,206	130,000	252,207	251,338	135,688	387,027	253,026	135,127	388,153	188,929	167,108	356,037
i) फसल उत्पादन	45,249	56,641	101,890	83,208	61,795	145,004	84,003	61,853	145,856	111,087	70,044	181,131
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	40,829	8,439	49,268	55,708	9,853	65,560	55,749	9,853	65,601	52,418	12,478	64,896
iii) पशुपालन	5,132	19,612	24,744	12,360	22,591	34,952	12,362	22,591	34,953	7,772	28,196	35,967
iv) डेरी विकास	11,711	928	12,640	32,642	1,022	33,664	32,675	1,022	33,697	1,376	1,318	2,694
v) मत्स्यपालन	1,013	2,058	3,071	6,269	2,453	8,721	6,269	2,453	8,721	2,099	3,130	5,229
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,359	17,612	19,971	4,514	20,849	25,363	4,514	21,046	25,560	7,207	26,279	33,486
vii) बागान	—	260	260	—	297	297	—	297	297	—	356	356
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	9,809	9,809	—	1	1	—	-1,219	-1,219	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	6,241	5,293	11,534	23,523	5,666	29,189	24,342	5,666	30,007	997	5,845	6,842
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सल्कारिता	9,672	8,782	18,454	23,114	10,337	33,450	23,114	10,740	33,853	5,973	18,403	24,377
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	—	565	565	10,000	826	10,826	10,000	826	10,826	—	1,057	1,057
2. ग्रामीण विकास	145,413	148,214	293,627	220,575	126,817	347,392	305,838	126,817	432,655	231,027	147,827	378,854
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,871	2,500	5,371	7,000	2,500	9,500	7,000	2,500	9,500	7,000	2,500	9,500
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	34,529	206,566	241,095	43,523	256,131	299,654	43,523	256,181	299,704	27,425	284,742	312,167
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	6	145,129	145,136	200	186,375	186,575	200	186,425	186,625	200	212,985	213,185
ii) लघु सिंचाई	23,715	58,061	81,775	30,948	66,202	97,150	30,948	66,202	97,150	11,905	68,202	80,107
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	—	3,344	3,344	—	3,554	3,554	—	3,554	3,554	—	3,554	3,554
5. ऊर्जा	642	190,769	191,411	1,891	159,935	161,826	1,908	160,185	162,093	217	189,280	189,497
जिसमें से: पावर												
i) उद्योग और खनिज (1 से iii)	33,254	30,562	63,815	28,895	12,102	40,997	30,333	68,181	98,514	19,876	14,006	33,882
ii) ग्रामीण और लघु उद्योग	8,648	7,702	16,350	10,765	7,228	17,993	11,172	7,245	18,417	8,166	9,156	17,322
iii) उद्योग @	21,411	6,721	28,132	18,130	4,556	22,686	19,161	60,618	79,779	11,710	4,715	16,425
अन्य**	3,196	16,139	19,334	—	318	318	—	318	318	—	135	135

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	835	139,527	140,362	2,792	154,582	157,374	2,792	155,800	158,592	517	138,452	138,969
i) सड़क और पुल	228	135,307	135,534	2,500	149,708	152,208	2,500	150,926	153,426	250	132,198	132,448
ii) अन्य @	608	4,220	4,828	292	4,875	5,166	292	4,875	5,166	267	6,254	6,521
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3,071	443	3,515	9,897	492	10,389	9,897	592	10,489	2,227	748	2,976
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	914	11,425	12,339	614	14,458	15,072	860	14,543	15,403	1,372	18,276	19,649
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	97	4,479	4,576	61	6,151	6,212	61	6,157	6,218	108	7,803	7,911
ii) पर्यटन	88	803	890	475	1,046	1,521	721	1,046	1,767	403	1,311	1,714
iii) नागरिक आपूर्ति	-	803	803	-	968	968	-	1,047	1,047	-	1,129	1,129
iv) अन्य +	729	5,341	6,070	78	6,293	6,371	78	6,293	6,371	861	8,033	8,895
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)												
क. राज्य के अंग	9,285	2,645,790	2,655,076	8,979	2,931,472	2,940,451	27,871	2,954,440	2,982,310	91,621	4,013,961	4,105,583
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	2,134	60,863	62,997	2,941	80,492	83,433	2,941	83,636	86,578	3,799	103,594	107,392
i) कर और शुल्क का संग्रह	5,741	113,493	119,234	5,006	132,961	137,968	15,098	134,800	149,899	74,871	169,747	244,618
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	5,741	112,562	118,303	5,006	131,823	136,829	15,098	133,662	148,760	74,871	168,396	243,267
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	931	931	-	1,139	1,139	-	1,139	1,139	-	1,350	1,350
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	1,387,808	1,387,808	-	1,459,046	1,459,046	-	1,443,901	1,443,901	-	1,660,888	1,660,888
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	305,793	305,793	-	316,379	316,379	-	316,379	316,379	-	486,662	486,662
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	1,082,015	1,082,015	-	1,142,667	1,142,667	-	1,127,522	1,127,522	-	1,174,225	1,174,225
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	171,556	171,556	-	166,037	166,037	-	166,037	166,037	-	160,825	160,825
जिसमें से:	-	747,787	747,787	-	792,448	792,448	-	778,397	778,397	-	806,112	806,112
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	258,692	258,692	-	302,864	302,864	-	286,598	286,598	-	318,458	318,458
(ख) परस्परपरफ पर ब्याज	-	427,536	427,536	-	431,123	431,123	-	430,702	430,702	-	428,140	428,140
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	150,699	150,699	-	175,065	175,065	-	175,085	175,085	-	199,651	199,651
iv) अन्य	-	11,974	11,974	-	9,117	9,117	-	8,004	8,004	-	7,638	7,638
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	871	488,262	489,132	532	585,894	586,426	9,331	612,308	621,639	12,452	972,504	984,956
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	23	15,525	15,548	-	121,551	121,551	3,169	142,920	146,089	6,346	266,265	272,611
ii) जिला प्रशासन	411	24,723	25,134	-	28,958	28,958	-	29,109	29,109	-	36,063	36,063
iii) पुलिस	12	321,582	321,593	-	349,520	349,520	-	356,802	356,802	-	473,528	473,528
iv) लोक निर्माण	168	37,257	37,425	210	4,835	5,045	210	-2,190	-1,980	228	93,673	93,901
v) अन्य ++	257	69,174	69,431	321	81,030	81,351	5,952	85,668	91,620	5,878	102,975	108,852
ङ. पेंशन	-	613,624	613,624	-	671,229	671,229	-	676,279	676,279	-	1,102,567	1,102,567
च. विविध सामान्य सेवाएं जिसमें से:	539	1,741	2,281	500	1,849	2,349	500	3,515	4,015	500	4,862	5,162
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से:	3	354,946	354,949	-	362,746	362,746	-	362,746	362,746	-	355,953	355,953
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और समुदेशन	3	354,946	354,949	-	362,746	362,746	-	362,746	362,746	-	355,953	355,953

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	675,595	3,155,857	3,831,442	852,960	3,490,662	4,343,622	917,018	4,428,484	5,345,502	1,171,637	4,853,616	6,025,252
I. विकास व्यय (क + ख)	666,432	1,235,248	1,901,679	841,463	1,357,249	2,198,712	903,762	2,295,286	3,199,048	1,156,177	2,016,096	3,172,272
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	405,440	940,860	1,346,301	576,878	1,027,748	1,604,627	616,762	1,109,893	1,726,655	821,651	1,593,085	2,414,735
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	120,147	585,409	705,556	153,587	645,525	799,112	197,345	657,765	855,110	236,359	988,531	1,224,890
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15,985	138,894	154,879	25,633	160,926	186,559	24,872	154,915	179,787	30,446	220,173	250,955
3. परिवार कल्याण	22,219	281	22,501	21,623	1,086	22,710	25,394	2,553	27,947	30,446	8,556	39,002
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,458	17,486	25,943	9,704	20,125	29,829	10,358	19,160	29,518	12,258	24,857	37,115
5. आवास	173	9,552	9,725	290	8,296	8,586	270	7,995	8,265	250	10,055	10,305
6. शहरी विकास	105,180	70,962	176,142	186,341	74,177	260,518	160,010	88,741	248,751	275,745	110,437	386,182
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	21,479	14,471	35,950	28,852	15,687	44,539	36,938	17,223	54,161	37,625	17,368	54,993
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,111	6,127	7,237	5,612	6,893	12,505	4,117	6,824	10,941	6,509	10,057	16,566
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	77,860	63,331	141,192	99,940	57,928	157,868	104,658	116,691	221,349	132,692	163,187	295,879
10. पोषण	26,835	26	26,861	36,306	203	36,508	44,576	55	44,631	48,935	384	49,319
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत		24,862	24,862	11	26,578	26,588	11	25,610	25,620	22	26,392	26,414
12. अन्य*	5,993	9,460	15,453	8,981	10,325	19,306	8,213	12,361	20,574	10,028	13,086	23,114
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	260,991	294,388	555,379	264,585	329,500	594,085	287,000	1,185,393	1,472,393	334,526	423,011	757,537
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	39,368	74,968	114,336	41,323	87,695	129,018	50,041	87,298	137,339	42,599	122,008	164,607
i) फसल उत्पादन	21,838	15,628	37,466	21,012	17,296	38,308	23,632	17,341	40,973	16,287	25,610	41,897
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	128	1,216	1,344	120	1,424	1,544	1,070	1,367	2,437	135	1,922	2,057
iii) पशुपालन	8,885	12,718	21,603	4,790	14,953	19,743	4,406	14,213	18,619	5,164	20,930	26,094
iv) डेरी विकास	48	8,188	8,236	120	11,096	11,216	290	11,065	11,355	340	13,455	13,795
v) मत्स्यपालन	3,630	2,239	5,869	3,911	2,464	6,375	4,911	2,454	7,365	5,148	3,615	8,762
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,836	13,545	16,381	4,890	15,139	20,029	4,722	14,927	19,649	5,577	20,582	26,159
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	33	7,980	8,013	110	9,105	9,215	110	8,745	8,855	538	13,002	13,540
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	685	5,978	6,663	1,144	7,036	8,180	1,139	6,957	8,096	1,262	9,690	10,952
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकारिता	1,097	6,885	7,981	4,011	8,485	12,496	3,905	9,559	13,464	3,935	12,221	16,156
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	188	592	779	1,215	696	1,911	5,855	671	6,526	4,212	982	5,194
2. ग्रामीण विकास	106,940	69,739	176,679	117,512	75,282	192,795	111,337	86,754	198,091	120,866	105,415	226,280
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	29,813	19,124	48,936	27,916	20,497	48,413	35,942	23,766	59,708	61,560	6,975	68,535
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,290	55,394	58,684	3,176	63,517	66,692	3,654	63,763	67,416	3,983	83,159	87,142
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	1,957	19,072	21,030	966	23,142	24,108	1,177	24,230	25,407	1,433	32,672	34,105
ii) लघु सिंचाई	394	27,482	27,876	869	31,255	32,123	1,380	30,127	31,507	1,187	40,767	41,954
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	521	8,840	9,362	830	9,120	9,950	586	9,405	9,991	679	9,720	10,399
5. ऊर्जा	5,790	—	5,790	4,860	—	4,860	11,882	833,998	845,880	7,010	105	7,115
जिसमें से: पावर	4,878	—	4,878	3,760	—	3,760	10,782	833,918	844,700	5,760	—	5,760
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	47,201	8,672	55,873	36,773	9,168	45,941	48,336	8,992	57,328	62,374	12,940	75,314
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	5,414	7,388	12,801	10,141	7,649	17,790	9,764	7,473	17,237	12,813	10,893	23,706
ii) उद्योग @	41,787	1,285	43,072	26,632	1,519	28,151	38,571	1,519	40,091	49,562	2,047	51,609
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	25,029	59,037	84,066	27,048	64,081	91,129	18,197	72,063	90,259	29,710	79,573	109,282
i) सड़क और पुल	18,633	24,390	43,023	18,263	31,249	49,512	14,618	37,115	51,732	27,369	41,633	69,002
ii) अन्य @	6,396	34,647	41,043	8,785	32,833	41,618	3,579	34,948	38,527	2,341	37,940	40,280
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,957	26	1,984	2,655	31	2,686	4,282	36	4,318	2,961	52	3,013
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	1,603	7,427	9,030	3,322	9,230	12,551	3,330	8,724	12,054	3,465	12,785	16,249
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	113	3,779	3,892	320	4,635	4,955	220	4,440	4,659	208	6,415	6,623
ii) पर्यटन	997	341	1,337	2,038	404	2,442	2,101	325	2,426	2,103	468	2,572
iii) नागरिक आपूर्ति	433	1,424	1,857	750	2,001	2,751	811	1,820	2,631	934	2,699	3,633
iv) अन्य +	61	1,883	1,944	213	2,190	2,403	198	2,139	2,337	219	3,202	3,422
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)												
क. राज्य के अंग	7,233	1,879,426	1,886,660	9,370	2,090,441	2,099,812	11,130	2,091,632	2,102,761	13,334	2,792,816	2,806,150
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	974	26,476	27,450	1,655	28,555	30,210	2,534	33,648	36,183	3,245	55,904	59,149
i) कर और शुल्क का संग्रह	1,533	57,301	58,834	2,199	63,812	66,011	2,332	62,230	64,562	2,821	89,168	91,989
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	1,533	54,638	56,170	2,199	61,073	63,272	2,332	59,403	61,735	2,821	86,054	88,875
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	-	2,664	2,664	-	2,739	2,739	-	2,826	2,826	-	3,113	3,113
(1 + 2)	-	1,159,356	1,159,356	-	1,306,153	1,306,153	-	1,303,941	1,303,941	-	1,390,078	1,390,078
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	21,000	21,000	-	67,200	67,200	-	67,200	67,200	-	73,200	73,200
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	1,138,356	1,138,356	-	1,238,953	1,238,953	-	1,236,741	1,236,741	-	1,316,878	1,316,878
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	171,051	171,051	-	158,426	158,426	-	160,357	160,357	-	152,288	152,288
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	871,464	871,464	-	973,790	973,790	-	973,416	973,416	-	1,059,707	1,059,707
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	171,273	171,273	-	270,152	270,152	-	274,175	274,175	-	353,613	353,613
(ख) परस्परपरफू पर ब्याज	-	614,138	614,138	-	608,335	608,335	-	607,561	607,561	-	614,656	614,656
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	36,019	36,019	-	46,200	46,200	-	46,200	46,200	-	49,200	49,200
iv) अन्य	-	59,823	59,823	-	60,537	60,537	-	56,768	56,768	-	55,683	55,683
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	4,726	294,145	298,871	5,516	258,977	264,494	6,263	258,893	265,156	7,268	355,839	363,107
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	53	7,305	7,358	70	8,393	8,463	70	9,195	9,265	186	13,336	13,522
ii) जिला प्रशासन	-	8,161	8,161	-	9,062	9,062	-	9,208	9,208	-	12,914	12,914
iii) पुलिस	2,192	145,914	148,106	1,955	160,879	162,834	2,169	160,574	162,743	2,360	224,298	226,658
iv) लोक निर्माण	1,311	29,875	31,186	1,997	31,845	33,842	1,997	30,688	32,685	2,420	40,046	42,466
v) अन्य ++	1,169	42,892	44,061	1,494	48,799	50,293	2,027	49,227	51,254	2,302	65,246	67,547
ङ. पेंशन	-	399,540	399,540	-	430,160	430,160	-	430,171	430,171	-	899,124	899,124
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	2,607	2,607	-	2,785	2,785	-	2,749	2,749	-	2,703	2,703
जिसमें से:												
राज्य लेटरी के कारण भुगतान	-	2,479	2,479	-	2,637	2,637	-	2,616	2,616	-	2,530	2,530
III. सहायता अनुदान और अंशदान	1,920	41,183	43,103	2,126	42,972	45,099	2,126	41,567	43,693	2,126	44,703	46,830
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए												
मुआवजा और सम्पुर्ण	1,920	41,183	43,103	2,126	42,972	45,099	2,126	41,567	43,693	2,126	44,703	46,830

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)

सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	11,424,434	46,856,041	58,080,475	16,281,007	52,859,914	69,140,921	16,857,633	55,858,837	72,716,470	18,683,138	65,060,707	83,723,845
I. विकास व्यय (क + ख)	11,046,647	22,687,088	33,733,735	15,851,387	24,429,577	40,280,964	16,393,667	28,205,270	44,588,937	18,004,040	31,240,233	49,244,272
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	6,908,641	13,467,927	20,376,568	9,747,250	15,568,766	25,316,016	10,250,249	17,352,606	27,602,855	10,668,522	20,323,530	30,992,062
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,693,263	8,394,266	10,077,529	2,360,356	9,846,797	12,207,153	2,422,631	10,547,930	12,970,561	2,595,807	12,882,295	15,478,102
2. विनिर्मा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	351,152	1,838,327	2,189,479	552,230	2,201,237	2,753,467	571,556	2,314,409	2,885,964	613,353	2,775,415	3,388,767
3. परिवार कल्याण	298,450	57,251	355,701	377,024	91,890	468,914	389,001	98,372	487,373	452,802	118,605	571,408
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	471,461	509,946	981,407	508,529	445,164	953,693	525,969	497,929	1,023,899	485,508	571,035	1,056,543
5. आवास	284,863	116,802	401,665	574,344	104,071	678,416	540,803	185,456	726,259	385,220	117,274	502,494
6. शहरी विकास	1,125,004	296,902	1,421,906	1,748,901	448,908	2,197,809	1,764,941	544,912	2,309,853	1,608,984	699,233	2,308,217
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	847,951	615,057	1,463,007	1,050,061	695,943	1,746,004	1,211,911	794,247	2,006,157	1,152,112	836,621	1,988,733
8. श्रम और श्रम कल्याण	84,032	151,097	235,129	128,243	173,092	301,335	138,601	183,605	322,207	149,036	209,536	358,572
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,123,632	637,551	1,761,183	1,729,810	642,228	2,372,038	1,922,669	785,662	2,708,331	2,284,568	872,333	3,156,901
10. पोषण	439,337	178,506	617,843	550,959	308,478	859,438	591,610	314,532	906,142	841,392	536,989	1,378,381
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	95,498	570,166	665,664	49,601	499,473	549,073	52,904	954,675	1,007,580	6,162	547,795	553,958
12. अन्य*	103,998	102,055	206,053	117,191	111,486	228,677	117,653	130,877	248,530	93,578	156,398	249,976
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	4,138,006	9,219,161	13,357,167	6,104,137	8,860,811	14,964,948	6,133,418	10,852,663	16,986,082	7,335,517	10,916,703	18,252,220
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	1,171,163	1,911,802	3,082,965	1,788,004	1,849,570	3,637,575	2,004,219	2,307,607	4,311,825	1,772,177	2,567,008	4,339,185
i) फसल उत्पादन	487,486	428,097	915,583	838,483	492,797	1,331,279	1,060,008	489,217	1,549,225	934,051	535,524	1,469,575
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	115,695	50,039	165,734	144,576	56,537	201,113	147,252	60,726	207,978	139,226	69,051	208,277
iii) पशुपालन	89,569	260,174	349,743	146,379	305,117	451,496	132,123	328,030	480,153	118,021	394,566	512,587
iv) डेरी विकास	32,980	76,576	109,556	76,074	72,128	148,201	78,351	72,659	151,010	46,863	67,591	114,453
v) मत्स्यापालन	37,289	50,814	88,102	65,367	54,734	120,101	65,782	58,392	124,174	59,226	58,045	117,270
vi) वानिकी और वन्य जीवन	188,428	351,743	540,170	223,869	395,614	619,483	233,701	420,094	653,795	246,298	501,992	748,290
vii) बागान	385	652	1,037	53	693	747	51	727	778	99	783	882
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	23,343	191,996	215,339	10,849	163,706	174,555	17,467	317,406	334,873	9,444	334,714	344,158
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	71,090	154,793	225,883	121,526	147,997	269,523	109,540	149,786	259,326	104,971	166,901	271,872
x) कृषि वित्त संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) सहकारिता	118,908	337,906	456,814	142,777	148,506	291,283	136,320	398,215	534,534	102,818	422,359	525,178
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5,991	9,012	15,004	18,062	11,742	29,794	23,624	12,354	35,978	11,160	15,483	26,643
2. ग्रामीण विकास	1,450,796	769,535	2,220,332	2,156,075	818,926	2,975,001	2,102,629	901,324	3,003,952	3,344,490	970,210	4,314,700
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	72,269	47,373	119,641	103,766	27,469	131,225	146,145	30,973	177,119	196,469	14,414	210,883
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	305,717	1,331,077	1,636,794	479,630	1,506,394	1,986,024	424,498	1,625,093	2,049,590	465,895	1,772,959	2,238,854
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	142,973	1,030,716	1,173,689	266,281	1,168,857	1,435,138	198,846	1,250,957	1,449,803	241,674	1,347,836	1,589,510
ii) लघु सिंचाई	117,250	236,638	353,887	158,657	268,586	427,243	173,340	291,528	464,868	158,840	326,215	485,055
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	2,527	55,010	57,536	9,499	62,741	72,240	19,409	65,974	85,383	10,031	90,558	100,589
5. ऊर्जा	224,480	2,865,281	3,089,761	289,493	2,358,794	2,648,287	288,079	3,405,621	3,693,700	260,719	2,961,593	3,222,312
6. जलसंधि से: पावर	209,882	2,863,065	3,072,947	270,070	2,356,917	2,626,988	268,066	3,403,386	3,671,452	243,794	2,958,170	3,201,964
उद्योग और खनिज (1 से iii)	303,464	324,897	628,361	416,018	269,203	685,220	362,337	335,086	697,423	439,578	309,117	748,694
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	141,464	134,229	275,693	215,017	121,475	336,492	182,520	129,447	311,967	234,760	150,918	385,678
ii) उद्योग @	151,572	171,489	323,061	186,597	147,228	333,825	177,133	205,267	382,399	203,697	157,999	361,696
iii) अन्य**	10,428	19,179	29,607	14,404	499	14,903	2,685	372	3,057	1,121	200	1,320

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
7. परिवहन और संचार (i + ii)	220,821	1,518,881	1,739,702	320,141	1,532,345	1,852,486	347,149	1,650,392	1,997,541	345,396	1,677,277	2,022,673
i) सड़क और पुल	181,052	1,273,662	1,454,713	252,397	1,314,557	1,566,955	293,197	1,413,765	1,706,962	313,412	1,389,635	1,703,048
ii) अन्य @	39,769	245,219	284,988	67,744	217,787	285,531	53,952	236,627	290,579	31,984	287,642	319,626
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	29,765	4,952	34,717	49,641	5,686	55,327	50,483	6,317	56,801	46,627	7,006	53,633
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	359,532	445,363	804,895	501,379	492,424	993,803	407,879	590,251	998,131	464,166	637,119	1,101,285
i) संचिवालय - आर्थिक सेवाएं	271,610	51,053	322,663	390,426	59,698	450,124	266,251	64,127	330,377	305,254	77,575	382,830
ii) पर्यटन	56,075	17,497	73,572	66,991	12,226	79,216	71,953	13,407	85,360	82,510	15,447	97,957
iii) नागरिक आपूर्ति	14,283	245,626	259,909	19,056	276,538	295,594	46,451	364,250	410,701	49,396	384,740	434,136
iv) अन्य +	17,565	131,187	148,752	24,907	143,962	168,869	23,225	148,467	171,693	27,006	159,357	186,363
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं) (क से च)	310,696	22,412,760	22,723,457	330,729	26,535,724	26,866,454	314,991	25,774,940	26,089,930	442,650	31,748,094	32,190,745
क. राज्य के अंग	9,430	506,005	515,435	15,089	606,869	621,958	15,042	687,947	702,989	18,912	902,630	921,541
ख. राजकीय सेवाएं (i से ii)	39,096	817,450	856,547	57,395	971,081	1,028,478	56,591	1,043,546	1,100,137	113,012	1,173,786	1,286,797
i) कर और शुल्क का संग्रह	39,079	780,551	819,630	57,377	942,735	1,000,112	56,572	1,016,439	1,073,011	112,992	1,146,164	1,259,156
ii) अन्य राजकीय सेवाएं	17	36,899	36,917	18	28,346	28,364	19	27,108	27,127	20	27,621	27,641
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	10,688,622	10,688,622	-	11,518,607	11,518,607	-	11,290,951	11,290,951	-	12,507,785	12,507,785
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	705,560	705,560	-	680,312	680,312	-	668,910	668,910	-	865,070	865,070
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	9,983,062	9,983,062	-	10,838,296	10,838,296	-	10,622,040	10,622,040	-	11,642,715	11,642,715
i) केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	1,179,192	1,179,192	-	1,268,330	1,268,330	-	1,247,451	1,247,451	-	1,259,811	1,259,811
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	7,212,130	7,212,130	-	7,779,005	7,779,005	-	7,659,183	7,659,183	-	8,463,545	8,463,545
जिसमें से:												
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	2,047,724	2,047,724	-	2,605,850	2,605,850	-	2,481,610	2,481,610	-	3,272,840	3,272,840
(ख) परस्परपरफू पर ब्याज	-	4,049,198	4,049,198	-	4,069,280	4,069,280	-	4,056,868	4,056,868	-	4,005,160	4,005,160
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	1,297,123	1,297,123	-	1,513,612	1,513,612	-	1,442,360	1,442,360	-	1,651,888	1,651,888
iv) अन्य	-	294,617	294,617	-	277,348	277,348	-	273,047	273,047	-	267,471	267,471
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	250,134	4,236,513	4,486,646	247,134	6,043,344	6,290,478	232,147	5,482,279	5,714,426	293,837	7,145,047	7,438,884
i) संचिवालय - सामान्य सेवाएं	109,513	214,355	323,868	65,726	423,892	489,618	49,851	360,015	409,866	57,274	606,705	663,979
ii) जिला प्रशासन	71,136	396,766	467,903	92,935	473,800	566,735	88,535	514,565	603,100	134,784	592,593	727,376
iii) पुलिस	33,085	2,631,397	2,664,481	44,795	2,984,859	3,029,654	43,359	3,254,578	3,297,937	50,598	3,908,640	3,959,238
iv) लोक निर्माण	19,439	445,086	464,525	6,194	481,153	487,347	7,501	537,528	545,029	7,148	666,212	673,360
v) अन्य ++	16,960	548,909	565,870	37,485	1,679,640	1,717,125	42,901	815,594	858,494	44,033	1,370,898	1,414,931
ङ. पेंशन	-	5,609,798	5,609,798	25	6,272,827	6,272,852	25	6,693,797	6,693,822	1,470	8,720,557	8,722,027
च. विविध सामान्य सेवाएं	12,036	554,372	566,409	11,086	1,122,997	1,134,083	11,186	576,419	587,605	15,420	1,298,290	1,313,710
जिसमें से:												
राज्य लैटरी के कारण भुगतान	-	499,124	499,124	-	570,872	570,872	-	496,206	496,206	-	561,600	561,600
III. सहायता अनुदान और अंशदान	67,091	1,556,193	1,623,284	98,891	1,894,612	1,993,503	158,975	1,878,628	2,037,603	216,448	2,072,380	2,288,828
जिसमें से:												
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए												
मुआवजा और समुदेशन	67,091	1,552,559	1,619,650	98,891	1,894,612	1,993,503	158,975	1,878,628	2,037,603	216,448	2,072,380	2,288,828

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	333,714	643,339	977,053	366,841	752,377	1,119,218	430,075	810,200	1,240,275	433,623	936,708	1,370,331
I. विकास व्यय (क + ख)	321,609	263,786	585,395	355,649	374,382	730,031	418,860	421,071	839,931	424,021	510,362	934,383
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	288,360	233,851	522,210	305,475	305,843	611,318	370,257	336,499	706,756	367,951	439,188	807,139
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	49,966	165,458	215,424	49,813	198,398	248,211	59,902	236,544	296,446	61,980	296,617	358,597
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	70,201	42,463	112,665	69,679	56,323	126,002	91,081	66,050	157,131	84,879	82,878	167,757
3. परिवार कल्याण	2,725	—	2,725	3,184	—	3,184	3,593	—	3,593	4,380	—	4,380
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	19,672	—	19,672	19,970	—	19,970	22,560	—	22,560	18,065	—	18,065
5. आवास	15,403	2,112	17,515	14,561	2,480	17,041	5,560	2,412	7,972	13,060	2,665	15,725
6. शहरी विकास	102,159	9,719	111,878	105,545	33,572	139,117	123,161	10,541	133,701	114,190	34,188	148,378
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,000	310	2,310	2,656	539	3,195	2,356	561	2,917	2,496	669	3,165
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,640	3,284	4,924	2,997	4,645	7,642	1,440	5,267	6,707	1,136	7,230	8,366
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17,878	8,364	26,243	27,247	7,706	34,953	46,701	10,567	57,268	50,990	10,420	61,410
10. पोषण	6,459	34	6,493	8,985	—	8,985	13,565	—	13,565	15,865	—	15,865
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	243	171	413	815	211	1,026	305	473	778	910	280	1,190
12. अन्य*	13	1,936	1,949	23	1,969	1,992	33	4,084	4,117	—	4,242	4,242
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	33,249	29,936	63,185	50,174	68,540	118,714	48,603	84,572	133,176	56,070	71,173	127,243
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	1,148	3,223	4,371	2,634	4,559	7,193	2,127	5,207	7,334	745	7,419	8,164
i) फसल उत्पादन	123	767	890	344	1,152	1,496	1,057	1,293	2,350	191	1,822	2,013
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	4	9	13	30	18	48	30	19	49	—	53	53
iii) पशुपालन	567	700	1,267	1,782	1,057	2,839	516	1,151	1,667	34	1,787	1,821
iv) डेरी विकास	—	129	129	1	160	161	—	160	160	—	160	160
v) मत्स्यपालन	2	24	26	2	41	43	2	51	53	—	69	69
vi) वनिकी और वन्य जीवन	371	946	1,317	377	1,328	1,705	422	1,553	1,975	520	2,175	2,695
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	91	91	—	97	97	—	99	99	—	102	102
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) कृषि वित्त संस्थाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सत्कारिता	19	473	491	28	592	620	40	751	791	—	1,041	1,041
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	63	83	146	70	114	184	60	130	190	—	210	210
ग्रामीण विकास	6,713	199	6,911	350	329	679	432	345	777	230	629	859
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	23	5,138	5,161	62	6,046	6,108	9	7,067	7,076	104	8,949	9,053
जिसमें से:												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	3	825	828	2	869	871	4	957	961	4	1,052	1,056
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	20	4,313	4,333	60	5,177	5,237	5	6,110	6,115	100	7,897	7,997
ऊर्जा	2,287	7,424	9,711	6,025	40,900	46,925	1,235	37,874	39,109	175	20,950	21,125
जिसमें से: पावर	2,263	7,424	9,687	6,000	40,900	46,900	1,210	37,874	39,084	150	20,950	21,100
उद्योग और खनिज (1 से iii)	1,129	658	1,787	1,271	933	2,204	2,460	1,146	3,605	4,377	1,576	5,953
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,129	647	1,777	1,271	904	2,175	2,460	1,135	3,595	4,377	1,554	5,931
ii) उद्योग @	—	10	10	—	29	29	—	10	10	—	22	22
iii) अन्य**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	19,024	10,253	29,278	33,170	11,000	44,170	37,132	13,900	51,032	36,740	10,300	47,040
i) सड़क और पुल	18,100	8,053	26,153	29,600	8,600	38,200	35,172	12,000	47,172	35,600	8,000	43,600
ii) अन्य @@	924	2,200	3,124	3,570	2,400	5,970	1,960	1,900	3,860	1,140	2,300	3,440
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	800	21	821	4,114	29	4,143	1,416	46	1,462	2,314	46	2,360
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	2,125	3,020	5,145	2,548	4,744	7,292	3,793	18,988	22,781	11,385	21,304	32,689
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	26	280	306	30	419	449	59	442	501	30	559	589
ii) पर्यटन	1,273	53	1,326	1,067	84	1,151	229	75	304	558	100	658
iii) नागरिक आपूर्ति	298	2,180	2,478	314	3,466	3,780	355	17,582	17,937	—	19,325	19,325
iv) अन्य +	528	507	1,035	1,137	775	1,912	3,150	889	4,039	10,797	1,320	12,117
II. गैर विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)												
(क से च)	12,106	312,820	324,926	11,192	329,620	340,812	11,215	343,534	354,749	9,602	376,855	386,457
क. राज्य के अंग	680	17,836	18,516	826	29,456	30,282	1,257	34,868	36,125	1,206	33,044	34,250
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	5,220	9,090	14,310	3,005	10,126	13,131	2,421	10,921	13,342	1,157	13,574	14,731
i) कर और शुल्क का संग्रह	4,555	9,090	13,646	2,995	10,126	13,121	2,329	10,921	13,250	1,065	13,574	14,639
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	664	—	664	10	—	10	92	—	92	92	—	92
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	250,434	250,434	—	247,500	247,500	—	251,200	251,200	—	273,629	273,629
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	250,434	250,434	—	247,500	247,500	—	251,200	251,200	—	273,629	273,629
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	250,434	250,434	—	247,500	247,500	—	251,200	251,200	—	273,629	273,629
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) परस्परस्पर्क पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	6,205	35,458	41,663	7,361	42,292	49,653	7,537	46,327	53,864	7,239	55,897	63,136
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	390	1,851	2,241	431	2,626	3,057	1,166	3,306	4,472	1,274	3,784	5,058
ii) जिला प्रशासन	2,991	1,764	4,754	2,675	2,267	4,942	2,149	2,961	5,110	2,100	3,386	5,486
iii) पुलिस	505	145	650	950	242	1,192	597	234	831	900	336	1,236
iv) लोक निर्माण	—	17,888	17,888	10	22,553	22,563	—	23,038	23,038	—	27,817	27,817
v) अन्य ++	2,319	13,809	16,129	3,295	14,604	17,899	3,625	16,788	20,413	2,965	20,573	23,538
ङ. पेंशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च. विविध सामान्य सेवाएं	—	2	2	—	247	247	—	218	218	—	712	712
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राज्य लाटरी के कारण भुगतान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. सहायता अनुदान और अंशदान	—	66,732	66,732	—	48,375	48,375	—	45,595	45,595	—	49,491	49,491
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मुआवजा और सममुरेशन	—	66,732	66,732	—	48,375	48,375	—	45,595	45,595	—	49,491	49,491

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	84,699	135,390	220,059	154,103	143,775	297,878	139,270	175,928	315,198	150,411	168,951	319,362
I. विकास व्यय (क + ख)	77,747	88,141	165,888	149,484	92,730	242,214	133,560	113,059	246,619	144,148	104,986	249,134
क. सामाजिक सेवा (1 से 12)	57,054	28,050	85,104	61,717	29,274	90,991	70,918	41,731	112,649	100,954	43,539	144,493
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,162	13,961	24,123	9,491	14,566	24,057	13,430	21,457	34,887	16,664	21,025	37,689
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,996	6,584	18,580	8,971	6,636	15,606	8,152	7,655	15,807	14,364	9,251	23,615
3. परिवार कल्याण	453	30	483	358	31	389	402	36	438	151	41	192
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,385	1,340	2,725	1,157	1,393	2,550	1,350	1,519	2,869	6,109	1,440	7,549
5. आवास	7,269	86	7,355	4,919	76	4,995	4,115	76	4,191	7,884	87	7,971
6. शहरी विकास	7,097	115	7,212	4,294	226	4,520	3,879	276	4,155	7,625	291	7,916
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,866	1,177	5,043	6,900	1,365	8,265	19,598	1,568	21,166	25,654	1,442	27,096
8. श्रम और श्रम कल्याण	577	551	1,128	462	567	1,029	661	815	1,476	764	802	1,566
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,861	3,224	15,085	11,933	3,419	15,352	12,839	3,924	16,763	12,745	3,935	16,680
10. पोषण	2,240	412	2,652	2,069	423	2,492	2,782	429	3,211	2,734	410	3,144
11. प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	8	306	314	11,028	278	11,306	3,574	3,611	7,185	6,057	431	6,488
12. अन्य*	140	264	404	135	293	428	136	365	501	203	4384	4,587
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	20,693	60,091	80,784	87,767	63,457	151,224	62,642	71,328	133,970	43,194	61,447	104,641
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (1 से xii)	6,559	2,032	8,591	5,960	2,952	8,912	7,299	4,089	11,388	11,605	3,280	14,885
i) फसल उत्पादन	1,484	849	2,333	1,650	1,660	3,310	2,082	1,898	3,980	3,365	1,252	4,617
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	88	88	-	92	92	-	124	124	-	127	127
iii) पशुपालन	1,428	466	1,894	1,400	492	1,892	1,889	728	2,617	3,087	678	3,765
iv) डेरी विकास	760	45	805	464	44	508	464	62	526	498	47	545
v) मत्स्यपालन	1,572	227	1,799	1,338	286	1,624	1,453	398	1,851	2,877	395	3,272
vi) वानिकी और वन्य जीवन	242	97	339	142	106	248	149	139	288	142	142	284
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	363	363	-	262	262
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	760	-	760	705	-	705	938	-	938	1,160	-	1,160
x) कृषि वित्त संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) सहाकरिता	105	246	351	141	258	399	97	355	452	241	354	595
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	208	14	222	120	14	134	227	22	249	235	23	258
2. ग्रामीण विकास	1,033	486	1,519	1,580	604	2,184	4,808	762	5,570	3,586	714	4,300
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,959	-	2,959	-	3,300	3,300	3,300	-	3,300	3,300	-	3,300
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,077	651	1,728	1,082	689	1,771	772	851	1,623	909	853	1,762
<i>जिसमें से:</i>												
i) बड़ी और मध्यम सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) लघु सिंचाई	690	651	1,341	938	689	1,628	616	851	1,467	739	853	1,592
iii) बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज	387	-	387	144	-	144	156	-	156	170	-	170
5. ऊर्जा	643	53,928	54,571	708	52,304	53,012	668	61,350	62,018	808	51,807	52,615
<i>जिसमें से:</i> पावर	643	53,928	54,571	708	52,304	53,012	668	61,350	62,018	808	51,807	52,615
6. उद्योग और खनिज (1 से iii)	2,743	147	2,890	71,928	156	72,084	39,293	218	39,511	7,491	218	7,709
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,623	146	2,769	71,808	153	71,961	39,173	216	39,389	7,326	216	7,542
ii) उद्योग @	120	1	121	120	3	123	120	2	122	165	2	167
iii) अन्य**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट II: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व व्यय (समाप्त)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार (i + ii)	2,406	719	3,125	2,941	816	3,757	3,127	1,000	4,127	8,032	1,020	9,052
i) सड़क और पुल	2,406	625	3,031	2,889	721	3,611	3,075	867	3,942	6,671	886	7,557
ii) अन्य @@	-	94	94	52	95	146	52	133	185	1,361	134	1,495
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	105	10	115	135	12	147	145	14	159	16	16	154
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i से iv)	3,168	2,118	5,286	3,432	2,624	6,056	3,230	3,044	6,274	7,325	3,539	10,864
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	130	237	367	535	288	823	550	295	845	2,548	293	2,841
ii) पर्यटन	2,140	73	2,213	1,785	79	1,864	1,593	93	1,686	3,779	96	3,875
iii) नागरिक आपूर्ति	766	1,671	2,437	996	2,095	3,091	1,024	2,435	3,459	905	2,918	3,823
iv) अन्य +	132	137	269	116	162	278	63	221	284	93	232	325
II. रोग विकास व्यय (सामान्य सेवाएं)	6,922	46,841	53,763	4,619	50,610	55,229	5,710	62,435	68,145	6,263	63,518	69,781
क. राज्य के अंग	55	1,733	1,788	45	1,726	1,771	45	2,194	2,239	45	2,467	2,512
ख. राजकोषीय सेवाएं (i से ii)	5,442	1,452	6,894	2,307	1,505	3,812	3,791	2,027	5,818	3,844	2,009	5,853
i) कर और शुल्क का संग्रह	5,442	1,452	6,894	2,307	1,505	3,812	3,791	2,027	5,818	3,844	2,009	5,853
ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	-	21,738	21,738	-	26,493	26,493	-	27,278	27,278	-	30,233	30,233
1. ऋण की कटौती या परिहार के लिए विनियोजन	-	-	-	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	300	300
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	-	21,738	21,738	-	25,293	25,293	-	26,078	26,078	-	29,933	29,933
i) केंद्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	-	21,134	21,134	-	20,149	20,149	-	20,887	20,887	-	21,453	21,453
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	-	12	12	-	3,100	3,100	-	3,202	3,202	-	6,446	6,446
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) बाजार ऋण पर ब्याज	-	-	-	-	3,100	3,100	-	3,183	3,183	-	6,434	6,434
(ख) एनएसएसएफ पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	-	539	539	-	1,984	1,984	-	1,989	1,989	-	1,967	1,967
iv) अन्य	-	52	52	-	60	60	-	-	-	-	66	66
घ. प्रशासनिक सेवाएं (i से थ)	1,425	9,842	11,267	2,266	9,517	11,783	1,874	14,278	16,152	2,374	13,155	15,529
i) सचिवालय - सामान्य सेवाएं	56	764	820	840	17	857	36	1,135	1,171	45	1,064	1,109
ii) जिला प्रशासन	30	178	208	30	182	212	33	244	277	54	244	298
iii) पुलिस	616	4,382	4,998	586	4,688	5,274	840	6,329	7,169	1,117	6,183	7,300
iv) लोक निर्माण	109	1,194	1,303	136	1,144	1,280	118	2,389	2,507	100	1,534	1,634
v) अन्य ++	614	3,324	3,938	674	3,486	4,160	847	4,181	5,028	1,058	4,130	5,188
ड. पेंशन	-	12,004	12,004	-	11,277	11,277	-	16,567	16,567	-	15,568	15,568
च. विविध सामान्य सेवाएं	-	72	72	-	93	93	-	91	91	-	86	86
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य लॉटरी के कारण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. सहायता अनुदान और अंशदान	-	408	408	-	435	435	-	434	434	-	448	448
जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुआवजा और समुददेशन	-	408	408	-	435	435	-	434	434	-	448	448

- : शून्य/नाण्य/उपलब्ध नहीं।
* : सूचना और प्रचार, सचिवालय-सामाजिक सेवाओं, अन्य सामाजिक सेवाओं, आदि पर व्यय शामिल है।

@ : अंशदान और प्रचार, सचिवालय-सामाजिक सेवाओं, अन्य सामाजिक सेवाओं, आदि पर व्यय शामिल है।

** : अन्य उद्योगों पर व्यय तथा उद्योग और खनिज पर अन्य पर व्यय शामिल है।

@@ : पोर्ट और लाइट हाउस, नागरिक विमानन, सड़क परिवहन, अंतरदेशीय जल परिवहन आदि पर व्यय शामिल है।

+ : विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल है।

++ : लोक सेवा आयोग, राजकोष एवं लेखा, प्रशासन, जल, आपूर्ति और निपटान, स्टेशनरी और प्रिंटिंग, अन्य प्रशासनिक सेवाओं, आदि पर व्यय शामिल है।

परिशिष्ट की टिप्पणियाँ भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	15,218,064	5,345,810	4,086,709	4,580,834	1,401,620	710,904	1,715,057	1,787,318
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	2,376,675	2,698,047	2,058,743	2,207,306	67,875	43,263	72,312	61,961
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	1,061,089	1,409,929	1,381,084	2,145,264	38,428	35,988	39,607	28,106
1. बाजार ऋण	665,000	763,260	934,415	1,657,000	18,469	11,538	15,604	5,656
2. एलआईसी से ऋण	286	—	—	—	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	100,979	180,000	180,000	84,994	6,228	6,000	8,500	6,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	7,700	2,806	2,806	3,270	—	—	53	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	300,000	100,000	300,000	—	9,000	6,000	7,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	38,744	100,000	100,000	100,000	9,927	6,000	6,000	6,000
8. अन्य @ जिसमें से:	248,379	63,863	63,863	—	3,804	3,450	3,450	3,450
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	207,068	—	—	—	—	—	—	—
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	90,899	256,877	116,985	248,100	605	155	4,600	4,621
1. राज्य योजना स्कीमें	89,400	256,877	116,985	248,100	36	100	2,021	2,021
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	929	—	—	—	530	55	—	—
4. योजनेतर (i से ii)	570	—	—	—	—	—	2,579	2,600
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	570	—	—	—	—	—	2,579	2,600
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	39	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	19,095	35,566	25,000	27,500	297	200	254	272
1. आवास	661	2,384	1,384	1,522	—	—	—	—
2. शहरी विकास	34	105	105	116	—	—	—	—
3. फसल उत्पादन	204	221	221	243	—	—	—	—
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	5	5	6	—	—	—	—
5. सहकारिता	168	4,232	232	255	19	—	—	—
6. लघु सिंचाई	—	105	105	116	—	—	—	—
7. विद्युत परियोजनाएं	2,423	8,018	6,852	7,097	—	—	—	—
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	803	26	26	29	—	—	—	—
9. उद्योग और खनिज	5,488	505	505	996	—	—	—	—
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	8,403	13,917	13,917	15,309	279	200	254	272
12. अन्य **	911	6,048	1,648	1,813	—	—	—	—
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	36	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	198,199	220,456	220,456	242,501	16,417	27,517	17,328	18,358
1. राज्य भविष्य निधि	163,216	190,535	182,736	202,124	15,816	27,318	17,125	18,145
2. अन्य	34,983	29,921	37,719	40,377	601	199	203	213
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	131,674	88,679	88,278	90,802	1,000	1,800	1,400	1,500
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	24	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधि	57,762	42,428	42,106	46,351	1,000	1,800	1,400	1,500
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	73,888	46,251	46,172	44,450	—	—	—	—
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	3,005,319	2,134,303	1,754,906	1,826,667	25,028	12,090	17,985	18,884
1. सिविल जमाराशियां	1,708,981	969,940	441,146	468,274	18,983	9,458	15,489	16,264
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	773,373	750,459	787,856	879,513	—	—	—	—
3. सिविल अग्रिम	18,805	27,500	27,500	30,250	6,044	2,632	2,496	2,621
4. अन्य	504,160	386,404	498,404	448,631	—	—	—	—
X. उचित और विविध (1 से 4)	8,348,220	—	—	—	1,160,007	538,227	1,499,586	1,574,565
1. उचित	206,735	—	—	—	44,290	534,740	742,196	779,306
2. नकद शेष निवेश लेखा	7,280,050	—	—	—	1,114,776	2,966	757,375	795,244
3. आरबीआई के साथ जमा	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	1,274,905	—	—	—	941	522	15	15
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	655,771	1,200,000	500,000	—	—	—	—	—
जिसमें से: विनिवेश	655,771	1,200,000	500,000	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	1,707,762	—	—	—	159,838	94,927	134,297	141,012

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	10,045,215	7,672,043	8,299,770	8,338,348	8,754,151	860,668	859,869	988,629
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	108,405	211,966	330,774	350,357	423,438	496,714	495,914	604,897
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	119,908	161,235	287,092	303,350	114,364	449,259	449,259	417,298
1. बाजार ऋण	96,313	126,864	250,564	266,822	-	268,600	268,600	245,408
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	16,414	20,000	20,000	20,000	29,696	58,400	58,400	71,390
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	1,556	1,556	500
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,181	9,371	11,528	11,528	84,668	120,700	120,700	100,000
8. अन्य @ जिसमें से:	-	-	-	-	-	3	3	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	3	3	-
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	-6,078	9,272	9,272	8,661	46,825	773	773	140,142
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-6,397	8,272	8,272	7,661	46,217	-	-	140,140
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	319	-	-	-	608	762	762	-
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	-	-	-	-	-	11	11	2
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	4,033	4,183	4,436	4,872	2,616	2,190	1,390	2,883
1. आवास	-	-	-	-	3	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	15	13	14	16	402	1,220	420	470
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	585	-	-	-	-	-	-	-
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	3	3	3	3	10	50	50	10
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	1,726	51	51	1,829
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	3,430	4,167	4,419	4,853	476	869	869	574
12. अन्य **	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	60,829	68,485	66,911	73,604	108,381	112,390	112,390	122,282
1. राज्य भविष्य निधि	58,794	65,880	64,673	71,142	102,863	107,903	107,903	117,795
2. अन्य	2,035	2,605	2,238	2,462	5,518	4,487	4,487	4,487
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	50,547	81,863	81,863	82,507	39,170	16,745	16,745	16,745
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	20,400	10,800	10,800	10,800	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	30,147	71,063	71,063	71,707	39,170	16,745	16,745	16,745
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	273,920	255,430	106,400	121,530	448,457	279,311	279,311	289,279
1. सिविल जमा राशियां	214,885	194,000	45,000	50,000	189,284	117,232	117,232	127,200
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	3	1,430	1,300	1,430	142,777	161,579	161,579	161,579
3. सिविल अग्रिम	59,032	60,000	60,000	70,000	6,883	500	500	500
4. अन्य	-	-	100	100	109,514	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	9,312,769	6,886,575	7,488,796	7,488,824	7,325,604	-	-	-
1. उचित	-509	-15,000	-15,000	-15,000	19,007	-	-	-
2. नकद शेष निवेश लेखा	9,309,475	6,900,000	7,500,000	7,500,000	7,275,067	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	3,803	1,575	3,796	3,824	31,530	-	-	-
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	224,287	200,000	250,000	250,000	668,734	-	-	-

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	4,708,666	2,661,539	4,078,233	4,125,353	1,177,252	302,776	266,668	305,429
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	146,967	307,831	325,222	363,649	63,928	97,904	71,796	110,557
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	14,230	197,654	209,654	253,000	41,363	94,540	60,400	82,140
1. बाजार ऋण	-	84,654	114,654	150,000	-	66,440	-	-
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	5,965	35,000	35,000	35,000	-	1,500	-	-
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	110	30,000	30,000	30,000	-	200	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	95	18,000	-	18,000	-	10,000	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,060	30,000	30,000	20,000	-	12,400	-	-
8. अन्य @ जिसमें से:	-	-	-	-	41,363	4,000	60,400	82,140
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	11,962	42,882	29,300	28,710	9,115	7,500	5,532	22,500
1. राज्य योजना स्कीमें	11,471	42,382	28,800	28,200	9,115	7,500	5,532	22,500
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	491	250	250	250	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	250	250	260	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	250	250	260	-	-	-	-
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	43,752	71,796	71,269	74,940	618	1,309	1,309	1,362
1. आवास	-	-	-	-	35	94	94	94
2. शहरी विकास	150	20,433	20,385	22,185	13	-	-	-
3. फसल उत्पादन	5	10	3,010	3,010	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	39,150	35,152	34,100	35,000	-	-	-	-
5. सहकारिता	726	2,728	2,567	3,038	29	31	31	34
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	3,414	11,758	9,126	9,726	-	-	-	-
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	4	10	7	7	1	3	3	3
9. उद्योग और खनिज	2	-	-	-	1	1	1	1
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	119	125	-	-	474	1,125	1,125	1,140
12. अन्य **	182	1,580	2,074	1,974	64	55	55	90
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	183	1	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	4,000	3,122	4,000	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	46,403	46,370	49,000	49,000	15,162	12,210	12,210	12,210
1. राज्य भविष्य निधि	39,229	38,370	41,000	41,000	14,867	12,000	12,000	12,000
2. अन्य	7,174	8,000	8,000	8,000	295	210	210	210
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	35,106	58,724	59,074	61,845	4,123	3,301	3,301	3,301
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	1	1	1	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	10,000	10,000	10,000	10,000	2,074	2,000	2,000	2,000
3. अकाल राहत कोष	-130	29	29	29	-	-	-	-
4. अन्य	25,236	48,694	49,044	51,815	2,049	1,301	1,301	1,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	213,935	114,904	231,605	228,649	15,458	8,466	8,466	8,466
1. सिविल जमाराशियां	176,996	43,603	175,304	175,304	13,650	8,245	8,245	8,245
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	4	9	9	8	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	34,372	31,000	31,000	31,000	662	220	220	220
4. अन्य	2,563	40,292	25,292	22,337	1,146	1	1	1
X. उचित और विविध (1 से 4)	3,867,731	1,921,706	3,221,707	3,221,707	890,799	120,450	120,450	120,450
1. उचित	13,825	2,705	2,706	2,706	5,903	5,000	5,000	5,000
2. नकद शेष निवेश लेखा	2,862,529	1,000,000	2,000,000	2,000,000	721,209	60,000	60,000	60,000
3. आरबीआई के साथ जमा	-	600,000	600,000	600,000	-	-	-	-
4. अन्य	991,377	319,001	619,001	619,001	163,687	55,450	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	2,696	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	472,668	203,502	203,502	203,502	200,614	55,000	55,000	55,000

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	15,118,075	6,524,641	6,491,719	6,904,311	6,896,326	8,482,074	5,632,469	6,502,048
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	1,026,880	1,027,739	1,053,230	1,564,925	155,006	394,287	491,230	737,599
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	840,207	1,003,114	1,003,114	1,401,244	77,575	393,258	482,251	890,761
1. बाजार ऋण	677,500	799,031	879,031	1,225,744	-	155,870	346,216	360,046
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	136,600	20,000	151,800
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	71,205	113,983	113,983	125,400	23,049	33,650	36,250	32,225
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-2	1,760	1,760	1,940
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	100	100	100	-	1,000	30,000	250,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	91,502	90,000	10,000	50,000	17,150	33,628	10,000	10,000
8. अन्य @ जिसमें से:	-	-	-	-	37,377	30,750	38,025	84,750
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	20,903	42,407	27,463	18,023	6,775	3,867	3,550	60,090
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	19,749	42,407	27,463	18,023	6,000	3,307	2,990	59,520
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	1,154	-	-	-	450	400	400	400
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	-	-	-	-	325	160	160	170
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	325	160	160	170
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	21,360	25,065	25,000	23,005	21,380	32,083	37,789	26,734
1. आवास	1,107	2,200	1,200	1,500	481	55	55	146
2. शहरी विकास	498	1,006	500	1,500	16	5	5	5
3. फसल उत्पादन	5	5	5	5	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	38	800	800	45	-	-	-	-
5. सहकारिता	631	2,500	1,200	2,000	341	485	485	534
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	3,158	-	-	-	1,656	-	9,035	-
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	49	117	117	117	7,767	8,023	12,439	8,858
9. उद्योग और खनिज	104	50	50	1,328	-	1,400	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	5,993	9,277	10,648	8,655	10,981	21,866	15,530	16,050
12. अन्य **	9,777	9,110	10,480	7,855	137	250	240	1,141
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	1	1	1	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	250	-	14,146	11,582	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	115,748	122,071	145,862	247,153	127,405	141,275	134,528	257,894
1. राज्य भविष्य निधि	102,701	108,816	131,680	233,458	126,469	140,308	133,569	256,925
2. अन्य	13,047	13,255	14,182	13,695	936	967	959	969
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	112,247	116,355	77,855	83,600	23,335	25,371	25,368	29,107
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	56	77	77	55	5,900	5,696	6,195	6,505
2. ऋणशोधन निधि	90,000	50,000	45,000	50,000	3,992	4,744	4,743	7,453
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	22,191	66,278	32,778	33,545	13,444	14,931	14,429	15,149
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,428,521	1,155,410	1,160,560	1,162,267	278,611	215,152	206,730	217,067
1. सिविल जमाराशियां	388,303	312,000	312,000	315,410	259,521	190,000	183,924	193,120
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	977,689	750,000	750,000	750,000	5,483	5,360	7,854	8,246
3. सिविल अग्रिम	20,409	17,000	17,000	20,400	7,577	6,000	8,623	9,055
4. अन्य	42,120	76,410	81,560	76,457	6,030	13,792	6,329	6,646
X. उचित और विविध (1 से 4)	11,880,958	3,237,352	3,214,852	3,233,072	5,875,507	7,351,068	4,300,717	4,578,753
1. उचित	193	4,500	4,500	220	22,424	280,000	294,000	308,700
2. नकद शेष निवेश लेखा	9,984,328	100,000	100,000	100,000	5,836,012	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	7,061,000	3,993,450	4,256,122
4. अन्य	1,896,437	1,332,852	1,310,352	1,332,852	17,070	10,068	13,267	13,931
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	9,487	-	-	-	1,015	-	1,417	1,525
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	1,015	-	1,417	1,525
XIII. विप्रेषण	688,394	822,866	822,866	724,364	484,723	320,000	440,117	440,117

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	3,231,385	512,391	481,085	442,525	463,742	429,685	453,072	458,859
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	291,577	294,726	263,419	243,859	314,481	283,295	297,404	295,202
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	179,847	281,373	250,021	201,352	224,526	169,355	241,743	197,149
1. बाजार ऋण	139,901	210,371	179,019	159,349	140,185	54,055	126,443	81,849
2. एलआईसी से ऋण	-	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	20,000	22,000	32,000	22,000	20,000	26,500	26,500	-
5. राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम से ऋण	237	2	2	2	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	19,000	19,000	1	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	15,845	20,000	20,000	20,000	20,841	45,300	45,300	45,300
8. अन्य @ जिसमें से:	3,864	-	-	-	33,500	33,500	33,500	70,000
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	5,065	36	36	36	51,603	60,700	10	20
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	4,582	-	-	-	51,603	60,700	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	443	36	36	36	-	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	40	-	-	-	-	-	10	20
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	40	-	-	-	-	-	10	20
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	2,605	2,317	2,363	2,472	306	317	251	250
1. आवास	43	47	47	42	18	18	18	16
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	2	4	4	4	4	5	4	4
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	7	1	1	1	-	-	-	-
5. सहाकरिता	481	325	370	392	3	3	3	3
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	174	-	-	-	-	-	-	-
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	278	21	21	19	5	5	5	5
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	1,609	1,900	1,900	1,995	250	260	200	200
12. अन्य **	11	20	20	20	26	26	21	22
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	144,963	61,000	61,000	71,000	120,044	132,445	124,152	170,391
1. राज्य भविष्य निधि	143,212	59,400	59,400	69,300	117,401	129,680	121,265	167,352
2. अन्य	1,751	1,600	1,600	1,700	2,643	2,765	2,887	3,039
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	39,129	-	-	-	23,166	24,301	39,751	48,455
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	39,129	-	-	-	23,166	24,301	39,751	48,455
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	98,596	37,387	37,387	37,387	2,300	2,300	2,300	2,300
1. सिविल जमाराशियां	78,033	7,987	7,987	7,987	1,100	1,100	1,100	1,100
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	514	21,500	21,500	21,500	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	17,232	7,250	7,250	7,250	1,200	1,200	1,200	1,200
4. अन्य	2,817	650	650	650	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	2,439,081	82,241	82,241	82,241	28,497	26,967	31,565	26,994
1. उचित	18,263	17,100	17,100	17,100	22,497	20,967	25,565	20,994
2. नकद शेष निवेश लेखा	2,420,767	15,000	15,000	15,000	3,600	3,600	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-
4. अन्य	51	141	141	141	2,400	2,400	6,000	6,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	322,098	48,037	48,037	48,037	13,300	13,300	13,300	13,300

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	833,139	737,252	703,997	1,061,595	13,009,687	2,939,741	2,754,475	3,173,639
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	459,833	269,700	234,445	307,729	469,470	1,186,740	1,131,274	1,258,888
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	454,717	215,000	179,745	250,800	155,068	743,219	954,600	966,300
1. बाजार ऋण	167,107	54,800	59,545	45,255	74,999	403,343	867,900	710,800
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	63,070	26,000	26,000	62,500	33,350	60,000	50,000	69,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	20,430	6,000	1,000	1,000	79	1,500	1,500	1,500
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	7,813	135,000	5,200	135,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	42,874	50,200	50,200	55,220	38,827	143,376	30,000	50,000
8. अन्य @ जिसमें से:	161,236	78,000	43,000	86,825	-	-	-	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	-	-	-	-	80,600	157,129	40,400	104,057
1. राज्य योजना स्कीमें	-	-	-	-	79,131	156,718	40,000	103,832
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	1,469	111	100	25
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	300	300	200
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	300	300	200
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	1,354	1,130	1,130	1,511	5,207	6,997	7,079	7,697
1. आवास	7	8	8	12	814	692	692	762
2. शहरी विकास	-	-	-	-	312	62	62	68
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	-	-	-	200	164	183	183	201
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	568	100	100	120	666	-	312	-
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	64	70	70	90	224	47	47	51
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	888	78	370	86
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	241	-	92	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	715	952	952	1,089	513	783	169	862
12. अन्य **	-	-	-	-	1,385	5,152	5,152	5,667
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	15,000	15,000	15,000	15,000	1,328	500	500	500
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	44,347	49,804	51,804	74,595	199,369	228,174	228,174	250,992
1. राज्य भविष्य निधि	42,917	47,684	47,684	64,415	103,205	117,163	117,163	128,879
2. अन्य	1,430	2,120	4,120	10,180	96,164	111,011	111,011	122,113
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	19,839	13,755	13,755	10,631	103,415	89,961	89,961	98,957
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	3	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	-	11	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	19,839	13,755	13,755	10,631	103,401	89,961	89,961	98,957
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	95,642	160,129	160,129	374,696	1,989,829	621,320	621,320	683,452
1. सिविल जमा राशियां	14,475	45,603	45,603	80,540	275,540	91,358	91,358	100,494
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	14,919	45,068	45,068	148,105	1,367,367	451,416	451,416	496,558
3. सिविल अग्रिम	6,618	54,800	14,658	12,603	319	-	-	-
4. अन्य	59,630	14,658	54,800	133,448	346,603	78,546	78,546	86,401
X. उचित और विविध (1 से 4)	65,264	45,503	45,503	17,520	10,198,346	568,882	568,882	625,770
1. उचित	38,514	15,741	15,741	9,182	22,317	28,482	28,482	31,330
2. नकद शेष निवेश लेखा	20,000	22,000	22,000	2,400	7,123,507	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	6,750	7,762	7,762	5,938	3,052,522	540,400	540,400	594,440
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	24,578	300,000	20,000	190,000
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	136,977	236,931	236,931	316,842	251,947	223,558	223,558	245,914

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	6,661,212	6,347,173	7,395,216	7,350,627	15,837,479	4,460,752	11,585,317	10,768,552
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	751,949	786,279	774,721	779,507	386,071	699,520	688,603	910,952
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	1,221,207	1,424,273	1,290,269	1,583,074	283,193	663,698	579,000	1,094,611
1. बाजार ऋण	429,675	216,447	541,389	219,169	187,500	292,298	433,000	572,111
2. एलआईसी से ऋण	44,000	44,000	44,000	44,000	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	19,598	45,400	45,428	45,400	65,270	77,000	77,000	77,000
5. राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम से ऋण	9,405	5,449	5,449	5,000	3,089	—	—	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	698,484	852,500	650,001	1,002,500	—	200,000	50,000	400,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	18,045	256,475	—	263,002	24,605	80,000	15,000	30,000
8. अन्य @	2,001	4,002	4,002	4,003	2,729	14,400	4,000	15,500
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	1	2	2	3	—	—	—	—
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	41,643	121,808	86,808	180,174	53,901	187,473	133,384	183,806
1. राज्य योजना स्कीमें	41,285	86,463	86,463	144,829	52,649	186,028	131,939	182,361
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	345	315	315	315	1,253	1,445	1,445	1,445
4. योजनेतर (i से ii)	13	30	30	30	—	—	—	—
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	13	30	30	30	—	—	—	—
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	35,000	—	35,000	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	4,485	7,542	7,087	7,291	10,524	29,698	4,926	4,720
1. आवास	17	59	41	38	—	263	717	256
2. शहरी विकास	117	355	355	352	204	1,018	1,239	1,192
3. फसल उत्पादन	—	24	12	12	52	—	—	—
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	61	58	65	75	33	2	3	4
5. सहाकरिता	564	750	740	777	1,645	2,071	2,646	1,972
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—
7. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	75	25,000	—	—
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	741	677	677	876	8	1	16	89
9. उद्योग और खनिज	543	2,354	2,344	2,443	6,173	14	24	10
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	2,337	2,334	1,911	1,766	-157	620	—	620
12. अन्य **	105	932	943	951	2,491	708	281	578
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	179	57	57	16
VI. आकस्मिकता कोष	—	100	—	100	—	10,000	10,000	10,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	942,312	1,134,199	1,273,905	1,305,371	143,887	152,231	152,231	147,183
1. राज्य भविष्य निधि	282,166	315,760	304,371	255,531	122,434	134,124	134,124	125,811
2. अन्य	660,146	818,439	969,534	1,049,839	21,452	18,107	18,107	21,372
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	44,233	35,824	46,370	38,777	71,607	69,651	87,891	68,890
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	31	36	36	36
2. ऋणशोधन निधि	23,697	24,887	34,486	27,636	—	—	—	—
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	29	29	10	10
4. अन्य	20,536	10,937	11,884	11,141	71,546	69,586	87,845	68,844
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	419,918	525,158	448,295	470,851	553,695	603,451	702,616	782,002
1. सिविल जमाराशियां	145,356	151,691	151,713	159,459	313,437	261,125	240,664	298,532
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	271,469	368,629	291,826	306,634	24,627	29,002	6,502	7,151
3. सिविल अग्रिम	148	43	38	42	24,786	20,000	17,825	19,607
4. अन्य	2,945	4,795	4,717	4,717	190,845	293,324	437,626	456,712
X. उचित और विविध (1 से 4)	3,258,556	2,470,819	3,521,519	3,021,198	13,826,524	2,657,737	9,140,526	7,625,170
1. उचित	474,420	470,168	470,615	470,615	442	14,881	14,881	16,960
2. नकद शेष निवेश लेखा	560,939	25,005	800,330	250,000	9,361,564	500,000	4,777,733	5,255,507
3. आरबीआई के साथ जमा	—	—	—	—	2,133,714	—	2,200,000	2,300,000
4. अन्य	2,223,198	1,975,646	2,250,574	2,300,583	2,330,804	2,142,856	2,147,912	52,703
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	753	—	—	100	1,107	—	—	—
जिसमें से: विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	728,104	627,450	720,964	743,691	892,862	86,757	774,686	852,155

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	10,949,380	10,528,259	18,010,910	12,244,664	1,606,838	208,098	1,577,131	1,605,107
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	350,767	1,829,030	1,897,245	2,967,789	67,726	56,824	62,358	36,796
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	1,343,208	1,792,547	2,146,967	2,557,773	49,492	55,490	55,490	33,380
1. बाजार ऋण	851,890	529,478	1,776,193	1,946,978	24,723	30,330	30,330	31,780
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	52,379	100,000	97,000	100,000	412	1,000	1,000	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	13,993	32,396	29,642	10,795	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	195,363	300,000	90,374	300,000	3,879	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	218,801	830,673	153,758	200,000	20,345	23,660	23,660	100
8. अन्य @ जिसमें से:	10,782	-	-	-	133	500	500	500
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	5	-	-	-	-	-	-	-
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	32,921	72,241	76,874	123,474	833	690	1,461	1,162
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	30,286	65,680	65,680	115,680	171	690	690	690
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	2,407	6,461	10,944	7,544	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	662	-	771	472
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	227	100	250	250	-	-	-	-
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	73,259	34,838	34,092	36,811	229	300	300	300
1. आवास	4,930	4,246	3,511	3,586	165	-	-	-
2. शहरी विकास	389	1,026	1,016	1,017	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	3	3	3	3	-	-	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-1	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	1,932	2,302	2,304	2,419	4	42	42	42
6. लघु सिंचाई	1	1	1	1	-	-	-	-
7. विद्युत् परियोजनाएं	32,593	-	-	-	-	-	-	-
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	52	151	148	210	-	-	-	-
9. उद्योग और खनिज	2,955	800	2,019	825	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	14,961	17,396	16,881	19,241	60	58	58	58
12. अन्य **	15,444	8,913	8,210	9,510	-	200	200	200
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	40,536	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	205,996	230,149	225,697	333,114	12,945	11,209	11,209	11,324
1. राज्य भविष्य निधि	186,171	202,806	200,969	305,602	12,775	11,000	11,000	11,100
2. अन्य	19,825	27,343	24,728	27,512	170	209	209	224
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-919,555	140,640	176,803	165,197	1,333	1,972	1,972	2,657
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-1,472	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	117,594	59,900	59,900	83,100	-	1,266	1,266	1,832
3. अकाल राहत कोष	-1,272	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-1,034,406	80,740	116,903	82,097	1,333	706	706	825
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,084,718	930,917	1,169,480	1,492,615	39,038	9,588	15,350	14,400
1. सिविल जमा राशियां	1,044,587	867,623	1,136,923	1,443,212	6,182	5,000	6,000	6,500
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	18	-	2	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	27,648	33,276	10,534	25,001	1,556	588	1,500	1,500
4. अन्य	12,483	30,000	22,024	24,400	31,300	4,000	7,850	6,400
X. उचित और विविध (1 से 4)	7,478,401	6,097,906	12,819,997	6,095,659	1,347,662	61,000	1,423,500	1,472,000
1. उचित	709	1,306	11,397	1,359	19,134	500	17,500	16,000
2. नकद शेष निवेश लेखा	7,428,482	6,000,000	8,000,000	6,000,000	1,322,529	60,000	1,400,000	1,450,000
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	49,210	96,600	4,808,600	94,300	5,999	500	6,000	6,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	35,000	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	1,574,897	1,229,021	1,361,001	1,440,021	155,306	67,849	67,849	69,884

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	892,052	1,170,928	1,171,010	1,231,194	815,798	50,339	614,353	662,072
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	45,891	42,096	43,392	52,148	75,191	32,451	50,376	69,118
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	24,454	37,735	39,237	47,258	21,400	22,358	19,505	22,374
1. बाजार ऋण	19,569	25,377	25,940	30,540	14,687	12,288	15,618	16,763
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	1,991	2,000	2,000	2,000
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	2,926	3,000	5,204	8,000	1,400	1,400	1,400	3,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	268	168	168	168	—	—	—	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	4,050	4,050	4,050	2,398	6,670	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,192	4,640	3,375	4,000	34	—	—	—
8. अन्य @ जिसमें से:	500	500	500	500	890	—	487	611
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	264	872	666	911	972	2,530	1,630	2,521
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	68	641	641	886	732	2,530	1,630	2,521
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	185	206	—	—	240	—	—	—
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	11	25	25	25	—	—	—	—
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	1,649	1,600	1,600	1,850	2,752	2,531	2,822	3,001
1. आवास	—	—	—	8	2,393	2,200	2,490	2,575
2. शहरी विकास	4	10	10	2	—	1	1	1
3. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—
5. सहकारिता	9	5	5	5	40	30	30	50
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—
7. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	22
9. उद्योग और खनिज	—	1	1	1	—	—	—	—
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	1,636	1,584	1,584	1,834	319	300	300	350
12. अन्य **	—	—	—	—	—	—	2	4
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	9,820	21,000	19,786	21,000	—	10	—	40,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	10,146	11,043	11,043	16,570	27,372	19,000	18,787	31,046
1. राज्य भविष्य निधि	10,146	11,043	11,043	16,570	26,762	18,750	18,750	30,796
2. अन्य	—	—	—	—	609	250	37	250
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	2,366	2,609	2,609	2,690	2,979	2,500	10,870	2,390
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधि	1,171	1,378	1,378	1,422	1,400	1,500	1,500	1,600
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	1,195	1,231	1,231	1,268	1,579	1,000	9,370	790
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	52,803	28,130	28,130	30,480	27,066	10	17,457	17,457
1. सिविल जमाराशियां	48,553	23,826	23,826	25,318	26,098	—	17,268	17,268
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	2	2	2	—	—	—	—
3. सिविल अग्रिम	4,250	4,302	4,302	5,160	968	10	189	189
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—
X. उचित और विविध (1 से 4)	703,778	986,780	986,780	1,027,342	625,932	1,400	455,395	455,395
1. उचित	-1,867	2,253	2,253	2,254	65,598	—	149,941	149,941
2. नकद शेष निवेश लेखा	705,123	427,857	427,857	468,412	559,322	—	—	—
3. आरबीआई के साथ जमा	—	556,348	556,348	556,348	—	—	305,163	305,163
4. अन्य	522	322	322	328	1,012	1,400	290	290
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	86,772	81,160	81,160	83,094	107,327	—	87,888	87,888

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	569,246	506,621	510,167	557,148	8,213,948	2,747,199	2,983,385	3,441,217
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	57,821	40,947	69,905	84,398	144,560	526,566	505,534	479,466
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	87,910	98,911	87,568	131,586	41,705	220,075	265,985	297,828
1. बाजार ऋण	36,905	32,511	45,799	56,248	—	151,073	177,109	189,026
2. एलआईसी से ऋण	895	350	—	—	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	2,000	2,700	5,755	5,755	23,618	47,500	63,874	70,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	30	400	1,760	4,338	—	2	2	1,802
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	36,717	50,000	20,000	50,000	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	145	1,000	10	1,000	16,909	15,000	15,000	25,000
8. अन्य @ जिसमें से:	11,217	11,950	14,245	14,245	1,178	6,500	10,000	12,000
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	-1,090	400	—	800	8,985	190,080	138,138	120,101
1. राज्य योजना स्कीमें	-1,536	—	—	—	8,221	189,365	137,365	118,390
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	446	400	—	—	747	715	773	1,711
4. योजनेतर (i से ii)	—	—	—	800	16	—	—	—
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	—	—	—	800	16	—	—	—
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	306	475	475	463	35,530	24,680	24,680	24,314
1. आवास	8	55	55	45	397	30	30	398
2. शहरी विकास	—	—	—	—	1	274	274	1
3. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	1	1	—
5. सहकारिता	7	220	220	225	107	239	239	121
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	2	—	—	2
7. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	11,029	11,029	11,028	11,029
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	—	20	20	18	75	133	133	83
9. उद्योग और खनिज	—	—	—	—	50	388	388	57
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	290	180	180	175	5,321	11,810	11,810	5,214
12. अन्य **	—	—	—	—	18,548	776	778	7,410
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	—	—	—	16,501	15,000	40,000	40,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	13,542	10,525	13,760	14,270	210,440	216,846	226,846	233,428
1. राज्य भविष्य निधि	13,289	10,300	13,500	14,000	209,990	216,504	226,504	232,958
2. अन्य	253	225	260	270	451	342	342	470
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	3,502	300	2,354	2,520	103,199	138,349	299,219	224,828
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधि	1,818	—	2,054	2,220	70,007	30,007	7	148,644
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	1,684	300	300	300	33,192	108,342	299,211	76,184
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	20,902	2,000	12,000	13,500	256,693	398,365	444,714	472,390
1. सिविल जमाराशियां	19,038	1,000	11,000	12,500	181,738	187,109	187,109	201,217
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	—	—	—	63,640	51,032	51,032	64,566
3. सिविल अग्रिम	1,864	1,000	1,000	1,000	7,253	6,551	6,551	7,481
4. अन्य	—	—	—	—	4,062	153,673	200,022	199,126
X. उचित और विविध (1 से 4)	342,609	314,000	314,000	314,000	7,079,613	1,193,750	1,193,750	1,471,240
1. उचित	4,976	4,000	4,000	4,000	-1,873	1,650	1,650	638
2. नकद शेष निवेश लेखा	317,219	300,000	300,000	300,000	7,080,466	1,190,000	1,190,000	1,320,314
3. आरबीआई के साथ जमा	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	20,415	10,000	10,000	10,000	1,020	2,100	2,100	150,289
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	101,564	80,010	80,010	80,010	461,282	350,054	350,054	557,087

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	4,333,453	16,494,061	10,585,000	10,968,055	12,789,041	8,632,438	16,888,864	12,300,213
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	760,119	550,257	879,186	902,872	960,421	831,391	969,291	986,459
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	562,101	596,375	620,128	1,062,600	463,578	592,287	752,079	884,572
1. बाजार ऋण	412,128	351,375	506,128	617,600	398,670	487,913	671,613	810,469
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	38,254	45,000	45,000	45,000	50,000	50,000	70,000	70,000
5. राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	4,438	4,374	4,142	4,103
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	38,843	100,000	50,000	400,000	—	10,000	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	72,876	100,000	19,000	—	10,470	40,000	6,324	—
8. अन्य @ जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	42,963	34,440	27,890	39,500	42,756	58,427	45,085	55,400
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	42,681	34,380	27,890	39,500	41,189	54,880	41,700	52,300
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	130	—	—	—	1,567	3,547	3,385	3,100
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	152	60	—	—	—	—	—	—
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	144,586	15,531	166,025	16,726	178,072	9,733	9,449	10,228
1. आवास	8	7,382	6,964	7,382	120	138	137	137
2. शहरी विकास	52	199	199	199	249	203	150	200
3. फसल उत्पादन	—	—	—	—	736	304	304	504
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	4	2	23	152
5. सहाकरिता	24	20	20	20	2,763	1,110	842	734
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	1	1	—	—
7. विद्युत परियोजनाएं	136,533	—	150,000	—	173,031	7,061	7,061	8,117
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	71	1,168	1,550	1,452	483	329	326	26
9. उद्योग और खनिज	—	—	—	—	211	80	121	85
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	7,760	6,713	7,243	7,623	333	277	274	13
12. अन्य **	136	49	49	49	142	229	211	260
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	—	—	—	—	16,500	16,500	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	187,470	185,789	191,630	199,118	284,355	308,383	303,104	324,933
1. राज्य भविष्य निधि	183,894	182,133	185,778	195,067	183,501	199,003	194,073	203,435
2. अन्य	3,576	3,656	5,852	4,051	100,854	109,380	109,031	121,498
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	50,663	55,500	58,788	59,574	214,813	137,197	244,501	152,450
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	371	8,039	7,841	8,465	190	—	—	—
2. ऋणशोधन निधि	—	5,000	—	—	—	—	—	—
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	50,292	42,461	50,947	51,108	214,623	137,197	244,501	152,450
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	277,390	209,920	399,985	399,985	6,727,917	6,582,615	8,540,989	9,570,302
1. सिविल जमा राशियां	245,391	206,834	364,263	364,263	550,833	504,509	600,434	661,792
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	8	7	2	2	5,732,704	5,532,345	7,216,955	8,039,123
3. सिविल अग्रिम	3,448	3,079	3,502	3,502	2,698	5,013	4,006	4,005
4. अन्य	28,544	—	32,218	32,218	441,682	540,748	719,594	865,382
X. उचित और विविध (1 से 4)	2,875,986	15,263,699	8,953,233	9,023,233	4,360,780	512,090	6,415,952	641,124
1. उचित	32,348	27,702	97,520	167,520	15,916	10,061	18,082	18,082
2. नकद शेष निवेश लेखा	1,585,605	1,770,353	1,632,619	1,632,619	4,342,575	500,000	6,394,828	620,000
3. आरबीआई के साथ जमा	—	12,264,095	5,646,269	5,646,269	—	—	—	—
4. अन्य	1,258,033	1,201,549	1,576,825	1,576,825	2,289	2,029	3,042	3,042
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	—	—	—	—	116	—	—	—
जिसमें से: विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	192,295	132,807	167,321	167,321	516,654	415,205	561,205	661,205

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	282,939	256,718	319,078	266,648	16,151,873	13,778,221	15,409,562	14,428,914
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	36,784	45,272	43,281	44,278	932,551	1,201,406	1,364,630	1,425,780
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	27,408	42,326	42,414	41,928	686,806	981,075	1,097,401	1,181,553
1. बाजार ऋण	24,991	37,318	37,406	35,431	494,244	571,475	911,680	867,459
2. एलआईसी से ऋण	964	1,008	1,008	1,008	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	2,309
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,454	4,000	4,000	4,000	137,787	106,241	126,492	138,221
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	668	2,664	2,377	2,869
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	150,000	50,000	150,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	—	—	—	53,411	150,000	6,157	20,000
8. अन्य @	—	—	—	1,489	697	695	695	695
जिसमें से:	—	—	—	—	—	—	—	—
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	556	486	44	120	77,886	173,699	122,620	212,650
1. राज्य योजना स्कीमें	87	—	21	100	76,554	172,450	122,477	212,600
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	467	480	—	—	1,333	1,199	—	—
4. योजनेतर (i से ii)	1	6	24	20	—	50	143	50
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	1	6	24	20	—	50	143	50
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	38	53	38	42	101,271	115,484	143,761	103,901
1. आवास	—	—	—	—	206	2	41,004	—
2. शहरी विकास	—	—	—	—	1,637	188	—	—
3. फसल उत्पादन	—	—	—	—	-43	1	—	—
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	68,315	90,000	90,000	90,000
5. सहकारिता	—	—	—	—	1,684	1,407	1,432	1,422
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	3	—	—	—
7. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	1,764	3,175	2,235	2,887
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	—	—	—	—	235	—	373	233
9. उद्योग और खनिज	—	—	—	—	15,556	28	—	—
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	37	51	33	37	8,196	14,386	8,594	9,237
12. अन्य **	1	2	5	5	3,719	6,297	122	121
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	—	50	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	8,423	9,086	9,086	9,713	347,627	413,832	435,507	386,305
1. राज्य भविष्य निधि	8,335	8,800	8,800	9,400	339,459	410,177	431,982	382,767
2. अन्य	89	286	286	313	8,168	3,655	3,525	3,539
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	6,411	4,261	4,802	5,192	259,372	152,522	498,688	358,923
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधि	1,173	1,173	1,173	1,200	49,478	92,778	89,036	45,743
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	1	3	1	1
4. अन्य	5,238	3,088	3,629	3,992	209,893	59,741	409,650	313,179
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	2,688	2,464	2,651	2,855	1,391,151	1,164,163	1,194,469	1,201,086
1. सिविल जमाराशियां	2,425	2,464	2,464	2,425	1,014,230	849,498	821,475	773,673
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	—	—	—	199,975	176,944	196,988	196,988
3. सिविल अग्रिम	—	—	—	—	9,118	9,199	9,200	9,210
4. अन्य	263	—	187	430	167,828	128,522	166,806	221,215
X. उचित और विविध (1 से 4)	184,157	152,397	214,347	153,543	13,065,063	10,565,168	11,691,416	10,758,793
1. उचित	41	6	6	41	331,818	240,525	-364,075	-364,075
2. नकद शेष निवेश लेखा	64,511	40,000	101,950	33,896	8,546,426	7,006,926	7,790,741	6,855,655
3. आरबीआई के साथ जमा	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	119,605	112,392	112,392	119,605	4,186,819	3,317,717	4,264,750	4,267,213
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	53,257	45,645	45,645	53,257	222,696	212,278	225,701	225,701

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तराखण्ड			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	1,614,741	1,531,200	1,651,090	1,567,984	4,204,232	1,212,501	1,245,843	1,476,396
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	-14,492	25,300	19,531	69,701	178,153	170,593	203,934	306,649
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	5,009	20,000	22,100	45,000	189,298	136,627	160,632	245,813
1. बाजार ऋण	-	12,000	15,600	35,000	82,839	70,000	101,069	138,646
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	3,099	6,000	6,000	8,000	14,942	21,175	19,213	20,570
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	136	1,452	1,452	1,597
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	68,365	20,000	20,000	70,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,581	2,000	500	2,000	23,016	24,000	18,898	15,000
8. अन्य @ जिसमें से:	329	-	-	-	-	-	-	-
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	329	-	225	800	1,636	2,931	2,931	9,622
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	40	-	225	800	857	2,931	2,931	9,622
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	289	-	-	-	471	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	-	-	-	-	308	-	-	-
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	308	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	327	300	300	300	6,843	26,024	6,160	10,714
1. आवास	10	-	-	-	-	-	-	-
2. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	35	-	-
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहकारिता	5	-	-	-	110	41	111	95
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	6,026	9,000	5,220	9,737
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	5	15,000	1	1
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	312	300	300	300	702	1,923	828	881
12. अन्य **	-	-	-	-	1	25	-	-
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	2,721	2,500	6,000	3,400
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	39,954	41,350	34,361	36,034	44,927	33,146	48,846	97,970
1. राज्य भविष्य निधि	39,619	41,000	33,985	35,684	43,659	32,690	48,390	97,050
2. अन्य	335	350	376	350	1,268	457	457	920
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	1,854	1,500	3	5	19,320	21,000	21,000	15,000
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	-	8,894	8,000	8,000	2,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	1,854	1,500	3	5	10,426	13,000	13,000	13,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	19,945	19,000	29,320	26,810	182,844	171,928	171,928	161,815
1. सिविल जमा राशियां	6,180	5,000	14,180	13,000	110,431	67,128	67,128	101,390
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	12,124	13,000	10	5	56,468	104,800	104,800	54,425
3. सिविल अग्रिम	1,641	1,000	15,129	13,805	13,048	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	2,897	-	-	6,000
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,466,593	1,404,040	1,492,430	1,407,025	3,469,162	616,792	616,792	602,260
1. उचित	7,228	4,000	10,594	7,000	3,722	22,572	22,572	2,260
2. नकद शेष निवेश लेखा	1,459,266	1,400,000	1,481,814	1,400,000	788,844	-	-	-
3. आरबीआई के साथ जमा	-	-	-	-	1,967,619	-	-	-
4. अन्य	99	40	22	25	708,978	594,220	594,220	600,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	10,000	30,000
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	80,728	45,010	72,350	52,010	287,481	201,553	201,553	299,802

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	48,587,098	22,234,419	21,692,836	23,742,916	16,640,922	18,042,199	18,828,426	21,297,524
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	1,834,346	1,699,712	1,981,845	2,727,812	1,726,326	1,680,759	2,240,467	2,560,772
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	870,973	2,392,998	1,070,498	2,545,670	2,754,213	1,656,839	2,498,428	3,178,156
1. बाजार ऋण	442,200	709,933	709,933	930,636	1,251,793	1,074,020	1,239,746	1,494,751
2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	170,000	150,000	150,000	200,000	-	-	-	-
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	56,097	55,000	75,000	144,446	19	1,000	400	500
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	1,944	1,566	1,566	588	1,566	1,689	2,152	1,775
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	1,000,000	-	1,000,000	1,286,380	100,000	900,000	900,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	195,569	460,000	125,000	260,000	76,765	300,000	200,000	600,000
8. अन्य @	5,163	16,500	9,000	10,000	137,689	180,130	156,130	181,130
जिसमें से:								
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	1,360	-	-	-	-	30	30	30
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	36,897	50,265	50,265	100,265	65,430	56,863	52,692	62,170
1. राज्य योजना स्कीमें	35,467	50,000	50,000	100,000	64,783	56,863	52,692	62,170
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	1,431	-	-	-	647	-	-	-
4. योजनेतर (i से ii)	-	265	265	265	-	-	-	-
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	265	265	265	-	-	-	-
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	44,861	58,888	59,993	60,377	49,664	6,334	517,868	6,334
1. आवास	2,546	5,986	5,986	5,986	1,259	150	150	150
2. शहरी विकास	4,986	1,293	1,293	1,293	-	95	95	95
3. फसल उत्पादन	16	171	171	171	201	50	50	50
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	5	14	14	14	-	4	4	4
5. सहकारिता	2,538	1,252	1,252	1,252	143	275	275	275
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	-	7	7	7
7. विद्युत परियोजनाएं	-	854	854	854	43,991	-	487,450	-
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	574	2,106	2,177	2,106	37	108	108	108
9. उद्योग और खनिज	28,337	32,642	32,642	32,642	691	1,245	24,947	1,245
10. सड़क परिवहन	-	49	49	49	-	200	200	200
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	3,768	4,450	4,450	4,905	3,325	4,000	4,000	4,000
12. अन्य **	2,090	10,071	11,105	11,105	17	200	582	200
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	60,378	1,000	47,693	1,000	716	-	731	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	531,205	466,694	691,694	928,162	125,807	139,005	137,705	219,505
1. राज्य भविष्य निधि	515,293	451,980	667,980	884,020	124,075	136,005	136,005	217,605
2. अन्य	15,913	14,714	23,714	44,142	1,732	3,000	1,700	1,900
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	401,902	472,360	464,320	690,961	100,160	139,877	127,830	136,186
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	12,015	12,000	4,000	1,000	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधि	305,793	316,379	316,379	486,662	42,256	82,200	67,200	73,200
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	84,094	143,981	143,941	203,299	57,904	57,677	60,630	62,986
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,945,025	587,845	778,439	901,389	2,133,262	2,053,422	2,192,032	2,621,487
1. सिविल जमा राशियां	1,079,637	297,406	391,500	445,650	270,474	300,071	284,930	328,685
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	827,301	290,439	376,939	426,939	453,111	480,061	470,000	540,700
3. सिविल अग्रिम	27,670	-	-	-	25,120	25,006	25,102	30,102
4. अन्य	10,418	-	10,000	28,800	1,384,557	1,248,285	1,412,000	1,722,000
X. उचित और विविध (1 से 4)	43,367,771	17,952,869	18,278,434	18,263,592	11,046,428	13,618,966	12,936,368	14,698,517
1. उचित	-1,635,989	75,015	75,015	75,015	-15,214	2,810	2,737	2,386
2. नकद शेष निवेश लेखा	15,341,693	15,000,000	15,000,000	15,000,000	1,634,883	1,200,000	2,032,800	2,300,000
3. आरबीआई के साथ जमा	24,439,058	-	-	-	7,036,935	9,900,000	8,500,000	9,900,000
4. अन्य	5,223,010	2,877,854	3,203,419	3,188,577	2,389,824	2,516,156	2,400,832	2,496,132
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. विप्रेषण	1,328,085	251,500	251,500	251,500	365,243	370,894	364,773	375,169

परिशिष्ट III

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

मद	सभी राज्य			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	231,007,573	145,380,649	166,291,309	162,578,119
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	14,198,716	17,530,616	18,620,063	22,511,428
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	11,953,277	15,887,538	16,286,270	22,089,938
1. बाजार ऋण	6,651,287	7,602,661	11,280,544	12,900,535
2. एलआईसी से ऋण	58,136	67,358	57,008	47,008
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	170,000	286,600	170,000	354,109
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	859,211	1,149,449	1,229,398	1,269,401
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	64,092	93,984	87,385	71,247
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	2,338,337	3,290,320	1,999,725	4,991,651
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,109,383	2,948,423	1,020,410	1,888,150
8. अन्य @	702,831	448,743	441,800	567,838
जिसमें से:				
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	208,434	35	35	33
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	725,155	1,534,803	978,634	1,728,436
1. राज्य योजना स्कीमें	704,440	1,481,164	954,407	1,672,446
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	2,407	6,461	10,944	7,544
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	16,605	9,921	8,237	7,754
4. योजनेतर (i से ii)	1,663	1,257	4,046	4,692
(i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—
(ii) अन्य	1,663	1,257	4,046	4,692
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	36,000	1,000	36,000
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	39	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	777,020	517,162	1,156,846	460,869
1. आवास	15,229	26,009	64,582	24,653
2. शहरी विकास	8,662	26,273	25,689	28,227
3. फसल उत्पादन	1,187	832	3,785	4,007
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	107,613	126,038	125,016	125,300
5. सहकारिता	14,554	21,485	15,663	16,551
6. लघु सिंचाई	6	113	113	125
7. विद्युत परियोजनाएं	417,685	75,995	689,274	49,567
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	11,490	28,066	18,317	14,415
9. उद्योग और खनिज	62,725	39,638	63,464	41,548
10. सड़क परिवहन	241	249	341	249
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	82,442	121,821	108,428	107,251
12. अन्य **	55,186	50,642	42,176	48,974
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	362	59	58	17
VI. आकस्मिकता कोष	152,285	90,610	178,528	151,582
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	4,333,677	4,604,684	5,009,225	5,884,024
1. राज्य भविष्य निधि	3,332,259	3,427,131	3,663,451	4,399,931
2. अन्य	1,001,418	1,177,553	1,345,773	1,484,094
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	946,910	1,896,916	2,545,368	2,453,689
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	17,118	25,849	18,151	16,062
2. ऋणशोधन निधि	808,519	746,239	698,428	1,003,364
3. अकाल राहत कोष	-1,372	61	40	40
4. अन्य	122,644	1,124,766	1,828,749	1,434,222
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	23,010,669	18,285,179	20,734,954	23,150,070
1. सिविल जमाराशियां	8,404,341	5,720,811	5,765,266	6,398,821
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	10,923,554	9,233,100	10,941,637	12,103,476
3. सिविल अग्रिम	330,370	317,169	269,324	305,702
4. अन्य	3,352,404	3,014,100	3,758,726	4,342,071
X. उचित और विविध (1 से 4)	175,891,799	94,648,383	111,028,739	97,999,988
1. उचित	-698,602	1,771,684	1,654,978	1,729,535
2. नकद शेष निवेश लेखा	115,050,766	43,523,707	61,785,047	53,359,045
3. आरबीआई के साथ जमा	35,577,326	32,231,443	23,651,230	25,413,903
4. अन्य	25,962,309	17,121,549	23,937,484	17,497,506
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	35,000	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां	695,524	1,500,000	531,417	221,625
जिसमें से: विनिवेश	656,786	1,200,000	501,417	1,525
XIII. विप्रेषण	12,485,894	6,415,314	7,841,269	8,437,882

परिशिष्ट III: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की पूंजीगत प्राप्तियां (समाप्त)

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				पुदुचेरी			
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल पूंजी प्राप्तियां (I से XIII)	97,728	29,775	48,172	31,839	133,528	429,988	457,164	722,266
कुल पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध आधार पर लोक लेखा सहित)*	97,728	29,775	48,172	31,839	112,088	135,119	133,919	123,725
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	74,602	—	—	—	33,700	104,379	103,352	90,026
1. बाजार ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	74,602	—	—	—	—	—	—	—
8. अन्य @ जिसमें से:	—	—	—	—	33,700	104,379	103,352	90,026
भूमि मुआवजा और अन्य बांड	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केन्द्र से ऋण और अग्रिम (1 से 6)	—	—	—	—	8,804	18,200	7,200	13,200
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	—	—	—	—	8,804	18,200	7,200	13,200
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	—	—	—	—
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (ii) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋणों और अग्रिमों की वसूली (1 से 12)	23,126	29,775	48,172	31,839	1,160	600	552	900
1. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—
2. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—
3. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—
4. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—
5. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—
7. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—
8. ग्रामीण और लघु उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—
9. उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी, आदि+	343	400	300	300	—	—	—	—
12. अन्य **	22,783	29,375	47,872	31,539	1,160	600	552	900
V. अन्तरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	—	—	—	29,425	13,055	17,159	17,360
1. राज्य भविष्य निधि	—	—	—	—	26,185	12,700	16,800	17,000
2. अन्य	—	—	—	—	3,239	355	359	360
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	—	—	—	—	1,200	1,200	300
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधि	—	—	—	—	—	1,200	1,200	300
3. अकाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	—	—	—	20,268	7,744	9,439	9,700
1. सिविल जमाराशियां	—	—	—	—	12,142	6,922	6,700	6,900
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	—	—	—	—	8,000	—	465	500
3. सिविल अग्रिम	—	—	—	—	28	2	74	100
4. अन्य	—	—	—	—	99	820	2,200	2,200
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	—	—	—	40,171	284,810	318,262	590,780
1. उचित	—	—	—	—	14,158	1,560	12,500	13,000
2. नकद शेष निवेश लेखा	—	—	—	—	—	1,000	—	—
3. आरबीआई के साथ जमा	—	—	—	—	—	15,000	296,000	300,000
4. अन्य	—	—	—	—	26,013	267,250	9,762	277,780
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजी प्राप्तियां जिसमें से: विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	—	—	—	—	—	—	—	—

— : शून्य / नगण्य / उपलब्ध नहीं।

* : मद I से XIII का जोड़, जहां मद V से XI, XIII और II (3) निवल आधार पर हैं, जबकि मद II(6) और X (2 और 3) अपवर्जित हैं। मद II (6) और X (2 और 3) को समग्र अधिशेष/ घाटे के लिए वित्तपोषण मदों के रूप में लिया गया है।

: भारत के संविधान के अनुसार, राज्य बाह्य एजेंसियों से सीधे संसाधन नहीं जुटा सकते हैं।

@ : भूमि मुआवजा बांड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सीडब्ल्यूसी आदि, से लिए गए ऋण शामिल हैं।

+ : आवास, वाहन की खरीद, त्योहार, विवाह, आदि के लिए सरकारी कर्मचारियों से लिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली शामिल है।

** : शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्यपालन और पशुपालन आदि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है।

इसके अलावा परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय
आंध्र प्रदेश

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (1 से XII)	1,508,684	13,717,785	15,226,469	2,258,595	3,144,725	5,403,320	1,760,775	2,528,070	4,288,845	1,870,991	2,945,864	4,816,855
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	1,508,684	580,498	2,089,182	2,258,595	496,961	2,755,556	1,760,775	500,104	2,260,878	1,870,991	572,336	2,443,327
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,286,567	-9,173	1,277,393	1,783,795	1,389	1,785,184	1,368,340	1,389	1,369,730	1,797,710	23	1,797,733
1. विकास (क + ख)	1,283,061	-9,245	1,273,816	1,763,024	1,148	1,764,172	1,361,075	1,148	1,362,224	1,793,540	23	1,793,563
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	28,348	42	28,389	128,530	51	128,581	73,594	51	73,645	53,274	-	53,274
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,624	-	12,624	27,432	-	27,432	14,362	-	14,362	13,667	-	13,667
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,300	3	4,303	7,850	-	7,850	2,925	-	2,925	6,213	-	6,213
3. परिवार कल्याण	13	-	13	1,300	-	1,300	400	-	400	425	-	425
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	137	-	137	103	-	103	103	-	103	103	-	103
5. आवास	2,555	34	2,590	5,742	51	5,793	1,711	51	1,762	801	-	801
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8,542	2	8,544	78,551	-	78,551	50,358	-	50,358	21,925	-	21,925
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	50	-	50	1,952	-	1,952	952	-	952	6,037	-	6,037
9. अन्य *	127	3	129	5,600	-	5,600	2,783	-	2,783	4,104	-	4,104
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,254,713	-9,287	1,245,426	1,634,494	1,087	1,635,591	1,287,481	1,097	1,288,579	1,740,266	23	1,740,289
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	2,220	-145	2,074	6,765	-	6,765	5,196	-	5,196	3,060	-	3,060
i) फसल उत्पादन	-	-1	-1	1,000	-	1,000	260	-	260	5	-	5
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	35	-	35	1,735	-	1,735	434	-	434	189	-	189
iv) डेरी विकास	1,652	-	1,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	121	-	121	1,894	-	1,894	2,425	-	2,425	898	-	898
vi) वानिकी और वन्य जीवन	429	-	429	68	-	68	17	-	17	68	-	68
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	-12	-142	-154	2,068	-	2,068	-	-	-	-	-	-
xi) अन्य @	-5	-2	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,108,722	-	1,108,722	1,402,494	-	1,402,494	1,156,763	-	1,156,763	1,536,112	-	1,536,112
5. ऊर्जा	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	11,807	-	11,807	4,976	-	4,976	428	-	428	640	-	640
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	3	-	3	103	-	103	28	-	28	15	-	15
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	100	-	100	50	-	50	13	-	13	25	-	25
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	11,704	-	11,704	4,823	-	4,823	388	-	388	600	-	600
7. परिवहन (i + ii)	95,789	-9,141	86,648	120,989	1,075	122,064	100,277	1,075	101,351	186,045	-	186,045
i) सड़क और पुल	89,976	-10,759	79,217	110,465	1,075	111,540	89,910	1,075	90,984	167,395	-	167,395
ii) अन्य **	5,813	1,618	7,431	10,524	-	10,524	10,367	-	10,367	18,650	-	18,650
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

344

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	2	-	2	1	-	1	62	-	62
8. अन्य उद्योग और खनिज	2,671	-	2,671	1,000	-	1,000	28	-	28	609	-	609
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	22,011	2,227	24,238	42,447	-	42,447	2,227	-	2,227	3,537	-	3,537
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	7,051	7,051	-	7,159	7,159	-	7,159	7,159	-	7,185	7,185
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	7,051	7,051	-	7,159	7,159	-	7,159	7,159	-	7,185	7,185
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	122,542	122,542	-	133,455	133,455	-	133,455	133,455	-	146,800	146,800
1. राज्य भविष्य निधि	-	104,946	104,946	-	110,098	110,098	-	107,305	107,305	-	117,074	117,074
2. अन्य	-	17,596	17,596	-	23,357	23,357	-	26,150	26,150	-	29,727	29,727
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	106,469	106,469	-	89,389	89,389	-	126,110	126,110	-	134,202	134,202
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	57,614	57,614	-	21,003	21,003	-	57,724	57,724	-	63,496	63,496
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	48,855	48,855	-	68,386	68,386	-	68,386	68,386	-	70,706	70,706
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	2,663,716	2,663,716	-	2,124,920	2,124,920	-	1,668,402	1,668,402	-	1,792,526	1,792,526
1. सिविल जमा	-	1,429,193	1,429,193	-	1,028,893	1,028,893	-	572,375	572,375	-	627,815	627,815
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	740,332	740,332	-	616,810	616,810	-	616,810	616,810	-	649,855	649,855
3. सिविल अग्रिम	-	18,659	18,659	-	27,503	27,503	-	27,503	27,503	-	30,253	30,253
4. अन्य	-	475,532	475,532	-	451,714	451,714	-	451,714	451,714	-	484,603	484,603
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	8,631,037	8,631,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. उचित	-	-192,515	-192,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	7,575,947	7,575,947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,247,605	1,247,605	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,613,430	1,613,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			15,899			70,933			206,891			240,653
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			287,493			-57,509			-202,135			-236,021
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			303,392			13,424			4,556			4,632
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			303,392			13,424			4,556			4,632
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			7,495			13,424			4,556			4,632
क) अथ शेष			-28,084			-1,404			-20,590			-16,034
ख) इति शेष			-20,589			12,020			-16,034			-11,402
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			295,897			-			-			-
iii. आरबीआई से अधिप्राय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

मद	2007-08 (लाखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	52,650	1,442,606	1,495,256	31,004	679,576	710,579	175,532	1,601,498	1,777,030	76,622	1,679,393	1,756,015
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	52,650	28,208	80,858	31,004	20,934	51,938	175,532	20,673	196,206	76,622	19,752	96,375
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	52,594	20,113	72,707	30,962	120	31,081	175,497	341	175,838	76,562	125	76,687
1. विकास (क + ख)	50,283	20,113	70,397	29,253	120	29,372	166,935	341	167,276	74,752	125	74,877
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	13,915	923	14,838	3,925	-	3,925	25,523	221	25,744	9,009	-	9,009
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,622	900	3,522	403	-	403	15,863	140	16,003	1,469	-	1,469
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,356	23	1,379	517	-	517	1,151	81	1,232	1,208	-	1,208
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,850	-	1,850	900	-	900	800	-	800	800	-	800
5. आवास	1,218	-	1,218	855	-	855	2,041	-	2,041	1,684	-	1,684
6. शहरी विकास	5,209	-	5,209	901	-	901	3,509	-	3,509	2,186	-	2,186
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,609	-	1,609	325	-	325	2,101	-	2,101	1,588	-	1,588
9. अन्य *	52	-	52	24	-	24	59	-	59	75	-	75
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	36,368	19,190	55,558	25,328	120	25,448	141,412	120	141,532	65,743	125	65,868
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (I से XI)	1,156	18,617	19,773	521	120	641	1,893	120	2,013	603	125	728
i) फसल उत्पादन	381	-	381	400	-	400	79	-	79	150	-	150
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	382	-	382	24	-	24	426	-	426	227	-	227
iii) पशुपालन	168	-	168	39	-	39	560	-	560	-	-	-
iv) डेरी विकास	5	-	5	-	-	-	641	-	641	-	-	-
v) मत्स्यपालन	22	-	22	1	-	1	-	-	-	-	-	-
vi) वानिकी और वन्य जीवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	59	59	-	120	120	-	-	120	-	125	125
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	14	-	14	23	-	23	8	-	8	15	-	15
x) सहकारिता	185	18,000	18,185	34	-	34	178	-	178	211	-	211
xi) अन्य @	-	558	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	110	-	110	90	-	90	3,274	-	3,274	130	-	130
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,668	-	4,668	2,505	-	2,505	6,739	-	6,739	6,214	-	6,214
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ऊर्जा	683	300	983	544	-	544	8,143	-	8,143	2,539	-	2,539
6. उद्योग और खनिज (I से iv)	10,176	-	10,176	10,132	-	10,132	38,478	-	38,478	24,515	-	24,515
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	25	-	25	36	-	36	447	-	447	249	-	249
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	113	-	113	121	-	121
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	19	-	19	36	-	36	234	-	234	128	-	128
7. परिवहन (I + ii)	6	-	6	-	-	-	100	-	100	-	-	-
17,604	273	17,877	18,150	11,233	-	11,233	78,465	-	78,465	29,029	-	29,029
16,706	273	16,979	17,252	10,746	-	10,746	77,923	-	77,923	28,569	-	28,569
898	-	898	898	487	-	487	542	-	542	460	-	460
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(लाख रुपए)

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लख)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नैऋत-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	294	294	294	294	360	360	360	360	360	360	360	360
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	294	294	294	294	360	360	360	360	360	360	360	360
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	7,950	7,950	7,950	7,950	11,593	11,593	7,679	7,679	7,679	7,679	7,838	7,838
1. राज्य भविष्य निधि	7,755	7,755	7,755	7,755	11,394	11,394	7,504	7,504	7,504	7,504	7,654	7,654
2. अन्य	196	196	196	196	199	199	175	175	175	175	184	184
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	9,970	9,970	9,970	9,970	1,800	1,800	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	1,000	1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	-	-	-	-	-	-
3. अक्षल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	8,970	8,970	8,970	8,970	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	14,960	14,960	14,960	14,960	12,094	12,094	15,327	15,327	15,327	16,094	16,094	16,094
1. सिविल जमा	8,948	8,948	8,948	8,948	9,462	9,462	-	-	-	-	-	-
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	6,011	6,011	6,011	6,011	2,632	2,632	2,989	2,989	2,989	3,138	3,138	3,138
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	1,221,661	1,221,661	1,221,661	1,221,661	538,227	538,227	1,427,558	1,427,558	1,427,558	1,498,936	1,498,936	1,498,936
1. उचित	25,249	25,249	25,249	25,249	534,740	534,740	724,110	724,110	724,110	760,316	760,316	760,316
2. नकदी शेष निवेश लेखा	1,195,429	1,195,429	1,195,429	1,195,429	2,966	2,966	701,455	701,455	701,455	736,528	736,528	736,528
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	983	983	983	983	522	522	1,993	1,993	1,993	2,092	2,092	2,092
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	159,856	159,856	159,856	159,856	94,927	94,927	130,260	130,260	130,260	136,773	136,773	136,773
XII. विप्रेषण	74,346	74,346	74,346	74,346	94,927	94,927	130,260	130,260	130,260	136,773	136,773	136,773
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	74,346	74,346	74,346	74,346	94,927	94,927	130,260	130,260	130,260	136,773	136,773	136,773
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-12,983	-12,983	-12,983	-12,983	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	61,364	61,364	61,364	61,364	94,927	94,927	130,260	130,260	130,260	136,773	136,773	136,773
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग + ख + ग + घ)	61,364	61,364	61,364	61,364	94,927	94,927	130,260	130,260	130,260	136,773	136,773	136,773
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
असम

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	150,673	10,216,451	10,367,124	372,201	7,561,062	7,933,264	396,553	8,069,225	8,465,779	458,457	8,096,143	8,554,600
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	150,673	89,941	240,614	372,201	100,985	473,187	396,553	100,229	496,783	458,457	108,152	566,608
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	136,694	32,117	168,811	360,113	13,250	373,363	383,395	13,493	396,888	450,878	11,631	462,509
1. विकास (क + ख)	134,370	30,113	164,483	355,731	12,101	367,832	379,013	12,172	391,185	445,298	10,493	455,791
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	25,049	1,512	26,561	57,245	1,565	58,810	57,245	2,760	60,005	95,531	1,478	97,010
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	24	94	118	118	—	118	118	—	118	105	—	105
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	121	265	386	707	100	807	707	100	807	1,067	100	1,167
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	19,769	—	19,769	47,561	—	47,561	47,561	—	47,561	63,637	—	63,637
5. आवास	261	218	479	1,130	300	1,430	1,130	300	1,430	1,230	263	1,493
6. शहरी विकास	4,854	893	5,747	7,604	1,015	8,619	7,604	2,210	9,814	29,308	965	30,273
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	20	42	62	59	—	59	59	—	59	69	—	69
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	—	150	150	—	150	150	150	—	150
9. अन्य *	—	—	—	66	—	66	66	—	66	116	—	116
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	109,321	28,601	137,922	298,487	10,536	309,023	321,768	9,412	331,180	349,766	9,015	358,781
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	143	—	143	741	—	741	741	—	741	932	—	932
i) फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	78	—	78	230	—	230	230	—	230	230	—	230
iv) डेरी विकास	—	—	—	35	—	35	35	—	35	90	—	90
v) मत्स्यपालन	5	—	5	16	—	16	16	—	16	16	—	16
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	—	—	150	—	150	150	—	150	100	—	100
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	60	—	60	100	—	100	100	—	100	160	—	160
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	—	—	—	210	—	210	210	—	210	336	—	336
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	22,762	—	22,762	125,796	—	125,796	128,603	—	128,603	85,848	—	85,848
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	5,350	—	5,350	5,350	—	5,350	8,420	—	8,420
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	13,177	6,446	19,623	45,425	—	45,425	63,775	—	63,775	148,485	—	148,485
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	32,554	9,377	41,931	37,217	—	37,217	37,217	—	37,217	23,667	—	23,667
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,760	—	1,760	13,138	—	13,138	13,138	—	13,138	17,263	—	17,263
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	118	—	118	71	—	71	71	—	71	78	—	78
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	—	2,500
7. परिवहन (i + ii)	1,642	—	1,642	13,067	—	13,067	13,067	—	13,067	14,685	—	14,685
i) सड़क और पुल	38,884	12,778	51,662	75,017	10,536	85,553	77,141	9,412	86,553	73,122	9,015	82,137
ii) अन्य **	11,978	800	12,778	75,017	8,412	83,429	75,017	9,412	84,429	71,295	9,015	80,310
8. संचार	—	—	—	—	2,124	2,124	2,124	—	2,124	1,827	—	1,827

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लाखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	— 41 41 —	— — — —	— 41 41 —	— 1,153 959 194	— — — —	— 1,153 959 194	— 1,153 959 194	— — — —	— 1,153 959 194	— 450 400 50	— — — —	— 450 400 50
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	2,324	2,004	4,328	4,382	1,149	5,531	4,382	1,321	5,703	5,580	1,138	6,718
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	56,906	56,906	—	71,539	71,539	—	71,539	71,539	—	81,199	81,199
1. बाजार ऋण	—	41,857	41,857	—	49,111	49,111	—	49,111	49,111	—	50,409	50,409
2. एवआरसी से ऋण	—	38	38	—	38	38	—	38	38	—	37	37
3. एस्बीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	3,324	3,324	—	3,700	3,700	—	3,700	3,700	—	6,000	6,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	556	556	—	101	101	—	101	101	—	—	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000	—	5,000	5,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	8,041	8,041	—	10,367	10,367	—	10,367	10,367	—	16,348	16,348
8. अन्य	—	3,090	3,090	—	3,222	3,222	—	3,222	3,222	—	3,405	3,405
जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1
III. केंद्र को ऋणों की चुकोती (1 से 7)	—	609	609	—	19,488	19,488	—	19,488	19,488	—	19,755	19,755
1. राज्य योजना स्कीम	—	571	571	—	9,532	9,532	—	9,532	9,532	—	9,739	9,739
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	2,456	2,456	—	2,456	2,456	—	2,460	2,460
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	—	—	—	828	828	—	828	828	—	828	828
4. योजनेतर (i से ii) i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य	—	38	38	—	2,953	2,953	—	2,953	2,953	—	3,009	3,009
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	38	38	—	2,953	2,953	—	2,953	2,953	—	3,009	3,009
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000
7. अन्य	—	—	—	—	1,207	1,207	—	1,207	1,207	—	1,207	1,207
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	13,979	309	14,289	12,088	1,709	13,797	13,158	709	13,867	7,579	566	8,145
1. विकासालोक प्रयोजन (क + ख)	13,979	33	14,012	12,088	1,105	13,193	13,158	105	13,263	7,559	110	7,669
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	2,545	11	2,556	2,342	105	2,447	2,342	105	2,447	2,254	110	2,364
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	5	5	—	5	5	—	10	10
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	35	—	35	56	—	56	56	—	56	57	—	57
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	11	11	—	100	100	—	100	100	—	100	100
7. अन्य	2,510	—	2,510	2,286	—	2,286	2,286	—	2,286	2,197	—	2,197
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	11,435	22	11,457	9,746	1,000	10,746	10,816	—	10,816	5,305	—	5,305
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	70	—	70	—	—	—
4. सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	10,236	—	10,236	9,669	—	9,669	9,669	—	9,669	5,234	—	5,234

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
असम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	153	22	175	77	-	77	77	-	77	51	-	51
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	1,046	-	1,046	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	20	-	20
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	276	276	-	604	604	-	604	604	20	456	476
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	276	276	-	604	604	-	604	604	20	456	476
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000
VII. अत्यल्प, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	29,033	29,033	-	26,209	26,209	-	31,937	31,937	-	35,130	35,130
1. राज्य भविष्य निधि	-	26,248	26,248	-	23,205	23,205	-	28,873	28,873	-	31,760	31,760
2. अन्य	-	2,785	2,785	-	3,004	3,004	-	3,064	3,064	-	3,370	3,370
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	34,408	34,408	-	81,863	81,863	-	81,863	81,863	-	82,507	82,507
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	20,400	20,400	-	10,800	10,800	-	10,800	10,800	-	10,800	10,800
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	14,008	14,008	-	71,063	71,063	-	71,063	71,063	-	71,707	71,707
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	330,090	330,090	-	255,430	255,430	-	106,400	106,400	-	121,530	121,530
1. सिविल जमा	-	200,733	200,733	-	194,000	194,000	-	45,000	45,000	-	50,000	50,000
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	1,430	1,430	-	1,300	1,300	-	1,430	1,430
3. सिविल अग्रिम	-	129,357	129,357	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	70,000	70,000
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	9,507,070	9,507,070	-	6,886,575	6,886,575	-	7,488,796	7,488,796	-	7,488,824	7,488,824
1. उचित	-	4,319	4,319	-	-15,000	-15,000	-	-15,000	-15,000	-	-15,000	-15,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	9,499,177	9,499,177	-	6,900,000	6,900,000	-	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	3,574	3,574	-	1,575	1,575	-	3,796	3,796	-	3,824	3,824
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	220,909	220,909	-	200,000	200,000	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
बिहार

मद	2007-08 (लाख)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल	
	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1																
कुल पूंजी संचितरण (1 से XII)	586,409	8,769,592	9,356,000		667,527	660,050	1,327,577		938,972	687,537	1,626,509		815,645	741,217	1,556,862	
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	586,409	214,424	800,833		667,527	296,096	963,623		938,972	323,583	1,262,555		815,645	357,485	1,173,130	
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	574,972	35,405	610,377		656,659	106,880	763,539		895,411	125,583	1,020,995		802,229	139,474	941,703	
1. विकास (क + ख)	562,865	25,261	588,126		645,789	96,978	742,767		870,255	109,630	979,885		789,436	131,061	920,497	
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	60,874	19,018	79,891		51,938	41,760	93,698		95,595	41,760	137,355		76,739	67,661	144,400	
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,727	—	5,727		8,618	—	8,618		18,507	—	18,507		20,981	—	20,981	
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	24,555	—	24,555		13,034	—	13,034		17,099	—	17,099		13,515	—	13,515	
3. परिवार कल्याण	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	14,778	18,554	33,332		21,936	40,875	62,811		21,936	40,875	62,811		24,200	66,881	91,081	
5. आवास	137	464	601		400	885	1,285		400	885	1,285		400	780	1,180	
6. शहरी विकास	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,475	—	4,475		3,578	—	3,578		5,578	—	5,578		2,779	—	2,779	
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10,752	—	10,752		3,271	—	3,271		30,271	—	30,271		13,564	—	13,564	
9. अन्य *	449	—	449		1,101	—	1,101		1,804	—	1,804		1,300	—	1,300	
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	501,992	6,243	508,235		593,851	55,218	649,069		774,660	67,870	842,530		712,697	63,400	776,097	
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	2,029	208	2,237		145	250	395		999	250	1,249		200	—	200	
i) फसल उत्पादन	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
iii) पशुपालन	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
iv) डेरी विकास	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
v) मत्स्यपालन	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	86	86		—	100	100		—	100	100		—	—	—	
vii) बागान	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
x) संस्कारिता	2,029	121	2,151		145	150	295		999	150	1,149		200	—	200	
xi) अन्य @	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
2. ग्रामीण विकास	148,571	581	149,152		134,813	—	134,813		187,567	—	187,567		148,627	—	148,627	
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	83,194	5,582	88,777		171,769	51,320	223,089		187,261	66,320	253,581		202,050	63,400	265,450	
5. ऊर्जा	11,500	—	11,500		85,486	—	85,486		85,486	—	85,486		70,200	—	70,200	
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	15,862	—	15,862		6,527	—	6,527		25,199	—	25,199		26,753	—	26,753	
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	—	—	—		—	—	—		—	—	—		300	—	300	
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	
iv) अन्य #	15,862	—	15,862		6,527	—	6,527		—	—	—		—	—	—	
7. परिवहन (1 + ii)	230,077	-128	229,950		190,746	1,301	192,047		25,199	1,300	25,199		26,453	—	26,453	
i) सड़क और पुल	229,354	-128	229,227		189,946	1,301	191,247		280,166	1,300	281,466		256,513	—	256,513	
ii) अन्य **	723	—	723		800	—	800		1,270	—	1,270		1,111	—	1,111	
8. संचार	597	—	597		4,265	—	4,265		4,265	—	4,265		4,265	—	4,265	

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

(लाख रुपए)

353

353

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
बिहार

मद	2007-08 (लखा)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	13
1																
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	13	-	13	-	20	20	2	3,810	3,812	-	50	50	-	50	50	50
9. ग्रामीण विकास	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	1,715	-	1,715	3	-	3	12,690	-	12,690	2,752	5,000	7,752	-	5,000	7,752	7,752
2. नौ-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	385	385	-	690	690	-	690	690	-	775	775	-	775	775	775
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	385	385	-	690	690	-	690	690	-	775	775	-	775	775	775
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	81,541	81,541	-	77,398	77,398	-	77,398	77,398	-	87,208	87,208	-	87,208	87,208	87,208
1. राज्य भविष्य निधि	-	66,898	66,898	-	59,012	59,012	-	59,012	59,012	-	73,755	73,755	-	73,755	73,755	73,755
2. अन्य	-	14,643	14,643	-	18,386	18,386	-	18,386	18,386	-	13,453	13,453	-	13,453	13,453	13,453
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	43,630	43,630	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745	16,745
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अक्षाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	43,630	43,630	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745	-	16,745	16,745	16,745
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	278,453	278,453	-	269,811	269,811	-	269,811	269,811	-	279,779	279,779	-	279,779	279,779	279,779
1. सिविल जमा	-	142,796	142,796	-	97,232	97,232	-	97,232	97,232	-	107,200	107,200	-	107,200	107,200	107,200
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	129,126	129,126	-	171,579	171,579	-	171,579	171,579	-	171,579	171,579	-	171,579	171,579	171,579
3. सिविल अग्रिम	-	6,531	6,531	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	1,000
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	7,544,639	7,544,639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. उचित	-	22,829	22,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	7,499,520	7,499,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	22,290	22,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	606,905	606,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			464,484			461,308			343,458			612,241			612,241	612,241
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-377,394			-466,909			-766,641			-568,234			-568,234	-568,234
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			87,089			-5,601			-423,183			44,007			44,007	44,007
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			87,089			-5,601			-423,183			44,007			44,007	44,007
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-137,363			-5,601			-423,183			44,007			44,007	44,007
क) अथ शेष			-112,559			9,908			218,806			5,000			5,000	5,000
ख) इति शेष			-249,922			4,307			-204,377			49,007			49,007	49,007
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			224,453			-			-			-			-	-
iii. आरबीआई से अधोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-			-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (1 से XII)	358,878	4,662,225	5,021,104	438,977	2,405,760	2,844,737	400,014	3,803,499	4,203,513	410,538	3,824,095	4,234,633
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	358,878	60,060	418,938	438,977	52,051	491,028	400,014	50,489	450,503	410,538	62,393	472,931
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	310,117	2,953	313,070	389,950	396	390,346	346,181	355	346,536	356,801	122	356,923
1. विकास (क + ख)	299,639	2,776	302,415	381,249	66	381,315	334,005	66	334,071	346,794	12	346,806
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	73,162	150	73,312	109,479	66	109,545	100,688	66	100,754	101,357	12	101,369
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	21,328	-	21,328	32,415	-	32,415	33,126	-	33,126	21,538	-	21,538
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,276	-	8,276	18,963	-	18,963	16,394	-	16,394	16,935	-	16,935
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,924	-	2,924	3,120	-	3,120	3,105	-	3,105	1,935	-	1,935
5. आवास	4,997	-	4,997	5,209	-	5,209	5,168	-	5,168	5,762	-	5,762
6. शहरी विकास	14,858	-	14,858	25,771	-	25,771	18,148	-	18,148	33,100	-	33,100
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	17,579	-	17,579	20,058	-	20,058	19,304	-	19,304	19,769	-	19,769
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,083	148	2,231	2,692	64	2,756	4,192	64	4,256	423	10	433
9. अन्य *	1,117	2	1,119	1,251	2	1,253	1,251	2	1,253	1,895	2	1,897
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	226,477	2,626	229,103	271,770	-	271,770	233,317	-	233,317	245,437	-	245,437
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	8,573	-4	8,569	6,932	-	6,932	9,524	-	9,524	7,825	-	7,825
i) फसल उत्पादन	43	-	43	50	-	50	50	-	50	20	-	20
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,445	-	2,445	2,455	-	2,455	2,455	-	2,455	2,645	-	2,645
iii) पशुपालन	24	-	24	200	-	200	103	-	103	47	-	47
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,343	-	2,343	3,245	-	3,245	3,245	-	3,245	4,400	-	4,400
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-7	-4	-11	15	-	15	16	-	16	12	-	12
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) संस्कारिता	3,625	-	3,625	867	-	867	3,555	-	3,555	701	-	701
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	17,162	-	17,162	16,236	-	16,236	16,247	-	16,247	14,810	-	14,810
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	75,840	-	75,840	95,638	-	95,638	89,506	-	89,506	97,622	-	97,622
5. ऊर्जा	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	14,309	1	14,310	8,602	-	8,602	8,399	-	8,399	8,915	-	8,915
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	10,192	1	10,193	8,602	-	8,602	8,399	-	8,399	8,915	-	8,915
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	4,117	-	4,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (1 + ii)	108,163	2,628	110,791	142,445	-	142,445	108,141	-	108,141	114,265	-	114,265
i) सड़क और पुल	108,162	-	108,162	142,347	-	142,347	108,061	-	108,061	108,659	-	108,659
ii) अन्य **	1	2,628	2,629	98	-	98	80	-	80	5,606	-	5,606
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,430	1	2,431	1,915	—	1,915	1,500	—	1,500	2,000	—	2,000
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सरकारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10,478	177	10,655	8,701	330	9,031	12,176	289	12,465	10,007	110	10,117
III. केंद्र को ऋणों की चुकोती (1 से 7) 1. राज्य योजना स्कीम जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना 2. केन्द्रीय योजना स्कीम 3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें 4. योजनेतर (i से ii) i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28,668	28,405	28,668	28,405	10,679	10,812	—	11,057	11,057	—	11,227	11,227
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2) 1. विकासमूलक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सरकारिता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	48,761	1,268	50,029	49,027	1,344	50,371	53,833	1,344	55,177	53,737	1,343	55,080
	48,761	1,268	50,029	49,027	1,323	50,350	53,833	1,323	55,156	53,737	1,322	55,059
	5,309	1,243	6,552	7,702	1,021	8,723	7,702	1,021	8,723	11,557	1,020	12,577
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,930	—	2,930	4,700	—	4,700	4,700	—	4,700	1,550	—	1,550
	—	343	343	—	15	15	—	15	—	—	15	15
	2,379	900	3,279	3,002	1,006	4,008	3,002	1,006	4,008	10,007	1,005	11,012
	43,452	25	43,477	41,325	302	41,627	46,131	302	46,433	42,180	302	42,482
	—	25	25	—	302	302	3,000	302	3,302	3,000	302	3,302
	38,856	—	38,856	35,825	—	35,825	34,719	—	34,719	35,500	—	35,500
	2,735	—	2,735	4,469	—	4,469	7,885	—	7,885	3,645	—	3,645
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	—	50	500	—	500	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV

357

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
गोवा

मद	2007-08 (लाख)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	69,327	1,152,135	1,221,462	102,240	223,889	326,129	96,826	223,889	320,715	102,232	226,011	328,243
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	69,327	8,815	78,142	102,240	19,017	121,257	96,826	19,017	115,843	102,232	21,139	123,371
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	68,852	-	68,852	101,548	-	101,548	96,058	-	96,058	101,711	-	101,711
1. विकास (क + ख)	59,177	-	59,177	86,979	-	86,979	79,143	-	79,143	84,420	-	84,420
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	14,188	-	14,188	27,013	-	27,013	22,097	-	22,097	26,200	-	26,200
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,911	-	3,911	6,609	-	6,609	6,864	-	6,864	9,876	-	9,876
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,402	-	1,402	2,153	-	2,153	2,915	-	2,915	1,836	-	1,836
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	8,446	-	8,446	17,449	-	17,449	11,456	-	11,456	13,807	-	13,807
5. आवास	56	-	56	27	-	27	27	-	27	30	-	30
6. शहरी विकास	115	-	115	498	-	498	554	-	554	380	-	380
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	105	-	105	110	-	110	110	-	110	120	-	120
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	62	-	62	166	-	166	166	-	166	150	-	150
9. अन्य *	91	-	91	1	-	1	5	-	5	1	-	1
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	44,990	-	44,990	59,966	-	59,966	57,046	-	57,046	58,220	-	58,220
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम (I से XI)	1,764	-	1,764	1,288	-	1,288	1,229	-	1,229	1,453	-	1,453
i) फसल उत्पादन	85	-	85	161	-	161	142	-	142	120	-	120
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	179	-	179	140	-	140	100	-	100	100	-	100
iii) पशुपालन	44	-	44	164	-	164	164	-	164	236	-	236
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	79	-	79	141	-	141	141	-	141	150	-	150
vi) वानिकी और वन्य जीवन	190	-	190	76	-	76	76	-	76	300	-	300
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	506	-	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	5	-	5	5	-	5	2	-	2
x) सहकारिता	681	-	681	602	-	602	602	-	602	544	-	544
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	52	-	52	510	-	510	510	-	510	350	-	350
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	209	-	209	187	-	187	187	-	187	259	-	259
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	209	-	209	187	-	187	187	-	187	259	-	259
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	15,987	-	15,987	18,626	-	18,626	18,639	-	18,639	19,180	-	19,180
5. ऊर्जा	11,638	-	11,638	20,829	-	20,829	16,530	-	16,530	13,532	-	13,532
6. उद्योग और खनिज (I से iv)	1,625	-	1,625	1,526	-	1,526	1,526	-	1,526	1,733	-	1,733
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	125	-	125	24	-	24	24	-	24	231	-	231
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	-	2
7. परिवहन (I + ii)	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
13,539	-	-	13,539	16,057	-	16,057	16,967	-	16,967	20,431	-	20,431
i) सड़क और पुल	12,772	-	12,772	14,769	-	14,769	15,298	-	15,298	19,092	-	19,092
ii) अन्य **	767	-	767	1,288	-	1,288	1,668	-	1,668	1,339	-	1,339
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

गोवा

(लाख रुपये)

पद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	176	-	176	943	-	943	1,457	-	1,457	1,283	-	1,283
	176	-	176	943	-	943	1,457	-	1,457	1,283	-	1,283
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,675	-	9,675	14,569	-	14,569	16,916	-	16,916	17,292	-	17,292
	-	6,745	6,745	-	24,402	24,402	-	24,401	24,401	-	25,652	25,652
	-	3,032	3,032	-	9,609	9,609	-	9,609	9,609	-	8,231	8,231
	-	199	199	-	199	199	-	199	199	-	199	199
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	583	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	-	19	19	-	22	22	-	22	22	-	25	25
	-	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000
	-	1,639	1,639	-	2,699	2,699	-	2,699	2,699	-	4,939	4,939
	-	1,272	1,272	-	1,386	1,386	-	1,386	1,386	-	1,907	1,907
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	85	85	-	2,252	2,252	-	2,252	2,252	-	2,324	2,324
	-	-	-	-	2,155	2,155	-	2,155	2,155	-	2,235	2,235
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	1	1
	-	33	33	-	40	40	-	40	40	-	38	38
4. योजनेतर (1 से ii) i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	-	51	51	-	55	55	-	55	55	-	50	50
	-	51	51	-	55	55	-	55	55	-	50	50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2) 1. विकासत्मक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सहकारिता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	475	1,985	2,460	693	2,364	3,057	768	2,364	3,132	521	3,163	3,684
	475	667	1,142	693	100	793	768	100	868	521	100	621
	455	17	472	484	100	584	559	100	659	309	100	409
	450	-	450	450	-	450	525	-	525	300	-	300
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	4	25	-	25	25	-	25	-	-	-
	-	17	17	100	100	100	100	-	100	-	100	100
	1	650	670	209	-	209	209	9	9	212	-	212

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	650	650	31	-	31	31	-	31	50	-	50
2. नैत-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	1,318	1,318	-	2,264	2,264	-	2,264	2,264	-	3,063	3,063
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	1,318	1,318	-	2,264	2,264	-	2,264	2,264	-	3,063	3,063
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	6,246	6,246	-	9,210	9,210	-	9,210	9,210	-	9,210	9,210
1. राज्य भविष्य निधि	-	6,182	6,182	-	9,000	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	9,000
2. अन्य	-	64	64	-	210	210	-	210	210	-	210	210
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	4,167	4,167	-	3,301	3,301	-	3,301	3,301	-	3,301	3,301
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	2,074	2,074	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अक्षल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,093	2,093	-	1,301	1,301	-	1,301	1,301	-	1,301	1,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	8,559	8,559	-	6,911	6,911	-	6,911	6,911	-	6,911	6,911
1. सिविल जमा	-	7,864	7,864	-	3,190	3,190	-	3,190	3,190	-	3,190	3,190
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	658	658	-	220	220	-	220	220	-	220	220
4. अन्य	-	36	36	-	3,501	3,501	-	3,501	3,501	-	3,501	3,501
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	911,827	911,827	-	120,450	120,450	-	120,450	120,450	-	120,450	120,450
1. उचित	-	7,539	7,539	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	751,206	751,206	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	153,083	153,083	-	55,450	55,450	-	55,450	55,450	-	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	17,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	195,521	195,521	-	55,000	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000	55,000
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	16,615	16,615	-	-	22,565	-	-	8,297	-	-	-34,840
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-14,215	-14,215	-	-	-23,353	-	-	-44,047	-	-	-12,815
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	2,400	2,400	-	-	-789	-	-	-35,750	-	-	-47,655
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	2,400	2,400	-	-	-789	-	-	-35,750	-	-	-47,655
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-27,596	-27,596	-	-	-789	-	-	-45,750	-	-	-57,655
क) अथ शेष	-	610	610	-	-	-4,236	-	-	-16,390	-	-	-62,216
ख) इति शेष	-	-26,986	-26,986	-	-	-5,025	-	-	-62,140	-	-	-119,871
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	29,996	29,996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

गुजरात

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	705,143	14,616,602	15,321,745	781,717	5,835,783	6,617,500	1,064,355	5,712,605	6,776,961	817,326	5,690,890	6,508,215
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	705,143	209,017	914,160	781,717	338,881	1,120,598	1,064,355	274,116	1,338,472	817,326	351,503	1,188,829
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	666,971	13,133	680,103	755,515	18,494	774,009	1,035,572	16,107	1,051,679	781,108	19,450	800,558
1. विकास (क + ख)	661,955	12,634	674,589	738,848	15,975	754,823	1,022,117	15,550	1,037,668	757,043	15,896	772,939
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	188,385	4,314	192,698	214,277	7,061	221,338	212,540	5,985	218,525	207,635	6,503	214,138
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	28,754	209	28,963	36,519	3,434	39,953	31,050	2,242	33,292	46,238	1,489	47,727
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,919	—	8,919	16,066	—	16,066	18,047	—	18,047	28,259	—	28,259
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	92,205	681	92,886	103,640	20	103,660	108,400	20	108,420	72,800	—	72,800
5. आवास	7,104	2,893	9,997	9,937	1,879	11,816	10,295	2,731	13,027	10,335	3,171	13,506
6. शहरी विकास	3,383	—	3,383	8,870	—5	8,865	6,216	—	6,216	9,195	—5	9,190
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,581	294	2,875	6,099	1,175	7,274	4,715	664	5,378	6,071	1,189	7,260
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	184	—	184	547	1	548	518	1	518	1,079	1	1,080
9. अन्य *	45,255	237	45,492	32,599	557	33,156	33,299	327	33,626	33,656	659	34,315
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	473,570	8,321	481,891	524,571	8,914	533,485	809,578	9,565	819,143	549,408	9,394	558,802
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	14,563	558	15,121	29,114	545	29,659	25,989	1,196	27,185	31,280	590	31,870
i) फसल उत्पादन	55	—	55	145	—	145	177	—	177	1,931	—	1,931
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	110	—	110	107	—	107	115	—	115	139	—	139
iii) पशुपालन	—	—	—	410	—	410	211	—	211	499	—	499
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	—2	—	—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्य जीवन	15,024	543	15,567	28,347	520	28,867	25,480	1,171	26,651	28,269	570	28,839
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	10	15	25	100	25	125	1	25	26	401	20	421
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	-639	—	-639	6	—	6	5	—	5	42	—	42
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	92	—	92	40	—	40	20	—	20	5	—	5
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	326,995	—	326,995	368,214	—	368,214	656,534	—	656,534	377,154	—	377,154
5. ऊर्जा	53,054	—	53,054	40,950	—	40,950	39,270	—	39,270	39,197	—	39,197
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	32	—	32	343	—	343	210	—	210	725	—	725
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	29	—	29	334	—	334	207	—	207	135	—	135
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	3	—	3	9	—	9	3	—	3	1	—	1
7. परिवहन (i + ii)	78,409	7,763	86,172	84,499	8,350	92,849	86,145	8,350	94,495	98,096	8,785	106,881
i) सड़क और पुल	76,730	7,763	84,493	82,599	7,850	90,449	84,245	7,850	92,095	93,746	8,285	102,031
ii) अन्य **	1,680	—	1,680	1,900	500	2,400	1,900	500	2,400	4,350	500	4,850
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल
1	425	—	425	400	—	400	400	—	400	450	—	450
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	—	1,011	19	1,030	1,010	19	1,029	2,500	19	2,519
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	—	—	—	11	—	11	10	—	10	2,500	—	2,500
i) पर्यटन	—	—	—	1,000	19	1,019	1,000	19	1,019	—	19	19
ii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	5,016	498	5,514	16,667	2,520	19,186	13,455	557	14,012	24,065	3,554	27,618
III. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	138,035	138,035	—	259,825	259,825	—	197,063	197,063	—	268,290	268,290
1. बाजार ऋण	—	63,780	63,780	—	84,022	84,022	—	84,022	84,022	—	109,299	109,299
2. एवआरसी से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. एस्बीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247	—	2,247	2,247
4. नाबार्ड से ऋण	—	159	159	—	159	159	—	159	159	—	159	159
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	408	408	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	113	113	—	216	216	—	152	152
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	49,082	49,082	—	100	100	—	100	100	—	100	100
8. अन्य	—	22,359	22,359	—	119,718	119,718	—	74,490	74,490	—	106,876	106,876
जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	—	—	—	53,466	53,466	—	35,830	35,830	—	49,457	49,457
1. राज्य योजना स्कीम	—	55,393	55,393	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना	—	54,068	54,068	—	56,111	56,111	—	55,905	55,905	—	56,376	56,376
सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	54,818	54,818	—	54,557	54,557	—	55,064	55,064
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	436	436	—	436	436	—	436	436	—	436	436
4. योजनांतर (i से ii)	—	474	474	—	444	444	—	499	499	—	463	463
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	415	415	—	413	413	—	413	413	—	413	413
ii) अन्य	—	415	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	413	413	—	413	413	—	413	413
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	38,172	4,704	42,876	26,202	6,798	32,999	28,783	7,388	36,171	36,218	9,734	45,952
1. विकासालोक प्रयोजन (क + ख)	38,172	2,155	40,327	26,202	140	26,342	28,783	3,374	32,157	36,218	4,401	40,619
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	1,421	2,150	3,571	5,280	140	5,420	2,360	3,374	5,794	5,542	4,401	9,943
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	1,421	2,150	2,150	5,280	140	5,420	2,360	3,373	3,373	—	4,401	4,401
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	36,751	5	36,756	20,922	—	20,922	26,423	—	26,423	5,542	—	5,542
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	50	—	50	56	—	56	21	—	21	—	—	—
4. सहकारिता	15	—	15	287	—	287	630	—	630	1	—	1
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	1,158	—	1,158	—	—	—	—	—	—	6,975	—	6,975

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
गुजरात

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	22	5	27	29	-	29	24	-	24	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	12,006	-	12,006	6,000	-	6,000	11,000	-	11,000	2,350	-	2,350
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	23,500	-	23,500	14,550	-	14,550	14,748	-	14,748	21,350	-	21,350
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	2,549	2,549	-	6,658	6,658	-	4,014	4,014	-	5,333	5,333
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	436	436	-	2,828	2,828	-	503	503	-	503	503
ख) विविध	-	2,113	2,113	-	3,830	3,830	-	3,511	3,511	-	4,830	4,830
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
VI. आकस्मिकता कोष	-	994	994	-	-	-	-	14,146	14,146	-	11,582	11,582
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	72,131	72,131	-	122,071	122,071	-	123,362	123,362	-	122,153	122,153
1. राज्य भविष्य निधि	-	66,236	66,236	-	108,816	108,816	-	109,180	109,180	-	108,458	108,458
2. अन्य	-	5,895	5,895	-	13,255	13,255	-	14,182	14,182	-	13,695	13,695
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	110,785	110,785	-	156,855	156,855	-	77,855	77,855	-	83,600	83,600
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	10	10	-	77	77	-	77	77	-	55	55
2. ऋणशोधन निधियां	-	90,001	90,001	-	50,000	50,000	-	45,000	45,000	-	50,000	50,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	20,774	20,774	-	106,778	106,778	-	32,778	32,778	-	33,545	33,545
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,293,241	1,293,241	-	1,155,410	1,155,410	-	1,160,560	1,160,560	-	1,162,267	1,162,267
1. सिविल जमा	-	316,172	316,172	-	312,000	312,000	-	312,000	312,000	-	315,410	315,410
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	935,921	935,921	-	750,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	750,000
3. सिविल अग्रिम	-	20,409	20,409	-	17,000	17,000	-	17,000	17,000	-	20,400	20,400
4. अन्य	-	20,739	20,739	-	76,410	76,410	-	81,560	81,560	-	76,457	76,457
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	12,240,134	12,240,134	-	3,237,352	3,237,352	-	3,237,352	3,237,352	-	3,233,072	3,233,072
1. उचित	-	-18	-18	-	4,500	4,500	-	4,500	4,500	-	220	220
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	10,300,718	10,300,718	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
4. अन्य	-	1,939,434	1,939,434	-	1,332,852	1,332,852	-	1,332,852	1,332,852	-	1,332,852	1,332,852
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	688,053	688,053	-	822,866	822,866	-	822,866	822,866	-	724,364	724,364
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)												
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			215,034			5,239			26,856			-391,319
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			112,720			-92,859			-285,242			396,095
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग + ख + ग)			327,754			-87,620			-258,386			4,776
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			327,754			-87,620			-258,386			4,776
क) अथ शेष			11,364			-87,620			-258,386			4,776
ख) इति शेष			-15,777			136,017			-4,413			-262,799
2. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-4,413			48,397			-262,799			-258,023
3. आरबीआई से अधिप्राय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			316,390			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लाखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	343,664	6,847,651	7,191,315	343,027	8,280,173	8,623,200	372,955	5,244,276	5,617,231	550,950	5,626,025	6,176,975
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	343,664	111,592	455,256	343,027	133,386	476,413	372,955	138,123	511,078	550,950	111,414	662,364
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	341,072	1,543	342,615	340,644	4,631	336,012	370,656	4,803	375,459	436,127	38,859	397,268
1. विकास (क + ख)	323,995	1,543	325,538	325,738	4,631	321,107	352,360	4,803	357,163	424,579	38,859	385,720
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	92,216	—	92,216	99,404	—	99,404	110,589	—	110,589	107,412	—	107,412
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	8,462	—	8,462	6,815	—	6,815	8,217	—	8,217	8,915	—	8,915
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,060	—	5,060	4,963	—	4,963	5,094	—	5,094	4,028	—	4,028
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	68,368	—	68,368	78,150	—	78,150	83,453	—	83,453	82,450	—	82,450
5. आवास	2,290	—	2,290	835	—	835	3,103	—	3,103	925	—	925
6. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	265	—	265	280	—	280	280	—	280	280	—	280
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,363	—	1,363	1,576	—	1,576	1,616	—	1,616	1,611	—	1,611
9. अन्य *	6,408	—	6,408	6,785	—	6,785	8,826	—	8,826	9,203	—	9,203
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	231,779	1,543	233,322	226,335	4,631	221,703	241,771	4,803	246,574	317,167	38,859	278,308
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,952	1,483	3,435	118	4,692	4,810	3,789	4,742	8,531	1,865	38,920	37,055
i) फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	—	—	—	10	—	10	248	—	248	30	—	30
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	—	—	—	—	—	137	—	137	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	1,483	1,483	—	4,692	4,692	—	4,742	4,742	—	38,920	38,920
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) संस्कारिता	1,952	—	1,952	108	—	108	3,404	—	3,404	1,835	—	1,835
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	88,744	—	88,744	62,800	—	62,800	60,350	—	60,350	60,300	—	60,300
5. ऊर्जा	84,890	—	84,890	85,570	—	85,570	85,570	—	85,570	89,200	—	89,200
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	6,584	—	6,584	8,260	—	8,260	8,331	—	8,331	202	—	202
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	6	—	6	13	—	13	84	—	84	41	—	41
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	6,578	—	6,578	8,247	—	8,247	8,247	—	8,247	161	—	161
7. परिवहन (i + ii)	48,099	60	48,159	68,617	61	68,678	81,821	61	81,882	164,325	61	164,386
i) सड़क और पुल	39,662	—	39,662	62,000	—	62,000	67,000	—	67,000	154,000	—	154,000
ii) अन्य **	8,437	60	8,497	6,617	61	6,678	14,821	61	14,882	10,325	61	10,386
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हरियाणा

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,510	—	1,510	970	—	970	1,910	—	1,910	1,275	—	1,275
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,510	—	1,510	970	—	970	1,910	—	1,910	1,275	—	1,275
i) पर्यटन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	17,077	—	17,077	14,906	—	14,906	18,296	—	18,296	11,548	—	11,548
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	72,877	72,877	—	227,749	227,749	—	134,138	134,138	—	357,191	357,191
1. बाजार ऋण	—	25,372	25,372	—	29,049	29,049	—	29,049	29,049	—	31,632	31,632
2. एलआइसी से ऋण	—	314	314	—	311	311	—	311	311	—	308	308
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	136,600	136,600	—	20,000	20,000	—	151,800	151,800
4. नाबार्ड से ऋण	—	10,787	10,787	—	12,990	12,990	—	9,039	9,039	—	7,349	7,349
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	842	842	—	921	921	—	864	864	—	1,081	1,081
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	1,000	1,000	—	30,000	30,000	—	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	12,155	12,155	—	18,628	18,628	—	18,628	18,628	—	27,167	27,167
8. अन्य	—	23,407	23,407	—	28,251	28,251	—	26,248	26,248	—	37,854	37,854
अन्य	—	20,223	20,223	—	20,223	20,223	—	20,223	20,223	—	20,223	20,223
जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	11,213	11,213	—	11,165	11,165	—	11,379	11,379	—	11,379	11,379
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	10,439	10,439	—	10,439	10,439	—	10,589	10,589	—	10,589	10,589
1. राज्य योजना स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: प्रकृतिक आपदाओं के लिए योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	191	191	—	191	191	—	191	191	—	191	191
3. केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों	—	156	156	—	164	164	—	177	177	—	194	194
4. योजनेतर (i से ii)	—	427	427	—	372	372	—	422	422	—	405	405
i) प्रकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	427	427	—	372	372	—	422	422	—	405	405
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	2,592	25,958	28,550	2,383	36,703	39,086	2,299	37,803	40,102	114,823	33,503	148,326
1. विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	2,592	17,815	20,407	2,383	15,500	17,883	2,299	23,300	25,599	114,823	18,500	133,323
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	600	6,815	7,415	600	10,500	11,100	600	10,500	11,100	55,620	10,500	66,120
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	600	6,815	7,415	600	10,500	11,100	600	10,500	11,100	620	10,500	11,120
6. सारकारी कर्मचारी (आवास)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,992	11,000	12,992	1,783	5,000	6,783	1,699	12,800	14,499	59,203	8,000	67,203
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	571	—	571	400	—	400	316	—	316	340	—	340
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	251	—	251	—	—	—	—	—	—	50,000	—	50,000

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	951	-	951	1,053	-	1,053	1,053	-	1,053	1,000	-	1,000
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	219	-	219	330	-	330	330	-	330	7,863	-	7,863
10. अन्य	-	11,000	11,000	-	5,000	5,000	-	12,800	12,800	-	8,000	8,000
2. नौ-विकाससतक प्रयोजन (क + ख)	-	8,143	8,143	-	21,203	21,203	-	14,503	14,503	-	15,003	15,003
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	8,143	8,143	-	21,203	21,203	-	14,503	14,503	-	15,003	15,003
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	97,474	97,474	-	93,909	93,909	-	99,485	99,485	-	109,343	109,343
1. राज्य भविष्य निधि	-	95,607	95,607	-	93,521	93,521	-	99,097	99,097	-	108,951	108,951
2. अन्य	-	1,867	1,867	-	388	388	-	388	388	-	392	392
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	21,814	21,814	-	22,464	22,464	-	24,496	24,496	-	28,193	28,193
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	5,080	5,080	-	2,709	2,709	-	5,334	5,334	-	5,601	5,601
2. ऋणशोधन निधियां	-	3,992	3,992	-	4,744	4,744	-	4,743	4,743	-	7,453	7,453
3. अक्षल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	12,742	12,742	-	15,011	15,011	-	14,419	14,419	-	15,139	15,139
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	260,139	260,139	-	178,205	178,205	-	211,957	211,957	-	222,555	222,555
1. सिविल जमा	-	243,272	243,272	-	165,000	165,000	-	191,207	191,207	-	200,767	200,767
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	5,022	5,022	-	5,000	5,000	-	7,646	7,646	-	8,028	8,028
3. सिविल अग्रिम	-	7,577	7,577	-	6,000	6,000	-	8,623	8,623	-	9,055	9,055
4. अन्य	-	4,268	4,268	-	2,205	2,205	-	4,481	4,481	-	4,705	4,705
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	5,873,338	5,873,338	-	7,394,609	7,394,609	-	4,280,098	4,280,098	-	4,462,604	4,462,604
1. उचित	-	25,804	25,804	-	264,000	264,000	-	307,200	307,200	-	291,060	291,060
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	5,830,749	5,830,749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	7,120,000	7,120,000	-	3,958,366	3,958,366	-	4,156,285	4,156,285
4. अन्य	-	16,785	16,785	-	10,609	10,609	-	14,532	14,532	-	15,259	15,259
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	483,294	483,294	-	320,000	320,000	-	440,117	440,117	-	440,117	440,117
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	222,386	222,386	-	-	141,448	-	-	5,541	-	-	-338,406
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-300,253	-300,253	-	-	-82,126	-	-	-19,848	-	-	75,236
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-77,867	-77,867	-	-	59,322	-	-	-14,308	-	-	-263,170
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-77,867	-77,867	-	-	59,322	-	-	-14,308	-	-	-263,170
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-72,603	-72,603	-	-	322	-	-	20,776	-	-	-13,332
क) अथ शेष	-	81	81	-	-	-797	-	-	-72,522	-	-	-51,746
ख) इति शेष	-	-72,522	-72,522	-	-	-475	-	-	-51,746	-	-	-65,078
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-5,264	-5,264	-	-	59,000	-	-	-35,084	-	-	-99,838
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150,000

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (1 से XII)	132,250	3,088,227	3,200,476	188,972	331,128	520,100	203,933	334,784	538,718	181,260	302,760	484,020
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	132,250	99,952	232,202	188,972	113,463	302,435	203,933	117,119	321,053	181,260	104,094	285,354
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	131,146	10,203	141,348	185,916	7,142	193,059	200,851	10,488	211,139	180,374	5,902	186,276
1. विकास (क + ख)	125,736	9,730	135,465	180,012	7,142	187,155	194,341	10,348	204,689	174,277	5,902	180,179
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	53,580	4,981	58,561	70,208	4,200	74,408	84,158	4,210	88,368	56,452	2,850	59,302
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,219	—	15,219	23,046	—	23,046	30,170	—	30,170	23,422	—	23,422
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,283	2	3,285	10,401	—	10,401	9,429	—	9,429	8,302	—	8,302
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	30,904	—	30,904	31,484	—	31,484	39,069	—	39,069	20,467	—	20,467
5. आवास	854	4,979	5,833	1,035	4,200	5,235	1,249	4,200	5,449	1,226	2,850	4,076
6. शहरी विकास	2,036	—	2,036	2,250	—	2,250	2,250	10	2,260	1,200	—	1,200
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	786	—	786	1,406	—	1,406	1,406	—	1,406	1,095	—	1,095
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	441	—	441	565	—	565	565	—	565	720	—	720
9. अन्य *	57	—	57	20	—	20	20	—	20	20	—	20
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	72,156	4,748	76,904	109,804	2,942	112,747	110,183	6,138	116,321	117,825	3,052	120,877
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	2,632	1,352	3,984	3,421	—	3,421	4,279	—	4,279	5,761	—	5,761
i) फसल उत्पादन	218	357	575	251	—	251	273	—	273	303	—	303
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	960	—	960	1,490	—	1,490	1,875	—	1,875	3,381	—	3,381
iii) पशुपालन	549	—	549	672	—	672	684	—	684	869	—	869
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	126	—	126	96	—	96	96	—	96	135	—	135
vi) वानिकी और वन्य जीवन	460	—	460	844	—	844	1,159	—	1,159	1,007	—	1,007
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	92	995	1,087	39	—	39	65	—	65	36	—	36
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) संस्कारिता	227	—	227	30	—	30	127	—	127	30	—	30
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	343	—	343	4	—	4	4	—	4	10	—	10
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	21,334	—	21,334	29,639	—	29,639	22,599	—	22,599	26,718	—	26,718
5. ऊर्जा	13,160	—	13,160	29,925	—	29,925	29,925	—	29,925	35,000	—	35,000
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	221	—	221	1,462	—	1,462	1,462	—	1,462	1,606	—	1,606
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	221	—	221	1,462	—	1,462	1,462	—	1,462	1,606	—	1,606
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (1 + ii)	34,140	3,396	37,536	37,200	2,942	40,142	43,752	6,138	49,890	40,081	3,052	43,133
i) सड़क और पुल	30,821	1,941	32,763	30,157	1,520	31,677	40,413	4,716	45,129	33,260	1,520	34,780
ii) अन्य **	3,318	1,455	4,773	7,043	1,422	8,465	3,339	1,422	4,761	6,821	1,532	8,353
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

मद	2007-08 (लाख)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	— 327 327 —	— — — —	— 327 327 —	— 8,153 223 7,930	— — — —	— 8,153 223 7,930	— 8,162 232 7,930	— — — —	— 8,162 232 7,930	— 8,649 197 8,452	— — — —	— 8,649 197 8,452
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	5,410	473	5,883	5,904	—	5,904	6,310	140	6,450	6,097	—	6,097
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	88,117	88,117	—	112,530	112,530	—	112,530	112,530	—	92,402	92,402
1. बाजार ऋण	—	7,666	7,666	—	16,000	16,000	—	16,000	16,000	—	24,294	24,294
2. एलआईसी से ऋण	—	4,730	4,730	—	4,842	4,842	—	4,842	4,842	—	4,841	4,841
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	4,720	4,720	—	7,300	7,300	—	7,300	7,300	—	9,762	9,762
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	568	568	—	800	800	—	800	800	—	565	565
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	4,200	4,200	—	19,000	19,000	—	19,000	19,000	—	1	1
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	2,368	2,368	—	9,924	9,924	—	9,924	9,924	—	7,132	7,132
8. अन्य	—	63,865	63,865	—	54,664	54,664	—	54,664	54,664	—	45,807	45,807
जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	—	—	—	702	702	—	702	702	—	702	702
III. केंद्र को ऋणों की चुकोती (1 से 7)	—	5,543	5,543	—	5,671	5,671	—	5,670	5,670	—	5,671	5,671
1. राज्य योजना स्कीम	—	4,891	4,891	—	4,851	4,851	—	4,851	4,851	—	4,851	4,851
जिसमें से: प्रकृतिक आपदाओं के लिए योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	2	2
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	398	398	—	606	606	—	606	606	—	606	606
4. योजनेतर (1 से ii)	—	252	252	—	211	211	—	211	211	—	211	211
i) प्रकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	252	252	—	211	211	—	211	211	—	211	211
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	1,104	289	1,393	3,056	7,120	10,176	3,282	7,431	10,713	886	120	1,006
1. विकासालोक प्रयोजन (क + ख)	1,104	206	1,310	3,056	7,030	10,086	3,282	7,301	10,583	886	60	946
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	893	88	981	1,056	30	1,086	1,256	145	1,401	886	60	946
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	863	88	951	1,006	30	1,036	1,006	145	1,151	836	60	896
7. अन्य	30	—	30	50	—	50	250	—	250	50	—	50
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	211	118	329	2,000	7,000	9,000	2,026	7,156	9,182	—	—	—
1. फसल उत्पादन	—	68	68	—	—	—	—	156	156	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	58	—	58	—	—	—	6	—	6	—	—	—
5. वडी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	133	—	133	2,000	7,000	9,000	2,000	7,000	9,000	—	—	—

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	50	50	-	-	-	20	-	20	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	83	83	-	90	90	-	130	130	-	60	60
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	83	83	-	90	90	-	130	130	-	60	60
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अत्यंत बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	90,921	90,921	-	31,000	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000	31,000
1. राज्य भविष्य निधि	-	90,234	90,234	-	30,400	30,400	-	30,400	30,400	-	30,400	30,400
2. अन्य	-	687	687	-	600	600	-	600	600	-	600	600
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	13,152	13,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	13,152	13,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	98,595	98,595	-	37,387	37,387	-	37,387	37,387	-	37,387	37,387
1. सिविल जमा	-	25,907	25,907	-	7,987	7,987	-	7,987	7,987	-	7,987	7,987
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	55,411	55,411	-	21,500	21,500	-	21,500	21,500	-	21,500	21,500
3. सिविल अग्रिम	-	17,232	17,232	-	7,250	7,250	-	7,250	7,250	-	7,250	7,250
4. अन्य	-	45	45	-	650	650	-	650	650	-	650	650
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	2,445,074	2,445,074	-	82,241	82,241	-	82,241	82,241	-	82,241	82,241
1. उचित	-	-	-	-	17,100	17,100	-	17,100	17,100	-	17,100	17,100
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	2,445,035	2,445,035	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4. अन्य	-	39	39	-	141	141	-	141	141	-	141	141
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	316,333	316,333	-	48,037	48,037	-	48,037	48,037	-	48,037	48,037
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			84,979			6,994			33,099			25,657
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			59,374			-7,709			-57,632			-41,494
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			144,353			-715			-24,533			-15,838
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			144,353			-715			-24,533			-15,838
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			115,885			-715			-24,533			-15,838
क) अथ शेष			-3,711			-1,922			112,175			87,641
ख) इति शेष			112,174			-2,636			87,642			71,803
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			24,268			-			-			-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			4,200			-			-			-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल	योजना	योजनांतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (1 से XII)	462,414	222,924	685,338	554,049	211,624	765,674	558,975	230,596	789,571	679,679	252,820	932,499
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	448,514	87,563	536,078	541,018	78,267	619,285	544,575	85,728	630,303	665,809	99,434	765,243
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	448,514	30,024	478,539	541,018	11,230	552,248	544,575	20,771	565,346	665,809	12,112	677,921
1. विकास (क + ख)	383,596	25,886	409,472	468,876	11,230	480,105	463,826	17,271	481,098	564,216	11,512	575,728
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	157,039	16,336	173,375	189,171	1,285	190,456	190,256	6,561	196,817	173,139	1,294	174,433
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	18,102	—	18,102	27,624	—	27,624	33,059	—	33,059	45,625	—	45,625
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	28,598	—	28,598	23,800	—	23,800	23,085	—	23,085	23,771	—	23,771
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	38,926	—	38,926	50,120	—	50,120	47,439	—	47,439	33,400	—	33,400
5. आवास	350	—	350	400	—	400	350	—	350	900	—	900
6. शहरी विकास	38,880	—	38,880	44,089	—	44,089	43,234	—	43,234	32,209	—	32,209
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,593	—	3,593	3,799	—	3,799	3,708	—	3,708	2,456	—	2,456
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	18,226	1,224	19,450	24,619	1,285	25,904	24,829	666	25,495	21,010	1,294	22,304
9. अन्य *	10,365	15,112	25,477	14,720	—	14,720	14,572	5,896	20,467	13,767	—	13,767
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	226,547	9,549	236,097	279,704	9,945	289,649	273,570	10,710	284,280	391,077	10,218	401,295
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	12,803	9,549	22,352	17,960	9,945	27,905	18,651	7,984	26,636	43,012	10,218	53,230
i) फसल उत्पादन	3,676	320	3,995	4,231	372	4,603	4,316	289	4,605	6,632	461	7,093
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,724	—	1,724	3,493	—	3,493	3,353	—	3,353	4,359	—	4,359
iii) पशुपालन	1,105	—	1,105	1,730	—	1,730	1,535	—	1,535	2,463	—	2,463
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	800	—	800	935	—	935	980	—	980	1,005	—	1,005
vi) वानिकी और वन्य जीवन	3,880	—	3,880	5,544	—	5,544	4,675	—	4,675	6,542	—	6,542
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	168	8,784	8,952	53	9,082	9,135	211	7,295	7,506	15,112	9,357	24,468
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,200	—	1,200	1,680	—	1,680	1,400	—	1,400	5,400	—	5,400
x) संस्कारिता	250	446	696	295	490	785	2,000	400	2,400	1,500	400	1,900
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	14,955	—	14,955	14,086	—	14,086	13,003	—	13,003	17,558	—	17,558
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	14,302	—	14,302	22,237	—	22,237	22,574	—	22,574	47,843	—	47,843
5. ऊर्जा	101,762	—	101,762	115,218	—	115,218	114,011	2,726	116,737	128,300	—	128,300
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	8,635	—	8,635	13,317	—	13,317	12,537	—	12,537	9,952	—	9,952
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	7,968	—	7,968	12,550	—	12,550	11,780	—	11,780	9,051	—	9,051
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	330	—	330	390	—	390	380	—	380	470	—	470
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	337	—	337	377	—	377	377	—	377	431	—	431
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (1 + ii)	4,737	—	4,737	7,554	—	7,554	6,660	—	6,660	20,050	—	20,050
i) सड़क और पुल	4,147	—	4,147	5,760	—	5,760	4,760	—	4,760	19,450	—	19,450
ii) अन्य **	590	—	590	1,794	—	1,794	1,900	—	1,900	600	—	600
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	योजना		योजना		योजना		योजना		योजना		योजना		योजना		योजना	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
II. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	768	-	768	-	874	846	-	846	713	-	713	-	-	-	-
	10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	68,586	-	68,586	-	88,458	85,288	-	85,288	123,649	-	123,649	-	-	-	-
	i) पर्यटन	10,231	-	10,231	-	10,184	10,967	-	10,967	9,019	-	9,019	-	-	-	-
	ii) अन्य @	58,355	-	58,355	-	78,274	74,321	-	74,321	114,630	-	114,630	-	-	-	-
	2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	64,928	4,138	69,067	72,142	-	80,749	3,500	84,249	101,593	600	102,193	-	-	-	-
	II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	42,030	42,030	-	50,328	50,328	-	50,328	-	65,980	65,980	-	-	-	-
	1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. एलआरसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. नाबार्ड से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. अन्य	-	42,030	42,030	-	-	50,328	-	50,328	-	65,980	65,980	-	-	-	-
	जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. राज्य योजना स्कीम	-	11,282	11,282	-	-	10,792	10,792	10,792	-	14,866	14,866	-	-	-	-
	जिसमें से: प्रकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	i) प्रकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. अन्य	-	11,282	11,282	-	-	10,792	-	10,792	-	14,866	14,866	-	-	-	-
	1. विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	4,227	4,227	-	5,917	5,917	-	5,917	-	6,476	6,476	-	-	-	-
	क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	-	4,106	4,106	-	5,606	5,606	-	5,606	-	6,156	6,156	-	-	-	-
	1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	500	500	-	2,000	2,000	-	2,000	-	2,550	2,550	-	-	-	-
	2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. अन्य	-	500	500	-	2,000	2,000	-	2,000	-	2,500	2,500	-	-	-	-
	1. फसल उत्पादन	-	3,606	3,606	-	3,606	3,606	-	3,606	-	3,606	3,606	-	-	-	-
	2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (Revised Estimates)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	1,913	1,913	-	1,913	1,913	-	1,913	1,913	-	1,913	1,913
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	1,693	1,693	-	1,693	1,693	-	1,693	1,693	-	1,693	1,693
2. नौ-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	121	121	-	311	311	-	10	10	-	320	320
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	121	121	-	311	311	-	10	10	-	320	320
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	69,101	69,101	-	68,361	68,361	-	66,053	66,053	-	78,576	78,576
1. राज्य भविष्य निधि	-	67,935	67,935	-	67,190	67,190	-	65,026	65,026	-	77,546	77,546
2. अन्य	-	1,166	1,166	-	1,171	1,171	-	1,027	1,027	-	1,030	1,030
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	10,090	10,090	-	9,680	9,680	-	20,300	20,300	-	9,980	9,980
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अक्षाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	10,090	10,090	-	9,680	9,680	-	20,300	20,300	-	9,980	9,980
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	13,900	19,322	33,222	13,031	18,579	31,611	14,400	20,607	35,007	13,870	24,550	38,420
1. सिविल जमा	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100	-	1,100	1,100
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	13,900	17,022	30,922	13,031	16,279	29,311	14,400	18,307	32,707	13,870	22,250	36,120
3. सिविल अग्रिम	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	1,200
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	23,548	23,548	-	23,438	23,438	-	24,608	24,608	-	26,981	26,981
1. उचित	-	17,548	17,548	-	17,438	17,438	-	18,608	18,608	-	20,981	20,981
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600	-	3,600	3,600
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300	-	13,300	13,300
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	221,568	221,568	-	-	338,981	-	-	336,412	-	-	463,632
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-221,596	-221,596	-	-	-335,990	-	-	-332,899	-	-	-470,041
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-28	-28	-	-	2,991	-	-	3,513	-	-	-6,408
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-28	-28	-	-	2,991	-	-	3,513	-	-	-6,408
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-28	-28	-	-	2,991	-	-	-87	-	-	-10,008
क) अथ शेष	-	-191,872	-191,872	-	-	-191,872	-	-	-211,020	-	-	-211,020
ख) इति शेष	-	-191,900	-191,900	-	-	-188,881	-	-	-211,107	-	-	-221,028
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	-	-	3,600
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

झारखंड

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (1 से XII)	428,234	471,492	899,726	443,956	550,516	994,472	433,262	552,516	985,778	390,576	841,232	1,231,807
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	428,234	98,187	526,421	443,956	82,964	526,921	433,262	82,964	516,226	390,576	87,365	477,941
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	369,464	5,330	374,794	393,047	3,600	396,647	386,748	3,600	390,348	349,466	3,600	353,066
1. विकास (क + ख)	358,549	-	358,549	371,362	-	371,362	366,608	-	366,608	334,075	-	334,075
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	141,642	-	141,642	170,188	-	170,188	177,065	-	177,065	145,494	-	145,494
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	28,663	-	28,663	31,750	-	31,750	43,049	-	43,049	11,614	-	11,614
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	22,642	-	22,642	30,074	-	30,074	26,074	-	26,074	16,231	-	16,231
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	50,417	-	50,417	41,457	-	41,457	41,457	-	41,457	45,709	-	45,709
5. आवास	4,260	-	4,260	9,600	-	9,600	3,075	-	3,075	2,603	-	2,603
6. शहरी विकास	25,700	-	25,700	47,930	-	47,930	50,930	-	50,930	56,775	-	56,775
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9,960	-	9,960	9,377	-	9,377	12,479	-	12,479	12,562	-	12,562
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. अन्य *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	216,907	-	216,907	201,174	-	201,174	189,543	-	189,543	188,581	-	188,581
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	1,476	-	1,476	2,570	-	2,570	2,470	-	2,470	915	-	915
i) फसल उत्पादन	410	-	410	500	-	500	500	-	500	250	-	250
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	517	-	517	520	-	520	520	-	520	500	-	500
vi) वानिकी और वन्य जीवन	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	15	-	15
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) संस्कारिता	549	-	549	550	-	550	450	-	450	150	-	150
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	66,139	-	66,139	57,617	-	57,617	63,617	-	63,617	57,841	-	57,841
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	91,773	-	91,773	63,890	-	63,890	56,650	-	56,650	58,240	-	58,240
5. ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	100	-	100	1,200	-	1,200	195	-	195	145	-	145
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	100	-	100	1,200	-	1,200	95	-	95	45	-	45
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-	100
7. परिवहन (1 + ii)	55,413	-	55,413	64,197	-	64,197	58,197	-	58,197	68,925	-	68,925
i) सड़क और पुल	54,247	-	54,247	63,507	-	63,507	57,507	-	57,507	63,445	-	63,445
ii) अन्य **	1,166	-	1,166	690	-	690	690	-	690	5,480	-	5,480
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

झारखंड

यद	2007-08 (संशोधित अनुमान)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)				
	योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		
1		2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @ 11. ग्रामीण विकास 12. ग्रामीण विकास 13. ग्रामीण विकास 14. ग्रामीण विकास 15. ग्रामीण विकास 16. ग्रामीण विकास 17. ग्रामीण विकास 18. ग्रामीण विकास 19. ग्रामीण विकास 20. ग्रामीण विकास 21. ग्रामीण विकास 22. ग्रामीण विकास 23. ग्रामीण विकास 24. ग्रामीण विकास 25. ग्रामीण विकास 26. ग्रामीण विकास 27. ग्रामीण विकास 28. ग्रामीण विकास 29. ग्रामीण विकास 30. ग्रामीण विकास 31. ग्रामीण विकास 32. ग्रामीण विकास 33. ग्रामीण विकास 34. ग्रामीण विकास 35. ग्रामीण विकास 36. ग्रामीण विकास 37. ग्रामीण विकास 38. ग्रामीण विकास 39. ग्रामीण विकास 40. ग्रामीण विकास 41. ग्रामीण विकास 42. ग्रामीण विकास 43. ग्रामीण विकास 44. ग्रामीण विकास 45. ग्रामीण विकास 46. ग्रामीण विकास 47. ग्रामीण विकास 48. ग्रामीण विकास 49. ग्रामीण विकास 50. ग्रामीण विकास 51. ग्रामीण विकास 52. ग्रामीण विकास 53. ग्रामीण विकास 54. ग्रामीण विकास 55. ग्रामीण विकास 56. ग्रामीण विकास 57. ग्रामीण विकास 58. ग्रामीण विकास 59. ग्रामीण विकास 60. ग्रामीण विकास 61. ग्रामीण विकास 62. ग्रामीण विकास 63. ग्रामीण विकास 64. ग्रामीण विकास 65. ग्रामीण विकास 66. ग्रामीण विकास 67. ग्रामीण विकास 68. ग्रामीण विकास 69. ग्रामीण विकास 70. ग्रामीण विकास 71. ग्रामीण विकास 72. ग्रामीण विकास 73. ग्रामीण विकास 74. ग्रामीण विकास 75. ग्रामीण विकास 76. ग्रामीण विकास 77. ग्रामीण विकास 78. ग्रामीण विकास 79. ग्रामीण विकास 80. ग्रामीण विकास 81. ग्रामीण विकास 82. ग्रामीण विकास 83. ग्रामीण विकास 84. ग्रामीण विकास 85. ग्रामीण विकास 86. ग्रामीण विकास 87. ग्रामीण विकास 88. ग्रामीण विकास 89. ग्रामीण विकास 90. ग्रामीण विकास 91. ग्रामीण विकास 92. ग्रामीण विकास 93. ग्रामीण विकास 94. ग्रामीण विकास 95. ग्रामीण विकास 96. ग्रामीण विकास 97. ग्रामीण विकास 98. ग्रामीण विकास 99. ग्रामीण विकास 100. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2,006	-	-	2,006	11,700	-	-	11,700	8,414	2,515	-	-	8,414	2,515	-	-	2,515
	2,004	-	-	2,004	11,650	-	-	11,650	8,364	2,515	-	-	8,364	2,515	-	-	2,515
	2	-	-	2	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-
	10,915	5,330	16,245	21,685	3,600	60,690	17,088	77,773	20,140	3,600	60,690	17,088	91,461	15,391	3,600	18,991	
	-	37,899	6,582	44,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,379
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,926
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	590	-	590	590	-	-	5,750	5,750	-	-	5,750	5,750	-	-	7,468	7,468
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	300	-	300	300	-	-	350	350	-	-	350	350	-	-	350	350	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3,856	-	3,856	3,856	-	-	6,645	6,645	-	-	6,645	6,645	-	-	6,449	6,449	
-	26,571	-	26,571	26,571	-	-	30,857	30,857	-	-	30,857	30,857	-	-	41,187	41,187	
-	21,303	-	21,303	21,303	-	-	21,353	21,353	-	-	21,353	21,353	-	-	21,378	21,378	
-	13,874	-	13,874	13,874	-	-	16,474	16,474	-	-	16,474	16,474	-	-	18,570	18,570	
-	11,752	-	11,752	11,752	-	-	15,300	15,300	-	-	15,300	15,300	-	-	16,862	16,862	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	20	-	20	20	-	-	33	33	-	-	33	33	-	-	20	20	
-	156	-	156	156	-	-	76	76	-	-	76	76	-	-	87	87	
-	286	-	286	286	-	-	326	326	-	-	326	326	-	-	327	327	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	286	-	286	286	-	-	326	326	-	-	326	326	-	-	327	327	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1,659	-	1,659	1,659	-	-	740	740	-	-	740	740	-	-	1,274	1,274	
-	58,770	41,083	99,853	99,853	50,909	50,909	2,200	53,109	46,514	2,200	53,109	48,714	41,110	2,816	53,926	53,926	
-	58,770	40,383	99,153	99,153	50,909	50,909	1,600	52,509	46,514	1,600	52,509	48,114	41,110	2,216	53,326	53,326	
-	6,920	1,250	8,170	8,170	6,754	6,754	1,600	8,354	6,754	1,600	8,354	8,354	4,130	2,216	6,346	6,346	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4,800	-	-	4,800	4,300	4,300	-	4,300	4,300	-	4,300	4,300	-	-	-	2,825	
-	120	-	-	120	120	120	-	120	120	-	120	120	-	-	-	300	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	900	-	900	900	2,334	2,334	600	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	
-	350	-	350	350	2,334	2,334	600	2,934	2,934	-	2,934	2,934	-	-	1,216	1,216	
-	51,850	39,133	90,983	90,983	44,155	44,155	-	44,155	39,760	-	39,760	39,760	-	-	36,980	36,980	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1,100	-	-	1,100	3,550	3,550	-	3,550	920	-	920	920	-	-	610	610	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	50,700	39,133	89,833	89,833	39,800	39,800	-	39,800	38,700	-	38,700	38,700	-	-	36,100	36,100	

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
झारखंड

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (संशोधित अनुमान)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	10	-	10	700	-	700	-	-	-	20	-	20
9. ग्रामीण विकास	40	-	40	105	-	105	140	-	140	250	-	250
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	700	700	-	600	600	-	600	600	-	600	600
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	700	700	-	600	600	-	600	600	-	600	600
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	22,562	22,562	-	24,080	24,080	-	26,080	26,080	-	61,120	61,120
1. राज्य भविष्य निधि	-	19,262	19,262	-	20,580	20,580	-	20,580	20,580	-	50,870	50,870
2. अन्य	-	3,300	3,300	-	3,500	3,500	-	5,500	5,500	-	10,250	10,250
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	19,839	19,839	-	13,755	13,755	-	13,755	13,755	-	10,631	10,631
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	19,839	19,839	-	13,755	13,755	-	13,755	13,755	-	10,631	10,631
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	111,809	111,809	-	144,705	144,705	-	144,705	144,705	-	319,380	319,380
1. सिविल जमा	-	13,027	13,027	-	35,365	35,365	-	35,365	35,365	-	50,001	50,001
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	32,590	32,590	-	38,065	38,065	-	38,065	38,065	-	123,084	123,084
3. सिविल अग्रिम	-	6,562	6,562	-	16,475	16,475	-	16,475	16,475	-	12,847	12,847
4. अन्य	-	59,630	59,630	-	54,800	54,800	-	54,800	54,800	-	133,448	133,448
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	65,146	65,146	-	44,432	44,432	-	44,432	44,432	-	14,777	14,777
1. उचित	-	38,396	38,396	-	14,670	14,670	-	14,670	14,670	-	9,116	9,116
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	20,000	20,000	-	22,000	22,000	-	22,000	22,000	-	2,400	2,400
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	6,750	6,750	-	7,762	7,762	-	7,762	7,762	-	3,261	3,261
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	138,950	138,950	-	225,580	225,580	-	225,580	225,580	-	332,959	332,959
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-148,361	-148,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-66,588	-66,588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-214,949	-214,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-214,949	-214,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	83,847	83,847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-131,102	-131,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
कर्नाटक

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी सवितरण (I से XII)	795,022	12,606,499	13,401,522	1,042,304	2,054,129	3,096,434	789,468	2,046,465	2,835,933	1,044,561	2,252,804	3,297,365
कुल पूंजी सवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	795,022	270,610	1,065,632	1,042,304	301,128	1,343,433	789,468	423,264	1,212,732	1,044,561	338,054	1,382,615
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	719,880	145,014	864,894	948,121	115,884	1,064,006	695,985	247,521	943,506	947,759	113,516	1,061,275
1. विकास (क + ख)	691,478	139,514	830,992	906,621	110,621	1,017,243	663,635	243,414	907,049	914,529	106,920	1,021,449
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	195,678	19,089	214,768	275,705	18,562	294,267	216,731	40,526	257,256	262,283	20,592	282,875
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,382	695	12,077	28,331	359	28,690	18,581	359	18,940	26,302	373	26,675
2. विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य	35,424	—	35,424	45,693	—	45,693	36,963	—	36,963	35,071	—	35,071
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	94,500	3,409	97,909	116,700	2,401	119,101	108,200	2,401	110,601	117,590	2,500	120,090
5. आवास	5,258	11,968	17,226	9,092	11,526	20,618	7,792	11,526	19,318	9,200	14,719	23,919
6. शहरी विकास	25,000	3,018	28,018	40,000	3,358	43,358	40,000	3,358	43,358	41,173	3,000	44,173
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	20,125	—	20,125	28,856	918	29,774	918	22,881	23,799	24,657	—	24,657
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,957	—	1,957	6,440	—	6,440	3,684	—	3,684	7,250	—	7,250
9. अन्य *	2,032	—	2,032	593	—	593	593	—	593	1,040	—	1,040
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	495,800	120,425	616,224	630,917	92,059	722,975	446,904	202,889	649,793	652,246	86,327	738,573
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	8,015	-121	7,894	12,416	—	12,416	9,016	—	9,016	10,348	—	10,348
i) फसल उत्पादन	2,060	—	2,060	2,765	—	2,765	2,365	—	2,365	1,500	—	1,500
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	397	—	397	1,000	—	1,000	1,000	—	1,000	1,000	—	1,000
iii) पशुपालन	3,970	—	3,970	4,850	—	4,850	2,750	—	2,750	4,757	—	4,757
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	1,006	—	1,006	3,330	—	3,330	2,430	—	2,430	2,582	—	2,582
vi) वनिकी और वन्य जीवन	355	—	355	274	—	274	274	—	274	313	—	313
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	227	-121	107	197	—	197	197	—	197	197	—	197
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	13,609	82	13,691	13,410	120	13,530	7,410	120	7,550	10,500	120	10,620
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	251,299	92,851	344,150	373,353	66,856	440,210	269,812	49,856	319,668	377,635	64,547	442,182
5. ऊर्जा	32,000	11,290	43,290	40,000	8,800	48,800	25,000	58,800	83,800	67,500	7,800	75,300
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	10,723	-2,133	8,590	5,984	—	5,984	1,009	—	1,009	7,401	—	7,401
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,108	-3	1,105	5,819	—	5,819	844	—	844	2,134	—	2,134
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	9,499	-2,131	7,368	—	—	—	—	—	—	5,100	—	5,100
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	117	—	117	165	—	165	165	—	165	167	—	167
7. परिवहन (i + ii)	138,166	12,996	151,162	175,590	13,413	189,003	127,894	91,543	219,438	167,562	13,500	181,062
i) सड़क और पुल	127,017	12,996	140,013	148,740	13,413	162,153	116,040	91,543	207,583	146,212	13,500	159,712
ii) अन्य **	11,149	—	11,149	26,850	—	26,850	11,854	—	11,854	21,350	—	21,350
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
कर्नाटक

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	41,988	5,461	47,448	10,163	2,869	13,032	6,763	2,569	9,332	11,300	360	11,660
	5,086	—	5,086	7,763	—	7,763	4,613	—	4,613	10,000	—	10,000
	36,902	5,461	42,363	2,400	2,869	5,269	2,150	2,569	4,719	1,300	360	1,660
	28,402	5,500	33,902	41,500	5,263	46,763	32,350	4,107	36,457	33,230	6,596	39,826
	—	88,021	88,021	—	265,638	265,638	—	131,519	131,519	—	304,604	304,604
	—	46,251	46,251	—	83,378	83,378	—	83,378	83,378	—	104,657	104,657
	—	3,459	3,459	—	3,459	3,459	—	3,459	3,459	—	3,422	3,422
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	7,960	7,960	—	10,916	10,916	—	7,597	7,597	—	17,190	17,190
II. नगर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सहायता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड III. केंद्र को ऋणों को चुकौती (1 से 7) 1. राज्य योजना स्कीम जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना 2. केन्द्रीय योजना स्कीम 3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों 4. योजनेतर (i से ii) i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	—	4,045	4,045	—	4,500	4,500	—	3,501	3,501	—	2,300	2,300
	—	7,813	7,813	—	135,000	135,000	—	5,200	5,200	—	135,000	135,000
	—	17,893	17,893	—	27,782	27,782	—	27,782	27,782	—	41,447	41,447
	—	601	601	—	603	603	—	603	603	—	588	588
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	44,856	44,856	—	50,080	50,080	—	46,897	46,897	—	50,827	50,827
	—	42,733	42,733	—	47,883	47,883	—	44,711	44,711	—	48,629	48,629
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	369	369	—	368	368	—	368	368	—	368	368
	—	1,081	1,081	—	1,128	1,128	—	1,147	1,147	—	1,195	1,195
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2) 1. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सहायता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	—	674	674	—	701	701	—	671	671	—	634	634
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	75,143	532	75,674	94,183	4,527	98,710	93,483	2,527	96,010	96,802	4,107	100,909
	75,143	388	75,530	94,183	3,620	97,803	93,483	1,620	95,103	96,802	3,100	99,902
	59,488	—	59,488	89,700	520	90,220	39,200	520	39,720	93,018	—	93,018
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	391	—	391	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	2	100	—	100	100	—	100	25	—	25
V. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सहायता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	9,585	—	9,585	38,800	—	38,800	8,800	—	8,800	63,493	—	63,493
	30,000	—	30,000	20,500	—	20,500	—	—	—	9,300	—	9,300
	8	—	8	300	—	300	300	—	300	200	—	200
	19,503	—	19,503	30,000	520	30,520	30,000	520	30,520	20,000	—	20,000
	15,655	388	16,043	4,483	3,100	7,583	54,283	1,100	55,383	3,784	3,100	6,884
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	813	—	813	1,800	—	1,800	1,800	—	1,800	1,800	—	1,800
	209	—	209	154	—	154	154	—	154	653	—	653
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सहायता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	555	—	555	800	—	800	50,600	—	50,600	900	—	900
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
कर्नाटक

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	118	-	118	118	-	118	131	-	131
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	1,307	3,100	4,407	-	100	100	-	100	100
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	14,078	388	14,466	304	-	304	1,611	1,000	2,611	300	3,000	3,300
2. नैऋतिकासत्वक प्रयोजन (क + ख)	-	144	144	-	907	907	-	907	907	-	1,007	1,007
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	29	29	-	707	707	-	707	707	-	807	807
ख) विविध	-	115	115	-	200	200	-	200	200	-	200	200
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	500	500	-	500	500	-	500	500
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	124,531	124,531	-	116,779	116,779	-	116,779	116,779	-	128,457	128,457
1. राज्य भविष्य निधि	-	62,719	62,719	-	64,011	64,011	-	64,011	64,011	-	70,412	70,412
2. अन्य	-	61,812	61,812	-	52,768	52,768	-	52,768	52,768	-	58,045	58,045
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	28,457	28,457	-	89,961	89,961	-	89,961	89,961	-	98,957	98,957
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	10,008	10,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अक्षल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	18,442	18,442	-	89,961	89,961	-	89,961	89,961	-	98,957	98,957
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,996,071	1,996,071	-	621,320	621,320	-	621,320	621,320	-	683,452	683,452
1. सिविल जमा	-	261,660	261,660	-	91,358	91,358	-	91,358	91,358	-	100,494	100,494
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	1,348,548	1,348,548	-	451,416	451,416	-	451,416	451,416	-	496,558	496,558
3. सिविल अग्रिम	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	385,859	385,859	-	78,546	78,546	-	78,546	78,546	-	86,400	86,400
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	9,844,215	9,844,215	-	565,882	565,882	-	565,882	565,882	-	622,470	622,470
1. उचित	-	19,904	19,904	-	28,482	28,482	-	28,482	28,482	-	31,330	31,330
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	6,919,179	6,919,179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,905,132	2,905,132	-	537,400	537,400	-	537,400	537,400	-	591,140	591,140
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	334,802	334,802	-	223,558	223,558	-	223,558	223,558	-	245,914	245,914
XII. विप्रेषण	-	377,637	377,637	-	152,745	152,745	-	76,747	76,747	-	115,137	115,137
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-596,162	-596,162	-	-156,693	-156,693	-	-81,457	-81,457	-	-123,726	-123,726
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-218,526	-218,526	-	-3,947	-3,947	-	-4,710	-4,710	-	-8,589	-8,589
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-218,526	-218,526	-	-3,947	-3,947	-	-4,710	-4,710	-	-8,589	-8,589
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-14,198	-14,198	-	-3,947	-3,947	-	-4,710	-4,710	-	-8,589	-8,589
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	23,188	23,188	-	5,832	5,832	-	8,990	8,990	-	4,280	4,280
क) अथ शेष	-	8,990	8,990	-	1,885	1,885	-	4,280	4,280	-	-4,309	-4,309
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-204,328	-204,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

केरल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	227,797	6,062,736	6,290,533	228,413	5,762,571	5,990,984	247,734	6,792,553	7,040,288	231,400	6,826,646	7,058,046
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	227,797	152,254	380,050	228,413	201,677	430,090	247,734	172,059	419,793	231,400	255,528	486,928
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	145,159	2,299	147,458	152,232	3,961	156,193	166,432	2,769	169,201	132,783	38,233	171,016
1. विकास (क + ख)	139,908	1,834	141,742	150,077	3,951	154,028	162,517	2,258	164,775	129,948	37,733	167,681
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	13,453	-	13,453	23,904	2,735	26,639	28,245	-	28,245	19,431	300	19,731
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,423	-	3,423	-	2,735	2,735	4,967	-	4,967	4,093	300	4,393
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,665	-	4,665	3,460	-	3,460	3,255	-	3,255	4,452	-	4,452
3. परिवार कल्याण	18	-	18	-	-	-	11	-	11	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	445	-	445	3,000	-	3,000	2,600	-	2,600	3,700	-	3,700
5. आवास	894	-	894	11,464	-	11,464	11,491	-	11,491	885	-	885
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,762	-	3,762	5,560	-	5,560	3,686	-	3,686	6,016	-	6,016
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	140	-	140	280	-	280	95	-	95	150	-	150
9. अन्य *	107	-	107	140	-	140	140	-	140	135	-	135
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	126,454	1,834	128,288	126,173	1,216	127,389	134,272	2,258	136,530	110,517	37,433	147,950
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	8,691	1,495	10,186	11,167	1,185	12,352	10,643	1,226	11,869	11,017	7,301	18,318
i) फसल उत्पादन	170	28	198	575	31	606	165	29	194	575	31	606
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	1,000	-	1,000	1,200	-	1,200	913	-	913	1,200	2,000	3,200
iii) पशुपालन	191	-	191	620	-	620	487	-	487	620	-	620
iv) डेरी विकास	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	2,729	2	2,731	2,697	-	2,697	3,748	2	3,750	2,080	4,000	6,080
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,101	-	1,101	1,600	-	1,600	930	-	930	1,675	-	1,675
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	636	1,463	2,099	750	1,154	1,904	725	1,196	1,921	850	1,270	2,120
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) संस्कारिता	2,861	-	2,861	3,225	-	3,225	3,425	-	3,425	3,517	-	3,517
xi) अन्य @	-	-	-	500	-	500	250	-	250	500	-	500
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ऊर्जा	18,487	-	18,487	21,802	-	21,802	28,248	-	28,248	21,694	11,100	32,794
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	15,452	-	15,452	7,537	-	7,537	14,592	-	14,592	13,383	6,500	19,883
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	138	-	138	3,487	-	3,487	3,487	-	3,487	2,783	-	2,783
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	15,264	-	15,264	4,050	-	4,050	11,106	-	11,106	10,600	6,500	17,100
i) सड़क और पुल	82,756	16	82,772	82,406	30	82,436	78,158	30	78,188	62,189	7,330	69,519
ii) अन्य **	76,809	-	76,809	63,318	-	63,318	63,326	-	63,326	45,777	7,300	53,077
8. संचार	5,947	16	5,963	19,088	30	19,118	14,832	30	14,862	16,412	30	16,442
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
केरल

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	725	—	725	725	—	725	520	—	520
	10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,068	323	1,391	2,536	2,537	1,906	1,002	2,908	1,714	5,202	6,916
	i) पर्यटन	1,039	—	1,039	2,526	2,526	1,896	—	1,896	1,704	5,200	6,904
	ii) अन्य @	29	323	352	10	11	10	1,002	1,012	10	2	12
	2. नैर विकास (सामान्य सेवाएं)	5,252	465	5,716	2,155	2,165	3,915	510	4,425	2,835	500	3,335
	II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	816,204	816,204	—	987,301	—	785,098	785,098	—	1,151,984	1,151,984
	1. बाजार ऋण	—	66,291	66,291	—	73,449	—	73,447	73,447	—	74,586	74,586
	2. एलआईसी से ऋण	—	17,498	17,498	—	22,000	—	21,900	21,900	—	21,893	21,893
	3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. नाबार्ड से ऋण	—	5,685	5,685	—	6,319	—	6,604	6,604	—	10,054	10,054
II.	5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण	—	6,453	6,453	—	7,000	—	7,062	7,062	—	7,148	7,148
	6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	698,484	698,484	—	852,500	—	650,001	650,001	—	1,002,500	1,002,500
	7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	7,370	7,370	—	11,533	—	11,533	11,533	—	21,268	21,268
	8. अन्य	—	14,423	14,423	—	14,501	—	14,551	14,551	—	14,535	14,535
	गिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	11,583	11,583	—	11,585	—	11,585	11,585	—	11,585	11,585
	III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	—	25,557	25,557	—	61,886	—	19,042	19,042	—	62,794	62,794
	1. राज्य योजना स्कीम	—	24,774	24,774	—	26,103	—	18,256	18,256	—	27,034	27,034
	गिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	सहायता पहले से जारी करना	—	107	107	—	107	—	107	107	—	106	106
	2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	426	426	—	425	—	427	427	—	405	405
III.	3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों	—	250	250	—	249	—	250	250	—	247	247
	4. योजनेतर (1 से ii)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	250	250	—	249	—	250	250	—	247	247
	ii) अन्य	—	—	—	—	35,000	—	—	—	—	35,000	35,000
	5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7. अन्य	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2
	IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	82,638	6,678	89,316	76,181	77,210	81,303	15,150	96,453	98,617	5,016	103,633
	1. विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	81,992	6,678	88,670	76,181	76,408	81,303	14,377	95,679	98,617	4,243	102,860
	क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	66,652	163	66,815	62,620	62,826	62,590	206	62,796	90,785	222	91,007
IV.	1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	66,218	—	66,218	62,000	62,000	62,000	—	62,000	90,000	—	90,000
	5. आवास	350	155	505	450	610	450	160	610	510	176	686
	6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	5	—	5	—	30	—	30	30	30	—	30
	7. अन्य	79	8	87	170	186	140	16	156	275	16	291
	ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	15,340	6,515	21,855	13,561	13,582	18,713	14,171	32,883	7,892	4,021	11,853
	1. फसल उत्पादन	—	195	195	—	21	—	21	21	—	21	21
	2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.	3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	117	2,000	2,117	800	800	600	—	600	700	—	700
	4. सस्कारिता	1,796	—	1,796	1,495	1,495	4,858	—	4,858	1,797	—	1,797
	5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6. विद्युत परियोजनाएं	1,000	—	1,000	6,950	6,950	6,950	—	6,950	1,125	—	1,125

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
केरल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	1,833	-	1,833	1,417	-	1,417	867	100	967	785	-	785
8. अन्य उद्योग और खनिज	500	-	500	1,400	-	1,400	900	-	900	1,500	-	1,500
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	156	-	156	-	-	-
10. अन्य	10,094	4,321	14,414	1,499	-	1,499	4,382	14,050	18,432	1,925	4,000	5,925
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	646	-	646	-	802	802	-	774	774	-	774	774
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	646	-	646	-	802	802	-	774	774	-	774	774
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	8,000	8,000	-	100	100	-	-	-	-	100	100
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	809,960	809,960	-	1,039,161	1,039,161	-	1,232,049	1,232,049	-	1,291,618	1,291,618
1. राज्य भविष्य निधि	-	169,517	169,517	-	201,407	201,407	-	190,070	190,070	-	210,531	210,531
2. अन्य	-	640,443	640,443	-	837,755	837,755	-	1,041,979	1,041,979	-	1,081,087	1,081,087
VIII. आरक्षित निधियों (1 से 4)	-	52,184	52,184	-	35,238	35,238	-	47,798	47,798	-	38,281	38,281
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	31,756	31,756	-	24,887	24,887	-	34,486	34,486	-	27,636	27,636
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	20,428	20,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	370,743	370,743	-	503,817	503,817	-	430,347	430,347	-	456,391	456,391
1. सिविल जमा	-	117,905	117,905	-	152,711	152,711	-	169,625	169,625	-	176,159	176,159
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	249,434	249,434	-	345,776	345,776	-	254,036	254,036	-	275,454	275,454
3. सिविल अग्रिम	-	134	134	-	68	68	-	55	55	-	61	61
4. अन्य	-	3,270	3,270	-	5,261	5,261	-	6,631	6,631	-	4,717	4,717
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	3,247,886	3,247,886	-	2,469,168	2,469,168	-	3,521,242	3,521,242	-	3,020,957	3,020,957
1. उचित	-	480,755	480,755	-	467,668	467,668	-	469,218	469,218	-	469,218	469,218
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	562,161	562,161	-	25,005	25,005	-	800,330	800,330	-	250,000	250,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,204,970	2,204,970	-	1,976,495	1,976,495	-	2,251,694	2,251,694	-	2,301,739	2,301,739
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	723,226	723,226	-	660,910	660,910	-	739,058	739,058	-	761,273	761,273
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्य अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	695,686	15,747,493	16,443,179	703,338	4,039,346	4,742,684	724,402	11,071,671	11,796,073	774,226	10,150,649	10,924,875
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	695,686	270,748	966,434	703,338	268,115	971,452	724,402	321,624	1,046,026	774,226	273,049	1,047,275
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)												
1. विकास (क + ख)	651,047	32,223	683,270	590,048	19,944	609,992	644,201	21,101	665,302	672,917	6,399	679,316
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	643,935	31,996	675,930	583,033	16,944	599,977	635,311	18,101	653,412	663,433	3,874	667,307
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	113,550	545	114,095	124,287	499	124,786	140,393	465	140,858	115,478	502	115,979
2. विद्वत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,627	—	14,627	17,925	—	17,925	31,792	—	31,792	16,632	—	16,632
3. परिवार कल्याण	10,745	330	11,075	17,783	294	18,077	8,959	265	9,224	5,274	291	5,565
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	31	—	31	400	—	400	400	—	400	25	—	25
5. आवास	54,927	—	54,927	46,485	—	46,485	57,083	—	57,083	55,202	—	55,202
6. शहरी विकास	200	—	200	3,485	5	3,490	3,480	—	3,480	3,417	—	3,417
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,341	—	6,341	5,587	—	5,587	5,251	—	5,251	5,958	—	5,958
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	24,211	—	24,211	28,519	—	28,519	27,320	—	27,320	28,243	—	28,243
9. अन्य *	1,598	215	1,813	3,434	200	3,634	5,440	200	5,640	518	211	729
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	870	—	870	669	—	669	669	—	669	208	—	208
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	530,384	31,451	561,835	458,747	16,445	475,192	494,917	17,636	512,554	547,955	3,372	551,328
i) फसल उत्पादन	5,474	926	6,400	4,740	-60	4,680	4,590	-60	4,530	2,563	—	2,563
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-9	—	-9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	1,331	—	1,331	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) डेरी विकास	848	—	848	90	—	90	90	—	90	45	—	45
v) मत्स्यपालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वनिकी और वन्य जीवन	62	—	62	275	—	275	275	—	275	20	—	20
vii) बागान	1,177	—	1,177	2,763	—	2,763	2,763	—	2,763	2,179	—	2,179
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	-60	143	353	-60	293	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	677	677	203	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) अन्य @	2,065	249	2,314	1,410	—	1,410	1,110	—	1,110	319	—	319
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	47,010	—	47,010	51,355	—	51,355	53,745	—	53,745	58,599	—	58,599
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	202,133	—	202,133	181,557	—	181,557	213,996	—	213,996	242,058	—	242,058
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	74,334	16,000	90,334	44,893	16,000	60,893	47,224	16,000	63,224	43,048	3,367	46,416
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	12,001	14,522	26,523	1,416	500	1,916	1,507	1,691	3,198	2,491	—	2,491
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	2,300	10	2,310	806	—	806	857	—	857	1,685	—	1,685
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	5	—	5	10	—	10	10	—	10	106	—	106
7. परिवहन (i + ii)	9,696	14,512	24,208	600	500	1,100	640	1,691	2,331	700	—	700
i) सड़क और पुल	186,941	—	186,941	167,410	—	167,410	166,193	—	166,193	193,970	—	193,970
ii) अन्य **	186,521	—	186,521	165,650	—	165,650	164,533	—	164,533	193,250	—	193,250
8. संचार	419	—	419	1,760	—	1,760	1,660	—	1,660	720	—	720

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मध्य प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	200	—	200	500	—	500	500	—	500	850	—	850
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	2,291	3	2,294	6,876	5	6,881	7,161	5	7,166	4,376	5	4,381
i) पर्यटन	2,291	—	2,291	6,876	—	6,876	7,161	—	7,161	4,376	—	4,376
ii) अन्य @	—	3	3	—	5	5	—	5	5	—	5	5
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	7,113	227	7,339	7,015	3,000	10,015	8,890	3,000	11,890	9,484	2,525	12,009
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	124,014	124,014	—	339,111	339,111	—	192,413	192,413	—	578,970	578,970
1. बाजार ऋण	—	53,795	53,795	—	50,859	50,859	—	53,917	53,917	—	77,535	77,535
2. एलआईसी से ऋण	—	355	355	—	1,135	1,135	—	1,135	1,135	—	1,200	1,200
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	23	23	—	24	24	—	24	24	—	25	25
4. नाबार्ड से ऋण	—	14,773	14,773	—	18,272	18,272	—	18,272	18,272	—	31,571	31,571
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	1,545	1,545	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000	—	2,000	2,000
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	200,000	200,000	—	50,000	50,000	—	400,000	400,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	11,822	11,822	—	19,472	19,472	—	19,472	19,472	—	19,472	19,472
8. अन्य	—	41,701	41,701	—	47,349	47,349	—	47,594	47,594	—	47,167	47,167
<i>जिसमें से:</i> भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	31,355	31,355	—	36,071	36,071	—	36,071	36,071	—	36,071	36,071
III. केंद्र को ऋणों को चुकौती (1 से 7)	—	43,686	43,686	—	44,545	44,545	—	44,545	44,545	—	50,075	50,075
1. राज्य योजना स्कीम	—	42,127	42,127	—	43,102	43,102	—	43,102	43,102	—	48,659	48,659
<i>जिसमें से:</i> प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	276	276	—	275	275	—	275	275	—	274	274
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	—	869	869	—	757	757	—	757	757	—	731	731
4. योजनेतर (i से ii)	—	414	414	—	412	412	—	412	412	—	412	412
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	414	414	—	412	412	—	412	412	—	412	412
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	44,639	70,849	115,488	113,289	64,538	177,827	80,202	113,588	193,790	101,309	37,630	138,939
1. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख)	44,639	70,849	115,488	113,289	64,488	177,757	80,202	113,518	193,720	101,309	37,560	138,869
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	33,403	26,228	59,631	36,982	34,268	71,250	26,598	14,018	40,616	37,594	17,360	54,954
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	400	400	—	400	400	—	400	400	—	400	400
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,341	—	4,341	5,584	—	5,584	5,584	—	5,584	2,657	—	2,657
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	5	5	—	118	118	—	118	118	—	118	118
7. अन्य	29,062	25,823	54,885	31,398	33,750	65,148	21,014	13,500	34,514	34,937	16,842	51,779
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	11,236	44,621	55,856	76,307	30,200	106,507	53,604	99,500	153,104	63,715	20,200	83,915
1. फसल उत्पादन	—	21	21	—	200	200	—	200	200	—	200	200
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	3,760	—	3,760	600	—	600	600	—	600	695	—	695
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385	—	385
6. विद्युत परियोजनाएं	7,368	44,600	51,968	73,703	30,000	103,703	51,500	99,300	150,800	62,333	20,000	82,333

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (1 से XII)	970,857	11,548,432	12,519,288	1,165,530	9,295,340	10,460,870	1,408,552	17,100,172	18,508,724	1,733,136	9,901,555	11,634,691
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	970,857	575,167	1,546,024	1,165,530	596,113	1,761,644	1,408,552	986,508	2,395,060	1,733,136	624,680	2,357,816
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	946,674	202,288	1,148,962	1,125,374	223,906	1,349,280	1,358,072	590,293	1,948,364	1,705,487	176,125	1,881,612
1. विकास (क + ख)	921,557	193,242	1,114,799	1,093,848	214,137	1,307,985	1,322,722	572,060	1,894,782	1,687,939	158,624	1,846,563
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	74,715	-462	74,254	129,069	32,201	1,61,270	189,603	33,907	223,509	63,376	35,008	98,385
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	14,982	-	14,982	20,922	-	20,922	39,218	-	39,218	11,112	-	11,112
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,812	-	8,812	13,885	-	13,885	36,442	-	36,442	13,567	-	13,567
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,200	-	1,200	1,000	32,093	33,093	1,000	33,799	34,799	333	34,900	35,233
5. आवास	2,803	-	2,803	4,084	-	4,084	3,953	-	3,953	2,449	-	2,449
6. शहरी विकास	1,946	2	1,948	4,094	2	4,096	11,347	2	11,349	3,782	3	3,785
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	37,739	-	37,739	76,632	-	76,632	78,115	-	78,115	26,077	-	26,077
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	243	-464	-221	218	106	323	5,718	106	5,823	1,739	106	1,845
9. अन्य *	6,991	-	6,991	8,235	-	8,235	13,811	-	13,811	4,317	-	4,317
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	846,842	193,704	1,040,546	964,779	181,936	1,146,715	1,133,119	538,154	1,671,273	1,624,563	123,615	1,748,178
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	56,458	25,108	81,566	71,530	21,174	92,704	93,977	21,416	115,393	38,554	14,193	52,747
i) फसल उत्पादन	2,400	10,246	12,646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	39,226	5,393	44,619	43,842	2,735	46,577	58,316	2,988	61,304	24,127	1,997	26,124
iii) पशुपालन	38	-	38	357	-	357	478	-	478	234	-	234
iv) डेरी विकास	29	-	29	1	-	1	133	-	133	44	-	44
v) मत्स्यपालन	1,875	-	1,875	5,072	-	5,072	4,495	-	4,495	2,656	-	2,656
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,982	144	2,126	2,096	175	2,271	4,879	164	5,043	2,435	180	2,616
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	48	9,325	9,372	752	18,264	19,017	752	18,264	19,017	752	12,016	12,768
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	94	-	94	76	-	76	73	-	73	25	-	25
x) सहायिता	10,766	-	10,766	19,334	-	19,334	24,851	-	24,851	8,279	-	8,279
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	45,747	-	45,747	143,508	-	143,508	49,807	-	49,807	1,173,175	-	1,173,175
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,351	-	4,351	5,430	-	5,430	5430	-	5,430	1,810	-	1,810
जिलमै से: पहाड़ी क्षेत्र	4,351	-	4,351	5,430	-	5,430	5430	-	5,430	1,810	-	1,810
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	521,364	142,989	664,353	533,376	133,388	666,765	639,064	479,588	1,118,653	215,114	90,731	305,844
5. ऊर्जा	80,434	-	80,434	68,279	-	68,279	142,501	-	142,501	57,584	-	57,584
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	1,795	-	1,795	3,103	-	3,103	3,111	-	3,111	1,067	-	1,067
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,096	-	2,096	3,103	-	3,103	3,111	-	3,111	1,067	-	1,067
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-300	-	-300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (1 + ii)	136,702	15,920	152,622	139,577	7,358	146,935	198,071	17,134	215,205	136,872	10,000	146,872
i) सड़क और पुल	136,702	-	136,702	139,577	-	139,577	198,071	-	198,071	136,872	-	136,872
ii) अन्य **	-	15,920	15,920	-	7,358	7,358	-	17,134	17,134	-	10,000	10,000
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

मद	2007-08 (लखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	7	9,687	9,671	-	20,016	19,991	1,159	20,015	21,174	386	8,691	9,078
	-16	-	-	-25	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नैर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-16	9,687	9,671	-25	20,016	19,991	1,159	20,015	21,174	386	8,691	9,078
	25,117	9,046	34,163	31,526	9,770	41,296	35,350	18,232	53,582	17,548	17,501	35,049
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	428,642	428,642	-	572,012	572,012	-	361,018	361,018	-	634,138	634,138
	-	77,581	77,581	-	79,628	79,628	-	79,578	79,578	-	89,048	89,048
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	25,034	25,034	-	25,021	25,021	-	25,022	25,022	-	25,017	25,017
	-	10,889	10,889	-	13,646	13,646	-	14,087	14,087	-	17,017	17,017
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	9,736	9,736	-	12,900	12,900	-	11,140	11,140	-	16,930	16,930
	-	195,363	195,363	-	300,000	300,000	-	90,374	90,374	-	300,000	300,000
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	71,253	71,253	-	110,978	110,978	-	110,978	110,978	-	156,285	156,285
	-	38,786	38,786	-	29,839	29,839	-	29,839	29,839	-	29,841	29,841
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	1	1	-	5	5	-	5	5	-	5	5
	-	41,267	41,267	-	42,554	42,554	-	42,053	42,053	-	43,014	43,014
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	39,310	39,310	-	40,560	40,560	-	39,977	39,977	-	40,862	40,862
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	83	83	-	83	83	-	83	83	-	83	83
	-	1,197	1,197	-	1,235	1,235	-	1,296	1,296	-	1,416	1,416
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	677	677	-	675	675	-	698	698	-	653	653
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	677	677	-	675	675	-	698	698	-	653	653
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	98,333	122,516	40,156	57,641	97,797	50,480	83,519	133,999	27,649	71,403	99,052
	24,183	66,396	90,579	40,156	51,501	91,657	50,480	77,923	128,404	27,649	65,282	92,932
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	5,443	44,641	50,084	8,943	27,937	36,880	10,686	32,937	43,623	5,606	30,481	36,088
	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	-	24	71	723	723	71	723	723	24	681	705
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	808	808	-	1,776	1,776	-	6,770	6,770	-	1,568	1,568
	-	25,652	25,652	-	25,408	25,408	-	25,419	25,419	-	28,207	28,207
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	181,29	18,129	-	30	8,902	10,615	25	10,640	5,583	25	5,608
	5,419	2	5,421	8,872	23,564	54,777	39,794	44,986	84,781	22,043	34,801	56,844
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	18,740	21,755	40,495	31,213	23,564	54,777	39,794	44,986	84,781	22,043	34,801	56,844
	-	457	457	5	-	5	-	5	5	-	5	5
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	2,787	13,087	15,874	4,189	11,000	15,189	12,369	11,000	23,369	4,123	10,500	14,623
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अधोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	8,658	2,313	10,971	17,442	12,449	29,891	17,852	30,537	48,389	14,667	24,296	38,963
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
महाराष्ट्र

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	5,792	-	5,792	5,255	-	5,255	5,251	-	5,251	1,812	-	1,812
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	5,529	5,529	-	-	-	-	3,302	3,302	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	1,503	369	1,872	4,322	115	4,438	4,323	143	4,466	1,441	-	1,441
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	31,937	31,937	-	6,140	6,140	-	5,595	5,595	-	6,121	6,121
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	4,025	4,025	-	6,140	6,140	-	5,595	5,595	-	6,121	6,121
ख) विविध	-	27,912	27,912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	40,894	40,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्पबचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	137,526	137,526	-	152,423	152,423	-	147,650	147,650	-	155,885	155,885
1. राज्य भविष्य निधि	-	128,705	128,705	-	130,934	130,934	-	133,105	133,105	-	139,761	139,761
2. अन्य	-	8,821	8,821	-	21,489	21,489	-	14,545	14,545	-	16,124	16,124
VIII. आरक्षित निधियों (1 से 4)	-	252,117	252,117	-	173,695	173,695	-	174,608	174,608	-	145,798	145,798
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-24	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	117,594	117,594	-	59,900	59,900	-	59,900	59,900	-	83,100	83,100
3. अकाल राहत कोष	-	-238	-238	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	134,786	134,786	-	113,795	113,795	-	114,708	114,708	-	62,698	62,698
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	897,111	897,111	-	755,168	755,168	-	1,034,130	1,034,130	-	1,134,786	1,134,786
1. सिविल जमा	-	834,230	834,230	-	678,747	678,747	-	977,529	977,529	-	1,088,018	1,088,018
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	51	51	-	-	-	-	2	2
3. सिविल अग्रिम	-	27,590	27,590	-	33,286	33,286	-	11,224	11,224	-	25,011	25,011
4. अन्य	-	35,291	35,291	-	43,083	43,083	-	45,377	45,377	-	21,756	21,756
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	7,833,172	7,833,172	-	6,088,920	6,088,920	-	13,295,901	13,295,901	-	6,095,385	6,095,385
1. उचित	-	-3,400	-3,400	-	1320	1,320	-	7,258	7,258	-	1,384	1,384
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	7,803,133	7,803,133	-	6,000,000	6,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	6,000,000	6,000,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	33,438	33,438	-	87,600	87,600	-	5,288,643	5,288,643	-	94,001	94,001
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	35,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,582,082	1,582,082	-	1,229,021	1,229,021	-	1,371,001	1,371,001	-	1,445,021	1,445,021
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			1,480,310			98,469			426,305			-712,336
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-1,195,257			67,384			-497,815			609,973
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			285,053			163,854			-71,510			-102,363
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			285,053			163,854			-71,510			-102,363
क) अथ शेष			-89,598			163,854			-71,510			-102,363
ख) इति शेष			-1,094			297,042			-90,692			-162,202
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-90,691			460,896			-162,202			-264,565
iii. आरबीआई से अधिप्राय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			374,651			-			-			-

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मणिपुर

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	111,372	1,601,364	1,712,736	128,458	178,479	306,937	160,290	1,538,696	1,698,986	135,743	1,572,880	1,708,423
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	111,372	31,345	142,717	128,458	31,705	160,163	160,290	31,923	192,213	135,743	11,569	147,312
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	110,960	-169	110,792	127,714	4	127,718	159,496	7	159,503	135,023	4	135,027
1. विकास (क + ख)	100,541	-169	100,373	121,890	4	121,894	153,402	4	153,406	76,561	4	76,565
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	37,831	1	37,831	43,341	1	43,342	52,943	1	52,944	20,576	1	20,577
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,998	-	11,998	13,071	-	13,071	11,470	-	11,470	2,570	-	2,570
2. निर्यात और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,165	-	6,165	5,533	-	5,533	5,643	-	5,643	1,133	-	1,133
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	13,730	-	13,730	12,196	-	12,196	17,064	-	17,064	10,437	-	10,437
5. आवास	479	1	479	4,650	1	4,651	4,651	1	4,651	650	1	651
6. शहरी विकास	3,025	-	3,025	4,984	-	4,984	9,349	-	9,349	3,475	-	3,475
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	443	-	443	966	-	966	4,133	-	4,133	2,138	-	2,138
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,769	-	1,769	1,769	-	1,769	-	-	-	-	-	-
9. अन्य *	221	-	221	172	-	172	634	-	634	172	-	172
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	62,711	-169	62,542	78,549	3	78,552	100,459	3	100,462	55,985	3	55,988
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	528	-169	359	3,555	-	3,555	4,038	-	4,038	651	-	651
i) फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	189	-	189	189	-	189
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	-	-	-
iii) पशुपालन	30	-	30	154	-	154	285	-	285	305	-	305
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	-	-	-	-	-	-	14	-	14	14	-	14
vi) वनिकी और वन्य जीवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	402	-169	233	603	-	603	668	-	668	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	35	-	35	35	-	35	-	-	-
x) सहकारिता	96	-	96	143	-	143	151	-	151	143	-	143
xi) अन्य @	-	-	-	120	-	120	195	-	195	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	15	-	15	21	-	21	21	-	21	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,422	-	3,422	1,090	-	1,090	2,184	-	2,184	435	-	435
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ऊर्जा	16,371	-	16,371	29,551	-	29,551	34,088	-	34,088	25,965	-	25,965
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	15,317	-	15,317	14,719	-	14,719	18,127	-	18,127	13,491	-	13,491
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,679	-	2,679	6,726	-	6,726	6,726	-	6,726	6,336	-	6,336
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	2,643	-	2,643	6,293	-	6,293	6,326	-	6,326	6,276	-	6,276
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	36	-	36	-	-	-	-	-	-	27	-	27
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	22,971	-	22,971	433	-	433	400	-	400	33	-	33
i) सड़क और पुल	21,865	-	21,865	21,424	3	21,427	32,940	3	32,943	7,650	3	7,653
ii) अन्य **	1,106	-	1,106	20,596	3	20,599	25,080	3	25,083	7,650	3	7,653
8. संचार	-	-	-	828	-	828	7,860	-	7,860	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मणिपुर

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,000	—	1,000	1,350	—	—	1,350	1,350	—	1,350	—	—
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	407	—	407	112	112	—	112	985	—	985	1,456	1,456
i) पर्यटन	407	—	407	112	112	—	112	985	—	985	1,456	1,456
ii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	10,419	—	10,419	5,824	5,824	—	5,824	6,094	3	6,097	58,462	58,462
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	10,503	10,503	10,503	—	7,048	7,048	—	7,293	7,293	—	7,210
1. बाजार ऋण	—	5,450	5,450	5,450	—	5,476	5,476	—	5,476	5,476	—	5,753
2. एवआइसी से ऋण	—	3	3	3	—	302	302	—	300	300	—	300
3. एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	160	160	—	187
5. राष्ट्रीय सहायता विकास निगम से ऋण	—	266	266	266	—	265	265	—	265	265	—	265
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	3,879	3,879	3,879	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	353	353	353	—	360	360	—	360	360	—	100
8. अन्य	—	552	552	552	—	645	645	—	732	732	—	605
जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र को ऋणों को चुकौती (1 से 7)	—	24,504	24,504	24,504	—	24,473	24,473	—	24,507	24,507	—	4,215
1. राज्य योजना स्कीम	—	236	236	236	—	233	233	—	240	240	—	249
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	28	28	28	—	28	28	—	28	28	—	28
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों	—	110	110	110	—	79	79	—	114	114	—	114
4. योजनेतर (i से ii)	—	24,097	24,097	24,097	—	24,095	24,095	—	24,095	24,095	—	3,794
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	24,097	24,097	24,097	—	24,095	24,095	—	24,095	24,095	—	3,794
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	34	34	34	—	39	39	—	30	30	—	30
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	412	385	797	797	744	180	924	794	116	910	720	860
1. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख)	412	14	426	426	744	105	849	794	59	853	720	785
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	—	14	14	14	24	105	129	74	59	133	—	65
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	50	—	50	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	24	—	24	24	—	24	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	14	14	14	—	105	105	—	59	59	—	65
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	412	—	412	412	720	—	720	720	—	720	—	720
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मणिपुर

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	412	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग			412	670	-	670	670	-	670	670	-	670
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	50	-	50	50	-	50	50	-	50
2. नैऋतिकासात्मक प्रयोजन (क + ख)												
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	372	372	-	75	75	-	57	57	-	75	75
ख) विविध	-	372	372	-	75	75	-	57	57	-	75	75
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अत्यल्प, भविष्य निधि, आदि (1+2)												
1. राज्य भविष्य निधि	-	7,705	7,705	-	8,302	8,302	-	8,302	8,302	-	9,323	9,323
2. अन्य	-	7,485	7,485	-	8,000	8,000	-	8,000	8,000	-	9,000	9,000
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)												
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	220	220	-	302	302	-	302	302	-	323	323
2. ऋणशोधन निधियां	-	945	945	-	1,972	1,972	-	1,972	1,972	-	2,657	2,657
3. अक्षय राहत कोष	-	-	-	-	1,266	1,266	-	1,266	1,266	-	1,832	1,832
4. अन्य	-	945	945	-	706	706	-	706	706	-	825	825
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)												
1. सिविल जमा	-	25,760	25,760	-	12,500	12,500	-	17,499	17,499	-	17,501	17,501
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	3,931	3,931	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	4,500	4,500
3. सिविल अग्रिम	-	1,486	1,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	20,343	20,343	-	7,500	7,500	-	10,999	10,999	-	11,501	11,501
X. उचित और विविध (1 से 4)												
1. उचित	-	1,387,537	1,387,537	-	57,500	57,500	-	1,412,500	1,412,500	-	1,463,800	1,463,800
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	16,370	16,370	-	500	500	-	14,500	14,500	-	15,000	15,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	1,353,436	1,353,436	-	55,500	55,500	-	1,392,000	1,392,000	-	1,442,800	1,442,800
4. अन्य	-	17,732	17,732	-	1,500	1,500	-	6,000	6,000	-	6,000	6,000
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण												
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	144,193	144,193	-	66,500	66,500	-	66,500	66,500	-	67,830	67,830
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	121,574	121,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-74,991	-74,991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	46,583	46,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	46,583	46,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-38,661	-38,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-22,985	-22,985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	30,907	30,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	114,581	114,581	-	66,500	66,500	-	66,500	66,500	-	67,830	67,830
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-103,339	-103,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	11,242	11,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	11,242	11,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	15,742	15,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-20,347	-20,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-4,605	-4,605	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-4,500	-4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (1 से XII)	40,693	868,634	909,327	65,773	1,156,099	1,221,872	65,773	1,154,891	1,220,664	84,501	1,205,173	1,289,673
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	40,693	11,054	51,747	65,773	13,502	79,275	65,773	13,509	79,282	84,501	14,884	99,385
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	38,739	427	39,166	61,132	-	61,132	61,132	-	61,132	81,192	-	81,192
1. विकास (क + ख)	36,396	-	36,396	57,546	-	57,546	57,546	-	57,546	74,619	-	74,619
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	15,248	-	15,248	20,211	-	20,211	20,211	-	20,211	34,057	-	34,057
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	569	-	569	138	-	138	138	-	138	308	-	308
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,608	-	3,608	2,052	-	2,052	2,052	-	2,052	2,287	-	2,287
3. परिवार कल्याण	-	-	-	50	-	50	50	-	50	50	-	50
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	10,769	-	10,769	14,634	-	14,634	14,634	-	14,634	18,809	-	18,809
5. आवास	203	-	203	490	-	490	490	-	490	863	-	863
6. शहरी विकास	49	-	49	1,371	-	1,371	1,371	-	1,371	10,319	-	10,319
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	51	-	51	1,476	-	1,476	1,476	-	1,476	1,420	-	1,420
9. अन्य *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	21,149	-	21,149	37,335	-	37,335	37,335	-	37,335	40,582	-	40,582
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	1,336	-	1,336	1,695	-	1,695	1,695	-	1,695	4,063	-	4,063
i) फसल उत्पादन	86	-	86	40	-	40	40	-	40	1,046	-	1,046
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	-	-	-	15	-	15	15	-	15	50	-	50
vi) वानिकी और वन्य जीवन	841	-	841	925	-	925	925	-	925	2,311	-	2,311
vii) बागान	-	-	-	40	-	40	40	-	40	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	386	-	386	645	-	645	645	-	645	616	-	616
xi) अन्य @	23	-	23	30	-	30	30	-	30	40	-	40
2. ग्रामीण विकास	42	-	42	74	-	74	74	-	74	33	-	33
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	5,097	-	5,097	12,625	-	12,625	12,625	-	12,625	4,801	-	4,801
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	607	-	607	1,773	-	1,773	1,773	-	1,773	6,721	-	6,721
5. ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	283	-	283	948	-	948	948	-	948	1,642	-	1,642
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	81	-	81	47	-	47	47	-	47	70	-	70
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
iv) अन्य #	202	-	202	900	-	900	900	-	900	1,572	-	1,572
7. परिवहन (1 + ii)	13,783	-	13,783	20,208	-	20,208	20,208	-	20,208	23,297	-	23,297
i) सड़क और पुल	11,399	-	11,399	19,768	-	19,768	19,768	-	19,768	22,732	-	22,732
ii) अन्य **	2,384	-	2,384	440	-	440	440	-	440	565	-	565
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मेघालय

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	350
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	711	711	-	550	550	-	550	550	-	550	550
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	711	711	-	550	550	-	550	550	-	550	550
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	9,820	9,820	-	21,000	21,000	-	19,786	19,786	-	21,000	21,000
VII. अल्पबचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	5,563	5,563	-	5,502	5,502	-	5,502	5,502	-	6,916	6,916
1. राज्य भविष्य निधि	-	5,563	5,563	-	5,502	5,502	-	5,502	5,502	-	6,916	6,916
2. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	3,301	3,301	-	2,609	2,609	-	2,609	2,609	-	2,690	2,690
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	2,075	2,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	2,075	2,075	-	1,378	1,378	-	1,378	1,378	-	1,422	1,422
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,226	1,226	-	1,231	1,231	-	1,231	1,231	-	1,268	1,268
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	33,352	33,352	-	28,234	28,234	-	28,234	28,234	-	32,590	32,590
1. सिविल जमा	-	29,099	29,099	-	24,530	24,530	-	24,530	24,530	-	28,331	28,331
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2
3. सिविल अग्रिम	-	4,253	4,253	-	3,702	3,702	-	3,702	3,702	-	4,257	4,257
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	718,667	718,667	-	999,940	999,940	-	999,940	999,940	-	1,038,042	1,038,042
1. उचित	-	1,798	1,798	-	1,565	1,565	-	1,565	1,565	-	1,635	1,635
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	716,541	716,541	-	333,000	333,000	-	333,000	333,000	-	371,101	371,101
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	664,969	664,969	-	664,969	664,969	-	664,900	664,900
4. अन्य	-	328	328	-	406	406	-	406	406	-	406	406
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	86,878	86,878	-	81,262	81,262	-	81,262	81,262	-	85,000	85,000
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	18,771	18,771	-	52,239	52,239	-	52,239	52,239	-	21,804	21,804
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-5,856	-5,856	-	-37,179	-37,179	-	-37,179	-37,179	-	-47,237	-47,237
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	12,915	12,915	-	15,060	15,060	-	15,060	15,060	-	-25,433	-25,433
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	12,916	12,916	-	15,060	15,060	-	15,060	15,060	-	-25,433	-25,433
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	1,498	1,498	-	1,296	1,296	-	1,296	1,296	-	-36,675	-36,675
क) अथ शेष	-	-7,439	-7,439	-	-4,416	-4,416	-	-4,416	-4,416	-	-3,357	-3,357
ख) इति शेष	-	-5,941	-5,941	-	-3,120	-3,120	-	-3,120	-3,120	-	-40,032	-40,032
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	11,418	11,418	-	13,764	13,764	-	13,764	13,764	-	11,242	11,242
iii. आरबीआई से अधिप्राय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मिजोरम

मद	2007-08 (लेखा)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल	
	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1																
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)																
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$																
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)																
1. विकास (क + ख)																
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)																
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति																
2. विद्वत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य																
3. परिवार कल्याण																
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता																
5. आवास																
6. शहरी विकास																
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण																
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण																
9. अन्य *																
37,028																
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)																
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)																
i) फसल उत्पादन																
ii) मृदा एवं जल संरक्षण																
iii) पशुपालन																
iv) डेरी विकास																
v) मत्स्यपालन																
vi) वनिकी और वन्य जीवन																
vii) बागान																
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण																
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा																
x) सहकारिता																
xi) अन्य @																
2. ग्रामीण विकास																
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम																
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र																
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण																
5. ऊर्जा																
6. उद्योग और खनिज (i से iv)																
i) ग्रामीण और लघु उद्योग																
ii) लोहा और इस्पात उद्योग																
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग																
iv) अन्य #																
7. परिवहन (i + ii)																
i) सड़क और पुल																
ii) अन्य **																
8. संचार																

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

मिजोरम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	2,050	-	-	-	-	1,384	-	1,384	-	-	-
	i) पर्यटन	2,050	2,050	-	-	-	1,384	-	1,384	-	-	-
	ii) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	1,350	-	1,350	-	1,415	2,417	-	2,417	1,611	-	1,611
	III. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	12,719	12,719	-	16,132	-	7,931	7,931	-	21,802	21,802
	1. बाजार ऋण	-	1,815	1,815	-	2,997	-	2,997	2,997	-	14,304	14,304
	2. एवआईसी से ऋण	-	1,867	1,867	-	2,089	-	2,345	2,345	-	2,206	2,206
	3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. नाबार्ड से ऋण	-	586	586	-	880	-	880	880	-	1,107	1,107
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	187	187	-	187	-	187	187	-	138	138
	6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	4,357	4,357	-	6,670	-	-	-	-	-	-
	7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	157	157	-	242	-	242	242	-	375	375
	8. अन्य	-	3,749	3,749	-	3,067	-	1,280	1,280	-	3,672	3,672
	9. निस्सर्ग से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	-	412	412	-	456	-	643	643	-	228	228
	10. केंद्र को ऋणों को चुकौती (1 से 7)	-	1,678	1,678	-	1,880	-	1,857	1,857	-	1,863	1,863
	1. राज्य योजना स्कीम	-	1,364	1,364	-	1,570	-	1,547	1,547	-	1,569	1,569
	2. निस्सर्ग से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	135	135	-	150	-	150	150	-	139	139
V. विकाससात्मक प्रयोजन (क + ख)	5. योजनेतर (i से ii)	-	93	93	-	73	-	73	73	-	73	73
	6. योजनेतर (i से ii)	-	93	93	-	73	-	73	73	-	73	73
	i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	93	93	-	73	-	73	73	-	73	73
	ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	87	87	-	87	-	87	87	-	83	83
	8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. विकाससात्मक प्रयोजन (क + ख)	414	198	612	382	525	1,213	525	1,798	505	2,012	2,517
	10. सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	414	25	439	382	25	1,213	25	1,238	505	1,045	1,550
	1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	396	25	421	382	25	328	25	353	505	1,033	1,538
	2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. आवास	396	25	396	382	25	328	25	328	505	-	505
	6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. सहकारिता	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
मिजोरम

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	872	-	872	-	12	12
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	10	-	10	-	-	-	13	-	13	-	-	-
2. नैऋतिकात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	173	173	-	500	500	-	500	500	-	967	967
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	173	173	-	500	500	-	500	500	-	967	967
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
VII. अल्पबचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	10,145	10,145	-	8,748	8,748	-	8,772	8,772	-	20,000	20,000
1. राज्य भविष्य निधि	-	9,929	9,929	-	8,498	8,498	-	8,498	8,498	-	25,148	25,148
2. अन्य	-	216	216	-	250	250	-	274	274	-	24,898	24,898
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	2,185	2,185	-	1,050	1,050	-	7,400	7,400	-	250	250
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अक्षल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,185	2,185	-	1,050	1,050	-	7,400	7,400	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	23,410	23,410	-	10	10	-	13,122	13,122	-	13,122	13,122
1. सिविल जमा	-	22,441	22,441	-	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	12,000
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	969	969	-	10	10	-	1,122	1,122	-	1,122	1,122
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	624,483	624,483	-	1,400	1,400	-	451,794	451,794	-	451,794	451,794
1. उचित	-	37,470	37,470	-	-	-	-	144,941	144,941	-	144,941	144,941
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	586,001	586,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	305,163	305,163	-	305,163	305,163
4. अन्य	-	1,012	1,012	-	1,400	1,400	-	1,689	1,689	-	1,689	1,689
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	104,668	104,668	-	-	-	-	82,890	82,890	-	82,890	82,890
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	13,134	13,134	-	-	18,523	-	-	23,879	-	-	17,752
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	10,115	10,115	-	-	-13,094	-	-	-23,264	-	-	3,548
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	23,249	23,249	-	-	5,430	-	-	615	-	-	21,300
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	23,249	23,249	-	-	5,430	-	-	615	-	-	21,300
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-5,389	-5,389	-	-	5,430	-	-	615	-	-	21,300
क) अथ शेष	-	-2,270	-2,270	-	-	-8,465	-	-	-7,659	-	-	-7,045
ख) इति शेष	-	-7,659	-7,659	-	-	-3,035	-	-	-7,044	-	-	14,255
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	26,679	26,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	1,959	1,959	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
नागालैंड

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII) कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	81,199	546,973	628,171	83,659	487,480	571,139	109,265	482,338	571,603	133,494	499,926	633,421
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	81,199	17,865	99,064	83,659	21,806	105,465	109,265	22,076	131,340	133,494	27,176	160,671
1. विकास (क + ख)	80,937	1,211	82,148	82,877	381	83,258	108,483	1	108,484	133,494	1	133,495
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	67,166	1,211	68,377	61,182	381	61,563	94,113	1	94,114	89,997	1	89,999
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	29,082	—	29,082	21,484	—	21,484	45,100	—	45,100	42,236	—	42,236
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,702	—	2,702	4,014	—	4,014	4,981	—	4,981	5,960	—	5,960
3. परिवार कल्याण	3,254	—	3,254	3,873	—	3,873	5,025	—	5,025	2,998	—	2,998
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	5,860	—	5,860	1,313	—	1,313	10,048	—	10,048	6,549	—	6,549
6. शहरी विकास	6,362	—	6,362	4,707	—	4,707	7,764	—	7,764	7,946	—	7,946
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9,721	—	9,721	5,737	—	5,737	15,106	—	15,106	16,416	—	16,416
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. अन्य *	636	—	636	1,398	—	1,398	1,715	—	1,715	1,953	—	1,953
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	546	—	546	443	—	443	462	—	462	414	—	414
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (I से XI)	38,084	1,211	39,295	39,698	381	40,079	49,012	1	49,014	47,761	1	47,763
i) फसल उत्पादन	2,696	1,162	3,858	3,598	1	3,599	5,790	1	5,791	9,093	1	9,093
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	903	—	903	1,296	—	1,296	1,613	—	1,613	2,501	—	2,501
iii) पशुपालन	20	—	20	20	—	20	20	—	20	32	—	32
iv) डेरी विकास	379	—	379	353	—	353	500	—	500	57	—	57
v) मत्स्यपालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्य जीवन	184	—	184	184	—	184	280	—	280	194	—	194
vii) बागान	833	—	833	707	—	707	2,218	—	2,218	2,350	—	2,350
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	231	662	893	219	1	220	329	1	330	267	1	269
x) सहकारिता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) अन्य @	146	500	646	819	—	819	830	—	830	3,690	—	3,690
2. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	7,682	—	7,682	9,537	—	9,537	8,747	—	8,747	7,775	—	7,775
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	288	—	288	6	—	6	992	—	992	1,267	—	1,267
6. उद्योग और खनिज (I से iv)	5,027	—	5,027	12,466	—	12,466	12,472	—	12,472	8,400	—	8,400
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,972	49	3,021	2,608	—	2,608	4,940	—	4,940	2,934	—	2,934
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	57	—	57	64	—	64	135	—	135	100	—	100
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	612	—	612	558	—	558	1,599	—	1,599	574	—	574
7. परिवहन (I + ii)	2,304	49	2,352	1,986	—	1,986	3,207	—	3,207	2,260	—	2,260
i) सड़क और पुल	18,798	—	18,798	10,937	380	11,317	15,259	—	15,259	17,767	—	17,767
ii) अन्य **	18,106	—	18,106	10,044	380	10,424	14,344	—	14,344	17,125	—	17,125
8. संचार	692	—	692	893	—	893	915	—	915	642	—	642

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी) नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेख)				2008-09 (बजट अनुमान)				2008-09 (संशोधित अनुमान)				2009-10 (बजट अनुमान)			
	योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल		योजना	योजनेतर	कुल	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	268	-	268		100	-	100		170	-	170		200	-	200	
	352	-	352		447	-	447		543	-	543		328	-	328	
	295	-	295		395	-	395		368	-	368		148	-	148	
	57	-	57		52	-	52		175	-	175		180	-	180	
	13,772	-	13,772		21,695	-	21,695		14,370	-	14,370		43,497	-	43,497	
	-	62500	62500		-	69,399	69,399		-	39,888	39,888		-	75,011	75,011	
	-	7,927	7,927		-	10,146	10,146		-	10,146	10,146		-	13,660	13,660	
	-	801	801		-	1,134	1,134		-	1,110	1,110		-	1,156	1,156	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	1,192	1,192		-	979	979		-	1,589	1,589		-	1,791	1,791	
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सड़कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	-	147	147		-	150	150		-	152	152		-	170	170	
	-	46,249	46,249		-	50,000	50,000		-	20,000	20,000		-	50,000	50,000	
	-	147	147		-	136	136		-	126	126		-	125	125	
	-	6,036	6,036		-	6,855	6,855		-	6,765	6,765		-	8,108	8,108	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	404	404		-	1,986	1,986		-	2,123	2,123		-	2,124	2,124	
	-	35	35		-	1,693	1,693		-	1,732	1,732		-	1,733	1,733	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	30	30		-	7	7		-	43	43		-	43	43	
	-	138	138		-	178	178		-	134	134		-	136	136	
4. योजनेतर (i से ii) i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	-	85	85		-	12	12		-	84	84		-	83	83	
	-	85	85		-	12	12		-	84	84		-	83	83	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	36	36		-	51	51		-	32	32		-	31	31	
	-	80	80		-	44	44		-	99	99		-	98	98	
	261	-	261		782	40	822		782	64	846		-	40	40	
	261	-	261		782	22	804		782	45	827		-	22	22	
	-	-	-		-	22	22		-	45	45		-	22	22	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सड़कारिता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-		-	22	22		-	45	45		-	22	22	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	261	-	261		782	-	782		782	-	782		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
नागालैंड

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	-	-	-	19	19	-	19	19	-	19	19
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	-	-	-	19	19	-	19	19	-	19	19
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	12,244	12,244	-	13,310	13,310	-	13,200	13,200	-	14,220	14,220
1. राज्य भविष्य निधि	-	12,065	12,065	-	13,000	13,000	-	13,000	13,000	-	14,000	14,000
2. अन्य	-	178	178	-	310	310	-	200	200	-	220	220
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	3,040	3,040	-	2,354	2,354	-	2,354	2,354	-	2,520	2,520
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,818	1,818	-	2,054	2,054	-	2,054	2,054	-	2,220	2,220
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,222	1,222	-	300	300	-	300	300	-	300	300
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	13,409	13,409	-	6,000	6,000	-	10,698	10,698	-	12,000	12,000
1. सिविल जमा	-	11,571	11,571	-	5,000	5,000	-	9,698	9,698	-	11,000	11,000
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	1,838	1,838	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	348,407	348,407	-	314,000	314,000	-	314,000	314,000	-	314,000	314,000
1. उचित	-	2,730	2,730	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	325,369	325,369	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	20,308	20,308	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	105,759	105,759	-	80,010	80,010	-	80,010	80,010	-	80,010	80,010
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	42,374	42,374	-	58,766	58,766	-	36,785	36,785	-	73,979	73,979
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-41,243	-41,243	-	-64,519	-64,519	-	-61,436	-61,436	-	-76,272	-76,272
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	1,131	1,131	-	-5,753	-5,753	-	-24,650	-24,650	-	-2,293	-2,293
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग + ख से iii)	-	1,131	1,131	-	-5,753	-5,753	-	-24,650	-24,650	-	-2,293	-2,293
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-16,551	-16,551	-	-5,753	-5,753	-	-24,650	-24,650	-	-2,293	-2,293
क) अथ शेष	-	-28,146	-28,146	-	-36,824	-36,824	-	-22,481	-22,481	-	-47,131	-47,131
ख) इति शेष	-	-44,697	-44,697	-	-42,577	-42,577	-	-47,132	-47,132	-	-49,424	-49,424
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	8,150	8,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	9,532	9,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उड़ीसा

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	295,680	8,409,998	8,705,678	295,750	2,507,836	2,803,586	311,423	2,747,984	3,059,408	358,960	2,845,347	3,204,307
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	295,680	216,426	512,106	295,750	228,444	524,194	311,423	221,144	532,567	358,960	28,876	387,836
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	265,619	18,722	284,341	287,898	14,065	301,963	305,769	20,193	325,962	357,030	2,404	359,433
1. विकास (क + ख)	256,044	15,061	271,105	278,753	9,804	288,557	296,097	11,084	307,181	342,309	-33	342,276
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	62,205	2,123	64,328	71,284	1,461	72,745	74,887	2,661	77,348	67,608	312	67,920
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	579	-	579	327	-	327	730	-	730	9,940	-	9,940
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,038	-	2,038	2,328	-	2,328	1,863	-	1,863	2,588	-	2,588
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	43,375	700	44,075	52,333	600	52,933	51,543	600	52,143	36,204	-	36,204
5. आवास	5,820	1,423	7,242	7,826	861	8,687	7,565	2,061	9,626	6,237	312	6,549
6. शहरी विकास	1,530	-	1,530	587	-	587	787	-	787	1,173	-	1,173
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8,863	-	8,863	7,633	-	7,633	11,949	-	11,949	11,038	-	11,038
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. अन्य *	-	-	-	250	-	250	250	-	250	428	-	250
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	193,839	12,939	206,778	207,469	8,343	215,812	221,410	8,423	229,833	274,701	-345	274,356
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	2,166	2,765	4,931	3,360	-	3,360	2,645	-	2,645	5,894	-540	5,354
i) फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	32	-	32	359	-	359	359	-	359	758	-	758
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,480	2,765	4,246	1,780	-	1,780	1,686	-	1,686	2,310	-540	1,770
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	100	-	100	25	-	25	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	553	-	553	1,196	-	1,196	600	-	600	226	-	226
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	141,263	-	141,263	139,644	-	139,644	152,612	-	152,612	176,977	72	177,049
5. ऊर्जा	3,044	-	3,044	10	-	10	1	-	1	900	-	900
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	3,025	-	3,025	10	-	10	10	-	10	5	-	5
7. परिवहन (i + ii)	46,201	10,161	56,363	61,490	8,325	69,815	58,424	8,405	66,829	88,380	100	88,480
i) सड़क और पुल	44,924	10,161	55,085	60,925	8,325	69,250	57,850	8,405	66,255	87,655	100	87,755
ii) अन्य **	1,277	-	1,277	565	-	565	574	-	574	725	-	725
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(लाख रुपए)

परिशिष्ट IV

(लाख रुपए)

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उड़ीसा

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1,801	-	1,801
8. अन्य उद्योग और खनिज	9,370	-	9,370	-	-	-	-	4,190	4,190	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	68	-	68	101	-	101	101	2,309	2,410	-	1,000	1,000
2. नैऋतिकासक प्रयोजन (क + ख)	-	11,461	11,461	-	22,952	22,952	-	16,603	16,603	-	18,750	18,750
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	493	493	-	952	952	-	1,152	1,152	-	1,217	1,217
ख) विविध	-	10,968	10,968	-	22,000	22,000	-	15,451	15,451	-	17,533	17,533
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	5,134	5,134	-	15,000	15,000	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	170,454	170,454	-	166,824	166,824	-	166,824	166,824	-	204,976	204,976
1. राज्य भविष्य निधि	-	169,973	169,973	-	166,504	166,504	-	166,504	166,504	-	204,503	204,503
2. अन्य	-	481	481	-	320	320	-	320	320	-	473	473
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	111,771	111,771	-	138,342	138,342	-	299,211	299,211	-	224,821	224,821
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	70,002	70,002	-	30,000	30,000	-	-	-	-	148,637	148,637
3. अक्षाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	41,769	41,769	-	108,342	108,342	-	299,211	299,211	-	76,184	76,184
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	248,402	248,402	-	384,448	384,448	-	430,796	430,796	-	500,570	500,570
1. सिविल जमा	-	179,160	179,160	-	176,848	176,848	-	176,848	176,848	-	182,458	182,458
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	61,945	61,945	-	47,407	47,407	-	47,407	47,407	-	62,172	47,407
3. सिविल अग्रिम	-	7,297	7,297	-	6,520	6,520	-	6,520	6,520	-	7,482	7,482
4. अन्य	-	-	-	-	153,673	153,673	-	200,022	200,022	-	248,458	248,458
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	7,201,530	7,201,530	-	1,252,772	1,252,772	-	1,243,001	1,243,001	-	1,328,472	1,328,472
1. उचित	-	-6,869	-6,869	-	1,310	1,310	-	1,310	1,310	-	2,091	2,091
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	7,204,650	7,204,650	-	1,248,759	1,248,759	-	1,238,989	1,238,989	-	1,175,034	1,175,034
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	3,750	3,750	-	2,703	2,703	-	2,703	2,703	-	151,347	151,347
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	456,281	456,281	-	322,007	322,007	-	322,007	322,007	-	517,632	517,632
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	424,392	424,392	-	-	56,387	-	-	76,023	-	-	-236,910
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-367,546	-367,546	-	-	2,372	-	-	-27,034	-	-	91,630
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	56,846	56,846	-	-	58,759	-	-	48,989	-	-	-145,280
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	56,846	56,846	-	-	58,759	-	-	48,989	-	-	-145,280
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-67,338	-67,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-16,584	-16,584	-	-	-14,893	-	-	-84,345	-	-	-84,345
ख) इति शेष	-	-83,921	-83,921	-	-	-14,893	-	-	-84,345	-	-	-84,345
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	124,184	124,184	-	-	58,759	-	-	48,989	-	-	-145,280
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	191,944	3,753,782	3,945,726	355,509	16,065,117	16,420,626	434,834	9,816,310	10,251,144	327,117	10,213,061	10,540,178
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	191,944	153,867	345,812	355,509	121,313	476,822	434,834	173,253	608,088	327,117	210,834	537,752
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	191,944	27,216	219,160	354,839	26,894	381,674	434,834	31,585	466,419	327,017	27,998	355,015
1. विकास (क + ख)	185,967	19,671	205,638	344,275	14,608	358,883	423,717	19,930	443,646	313,692	16,899	330,591
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	44,854	4,154	49,008	130,041	1,407	131,449	188,007	1,407	189,414	165,507	1,544	167,050
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,377	1	5,379	32,075	6	32,081	52,562	6	52,568	35,081	6	35,088
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	326	156	482	6,872	732	7,604	15,737	732	16,469	12,429	732	13,161
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	15,473	61	15,533	39,580	300	39,880	27,758	300	28,058	45,411	300	45,711
5. आवास	3,465	20	3,485	774	20	794	100	20	120	201	20	221
6. शहरी विकास	19,870	3,915	23,785	42,795	344	43,139	85,905	344	86,249	65,475	344	65,819
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	—	—	500	4	504	—	4	4	500	—	500
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	—	1	1	75	—	75	25	—	25	163	41	204
9. अन्य *	343	—	343	7,369	1	7,370	5,921	1	5,922	6,247	100	6,347
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	141,113	15,517	156,630	214,234	13,200	227,434	235,710	18,523	254,232	148,186	15,355	163,541
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	401	97	499	2,958	103	3,060	3,004	962	3,966	2,397	102	2,498
i) फसल उत्पादन	—	54	54	70	100	170	10	100	110	—	100	100
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	468	1	469	1,078	2	1,080	948	2	950	1,051	2	1,052
iii) पशुपालन	19	—	19	755	—	755	996	—	996	1,276	—	1,276
iv) डेरी विकास	-17	-3	-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	20
vi) वानिकी और वन्य जीवन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	45	45	—	1	1	—	860	860	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) संस्कारिता	-69	—	-69	1,055	—	1,055	1,050	—	1,050	50	—	50
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	6,148	3,981	10,129	12,330	4,250	16,580	17,806	4,500	22,306	10,781	4,350	15,131
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	30,226	10,841	41,067	37,018	8,254	45,272	70,060	11,103	81,163	56,031	10,253	66,284
5. ऊर्जा	4,414	—	4,414	10,157	—	10,157	35	—	35	35	—	35
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	—	8	8	7,700	18	7,718	7,001	17	7,017	5,850	28	5,878
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	—	8	8	7,700	18	7,718	7,001	17	7,017	5,850	28	5,878
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (i + ii)	89,653	590	90,243	126,518	575	127,093	114,959	1,940	116,899	51,143	621	51,763
i) सड़क और पुल	59,276	—	59,276	124,290	—	124,290	98,084	—	98,084	49,730	—	49,730
ii) अन्य **	30,377	590	30,967	2,228	575	2,803	16,875	1,940	18,815	1,413	621	2,033
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पंजाब

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1												
9. विमान, औद्योगिकी और पर्यावरण	-275	-	-275	1,333	-	1,333	3,206	-	3,206	846	-	846
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	10,545	-	10,545	16,220	1	16,222	19,639	1	19,640	21,104	1	21,105
i) पर्यटन	359	-	359	1,430	-	1,430	2,188	-	2,188	1,782	-	1,782
ii) अन्य @	10,186	-	10,186	14,790	1	14,792	17,451	1	17,453	19,321	1	19,322
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	5,977	7,545	13,522	10,564	12,227	22,791	11,117	11,655	22,773	13,325	11,100	24,424
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	174,940	174,940	-	221,870	221,870	-	218,027	218,027	-	613,558	613,558
1. बाजार ऋण	-	32,759	32,759	-	37,333	37,333	-	41,572	41,572	-	62,393	62,393
2. एलआईसी से ऋण	-	95	95	-	95	95	-	95	95	-	88	88
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	48,756	48,756	-	53,142	53,142	-	53,141	53,141	-	57,839	57,839
4. नाबार्ड से ऋण	-	15,898	15,898	-	17,469	17,469	-	20,400	20,400	-	23,000	23,000
5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	38,843	38,843	-	100,000	100,000	-	50,000	50,000	-	400,000	400,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	26,559	26,559	-	4,320	4,320	-	40,321	40,321	-	57,196	57,196
8. अन्य	-	12,030	12,030	-	9,510	9,510	-	12,497	12,497	-	13,042	13,042
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	6,373	6,373	-	3,187	3,187	-	6,373	6,373	-	6,373	6,373
i) प्रकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	6,373	6,373	-	3,187	3,187	-	6,373	6,373	-	6,373	6,373
ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	3,258	3,258	-	3,22	3,22	-	3,22	3,22	-	286	286
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	-	3,485	3,485	670	3,015	3,685	-	4,006	4,006	100	4,212	4,312
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	1,022	1,022	670	-	670	-	1,550	1,550	100	1,452	1,552
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सस्कारी कर्मचारी (आवास)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	-	1,022	1,022	670	-	670	-	1,550	1,550	100	1,452	1,552
1. फसल उत्पादन	-	352	352	100	-	100	-	-	-	100	-	100
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	570	-	570	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सस्कारिता	-	670	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पंजाब

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	1,550	1,550	-	1,452	1,452
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	2,463	2,463	-	3,015	3,015	-	2,456	2,456	-	2,760	2,760
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	2,463	2,463	-	3,015	3,015	-	2,456	2,456	-	2,760	2,760
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकाशिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	123,887	123,887	-	128,737	128,737	-	117,522	117,522	-	116,898	116,898
1. राज्य भविष्य निधि	-	122,226	122,226	-	127,133	127,133	-	115,778	115,778	-	115,067	115,067
2. अन्य	-	1,661	1,661	-	1,604	1,604	-	1,744	1,744	-	1,831	1,831
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	20,347	20,347	-	55,500	55,500	-	23,264	23,264	-	28,560	28,560
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	8,039	8,039	-	7,831	7,831	-	8,465	8,465
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	1,000	1,000
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	20,347	20,347	-	42,461	42,461	-	15,433	15,433	-	19,095	19,095
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	270,843	270,843	-	209,919	209,919	-	353,165	353,165	-	353,165	353,165
1. सिविल जमा	-	245,008	245,008	-	206,834	206,834	-	317,777	317,777	-	317,777	317,777
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	4	4	-	7	7	-	13	13	-	13	13
3. सिविल अग्रिम	-	3,445	3,445	-	3,079	3,079	-	3,500	3,500	-	3,500	3,500
4. अन्य	-	22,386	22,386	-	-	-	-	31,875	31,875	-	31,875	31,875
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	2,906,161	2,906,161	-	15,263,699	15,263,699	-	8,877,565	8,877,565	-	8,877,565	8,877,565
1. उचित	-	28,476	28,476	-	27,702	27,702	-	67,314	67,314	-	67,314	67,314
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	1,612,186	1,612,186	-	1,770,353	1,770,353	-	1,569,862	1,569,862	-	1,569,862	1,569,862
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	12,264,095	12,264,095	-	5,646,269	5,646,269	-	5,646,269	5,646,269
4. अन्य	-	1,265,498	1,265,498	-	1,201,549	1,201,549	-	1,594,120	1,594,120	-	1,594,120	1,594,120
XI. आकाशिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	191,079	191,079	-	132,807	132,807	-	168,400	168,400	-	168,400	168,400
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग + ख + ग + घ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग + ख + ग + घ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राजस्थान

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	585,370	12,461,099	13,046,469	635,610	8,097,103	8,732,712	654,008	16,205,597	16,859,605	776,365	11,379,066	12,155,431
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छड़कर) \$	585,370	277,614	862,984	635,610	246,056	881,665	654,008	225,316	879,324	776,365	229,710	1,006,075
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	561,127	94,428	655,555	625,613	1,627	627,240	618,131	-19,569	598,562	753,598	-67,175	686,423
1. विकास (क + ख)	554,609	2,499	557,108	618,893	1,613	620,506	610,198	1,617	611,815	737,167	1,591	738,758
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	277,533	2,498	280,031	311,995	1,612	313,607	307,434	1,612	309,046	360,839	1,590	362,429
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,129	-	7,129	8,086	-	8,086	5,080	-	5,080	6,549	-	6,549
2. निरक्षरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,568	-	9,568	2,579	-	2,579	2,754	-	2,754	4,266	-	4,266
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	191,738	1,765	193,503	225,716	1,612	227,328	216,577	1,612	218,189	273,491	1,590	275,081
5. आवास	326	733	1,058	1,097	-	1,097	484	-	484	735	-	735
6. शहरी विकास	52,965	-	52,965	60,789	-	60,789	67,258	-	67,258	60,554	-	60,554
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,351	-	11,351	8,464	-	8,464	12,966	-	12,966	13,618	-	13,618
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,171	-	1,171	1,146	-	1,146	1,342	-	1,342	1,244	-	1,244
9. अन्य *	3,286	-	3,286	4,119	-	4,119	973	-	973	382	-	382
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	277,076	1	277,077	306,898	1	306,899	302,765	5	302,770	376,329	1	376,330
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	8,544	-	8,544	11,917	-	11,917	17,669	-	17,669	27,102	-	27,102
i) फसल उत्पादन	375	-	375	594	-	594	8,604	-	8,604	12,545	-	12,545
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	2,361	-	2,361	2,821	-	2,821	3,584	-	3,584	1,653	-	1,653
iii) पशुपालन	61	-	61	100	-	100	50	-	50	50	-	50
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	36	-	36	12	-	12	17	-	17	21	-	21
vi) वनिकी और वन्य जीवन	3,209	-	3,209	6,426	-	6,426	2,973	-	2,973	9,740	-	9,740
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	50	-	50	69	-	69	65	-	65	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	442	-	442	320	-	320	261	-	261	-	-	-
x) सहकारिता	2,010	-	2,010	1,575	-	1,575	2,115	-	2,115	3,093	-	3,093
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	23,033	-	23,033	20,450	-	20,450	18,351	-	18,351	18,850	-	18,850
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9,152	-	9,152	7,197	-	7,197	10,616	-	10,616	9,603	-	9,603
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	87,806	-	87,806	106,667	-	106,667	87,794	-	87,794	107,111	-	107,111
5. ऊर्जा	106,300	-	106,300	123,600	-	123,600	133,600	-	133,600	154,000	-	154,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,162	-	2,162	1,247	-	1,247	1,619	-	1,619	792	-	792
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	122	-	122	157	-	157	154	-	154	160	-	160
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	485	-	485	107	-	107	332	-	332	510	-	510
iv) अन्य #	1,555	-	1,555	983	-	983	1,133	-	1,133	122	-	122
7. परिवहन (i + ii)	35,456	-	35,456	28,149	-	28,149	29,151	-	29,151	50,920	-	50,920
i) सड़क और पुल	35,456	-	35,456	28,149	-	28,149	28,969	-	28,969	50,920	-	50,920
ii) अन्य **	-	-	-	-	-	-	182	-	182	-	-	-
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	12	-	12	-	-	-	325	-	325	250	-	250
	4,609	1	4,610	7,671	1	7,672	3,640	5	3,645	7,701	1	7,702
	1,303	-	1,303	2,176	-	2,176	1,635	-	1,635	1,896	-	1,896
	3,305	1	3,306	5,494	1	5,495	2,005	5	2,010	5,805	1	5,806
	6,518	91,929	98,447	6,720	14	6,734	7,933	-21,186	-13,253	16,431	-68,766	-52,335
	-	146,455	146,455	-	213,843	213,843	-	204,061	204,061	-	254,440	254,440
	-	75,389	75,389	-	116,013	116,013	-	116,014	116,014	-	138,864	138,864
	-	18,518	18,518	-	18,512	18,512	-	18,512	18,512	-	18,500	18,500
	-	5,821	5,821	-	12,061	12,061	-	12,061	12,061	-	18,889	18,889
	-	815	815	-	852	852	-	1,068	1,068	-	1,198	1,198
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	-	5,921	5,921	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
	-	32,738	32,738	-	49,728	49,728	-	49,728	49,728	-	70,355	70,355
	-	7,253	7,253	-	6,678	6,678	-	6,678	6,678	-	6,634	6,634
	-	3,688	3,688	-	3,688	3,688	-	3,688	3,688	-	3,688	3,688
	-	38,126	38,126	-	39,585	39,585	-	39,200	39,200	-	40,282	40,282
	-	36,231	36,231	-	37,630	37,630	-	37,261	37,261	-	38,303	38,303
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3	3	-	2	2	-	2	2	-	2	2
	-	1,258	1,258	-	1,324	1,324	-	1,306	1,306	-	1,347	1,347
	-	633	633	-	630	630	-	631	631	-	630	630
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	-	633	633	-	630	630	-	631	631	-	630	630
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2) 1. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य	24,243	4,526	28,769	9,997	1,000	10,997	35,877	1,624	37,501	22,767	2,163	24,930
	24,243	4,526	28,769	9,997	1,000	10,997	35,877	1,624	37,501	22,767	2,163	24,930
	376	1,025	1,401	75	1,000	1,075	55	1,314	1,369	85	1,348	1,433
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएँ (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सहकारिता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	376	1,025	1,401	75	1,000	1,075	55	1,302	1,357	85	1,348	1,433
	23,867	3,501	27,368	9,922	-	9,922	35,822	310	36,133	22,682	815	23,497
	4,000	6	4,006	4,000	15	4,000	5,500	15	5,515	1,800	15	1,815
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	-	183	253	-	253	154	-	154	-	-	-
	2,514	94	2,608	5,669	275	5,669	4,907	275	5,182	3,882	800	4,682
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17,095	-	17,095	-	-	-	25,000	-	25,000	17,000	-	17,000

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	75	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	3,401	3,401	-	-	-	262	20	262	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नैऋतिकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. राज्य भविष्य निधि	-	172,513	172,513	-	172,853	172,853	-	168,361	168,361	-	174,457	174,457
2. अन्य	-	119,225	119,225	-	115,001	115,001	-	110,017	110,017	-	110,576	110,576
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	53,287	53,287	-	57,852	57,852	-	58,344	58,344	-	63,881	63,881
2. ऋणशोधन निधियां	-	104,885	104,885	-	125,612	125,612	-	248,958	248,958	-	303,627	303,627
3. अक्षल राहत कोष	-	35,000	35,000	-	1,640	1,640	-	1,540	1,540	-	4,000	4,000
4. अन्य	-	69,885	69,885	-	1,433	1,433	-	1,434	1,434	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	6,672,207	6,672,207	-	6,550,146	6,550,146	-	8,508,504	8,508,504	-	9,533,251	9,533,251
1. सिविल जमा	-	491,860	491,860	-	499,128	499,128	-	594,227	594,227	-	654,475	654,475
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	5,742,230	5,742,230	-	5,509,017	5,509,017	-	7,195,885	7,195,885	-	8,014,521	8,014,521
3. सिविल अग्रिम	-	2,686	2,686	-	5,013	5,013	-	4,006	4,006	-	4,005	4,005
4. अन्य	-	435,431	435,431	-	536,988	536,988	-	714,386	714,386	-	860,250	860,250
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	4,709,905	4,709,905	-	560,731	560,731	-	6,476,753	6,476,753	-	476,816	476,816
1. उचित	-	15,512	15,512	-	8,662	8,662	-	18,083	18,083	-	18,084	18,084
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	4,691,518	4,691,518	-	550,000	550,000	-	6,455,538	6,455,538	-	455,600	455,600
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,874	2,874	-	2,069	2,069	-	3,132	3,132	-	3,132	3,132
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	16,500	16,500	-	16,500	16,500	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	518,056	518,056	-	415,205	415,205	-	561,205	561,205	-	661,205	661,205
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	165,298	165,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	97,438	97,438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	262,736	262,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	262,736	262,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-92,128	-92,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-866	-866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-92,994	-92,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	348,943	348,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	5,921	5,921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	165,298	165,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	97,438	97,438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	262,736	262,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	262,736	262,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-92,128	-92,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-866	-866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-92,994	-92,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	348,943	348,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	5,921	5,921	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

सिक्किम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	41,547	275,011	316,558	82,768	219,234	302,002	93,460	283,783	377,243	87,914	221,127	309,041
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	41,547	5,557	47,104	82,768	7,787	90,555	93,460	7,987	101,447	87,914	8,653	96,567
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	41,547	-	41,547	82,768	-	82,768	93,460	-	93,460	85,896	-	85,896
1. विकास (क + ख)	37,619	-	37,619	76,778	-	76,778	84,644	-	84,644	74,395	-	74,395
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	13,542	-	13,542	25,487	-	25,487	28,169	-	28,169	34,665	-	34,665
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,972	-	1,972	3,333	-	3,333	3,758	-	3,758	3,915	-	3,915
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	250	-	250	762	-	762	956	-	956	956	-	956
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5718	-	5718	12422	-	12422	14143	-	14143	9541	-	9541
5. आवास	3,949	-	3,949	5,749	-	5,749	5,745	-	5,745	4,483	-	4,483
6. शहरी विकास	971	-	971	2,455	-	2,455	2,631	-	2,631	14,787	-	14,787
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	125	-	125	219	-	219	289	-	289	175	-	175
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	557	-	557	547	-	547	547	-	547	708	-	708
9. अन्य *	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-	100
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	24,078	-	24,078	51,291	-	51,291	56,475	-	56,475	39,731	-	39,731
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (I से XI)	716	-	716	914	-	914	930	-	930	774	-	774
i) फसल उत्पादन	310	-	310	210	-	210	260	-	260	95	-	95
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	83	-	83	75	-	75	55	-	55	6	-	6
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	35	-	35	65	-	65	65	-	65	44	-	44
vi) वानिकी और वन्य जीवन	234	-	234	472	-	472	458	-	458	546	-	546
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	53	-	53	64	-	64	64	-	64	73	-	73
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
xi) अन्य @	-	-	-	28	-	28	28	-	28	9	-	9
2. ग्रामीण विकास	3,822	-	3,822	4,216	-	4,216	4,624	-	4,624	3,000	-	3,000
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,280	-	2,280	422	-	422	1,059	-	1,059	1,000	-	1,000
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	282	-	282	673	-	673	673	-	673	521	-	521
5. ऊर्जा	4,752	-	4,752	14,283	-	14,283	14,703	-	14,703	7,900	-	7,900
6. उद्योग और खनिज (I से iv)	260	-	260	1,533	-	1,533	1,563	-	1,563	461	-	461
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	130	-	130	1,320	-	1,320	1,320	-	1,320	330	-	330
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1
iv) अन्य #	130	-	130	212	-	212	242	-	242	130	-	130
7. परिवहन (I + ii)	8,469	-	8,469	18,307	-	18,307	21,603	-	21,603	19,823	-	19,823
i) सड़क और पुल	7,851	-	7,851	15,742	-	15,742	16,538	-	16,538	14,728	-	14,728
ii) अन्य **	618	-	618	2,565	-	2,565	5,065	-	5,065	5,095	-	5,095
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

सिक्किम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	184	-	184	240	-	240	190	-	190	112	-	112
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	3,313	-	3,313	10,703	-	10,703	11,130	-	11,130	6,140	-	6,140
i) पर्यटन	3,313	-	3,313	10,703	-	10,703	11,130	-	11,130	6,140	-	6,140
ii) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	3,928	-	3,928	5,990	-	5,990	8,816	-	8,816	11,501	-	11,501
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	4,246	4,246	-	6,346	6,346	-	6,346	6,346	-	7,059	7,059
1. बाजार ऋण	-	2,565	2,565	-	4,516	4,516	-	4,516	4,516	-	5,101	5,101
2. एलआईसी से ऋण	-	404	404	-	554	554	-	554	554	-	631	631
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	208	208	-	398	398	-	398	398	-	471	471
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	156	156	-	203	203	-	203	203	-	203	203
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	913	913	-	675	675	-	675	675	-	653	653
8. अन्य	-	717	717	-	478	478	-	478	478	-	478	478
जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	-	1,310	1,310	-	1,416	1,416	-	1,416	1,416	-	1,564	1,564
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	1,121	1,121	-	1,251	1,251	-	1,251	1,251	-	1,378	1,378
1. राज्य योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	104	104	-	79	79	-	79	79	-	98	98
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	22	22	-	22	22	-	22	22	-	19	19
4. योजनेतर (i से ii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	22	22	-	22	22	-	22	22	-	19	19
ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	14	14
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	55	55	-	55	55	-	55	55	-	55	55
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	-	-	-	-	25	25	-	225	225	2,018	30	2,048
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	-	-	-	15	15	-	215	215	2,018	20	2,038
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	-	-	-	-	15	15	-	215	215	515	20	535
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सार्वजनिक कर्मचारी (आवास)	-	-	-	-	15	15	-	15	15	-	20	20
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,503	-	1,503
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
सिक्किम

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नैऋतिकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	10	10
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अत्यंत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	7,025	7,025	-	7,469	7,469	-	7,469	7,469	-	8,076	8,076
1. राज्य भविष्य निधि	-	6,972	6,972	-	7,400	7,400	-	7,400	7,400	-	8,000	8,000
2. अन्य	-	53	53	-	69	69	-	69	69	-	76	76
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	4,313	4,313	-	3,471	3,471	-	5,821	5,821	-	5,070	5,070
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	1,173	1,173	-	1,173	1,173	-	1,173	1,173	-	1,200	1,200
3. अक्षय राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	3,140	3,140	-	2,298	2,298	-	4,648	4,648	-	3,870	3,870
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	2,329	2,329	-	2,464	2,464	-	2,464	2,464	-	2,425	2,425
1. सिविल जमा	-	2,329	2,329	-	2,464	2,464	-	2,464	2,464	-	2,425	2,425
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	204,325	204,325	-	152,398	152,398	-	214,347	214,347	-	143,646	143,646
1. उचित	-	43	43	-	6	6	-	6	6	-	41	41
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	87,811	87,811	-	40,000	40,000	-	101,950	101,950	-	24,000	24,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	116,471	116,471	-	112,392	112,392	-	112,391	112,391	-	119,605	119,605
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	51,463	51,463	-	45,645	45,645	-	45,645	45,645	-	53,257	53,257
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	35,084	35,084	-	45,245	45,245	-	59,173	59,173	-	42,210	42,210
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-10,320	-10,320	-	-45,284	-45,284	-	-58,167	-58,167	-	-52,289	-52,289
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	24,764	24,764	-	-39	-39	-	1,006	1,006	-	-10,079	-10,079
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग + इ से iii)	-	24,764	24,764	-	-39	-39	-	1,006	1,006	-	-10,079	-10,079
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	1,464	1,464	-	-39	-39	-	1,006	1,006	-	-183	-183
क) अथ शेष	-	6,419	6,419	-	6,466	6,466	-	7,883	7,883	-	8,888	8,888
ख) इति शेष	-	7,883	7,883	-	6,427	6,427	-	8,888	8,888	-	8,705	8,705
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	23,300	23,300	-	-	-	-	-	-	-	-9,896	-9,896
से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	740,800	15,954,628	16,695,428	954,439	12,845,654	13,800,093	924,391	14,362,235	15,286,626	1,042,124	13,328,847	14,370,971
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	740,800	536,547	1,277,347	954,439	365,783	1,320,222	924,391	365,039	1,289,430	1,042,124	391,188	1,433,312
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	725,876	20,347	746,223	919,480	17,813	937,293	894,885	5,128	890,014	994,881	12,307	1,007,188
1. विकास (क + ख)	715,101	3,420	718,521	886,563	492	887,055	880,957	215	881,172	950,355	278	950,632
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	123,859	27	123,886	231,671	516	232,187	191,725	394	192,118	279,195	324	279,520
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	22,223	3	22,225	23,137	15	23,152	13,987	-	13,987	30,379	-	30,379
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,416	-	7,416	23,448	-	23,448	9,873	-	9,873	37,055	-	37,055
3. परिवार कल्याण	2,164	-	2,164	11,951	-	11,951	4,587	-	4,587	16,053	-	16,053
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	61,156	-	61,156	71,747	-	71,747	55,365	-	55,365	101,300	-	101,300
5. आवास	2,627	-	2,627	8,176	-	8,176	6,885	-	6,885	48,862	-	48,862
6. शहरी विकास	16,715	-112	16,603	77,657	-	77,657	81,543	-	81,543	31,053	-	31,053
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,250	-	10,250	13,653	-	13,653	13,483	-	13,483	13,248	-	13,248
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	169	-	169	462	-	462	309	-	309	763	-	763
9. अन्य *	1,140	137	1,276	1,440	501	1,941	569,154	394	6,085	481	324	806
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	591,242	3,392	594,635	654,892	-24	654,868	669,232	-178	669,054	671,159	-47	671,113
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	154,778	2,842	157,620	125,489	-235	125,254	133,618	-200	133,418	116,382	-100	116,282
i) फसल उत्पादन	9	15	24	292	-	292	363	-	363	375	100	475
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	4,798	-	4,798	8,150	-	8,150	8,053	-	8,053	5,290	-	5,290
iii) पशुपालन	980	-	980	53	-	53	465	-	465	175	-	175
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	1,063	-	1,063	2,019	-	2,019	4,522	-	4,522	6,225	-	6,225
vi) वानिकी और वन्य जीवन	11,999	-	11,999	11,469	-	11,469	15,088	-	15,088	8,046	-	8,046
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	493	-	493	33	-	33	33	-	33	35	-	35
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	195	-	195	205	-	205	205	-	205	205	-	205
x) सहकारिता	135,003	2,827	137,829	102,540	-235	102,305	103,931	-200	103,731	95,777	-200	95,577
xi) अन्य @	238	-	238	728	-	728	959	-	959	254	-	254
2. ग्रामीण विकास	100,384	-36	100,348	107,089	-	107,089	131,181	-	131,181	118,578	-	118,578
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,177	-	3,177	3,029	-	3,029	4,215	-	4,215	4,190	-	4,190
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	3,177	-	3,177	3,029	-	3,029	4,215	-	4,215	4,190	-	4,190
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	36,528	-	36,528	97,074	-	97,074	50,208	-	50,208	97,441	-	97,441
5. ऊर्जा	49,000	-	49,000	10,000	-	10,000	67,050	-	67,050	10,000	-	10,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	15,411	575	15,986	226	-	226	226	-	226	120	-	120
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	304	25	329	90	-	90	90	-	90	-	-	-
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	15,107	550	15,657	136	-	136	136	-	136	120	-	120
7. परिवहन (i + ii)	230,718	10	230,728	310,685	210	310,895	281,330	21	281,351	323,110	52	323,162
i) सड़क और पुल	217,205	10	217,215	292,635	210	292,845	263,779	21	263,800	310,610	52	310,662
ii) अन्य **	13,513	-	13,513	18,050	-	18,050	17,551	-	17,551	12,500	-	12,500
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,246	1	1,247	1,300	1	1,301	1,404	1	1,404	1,340	1	1,341
	1,246	—	1,246	1,300	—	1,300	1,404	—	1,404	1,340	—	1,340
	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1
	10,775	16,927	27,702	32,917	17,321	50,238	23,929	4,913	28,842	44,526	12,030	56,556
	—	323,527	323,527	—	336,404	336,404	—	239,877	239,877	—	368,016	368,016
	—	81,528	81,528	—	80,704	80,704	—	80,695	80,695	—	87,637	87,637
	—	7,550	7,550	—	7,550	7,550	—	7,550	7,550	—	7,550	7,550
	—	1,593	1,593	—	1,716	1,716	—	1,716	1,716	—	1,850	1,850
	—	68,787	68,787	—	43,763	43,763	—	47,214	47,214	—	48,643	48,643
II. गैर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सस्कारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य	—	1,441	1,441	—	1,445	1,445	—	1,502	1,502	—	1,465	1,465
	—	—	—	—	150,000	150,000	—	—	50,000	—	150,000	150,000
	—	131,592	131,592	—	23,403	23,403	—	23,403	23,403	—	42,330	42,330
	—	31,036	31,036	—	27,823	27,823	—	27,797	27,797	—	28,541	28,541
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	31,034	31,034	—	32,413	32,413	—	31,922	31,922	—	33,316	33,316
	—	29,657	29,657	—	31,023	31,023	—	30,530	30,530	—	31,897	31,897
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	123	123	—	123	123	—	123	123	—	123	123
	—	719	719	—	745	745	—	752	752	—	765	765
III. केंद्र को ऋणों को चुकौती (1 से 7) जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना 2. केन्द्रीय योजना स्कीम 3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें 4. योजनेतर (i से ii) i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	123	123	—	123	123	—	123	123	—	123	123
	—	534	534	—	522	522	—	517	517	—	531	531
	—	534	534	—	522	522	—	517	517	—	531	531
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2) 1. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सस्कारिता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	14,924	163,232	178,156	34,959	130,869	165,828	39,506	139,827	179,333	47,243	129,398	176,641
	14,845	161,258	176,103	34,799	128,421	163,220	39,416	136,589	176,005	47,153	126,785	173,938
	5,089	26,540	31,629	17,125	15,921	33,046	19,793	19,450	39,243	32,106	16,785	48,891
	—	250	250	—	250	250	—	250	250	—	250	250
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	5,132	5,132	—	4,821	4,821	—	4,821	4,821	—	4,534	4,534
	—	16,889	16,889	—	650	650	—	1	1	—	1	1
	—	4,264	4,264	—	10,200	10,200	—	10,200	10,200	—	12,000	12,000
	5,089	5	5,094	17,125	17,125	17,125	19,793	4,178	23,971	32,106	—	32,106
V. अन्य 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सस्कारिता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	9,757	134,717	144,474	17,674	112,500	130,174	19,623	117,139	136,762	15,047	110,000	125,047
	—	3,000	3,000	—	—	—	—	4,000	4,000	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	90,000	90,000	—	90,000	90,000	—	90,000	90,000	—	90,000	90,000
	129	74	203	60	—	60	1,060	50	1,109	1,416	—	1,416
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	492	492	—	—	—	—	26	26	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
तमिलनाडु

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	10	1,218	1,228	-	-	-	263	-	263	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	36,617	36,617	-	20,000	20,000	-	12,500	12,500	-	20,000	20,000
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	9,619	3,316	12,935	17,614	2,500	20,114	18,300	10,563	28,863	13,631	-	13,631
2. नैऋत-विकासक प्रयोजन (क + ख)	79	1,974	2,053	160	2,448	2,608	90	3,238	3,328	90	2,613	2,703
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	21	1,974	1,995	100	2,448	2,548	50	3,238	3,288	50	2,613	2,663
ख) विविध	58	-	58	60	-	60	40	1	41	40	1	41
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकांक्षिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	309,295	309,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. राज्य भविष्य निधि	-	301,898	301,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य	-	7,397	7,397	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	246,399	246,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	51,883	51,883	-	92,347	92,347	-	88,507	88,507	-	47,623	47,623
3. अक्षाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	194,516	194,516	-	42,617	42,617	-	412,107	412,107	-	309,730	309,730
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,377,370	1,377,370	-	1,064,755	1,064,755	-	1,189,259	1,189,259	-	1,187,216	1,187,216
1. सिविल जमा	-	1,023,238	1,023,238	-	779,792	779,792	-	829,734	829,734	-	781,947	781,947
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	187,585	187,585	-	164,671	164,671	-	189,127	189,127	-	189,127	189,127
3. सिविल अग्रिम	-	9,063	9,063	-	9,194	9,194	-	9,203	9,203	-	9,220	9,220
4. अन्य	-	157,484	157,484	-	111,098	111,098	-	161,196	161,196	-	206,923	206,923
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	13,247,685	13,247,685	-	10,607,370	10,607,370	-	11,655,284	11,655,284	-	10,702,457	10,702,457
1. उचित	-	340,058	340,058	-	-252,512	-252,512	-	-355,480	-355,480	-	-355,480	-355,480
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	8,745,185	8,745,185	-	6,909,980	6,909,980	-	7,743,006	7,743,006	-	6,790,180	6,790,180
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	4,162,442	4,162,442	-	3,949,902	3,949,902	-	4,267,758	4,267,758	-	4,267,758	4,267,758
XI. आकांक्षिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	235,740	235,740	-	210,319	210,319	-	225,161	225,161	-	225,161	225,161
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अथ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	84,779	1,639,441	1,724,220	151,897	1,530,805	1,682,703	142,978	1,649,452	1,792,430	156,132	1,527,500	1,683,632
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	84,779	19,310	104,089	151,897	24,905	176,803	142,978	23,662	166,640	156,132	25,617	181,749
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	84,777	7,590	92,367	151,894	8,277	160,171	139,928	6,996	146,924	153,932	6,418	160,350
1. विकास (क + ख)	75,931	5,827	81,758	121,682	5,607	127,289	121,482	2,480	123,962	108,922	3,074	111,995
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	33,044	370	33,414	52,107	527	52,634	51,449	339	51,788	47,674	283	47,957
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,670	7	5,677	12,875	-	12,875	12,585	-	12,585	9,737	-	9,737
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,907	363	7,271	9,777	397	10,174	11,732	339	12,071	5,081	283	5,364
3. परिवार कल्याण	20	-	20	186	-	186	118	-	118	95	-	95
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	11,412	-	11,412	21,311	-	21,311	16,940	-	16,940	24,476	-	24,476
5. आवास	3,930	-	3,930	4,000	-	4,000	4,066	-	4,066	4,000	-	4,000
6. शहरी विकास	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,699	-	1,699	2,342	130	2,472	4,513	-	4,513	3,114	-	3,114
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,000	-	3,000	1,288	-	1,288	1,276	-	1,276	879	-	879
9. अन्य *	406	-	406	326	-	326	219	-	219	193	-	193
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	42,888	5,457	48,344	69,576	5,080	74,656	70,033	2,141	72,174	61,248	2,791	64,039
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम (I से XI)	4,430	-266	4,164	12,399	-	12,399	10,106	-	10,106	13,671	-	13,671
i) फसल उत्पादन	781	-266	515	5,063	-	5,063	2,298	-	2,298	4,243	-	4,243
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	409	-	409	286	-	286	409	-	409	440	-	440
iii) पशुपालन	977	-	977	1,106	-	1,106	917	-	917	778	-	778
iv) डेरी विकास	-	-	-	95	-	95	-	-	-	49	-	49
v) मत्स्यपालन	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
vi) वानिकी और वन्य जीवन	1,156	-	1,156	3,646	-	3,646	3,953	-	3,953	5,780	-	5,780
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	83	-	83	162	-	162	188	-	188	162	-	162
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	291	-	291	1,300	-	1,300	1,577	-	1,577	1,450	-	1,450
x) संस्कारिता	448	-	448	443	-	443	464	-	464	472	-	472
xi) अन्य @	285	-	285	297	-	297	299	-	299	297	-	297
2. ग्रामीण विकास	1,594	547	2,140	3,676	1,140	4,816	1,957	601	2,559	1,550	1,151	2,701
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,536	-	4,536	9,123	-	9,123	8,978	-	8,978	9,598	-	9,598
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4,084	-	4,084	7,589	-	7,589	7,657	-	7,657	10,152	-	10,152
5. ऊर्जा	7,029	2,400	9,429	12,542	2,400	14,942	7,019	-	7,019	822	-	822
6. उद्योग और खनिज (I से iv)	1,206	-	1,206	1,255	-	1,255	2,755	-	2,755	1,500	-	1,500
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	34	-	34	-	-	-	-	-	-	117	-	117
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	1,172	-	1,172	1,255	-	1,255	2,755	-	2,755	1,383	-	1,383
7. परिवहन (I + ii)	19,209	1,375	20,584	22,303	1,500	23,803	30,739	1,500	32,239	23,254	1,600	24,854
i) सड़क और पुल	18,658	-	18,658	21,336	-	21,336	29,472	-	29,472	22,453	-	22,453
ii) अन्य **	551	1,375	1,926	967	1,500	2,467	1,267	1,500	2,767	801	1,600	2,401
8. संचार	-	33	33	-	40	40	-	40	40	-	40	40

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	86	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	86	—	86	80	—	80	58	—	58	30	—	30
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	714	1,368	2,082	609	—	609	763	—	763	670	—	670
i) पर्यटन	127	—	127	26	—	26	67	—	67	53	—	53
ii) अन्य @	587	1,368	1,955	583	—	583	697	—	697	617	—	617
2. नैर विकास (सामान्य सेवाएं)	8,846	1,763	10,609	30,212	2,670	32,882	18,446	4,516	22,962	45,010	3,344	48,355
III. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	8,888	8,888	—	10,231	10,231	—	13,632	13,632	—	16,133	16,133
1. बाजार ऋण	—	4,549	4,549	—	4,426	4,426	—	7,791	7,791	—	9,598	9,598
2. एलआईसी से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. नाबार्ड से ऋण	—	146	146	—	219	219	—	218	218	—	218	218
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	8	8	—	6	6	—	6	6
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	1,094	1,094	—	2,128	2,128	—	2,128	2,128	—	2,869	2,869
8. अन्य	—	3,098	3,098	—	3,450	3,450	—	3,489	3,489	—	3,442	3,442
IV. ऋणों को चुकौती (1 से 7)	—	2,805	2,805	—	6,197	6,197	—	2,833	2,833	—	2,866	2,866
1. राज्य योजना स्कीम	—	2,485	2,485	—	5,876	5,876	—	2,506	2,506	—	2,529	2,529
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	—	6	6	—	7	7	—	7	7	—	7	7
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	—	110	110	—	113	113	—	118	118	—	125	125
4. योजनेतर (i से ii)	—	73	73	—	67	67	—	67	67	—	66	66
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) अन्य	—	73	73	—	67	67	—	67	67	—	66	66
5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	—	132	132	—	135	135	—	135	135	—	139	139
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	2	28	30	3	200	203	3,050	200	3,250	2,200	200	2,400
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	2	12	14	3	165	168	3,050	180	3,230	2,200	165	2,365
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	—	12	12	—	165	165	—	180	180	—	165	165
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	—	12	12	—	165	165	—	180	180	—	165	165
7. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2	—	2	3	—	3	3,050	—	3,050	2,200	—	2,200
1. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. सहकारिता	2	—	2	3	—	3	—	—	—	—	—	—
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विद्युत परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	3,050	—	3,050	2,200	—	2,200

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
त्रिपुरा

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासवात्यक प्रयोजन (क + ख)	-	16	16	-	35	35	-	20	20	-	35	35
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	16	16	-	35	35	-	20	20	-	35	35
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	34,242	34,242	-	36,350	36,350	-	33,402	33,402	-	16,184	16,184
1. राज्य भविष्य निधि	-	33,698	33,698	-	35,850	35,850	-	32,785	32,785	-	15,684	15,684
2. अन्य	-	544	544	-	500	500	-	617	617	-	500	500
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	2,293	2,293	-	1,500	1,500	-	67	67	-	5	5
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	2,293	2,293	-	1,500	1,500	-	67	67	-	5	5
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	33,036	33,036	-	18,500	18,500	-	31,925	31,925	-	25,020	25,020
1. संचित जमा	-	12,408	12,408	-	5,000	5,000	-	15,203	15,203	-	12,000	12,000
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	41	41	-	12,000	12,000	-	51	51	-	10	10
3. संचित अग्रिम	-	20,586	20,586	-	1,500	1,500	-	16,671	16,671	-	13,010	13,010
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	1,480,015	1,480,015	-	1,404,070	1,404,070	-	1,486,182	1,486,182	-	1,410,625	1,410,625
1. उचित	-	8,553	8,553	-	4,000	4,000	-	10,065	10,065	-	7,000	7,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	1,450,165	1,450,165	-	1,400,000	1,400,000	-	1,476,047	1,476,047	-	1,403,600	1,403,600
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,297	1,297	-	70	70	-	70	70	-	25	25
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	90,545	90,545	-	45,480	45,480	-	74,215	74,215	-	50,049	50,049
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	90,412	90,412	-	78,829	78,829	-	74,316	74,316	-	34,701	34,701
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-118,583	-118,583	-	-151,502	-151,502	-	-147,108	-147,108	-	-112,048	-112,048
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-28,171	-28,171	-	-72,674	-72,674	-	-72,792	-72,792	-	-77,347	-77,347
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-28,171	-28,171	-	-72,674	-72,674	-	-72,793	-72,793	-	-77,347	-77,347
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-19,070	-19,070	-	-72,674	-72,674	-	-67,025	-67,025	-	-80,947	-80,947
क) अथ शेष	-	64,161	64,161	-	65,000	65,000	-	68,498	68,498	-	66,000	66,000
ख) हति शेष	-	45,091	45,091	-	-7,674	-7,674	-	1,473	1,473	-	-14,947	-14,947
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अर्जित अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-9,101	-9,101	-	-	-	-	-5,768	-5,768	-	3,600	3,600
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उत्तराखण्ड

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	235,227	4,032,385	4,267,612	315,703	1,084,085	1,399,788	226,544	1,084,112	1,310,655	223,515	1,233,859	1,457,374
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	235,227	36,779	272,006	315,703	42,176	357,879	226,544	42,203	268,747	223,515	64,112	287,627
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	215,652	7,830	223,482	276,046	4,199	280,245	218,324	4,976	223,300	192,908	2,784	195,692
1. विकास (क + ख)	200,017	3,358	203,375	257,279	250	257,529	202,632	236	202,868	175,519	—	175,519
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	41,004	786	41,789	43,243	50	43,293	36,753	56	36,809	12,165	—	12,165
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,116	—	17,116	16,532	—	16,532	16,545	—	16,545	4,635	—	4,635
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,364	624	13,988	12,848	—	12,848	9,682	—	9,682	4,287	—	4,287
3. परिवार कल्याण	1,723	—	1,723	3,605	—	3,605	3,530	—	3,530	420	—	420
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. आवास	1,481	114	1,596	2,200	50	2,250	3,255	56	3,311	365	—	365
6. शहरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,509	—	6,509	6,623	—	6,623	2,648	—	2,648	1,723	—	1,723
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	312	47	360	1,035	—	1,035	692	—	692	460	—	460
9. अन्य *	498	—	498	400	—	400	400	—	400	275	—	275
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	159,013	2,572	161,585	214,036	200	214,236	165,879	180	166,059	163,354	—	163,354
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	4,612	2,349	6,962	3,418	200	3,618	3,305	180	3,485	2,280	—	2,280
i) फसल उत्पादन	940	707	1,648	289	200	489	271	180	451	127	—	127
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) पशुपालन	769	—	769	650	—	650	607	—	607	411	—	411
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
v) मत्स्यपालन	108	—	109	323	—	323	419	—	419	130	—	130
vi) वनिकी और वन्य जीवन	992	—	992	1,751	—	1,751	1,735	—	1,735	1,360	—	1,360
vii) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	370	1,642	2,012	203	—	203	271	—	271	50	—	50
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
x) सहकारिता	1,434	—	1,434	201	—	201	2	—	2	202	—	202
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	10,532	65	10,597	12,822	—	12,822	12,562	—	12,562	7,867	—	7,867
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	36,551	-44	36,507	61,286	—	61,286	50,992	—	50,992	53,264	—	53,264
5. ऊर्जा	25,734	—	25,734	26,500	—	26,500	15,003	—	15,003	25,955	—	25,955
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-2,186	-48	-2,235	3,143	—	3,143	3,068	—	3,068	1,665	—	1,665
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	286	50	336	484	—	484	409	—	409	145	—	145
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	-2,472	-98	-2,571	2,659	—	2,659	2,659	—	2,659	1,520	—	1,520
7. परिवहन (i + ii)	78,120	250	78,370	101,164	—	101,164	75,460	—	75,460	66,631	—	66,631
i) सड़क और पुल	74,807	250	75,057	90,298	—	90,298	74,019	—	74,019	63,180	—	63,180
ii) अन्य **	3,313	—	3,313	10,866	—	10,866	1,442	—	1,442	3,451	—	3,451
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उत्तराखंड

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	-	-	-	900	-	900	-	-	-	100	-	100
2. नैऋत-विकासक प्रयोजन (क + ख)	-	90	90	-	390	390	-	140	140	-	20	20
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	89	89	-	290	290	-	40	40	-	-	-
ख) विविध	-	2	2	-	100	100	-	100	100	-	20	20
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	72	72	-	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-	3,400	3,400
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	29,448	29,448	-	27,001	27,001	-	27,001	27,001	-	30,880	30,880
1. राज्य भविष्य निधि	-	27,869	27,869	-	26,481	26,481	-	26,481	26,481	-	29,866	29,866
2. अन्य	-	1,579	1,579	-	520	520	-	520	520	-	1,014	1,014
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	25,344	25,344	-	18,100	18,100	-	18,100	18,100	-	3,000	3,000
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	8,300	8,300	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000
3. अक्षल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	17,044	17,044	-	18,100	18,100	-	18,100	18,100	-	1,000	1,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	168,639	168,639	-	158,421	158,421	-	158,421	158,421	-	156,888	156,888
1. सिविल जमा	-	100,813	100,813	-	62,713	62,713	-	62,713	62,713	-	100,452	100,452
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	54,782	54,782	-	95,708	95,708	-	95,708	95,708	-	50,436	50,436
3. सिविल अग्रिम	-	13,045	13,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	3,442,012	3,442,012	-	614,334	614,334	-	614,334	614,334	-	602,002	602,002
1. उचित	-	1,599	1,599	-	20,114	20,114	-	20,114	20,114	-	2,000	2,000
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	775,541	775,541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	1,967,619	1,967,619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	697,253	697,253	-	594,220	594,220	-	594,220	594,220	-	600,002	600,002
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	278,897	278,897	-	201,553	201,553	-	201,553	201,553	-	303,577	303,577
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	63,654	63,654	-	-	179,403	-	-	59,987	-	-21,343	-21,343
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-93,853	-93,853	-	-	-187,287	-	-	-64,813	-	19,022	19,022
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-30,199	-30,199	-	-	-7,883	-	-	-4,825	-	-2,321	-2,321
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-	-30,198	-30,198	-	-	-7,883	-	-	-4,825	-	-2,321	-2,321
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	275	275	-	-	-7,883	-	-	-4,825	-	-2,321	-2,321
क) अथ शेष	-	7,428	7,428	-	-	10,619	-	-	7,404	-	-63,415	-63,415
ख) इति शेष	-	7,703	7,703	-	-	2,736	-	-	2,579	-	-65,736	-65,736
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-13,302	-13,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-17,171	-17,171	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (1 से XII)	1,408,729	47,500,792	48,909,520	2,126,552	21,022,562	23,149,114	2,225,274	20,300,087	22,525,361	2,286,679	21,601,459	23,888,138
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	1,408,729	798,392	2,208,121	2,126,552	487,854	2,614,406	2,225,274	589,086	2,814,368	2,286,679	586,354	2,873,033
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	1,371,984	323,054	1,695,038	2,079,358	176,053	2,255,411	2,176,079	259,274	2,435,354	2,222,629	197,841	2,420,470
1. विकास (क + ख)	1,346,311	291,238	1,637,549	2,027,833	131,497	2,159,330	2,121,364	197,967	2,319,331	2,191,255	130,996	2,322,251
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	201,218	10,145	211,363	290,165	4,440	294,605	392,643	4,449	397,092	502,400	5,489	507,889
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	63,877	1,397	65,274	67,034	1,293	68,327	107,640	1,293	108,933	49,786	1,615	51,401
2. निरक्षरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य	106,527	876	107,402	154,084	1,431	155,515	178,529	1,431	179,960	124,016	1,449	125,465
3. परिवार कल्याण	80	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,355	4,575	7,930	6,075	—	6,075	6,075	—	6,075	3,480	—	3,480
5. आवास	10,029	3,254	13,282	10,532	1,648	12,179	11,925	1,657	13,581	7,803	821	8,624
6. शहरी विकास	2,820	—	2,820	25,849	—	25,849	37,339	—	37,339	270,082	1,500	271,582
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,028	—	10,028	21,567	—	21,567	21,655	—	21,655	10,578	—	10,578
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	550	5	556	1,411	6	1,417	22,204	6	22,210	29,580	6	29,586
9. अन्य *	3,953	38	3,991	3,614	62	3,676	7,278	62	7,339	7,075	99	7,173
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	1,145,093	281,093	1,426,186	1,737,668	127,057	1,864,726	1,728,721	193,518	1,922,240	1,688,855	125,507	1,814,362
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (1 से xi)	32,263	71,278	103,541	54,855	1	54,856	62,873	44,433	107,306	46,722	5,247	51,969
i) फसल उत्पादन	4,898	4,032	866	15,360	—	15,360	17,820	—	17,820	8,885	—	8,885
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	891	—	892	1,892	—	1,892	1,892	—	1,892	—	—	—
iii) पशुपालन	4,734	—	4,734	10,929	—	10,929	13,929	—	13,929	1,975	—	1,975
iv) डेरी विकास	—	—	—	—	—	—	2,500	—	2,500	—	—	—
v) मत्स्यपालन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) वानिकी और वन्य जीवन	20,346	—	20,346	24,896	—	24,896	24,954	—	24,954	19,122	—	19,122
vii) बागान	587	—	587	562	—	562	562	—	562	562	—	562
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	—	75,313	75,313	—	1	1	—	—	—	—	—	—
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	100	—	100	430	—	430	430	—	430	—	5,247	5,247
x) संस्कारिता	707	-3	704	785	—	785	785	—	785	400	—	400
xi) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ग्रामीण विकास	67,129	956	68,086	68,025	—	68,025	68,082	—	68,082	192,256	—	192,256
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	54,586	14,363	68,950	114,200	15,000	129,200	117,700	15,000	132,700	96,002	15,000	111,002
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ऊर्जा	219,154	54	219,208	258,627	400	259,027	261,506	400	261,906	299,717	—	299,717
6. उद्योग और खनिज (1 से iv)	340,113	181,578	521,691	691,341	110,256	801,597	649,647	110,256	759,903	583,595	104,000	687,595
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	2,544	—	2,544	475	—	475	475	—	475	780	—	780
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	93	—	93	475	—	475	475	—	475	100	—	100
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) अन्य #	63	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. परिवहन (1 + ii)	2,388	—	2,388	—	—	—	—	—	—	680	—	680
425,318	12,864	—	438,182	543,355	1,400	544,755	561,409	6,900	568,309	464,001	1,260	465,261
i) सड़क और पुल	420,294	12,273	432,567	537,855	—	537,855	555,728	—	555,728	459,951	—	459,951
ii) अन्य **	5,024	592	5,615	5,500	1,400	6,900	5,681	6,900	12,581	4,050	1,260	5,310
8. संचार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. नगर विकास (सामान्य सेवाएं)	9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	—	—	65	—	65	65	—	65	5	—	5
	10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	3,985	—	3,985	—	3,985	6,726	—	6,726	5,778	—	5,778
	i) पर्यटन	3,985	—	3,985	—	3,985	6,726	—	6,726	5,778	—	5,778
	ii) अन्य @	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. नगर विकास (सामान्य सेवाएं)	25,673	31,816	57,489	51,524	44,556	54,715	61,307	116,022	31,374	66,845	98,219
	III. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	—	417,869	417,869	—	1,317,805	—	318,084	318,084	—	1,405,325	1,405,325
	1. बाजार ऋण	—	179,395	179,395	—	21	—	21	21	—	39	39
	2. एलआईसी से ऋण	—	660	660	—	626	—	626	626	—	617	617
	3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	—	98,000	98,000	—	150,000	—	150,000	150,000	—	200,000	200,000
	4. नाबार्ड से ऋण	—	26,491	26,491	—	28,642	—	28,921	28,921	—	32,063	32,063
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	5. राष्ट्रीय सहायता विकास निगम से ऋण	—	397	397	—	532	—	532	532	—	632	632
	6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	1,000,000
	7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	—	53,313	53,313	—	78,685	—	78,685	78,685	—	108,643	108,643
	8. अन्य	—	59,613	59,613	—	59,300	—	59,300	59,300	—	63,331	63,331
	9. निम्न से ऋण	—	—	—	—	11	—	11	11	—	11	11
	10. निम्न से ऋण	—	119,017	119,017	—	120,052	—	120,052	120,052	—	120,143	120,143
	11. राज्य योजना स्कीम	—	116,116	116,116	—	117,116	—	117,116	117,116	—	117,238	117,238
	12. निम्न से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13. निम्न से ऋण	—	10	10	—	9	—	9	9	—	9	9
	14. निम्न से ऋण	—	2,108	2,108	—	2,132	—	2,132	2,132	—	2,318	2,318
V. विकास प्रयोजन (क + ख)	1. विकास प्रयोजन (क + ख)	36,744	37,452	74,196	47,194	23,944	49,194	41,686	90,880	64,050	63,045	127,095
	2. विकास प्रयोजन (क + ख)	36,744	36,549	73,293	47,194	22,615	49,194	40,357	89,552	64,050	61,734	125,784
	3. विकास प्रयोजन (क + ख)	27,349	6,271	33,621	34,734	13,614	34,734	18,664	53,398	54,272	25,208	79,480
	4. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	5. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. विकास प्रयोजन (क + ख)	1. विकास प्रयोजन (क + ख)	19,743	—	19,743	20,000	—	20,000	—	20,000	20,000	—	20,000
	2. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10. विकास प्रयोजन (क + ख)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
उत्तर प्रदेश

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1			4			5			6			7
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	126	671	797	-	1	-	-	72	16,000	-	126	126
8. अन्य उद्योग और खनिज	3,600	6,352	9,952	10,000	6,000	-	12,000	6,000	18,000	8,500	5,500	14,000
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	2,279	23,201	25,480	-	3,000	3,000	-	15,621	15,621	-	30,900	30,900
2. गैर-विकासवादी प्रयोजन (क + ख)	-	903	903	-	1,329	1,329	-	1,329	1,329	-	1,311	1,311
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	903	903	-	1,329	1,329	-	1,329	1,329	-	1,311	1,311
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आवासिकता कोष	-	11,672	11,672	-	1,000	1,000	-	47,693	47,693	-	1,000	1,000
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	286,070	286,070	-	229,479	229,479	-	232,729	232,729	-	253,713	253,713
1. राज्य भविष्य निधि	-	276,358	276,358	-	224,166	224,166	-	224,166	224,166	-	237,774	237,774
2. अन्य	-	9,712	9,712	-	5,313	5,313	-	8,563	8,563	-	15,939	15,939
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	77,224	77,224	-	334,351	334,351	-	334,351	334,351	-	370,497	370,497
1. मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	1,258	1,258	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	239,681	239,681	-	239,681	239,681	-	263,382	263,382
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	75,966	75,966	-	91,670	91,670	-	91,670	91,670	-	107,115	107,115
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,676,686	1,676,686	-	533,223	533,223	-	559,063	559,063	-	597,563	597,563
1. संचित जमा	-	868,205	868,205	-	266,541	266,541	-	259,570	259,570	-	273,070	273,070
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	781,244	781,244	-	266,682	266,682	-	299,493	299,493	-	324,493	324,493
3. संचित अग्रिम	-	27,717	27,717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-479	-479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	43,250,973	43,250,973	-	18,035,156	18,035,156	-	18,135,656	18,135,656	-	18,340,832	18,340,832
1. उचित	-	-1,670,646	-1,670,646	-	75,015	75,015	-	75,015	75,015	-	75,015	75,015
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	15,290,341	15,290,341	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	24,439,058	24,439,058	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	5,192,221	5,192,221	-	2,960,141	2,960,141	-	3,060,641	3,060,641	-	3,265,817	3,265,817
XI. आवासिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	1,300,774	1,300,774	-	251,500	251,500	-	251,500	251,500	-	251,500	251,500
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			344,926						410,554			157,319
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-373,775						-832,524			-145,220
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-28,849						-421,970			12,098
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)												
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			-28,849						-421,970			12,098
क) अथ शेष												
ख) हति शेष												
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			22,503						-421,970			12,098
iii. आरबीआई से अर्थापय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			1,321						545,145			123,175
			23,824						123,175			135,273
			-51,352						-			-
			-						-			-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	368,233	15,476,632	15,844,865	394,876	16,862,108	17,256,984	509,073	17,026,355	17,535,427	500,878	19,002,833	19,503,711
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	368,233	464,731	832,964	394,876	500,668	895,543	509,073	506,195	1,015,268	500,878	566,081	1,086,958
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	266,719	2,052	268,772	305,382	1,831	307,213	425,151	2,645	427,796	416,898	2,661	419,559
1. विकास (क + ख)	260,388	1,670	262,058	285,286	962	286,249	405,227	1,777	407,004	397,810	1,824	399,634
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	76,619	11	76,630	108,144	21	108,165	145,314	59	145,374	180,837	45	180,882
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,122	3	3,125	4,889	-	4,889	6,767	3	6,771	12,534	3	12,537
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,296	3	11,299	19,741	-	19,741	19,722	1	19,723	27,888	1	27,889
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	54,658	-	54,658	67,621	-	67,621	96,051	-	96,051	64,509	-	64,509
5. आवास	2,638	-16	2,622	4,019	21	4,040	4,265	38	4,303	54,423	23	54,446
6. शहरी विकास	1,441	-	1,441	1,685	-	1,685	7,124	-	7,124	10,843	-	10,843
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	793	-	793	3,542	-	3,542	3,079	-	3,079	3,340	-	3,340
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,141	-	2,141	4,950	-	4,950	6,539	-	6,539	3,850	-	3,850
9. अन्य *	531	22	553	1,697	-	1,697	1,767	17	1,784	3,450	18	3,468
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	183,769	1,658	185,427	177,142	942	178,084	259,913	1,717	261,631	216,973	1,779	218,752
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम (i से xi)	3,659	899	4,558	8,391	900	9,291	9,349	900	10,249	26,471	900	27,371
i) फसल उत्पादन	202	3	205	550	-	550	650	-	650	13,940	-	13,940
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	105	-	105	663	-	663	940	-	940	1,102	-	1,102
iv) डेरी विकास	295	-	295	235	-	235	252	-	252	765	-	765
v) मत्स्यपालन	909	-	909	2,265	-	2,265	2,106	-	2,106	2,965	-	2,965
vi) वनिकी और वन्य जीवन	1,263	-	1,263	2,500	-	2,500	2,200	-	2,200	2,500	-	2,500
vii) बागान	145	-	145	172	-	172	172	-	172	49	-	49
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	99	896	995	590	900	1,490	590	900	1,490	860	900	1,760
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	21	-	21	200	-	200	200	-	200	250	-	250
x) सहकारिता	346	-	346	731	-	731	1,545	-	1,545	3,156	-	3,156
xi) अन्य @	276	-	276	485	-	485	694	-	694	884	-	884
2. ग्रामीण विकास	5	-	5	100	-	100	100	-	100	330	-	330
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	11,159	-	11,159	11,457	-	11,457	16,711	-	16,711	19,280	-	19,280
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	95	-	95	105	-	105	105	-	105	29	-	29
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	31,212	-	31,212	58,539	-	58,539	45,638	-	45,638	76,977	-	76,977
5. ऊर्जा	98,582	-	98,582	33,000	-	33,000	100,885	-	100,885	27,000	-	27,000
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,660	758	5,418	7,894	-	7,894	29,788	815	30,603	11,340	876	12,216
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	1,117	-	1,117	2,518	-	2,518	3,187	-	3,187	4,785	-	4,785
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	3,543	758	4,301	5,376	-	5,376	26,601	815	27,416	6,555	876	7,431
7. परिवहन (i + ii)	31,196	-	31,196	52,399	-	52,399	51,844	-	51,844	52,367	-	52,367
i) सड़क और पुल	29,978	-	29,978	49,636	-	49,636	42,956	-	42,956	45,307	-	45,307
ii) अन्य **	1,218	-	1,218	2,763	-	2,763	8,887	-	8,887	7,060	-	7,060
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण											
	10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)											
	i) पर्यटन											
	ii) अन्य @											
	2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)											
	II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)											
	1. बाजार ऋण											
	2. एलआईसी से ऋण											
	3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण											
	4. नाबार्ड से ऋण											
	5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण											
	6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम											
	7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां											
	8. अन्य											
III.	जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड											
	केंद्र को ऋणों को चुकौती (1 से 7)											
	1. राज्य योजना स्कीम											
	जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना											
	सहायता पहले से जारी करना											
	2. केन्द्रीय योजना स्कीम											
	3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें											
	4. योजनेतर (i से ii)											
	i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत											
	ii) अन्य											
IV.	5. केन्द्र से अर्थोपाय अग्रिम											
	6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण											
	7. अन्य											
	राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)											
	1. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख)											
	क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)											
	1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति											
	2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य											
	3. परिवार कल्याण											
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता											
V.	5. आवास											
	6. सरकारी कर्मचारी (आवास)											
	7. अन्य											
	ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)											
	1. फसल उत्पादन											
	2. मृदा एवं जल संरक्षण											
	3. खाद्य संग्रहण और भंडारण											
	4. सहकारिता											
	5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि											
	6. विद्युत परियोजनाएं											

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पश्चिम बंगाल

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	119	714	834	40	765	805	40	697	737	—	675	675
8. अन्य उद्योग और खनिज	2,474	4,816	7,289	4,463	4,210	8,673	4,210	5,709	9,919	2,034	4,830	6,864
9. ग्रामीण विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य	6,689	921	7,791	6,674	570	7,244	7,774	720	8,494	14,441	1,020	15,461
2. नौ-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	—	172	172	—	450	450	—	290	290	—	290	290
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	—	172	172	—	450	450	—	290	290	—	290	290
ख) विविध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. अंतरराज्यीय निपटारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता कोष	—	728	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	—	93,912	93,912	—	101,385	101,385	—	101,785	101,785	—	106,600	106,600
1. राज्य भविष्य निधि	—	91,272	91,272	—	98,785	98,785	—	98,785	98,785	—	104,600	104,600
2. अन्य	—	2,641	2,641	—	2,600	2,600	—	3,000	3,000	—	2,000	2,000
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	—	128,085	128,085	—	142,438	142,438	—	122,978	122,978	—	131,677	131,677
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधियां	—	42,265	42,265	—	82,200	82,200	—	67,200	67,200	—	73,200	73,200
3. अक्षाल राहत कोष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	—	85,820	85,820	—	60,238	60,238	—	55,778	55,778	—	58,477	58,477
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	—	2,054,319	2,054,319	—	2,027,757	2,027,757	—	2,162,056	2,162,056	—	2,524,789	2,524,789
1. सिविल जमा	—	211,410	211,410	—	270,023	270,023	—	257,354	257,354	—	266,187	266,187
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	—	433,352	433,352	—	481,028	481,028	—	469,600	469,600	—	508,500	508,500
3. सिविल अग्रिम	—	25,099	25,099	—	25,006	25,006	—	25,102	25,102	—	30,102	30,102
4. अन्य	—	1,384,458	1,384,458	—	1,251,701	1,251,701	—	1,410,000	1,410,000	—	1,720,000	1,720,000
X. उचित और विविध (1 से 4)	—	11,096,560	11,096,560	—	13,618,966	13,618,966	—	12,868,568	12,868,568	—	14,398,517	14,398,517
1. उचित	—	9,692	9,692	—	2,810	2,810	—	2,737	2,737	—	2,386	2,386
2. नकदी शेष निवेश लेखा	—	1,732,187	1,732,187	—	1,200,000	1,200,000	—	1,965,000	1,965,000	—	2,000,000	2,000,000
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	—	7,036,935	7,036,935	—	9,900,000	9,900,000	—	8,500,000	8,500,000	—	9,900,000	9,900,000
4. अन्य	—	2,317,746	2,317,746	—	2,516,156	2,516,156	—	2,400,832	2,400,832	—	2,496,132	2,496,132
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विप्रेषण	—	351,916	351,916	—	370,894	370,894	—	364,773	364,773	—	375,169	375,169
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	—	-814,704	-814,704	—	-737,017	-737,017	—	-1,267,797	-1,267,797	—	-1,794,012	-1,794,012
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	—	893,360	893,360	—	785,216	785,216	—	1,225,200	1,225,200	—	1,493,812	1,493,812
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	—	78,657	78,657	—	48,200	48,200	—	-42,597	-42,597	—	-300,199	-300,199
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग + ख + ग + घ)	—	78,657	78,657	—	48,200	48,200	—	-42,597	-42,597	—	-300,199	-300,199
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	—	-18,647	-18,647	—	48,200	48,200	—	25,203	25,203	—	-199	-199
क) अथ शेष	—	-7,056	-7,056	—	-400	-400	—	-25,703	-25,703	—	-500	-500
ख) इति शेष	—	-25,703	-25,703	—	47,800	47,800	—	-500	-500	—	-699	-699
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	—	97,304	97,304	—	—	—	—	-67,800	-67,800	—	-300,000	-300,000
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

सभी राज्य

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	चोजनेतर	कुल	योजना	चोजनेतर	कुल	योजना	चोजनेतर	कुल	योजना	चोजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	11,722,648	224,458,523	236,181,171	14,946,522	133,121,989	148,068,511	15,484,436	153,214,000	168,698,436	16,290,724	144,607,801	160,898,525
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	11,708,748	5,443,212	17,151,960	14,933,491	5,203,903	20,137,394	15,470,036	5,855,826	21,325,862	16,276,855	5,577,099	21,853,953
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	10,854,578	1,031,631	11,886,209	13,743,237	772,650	14,515,888	14,347,048	1,378,365	15,725,413	15,351,417	673,286	16,024,703
1. विकास (क + ख)	10,523,809	834,633	11,358,442	13,250,280	651,000	13,901,280	13,856,425	1,250,988	15,107,413	14,754,468	598,138	15,352,606
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	2,212,425	86,563	2,298,988	3,041,147	120,019	3,161,166	3,281,349	147,490	3,428,838	3,272,746	145,978	3,418,724
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	332,728	3,309	336,037	455,689	7,842	463,531	567,097	4,044	571,141	434,507	3,786	438,293
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	338,897	2,645	341,541	453,274	2,954	456,228	472,499	2,949	475,447	404,720	2,856	407,575
3. परिवार कल्याण	4,049	-	4,049	17,492	-	17,492	9,096	-	9,096	17,068	-	17,068
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	904,647	29,744	934,391	1,090,703	77,901	1,168,604	1,106,305	79,607	1,185,912	1,133,420	106,171	1,239,591
5. आवास	74,840	26,084	100,923	117,809	21,447	139,256	112,668	23,526	136,195	179,175	22,960	202,135
6. शहरी विकास	238,014	7,715	245,729	424,139	4,714	428,854	511,959	5,925	517,883	706,307	5,997	712,304
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	183,804	338	184,142	328,392	2,227	330,618	282,750	23,549	306,299	211,592	1,189	212,781
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	50,567	1,178	51,744	61,964	1,811	63,776	117,332	1,192	118,525	96,861	1,817	98,678
9. अन्य *	84,881	15,550	100,431	91,684	1,123	92,807	101,643	6,698	108,341	89,097	1,202	90,121
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	8,311,383	748,070	9,059,454	10,209,133	530,981	10,740,113	10,575,077	1,103,498	11,678,575	11,481,722	452,161	11,933,882
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रमलाप (I से XI)	345,701	145,433	491,134	402,291	29,436	431,727	449,368	91,664	541,032	415,044	-883	414,162
i) फसल उत्पादन	18,264	7,431	25,696	33,897	704	34,601	40,541	598	41,140	55,446	693	56,139
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	57,336	5,394	62,730	70,498	2,736	73,234	86,628	2,989	89,617	45,643	3,999	49,642
iii) पशुपालन	15,239	-	15,239	25,934	-	25,934	26,470	-	26,470	18,925	-	18,925
iv) डेरी विकास	1,967	-1	1,966	366	-	366	3,561	-	3,561	948	-	948
v) मत्स्यपालन	9,853	2	9,855	20,334	-	20,334	23,293	2	23,295	20,493	4,000	24,493
vi) वानिकी और वन्य जीवन	69,685	3,539	73,224	100,660	795	101,454	101,331	1,435	102,766	101,432	210	101,643
vii) बागान	732	-	732	734	-	734	734	-	734	611	-	611
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	3,420	106,636	110,056	4,024	24,796	28,820	4,696	86,289	90,986	18,774	-9,985	8,789
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,360	-	2,360	4,274	-	4,274	4,194	-	4,194	23,125	-	23,125
x) सहायिता	165,976	21,877	187,853	139,331	405	139,736	155,412	350	155,761	127,635	200	127,835
xi) अन्य @	868	556	1,424	2,240	-	2,240	2,507	-	2,507	2,012	-	2,012
2. ग्रामीण विकास	566,665	6,176	572,842	661,128	5,510	666,638	650,880	5,221	656,102	1,835,494	5,621	1,841,115
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	140,344	14,363	154,707	303,926	15,000	318,926	330,255	15,000	345,255	249,301	15,000	264,301
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	7,832	-	7,832	14,101	-	14,101	15,286	-	15,286	14,707	-	14,707
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,441,484	259,018	3,700,503	4,192,313	260,218	4,452,531	4,265,418	607,268	4,872,686	4,350,442	240,103	4,590,546
5. ऊर्जा	1,169,662	220,645	1,390,307	1,531,520	137,456	1,668,976	1,685,033	187,782	1,872,815	1,432,591	115,167	1,547,758
6. उद्योग और खनिज (I से iv)	134,347	13,731	148,078	112,352	518	112,870	152,074	19,052	171,124	126,180	7,405	133,585
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	29,551	91	29,642	56,683	18	56,701	50,474	17	50,490	46,326	28	46,354
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	9,984	-2,131	7,854	440	-	440	393	-	393	5,622	-	5,622
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	5,787	-	5,787	2,292	-	2,292	2,651	-	2,651	4,885	-	4,885
iv) अन्य #	89,025	15,771	104,795	52,937	500	53,437	98,556	19,035	117,591	69,348	7,376	76,724
7. परिवहन (I + ii)	2,304,888	71,813	2,376,701	2,704,352	57,459	2,761,811	2,807,558	153,812	2,961,370	2,830,513	55,379	2,885,891
i) सड़क और पुल	2,203,805	46,759	2,250,565	2,579,706	42,489	2,622,195	2,673,629	124,325	2,797,954	2,698,348	39,775	2,738,123
ii) अन्य **	101,082	25,054	126,136	124,646	14,971	139,616	133,929	29,487	163,416	132,164	15,604	147,768
8. संचार	597	33	630	4,265	40	4,305	4,265	40	4,305	4,265	40	4,305

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)				
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	2,676	—	2,676	5,666	—	5,666	5,666	7,835	—	7,835	3,976	—	3,976	
	205,020	16,856	221,877	291,320	25,343	316,664	222,390	23,660	23,660	246,050	233,915	14,328	248,244	
	49,736	—	49,736	76,551	2,348	78,899	80,291	—	80,291	80,291	68,695	5,200	73,895	
	155,285	16,856	172,141	214,769	22,995	237,764	142,100	23,660	23,660	165,759	165,220	9,128	174,349	
	330,769	196,998	527,767	492,958	121,650	614,608	490,622	127,377	127,377	618,000	596,949	75,148	672,097	
	—	5,514,505	5,514,505	—	6,796,767	6,796,767	—	5,377,003	5,377,003	—	8,909,125	8,909,125	8,909,125	
	—	1,258,805	1,258,805	—	1,218,427	1,218,427	—	1,235,352	1,235,352	—	1,352,093	1,352,093	1,352,093	
	—	117,193	117,193	—	124,287	124,287	—	123,636	123,636	—	124,158	124,158	124,158	
	—	150,618	150,618	—	343,728	343,728	—	227,128	227,128	—	413,761	413,761	413,761	
	—	215,677	215,677	—	237,753	237,753	—	238,263	238,263	—	312,555	312,555	312,555	
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएँ) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआईसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएफएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ 8. अन्य	—	37,954	37,954	—	41,598	41,598	—	40,426	40,426	—	45,079	45,079	45,079	
	—	2,342,684	2,342,684	—	3,281,320	3,281,320	—	2,003,725	2,003,725	—	4,844,651	4,844,651	4,844,651	4,844,651
	—	524,068	524,068	—	744,001	744,001	—	714,763	714,763	—	985,535	985,535	985,535	
	—	867,505	867,505	—	805,653	805,653	—	793,711	793,711	—	831,293	831,293	831,293	
	—	172,291	172,291	—	179,266	179,266	—	185,094	185,094	—	173,144	173,144	173,144	
	—	818,474	818,474	—	840,607	840,607	—	786,522	786,522	—	799,293	799,293	799,293	
	—	730,520	730,520	—	729,092	729,092	—	709,515	709,515	—	707,429	707,429	707,429	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	2,335	2,335	—	4,772	4,772	—	4,807	4,807	—	4,459	4,459	4,459	
	—	12,333	12,333	—	13,445	13,445	—	13,684	13,684	—	13,382	13,382	13,382	
4. योजनेतर (i से ii) i) प्रकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	—	53,010	53,010	—	36,550	36,550	—	36,739	36,739	—	15,745	15,745	15,745	
	—	53,010	53,010	—	36,550	36,550	—	36,739	36,739	—	15,745	15,745	15,745	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	364	364	—	1,593	1,593	—	1,566	1,566	—	1,573	1,573	1,573	
	—	19,912	19,912	—	19,156	19,156	—	19,210	19,210	—	20,705	20,705	20,705	
	—	571,904	571,904	1,426,074	1,190,253	418,926	1,609,180	1,122,988	544,790	1,667,778	925,438	453,806	1,379,244	
	853,445	500,570	1,354,015	1,190,093	339,276	1,529,370	1,122,898	481,877	1,604,775	925,328	385,258	1,310,586	1,310,586	
	436,502	181,477	617,979	684,002	117,833	801,835	626,568	112,697	739,265	457,013	126,863	583,896	583,896	
	1,150	709	1,859	450	660	1,110	575	860	1,435	815	665	1,480	1,480	
	4,220	6,585	10,805	18,035	—	18,035	14,234	61	14,295	6,656	6,656	—	6,656	
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2) 1. विकासमूलक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएँ (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य	26	—	26	195	—	195	195	49	—	49	—	—	—	
	108,067	8,440	116,506	138,334	5,544	143,878	106,907	5,543	112,450	180,625	52,151	5,215	185,840	
	236,666	91,532	328,198	398,833	2,706	401,539	379,631	7,052	386,683	54,212	6,587	60,800	60,800	
	1,476	43,988	45,464	1,906	64,362	66,268	1,906	67,693	69,599	1,656	76,324	77,980	77,980	
	84,898	30,224	115,122	126,248	44,562	170,811	123,119	31,488	154,607	212,999	38,092	251,091	251,091	
	416,943	319,093	736,036	506,092	221,443	727,535	496,330	369,180	865,510	468,315	258,375	726,690	726,690	
	11,387	3,825	15,212	4,140	523	4,663	9,947	4,973	14,919	4,910	1,343	6,253	6,253	
	—	352	352	570	—	570	—	—	—	—	—	—	—	—
	42,251	92,000	134,251	38,734	90,000	128,734	37,364	90,000	127,364	38,000	90,000	128,000	128,000	
	26,316	14,062	40,379	27,750	12,437	40,187	42,432	14,777	57,209	23,410	11,821	35,231	35,231	
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—	58	58	385	—	385	
	201,528	99,459	300,987	309,900	68,596	378,496	299,022	160,510	459,532	311,888	65,940	377,828	377,828	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	9,513	2,680	12,193	8,692	766	9,458	9,284	2,420	11,704	6,347	2,265	8,612
8. अन्य उद्योग और खनिज	32,044	55,227	87,271	25,370	35,243	60,613	28,639	37,524	66,163	15,013	32,393	47,406
9. ग्रामीण विकास	286	-	286	435	-	435	626	-	626	8,113	-	8,113
10. अन्य	93,619	51,487	145,287	90,501	13,879	104,379	69,016	58,919	127,936	60,249	54,613	114,862
2. गैर-विकासवादी प्रयोजन (क + ख)	725	71,334	72,059	160	79,650	79,810	90	62,912	63,002	110	68,548	68,658
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	667	30,225	30,893	100	53,520	53,620	50	43,650	43,700	70	45,964	46,034
ख) विविध	58	41,109	41,167	60	26,130	26,190	40	19,263	19,303	40	22,584	22,624
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	414	414	-	15	15	-	15	15	-	15	15
VI. आकस्मिकता कोष	-	97,407	97,407	-	74,110	74,110	-	157,797	157,797	-	131,582	131,582
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	3,099,832	3,099,832	-	3,304,563	3,304,563	-	3,549,021	3,549,021	-	3,722,361	3,722,361
1. राज्य भविष्य निधि	-	2,245,736	2,245,736	-	2,241,375	2,241,375	-	2,278,604	2,278,604	-	2,385,354	2,385,354
2. अन्य	-	854,096	854,096	-	1,063,188	1,063,188	-	1,270,417	1,270,417	-	1,337,007	1,337,007
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	1,539,195	1,539,195	-	1,776,623	1,776,623	-	2,342,558	2,342,558	-	2,198,328	2,198,328
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	6,331	6,331	-	15,465	15,465	-	17,783	17,783	-	18,122	18,122
2. ऋणशोधन निधियां	-	556,956	556,956	-	640,232	640,232	-	625,911	625,911	-	797,002	797,002
3. अकाल राहत कोष	-	-238	-238	-	1,462	1,462	-	1,463	1,463	-	29	29
4. अन्य	-	976,146	976,146	-	1,119,463	1,119,463	-	1,697,401	1,697,401	-	1,383,175	1,383,175
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	13,900	21,638,669	21,652,569	13,031	17,790,878	17,803,910	14,400	20,154,092	20,168,492	13,870	22,200,781	22,214,650
1. सिविल जमा	-	7,228,691	7,228,691	-	5,378,573	5,378,573	-	5,510,376	5,510,376	-	5,831,940	5,831,940
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	13,900	10,795,472	10,809,372	13,031	9,021,186	9,034,217	14,400	10,640,656	10,655,056	13,870	11,682,995	11,682,100
3. सिविल अग्रिम	-	419,106	419,106	-	278,657	278,657	-	274,680	274,680	-	306,230	306,230
4. अन्य	-	3,195,399	3,195,399	-	3,112,462	3,069,379	-	3,728,380	3,728,280	-	4,379,616	4,379,616
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	177,733,971	177,733,971	-	94,923,584	94,923,584	-	111,054,059	111,054,059	-	97,081,597	97,081,597
1. उचित	-	-772,954	-772,954	-	1,250,676	1,250,676	-	1,602,903	1,602,903	-	1,594,417	1,594,417
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	117,266,776	117,266,776	-	43,446,163	43,446,163	-	61,408,843	61,408,843	-	52,475,211	52,475,211
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	35,577,326	35,577,326	-	32,399,063	32,399,063	-	23,724,767	23,724,767	-	25,422,617	25,422,617
4. अन्य	-	25,662,824	25,662,824	-	17,827,681	17,827,681	-	24,317,546	24,317,546	-	17,589,352	17,589,352
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	52,000	52,000	-	16,500	16,500	-	41,500	41,500	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	12,360,521	12,360,521	-	6,406,764	6,406,764	-	7,828,278	7,828,278	-	8,437,627	8,437,627
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)		4,294,273	4,294,273			2,842,586			1,070,060			-3,229,538
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)		-2,963,247	-2,963,247			-2,606,784			-2,705,799			657,472
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)		1,341,026	1,341,026			235,802			-1,635,739			-2,572,066
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)		1,341,028	1,341,028			235,803			-1,635,739			-2,572,065
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)		-879,327	-879,327			154,726			-1,337,072			-1,549,945
क) अथ शेष		-311,302	-311,302			131,268			-16,071			-1,174,653
ख) हति शेष		-1,190,629	-1,190,629			285,993			-1,353,143			-2,724,598
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)		2,216,009	2,216,009			90,077			-302,667			-875,119
iii. आरबीआई से अर्जित अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)		4,346	4,346			-9,000			4,000			-147,000

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	545,604	293,308	838,912	642,101	258,680	900,781	580,535	290,990	871,525	577,552	356,417	933,969
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	545,604	293,308	838,912	642,101	258,680	900,781	580,535	290,990	871,525	577,552	356,417	933,969
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	376,137	310	376,447	464,529	580	465,109	407,701	515	408,216	436,002	380	436,382
1. विकास (क + ख)	347,932	310	348,242	436,593	-	436,593	374,542	515	375,057	398,407	380	398,787
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	62,614	-	62,614	85,384	-	85,384	73,062	-	73,062	66,111	-	66,111
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25,437	-	25,437	53,870	-	53,870	41,505	-	41,505	40,260	-	40,260
2. विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16,129	-	16,129	15,590	-	15,590	16,849	-	16,849	14,145	-	14,145
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	3,668	-	3,668	4,010	-	4,010	3,210	-	3,210	3,010	-	3,010
6. शहरी विकास	13,234	-	13,234	6,601	-	6,601	6,289	-	6,289	3,601	-	3,601
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,073	-	3,073	2,350	-	2,350	2,964	-	2,964	2,550	-	2,550
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	748	-	748	2,300	-	2,300	1,550	-	1,550	2,000	-	2,000
9. अन्य *	324	-	324	663	-	663	695	-	695	545	-	545
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	285,318	310	285,627	351,209	-	351,209	301,480	515	301,995	332,296	380	332,676
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	941	-1	940	520	-	520	790	-	790	555	-	555
i) फसल उत्पादन	14	-	14	35	-	35	65	-	65	45	-	45
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	114	-	114	90	-	90	95	-	95	90	-	90
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	-	-	-	10	-	10	10	-	10	10	-	10
vi) वनिकी और वन्य जीवन	813	-	813	350	-	350	600	-	600	400	-	400
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	-	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) अन्य @	-	-	-	30	-	30	20	-	20	10	-	10
2. ग्रामीण विकास	9,784	-	9,784	18,000	-	18,000	18,791	-	18,791	16,100	-	16,100
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,790	310	3,100	8,600	-	8,600	4,100	515	4,615	3,620	380	4,000
5. ऊर्जा	110,203	-	110,203	80,950	-	80,950	48,350	-	48,350	45,050	-	45,050
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-26	-	-26	1,100	-	1,100	300	-	300	200	-	200
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	-26	-	-26	1,100	-	1,100	300	-	300	200	-	200
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	160,056	-	160,056	241,309	-	241,309	228,512	-	228,512	266,521	-	266,521
i) सड़क और पुल	62,182	-	62,182	91,500	-	91,500	112,938	-	112,938	147,090	-	147,090
ii) अन्य **	97,873	-	97,873	149,809	-	149,809	115,574	-	115,574	119,431	-	119,431
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii) i) पर्यटन ii) अन्य @	1,122	-	1,122	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	447	-	447	630	-	630	537	-	537	150	-	150
	447	-	447	630	-	630	537	-	537	150	-	150
	28,205	-	28,205	27,936	580	28,516	33,159	-	33,159	37,595	-	37,595
	-	97,509	97,509	-	38,604	38,604	-	38,604	38,604	73,522	-	73,522
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8) 1. बाजार ऋण 2. एलआइसी से ऋण 3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण 4. नाबार्ड से ऋण 5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण 6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 8. अन्य जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7) 1. राज्य योजना स्कीम जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना 2. केन्द्रीय योजना स्कीम 3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें 4. योजनेतर (i से ii) i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत ii) अन्य 5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम 6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण 7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2) 1. विकाससाधक प्रयोजन (क + ख) क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7) 1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता 5. आवास 6. सरकारी कर्मचारी (आवास) 7. अन्य ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10) 1. फसल उत्पादन 2. मृदा एवं जल संरक्षण 3. खाद्य संग्रहण और भंडारण 4. सहकारिता 5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि 6. विद्युत परियोजनाएं	169,467	195,489	364,956	177,572	219,496	397,068	172,834	251,869	424,703	141,550	282,515	424,065
	169,467	109,207	278,674	177,572	131,906	309,478	172,834	155,780	328,614	141,550	179,915	321,465
	133,820	-	133,820	148,755	-	148,755	145,290	-	145,290	138,750	70	138,820
	-	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	114,925	-	114,925	130,730	-	130,730	125,930	-	125,930	118,500	-	118,500
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65	-	65	75	-	75	30	-	30	-	70	70
18,830	-	18,830	17,950	-	17,950	17,830	-	17,830	18,750	-	18,750	
35,647	109,207	144,854	28,817	131,906	160,723	27,544	155,780	183,324	2,800	179,845	182,645	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13,071	-	-	13,071	14,575	-	14,575	9,375	-	9,375	1,000	-	1,000

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपये)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	76	-	76	140	-	140	130	-	130	100	-	100
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	2,437	-	2,437	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	22,500	109,207	131,707	14,100	131,906	146,006	15,600	155,780	171,380	1,600	179,845	181,445
10. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नैऋत-विकासक प्रयोजन (क + ख)	-	86,282	86,282	-	87,590	87,590	-	96,089	96,089	-	102,600	102,600
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	120	120	-	150	150	-	149	149	-	130	130
ख) विविध	-	86,162	86,162	-	87,440	87,440	-	95,940	95,940	-	102,470	102,470
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकास्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. राज्य भविष्य निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अक्षल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. सिविल जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. उचित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. आकास्मिकता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	514,186	-	514,186	-	-	645,577	-	-	361,223	-	-	539,599
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-741,182	-	-741,182	-	-	-871,006	-	-	-823,353	-	-	-902,130
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-226,996	-	-226,996	-	-	-225,429	-	-	-462,130	-	-	-362,531
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)	-226,996	-	-226,996	-	-	-225,429	-	-	-462,130	-	-	-362,531
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	1,082,646	-	1,082,646	-	-	836,182	-	-	855,649	-	-	393,519
क) अथ शेष	855,650	-	855,650	-	-	610,753	-	-	393,519	-	-	30,988
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पुदुचेरी

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संचितरण (I से XII)	26,864	33,274	60,138	21,365	334,409	355,774	40,376	351,730	392,106	78,009	631,951	709,960
कुल पूंजी संचितरण (लोक लेखा छोड़कर) \$	26,864	8,910	35,774	21,365	12,540	33,905	40,376	9,834	50,210	78,009	13,410	91,419
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	26,862	686	27,538	21,322	-	21,322	40,333	-	40,333	75,708	-	75,708
1. विकास (क + ख)	23,469	686	24,155	18,813	-	18,813	36,934	-	36,934	67,317	-	67,317
(क) सामाजिक सेवा (1 से 9)	6,046	-	6,046	4,951	-	4,951	17,591	-	17,591	22,520	-	22,520
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,859	-	1,859	1,611	-	1,611	7,141	-	7,141	12,083	-	12,083
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,408	-	1,408	523	-	523	1,767	-	1,767	522	-	522
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,250	-	2,250	1,934	-	1,934	5,888	-	5,888	7,026	-	7,026
5. आवास	192	-	192	317	-	317	295	-	295	474	-	474
6. शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	1,796	-	1,796
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	103	-	103	400	-	400	392	-	392	458	-	458
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43	-	43	43	-	43	43	-	43	44	-	44
9. अन्य *	191	-	191	123	-	123	65	-	65	117	-	117
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	17,423	686	18,109	13,862	-	13,862	19,343	-	19,343	44,797	-	44,797
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	1,535	-	1,535	591	-	591	1,499	-	1,499	1,105	-	1,105
i) फसल उत्पादन	14	-	14	14	-	14	14	-	14	42	-	42
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	10	-	10	1	-	1	1	-	1	54	-	54
v) मत्स्यपालन	1,111	-	1,111	300	-	300	1,208	-	1,208	746	-	746
vi) वानिकी और वन्य जीवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) संस्कारिता	383	-	383	266	-	266	266	-	266	238	-	238
xi) अन्य @	17	-	17	10	-	10	10	-	10	25	-	25
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ऊर्जा	2,988	-	2,988	1,503	-	1,503	2,855	-	2,855	7,664	-	7,664
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	3,742	686	4,428	3,100	-	3,100	3,666	-	3,666	14,051	-	14,051
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	4,151	-	4,151	4,415	-	4,415	4,620	-	4,620	6,580	-	6,580
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	685	-	685	415	-	415	417	-	417	680	-	680
iii) अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. परिवहन (i + ii)	3,466	-	3,466	4,000	-	4,000	4,203	-	4,203	5,900	-	5,900
i) सड़क और पुल	4,596	-	4,596	1,831	-	1,831	5,125	-	5,125	13,106	-	13,106
ii) अन्य **	4,127	-	4,127	1,435	-	1,435	4,733	-	4,733	12,700	-	12,700
8. संचार	469	-	469	396	-	396	392	-	392	406	-	406

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. नगर विकास (सामान्य सेवाएं) II. आंतरिक ऋण का उम्मेद (1 से 8)	9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	411	-	411	-	2,421	1,578	-	1,578	2,291	-	2,291
	i) पर्यटन	411	-	411	-	2,421	1,578	-	1,578	2,291	-	2,291
	ii) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. नगर विकास (सामान्य सेवाएं)	3,383	-	3,383	2,510	2,510	3,399	-	3,399	8,391	-	8,391
	1. आंतरिक ऋण का उम्मेद (1 से 8)	-	709	709	-	1,226	-	1,226	1,226	-	1,918	1,918
	1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. एलआईसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. नाबार्ड से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	709	709	-	1,226	-	1,226	1,226	-	1,918	1,918
	8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जिसमें से: भूमि मुआवजा बॉन्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. राज्य योजना स्कीम	-	10,183	10,183	-	11,014	-	11,014	11,014	-	11,196	11,196
	जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना	-	4,862	4,862	-	5,139	-	5,139	5,139	-	5,234	5,234
	सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	7	7	-	8	-	8	8	-	8	8
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	4. योजनेतर (i से ii)	-	5,314	5,314	-	5,867	-	5,867	5,867	-	5,954	5,954
	i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	5,314	5,314	-	5,867	-	5,867	5,867	-	5,954	5,954
	ii) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	12	256	268	43	300	43	245	288	2,301	296	2,597
	क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	12	7	19	43	20	43	9	52	2,301	15	2,316
	1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2	7	9	-	20	-	9	9	800	15	815
	2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. आवास	2	7	2	-	20	-	-	-	800	-	800
	6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तियत परियोजनाएं	विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (समाप्त)
पुदुचेरी

(लाख रुपए)

मद	2007-08 (लेखा)			2008-09 (बजट अनुमान)			2008-09 (संशोधित अनुमान)			2009-10 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	8	-	8	8	-	8	1,501	-	1,501
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	10	-	10	35	-	35	35	-	35	-	-	-
2. गैर-विकासवादी कार्यक्रम (क + ख)	-	249	249	-	280	280	-	237	237	-	281	281
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	249	249	-	280	280	-	237	237	-	281	281
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अन्तरराष्ट्रीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आवासीयता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्पबजत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	4,210	4,210	-	12,190	12,190	-	12,982	12,982	-	13,190	13,190
1. राज्य भविष्य निधि	-	4,165	4,165	-	12,000	12,000	-	12,800	12,800	-	13,000	13,000
2. अन्य	-	45	45	-	190	190	-	182	182	-	190	190
VIII. आरक्षित निधियाँ (1 से 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	1,609	1,609	-	4,956	4,956	-	6,776	6,776	-	7,300	7,300
1. सिविल जमा	-	1,532	1,532	-	4,954	4,954	-	4,500	4,500	-	5,000	5,000
2. स्थानीय निधियों की जमा राशियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सिविल अग्रिम	-	77	77	-	2	2	-	76	76	-	100	100
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	15,621	15,621	-	304,723	304,723	-	319,487	319,487	-	598,051	598,051
1. उचित	-	8,719	8,719	-	1,505	1,505	-	416	416	-	470	470
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	-	-	-	26,000	26,000	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियाँ	-	-	-	-	17,000	17,000	-	312,000	312,000	-	320,000	320,000
4. अन्य	-	6,902	6,902	-	260,218	260,218	-	7,071	7,071	-	277,581	277,581
XI. आवासीयता कोष में विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,392	-	-	-12,707
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	73,392	-	-	101,213	-	-	81,059	-	-	32,307
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)	-	-	66,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = 1 से iii)	-	-	68,894	-	-	11,939	-	-	9,667	-	-	19,599
1. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)	-	-	68,894	-	-	-15,061	-	-	-6,333	-	-	-401
क) अथ शेष	-	-	68,894	-	-	34,136	-	-	68,425	-	-	75,239
ख) इति शेष	-	-	-	-	-	19,075	-	-	62,091	-	-	74,838
ii. ऋकदी शेष निवेश खाता (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संनिकासी (-) / संतुलन (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. आरबीआई से अधिप्राप्त अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
में वृद्धि (-) / कमी (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)	-	-	-6,497	-	-	-89,274	-	-	-71,3			

परिशिष्टों के लिए टिप्पणियां

परिशिष्ट I के लिए टिप्पणियां :

1. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है। बिक्री कर इसका अपवाद है, जहां सुसंगत राशि 'राज्य बिक्री कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शायी गई है।
2. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में, जहां 'राज्य योजना स्कीम', 'केंद्रीय योजना स्कीम', 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' तथा 'गैर योजना अनुदान' के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'राज्य योजना स्कीम' के सामने दर्शायी गई है। इसी तरह, जहां 'केंद्रीय योजना स्कीम' तथा 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के लिए अनुदानों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के सामने दर्शायी गई है।
3. 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट II के लिए टिप्पणियां :

1. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
2. 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
3. कुछ व्यय शीर्षों के तहत कुछ राज्यों के लिए योजनेतर व्यय के लिए ऋणात्मक आंकड़े दिखाई दे सकते हैं जिसका कारण यह है कि योजनेतर व्यय संबंधित शीर्ष के लिए कुल व्यय में से योजना व्यय को घटाकर ज्ञात किया जाता है, जैसाकि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया होता है।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट III के लिए टिप्पणियां :

1. 'लोक लेखा' के तहत दिए गए आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर होते हैं। साथ ही, रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को 'आंतरिक ऋण' के तहत शामिल किया जाता है जबकि 'नकदी शेष निवेश लेखा' और 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां' को 'उचंत और विविध' के तहत शामिल किया गया है। लोक लेखा को निवल आधार पर लेते हुए कुल पूंजीगत प्राप्तियां भी दर्शायी गयी हैं, ताकि पिछले साल के संदर्भ में तुलनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकें।
2. 'अल्प बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमाराशि और अग्रिम', 'उचंत और विविध' तथा 'विप्रेषण' नामक उप समूह 'लोक लेखा' से संबंधित हैं।
3. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
4. 'केंद्र से ऋण और अग्रिम' के मामले में, जहां 'राज्य योजना स्कीम', 'केंद्रीय योजना स्कीम' तथा 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'राज्य योजना स्कीम' के सामने दर्शायी गई है। इसी तरह, जहां 'केंद्रीय योजना स्कीम' और 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के लिए ऋणों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम' के सामने दर्शायी गयी है।
5. 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
6. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट IV के लिए टिप्पणियां :

1. 'लोक लेखा' और 'आकस्मिकता निधि' के तहत आनेवाले आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं। लोक लेखा को छोड़कर कुल पूंजीगत व्यय भी दिया गया है ताकि पिछले साल के संदर्भ में तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकें।
2. जहां किसी प्रमुख समूह के तहत एक अथवा कई उप-समूहों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां सुसंगत राशि 'अन्य' नामक उप समूह के सामने दर्शायी गयी है।
3. 2007-08 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर तथा झारखंड से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. व्यय संबंधी कुछ शीर्षों के तहत कुछ राज्यों के लिए योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े हो सकते हैं, जिसका कारण यह है कि योजनेतर व्यय संबंधित शीर्ष के लिए कुल व्यय में से योजना व्यय को घटाकर ज्ञात किया जाता है, जैसाकि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया होता है।
5. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।